

बेहतर कल के लिए डिजिटल रूपांतरण

बैंकिंग डिजिटাইजेशन को अगले पायदान पर ले जाते हुए.

DIGITAL TRANSFORMATION FOR TOMORROW

Taking banking digitisation to the next level.

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22
ANNUAL REPORT 2021-22



यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया



Union Bank
of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking



Azadi Ka
Amrit Mahotsav

विषय सूची

बेहतर कल के लिए डिजिटल रूपांतरण	03
बैंक के बारे में	04
इष्टतम प्रतिफल की दिशा में रूपांतरण	08
प्रमुख वित्तीय मानक	12
अगली पीढ़ी को डिजिटल उपभोक्ता वित्तीय सेवाएं प्रदान करना	16
निदेशक मंडल	24
संगठनात्मक संरचना	38
नोटिस	44
निदेशकों की रिपोर्ट	58
प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण	72
कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	108
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंड अलोन)	152
स्टैंड अलोन तुलन-पत्र	162
स्टैंड अलोन लाभ एवं हानि लेखा	163
स्टैंड अलोन अनुसूचियां 1 से 18	164
स्टैंड अलोन नकदी प्रवाह विवरण	221
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित)	223
समेकित तुलन-पत्र	232
समेकित लाभ एवं हानि लेखा	233
समेकित अनुसूचियां 1 से 18	234
समेकित नकदी प्रवाह विवरण	261
पूँजी विनियमन बासल III के अंतर्गत प्रकटन	263
कारोबारी उत्तरदायित्व एवं निरंतरता रिपोर्ट	264
हरित पहल-शेयरधारकों से अपील	480

Contents

Digital Transformation for Tomorrow	03
About the Bank	06
Transforming to deliver optimal returns	10
Key Financial Trends	14
Delivering the next-generation, digitised consumer financial services	20
Board of Directors	24
Organization Structure	39
Notice	265
Directors' Report	278
Management Discussion and Analysis	291
Corporate Governance Report	325
Independent Auditors' Report (Standalone)	369
Standalone Balance Sheet	380
Standalone Profit & Loss Account	381
Standalone Schedules 1 to 18	382
Standalone Cash Flow Statement	435
Independent Auditors' Report (Consolidated)	437
Consolidated Balance Sheet	446
Consolidated Profit & Loss Account	447
Consolidated Schedules 1 to 18	448
Consolidated Cash Flow Statement	476
Disclosures under Basel III Capital Regulations	478
Business Responsibility and Sustainability Report	479
Green Initiative - Appeal to Shareholders	480

बेहतर कल के लिए डिजिटल रूपांतरण

बैंकिंग डिजिटलईजेशन को अगले पायदान पर ले जाते हुए.

DIGITAL TRANSFORMATION FOR TOMORROW

Taking banking digitisation to the next level.

हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एक बैंक से कहीं अधिक बनाना चाहते हैं: हम डिजिटल रूप से अग्रगामी बैंक बनना चाहते हैं. हम बैंकिंग प्रक्रियाओं और सेवाओं की पूरी शृंखला में डिजिटलीकरण को लागू करने के मामले में बैंकिंग उद्योग में अग्रणी बनना चाहते हैं.

हम, भविष्य का बैंक बनने के लिए अपनी मूल तकनीकों के आधुनिकीकरण की सुनियोजित राह पर चल रहे हैं. इसकी शुरुआत इस एहसास के साथ हुई कि हम सिर्फ एक बैंक ही नहीं हैं, बल्कि एक प्रौद्योगिकी कंपनी भी हैं. आज, हम अपने सभी उत्पादों और सेवाओं के डिजिटलीकरण में सर्वश्रेष्ठ प्रयासों का कार्यान्वयन करते हुए इसे सीधे अपने पी एंड एल से जोड़ने का इरादा रखते हैं. हम डिजिटल सेगमेंट और पारंपरिक सेगमेंट के आधार पर अपने कारोबार का ध्यानपूर्वक वर्गीकरण कर रहे हैं, जिससे हम समग्र कारोबार के उचित केंद्रों में डिजिटल व्यवहार अपनाने में तेजी ला रहे हैं. परिणाम मूर्त और आशाजनक हैं: हम आसानी से देख सकते हैं कि पारंपरिक ग्राहकों की तुलना में डिजिटल ग्राहकों की प्रति ग्राहक आय और लागत-से-आय अनुपात बहुत अधिक है. जिससे हमें अधिक उत्पादक और कुशल बैंक बनने की क्षमता प्राप्त होती है. हम अपनी मानसिकता और संगठनात्मक संस्कृति के मामले में भी मूल रूप से डिजिटल बन रहे हैं. इसमें प्रत्येक परिवर्तन के एजेंडे के लिए हमारे कर्मचारियों को शिक्षित करना और ग्राहक यात्रा का अभिग्रहण शामिल है, ताकि यह समझा जा सके कि हमारे ग्राहक वास्तव में हमारे अनुप्रयोगों का अनुभव कैसे करेंगे.

पिछले कुछ वर्षों में, हम आस्तियों पर प्रतिलाभ बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं. हर मोड़ पर, हमने हमेशा बैंक के ऋण प्रदर्शन, लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता और पूंजी निर्माण की गति में सुधार के लिए उद्योग उत्कृष्टता के मानकों को पार करने की कोशिश की है. नवोन्मेषिता, ग्राहक सेवा और मूल्य निर्माण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना हमारी प्रमुख रणनीति है, जो हमें एक डिजिटल-फॉरवर्ड बैंक बनाती है. हम अपने कर्मचारियों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने भविष्य के विकास का निर्माण करते हुए, अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में अपनी यात्रा के लिए प्रतिबद्ध हैं.

At Union Bank of India, we want to be much more than a bank: we want to be a digital-forward bank. We want to be the vanguard of the industry in terms of embedding digitization across the full range of banking processes and services.

We are on a well-charted course for modernising our core technologies to become a bank of the future. This started by realizing that we are not just a bank, but also a technology company. Today, we intend to implement best-in-class digitalisation efforts across the board and link them directly to our P&L. We are carefully bifurcating our businesses that lend themselves to the digital segment and the traditional segment, and are accelerating the adoption of digital behaviour at all the right nodes of our overall business. The results are tangible and promising: we can easily see that digital customers have much higher income per customer and cost-to-income ratio compared to the traditional segment – giving us the potential to be a highly productive and efficient bank. We are also becoming digital to the core in terms of our mindsets and organisational culture. This involves a deep indoctrination of our people for each change agenda, and the adoption of customer-journey thinking to understand how they would actually experience our applications.

Over the past few years, we have been doing many things to enhance our return on assets. At every turn, we have always looked to surpass industry excellence standards to improve the bank's lending performance, profitability, asset quality, and the pace of capital generation. A key strategy underpinning this is our undeterred focus on innovation, customer service, and value creation, making us a digital-forward bank. We remain committed to our journey towards strengthening our financial position, while building our future growth through our people and technology.

बैंक के बारे में

16.05 करोड़
ग्राहक

8,870
देशी शाखाएं

11,200+
चालू एटीएम

8,216
कारोबार प्रतिनिधि केंद्र

75,201
कर्मचारी

₹10,32,392 करोड़
वैश्विक जमा (31 मार्च, 2022)

₹7,16,408 करोड़
वैश्विक सकल अग्रिम (31 मार्च, 2022)



हम भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक हैं। बैंक की कुल शेयर पूंजी में 83.5% धारिता भारत सरकार की है। 1919 में स्थापित इस संस्था की हितधारकों को सेवा देने की पुरानी परंपरा है। हाल ही में, 1 अप्रैल, 2020 से आन्ध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को हमारे बैंक के साथ समामेलित किया गया। विदेशों में भी हमारी 3 शाखाएँ हैं यथा हांगकांग, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (यूएई) और (ऑस्ट्रेलिया); अबू धाबी में 1 प्रतिनिधि कार्यालय; लंदन (यू.के.) में 1 बैंकिंग सहायक अनुपंगी; और मलेशिया में 1 बैंकिंग संयुक्त उद्यम; 4 पैरा-बैंकिंग अनुपंगी (देशी); 2 अन्य संयुक्त उद्यम (जीवन बीमा कारोबार सहित) और 1 सहयोगी - चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक।


हमारा बैंक 100% कोर बैंकिंग सोल्यूशन लागू करने वाला देश का पहला बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बैंक ने प्रौद्योगिकी, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, एमएसएमई और मानव संसाधन विकास में अपने कौशल के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं।

हमारी उत्पत्ति

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर, 1919 को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना सेठ सीताराम पोद्दार ने की। मुंबई में बैंक के प्रधान कार्यालय भवन का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वर्ष 1921 में किया था और उन्होंने इस अवसर पर कहा:

“हमारे पास अपनी राष्ट्रीय गतिविधियों के निर्वाह के लिए करोड़ों रुपये का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने हेतु एक बड़े बैंक के संचालन की क्षमता होनी चाहिए। हालांकि हमारे बीच कई बैंक नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम करोड़ों और अरबों रुपये का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में सक्षम नहीं हैं।”

- महात्मा गांधी (1921)



उनके दूरदर्शी शब्दों ने बाद के दशकों में हुए बैंक के विकास को चरितार्थ किया।

सेवाएं और समाधान

हम विभिन्न बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हैं, बैंक चार वर्गों के माध्यम से संचालित होता है:

» ट्रेजरी परिचालन

» खुदरा बैंकिंग परिचालन

» कॉर्पोरेट और थोक बैंकिंग, तथा

» अन्य बैंकिंग परिचालन

बैंक बचत और चालू खाते; सावधि और आवर्ती जमा और डीमेट और ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते प्रदान करता है। यह आवास, वाहन, शिक्षा और व्यक्तिगत ऋण, संपत्ति पर ऋण और पेंशनभोगियों के लिए ऋण सहित खुदरा ऋण के साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उत्पाद और ऋण भी प्रदान करता है। इसके अलावा, कंपनी म्यूचुअल फंड, जीवन, गैर-जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा उत्पाद और कर बचत जमा सरकारी बचत योजनाएं, कर संग्रह सेवाएं, पेंशन उत्पाद और विभागीय मंत्रालयों के खाते; अल्पावधि, दीर्घावधि तथा कृषि/ लघु उद्योग/ तृतीयक क्षेत्रों के लिए अन्य ऋण और सुरक्षित जमा लॉकर तथा चेक संग्रहण सेवाएं प्रदान करती है।

साथ ही, बैंक कॉर्पोरेट ऋण प्रदान करता है जिसमें कोविड की आपातकालीन ऋण व्यवस्था, व्यापार वित्त, कार्यशील पूंजी, ऋण व्यवस्थाएं, परियोजना वित्त और चैनल वित्त; ऋण संरचना / पुनर्संरचना, ऋण समूहन, संरचित वित्त, विलय और अधिग्रहण सलाहकार और निजी इक्विटी सेवाएं; नकद प्रबंधन, ईसीजीसी कवर और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं, तथा व्युत्पत्ती; निर्यात और आयात वित्त सेवाएं; एनआरआई बैंकिंग सेवाएं और ट्रेजरी एवं अन्य उत्पाद तथा प्रेषण सेवाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ऐप, इंटरनेट, स्वयं सेवा, एटीएम और एसएमएस बैंकिंग सेवाएं; पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल और तत्काल भुगतान सेवाएं और कॉम्बो, डेबिट, क्रेडिट, उपहार, प्रीपेड और पेट्रोल कार्ड सेवाएं प्रदान करती है।

About the Bank

16.05 crore
Customers

8,870
Domestic Branches

11,200+
ATMs in Service

8,216
Business Correspondent Points

75,201
Employees

₹10,32,392 crore
Global Deposits (31st March 2022)

₹7,16,408 crore
Global Gross Advances
(31st March 2022)



Union Bank of India is India's one of leading public sector banks listed on the Indian stock exchanges, with the Government of India holding 83.49% in the Bank's total share capital. Founded in 1919, we have had a long legacy of serving our stakeholders. Recently, Andhra Bank and Corporation Bank were amalgamated into our fold with effect from 1st April, 2020. We also have 3 branches overseas at Hong Kong, Dubai International Financial Centre (UAE) & Sydney (Australia); 1 representative office in Abu Dhabi (UAE); 1 banking subsidiary at London (UK); 4 para-banking subsidiaries (domestic); 2 other joint ventures (including in life insurance business) and 1 associate - Chaitanya Godavari Gramin Bank.


We are the first large public sector bank in the country to have implemented 100% core banking solution. The Bank has received several awards and recognition for its prowess in technology, digital banking, financial inclusion, MSME and development of human resources.

Our Genesis

Union Bank of India was established on 11th November 1919 with its headquarters in Mumbai. It was promoted by Seth Sitaram Poddar. The Head Office building of the Bank in Mumbai was inaugurated by Mahatma Gandhi, the Father of the Nation in the year 1921, and he said on the occasion:

“We should have the ability to carry on a big bank, to manage efficiently crores of rupees in the course of our national activities. Though we have not many banks amongst us, it does not follow that we are not capable of efficiently managing crores and tens of crores of rupees.”

– Mahatma Gandhi (1921)



His prescient words predicted the growth of the Bank that has taken place in the decades that followed.

Services & Solutions

We provide various banking products and services. The Bank operates through four segments:

» Treasury Operations

» Retail Banking Operations

» Corporate and Wholesale Banking, and

» Other Banking Operations

The Bank offers savings and current accounts; term and recurring deposits; and demat and online trading accounts. It also provides retail loans, including home, vehicle, education, and personal loans; loans against the property; and loans for pensioners, as well as products and loans for micro, small, and medium enterprises. In addition, the company offers mutual funds, life, non-life, health, and general insurance products, and tax saving deposits; government saving schemes, tax collection services, pension products, and departmentalized ministries accounts; short term, long term, and other credit for agricultural/SSI/tertiary sectors; and safe deposit locker and cheque collection services.

Furthermore, the Bank provides corporate loans comprising Covid emergency line of credit, trade finance, working capital, lines of credit, project financing, and channel finance; debt structuring/restructuring, loan syndication, structured finance, mergers and acquisition advisory, and private equity services; cash management, ECGC cover, and foreign exchange services, as well as derivatives; export and import finance services; NRI banking services; and treasury and other products, and remittance services. Additionally, the company offers app, internet, self-service, ATM, and SMS banking services; point of sale terminals and immediate payment services; and combo, debit, credit, gift, prepaid, and payroll cards.

इष्टतम प्रतिफल की दिशा में रूपांतरण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान वृद्धि की ओर बढ़ने का एक स्पष्ट एवं सुदृढ़ मार्ग दर्शाया है और औसत आस्तियों पर प्रतिफल आरओए वित्त वर्ष 2021 के 0.27 से सुधार कर वित्त वर्ष 2022 में 0.47 हो गया है। हम वैविध्यपूर्ण व्यापार मॉडल के विकास को जारी रखेंगे जिसे हमने उन्नत तकनीक तथा डिजिटल क्षमताओं के साथ अपने ग्राहकों के व्यापार में निवेश करके अपने देशी और वैश्विक परिचालनों में सुदृढ़ वृद्धि लाकर और न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की दिशा में अर्थपूर्ण भूमिका निभाकर स्थापित किया है।

पूंजी अनुपातों में सुधार

सीआरएआर दिनांक 31.03.2021 के 12.56% से सुधार कर 31.03.2022 को 14.52% हो गया। सीईटी-अनुपात दिनांक 31.03.2021 के 9.07% से सुधार कर दिनांक 31.03.2021 को 10.63% हो गया। पीसीआर भी 31 मार्च, 2021 के 81.27% से वर्ष दर वर्ष आधार पर 234 बीपीएस सुधार कर 31 मार्च, 2022 को 83.61% हो गया।

एनपीए में कमी

दिनांक 31.03.2022 को सकल एनपीए (%) वर्ष दर वर्ष आधार पर 263 बीपीएस गिरकर 11.11% हो गया एवं निवल एनपीए (%) वर्ष दर वर्ष आधार पर 94 बीपीएस गिरकर 3.68% हो गया। ऋण लागत में वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में 89 बीपीएस की कमी आई।

खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई (रैम) खंड में ऋण वृद्धि

बैंक ने खुदरा में 8.65% की वृद्धि, कृषि में 10.80% की वृद्धि और एमएसएमई अग्रिम में 8.56% की वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि दर्ज की है। देशी ऋणों के सापेक्षता के तौर पर रैम अग्रिम 54.96% हो गए हैं।

व्यापार वृद्धि में गति आई है

अग्रिम में 7% (तिमाही दर तिमाही) एवं 9.60% (वर्ष दर वर्ष) की दर से वृद्धि हुई है जबकि जमा में 10.13% (तिमाही दर तिमाही) और 11.75% (वर्ष दर वर्ष) की दर से वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2022 को बैंक का कुल कारोबार रु. 17,48,800 करोड़ हो गया है।

लाभांश

आवश्यक अनुमोदनों के अधीन निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये प्रति इक्विटी शेयर के लिए रु.1.90 का लाभांश अनुमोदित किया है।

सुदृढ़ वित्तीय निष्पादन

बैंक का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2022 में 80.05% (वर्ष दर वर्ष) से बढ़ा है। बैंक की निवल ब्याज आय वित्त वर्ष 2022 के दौरान 12.55% (वर्ष दर वर्ष) एवं वित्त वर्ष 22 की चौथी तिमाही में 25.29% (वर्ष दर वर्ष) की दर से बढ़ी है।

बैंक ने मजबूत देयता फ्रेंचाइजी के रूप में निष्पादन जारी रखा

कासा जमा 12.40% (वर्ष दर वर्ष) से बढ़े। वर्तमान में 31 मार्च, 2022 को बैंक का कुल जमा आधार रुपए 10,32,392 करोड़ है। कासा अनुपात 36.33% (वर्ष दर वर्ष) से 21 बी पी एस सुधार कर 36.54% हो गया है।

वित्त वर्ष 2022
में किए गए सुदृढ़
निष्पादन की मुख्य
बातें

लचीलापन, स्थिरता और वृद्धि पर निर्भरता



वित्त वर्ष 2022 के लिए प्रमुख वित्तीय मानक

₹17,48,800 करोड़

वैश्विक कारोबार

यथा 31.03.2022 को, जो यथा 31.03.2021 को ₹1577490 करोड़ से 10.86% अधिक है

2.94%

वैश्विक एनआईएम

वित्त वर्ष 2022 के लिए 2.94% रहा.

14.52%

बासल III के अंतर्गत सीआरएआर

11.50% न्यूनतम विनियामक आवश्यकता और यथा 31.03.2021 को 12.56% के सापेक्ष, यथा 31.03.2022 को 14.52% रहा.

83.61%

प्रावधान कवरेज अनुपात

यथा 31.03.2021 के 81.27% के सापेक्ष यथा 31.03.2022 में 83.61% रहा.

45.74%

लागत आय अनुपात

वित्त वर्ष 2022 के लिए 45.74% रहा.

₹10,32,392 करोड़

कुल वैश्विक जमाएं

यथा 31.03.2022 को ₹ 10,32,392 करोड़ रहा.

2.97%

देशी एनआईएम

वित्त वर्ष 2022 के लिए 2.97% रहा.

11.11%

सकल एनपीए

यथा 31.03.2021 के 13.74% के सापेक्ष, यथा 31.03.2022 में 11.11% रहा.

₹7,16,408 करोड़

वैश्विक सकल अग्रिम

यथा 31.03.2022 को ₹ 7,16,408 करोड़ रहा.

₹12,525 करोड़

अन्य आय

यथा 31.03.2022 को ₹ 12,525 करोड़ रहा.

3.68%

निवल एनपीए अनुपात

यथा 31.03.2021 के 4.62% के सापेक्ष, यथा 31.03.2022 में 3.68% रहा.

₹3,77,193 करोड़

कासा जमा

यथा 31.03.2022 को ₹ 3,77,193 करोड़ रहा.

₹21,873 करोड़

परिचालन लाभ

वित्त वर्ष 2022 के लिए, वित्त वर्ष 2021 के लिए ₹19,667 करोड़ से 11.22% अधिक है.

12.20%

टियर I पूंजी

यथा 31.03.2022 को 12.20% रहा.

₹27,786 करोड़

निवल ब्याज आय

वित्त वर्ष 2022 के लिए ₹ 27,786 करोड़ रहा.

7.14%

अग्रिमों पर प्रतिफल

वित्त वर्ष 2021 में 7.21% के सापेक्ष, वित्त वर्ष 2022 के लिए 7.14% रहा.


10.63%

सीईटी I पूंजी


यथा 31.03.2022 को 10.63% रहा.

Transforming to deliver optimal returns

Union Bank demonstrated a clear and sustainable path to growth over the course of FY2022, delivering a Return on Average Assets (ROAA) of 0.47 in FY2022, a marked improvement over an ROAA of 0.27 in FY2021. We will continue to develop the diversified business model that we have established, investing in advanced technology and digital capabilities in our consumer businesses, delivering sustainable growth across our domestic and global operations, and play a meaningful part in aiding the transition to a low-carbon economy.



Building on resilience, consistency and growth.



14.52%

CRAR under Basel III

as on 31.03.2022 as against 12.56% as on 31.03.2021 and as compared to the minimum regulatory requirement of 11.50%

83.61%

Provision Coverage Ratio

as on 31.03.2022 as against 81.27% as on 31.03.2021

₹17,48,800 crore

Global Business

as on 31.03.2022, up by 10.86% from ₹1577490.00 crore as on 31.03.2021

2.94%

Global NIM

for the FY2022

45.74%

Cost to Income Ratio

for FY2022

₹10,32,392 crore

Total Global Deposits

as on 31.03.2022

2.97%

Domestic NIM

for the FY2022

11.11%

GNPA

as on 31.03.2022 as against 13.74% as on 31.03.2021

₹7,16,408 crore

Global Gross Advances

as on 31.03.2022

₹12,525 crore

Other Income

as on 31.03.2022

3.68%

Net NPA Ratio

as on 31.03.2022 as against 4.62% as on 31.03.2021

₹3,77,193 crore

CASA Deposit

as on 31.03.2022

₹21,873 crore

Operating Profit

for FY2022, up by 11.22% from ₹19667 crore for the FY2021

12.20%

Tier 1 Capital

as on 31.03.2022

₹27,786 crore

Net Interest Income

for the FY2022

7.14%

Yield on Advances

for FY2022 as against 7.21% in FY2021

10.63%

CET 1 Capital


as on 31.03.2022

प्रमुख वित्तीय प्रवृत्तियां

कर्मचारी (संख्या)



प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ करोड़ों में)



शाखाएं (संख्या)



प्रति शेयर अर्जन (₹ में)



प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ों में)



प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)




प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ करोड़ों में)



ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियाँ (% में)



प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ करोड़ों में)



ब्याज व्यय / एडवैल्यूएफ (% में)




प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ों में)



ब्याज स्प्रेड / एडवैल्यूएफ (% में)



प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ों में)



गैर-ब्याज आय / एडवैल्यूएफ (% में)



परिचालन व्यय/एडबल्यूएफ (% में)




लागत आय अनुपात (% में)




सकल (परिचालन) लाभ/एडबल्यूएफ (% में)




औसत नेट वर्थ पर प्रतिलाभ (% में)



टर्मिनल आस्तियों पर प्रतिलाभ (% में)



औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (% में)



अग्रिमों पर प्रतिफल (% में)



जमाराशियों की लागत (% में)



ऋण जमा अनुपात (% में)



पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल III) (% में)



टियर I पूंजी (% में)



टियर II पूंजी (% में)



निवल लाभ के सापेक्ष लाभंश भुगतान अनुपात (% में)




Key Financial Trends

Employees (NUMBER)



Net Profit per Branch (₹ IN CRORE)



Branches (NUMBER)



Earnings per Share (IN ₹)



Business per Employee (₹ IN CRORE)



Book value per Share (IN ₹)




Gross Profit per Employee (₹ IN LACS)




Interest Income / Average Working Funds (IN %)



Net Profit per Employee (₹ IN LACS)



Interest Expenses/AWF (IN %)




Business per Branch (₹ IN CRORE)



Interest Spread /AWF (IN %)






Gross Profit per Branch (₹ IN CRORE)



Non-Interest Income /AWF (IN %)



Operating Expense/AWF (IN %)**Cost of Deposits (IN %)****Cost Income Ratio (IN %)****Credit Deposit Ratio (IN %)****Gross (Operating) Profit /AWF (IN %)****Capital Adequacy Ratio (Basel III) (IN %)****Return on Average Net Worth (IN %)****Tier I Capital (IN %)****Return on Terminal Assets (IN %)****Tier II Capital (IN %)****Return on Average Assets (IN %)****Dividend Payout Ratio to Net Profit (IN %)****Yield on Advances (IN %)**

मुख्य रणनीति:

अगली पीढ़ी, डिजिटल उपभोक्ता वित्तीय सेवाएं प्रदान करना

कोविड-19 महामारी, हमारे ग्राहकोन्मुख कारोबार के लिए चुनौतियां लेकर आयी, ग्राहकों की शाखा में भौतिक उपस्थिति या व्यक्तिगत रूप से शाखा में आने की आवश्यकता न रहने से संबंधित वर्ष 2021 के दौरान तथा वर्ष 2022 में हमने हमारे अनेक वर्तमान ग्राहकों और उपभोक्ताओं के व्यवहार रुझान को बढ़ावा दिया. डिजिटल अपनाने की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण बदलाव और दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाओं की मांग ने हमारे डिजिटल एजेंडे को गति दी है और डिजिटल ग्राहक और ग्राहक जुड़ाव से निर्मित नए कारोबारी मॉडल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है.

हमारी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक अगली पीढ़ी को, डिजिटल उपभोक्ता वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है ताकि हम प्रतिस्पर्धी बने रहें और अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए अपने ग्राहकों को बैंकिंग तक पहुंच प्रदान कर तथा उनकी जरूरतों को पूरा करना जारी रखें. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अन्य क्षमताओं के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल लेंडिंग जैसी प्रौद्योगिकी में नवीनतम नवाचारों का लाभ उठाकर और उन्हें लागू करके अपने ग्राहकों को "डिजिटल अनुभव" प्रदान कर रहा है. आपका बैंक सुरक्षा से समझौता किए बिना नियामक मानदंडों का अनुपालन करते हुए व्यावसायिक प्रणालियों और क्लाउड-आधारित अनुप्रयोगों में उच्च कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान आईटी ढांचे को बदल रहा है. साथ ही, आपका बैंक विविध, गतिशील और जटिल वातावरण में नवाचारों के लिए नए अनुप्रयोगों के लिए एंटरप्राइज सॉल्यूशन ढांचागत व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है.

वित्त वर्ष 2022 के दौरान, बैंक ने अगली पीढ़ी, डिजिटल उपभोक्ता वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीकी नवाचारों में ₹1,500 करोड़ से अधिक का निवेश किया है.

डिजिटल चैनलों में प्रगति

डिजिटल चैनलों में वृद्धि (आंकड़े करोड़ में)

चैनल	31.03.2021	31.03.2022	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता (करोड़ में)	1.22	1.65	0.43	35
इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता (करोड़ में)	0.68	0.73	0.05	7

हम अपने बढ़ रहे उपभोक्ताओं के कारोबार की निगरानी करना जारी रखते हैं क्योंकि आगे बढ़ने की यह प्राथमिकता है, हम उपभोक्ता मांग को पूरा करने और उनके बदलते व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक अपने परिचालन में अधिक कुशल हो. हम इसके बारे में अपनी प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में विस्तार से बात करते हैं.

अपने निवेशकों के लिए स्थायी दीर्घकालिक रिटर्न प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड और प्रबंधन ने एक सेवा मॉडल के संचालन के महत्व पर विचार किया है जो उपभोक्ताओं और ग्राहकों की आभारती अपेक्षाओं की पूर्ति के प्रति अनुक्रियाशील हो और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को प्रतिस्पर्धी और आज के उपभोक्ता की इच्छाओं और व्यवहार के संदर्भ में अत्यधिक प्रासंगिक बनाए रखने में सक्षम बनाता है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी परिसंपत्तियों

की गुणवत्ता के प्रबंधन और रखरखाव के लिए प्रौद्योगिकी और हमारी निगरानी क्षमताओं के उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा है. सुरक्षा प्रणालियों और सतर्कता में हमारे निवेश के बारे में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में पढ़ें जो धोखाधड़ी और घोटालों से सुरक्षा करता है.

इस महत्वपूर्ण प्राथमिकता को सफलतापूर्वक निभाने के लिए भविष्य कार्यबल का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण होगा. हम एक विविध और समावेशी कार्यबल को आकर्षित करने, विकसित करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें आवश्यक कौशल उपलब्ध हो, जैसे कि डिजिटल और प्रौद्योगिकी, और सफल होने के लिए आवश्यक क्षमता रखता है. 91 पृष्ठ पर उपलब्ध हमारी प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट हमारे प्रतिभा विकास कार्य का अधिक विवरण प्रदान करती है.



nxt →


डीजिटल अभिग्रहण में की गयी प्रगति

- » अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (पीएसबी)
- » अपने आईटी सिस्टम के लिए ट्रिपल आईएसओ प्राप्त करने वाला पहला पीएसबी
- » 10 लाख तक के एमएसएमई ऋण के एंड टू एंड ऑटो-नवीनीकरण को लागू करने वाला पहला पीएसबी
- » फिनेकल, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन एवं एसएमएस में बहु-भाषा लागू करने वाला पहला पीएसबी
- » 76 करोड़ से अधिक मासिक लेनदेन और 1% से कम की तकनीकी अस्वीकरण के साथ यूपीआई लेनदेनों में देश भर के बैंकों में हम तीसरे स्थान पर रहे
- » आपके बैंक को बड़े बैंकों की श्रेणी में बेस्ट क्लाउड एडॉप्शन के लिए आईबीए अवार्ड, आईडीसी इंडस्ट्री इनोवेशन अवार्ड्स 2021 और इंफोसिस फिनेकल इनोवेशन अवार्ड 2021 के लिए रनर अप से सम्मानित किया गया.
- » हम शीघ्र ही डिजिटलीकरण में एक नई छलांग लगाने के लिए ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी में बैंकिंग संबंधित सेवाओं को लागू करने के लिए "इंडियन बैंक्स ब्लॉकचैन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (आईबीबीआईसी)" का हिस्सा बन गए हैं.
- » बैंक ने एनालिटिक्स सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की स्थापना शुरू की है और अगले तीन वर्षों में एआई / एमएल के माध्यम से संपूर्ण बिजनेस मॉडलिंग पर बैंक की नजर है.
- » बैंक दैनिक रिपोर्ट निकालने, एटीएम समाधान और भुगतान निपटान जैसी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए आरपीए का उपयोग करने के लिए अग्रणी आरपीए आधारित फिनटेक फर्मों के साथ साझेदारी कर रहा है.

मुख्य रणनीति:

अगली पीढ़ी को डिजिटल उपभोक्ता वित्तीय सेवाएं प्रदान करना

हमारी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक अगली पीढ़ी को डिजिटल उपभोक्ता वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है ताकि हम प्रतिस्पर्धी बने रहें और अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए अपने ग्राहकों को बैंकिंग तक पहुंच प्रदान करना एवं उनकी जरूरतों को पूरा करना जारी रखें।



हम बैंकिंग प्रक्रियाओं और सेवाओं की अपनी पूरी शृंखला में डिजिटलीकरण को अंतःस्थापित कर उद्योग जगत में अग्रणी बनना चाहते हैं।

ग्राहक ईज़ (उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सक्रिय समस्या समाधान और 24/7 सेवा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित एप्लिकेशन निष्पादन निगरानी टीम की स्थापना की है। आईटी सिस्टम का औसत अपटाइम 99.90% है जो उद्योग में सर्वश्रेष्ठ के बराबर है।

फिनटेक का पैनाल

बैंक की फिनटेक नीति विशिष्ट वित्तीय सेवाओं को विकसित करने वाली कंपनियों का एक पूल बनाने के लिए फिनटेक को सूचीबद्ध करने का प्रावधान करती है। फिनटेक का सहज उपलब्ध संग्रह बैंक को कम से कम समय में आवश्यक समाधान अपनाने में मदद करता है। बाजार अध्ययन और बैंक की अपेक्षित आवश्यकताओं के आधार पर 24 फिनटेक को विभिन्न सेवा खंडों के तहत सूचीबद्ध किया गया था।

वित्त वर्ष 2022 के अंत तक, बैंक ने अगली पीढ़ी के डिजिटल उपभोक्ता वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीकी नवाचारों में ₹1,500 करोड़ से अधिक का निवेश किया है।

सुदृढ़ एवं लचीला बुनियादी ढांचा

वित्त वर्ष 2022 के दौरान, आपके बैंक के निजी क्लाउड को वर्तमान में 600 से अधिक वर्चुअल मशीनों को होस्ट करने के लिए विस्तारित किया गया था, जो क्लाउड पर 130 से अधिक एप्लिकेशन चला रहा है। बैंक ने 5 करोड़ से अधिक के दैनिक वित्तीय लेनदेन के लिए एक मजबूत सीबीएस ढांचा भी स्थापित किया। वर्तमान में, मासिक औसत सीबीएस लेनदेन 155 करोड़ से अधिक हैं। आपके बैंक ने एसडी-वैन समाधान भी लागू किया है, जो नेटवर्क प्रबंधन, अधिक नेटवर्क स्वचालन, सरलीकृत संचालन, परिवर्तन नियंत्रण में कमी, उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ मानकीकृत ईमेल संदेश प्रणाली के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण प्रदान करेगा।



मुंबई में डिजिटल कॉन्क्लेव

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बैंक में डिजिटल बैंक बनाने में अपनी शुरुआत को चिह्नित करने के लिए अपना पहला डिजिटल कॉन्क्लेव आयोजित किया। कॉन्क्लेव के दौरान, श्री राजकिरण रै जी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, ने "यूनियन संभव - अवसरों की दुनिया", एक भविष्यगामी डिजिटल सक्षम रूपान्तरण परियोजना, और इसके आगामी सुपर ऐप का अनावरण किया, जिसका नाम यूनियन नेक्स्ट - डू इट योरसेल्फ है। इन डिजिटल पहलों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को सभी क्षेत्रों में बैंकिंग करने के बेहतर तरीकों, मुख्य रूप से इसे स्वयं करें (डीआईवाई), से सशक्त बनाना है। ग्राहक अनुभव के प्राथमिक उद्देश्य (डिजाइन थिंकिंग) साथ, पांच ग्राहक-केंद्रित डिजिटल लेंडिंग (एंड टू एंड एसटीपी), पूर्व-अनुमोदित वैयक्तिक ऋण (पीएपीएल), यूनियन कैश (पेंशन ऋण), शिशु मुद्रा ऋण, एमएसएमई ऋण- ऑटो-नवीनीकरण, कृषि ऋण (केसीसी) का डिजिटल कॉन्क्लेव के दौरान ऑटो-नवीनीकरण का अनावरण किया गया, जिसमें बैंक के मोबाइल बैंकिंग पर नए डेटा-संचालित लाइव उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं। इस आयोजन में डिजिटल एप्लिकेशन जैसे सॉफ्टपोस और सीआरएम एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ, श्री राजकिरण रै जी ने कहा कि "संभव - अवसरों की दुनिया" और सुपर ऐप की शुरुआत के साथ, मुझे विश्वास है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया त्वरित डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से अपने ग्राहकों को एक कारोबारी विचारधारा और उद्यम दोनों के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करेगा।

सम्मान एवं पुरस्कार



ईज 4.0 : 21 दिसंबर की तिमाही के लिए आपके **बैंक ने थीम- तकनीक समर्थित आसान बैंकिंग की थीम- के तहत ईज 4.0 में तीसरा स्थान** हासिल किया।



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को **बड़ी श्रेणी के बैंक में सर्वश्रेष्ठ क्लाउड एडॉप्शन** से सम्मानित किया गया था क्योंकि बैंक ने बहुत प्रारंभिक चरण में बैंकिंग के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने और 2017 में ऑन-प्रिमाइसेस प्राइवेट क्लाउड को लागू करने में क्लाउड तकनीक की महत्वपूर्ण क्षमता को पहचाना है।



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बैंक की नवोन्मेष रणनीति के लिए **प्रक्रिया नवोन्मेष श्रेणी के तहत इंफोसिस फिनेकल इनोवेशन अवार्ड 2021 में रनर अप** से सम्मानित किया गया, जो असाधारण टचपॉइंट के माध्यम से बैंकिंग के हर क्षेत्र में ग्राहक को सभी चरणों में एक बेहतर अनुभव और चुस्त सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है।



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को **परिचालन में नवोन्मेष के तहत आईडीसी इंडस्ट्री इनोवेशन अवार्ड्स, 2021** से सम्मानित किया गया क्योंकि बैंक उभरती प्रौद्योगिकियों और निरंतर नवाचारों के माध्यम से कारोबार के विकास और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पैदा करके भविष्य का निर्माण कर रहा है।



आईबीए द्वारा जारी रैंक सूची के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **वित्त वर्ष 22 की पहली तिमाही के लिए ईज 4.0 सुधार सूचकांक में 12 पीएसबी में तीसरे स्थान** पर रहा। बैंक ईज एजेंडा के तहत अनुशंसित सुधार पहलों को सक्रिय रूप से अपना रहा है, जिससे यह दिसंबर 2020 से लगातार तीन तिमाहियों के लिए दूसरे रनर अप की समग्र स्थिति को बनाए रखने में सक्षम है। बैंक ने छह विषयों में से चार मुद्दों के तहत शानदार कार्यनिष्पादन भी दर्ज किया है। बैंक को "सहक्रियात्मक परिणामों के लिए सहयोग" और "शासन और परिणाम-केंद्रित मानव संसाधन" विषयों में विजेता घोषित किया गया और "नया युग 24x7 बैंकिंग" और "प्रौद्योगिकी सक्षम बैंकिंग सुगमता" विषयों में उपविजेता का स्थान हासिल किया।

Key Strategy:

Delivering the next-generation, digitised consumer financial services

The COVID-19 pandemic inevitably brought challenges for our consumer-facing businesses. It also accelerated several existing customer and client behaviour trends that we have seen continue during 2021 and well into 2022, in terms of our clients not requiring a physical branch visit or in-person engagement. A continued significant shift toward digital adoption and demand for digital financial services to meet day-to-day needs has accelerated our digital agenda and focused on creating new business models built around digital customer and client engagement.

One of our core priorities is to deliver next-generation, digitised consumer financial services to ensure we remain competitive and continue to meet the needs of our customers and clients while maintaining our societal obligations to provide access to banking. Union Bank of India is offering a "Digital Experience" to its customers by leveraging and implementing the latest innovations in technology like cloud computing and digital lending, amongst other capabilities. You Bank is transforming the current IT architecture to ensure high-performance access to business systems and cloud-based applications, complying with regulatory norms without compromising security. At the same time, Your Bank is fostering Enterprise Solution Architecture Practices for new applications to support innovations in diverse, dynamic and complex environments.

During FY2021-22, Bank has decided to invest more than ₹1,500 crore on digitization initiatives for bringing next generation digitized consumer financial services.

Progress on Digital Channels

Growth in Digital Channels (figures in crore)

Channels	31.03.2021	31.03.2022	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Mobile Banking Users (in crore)	1.22	1.65	0.43	35
Internet Banking Users (in crore)	0.68	0.73	0.05	7

We continue to oversee our evolving consumer businesses as this priority is driven forwards, ensuring we keep the focus on meeting consumer demand and responding to changing behaviour while at the same time ensuring the Bank becomes more efficient in its operations. We talk about this at length in our Management Discussion and Analysis Report.

To ensure we deliver sustainable long-term returns for our investors, the Board and management have contemplated the importance of operating a service model that is responsive to evolving customer and client expectations and enables Union Bank of India to remain competitive and highly relevant to today's consumer desires and behaviour.

Union Bank of India has also continued to play an essential role in using technology and our monitoring capabilities to help manage and maintain the quality of our assets. Read more about our investments in security systems and vigilance that protect against fraud and scams in our Management Discussion and Analysis Report.

Critical to the successful delivery of this priority will be creating the future workforce. We are committed to attracting, developing, and retaining a diverse and inclusive workforce that embeds essential skills, such as digital and technology, and the capabilities needed to succeed. Our Management Discussion and Analysis report on page 309 provide more detail on our talent development work.



Major Strides in Digital Adoption

- » First public sector bank (PSB) to go live on the account aggregator ecosystem
- » First PSB to achieve triple ISO for its IT Systems
- » First PSB to implement End to End auto-renewals of MSME loans up to 10 lacs
- » First PSB to implement multi-language in Finacle, Mobile Banking application and SMS
- » Your Bank is 3rd in UPI transactions among all Public Sector Banks in the country, with monthly transactions of 76+ crore and a technical decline of less than 1%.
- » Your Bank was awarded the IBA award for Best Cloud Adoption in Large Category Bank, IDC Industry Innovation Awards 2021, and Runner Up in Infosys Finacle Innovation Award 2021.
- » Your Bank became part of "Indian Banks Blockchain Infrastructure Company (IBBIC)" to implement Banking related Services in Blockchain Technology to take a new leap in Digitization soon.
- » Your Bank has initiated the setting up of the Analytics Center of Excellence and eyeing complete business modelling through AI/ML in the next three years.
- » Your Bank is partnering with leading RPA based Fintech firms to use RPA to automate processes such as daily report generation, ATM reconciliation, and payment settlement, among others.

Key Strategy:

Delivering the next-generation, digitised consumer financial services

One of our core priorities is to deliver next-generation, digitised consumer financial services to ensure we remain competitive and continue to meet the needs of our customers and clients, while maintaining our societal obligations to provide access to banking.



We want to be the vanguard of the industry in terms of embedding digitization across our full range of banking processes and services.

Customer EASE (Enhanced Access & Service Excellence)

Union Bank of India has established a dedicated Application Performance Monitoring team to ensure proactive issue resolution and 24/7 service availability. The average Uptime of IT systems is 99.90% which is at par with the best in the industry.

Empanelment of FinTechs

Fintech policy of the Bank provides for empanelment of FinTechs to create a pool of companies having developed unique financial services. A readily available collection of FinTechs helps the Bank adopt the required solution within the shortest possible time. Based on the market study and expected requirements of the Bank, 24 FinTechs have been empaneled under various service segments.

During FY2021-22, Bank has decided to invest more than ₹1,500 crore on digitization initiatives for bringing next generation digitized consumer financial services.

Robust and Resilient Infrastructure

During FY2022, your Bank's private Cloud was expanded to currently host 600+ virtual machines, running 130+ applications on Cloud. The Bank also established a robust CBS Infrastructure to support daily financial transaction volume of 5+ crore. Currently, monthly average CBS transactions are 155+ crore. Your Bank also implemented the SD-WAN solution, which will provide a centralised approach to network management, more network automation, simplified operations, reduced change control, standardised email messaging system with advanced security features.



The Digital Conclave at Mumbai

Union Bank of India recently conducted its maiden Digital Conclave to mark its foray into creating a Digital Bank within Bank. During the Conclave, Shri Rajkiran Rai G, MD & CEO, unveiled 'Union SAMBHAV – World of Opportunities', a Future Digital ready transformation project, and its upcoming Super App named Union nxt – Do it Yourself. The main thrust of these digital initiatives is to empower Customers with Smarter Ways of doing Banking across all segments, predominantly Do it Yourself (DIY). With customer experience as the primary objective (Design Thinking), Five Customer-Centric Digital Lending (end to end STP) journeys viz, Pre-approved Personal Loan (PAPL), Union Cash (Pensioner loan), Shishu Mudra Loan, MSME Loan-Auto-renewal, Agri loan (KCC)- Auto-renewal were unveiled during the Digital Conclave including the new data-driven vibrant products & services on Bank's Mobile Banking. The event also witnessed the rolling out of digital applications, viz. SoftPos & CRM Application. Speaking on the occasion, Shri Rajkiran Rai G, MD&CEO, Union Bank of India, remarked that **"With the embark of project 'Sambhav – World of Opportunities' and Super App, I am confident that Union Bank of India will deliver real-world value to its Customers through an accelerated Digital Transformation, both as a business ideology and enterprise imperative."**

Recognition and Awards



EASE 4.0: Your Bank secured **3rd position under the Theme-Tech Enabled Ease of Banking** for the December 21 Quarter in EASE 4.0.



Union Bank of India was awarded the **Best Cloud Adoption in Large Category bank** as Bank has recognised the significant potential of the cloud technology in providing modern infrastructure for Banking at a very early stage and implemented on-premises private Cloud in 2017.



Union Bank of India was awarded **Runner Up in Infosys Finacle Innovation Award 2021 under the Process Innovation Category** for the Bank's innovation strategy, which is centred around customers to provide a superior experience at all stages of the customer journey in every sphere of Banking through exceptional touchpoint experience and agile services.



Union Bank of India was awarded **IDC industry Innovation Awards 2021 under Innovation in Operations** as Bank is architecting the future by driving business growth and creating competitive advantages through emerging technologies and continuous innovations.



As per the rank list released by IBA, Union Bank of India is ranked **3rd among 12 PSBs in the EASE 4.0 Reforms Index for Q1 FY22**. The Bank has been actively adopting the reforms initiatives recommended under the EASE Agenda, enabling it to retain the overall position of the second runner up for the last three consecutive quarters since December 2020. The Bank has also recorded stellar performance under four out of six themes on the agenda. The Bank was adjudged the winner in the themes 'Collaborating for synergistic outcomes' & 'Governance & outcome-centric HR' and bagged the runner-up positions in 'New age 24x7 Banking' & 'Tech-enabled ease of banking' themes.

निदेशक मंडल Board of Directors



सुश्री ए मणिमेखलै
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(03.06.2022 से)

Ms. A. Manimekhalai
Managing Director & CEO
(from 03.06.2022)

सुश्री ए मणिमेखलै तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एक दक्ष बैंकर हैं। आपने 1988 में तत्कालीन विजया बैंक में एक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और सफलतापूर्वक प्रोन्नत होकर क्रमशः शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और कॉर्पोरेट कार्यालय में विभिन्न विभागों के कार्यकारी प्रमुख के तौर पर कार्य किया। आपने योजना बनाने, संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारित करने, विकास, कार्य योजनाओं, अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण आदि प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाली रणनीतिक नीतियों को तैयार करने एवं कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, सुश्री ए मणिमेखलै केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक थीं, जहां आपने रणनीतिक योजना, ऋण और संबंधित मामले, निरीक्षण, विपणन और वित्तीय समावेशन, राज्य स्तरीय अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्रियाकलापों का नेतृत्व किया। आपने केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के सफल समागमन को प्रभावी रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको पांच अन्य कंपनियों के बोर्ड पर निदेशक के रूप में व्यापक अनुभव है, इनमें कैनेबैंक फेक्टर्स लिमिटेड, कैनेबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। आप केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की ट्रस्टी भी रह चुकी हैं।

भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों और कार्य समूहों में एक सदस्य के रूप में आपने नीति निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान दिया है, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भविष्य के रोड मैप को तैयार करना, वित्तीय समावेशन, कृषि मूल्य-शृंखला वित्तपोषण, बैंकिंग संवाददाता मुद्दे और हेल्थ केयर और शिक्षा के लिए निर्बाध ऋण प्रवाह के लिए तालमेल बनाना शामिल है।

सुश्री मणिमेखलै ने बंगलूरु विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (विपणन) और नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस), मुंबई से मानव संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा किया है। आपने देश की प्रमुख संस्थानों में आयोजित विभिन्न कार्यपालक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है और साथ ही आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से एक प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं।

Ms. A. Manimekhalai is a seasoned Banker with experience of more than 3 decades. She started her career in erstwhile Vijaya Bank as an Officer in 1988 and rose successively as Branch Head, Regional Head and Functional Head of various Departments at Corporate Office. She was instrumental in devising & implementation of strategic policies covering core areas like strategic planning, setting organizational goals, growth strategies, action plans, compliance, internal control, etc.

Prior to joining Union Bank of India, Ms. A Manimekhalai was an Executive Director at Canara Bank, wherein she oversaw strategic planning, credit & related matters, inspection, marketing and financial inclusion, State Level Lead Bank responsibilities and the functioning of Regional Rural Banks. She played a pivotal role in effecting successful amalgamation of Canara Bank and Syndicate Bank. She has extensive experience as Director on the Board of five other companies namely Canbank Factors Ltd., Canbank Computer Services Ltd., Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd., General Insurance Corporation of India, India Infrastructure Finance Company Ltd. and Trustee, Canara Robeco Asset Management Co.

A member of various committees and working groups constituted by Government of India, she has actively contributed towards policymaking, including drawing the future road map of RRBs, Financial Inclusion, Agriculture Value-chain Finance, Banking Correspondent issues and creating synergies for seamless credit flow to Health Care and Education.

Ms. Manimekhalai holds Master of Business Administration (Marketing) from Bangalore University, and a Diploma in Human Resource Management from Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS), Mumbai. A beneficiary of various executive

development programs at leading institutes of country, she is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIB).



श्री राजकिरण रै जी.
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(31.05.2022 तक)

Shri Rajkiran Rai G.
Managing Director & CEO
(till 31.05.2022)

श्री राजकिरण रै जी. 01 जुलाई, 2017 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ थे. 19 मई, 1962 को जन्में, श्री राजकिरण रै जी. को बैंकिंग क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का अनुभव प्राप्त है एवं आप औद्योगिक वित्त शाखा, क्षेत्र एवं अंचल कार्यालयों के प्रमुख रहे हैं. आपने अपने करियर की शुरुआत 1986 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कृषि वित्त अधिकारी के रूप में की और देश के विभिन्न भागों में अनेक शाखाओं के प्रमुख के रूप में 17 वर्षों से अधिक कार्य करने का प्रचुर अनुभव प्राप्त है. महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर उन्हें मानव संसाधन विकास विभाग का कार्यभार सौंपा गया. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत होने से पूर्व आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई अंचल के क्षेत्र महाप्रबंधक थे.

आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यू.के.) लि., यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्टार यूनियन दाई इवी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड के अध्यक्ष और एक्सिम बैंक तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड पर निदेशक हैं. इससे पूर्व आपने ओरिएंटल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में सेवाएँ प्रदान की है. श्री रै ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन कर्मियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम विकसित करने हेतु बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) में सलाहकार के रूप में समिति के प्रमुख की भूमिका भी निभाई है.

श्री रै भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के भी अध्यक्ष थे. आपने आईबीए में विभिन्न जिम्मेदारियाँ जैसे, मानव संसाधन एवं आईआर पर स्थायी समिति में अध्यक्ष, प्रबंधन समिति एवं अध्यक्ष, वेतन वार्ता समिति में अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

उपर्युक्त के अलावा, वर्तमान में श्री रै निम्नलिखित पद पर हैं :

- बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) के शासी बोर्ड के अध्यक्ष.
- बैंकों के लिए विभिन्न अनुशासनात्मक मामलों को सतर्कता एवं गैर-सतर्कता के रूप में वर्गीकृत करने हेतु समान प्रणाली का अध्ययन एवं सिफारिश समिति के अध्यक्ष.
- भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) के अध्यक्ष.
- बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (बीआईआरडी), हैदराबाद के अध्यक्ष.
- आंध्र प्रदेश राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के अध्यक्ष.
- नाबार्ड के वित्तीय समावेशन निधि के लिए परामर्श बोर्ड के सदस्य.
- ग्रामीण विकास बैंकर संस्थान (बर्ड) के शासी निकाय के सदस्य.
- भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईएएफ) के सदस्य.
- राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) के शासी बोर्ड के सदस्य.
- एनआईबीएम में नए निदेशक की नियुक्ति हेतु खोज (सर्च) समिति के सदस्य.
- राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के निदेशक मंडल के सदस्य.

श्री रै ने कृषि विज्ञान में स्नातक किया है और भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं. आप में सीखने की

निदेशक मंडल

Board of Directors

जिज्ञासा है एवं देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में विभिन्न कार्यपालक संवर्धन कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं. कई प्रतिष्ठित उद्योग पुरस्कार एवं सम्मान के विजेता श्री रै को प्रशिक्षण एवं नेतृत्व विकास के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए उनके विशिष्ट दृष्टिकोण हेतु वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा 'सीईओ विथ एचआर ओरिएंटेशन' से सम्मानित किया गया है. बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) द्वारा उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है.

Shri Rajkiran Rai G. was Managing Director & CEO of Union Bank of India since July 1st, 2017. Born on 19th May 1962, Shri Rai has more than three decades of rich banking experience which includes heading Industrial Finance Branch, Regions and Zonal Offices. Starting his career in 1986 as an Agricultural Finance Officer in Central Bank of India, Shri Rai rose through ranks heading various branches at different parts of the country for more than 17 years. On his elevation as General Manager, he was given the responsibility of heading the department of Human Resource Development. He was the Field General Manager of Mumbai Zone of Central Bank of India, when he was elevated to the post of Executive Director of Oriental Bank of Commerce.

He is the Chairman of Union Bank of India (U.K.) Limited, Union Asset Management Company, Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Limited, UBI Services Limited, and Director on the Board of EXIM Bank and United India Insurance Company Limited. Earlier, he has served on the Board of Oriental Insurance Company Limited, Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd. Shri Rai also served as Head of the Committee to advise the Banks Board Bureau (BBB) on evolving suitable training & development programs for management personnel in Public Sector Banks.

Shri Rai was the Chairman of Indian Banks' Association (IBA). Of his multiple responsibilities at the IBA, he also served as Chairman, Managing Committee and Chairman, Standing Committee on HR & IR, and Chairman, Wage Negotiation Committee.

Apart from the above, Shri Rai is presently holding the following positions:

- » Chairman, Governing Board of Institute of Banking Personnel Selection (IBPS).
- » Chairman, Committee to study and recommend a uniform system for the banks for classification of various disciplinary cases as Vigilance and Non-vigilance.
- » President, Indian Institute of Banking & Finance (IIBF).
- » President, Bankers' Institute of Rural & Entrepreneurship Development (BIRED).
- » President of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in Andhra Pradesh.
- » Member, Advisory Board for Financial Inclusion Fund of NABARD.
- » Member, Governing Council of Bankers Institute of Rural Development (BIRD).
- » Member, Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) of Reserve Bank of India.
- » Member, Governing Board of National Institute of Bank Management (NIBM).
- » Member, Search Committee for appointment of new Director of NIBM.
- » Member, Board of Directors of National Credit Guarantee Trust Co Ltd (NCGTC)

Shri Rai is an agricultural science graduate and also a certified member of Indian Institute of Bankers. A vivid learner, he has been benefitted of several executive development programmes at prestigious institutions of the country. A winner of several prestigious industry awards and accolades, Shri Rai is awarded 'CEO with HR Orientation' by World HRD Congress for his distinguished approach to capability building through training

and leadership development. He has also been conferred Honorary Fellowship by Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) in recognition of his invaluable contribution in the field of banking and finance.



श्री मानस रंजन बिस्वाल
कार्यपालक निदेशक
(30.04.2022 तक)

Shri Manas Ranjan Biswal
Executive Director
(till 30.04.2022)

श्री मानस रंजन बिस्वाल ने 01.03.2019 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया है।

59 वर्षीय श्री बिस्वाल विज्ञान स्नातक हैं तथा भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के सर्टीफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं। आपने 1985 में पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में कार्यग्रहण किया था तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नति से पूर्व आप पीएनबी के कॉर्पोरेट कार्यालय में रेसोल्यूशन एण्ड एनसीएलटी प्रभाग के प्रमुख थे।

श्री बिस्वाल एक अनुभवी बैंकर हैं, आपको विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालयों एवं कॉर्पोरेट स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करने का 36 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। आपने पीएनबी, दुबई शाखा एवं मिडल ईस्ट ऑपरेशन में सीईओ के रूप में 3 वर्ष से अधिक तक तथा पीएनबी पूर्वांचल के अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है। आप कॉर्पोरेट स्तर पर पीएनबी के ऋण अनुश्रवण एवं समीक्षा प्रभाग, वसूली प्रभाग, रेसोल्यूशन एण्ड एनसीएलटी प्रभाग के प्रमुख रह चुके हैं।

Shri Manas Ranjan Biswal assumed the charge as Executive Director of Union Bank of India on 01.03.2019.

Shri Biswal, aged 59 years is a Graduate in science and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He joined Punjab National Bank (PNB) in 1985 as a Management Trainee and prior to his elevation as Executive Director of Union Bank of India, he was General Manager at the Corporate Office of PNB heading the Resolution and NCLT Division.

Shri Biswal is a seasoned banker with over 36 years of rich experience in various administrative and functional capacities at Branches, Regional Offices, Zonal Offices and Corporate Office Level. He has also worked for more than 3 years as CEO of PNB's Dubai Branch and Middle East operations and as Zonal Head of PNB's Eastern Zone. At Corporate level, he has headed the Credit Monitoring and Review Division, Recovery Division, Resolution and NCLT Division of PNB.

निदेशक मंडल

Board of Directors



श्री नितेश रंजन
कार्यपालक निदेशक

Shri Nitesh Ranjan
Executive Director

श्री नितेश रंजन ने दिनांक 10 मार्च, 2021 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का पदभार संभाला है। आप बैंक में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं तथा तुलन पत्र, ग्राहक अनुभव और व्यक्ति विकास में रणनीतिक बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं।

श्री रंजन सन 2008 से बैंक से जुड़े हुए हैं जहां आपने ट्रेजरी परिचालन एवं स्ट्रेटजी प्रमुख, मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी, मुख्य अर्थशास्त्री तथा क्षेत्र प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों को संभाला है। आपने अपने करियर की शुरुआत भारतीय खाद्य निगम में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में की और उसके बाद आप आंध्रा बैंक में आये।

आप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य हैं साथ ही आप पीएसबी सुधार पर आईबीए संचालन समिति के सदस्य भी हैं। आप इससे पूर्व एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड, और एफआईएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ) के बोर्ड पर थे। आप भारतीय विदेशी मुद्रा समिति (आईएफएक्ससी) के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं।

श्री नितेश रंजन अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। आपने आईबीए एवं एगोन जेहंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श में तथा बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा विकसित आईआईएम बंगलूरु से नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी पूर्ण किया है। आपने टीच इंडिया पहल के तहत वंचित वर्ग के युवाओं हेतु 'स्पोकेन इंग्लिश प्रोग्राम' के लिए 100 दिनों को समर्पित किए हैं।

Shri Nitesh Ranjan is the Executive Director of Union Bank of India since March 10, 2021. He is leading digital transformation in the Bank, and spearheading strategic shifts in Balance sheet, Customer experience and People development.

Shri Ranjan has been with the Bank since 2008 where he occupied several important positions in the Bank, namely, Head of Treasury Operations & Strategy, Chief Investor Relations Officer, Chief Economist and Regional Head. He started his career with Food Corporation of India as management trainee, and then moved to Andhra Bank.

He is a member of the Board of Directors of National Payments Corporation of India (NPCI), SUD Life Insurance Company Ltd and UBI Services Ltd. and member of IBA Steering Committee on PSB Reforms. Earlier, he was on the Board of SBI Global Factors Ltd, and FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India). He was also a founding member of India Forex Committee (IFXC).

Shri Nitesh Ranjan is a post-graduate in Economics. He has completed Leadership Development Programme of IIM Bangalore, curated by the Banks Board Bureau in consultation with IBA and Egon Zehnder International Pvt. Ltd. He also dedicated 100 days for imparting 'Spoken English Programme' to underprivileged youth, under Teach-India initiative.



श्री रजनीश कर्नाटक

कार्यपालक निदेशक

Shri Rajneesh Karnatak

Executive Director

श्री रजनीश कर्नाटक पंजाब नेशनल बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक पद पर कार्यरत थे। आपने वाणिज्य (एम. कॉम) में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की तथा आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं।

श्री कर्नाटक को बैंकिंग क्षेत्र में 27 वर्ष का गहन कार्यानुभव है और आपने अनेक शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों का भी कार्यभार संभाला है। पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के महाप्रबंधक के रूप में, आप लार्ज कॉर्पोरेट क्रेडिट शाखाओं तथा वर्टिकल जैसे ऋण अनुश्रवण, डिजिटल बैंकिंग और मिड कॉर्पोरेट ऋण के प्रभारी थे। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पंजाब नेशनल बैंक में समामेलन के पश्चात, आप पंजाब नेशनल बैंक में ऋण समीक्षा एवं अनुश्रवण प्रभाग और कॉर्पोरेट क्रेडिट प्रभाग के प्रमुख रहे हैं।

श्री कर्नाटक ने आईआईएम-कोझिकोड और जेएनआईडीबी हैदराबाद द्वारा आयोजित विविध प्रशिक्षण तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। साथ ही, आईएमआई (अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान) दिल्ली एवं आईआईबीएफ (भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान) के अग्रिम प्रबंधन कार्यक्रम में सहभागी हुये हैं। आईआईएम बेंगलूर एवं ईगोन जेंडर के नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए बैंक्स बोर्ड ब्यूरो द्वारा चयनित वरिष्ठ अधिकारियों के प्रथम बैच में आपका चयन हुआ था। आप परियोजना निधिकरण तथा कार्यशील पूंजी निधिकरण, ऋण जोखिम की विशेष योग्यता के साथ जोखिम प्रबंधन व ऋण मूल्यांकन कौशल में दक्ष हैं।

साथ ही, आपने पंजाब नेशनल बैंक की ओर से निम्नलिखित बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं:-

1. पीएनबी हाउसिंग फ़ाइनेंस लिमिटेड तथा
2. इंडिया एसएमई एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

आपने आईएमसीएल (आईआईएफसीएल एसेट प्रबंधन कंपनी लिमिटेड) में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से बोर्ड ट्रस्टी के रूप में भी कार्य किया है।

आप वर्तमान में यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड के नामित निदेशक के पद भी कार्यरत हैं।

Shri Rajneesh Karnatak was a Chief General Manager of Punjab National Bank posted at Corporate Office. He is a Post Graduate in Commerce (M.Com) and is a Certified Associate from Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Shri Karnatak has a rich banking experience of over 27 years and carries varied branch and Administrative office experience. As General Manager in erstwhile Oriental Bank of Commerce, he has headed Large Corporate Credit Branches and verticals such as Credit Monitoring, Digital Banking and Mid Corporate Credit. Post the amalgamation of Oriental Bank of Commerce into Punjab National Bank, he has also headed Credit Review & Monitoring Division and Corporate Credit Division in Punjab National Bank

Shri Karnatak has attended various training and Leadership Development Programs from IIM-Kozikode and JNIDB Hyderabad and has also taken part in Advance Management Programme at IMI (International Management Institute) Delhi & IIBF (Indian Institute of Banking & Finance). He was a part of 1st batch of Senior Officers selected by Banks Board Bureau for Leadership Development Program of IIM Bangalore & Egon Zehnder. He carries with him credit appraisal skills including project funding & working capital funding along with Risk Management with specific reference/special emphasis on Credit Risk.

He has served as Nominee Director on the behalf of Punjab National Bank in the Board of:

1. PNB Housing Finance Ltd. and
2. India SME Asset Reconstruction Company Limited

Also served as Board Trustee on behalf of Punjab National Bank on IAMCL (IIFCL Asset Management Co.Ltd.).

He is presently Nominee Director on the Board of UBI Services Ltd.

निदेशक मंडल Board of Directors



श्री निधु सक्सेना
कार्यपालक निदेशक

Shri Nidhu Saxena
Executive Director

श्री निधु सक्सेना ने दिनांक 01.02.2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है।

53 वर्षीय श्री निधु सक्सेना वाणिज्य स्नातक हैं और आपने सीएआईआईबी योग्यता के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर भी किया है। बैंकिंग में अपने 25 वर्षों के अनुभव से पूर्व श्री निधु सक्सेना को विभिन्न क्षेत्रों में 8 वर्षों का कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी है। आपने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा से की थी जहां आपने 10 वर्षों तक कार्य किया जिसके बाद आपने यूको बैंक में कार्यभार ग्रहण किया।

आपने अपने पूरे बैंकिंग करियर के दौरान एनआरआई विशेषीकृत शाखा, केंद्रीयकृत रिटेल हब तथा केंद्रीय कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्यालयों सहित विभिन्न स्थानों पर कार्य किया है। आपने यूको बैंक में शाखा प्रमुख तथा अंचल प्रमुख सहित विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आप यूको बैंक में रिटेल ऋण, एमएसएमई तथा बैंक-बीमा कारोबार के वर्टिकल प्रमुख के रूप में कार्यरत थे।

Shri Nidhu Saxena assumed the charge as Executive Director of Union Bank of India on 01.02.2022.

Shri Nidhu Saxena, aged 53 years is a Commerce graduate and also holds a Masters in Business Administration along with CAIIB qualification. Prior to his 25 years of banking experience, he had 8 years of corporate exposure in varied sectors. He started his banking career at Bank of Baroda where he worked for 10 years after which he joined UCO Bank.

Throughout his banking career, he has worked at several locations and with different branches including specialised NRI Branch, Centralised Retail Hubs and also administrative offices including Central Office. He donned various roles including Branch Head and Zonal Head. Prior to joining Union Bank of India, he headed the verticals of Retail Credit, MSME and Bancassurance businesses at UCO Bank.



श्री समीर शुक्ला
सरकार द्वारा नामित निदेशक

Shri Sameer Shukla
Government Nominee Director

श्री समीर शुक्ला कर्नाटक कैडर के 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं।

वर्तमान में, आप वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में आपको दिनांक 08.11.2021 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक किया है।

भारत सरकार में आपका कार्यानुभव

इससे पूर्व, आपने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार में भी कार्य किया है।

कर्नाटक सरकार में आपका कार्यानुभव

- » बीदर, धारवाड़ एवं बल्लारी जिले में उपायुक्त एवं जिलाधिकारी
- » ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत, रायचूर
- » उद्योग विभाग में मैसूर मिनीरल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक
- » ग्रामीण विकास में मिशन निदेशक
- » कौशल विकास, उद्यमिता एवं आजीविका विभाग में आयुक्त

आपने आईएएस के रूप में सरकारी सेवा में शामिल होने से पूर्व एचसीएल इंफोसिस्टम, निजी क्षेत्र में नेटवर्क इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया है।

Shri Sameer Shukla is an officer of Indian Administrative Service (IAS) belonging to 2005 batch of Karnataka Cadre.

At present, he is working as Joint Secretary in Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India.

He has been appointed as Government Nominee Director on the Board of Union Bank of India w.e.f. 08.11.2021. He has done Bachelor's in Electronics Engineering.

Experience in Government of India

Earlier, he has worked in the Ministry of Information and Broadcasting and Ministry of Steel, Government of India.

Experience in Government of Karnataka

- » Deputy Commissioner and District Magistrate in Districts of Bidar, Dharwad and Ballari.
- » Chief Executive Officer Zila Panchayat, Raichur in Rural Development and Panchayati Raj Department.
- » Managing Director of Mysore Minerals Limited in Industries Department.
- » Mission Director in Rural Development.
- » Commissioner in Skill Development, Entrepreneurship & Livelihood Department.

He has also worked in HCL Infosystems, private sector, as network engineer before joining Government Service as an IAS.



श्री अरुण कुमार सिंह

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

Shri Arun Kumar Singh

RBI Nominee Director

श्री अरुण कुमार सिंह वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय मुंबई के प्रमुख है, जो बैंक में तकनीकी विकास, विशेष रूप से मुद्रा प्रबंधन, सरकारी बैंकिंग भुगतान प्रणाली, साइबर सुरक्षा, डाटा सेंटर उन्नयन, आंतरिक अनुप्रयोग, आईटी अवसंरचना आदि क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहे हैं।

आपको भारतीय रिजर्व बैंक में सरकारी बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, गैर बैंकिंग एवं बैंकिंग पर्यवेक्षण, बैंकिंग विनियमन, मौद्रिक नीति, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य करने का समृद्ध अनुभव है। आप गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य से लंबी अवधि तक जुड़े रहे हैं। आपने विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों हेतु प्रधान निरीक्षक अधिकारी / वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक के रूप में कार्य किया है तथा आप प्रक्रिया एवं विकास से संबंधित जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के साथ-साथ बैंकों की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से जुड़े रहे हैं। आप बैंकों की नियामक नीति तैयार करने में विभिन्न क्षमताओं से शामिल रहे हैं। आपने एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नामित निदेशक के रूप भी सेवाएँ प्रदान की हैं तथा आपने मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया के तहत नियामक एवं विकास मामलों में सहायता प्रदान की है। आपने अपने मौजूदा कार्यभार से पूर्व आप तीन वर्षों [2019-22] के लिए राजस्थान में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत थे तथा राजस्थान राज्य में मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग / गैर बैंकिंग विकास, सरकारी बैंकिंग आदि के क्षेत्र में केंद्रीय बैंकिंग का निर्वहन किया है।

श्री अरुण कुमार सिंह ने अर्थशास्त्र में स्नातक तथा वित्त एवं मानव संसाधन में एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है। आप भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टीफाइड एसोसिएट (सीआईआईबी) भी हैं।

निदेशक मंडल

Board of Directors

Shri Arun Kumar Singh is currently the head of Department of Information Technology, Reserve Bank of India, Central Office Mumbai, spearheading technological development in the Bank, particularly, in the areas of Currency Management, Government Banking, Payment System, Cyber Security, Data Centre upgradation, Internal Applications, IT Infrastructure, etc.

He has had a wide and rich experience of working in RBI in various capacities in the field of Government Banking, Financial Inclusion, Non-Banking and Banking Supervision, Banking Regulation, Monetary Policy, Information Technology, etc. He was actively engaged in regulation and supervision of non-banking financial companies for long period. He has acted as Principal Inspecting Officer / Senior Supervisory Manager for various commercial banks and has actively participated in first Asset Quality Review (AQR) of banks as well as Risk-based Supervision (RBS) related processes and development. He was also involved in framing banking policies in various capacities. He has also served as nominee director on Regional Rural Bank and assisted in regulatory and development issues under monetary policy formulation process. Just before his current assignment, he was Regional Director for Rajasthan for three years [2019-22] and carried out his Central Banking responsibilities in the areas of currency management, financial inclusion, financial literacy, banking / non-banking development, Government banking, etc. in the state of Rajasthan.

Shri Arun Kumar Singh has done his Graduation in Economics and MBA in Finance and HR. He is also a Certified Associate of the India Institute of Banking (CAIIB).



श्री सूरज श्रीवास्तव

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

Shri Suraj Srivastava

Part-Time Non-Official Director

श्री सूरज श्रीवास्तव भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के सह सदस्य हैं तथा विधि स्नातक (एलएलबी) भी हैं।

श्री श्रीवास्तव को कराधान एवं लेखा परीक्षा में चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में 16 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव रहा है। मेसर्स बत्रा सपरा एंड कंपनी के भागीदार के रूप में, श्री श्रीवास्तव ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य वैधानिक ऑडिट, समवर्ती ऑडिट और शाखा ऑडिट किए हैं।

श्री श्रीवास्तव ने आईसीएआई से सूचना प्रणाली ऑडिट (आईएसए) मूल्यांकन परीक्षण भी पूर्ण किया है।

Shri Suraj Srivastava is a Fellow Member of The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and also a Bachelor of Laws (LL.B.).

Shri Srivastava has a rich professional experience of over 16 years as a practicing Chartered Accountant in taxation and audit practice. As a partner of M/s Batra Sapra & Co., Shri Srivastava has done statutory audits, concurrent audits and branch audits of various Public Sector Banks, Public Sector Undertakings and other Companies.

Shri Srivastava has also completed Information Systems Audit (ISA) Assessment test from ICAI.



श्री लक्ष्मण एस उप्पर

अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

Shri Laxman S Uppar

Part-Time Non-Official Director

श्री लक्ष्मण एस उप्पर ने 21 मार्च, 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री उप्पर इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। आप एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, जनहितैषी और कर्नाटक क्लासिक एज्यूकेशन प्राइवेट लिमिटेड, धारवाड़ के संस्थापक हैं। आपने वर्ष 2012 में स्पर्धा स्पोर्टि पब्लिशर्स एवं प्रिंटेर्स प्राइवेट लिमिटेड की भी शुरुआत की है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है।

वर्तमान में आप क्लासिक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और क्लासिक लिटल बड्स, क्लासिक पीयू एवं डिग्री कॉलेज, धारवाड़ के अध्यक्ष हैं।

श्री उप्पर अनाथालय केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों एवं धार्मिक संगठनों को दान प्रदान करने के साथ ग्रामीण एवं गरीब तबके के छात्रों की भी मदद कर रहे हैं।

श्री उप्पर को शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उनकी सेवाएँ प्रदान करने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है।

Shri Laxman S Uppar assumed the charge as the Director of Union Bank of India on March 21, 2022.

Shri Uppar has done Bachelor's in Engineering. He is a noted Educationist, Philanthropist and Founder of Karnataka Classic Education Private Ltd., Dharwad. He has also started Spardha Spoorti Publishers & Printers Pvt. Ltd., Dharwad in 2012, which publishes books and magazines for various competitive examinations.

Currently, he is the Chairman of the Classic International Public School and also Classic Little Buds, Classic PU & Degree College, Dharwad.

Shri Uppar besides giving donations to orphanage centres, educational institutions and religious organisations also helps students having rural and poor background.

Shri Uppar has been bestowed with many National level awards for his service to educational and social sector.



डॉ. जयदेव मदुगुला

शेयर धारक निदेशक

Dr. Jayadev Madugula

Shareholder Director

डॉ. जयदेव मदुगुला को दिनांक 28 जून, 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने कॉमर्स में स्नातकोत्तर और बिजनेस मैनेजमेंट में पीएचडी किया है। वर्तमान में, आप आईआईएम बेंगलूर में वित्त एवं लेखांकन के प्रोफेसर हैं।

डॉ. जयदेव को न केवल भारत की प्रमुख संस्थाओं में बल्कि विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में भी एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का पर्याप्त अनुभव है। आपने विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन किया है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपने शोध संबंधी लेखों का प्रकाशन किया है तथा आपने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार एवं प्रशंसा अर्जित की है। आप 28 जून, 2018 से 27 जून, 2021 तक बैंक के शेयरधारक निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

Dr. Jayadev Madugula has been elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 28.06.2021 for a period of three years. He is Post Graduate in Commerce and Ph.D. in Business Management. Presently, he is Professor of Finance & Accounting at IIM, Bangalore.

Dr. Jayadev has rich experience of teaching not only in premier institutions in India but also as a Visiting Professor in various universities abroad. He has published various

निदेशक मंडल

Board of Directors

books and research articles in national and international journals and has won various awards and accolades in the field of education. He was the Shareholder Director of the Bank from June 28, 2018 to June 27, 2021.



श्रीमती प्रीति जय राव
शेयरधारक निदेशक

Smt. Priti Jay Rao
Shareholder Director

श्रीमती प्रीति जय राव कंप्यूटर विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ आईआईटी मुंबई से एमएससी (गणित) हैं। आप व्यावसायिक मूल्य, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मानव संसाधन और प्रक्रिया स्वचालन को बढ़ाने पर जोर देते हैं।

आपको सभी पाँच महाद्वीपों में स्थित ग्राहकों को विभिन्न आईटी सेवाएं प्रदान करने में 24 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। विभिन्न कंपनियों में अपने कार्यकाल के दौरान, आपने आईटी टीमों का समर्थन, सॉफ्टवेयर सेवाएं सुपुर्दगी और बड़े पैमाने पर भर्ती, प्रशिक्षण और व्यापक कर्मचारी आधार को आत्मसात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आपकी रुचि नेतृत्व कौशल में है जिसके लिए प्रौद्योगिकी के ज्ञान और विज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है, जिसमें यह परिकल्पना करने की क्षमता होती है कि प्रौद्योगिकी संगठनात्मक गतिशीलता को कैसे प्रभावित कर सकती है ताकि संगठनों को प्रौद्योगिकी अपनाने में तेजी लाने में मदद मिल सके।

आप पिछले कई वर्षों से प्रौद्योगिकी सेवाओं और उत्पादों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सार्वजनिक और निजी कंपनियों के निदेशक मंडल की सदस्य हैं।

आप वंचित पृष्ठभूमि से योग्य प्रतिभाशाली युवा लड़कियों को वित्तीय सहायता, विशेष प्रशिक्षण, परामर्श, अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने के मिशन के साथ विभिन्न सीएसआर गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है ताकि उन्हें मजबूत मूल्यों के साथ सशक्त, आत्मविश्वासी पेशेवरों के रूप में विकसित किया जा सके साथ ही आप आत्मजा फाउंडेशन की चेयरपर्सन और संस्थापक भी हैं।

Smt. Priti Jay Rao is M.Sc (Mathematics) from IIT Bombay with specialization in Computer Science. She is a passionate advocate of amplifying business value, leveraging Technology, Human Resources and Process Automation.

She has to her credit, 24 Years of diverse experience in building and delivering range of IT services for customers located across all the five continents. During her stint in various Companies, she played a pivotal role in supporting IT teams, delivering software services and managing large scale recruitment, training and assimilating large employee base.

She is inclined towards a leadership skill that requires both knowledge and vision of technology with the ability to envisage how technology might affect organizational dynamics to help organisations accelerate technology adoption.

She is the member of Board of Directors of Public and Private companies related to various aspects of technology services and products for last several years.

She is also actively engaged in CSR activities with being chairperson and founder of Aatmaja Foundation, with a mission to provide financial assistance, special coaching, counselling, other requisite support to deserving bright young girls from disadvantaged background to enable them to grow into empowered, confident professionals with strong values.

काॅर्पोरेट सूचना

प्रधान कार्यालय एवं केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

ग्लोबल लोकेशन नंबर (जीएलएन):

8904368511166

निवेशक सेवाएं प्रभाग

यूनियन बैंक भवन, 12 वीं मंजिल,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट

डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लिमिटेड
यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
प्लॉट क्र. बी-5, पार्ट बी,
क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093.

डिबेन्चर ट्रस्टी

आईडीबीआई ट्रस्टशिप सर्विसेस लिमिटेड
एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर,
17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट,
मुंबई - 400 001.

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लिमिटेड
एक्सिस हाऊस, दूसरी मंजिल, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर,
पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 025.

कंपनी सचिव

एस.के. दाश

सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स

बी दुर्गाप्रसाद राय
पेशेवर कंपनी सचिव

Corporate Information

Head Office & Central Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Global Location Number (GLN)

8904368511166

Investor Services Division

Union Bank Bhavan, 12th Floor,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Registrar & Share Transfer Agent

Datamatics Business Solutions Limited
Unit: Union Bank of India
Plot No. B-5, Part B,
Cross Lane, MIDC, Marol,
Andheri (E), Mumbai - 400 093

Debenture Trustees

IDBI Trusteeship Services Limited
Asian Building, Ground Floor,
17, R. Kamani Marg, Ballard Estate,
Mumbai - 400 001

Axis Trustee Services Limited

Axis House, Second Floor,
Wadia International Centre,
Pandurang Budhkar Marg, Worli
Mumbai - 400 025

Company Secretary

S. K. Dash

Secretarial Auditor

B. Durgaprasad Rai
Company Secretary in Practice

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक/Statutory Central Auditors

मेसर्स आर जी एन प्राइस कं.

सनदी लेखाकार
M/s R G N Price & Co.
Chartered Accountants

मेसर्स सारडा पारीख एलएलपी

सनदी लेखाकार
M/s Sarda & Pareek LLP
Chartered Accountants

मेसर्स सी आर सागदेव कं.

सनदी लेखाकार
M/s C R Sagdeo & Co.
Chartered Accountants

मेसर्स पी वी ए आर एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार
M/s P V A R & Associates
Chartered Accountants

मेसर्स गोपाल शर्मा कं.

सनदी लेखाकार
M/s Gopal Sharma & Co.
Chartered Accountants

मेसर्स एन बी एस कं.

सनदी लेखाकार
M/s N B S & Co.
Chartered Accountants

यथा/As on 31.03.2022

मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य महाप्रबंधक Chief Vigilance Officer/Chief General Manager

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री उमेश कुमार सिंह

Chief Vigilance Officer

Shri Umesh Kumar Singh

मुख्य महाप्रबंधक

श्री एस. के. मोहापात्रा

श्री सुंदरा प्रसाद एस.वी.एस.

श्री अशोक चन्द्र

श्री के. भास्कर राव

श्री एम. वी. बालासुब्रमण्यम

श्री ए. के. विनोद

श्री पी. सत्यनारायण

श्री लाल सिंह

श्री सी. एम. मिनोचा

श्री वी बी रेड्डी

श्री प्रवीण शर्मा

श्री अभिजीत बसाक

श्री शैलेश कुमार सिंह

श्री बी एस वेंकटेश

Chief General Manager

Shri S.K. Mohapatra

Shri Sundara Prasad S.V.S.

Shri Ashok Chandra

Shri K. Bhaskara Rao

Shri M V Balasubramanyam

Shri A K Vinod

Shri P. Satyanarayana

Shri Lal Singh

Shri C. M. Minocha

Shri V. B. Reddy

Shri Pravin Sharma

Shri Abhijit Basak

Shri Shailesh Kumar Singh

Shri B S Venkatesha


यथा/As on 31.03.2022

महा प्रबंधक /General Manager

श्री एस. एन. कौशिक	Shri S. N. Kaushik	श्री बी. श्रीनिवास शेटी	Shri B. Srinivasa Setty
डॉ. के. एल. राजु	Dr. K. L. Raju	श्री आर. रतीष	Shri R. Ratheesh
श्री एम. वेंकटेश	Shri M. Venkatesh	श्री अमरेन्द्र कुमार	Shri Amarendra Kumar
श्री लक्ष्मीनारायण रथ	Shri Laxminarayan Rath	श्री एम. वेंकटेश्वर स्वामी	Shri M. Venkateswara Swamy
श्री बी. श्रीनिवास राव	Shri B. Sreenivasa Rao	श्री बिनोद कुमार पटनायक	Shri Binod Kumar Pattanaik
श्री के. टी. वेणुमाधव	Shri K. T. Venumadhav	श्री ज्ञान रंजन सारंगी	Shri Gyana Ranjan Sarangi
श्री के.एस.डी.एस.वी. प्रसाद	Shri K.S.D.S.V. Prasad	श्री राम कुमार जगलान	Shri Ram Kumar Jaglan
श्री योगेन्द्र सिंह	Shri Yogendra Singh	श्री आर.पी. शिवाराम	Shri R. P. Sivaram
श्री बी. उमा शंकर	Shri B. Uma Sankar	श्री एस.के. दाश	Shri S. K. Dash
श्री जगमोहन सिंह	Shri Jagmohan Singh	श्री आर.एल. पट्टनायक	Shri R.L. Pattanayak
श्री डी. चन्द्र मोहन रेड्डी	Shri D. Chandra Mohan Reddy	श्री नवीन जैन	Shri Naveen Jain
श्री एस. वी. वीजू	Shri S.V. Biju	श्री एम. बाबू रवींद्र	Shri M. Babu Ravindra
श्री सी. वी. रघुनाथ	Shri C.V. Raghunath	श्री सुमित श्रीवास्तव	Shri Sumit Srivastava
श्री टाटा वेंकट वेणुगोपाल	Shri Tata Venkat Venugopal	श्री भालचंद्र रमन राव अकोलकर	Shri Bhalchandra Raman Rao Akolkar
श्री आर. प्रधान	Shri R. Pradhan	श्री आलोक कुमार	Shri Alok Kumar
श्री एस. सी. तेली	Shri S. C. Teli	श्री कबीर भट्टाचार्य	Shri Kabir Bhattacharya
श्री अनिल कुरील	Shri Anil Kuril	श्री संजय नारायण	Shri Sanjay Narayan
श्री प्रमोद कुमार सोनी	Shri Pramod Kumar Soni	श्री जी. के. सुधाकर	Shri G.K. Sudhakar
श्री अरुण कुमार	Shri Arun Kumar	श्री नवनीत कुमार	Shri Navneet Kumar
श्री सुदर्शन भट	Shri Sudarshana Bhat	श्री सी. वी. मंजुनाथ	Shri C. V. Manjunatha
श्री राजीव मिश्रा	Shri Rajiv Mishra	श्री आर. विश्वेश्वरन	Shri R. Viswesvaran
श्री प्रफुल्ल कुमार सामल	Shri Prafulla Kumar Samal	श्री सर्वेश रंजन	Shri Sarvesh Ranjan
श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	Shri Pramod Kumar Gupta	श्री बी. जानकी राम	Shri B. Janaki Ram
श्री पवन कुमार दास	Shri Pawan Kumar Das	श्री विकास कुमार	Shri Vikash Kumar
श्री ए. आर. राघवेन्द्र	Shri A. R. Raghavendra	श्री आर.एल. मीणा	Shri Roop Lal Meena
श्री पी. रामा कृष्ण चौधरी	Shri P. Rama Krishna Chowdary	श्री मनोज कुमार	Shri Manoj Kumar
श्रीमती एस. अन्नपूर्णा	Smt. S. Annapurna	श्री गोकुलानंद दास	Shri Gokulananda Das
श्री एम. एच. पद्मनाभम	Shri M. H. Padmanabham	श्री राजीव शर्मा	Shri Rajiv Sharma
श्रीमती बीना वाहिद	Smt. Beena Vaheed	श्री अरुण कुमार	Shri Arun Kumar


संगठनात्मक संरचना

06.06.2022 से



Organization Structure

w.e.f. 06.06.2022



Bank Overview

Notice

Statutory Reports

Financial Statements

ईएसजी प्रभाव

लो-कार्बन अर्थव्यवस्था में हमारे रूपांतरण की प्रक्रिया में अवसरों को ग्रहण करना



पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे व्यवसाय में हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के साथ तेजी से एकीकृत होता जा रहा है और यह हमारे प्रबंधन और बोर्ड संरचनाओं के शासन और निगरानी के अधीन है. ग्राहकों और उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से, हम अपने ग्राहकों को उनके व्यापार मॉडल की डी-कार्बोनाइजिंग सहित उनकी स्थिरता रणनीतियों को निष्पादित करने में सहायता करते हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए, ग्राहकों और उपभोक्ताओं को समर्थन प्रदान करने की दिशा में ग्राहकों को सलाह देना, जिससे वे अपने व्यवसाय मॉडल को अधिक मजबूत बना सकें; और हरित वित्त की सुविधा के माध्यम से कम कार्बन ऊर्जा क्षमता के निर्माण में मदद के लिए हमारी विशेषज्ञता का उपयोग शामिल रहेगा. आने वाले महीनों और उसके बाद भी यह प्रगति जारी रहेगी. हम अपने सभी व्यवसायों, उत्पादों और सेवाओं में अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए वातावरण और स्थायी वित्त विकास के अवसरों की पहचान, तेजी लाने और बढ़ावा देने का इरादा रखते हैं.

पर्यावरण

यथा 31.03.2022 को
यूनियन ग्रीन जमा के तहत
₹264.46 करोड़
 का संग्रहण

यथा 31.03.2022 को
यूनियन ग्रीन माइल्स के तहत
₹33.95 करोड़
 स्वीकृत

यथा 31.03.2022 को
₹7,164 करोड़
 को नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऋण सुविधा प्रदान की गई

पर्यावरण के प्रति समर्पण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) द्वारा प्रवर्तित एक प्रीमियर ग्रीन रेटिंग संस्था इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) का संस्थापक सदस्य बन गया है.

सामाजिक

सूक्ष्म ऋण

» स्वानिधि

बैंक ने दिनांक 31.03.2022 तक कुल 3.54 लाख आवेदन को मंजूरी प्रदान की है जिनकी कुल राशि 381.68 करोड़ है .

» शिशु मुद्रा

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 3.50 लाख आवेदनों में ₹ 714.53 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.

महिला सशक्तिकरण

» महिला एसएचजी

एसएचजी को कुल 6.42 लाख ऋण स्वीकृत किए गए जिनकी कुल राशि ₹ 41,059.92 करोड़ है, जिनमें से ₹ 36,237.73 करोड़ की राशि के 5.61 लाख ऋण महिला एसएचजी को स्वीकृत किए गए.

» यूनियन नारी शक्ति योजना

विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए योजना: वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 1113 आवेदनों के अंतर्गत ₹ 149.92 करोड़ स्वीकृत किए गये.

ज्ञान प्रसार

» स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने 30 आरएसईटीआई केंद्र स्थापित किए हैं और 2.56 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है.

अभिशासन

लैंगिक समानता

बोर्ड में लैंगिक विविधता

सुश्री ए मणिमेखले को 03-06-2022 से प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है.

सुश्री प्रीति जय राव को शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक मंडल सदस्य के रूप में चयनित किया गया है.

बैंक ने निम्नलिखित नीतियां स्थापित की हैं

कारोबार

निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए **आचार संहिता (सीओसी)**

बैंक के कार्यों के प्रबंधन में पारदर्शिता एवं उच्च नैतिक मानकों को सुनिश्चित करती है.

स्थिर विकास और व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति

बैंक की स्थिर नीति रणनीति को निदेशित करती है और इसे व्यापार रणनीति के साथ एकीकृत करती है.

ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार

ग्राहक अधिकार नीति

ग्राहकों के मूल अधिकारों को संग्रहित करती है.

क्षतिपूर्ति नीति

एक ऐसे तंत्र का निर्माण करता है जिसके अंतर्गत बैंक ग्राहकों को सेवाओं में कमी अथवा इसकी तरफ से हुई किसी भूल-चूक के कारण हुई वित्तीय हानि के लिए क्षतिपूर्ति करता है.

कर्मचारी

व्हिसल ब्लोअर नीति

कर्मचारियों के लिए नियामक या कानूनी अपेक्षाओं के किसी उल्लंघन या गैर-अनुपालन की उनके चिंताओं को उठाने का एक अवसर प्रदान करता है.

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन-उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर नीति

महिला कर्मचारियों को निष्पक्ष, सुरक्षित और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण प्रदान करता है.

शारीरिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा नीति

सुदृढ़ और सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार करते हुए कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने में और स्थायी ग्राहक संबंध बनाने में सक्षम बनाता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समान अवसर नीति

उम्र, रंग, दिव्यांगजन, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करता है

ESG Impact

Capture opportunities as we transition to a low-carbon economy



Our approach to environmental and social issues is becoming increasingly integrated in the work we do across our business and is subject to the governance and oversight of our management and Board structures. From a customer and client point of view, we support our customers and clients execute their sustainability strategies, including de-carbonising their business models. For

Union Bank of India, support for customers and clients will include advising clients as they adapt their business models to make them more sustainable; and using our expertise to help build low-carbon energy capacity, through facilitating green finance. Progress will continue to be made in the coming months and beyond. We intend to identify, accelerate and promote the development of climate and sustainable finance growth opportunities for the benefit of our customers and clients across all our businesses, products and services.

Environment

Union Green Deposit
₹264.46 Crore
 mobilized as on
 31.03.2022

Union Green Miles
₹33.95 Crore
 sanctioned as on 31.03.2022

₹7,164 Crore
 Credit facility extended to
 Renewable Energy Sector
 as on 31.03.2022

Committed towards Environment

Union Bank of India has become the founding member of Indian Green Building Council (IGBC), a premier green rating organization promoted by Confederation of Indian Industry(CII)

Social

Micro Loans

» Svanidhi

Bank has sanctioned total 3.54 lakh applications amounting to ₹381.68 crores as on 31.03.2022

» Shishu Mudra

Total 3.50 lakh applications amounting to ₹714.53 crore sanctioned in FY21-22.

Women Empowerment

» Women SHGs

Total 6.42 lakh loans amounting ₹41,059.92 Crores sanctioned to SHGs out of which 5.61 lakh loans amounting ₹36,237.73 crores sanctioned to women SHGs

» Union Nari Shakti Scheme

Scheme exclusively for women entrepreneurs: Total 1,113 applications amounting to ₹149.92 crore have been sanctioned in FY21-22.

Knowledge Dissemination

» Bank has established 30 RSETI Centres and trained 2.56 lakh people with the objectives of providing self-employment training programmes.

Governance

Gender Parity

Gender Diversity on Board

Ms. A. Manimekhalai appointed as MD & CEO w.e.f. 03.06.2022

Ms. Priti Jay Rao elected as one of the Board of Directors representing shareholders.

The Bank has established following policies

Business

Code of Conduct (CoC) for Directors & Senior Management

Ensures transparency and high ethical standards in managing the affairs of the bank.

Sustainable Development & Business Responsibility Policy

Directs bank's sustainability strategy and integrate it with business strategy.

Treating Customers Fairly

Customer Rights Policy

Documents basic rights of Customer.

Compensation Policy

Establishes a system whereby Bank compensates customer for financial losses due to deficiency in services or any act of omission or commission on its part.

Employee

Whistle Blower Policy

Provides an avenue for employees to raise concerns on any violation or non-compliance of regulatory or legal requirements.

Policy on Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women Employees at Workplace

Provides fair, safe and harmonious work environment to female employees.

Physical Security & Fire Safety Policy

Lays out safe and secure work environment enabling the staff to provide quality service and builds lasting customer relations.

Union Bank of India Equal Opportunity Policy

Provides equal opportunities, without any discrimination on the grounds of age, color, disability, marital status, nationality, religion etc.

20 वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 की विनियमन 56 के अनुपालन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की **20वीं (बीसवीं) वार्षिक महासभा बैठक ("एजीएम") गुरुवार, दिनांक 30 जून, 2022 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी)** केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक को अभिप्रेत स्थान) में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कारोबार:

मद क्र. 1:

दिनांक 31 मार्च, 2022 के लेखापरीक्षित **स्टैंडअलोन एवं समेकित** तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के **स्टैंडअलोन एवं समेकित** लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक के कार्य एवं की गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अभिग्रहण हेतु.

मद क्र. 2:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रति इक्विटी शेयर रु. 1.90 का लाभांश घोषित करने हेतु.

विशेष कारोबार :

मद क्र. 3

बासल III के दिशानिर्देशों के अनुरूप नवीन इक्विटी शेयर जारी कर और/ या अतिरिक्त टियर-1 / टियर-2 पूंजी को जारी करने के माध्यम से बैंक के लिए पूंजी जुटाना.

विचारोपरान्त उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("**अधिनियम**") की धारा 3 (2बी) के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 ("**योजना**") के खंड 20 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 (विनियमन) एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक ("**आरबीआई**"), भारत सरकार ("**जीओआई**"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("**सेबी**") और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के

अध्यधीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 [**सेबी (आईसीडीआर) विनियमन**], सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 [**सेबी (एलओडीआर) विनियमन**] यथा संशोधित, सेबी (गैर-प्रवर्तनीय प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीबद्ध करना) विनियमन, 2021, विदेशी विनियम प्रबंधन भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण विनियमन, 2017, यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य सभी लागू विधियों और समय-समय पर अन्य सभी सक्षम प्राधिकारियों के अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों एवं समरूप सूचीबद्धता समझौते के अधीन है. ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए समरूप, करारों के अनुसरण में, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यधीन **बैंक के सदस्यों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल** (जिसे इसके बाद "**बोर्ड**") कहा जाएगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/की जाने वाली समिति भी शामिल है) को एतद्वारा शक्ति प्रदान की जाती है कि वह एक या एक से अधिक बार में निम्नलिखित शर्तों के अधीन **राशि जो कि रु. 8,100 करोड़ (रुपये आठ हजार एक सौ करोड़ मात्र) से अधिक न हो** की पूंजी का भारत या भारत से बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) प्रस्ताव दस्तावेज/प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से कर सकते हैं;

➤ ऐसे इक्विटी शेयर और/अथवा अधिमान शेयर (चाहे संचयी या नहीं; इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हो या नहीं), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिसमें अधिमान शेयरों की श्रेणी, ऐसे प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयर जारी करने की सीमा, बेमियादी अथवा प्रतिदेय, ऐसी प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयरों को जारी किए जाने और/ या अनुमत प्रतिभूति जो इक्विटी में परिवर्तन के पात्र हैं और नकद में नहीं, के अधीन (चाहे बाजार दर, निर्गम दर या न्यूनतम दर से छूट या प्रीमियम पर हो) **रु.3,800 करोड़ (रुपये तीन हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के इक्विटी शेयर जो रु. 6,834.74 करोड़ (रुपये छः हजार आठ सौ चौतीस एवं चौहतर करोड़ मात्र)**, की विद्यमान पेड-अप इक्विटी शेयरपूंजी सहित बैंक के कुल रु. 10000 करोड़ (रुपये दस हजार करोड़) की प्राधिकृत पूंजी के अधीन होंगे, जो इस धारा की 3(2ए) अथवा संशोधन (यदि कोई हो) जो भविष्य

में अधिनियम बन सकता है, के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा, इनमें जो भी अधिक है, इस प्रकार कि किसी भी स्थिति में भारत के केंद्र सरकार की अंशधारिता बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो

- निजी स्थानन/सार्वजनिक निर्गम आधार में एक या अधिक बार में ऐसी संस्था के स्थायी ऋण लिखतों, गौण ऋण पत्रों को शामिल करते हुए लेकिन इन तक ही सीमित न रहते हुए **₹. 4,300 करोड़ (रुपये चार हजार तीन सौ करोड़ मात्र) तक की राशि से अधिक न हो**, के लिए अपरिवर्तनीय ऋण, बॉन्ड और/ या अन्य ऋण प्रतिभूतियों, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित या वर्गीकृत टियर I या टियर II पूंजी (ग्रीन/विदेशी मुद्रा नामित अतिरिक्त टियर- I / टियर- II बॉन्ड) के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है।

एक अथवा अधिक सदस्यों/बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (“एनआरआई”), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (“क्यूआईबी”), विदेशी संस्थागत निवेशकों (“एफआईआई”), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (“एफपीआई”), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंडों, वैकल्पिक निवेश निधि, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु पात्र हैं।

“पुनः संकल्प किया कि इक्विटी/अधिमान शेयर प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हता प्राप्त संस्थागत (क्यूआईबी); फॉलोऑन पब्लिक निर्गम, अधिकार निर्गम, एडीआर-जीडीआर, इक्विटी/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर का निजी प्लेसमेंट, एम्लॉयी स्टॉक ऑप्शन स्कीम या बैंक के एम्लॉयी स्टॉक पर्वेस स्कीम, या इनके समूहित रूप निर्गम के ऐसे अन्य माध्यम जैसे कि लागू विधि के अनुसार आबंटन सहित या बिना अधि-आबंटन या ग्रीन शू विकल्प सहित या रहित के जरिये प्रदान किया होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, इक्विटी /अधिमान शेयर/प्रतिभूतियों का स्थापन या आबंटन, अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, सेबी आईसीडीआर विनियमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य पात्र दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए”।

“पुनः संकल्प किया कि उपर्युक्त निर्गम(मों) के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, तो लीड मैनेजरों और/ या हामीदारों और/ या अन्य परामर्शदाताओं के साथ जहाँ भी आवश्यक हो, विचार-विमर्श कर और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, अन्य विनियमनों और किसी अन्य और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों, और/ या चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक के विद्यमान शेयरधारक हो या नहीं.”

“पुनः संकल्प किया कि संबंधित शेयर बाजार के साथ किए गए लिस्टिंग के प्रावधानों, विनियमनों, अधिनियम के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैटक) विनियमन 1998 के प्रावधानों, सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियमन, 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी), वित्त मंत्रालय तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप में ‘‘सम्यक प्राधिकारी’’ कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरीयां (जिन्हें इसके बाद अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधधीन बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय-समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VI में परिभाषित किया गया है), को अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईबी), जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय VI में उल्लेख है, के अनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों के या उस समय प्रचलित कानूनों के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य एवं तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन कर सकता है कि किसी भी समय भारत के केंद्र सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो.”

“पुनः संकल्प किया कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय VI के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के मामले में:

- ए) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय VI के अन्तर्गत परिभाषित पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा. ये प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.
- बी) सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियमन 176 (1) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है.
- सी) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अनुसार होगी.

“पुनः संकल्प किया कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं लिस्टिंग के अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के द्वारा संशोधित जैसा भी आवश्यक या लागू हो, को स्वीकार करने का बोर्ड को अधिकार होगा.”

“पुनः संकल्प किया कि एनआरआई/ एफआईआई / एफपीआई और/ या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम और आबंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन द्वारा किन्तु अधिनियम एवं अन्य विनियामकों, यथा लागू द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अधीन होगा.”

“पुनः संकल्प किया कि जारी किये जाने वाले कथित इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अधीन तथा बैंक के मौजूदा शेयरों के समरूप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभांश, यदि कोई है, के लिये पात्र होंगे.”

“पुनः संकल्प किया कि निर्गमित इक्विटी शेयरों को, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं.”

“पुनः संकल्प किया कि इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम या आबंटन करने के लिये बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां

आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये, इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है.”

“पुनः संकल्प किया कि बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी/ प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के लिये बुक रनर (रॉ), लीड मैनेजर (रॉ), बैंकर्स, अभिगोपक (कों), डिपाजिटरी (रियों), रजिस्ट्रार (रॉ), लेखापरीक्षक (कों), अरेन्जर (र्स) तथा अन्य ऐसी एजेन्सी, जो इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये बोर्ड को अधिकृत किया जाय एवं एतद्वारा ऐसा किया जाता है.”


“पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये लीड मैनेजरों, अभिगोपकों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/ प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/ प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्पशन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/ कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकार्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/ या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है.”

“पुनः संकल्प किया कि ऐसे उपरोक्त प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुई हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है।”

“पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

“पुनः संकल्प किया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों की समिति को पूंजी निधि एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा किया जाता है।”

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक : 30.05.2022

नोट्स

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक का संचालन

ए) कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (“एमसीए परिपत्र”) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्र.14/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020,

02/2021, 19/2021, 21/2021 और 2/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (“सेबी परिपत्र”) द्वारा जारी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, एवं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 तथा इक्विटी एवं गैर प्रवर्तनीय सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ पर जारी सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (“सूचीबद्धता विनियमन”), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संप्रेषण क्र. एफ.क्र.7/47/2020-बीओए दिनांक 10 जुलाई, 2020 और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की वार्षिक महासभा (एजीएम) बैठक का संचालन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जाए, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सभी सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी. वार्षिक महासभा बैठक के लिए विचारणीय स्थान मुंबई में स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय होगा. कारोबार मद क्र. 3 में वर्णित विशेष कारोबार अपरिहार्य होने के कारण 20वीं एजीएम में वीसी/ओएवीआईएम के माध्यम से संचालित किया जाएगा.

बी) बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है. बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं. बैंक ने बैठक की समग्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा अपनाई है.

सी) केफिन टेक्नोलोजीज लिमिटेड (केफिनटेक) द्वारा वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.

डी) एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक महासभा बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और साथ ही केफिनटेक की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी.

- ई) चूंकि वार्षिक महासभा बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इस कारण रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं होगी, जैसा कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है।
- एफ) सभी सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित इस वार्षिक महासभा बैठक में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो कि वार्षिक महासभा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पहले अर्थात् 10.45 [आईएसटी] पूर्वाह्न से खुली रहेगी और बैंक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित में वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने के लिए, बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद विंडो बंद कर सकती है। वीसी/ओएवीएम में जुड़ने के लिए नोटिस पैरा क्र. 16(vii) (ए), (बी) एवं (सी) में वर्णित विवरणों के साथ <https://emeetings.kfintech.com> में कृपया जुड़ें। बैठक के दौरान या उससे पहले तकनीकी से संबंधित किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 का उपयोग किया जा सकता है।
- जी) सदस्य नोट करें कि केफिनटेक द्वारा प्रदत्त वीसी/ओएवीएम सुविधा में द्विपक्षीय कॉन्फ्रेंसिंग एवं साथ ही प्रश्न पूछने के लिए पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों की सहभागिता की अनुमति होगी। बड़े शेयरधारकों (अर्थात् ऐसे शेयरधारक जिनके पास 2% या इससे अधिक का शेयर होगा), प्रमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति, लेखा-परीक्षक, संवीक्षक आदि पहले-आओ-पहले-पाओ सिद्धान्त के कारण बिना किसी बाधा के वार्षिक महासभा बैठक में शामिल हो सकते हैं। संस्थागत निवेशक जो बैंक के सदस्य हैं, को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 20वीं वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- एच) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक महासभा बैठक में शामिल सदस्यों की उपस्थिति की गिनती कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी।
- आई) चूंकि एजीएम, वीसी/ओएवीएम के जरिए आयोजित की जाती है। अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है और एमसीए परिपत्र के अनुसरण में बैंक द्वारा कोई प्रोक्सी स्वीकृत नहीं की जाएगी।
- जे) वार्षिक महासभा बैठक से पहले स्पीकर शेयरधारक का पंजीकरण रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अधिकतम **मंगलवार, 28 जून, 2022 को शाम 5 बजे तक** किया जा सकता है। स्पीकर के रूप में पंजीकृत होने के इच्छुक शेयरधारकों से निवेदन है कि वे ई-वोटिंग लॉगिन विवरणों का उपयोग करके <https://emeetings.kfintech.com> पर जाएं और इस अवधि के दौरान स्पीकर पंजीकरण पर क्लिक करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा बैठक के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र और समन्वय के समय बैठक के अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने तक अपनी बारी आने का इंतजार करें। बैंक स्पीकर सत्र को समाप्त या रोक सकती है; इसलिए, शेयरधारकों को सूचना पैरा सं. 14 में प्रदत्त, अग्रिम रूप से अपने पंजीकृत ई-मेल पता से अपना नाम, डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी नंबर/ फोर्लिओ नंबर तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रासंगिक प्रश्न इत्यादि investorservices@unionbankofindia.bank पर भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्न पर कार्रवाई की जाएगी एवं बैंक द्वारा उचित रूप से प्रतिउत्तर दिया जाएगा। हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि बैठक के दौरान प्रश्न ठीक और संक्षेप रूप से किये जाएं ताकि हम उनका उत्तर दे पाएं।
- के) वे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे वेबलिंक: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> में अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने के बाद वार्षिक महासभा बैठक में भाग ले सकते हैं।
- एल) भौतिक रूप से धारित शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कटऑफ तिथि अर्थात् **गुरुवार, 23 जून, 2022** से पहले बैंक विवरण, ईमेल एड्रेस, पते में बदलाव आदि को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मेसर्स डाटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड को प्रस्तुत करें, ताकि इसे नोट किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित शेयर धारक सदस्यों के संबंध में, उपर्युक्त तिथि की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त ब्यौरे पर बैंक द्वारा विचार किया जाएगा। इसलिए, शेयर धारित सदस्य नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए यथाशीघ्र अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे।

3. परोक्षी की नियुक्ति

एमसीए के परिपत्रों के क्रम में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, अतः परोक्षी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। तदनुसार, वार्षिक महासभा बैठक के लिए

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 70(vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इस कारण, परोक्षी की नियुक्ति के संबंध में लिखत एवं उपस्थिति स्लिप को इसके साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है। तथापि, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा संचालित वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता तथा वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के उद्देश्य से सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कंपनी या कोई निकाय, निगम, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, को info@jmja.in पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 24 जून, 2022** को कार्य-समाप्ति अर्थात् **शाम 5.00 बजे तक** या उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

5. बुक क्लोजर

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही, एजीएम के लिए तथा लाभांश के भुगतान, यदि शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाता है, के लिए **शुक्रवार 24 जून, 2022 से गुरुवार, 30 जून 2022** (दोनों दिनों को मिलाकर) तक बंद रहेगी।

6. अदावाकृत /अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त लाभांश के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क करें।

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/ अदत्त रहने पर 30 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित कर दिया जायेगा।

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षों तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित किया जाना अपेक्षित है। बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 (अन्तरिम) तक के अदत्त लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है। वर्ष 2014-15 [अंतिम] से अदत्त लाभांश के ब्यौरे हेतु संबंधित शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अदावाकृत लाभांश सर्व सुविधा के लिंक: <https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomList.aspx> का अवलोकन कर सकते हैं। अदावाकृत लाभांश की प्रक्रिया तथा अपेक्षित फॉर्म भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध है।

7. पता/ बैंक विवरण/ बैंक खाता अधिदेश/ नामांकन का परिवर्तन

सदस्यों से अनुरोध है कि उनके नाम, पोस्टल पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/ मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिशेषों, नामांकनों, मुख्तारनामा, बैंक विवरणों जैसे बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि में परिवर्तन, यदि कोई हो, को सूचित करें,

ए. **इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए :** डिजिटल प्रतिभागियों (डीपी) हेतु

बी. **भौतिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए:** बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट (आरटीए) हेतु निर्धारित फॉर्म **आईएसआर-1** में तथा सेबी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 03 नवंबर, 2021 में निर्दिष्ट अन्य फॉर्म. बैंक ने वांछित विवरणों को प्रदत्त करने के लिए कारोबार रिप्लाइ एनवेलप (बीआरई) सहित पत्रों को भेजा है।

सी. उक्त सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुरूप, सदस्यों द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है। जिन सदस्यों ने अपना नामांकन पंजीकृत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि **फॉर्म एसएच-13** जमा कर इसे पंजीकृत करें। यदि कोई सदस्य अपना नामांकन वापस लेना चाहता है या पूर्ववर्ती नामांकन को रद्द करना चाहता है तथा नवीन नामांकन रिकॉर्ड करना चाहता है, वह **फॉर्म आईएसआर-3 या एसएच-14**, जैसा भी मामला हो, में इसे जमा कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि

यदि सदस्यों द्वारा धारित शेयर अमूर्तीकृत रूप में हैं तथा बैंक के आरटीए में शेयरों के भौतिक रूप में धारित किए जाने की स्थिति में, उक्त विवरणों को उनके डीपी में प्रस्तुत करें.

बैंक के आरटीए का पता:

डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्युशन लिमिटेड,

यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,

प्लॉट नंबर बी-5, पार्ट बी, एमआईडीसी,

क्रॉसलेन, मरोल,

अंधेरी (ईस्ट), मुंबई - 400 093.

दूरभाष.: 022 66712001-6.

डी. उपरोक्त वर्णित फॉर्म बैंक के वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/important-announcement-to-physical-shareholders.aspx में उपलब्ध हैं.

ई. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों को बैंक को या बैंक के आरटीए के स्थान पर केवल उनके संबंधित डिपोजिटर प्रतिभागी को पते में परिवर्तन करने का सुझाव भेजना चाहिए.

एफ. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या बैंक के आरटीए से किसी संप्रेषण में सदा उनके संबंधित फोलियो नंबर/ नंबरों (भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले) तथा उनके संबंधित डीपी आईडी/ क्लार्क नंबर (इलेक्ट्रॉनिक/ डिमेट रूप में धारित करने वाले) का उल्लेख करें.

8. निवेशक सेवा अनुरोध और शेयरों के हस्तांतरण एवं ड्रुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण के मामले में अमूर्तीकृत रूप में प्रतिभूतियों को जारी करना

सदस्य कृपया यह नोट करें कि सेबी ने अपने परिपत्र क्र सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी_आरटीएमबी/ पी/ सीआईआर/ 2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निम्न सेवा अनुरोध को प्रसंकृत करने के दौरान पुष्टिपत्र के जरिए केवल अमूर्तीकृत रूप में सूचीबद्ध ईकाइयों को प्रतिभूतियां जारी करने को अधिदेशित किया है .

- अनुलिपि प्रतिभूतियाँ प्रमाणपत्र जारी करना;
- अदावाकृत उचंत खाते से दावा;

- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीकरण/ विनिमय;
- पृष्ठांकन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/ विभाजन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र / फोलियो का समेकन;
- प्रेषण तथा प्रतिस्थापन.

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त सेवा अनुरोध के लिए **फॉर्म आईएसआर-4** को विधिवत भर कर तथा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें, जिसका प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/issuance-securities.aspx में उपलब्ध है. यह नोट किया जाए कि कोई भी सेवा अनुरोध केवाईसी अनुपालित होने पर ही प्रसंकृत किया जा सकता है. शेयरधारकों से भी अनुरोध है कि शेयरों के हस्तांतरण एवं ड्रुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकृत प्रक्रियाओं का पालन करें.

9. स्थिति में परिवर्तन की रिकार्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशंस लि. को तत्काल सूचित करें:

- ए. स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.
- बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरूप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले न दिया गया हो.

10. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

कोविड-19 महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तथा प्राधिकारियों द्वारा अनुमत के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की प्रतियाँ भौतिक रूप में प्रेषित नहीं की जाएंगी तथा यह ई-मेल के माध्यम से केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिन्होंने बैंक या डिपोजिटर प्रतिभागी के पास अपने ई-मेल आईडी को पंजीकृत किया है. वार्षिक रिपोर्ट बैंक के वेबसाइट तथा शेयर बाज़ार में भी अपलोड किया जाएगा. ईमेल आईडी को अद्यतन करने हेतु शेयरधारक भौतिक शेयर के मामले में रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट या डिमेट रूप शेयर के मामले में डिपॉजिटर प्रतिभागी से संपर्क कर सकते हैं.

11. कट ऑफ तिथि

ई-वोटिंग के लिए:

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, के अनुसार कारोबार मद क्र. 1, 2 एवं 3 के संबंध में शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों को **गुरुवार, 23 जून, 2022** को मान्यता दी जाएगी।

12. लाभांश का भुगतान

यदि लाभांश, निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुत के अनुरूप, एजीएम में घोषित होता है, तो स्ट्रोत पर कर की कटौती के अधीन ऐसे लाभांश का भुगतान **सोमवार, 11 जुलाई, 2022** से निम्न के अनुसार किया जाएगा:

- नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") संयुक्त रूप से डिपॉजिटरीज के पास **गुरुवार, 23 जून, 2022** के अंत तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अमूर्तकृत रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभप्रद स्वामियों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।
- उन सभी सदस्यों को जिनके पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में उपलब्ध है और उन्होंने वैध प्रेषण या प्रतिस्थापन अनुरोध को **गुरुवार, 23 जून, 2022** को कारोबार अवधि की समाप्ति तक बैंक के साथ दर्ज किया है।

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के लिए लाभांश आय कर योग्य होगा तथा बैंक को प्रति शेयर धारक आधार पर रु. 5000 से अधिक राशि के लाभांश पर पैन आधार पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर 'स्ट्रोत पर कर' की कटौती करने की आवश्यकता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से निवेदन है कि वे वैध पैन को डीपी (यदि शेयर डीमैट रूप में धारित है) और बैंक / बैंक के आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है) के साथ अद्यतित करें।

13. वोट देने का अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, **बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के**

दस प्रतिशत से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा।

उपर्युक्त के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैटक) विनियमन, 1998 के विनियमन 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जो **कट ऑफ तारीख अर्थात गुरुवार, 23 जून, 2022** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैटक) विनियमन 1998 के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा। इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैटक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही वोट देने का अधिकारी भी होगा।

14. लेखों एवं इससे संबद्ध अन्य शंकाओं के संबंध में जानकारी

जो शेयरधारक लेखों एवं इससे संबद्ध अन्य शंकाओं पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं उनसे, अनुरोध है कि वे बैंक को investorservices@unionbankofindia.bank पर मेल करें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख के पूर्व बैंक को **28 जून, 2022 को शाम 5 बजे** तक प्राप्त हो जानी चाहिए ताकि प्रबंधन द्वारा यह सूचना तैयार रखी जा सके। जवाब केवल एजीएम के दौरान ही दिए जाएंगे। कृपया नोट करें कि केवल उन्हीं सदस्यों के प्रश्नों के जवाब किए जाएंगे जो कट-ऑफ तारीख यथा **23 जून, 2022** को शेयरधारक हैं।

साथ ही, जिन शेयरधारकों के पास कट-ऑफ तारीख को शेयर उपलब्ध हैं वे <https://emeetings.kfintech.com> वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं और "post your queries here" पर क्लिक करके प्रश्न/शंकाओं को पोस्ट कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, विंडो सक्रिय हो जाएगी और **28 जून, 2022 को शाम 5 बजे** बंद हो जाएगी।

15. भौतिक धारिता का अमूर्तकरण

सेबी ने 24 जनवरी, 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अनिवार्य किया है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और हस्तांतरण के अनुरोधों को केवल अभौतिक रूप में संसाधित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और डीमैटरियालैजेशन के विभिन्न लाभों को उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक रूप में उनके द्वारा रखे गए शेयरों को डीमैटरियालैज करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

16. सूचना में प्रदर्शित कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा और बैंक इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है :

- i. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित), के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (“आईसीएसआई”) द्वारा साधारण बैठक पर जारी सचिवालय मानक (एसएस-2) तथा एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के साथ लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक सहर्ष सूचित करना चाहता है कि वार्षिक महासभा में कार्यवाही की सुविधा प्रदान करने के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और वार्षिक महासभा में शामिल सदस्य बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है.
- ii. वार्षिक महासभा में वोटिंग की सुविधा भी रहेगी और इस बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.
- iii. जिन शेयरधारकों ने वार्षिक महासभा से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक महासभा में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं कर सकेंगे.
- iv. वार्षिक महासभा से पूर्व निर्धारित समयावधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (“रिमोट ई-वोटिंग”) का प्रयोग कर शेयरधारक द्वारा वोट डालने की सुविधा एवं वार्षिक महासभा के दौरान वोटिंग की सुविधा केफिनटेक द्वारा प्रदान की जायेगी.
- v. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 27 जून, 2022 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) से प्रारम्भ होकर बुधवार,

29 जून, 2022 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) तक रहेगी. बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, वोटिंग के लिए कट ऑफ तारीख **गुरुवार, 23 जून, 2022** को भौतिक या डि-मटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, कार्यसूची के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इस अवधि के बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बन्द कर दिया जाएगा. शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.

- vi. ऐसा व्यक्ति जो वार्षिक महासभा बैठक की सूचना भेज कर बैंक का सदस्य बनता है एवं कटऑफ तिथि अर्थात **गुरुवार, 23 जून, 2022** को शेयर धारित करता है, वह बैंक को ई-मेल investorservices@unionbankofindia.bank पर शेयरधारक के प्रामाणिक साक्ष्य भेज कर या केफिनटेक evoting@kfintech.com को रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले अर्थात **29 जून, 2022 सायं 5.00 बजे** से पूर्व लिख कर निम्नलिखित वर्णित तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं.
- vii. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग निम्नानुसार है:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जानेवाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार **डीमैट मोड** में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरीज या डिपॉजिटरी सहभागी के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनमति है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अपडेट करें.

वैयक्तिक शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) डिपॉजिटरी के जरिए लॉगिन.

एनएसडीएल	सीडीएसएल
<p>1. आईडीईएस सुविधा के लिए उपयोगकर्ता पहले ही पंजीकृत है :</p> <p>I. यूआरएल : https://eservices.nsdl.com</p> <p>II. "आईडीईएस" सेक्शन में "बेनीफिसिएल ओनर" आइकॉन को क्लिक करें.</p> <p>III. नए पेज पर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रविष्टि करें. सफल प्रमाणीकरण के बाद, "एक्सस टु ई-वोटिंग" पर क्लिक करें.</p> <p>IV. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान आप वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे .</p>	<p>1. विद्यमान उपयोगकर्ता जिसके पास ईजी/इजीयस्ट का विकल्प है:</p> <p>I. यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login</p> <p>अथवा</p> <p>यूआरएल: www.cdslindia.com</p> <p>II. नई प्रणाली माईईजी पर क्लिक करें.</p> <p>III. उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करें.</p> <p>IV. आगे बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा.</p> <p>V. अपना वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें .</p>
<p>2. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो</p> <p>I. पंजीकरण के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें : https://eservices.nsdl.com</p> <p>II. "आईडीईएस" के लिए "ऑनलाईन पंजीयन" चुने</p> <p>III. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें .</p>	<p>2. उपयोगकर्ता ईजी/इजीयस्ट ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो</p> <p>I. पंजीकरण का विकल्प निम्न लिंक पर उपलब्ध है https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें .</p>
<p>3. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो</p> <p>I. पंजीकरण के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें.</p>	<p>3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट जाकर</p> <p>I. यूआरएल: www.cdslindia.com</p> <p>II. डि-मैट खाता एवं पैन संख्या प्रदान करें .</p> <p>III. सिस्टम पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल, जैसा डि-मैट खाते में रेकॉर्ड है, पर ओटीपी भेज कर उपयोगकर्ता को प्रमाणीकृत करेगा.</p> <p>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी (ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) के लिए लिंक उपलब्ध कराएगा जहां पर ई-वोटिंग चल रही है</p>
<p>4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट जाकर</p> <p>I. यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/</p> <p>II. 'अंशधारक / सदस्य' सेक्शन में उपलब्ध "लॉगिन" आइकॉन को क्लिक करें.</p> <p>III. उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ 16-अंकों का डि-मैट खाता संख्या), पासवर्ड / ओटीपी एवं प्रमाणीकरण कोड, जैसा की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रविष्टि करें.</p> <p>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल डिपोजिटरी साइट पर पहुँच जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग का पेज देख सकते हैं.</p> <p>V. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान आप वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे.</p>	

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य, जो अपना यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल गए / पासवर्ड भूल गए के विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क.

एनएसडीएल के सदस्य को किसी भी तकनीकी समस्या के लिए	सीडीएसएल के सदस्य को किसी भी तकनीकी समस्या के लिए
लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क पर evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।	लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर या 022- 23058738 और 22-23058542- 43 पर संपर्क कर सकते हैं।

(डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) वैयक्तिक शेयरधारकों - डिपॉजिटरी पार्टिसीपेंट के जरिए लॉगिन.

आप ई-वोटिंग सविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं. एकबार लॉगिन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत आपको सफल अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करने पर आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा.

भौतिक स्वरूप से धारित प्रतिभूतियों के शेयरधारकों एवं गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति

- ईमेल के मसौदे में प्रारंभिक पासवर्ड प्रदान किया गया है.
- इंटरनेट ब्राउज़र खोले और एड्रेस बार में <https://evoting.kfintech.com> यूआरएल टाइप करें.
- आपके ई-मेल आईडी में प्रेषित लॉगिन विवरण अर्थात यूजर आईडी और पासवर्ड डालें. आपका फोलियो नं./ डीपी आईडी क्लॉक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा. तथापि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए पहले से ही

केफिनटेक में पंजीकरण कर रखा है तो वोट देने के लिए आप अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं.

- उचित तरीके से विवरण भरने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें.
- आप पासवर्ड चेंज मेन्यू में पहुंच जाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पासवर्ड बदलना पड़ेगा. नये पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरक्टर होने जरूरी है जिसमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंकीय मान (0-9) और एक विशेष कैरक्टर (@,#,\$ आदि) होने चाहिए. यह अवश्य ध्यान रखें कि आप अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.
- आपको नए विवरण के साथ पुनः लॉगिन करना पड़ेगा.
- सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम तुरंत आपको EVENT अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने के लिए निर्देशित करेगा.
- वोटिंग पेज पर, कट ऑफ की तारीख तक आपके पास कितने शेयर (जो आपके वोटों की संख्या दर्शाएगा) थे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. यदि संकल्प के लिए आप अपने सभी वोट स्वीकृत/अस्वीकृत में देना चाहते हैं तो यथास्थिति सभी शेयर की प्रविष्टि करें और 'FOR'/'AGAINST' पर क्लिक करें या आंशिक रूप से 'FOR' एवं आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन कट ऑफ तारीख तक 'FOR' और/या 'AGAINST' में की गई वोटों की कुल संख्या आपके कुल शेयरधारण से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप 'AGAINST' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और धारित शेयर की गणना दोनों में से किसी एक शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी.
- 'SUBMIT' बटन पर क्लिक करें. एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा. पुष्टि हेतु 'OK' पर क्लिक करें या संशोधित करने के लिए 'CANCEL' को क्लिक करें. एक बार पुष्टि हो जाने के बाद आपको अपने वोट में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी. वोटिंग अवधि के दौरान जब तक आप पुष्टि नहीं करते कि संकल्प पर आपने वोट किया है, तब तक आप अनेक बार लॉगिन कर सकते हैं.
- ऐसे सदस्य जिनके विविध फोलियो/डिमैट खाते हैं प्रत्येक फोलियो/डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग की प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं.

- के. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात वैयक्तिक के अतिरिक्त, एचयूएफ, एनआरआई आदि) से अपेक्षित है कि सुसंगत बोर्ड संकल्प / प्राधिकृत पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रतिलिपि की स्कैन ईमेज (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित अधोहस्ताक्षरी, जो info@jmja.in ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को वोट देने के लिए प्राधिकृत है, का अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर प्रेषित करें और अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी इसे अपलोड करें. उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रति का नाम 'EVENT No.....' के प्रारूप में रखें.
- viii. ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में हेल्प सेक्शन में, <https://evoting.Kfintech.com> पर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करें.
- ix. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से संबंधित समस्त शिकायतों के लिए केफिनटेक में संपर्क कर सकते हैं या evoting@kfintech.com पर ई-मेल भेजे या 1800309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
- x. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ की तारीख अर्थात **गुरुवार, 23 जून, 2022** को शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिजिटलरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं व्यक्ति रिमोट ई- वोटिंग या वोटिंग द्वारा वार्षिक महासभा बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा.
- xi. संयुक्त धारक के मामले में शेयर के प्रथम धारक को लॉगिन आईडी/ यूजर आईडी एवं पासवर्ड का ब्यौरा भेजा जाएगा. तदनुसार, प्रथम धारक को प्रेषित यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर वोट को सभी संयुक्त धारकों की ओर से माना जाएगा क्योंकि शेयरधारक जो केफिनटेक की रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से वोट करता है, वह सभी संयुक्त धारकों की ओर से प्रयुक्त किया हुआ माना जाएगा. प्रथम धारक को ही शेयर धारक माना जाएगा, जिसका नाम शेयरों के सापेक्ष पंजीकृत किया गया है.
- xii. केवल वोट करने के पात्र शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसा

व्यक्ति जिसके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए इस नोटिस को केवल एक सूचना माना जाना चाहिए.

- xiii. मेसर्स जेएमजेए एंड एसोसिएट एलएलपी, की सुश्री मानसी दमानियां, पेशेवर कंपनी सचिव, की नियुक्ति जांचकर्ता के रूप में की गयी है ताकि वे सत्य एवं पारदर्शी ढंग से रिमोट की वोटिंग कार्यपद्धति की जांच कर सकें.
- xiv. वार्षिक महासभा बैठक शुरु होने के बाद बैठक के अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.
- xv. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक महासभा में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम दो कार्यदिवसों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी.

17. वोटिंग के परिणाम

वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा केफिनटेक की वेबसाइट: <https://evoting.kfintech.com> उपलब्ध करा दिया जायेगा. वोटिंग परिणाम एवं समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाएंगे.

18. बैठक में ई वोटिंग के लिए जांचकर्ता

ई-वोटिंग के संबंध में जैसा पहले ही इंगित किया है कि सभी कारोबार मद के लिए मेसर्स जेएमजेए एंड एसोसिएट एलएलपी की सुश्री मानसी दमानियां पेशेवर कंपनी सचिव, जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगी. वे बैठक में अन्य शेयरधारक के ई-वोटिंग के लिए भी जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगी.

19. बैठक का परिणाम

बैंक के प्रधान कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय में वार्षिक महासभा बैठक की तिथि को संकल्प (पों) के पक्ष में आवश्यक वोटों की संख्या की प्राप्ति के अध्यक्षीय संकल्प को पारित माना जाएगा.

20. रिकॉर्ड की गई ट्रांस्क्रिप्ट

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से हुई वार्षिक महासभा की कार्यवाही को बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in के निवेशक संबंध अनुभाग के अधीन यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

व्याख्यात्मक विवरण

मद क्रमांक 3:

पूँजी की उगाही:

बैंक का कारोबार बैंकिंग एवं उससे संबद्ध सेवा गतिविधियों से हैं। वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु.10,000 करोड़ हैं। 31 मार्च, 2022 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी रु. 6,834.47 करोड़ थी।

क्यूआईपी के पश्चात, बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी का 83.49% है।

यथा 31 मार्च, 2022 जोखिम भारित आस्तियों की पूँजीगत निधि निम्नानुसार हैं:

पूँजी पर्याप्तता अनुपात बासल III

पैरामीटर	(रु. करोड़ में)		
	31 मार्च, 2022 नियामक पूँजी	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
कुल जोखिम भारित आस्तियां	लागू नहीं	545,923	5,51,521
कुल पूँजीगत निधि		79,281	69,263
सीईटी 1 पूँजी		58,049	50,001
टियर 1 पूँजी		66,589	57,091
सीआरएआर (%)	11.50	14.52	12.56
सीईटी 1 (%)	8.00	10.63	9.07
टियर 1 (%)	9.50	12.20	10.35
टियर 2 (%)	2.00	2.32	2.21

नोट: आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क में 2.50 प्रतिशत सीसीबी (पूँजी संरक्षण बफर) सहित (सीआरएआर, सीईटी 1 एयूआर टियर 1) शामिल है।

कारोबार आस्तियों की बढ़ोत्तरी हेतु बासल III दिशानिर्देशों के अधीन पूँजी को बनाए रखने एवं नियंत्रित अनुपात अपेक्षाओं की प्राप्ति हेतु विकास अनुमानों के आधार पर आपके निदेशकों ने रु. 8,100 करोड़ (रुपये आठ हजार एक सौ करोड़ मात्र) की पूँजी जुटाने का फैसला किया है।

लक्षित कारोबार वृद्धि के विकास एवं उसकी प्राप्ति और सामान्य उधारी के उद्देश्य हेतु विनियामक अनुपालन एवं अतिरिक्त पूँजीगत निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पूँजी प्रदान किए जाने के साथ-साथ बैंक द्वारा इक्विटी पूँजी जुटाने के विकल्पों जैसे सार्वजनिक निर्गम (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और/या पात्र संस्थागत नियोजन सहित निजी नियोजन और/या भारत सरकार को अधिमानित आबंटन तथा/या अन्य नियामक प्राधिकरणों और सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। बढ़ी हुई पूँजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

यदि क्यूआईपी के द्वारा प्रतिभूतियों को जारी किया जाना है तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (पूँजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप किया जाएगा।

बैंक एक या एक से अधिक किशतों में निजी नियोजन/सार्वजनिक निर्गम आधार पर गौण डिबेंचर, बॉन्ड और/या अन्य ऋण प्रतिभूतियों सहित, लेकिन इन तक सीमित नहीं, स्थायी ऋण लिखतों, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की संख्या बढ़ा सकता है, जिसे आरबीआई और सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीबद्ध करना), 2021 के साथ अनुपालन में निर्धारित एवं वर्गीकृत किया गया है टियर I और टियर II को भी वर्गीकृत किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) के अनुसार यदि बैंक द्वारा पुनः कोई निर्गम या ऑफर जारी किया जाता है तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर इन्हें ऑफर किया जाएगा, यदि सामान्य बैटक में शेयरधारकों ने इक्विटी शेयरों के मामले में कोई अन्यथा निर्णय न लिया हो। उक्त प्रस्ताव के पारित होने की स्थिति में यह बैंक की ओर से बैंक के निदेशक मंडल को अन्यथा न होने की स्थिति में वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर शेयर जारी एवं आबंटित करने के लिए अनुमति देगा।

अतः उपर्युक्त कारणों के लिए, एक संकल्प पारित करना प्रस्तावित हैं जिससे बोर्ड पर्याप्त लचीलेपन और विवेक से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप दे सकें.


वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है जिससे बैंक का निदेशक मण्डल उचित समय, माध्यम, प्रीमियम एवं अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर/बॉण्ड जारी कर सकें. एक बार प्रस्तावित संकल्प पारित हो जाने पर, इसी तर्ज पर पूर्व में बैंक के शेयरधारकों द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2021 को आयोजित वार्षिक महासभा बैठक में पारित संकल्प का, यह अधिक्रमण करेगा.

विशेष संकल्प के अनुरूप प्रस्तावित इक्विटी शेयरों और या बॉण्ड को लागू सभी विधिक प्रावधानों के अनुरूप जारी किया जाएगा.

आपके निदेशक गण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं.

बैंक के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति एवं उनके रिश्तेदारों को शेयरधारिता तक, यदि कोई हो, उपर्युक्त संकल्प (पों) से सम्बद्ध और इच्छुक माना जाएगा.

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक : 30.05.2022

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मण्डल को 'लेखा परीक्षित (ऑडिटेड) तुलन पत्र', 'लाभ और हानि खाता', 'नकदी प्रवाह विवरणी (कैश-फ्लो स्टेटमेंट)' और 'प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट' के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 की बैंक की 103वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट' और 'बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट' भी वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 का हिस्सा है।

1. मुख्य विशेषताएं:

- 1.1 भारत की आर्थिक वृद्धि वित्त वर्ष 2021-22 में लचीली रही, यथा वायरस प्रसार के रोकथाम के नियंत्रण उपायों को हटाने से मांग में वृद्धि हुई, जिससे सुधार के प्रयासों पर युद्ध-प्रेरित कीमत दबावों के प्रभाव में कमी देखी गयी। सेवा क्षेत्र से लेकर बैंक ऋण तक के विविधतापूर्ण डाटा ने वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में मांग की वापसी की ओर इंगित किया है। वित्त वर्ष 2020-21 में 5.6% से ऊपर बैंक ऋण में वित्त वर्ष 2021-22 में 9.6% की वृद्धि के साथ उपभोक्ता गतिविधि उत्साहजनक थी। चलनिधि की स्थिति भी अधिशेष में निरन्तर बनी रही। वित्त वर्ष 2021-22 में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के व्यापारिक निर्यात के मील का पत्थर अर्जित करने के बाद, देश अगले वर्ष के लिए लगभग 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वस्तुओं और सेवाओं दोनों के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को लेकर चल रहा है, जो 2021-22 में अर्जित लक्ष्य से लगभग 19.5% अधिक है।
- 1.2 कोविड -19 महामारी विश्व के द्वारा झेले गए अब तक के सबसे खराब स्वास्थ्य संकटों में से एक के रूप में इतिहास में दर्ज की जाएगी। इसका आर्थिक प्रभाव अभी कई और वर्षों तक बना रह सकता है और हमें आजीविका के पुनर्निर्माण, व्यवसायों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दो साल बाद भी आर्थिक गतिविधि मुश्किल से पूर्व -कोविड स्तर तक पहुंच पाई है। भारत की आर्थिक गतिविधि को गहन संरचनात्मक बाधाओं के साथ-साथ महामारी के दुष्प्रभावों की कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने भी सुधार की गति को धीमा किया है, इसके प्रभाव रिकॉर्ड-उच्च पण्य (पदार्थों की) कीमतों, कमजोर वैश्विक विकास दृष्टिकोण और सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियों के माध्यम में प्रसारित हुए हैं। भविष्य के व्यापार, पूंजी प्रवाह और आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाले अवैश्वीकरण के बारे में चिंताओं ने व्यावसायिक माहौल के लिए अनिश्चितताओं को बढ़ा दिया है। मुद्रा और वित्त पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था

को कोविड -19 महामारी के दौरान हुए नुकसान से उबरने में 12 साल तक लग सकते हैं।

- 1.3 वैश्विक अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक निराशा के बीच में है, जिसमें अत्यधिक अनिश्चितता परिदृश्य को अधिक जटिल बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय पण्य (पदार्थ) कीमतें, मांग-आपूर्ति असंतुलन के बीच पहले से ही ऊपर बढ़ रही थीं, मार्च 2022 की शुरुआत में अधिक महंगी हो गई और उसके बाद ऊंचे स्तरों पर अस्थिर रहीं। भारत भी इन घटनाक्रमों के झटके महसूस कर रहा है। युद्ध और प्रतिशोधी प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की स्थिति और भुगतान संतुलन में असंतुलन का बढ़ना पहले ही दिखाई दे रहा है।
- 1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में वैश्विक विकास अनुमानों को 2021 में 6.1% से घटाकर 3.6% 2022 तथा 2023 दोनों वर्षों के लिए कर दिया है। उल्लिखित कारणों में यूक्रेन युद्ध भी शामिल है जिसके परिणामस्वरूप पण्य (पदार्थ) बाजारों, व्यापार और वित्तीय चैनलों के माध्यम से दुनिया भर में गिरावट के साथ-साथ काफी आर्थिक क्षति हुई है। केंद्रीय बैंकों के सामने आने वाले ट्रेड-ऑफ के समक्ष मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बीच बढ़ी हुई मुद्रास्फीति दर एक और गहन चुनौती है। चीन में लॉकडाउन और युद्ध ने आपूर्ति व्यवधान को अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है, जिससे देशों के लिए सीमित वित्तीय स्थान अधिक संकुचित हो गया है।
- 1.5 रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, यह सभी ओर से बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) के अनुमान के अनुसार, 2021-22 में भारत के 8.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022-23 के लिए आर्थिक विकास दर 7.2% आंकी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में 2022-23 के लिए भारत की विकास दर 8.2% और 2023-24 के लिए 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। सरकार द्वारा किए गए सुधारों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए विभिन्न सहायक उपायों को देखते हुए, आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास में और तेजी से वृद्धि के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी जा रही है। केंद्रीय बजट 2022-23 ने सार्वजनिक निवेश और पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि का प्रावधान किया है। विभिन्न सरकारी पहलों को आर्थिक विकास का समर्थन करने वाले रूप में देखा जा रहा है और वित्त वर्ष 2022-23 में ऋण मांग में और तेजी आने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर, साथ ही डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप, नवीकरणीय और रसद आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में नए निवेश के बढ़ते अवसर, अर्थव्यवस्था में औपचारिक - अनौपचारिक के

अंतर को समाप्त करते हुए विकास की इस प्रवृत्ति को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं।

2. बैंक का कार्यनिष्पादन

वर्ष 1919 में स्थापित, 31 मार्च, 2022 तक आपके बैंक की 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 8870 शाखाएँ और 3 विदेशी शाखाएँ, 11,232 एटीएम और 75201 कर्मचारी हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य उपलब्धियाँ:

- वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध ब्याज आय 27,786 करोड़ रुपये रही।
- वित्त वर्ष 2021-22 के लिए परिचालन लाभ 21,873 करोड़ रुपये रहा।
- 31 मार्च, 2022 तक पीसीआर 83.61% रहा।
- 31 मार्च, 2022 तक शुद्ध एनपीए अनुपात 3.68% था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपके बैंक ने निम्नानुसार कई परिवर्तन / नई प्रक्रियाओं को अपनाया है।

2.1 ईज (संवर्धित पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता) :

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रत्येक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता बढ़ाने और तिमाही आधार पर एक सामान्य सूचकांक पर उनके कार्य-निष्पादन को तिमाही आधार पर मापने के लिए संवर्धित पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता (ईज) सूचकांक आरम्भ किया गया। आपके बैंक ने संवर्धित पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता (ईज) 3.0 वार्षिक सूचकांक में तीसरा स्थान दर्ज किया है।

संवर्धित पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता (ईज) एजेंडा के चौथे संस्करण में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने डिजिटल पोर्टफोलियो का विस्तार करने, एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना स्थापित करने और बैंकिंग गतिविधियों के समग्र क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक साझेदारों को ऑनबोर्ड करने की आवश्यकता पर बल देना है।

आपका बैंक संवर्धित पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता (ईज) एजेंडा द्वारा अनुशासित सुधारों को अपनाने और उनके अनुकूलित होने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अपने ग्राहकों के लिए जैसा कि कल्पना की गई है बैंकिंग अनुभव को उन्नत करने और डिजिटल परिवर्तन को अपनाने के लिए, आपके बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में अर्जित किए गए प्रमुख विकास लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

- स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) चैनल के तहत खुदरा और एमएसएमई पोर्टफोलियो का विस्तार ऋणों के आसान

और त्वरित वितरण के लिए किया गया है। कृषि ऋण को आसानी से सुलभ बनाने के लिए प्रायोगिक आधार पर कृषि एसटीपी को आरम्भ किया गया है।

- सह-ऋण मॉडल के तहत, आपके बैंक ने खुदरा और एमएसएमई क्षेत्रों में कई गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के साथ करार किया है। जिसका उद्देश्य हमारी ऋण पुस्तिका का विस्तार करने के लिए उनकी पहुँच का लाभ उठाना है।
- आपके बैंक ने निर्बाध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए उद्योग की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को अपनाया है।
- ऋण लीड जनरेशन मॉडल को ठीक करते हुए, आपके बैंक ने कई गैर-ऋण संबंधित निवेश उत्पाद अपने संभावित ग्राहकों को पहचान कर प्रस्ताव करने हेतु अपनी एनालिटिक्स-आधारित क्षमताओं को अधिक मजबूत किया है।
- आपके बैंक ने "डिजिनेक्ट" बैनर के तहत "ईज बैंकिंग आउटलेट" तैनात किया है। ये आउटलेट चौबीसों घंटे बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। नकद जमा और निकासी के अलावा डिजिटल बैंकिंग, चेक जमा, पासबुक प्रिंटिंग और गैर-वित्तीय लेन-देन की सुविधा प्रदान करने के लिए बहु-कार्यात्मक कियोस्क तैनात किए हैं।
- 70,000 से अधिक कर्मचारियों के विशाल मानव बल के साथ, आपके बैंक ने मानव संसाधन के मोर्चे पर अनेक पहलें की हैं। इसमें पूरे वर्ष के कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए त्रैमासिक मूल्यांकन प्रक्रिया और सिस्टम को पारदर्शिता प्रदान करने के लिए एक डिजिटल कार्य-निष्पादन प्रबंधन टूल शामिल है।
- अनुपालन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, व्यक्तिगत स्तर के अनुपालन निगरानी टूल को आरम्भ किया गया है जिसे पूरी तरह से स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं का उपयोग करके विकसित किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए नवीनतम संवर्धित पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता (ईज) 4.0 सूचकांक में, आपका बैंक सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चौथे स्थान पर रहा। आपके बैंक ने छः में से दो थीम में उप-विजेता और एक थीम में तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया।

संवर्धित पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता (ईज) के विचार के अनुरूप, आपका बैंक वित्तीय समावेशन में सुधार करने, बैंकिंग अनुभव को सरल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और अच्छे ऋण खातों के संग्रहण को डिजिटल करके परिसंपत्ति पोर्टफोलियो की

प्रभावी निगरानी के लिए ठोस प्रयास कर रहा है. सक्रिय डिजिटल अपनाते हुए, आपका बैंक तेजी से विकसित हो रहे बैंकिंग परिदृश्य के साथ तालमेल बिटाने के लिए तैयार है.

2.2 स्ट्रेटजी- कारोबार प्रक्रिया पुनर्रचना (बीपीआर)

बैंक ने समामेलन प्रक्रिया को अपनाया और उत्पादों, प्रक्रियाओं एवं नीतियों के सामंजस्य, केंद्रीय कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्र की संरचना के पुनर्गठन, विभिन्न सीपीसी के रोलआउट, प्रभावी एकीकरण के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों को संचार सहायता और लागत तालमेल की प्राप्ति के लिए आदि को रोड मैप से सफलतापूर्वक हासिल किया. बैंक द्वारा समामेलन संबंधी प्रक्रियाएं "प्रोजेक्ट समर्थ" के तहत की गईं.

वर्ष के दौरान बैंक ने परियोजना समर्थ 2.0 के तहत समामेलन के बाद के परिदृश्य में पूरे बैंक में प्रक्रिया में सुधार के लिए आवश्यक नई पहलों को डिजाइन करने, लागू करने और चलाने की दिशा में ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक द्वारा की गई संक्षिप्त पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

प्रोजेक्ट समर्थ 2.0

समामेलन के बाद की विभिन्न पहलों को पूरा करने के लिए समर्थ 2.0 परियोजना आरम्भ की गई. परियोजना का उद्देश्य ग्राहकों के उन्नत अनुभव और सेवाएं प्रदान करने के साथ परिचालन और लागत दक्षता हासिल करने के लिए विभिन्न उत्पादों, प्रक्रियाओं और बैंक ऑफिस का डिजिटलीकरण शामिल है. इन पहलों के माध्यम से बैंक का लक्ष्य एक ब्रांड डिजिटल यूनियन बैंक बनाना है.

प्रोजेक्ट समर्थ 2.0 के तहत समग्र कार्य के दायरे के 7 कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है:

कार्य क्षेत्र - I	•तालमेल की प्राप्ति के लिए निरंतर सहयोग और रणनीति
कार्य क्षेत्र - II	•परिसंचरित और देयता उत्पाद खंड में सहक-सहायता का डिजिटलीकरण
कार्य क्षेत्र - III	•लाभ प्राप्त करने के लिए सीएचएल, पीओएस, क्रेडिट कार्ड व्यवसाय मॉडल और कार्यान्वयन में सुधार करना
कार्य क्षेत्र - IV	•जेटी, बिबी-अनुभव और डिजिटल शाखाओं, टच पॉइंट्स और एमएलएआई अडिमी के लिए बैंकिंग व्यवसायी शाखाओं के लिए नए शाखा मॉडल को डिजाइन करना और व्यवसाय सेवा प्रदाता मॉडल में सुधार करना।
कार्य क्षेत्र - V	•बैंक-ऑफिस संचालन और संपूर्ण मिशन-मॉडलिफिकेशन का डिजिटलीकरण
कार्य क्षेत्र - VI	•संगठनात्मक ढांचे का सुदृढीकरण
कार्य क्षेत्र - VII	•डिजाइन प्रौद्योगिकी वास्तुशिल्प तथा एमएलए, एआई और रोबोटिक्स प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप

2.3. तालमेल बनाने के लिए निरंतर सहयोग और रणनीति

बैंक ने समामेलन यात्रा में महान उपलब्धि हासिल की है. समामेलन के बाद दीर्घावधि व्यापार तथा विस्तारित आकार का लाभ उठाने हेतु बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के साथ पूरे उत्पादों और प्रक्रिया को फिर से ट्यून करने के लिए व्यवसाय के विकास और प्रक्रिया दक्षता के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए स्ट्रेटजी पर ध्यान केंद्रित किया गया है.



बैंक के लिए दीर्घकालिक तालमेल योजना - दीर्घकालिक तालमेल बनाने के लिए, चयनित क्षेत्रों में गहन वृद्धि प्राप्त करने के लिए संबंधित वर्टिकल की सहायता से 10 खंडों में 15 विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है.

डिजिटल अपनाने में वृद्धि

विभिन्न प्लेटफार्मों और भुगतान प्रणालियों (आईबी, एमबी, यूपीआई आदि) पर ग्राहकों द्वारा डिजिटलीकरण को अपनाने के उद्देश्य से यूजर इंटरफेस और अनुभव को बढ़ाने के लिए यू-मोबाइल (बैंक का मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म) में कई नए बदलाव कार्यान्वित किए गए हैं. जागरूकता लाने के लिए दो सफल अभियान आरम्भ किए गए जिनमें विपणन प्रयास का सहयोग शामिल रहा जिसमें बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया चैनल, वेबसाइट और ऑफलाइन चैनल जैसे पोस्टर और बैनर शामिल हैं. इन अभियानों के दौरान 1.5 मिलियन ग्राहक यू-मोबाइल से जुड़े.

केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीसी) को नया स्वरूप देना

सरल, यूएलपी और यूएसके मॉडल को फिर से डिजाइन करने के लिए, प्रक्रिया के अनुकूलन के लिए बहु-आयामी हस्तक्षेपों का सुझाव दिया गया और कार्यान्वयन किया गया है, जिसमें शामिल हैं

- प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और शाखा, सीपीसी और ऋणी के बीच अंतरण

- सीपीसी और ऋणी के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से समस्याओं के समाधान का अनुकूलन
- अनुपालन निगरानी और लीड जनरेशन में बड़ी भूमिका
- संसाधनों का अनुकूलन और निर्धारित काल (टीएटी) को अनुकूलित करने के लिए प्रसंस्करण में परिवर्तन

संग्रहण में सुधार

कॉल सेंटर से फीट ऑन स्ट्रीट तथा क्षेत्रीय संग्रहण प्रारंभ से अंत संग्रहण प्रक्रिया की देखभाल करने के लिए समर्पित संरचना के साथ हमारे बैंक में संग्रहण का एक हाइब्रिड मॉडल लागू किया गया है। संग्रहण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इन केंद्रों पर 600 से अधिक आंतरिक कर्मचारियों की तैनाती के साथ, सभी 125 क्षेत्रीय कार्यालयों में "क्षेत्रीय संग्रहण केंद्र (आरसीओसी)" खोले गए हैं।

क्षेत्र महाप्रबन्धक कार्यालयों यथा पुणे, विजयवाड़ा, बेंगलूर, विशाखापत्तनम और हैदराबाद में "फीट ऑन स्ट्रीट" मॉडल का पायलट लॉन्च किया गया है, जिसके तहत संग्रहण को प्रभावी रूप से करने के लिए इन पांच क्षेत्रों में 60 बाहरी एफओएस तैनात किए गए हैं।

2.4 आस्ति और देयता उत्पाद खंड में ग्राहक यात्रा का डिजिटलीकरण

आस्ति और देयता उत्पादों में आरंभ से अंत तक डिजिटल यात्रा के लिए एक रोड मैप बनाना और आस्ति और देयता उत्पादों के लिए डिजिटल यात्रा को डिजाइन करना ही मुख्य उद्देश्य है। आरंभ से अंत तक की इस डिजिटल यात्रा का उद्देश्य निर्धारित समय (टीएटी) में पर्याप्त कमी लाना, ग्राहक अनुभव को बढ़ाना और परिचालन लागत को कम करना है।

खुदरा आस्ति यात्रा

पूर्व अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण (पूर्व स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण) का प्रथम चरण सितंबर 2021 में आरम्भ किया गया था, जिसमें परीक्षण आधार पर योग्य वेतनभोगी ग्राहकों को प्रस्ताव भेजे गए थे। पहले चरण से मिली सीख के आधार पर, हमारे ग्राहक आधार में विस्तार करने के लिए तथा गैर-वेतनभोगी ग्राहकों को भी कवर करने के लिए नए बीआरई नियम बनाए गए हैं। इसके बाद 10.03.2022 को पूर्व अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण (प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन) का द्वितीय चरण आरम्भ किया गया है।

व्यक्तिगत ऋण, शिक्षा ऋण और वाहन ऋण के लिए डिजिटल यात्रा का डिजाइन पूरा कर लिया गया है और कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

एमएसएमई यात्रा

एमएसएमई ऋण को बढ़ावा देने और ऋण स्वीकृति के निर्धारित समय (टीएटी) को कम करने के लिए, आरम्भ से अंत तक के

डिजिटलीकरण के लिए निम्नलिखित 3 कार्यों को प्राथमिकता दी गई है

- रु. 10.00 लाख तक के एमएसएमई ऋणों का नवीनीकरण (कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण)
- यूनियन जीएसटी लाभ (व्यापारिक कार्यशील पूंजी) 2.00 करोड़ रुपये तक
- "किशोर" और "तरुण" श्रेणी के अंतर्गत यूनियन मुद्रा

क्षेत्रों में पायलट लॉन्च के बाद, 10.00 लाख रुपये तक के एमएसएमई नवीनीकरण की एसटीपी यात्रा को अप्रैल 2022 में पूरे भारत में आरम्भ किए जाने की योजना है। इस योजना में कार्यशील पूंजी के साथ-साथ सावधि ऋण वाले एमएसएमई खाते जिनकी समेकित ऋण सीमा रु 10.00 लाख तक है कि समीक्षा/नवीनीकरण को पूरा करने के लिए हस्तगत हस्तक्षेप के नहीं /न्यूनतम रहने की परिकल्पना की गई है। यह उत्पाद नकदी प्रवाह के आधार पर ऋण सीमा के आकलन तथा बैलेंस शीट जमा कराने की अति आवश्यक राहत को प्रदान करने के लिए डि. जाइन किया गया है।

"किशोर" और "तरुण" श्रेणी के तहत यूनियन जीएसटी लाभ और यूनियन मुद्रा के लिए डिजिटल यात्रा का डिजाइन पूरा हो चुका है और कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

कृषि यात्रा

आरम्भ से अन्त तक की डिजिटलीकरण यात्रा के लिए दो कृषि उत्पादों, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को प्राथमिकता दी गई है। इन उत्पादों के लिए यात्रा डिजाइन और स्क्रीन फील्ड डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है।

1.60 लाख रुपये तक के केसीसी नवीनीकरण यात्रा के लिए, सेवा प्रदाता को ऑनबोर्ड किया गया है, इसकी शुरुआत की गयी है और जून 2022 तक पूरे भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस यात्रा में सैटेलाइट छायाचित्रों के माध्यम से फसल मूल्यांकन, सैटेलाइट डेटा और एसओएफ आधारित सीमा का स्वतः मूल्यांकन, सरकारी पोर्टल के साथ डिजिटल भूमि रिकॉर्ड एकीकरण आदि जैसी विशेषताएं शामिल हैं। एसटीपी यात्रा से निर्धारित अवधि (टीएटी) और शाखाओं के कार्यभार में कमी आने की उम्मीद है। इसके तहत 17 लाख केसीसी खाते पात्र होंगे।

- 2.5 **साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी):** बैंक ने साइबर सुरक्षा संरचना को लागू किया है और साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना की है। सीएसओसी के प्रबंधन के लिए एक समर्पित कुशल टीम तैनात की गई है। सीएसओसी साइबर खतरों की पहचान करने, उनका पता लगाने, सुरक्षा करने और उन्हें रोकने में मदद करता है।

2.6 **साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई):** बैंक ने उद्योग में नई पीढ़ी की साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में सर्वश्रेष्ठ बनने तथा बैंक की सुरक्षा के लिए तथा अपने कर्मचारियों और ग्राहकों में व्यापक जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने के दृष्टिकोण से सीसीओई (उत्कृष्ट साइबर सुरक्षा केंद्र) से स्थापना की है।

3. लाभ प्राप्त करने के लिए संग्रहण और भुगतान सेवाओं (सीएपीएस), पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस), क्रेडिट कार्ड व्यवसाय मॉडल तथा कार्यान्वयन में सुधार करना

समामेलन के दौरान प्रक्रियाओं के सामंजस्य और युक्तिकरण के दौरान, पूर्व कॉर्पोरेशन बैंक तथा पूर्व आन्धा बैंक के कुछ मजबूत पक्षों की पहचान की गई यथा संग्रहण और भुगतान सेवाओं (सीएपीएस), पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय। आगे कदम बढ़ाते हुए, परिचालन दक्षता और तालमेल के लिए डिजिटल समाधानों के साथ एक मजबूत और टिकाऊ व्यवसाय मॉडल बनाकर बड़े ग्राहक आधार को सेवाएं देने के लिए इन मॉडलों को नया रूप देने की आवश्यकता महसूस की गई।

संग्रहण और भुगतान प्रणाली (सीएपीएस)

एक स्थायी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए 1200 से अधिक कॉर्पोरेट ग्राहकों तथा अब तक 154 नए ग्राहकों को शामिल करते हुए संग्रहण और भुगतान प्रणाली (सीएपीएस) की बिक्री को तेजी से बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आरम्भ किया गया है। इसके अलावा, समीक्षा तंत्र के एक भाग के रूप में सीएपीएस शाखाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ट्रेकिंग टेम्पलेट को भी डिजाइन किया गया है। कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए संग्रहण और भुगतान सेवाओं के लिए एपीआई विकास आरम्भ किया गया है।

पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस)

आरम्भ से अन्त तक डिजिटलीकरण और प्रक्रियाओं के केंद्रीकरण के साथ एक स्थायी और लाभदायक पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) व्यवसाय मॉडल को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए सॉफ्ट पीओएस उत्पाद लॉन्च किया गया है जो कि व्यापारी को भुगतान के लिए कई तरीके के विकल्प (टैप टू पे, क्यूआर स्कैनिंग, एसएमएस लिंक के माध्यम से भुगतान) मूल्य वर्धित सेवाओं जैसे किराना, खाता पुस्तक आदि के साथ प्रदान करता है।

क्रेडिट कार्ड

सोर्सिंग, एनालिटिक्स-आधारित लीड जनरेशन, रिस्क प्रोफाइलिंग, अर्ली वार्निंग सिग्नल, कलेक्शन, रिकवरी, विवाद प्रबंधन और साख बढ़ाने सहित प्रक्रियाओं के आरम्भ से अन्त तक डिजिटलीकरण के साथ एक स्थायी और लाभदायक क्रेडिट कार्ड व्यवसाय मॉडल के कार्यान्वयन को डिजाइन और ड्राइव करने के लिए पहल की गई है।

पहल के तहत क्रेडिट कार्ड का नया संस्करण, यूनो-कार्बन क्रेडिट कार्ड (एचपीसीएल के साथ सह-ब्रांडेड) लॉन्च किया गया है, जिसने अच्छी अनुकिया प्रदर्शित की है। इसके अलावा पूर्व अनुमोदित क्रेडिट कार्ड (प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड) को 2 चरणों में लॉन्च किया गया है, जो 2.5% से अधिक की अच्छी रूपांतरण दर प्रदर्शित कर रहा है।

ग्राहक की ऑनबोर्डिंग यात्रा को बढ़ाने के लिए, आरम्भ से अंत तक की एसटीपी यात्रा प्रारम्भ की गई है और अखिल भारतीय स्तर पर यह यात्रा जल्द ही आरम्भ की जाएगी।

4. एमएसएमई अग्रियों के लिए छोटी, बिक्री-उन्मुख और डिजिटल शाखाओं, टच पॉइंट्स और व्यवसाय बैंकिंग शाखाओं के साथ नए शाखा मॉडल को डिजाइन करना और व्यवसाय सेवा प्रदाता (वीसी) मॉडल में सुधार करना

डिजी कनेक्ट तथा डिजी कनेक्ट प्रो आउटलेट

दीर्घकालिक तालमेल के एक भाग के रूप में, लागत को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए कमजोर शाखाओं को अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, बैंक ने परिवर्तन के प्राथमिक तरीकों में से एक के रूप में शाखा प्रारूपों को फिर से डिजाइन और डिजिटलाइज करने की पहचान की। बैंकिंग में बदलते परिदृश्य और प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ, बैंक ने “छोटी, बिक्री-उन्मुख और डिजिटल शाखाएं” खोलकर अपनी पहचान का विस्तार किया, जिन्हें डिजी-कनेक्ट और डिजी-कनेक्ट प्रो आउटलेट के रूप में नामित किया गया है।


बैंक ने अब तक पायलट आधार पर विभिन्न स्थानों पर 5 डिजी कनेक्ट प्रो आउटलेट और 1 डिजी कनेक्ट आउटलेट लॉन्च किया है। ये आउटलेट देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग शाखाएं खोलने के लिए सरकार के मार्गदर्शन के अनुरूप हैं।

यूनियन एमएसएमई प्रथम शाखाएं

यूएमएफबी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एमसीबी और आईएफबी की अनुपस्थिति में मूल्यवान एमएसएमई ग्राहकों को कुशलता से अनुकूलित सेवा प्रदान करने के साथ-साथ मध्यम और बड़े कॉर्पोरेट खातों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिजनेस बैंकिंग शाखा मॉडल को उपयुक्त रूप से संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

यूएमएफबी ग्राहकों को सहक्रियात्मक मूल्य प्रदान करने के लिए एक ही स्थान पर लाने के लिए एमएसएमई ऋण, जमा, विदेशी मुद्रा सेवाएं, साख पत्र / बैंक गारंटी, क्रेडिट कार्ड, बीमा उत्पाद आदि जैसी सभी समर्पित सेवाएं प्रदान करके एमएसएमई ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेगा। इन शाखाओं में समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर हैं जो ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करते हैं। क्षेत्र

की विशेषज्ञता के साथ क्षेत्र की एमएसएमई क्षमता का निर्धारण करने के लिए किए गए उन्नत विश्लेषण के आधार पर इन शाखाओं को खोलने के स्थान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैंक की आकांक्षा के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान पहले ही 50 यूएमएफबी खोले जा चुके हैं। ये यूएमएफबी एमएसएमई प्रस्तावों का सक्रिय रूप से संधारण कर रहे हैं।



पुनर्स्थापित व्यवसाय सेवा प्रदाता (बीसी) मॉडल

व्यवसाय सेवा प्रदाता (बीसी) चैनल को मजबूत करने के लिए व्यवसाय सेवा प्रदाता (बीसी) बिंदुओं पर परियोजना के तहत कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त सेवाओं की पहचान की गई है। इन अतिरिक्त सेवाओं में शामिल हैं-

- तृतीय पक्ष के उत्पादों के लिए पहचान सृजन
- शिशु मुद्रा ऋण जुटाने के लिए व्यवसाय सेवा प्रदाता (बीसी) की सहायता
- शाखाओं की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए स्थायी व्यवसाय सेवा प्रदाता (बीसी) केन्द्रों का आरम्भ
- एसएमए ऋणों का संग्रहण

उपरोक्त प्रक्रियाओं के लिए पायलट लॉन्च किया गया है और इसके प्रति लोगों की रुचि प्रदर्शित हो रही है। पायलट से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये नई पहल पूरे भारत में आरम्भ की जाएगी।

5. बैंक ऑफिस और मिलान प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण

समर्थ परियोजना 2.0 के अधीन, बैंक-ऑफिस परिचालन के लिए एक डिजिटल प्रक्रिया बनाने, डिजाइन करने और कार्यान्वित करने के लिए, जो वर्तमान में इस कार्य को नियमित करने के लिए बड़ी जनशक्ति को रोजगार देती है, इस मानव शक्ति को मुक्त करने और लागत के संदर्भ में परिचालन दक्षता में सुधार की पहल की गई है। इसमें निर्धारित समय (टीएटी), ट्रेकिंग क्षमताएं और परिचालन जोखिम शामिल हैं।

28 मिलान गतिविधियों और विभिन्न कार्यक्षेत्रों से 8 बैंक-ऑफिस प्रक्रियाओं को संबंधित वर्टिकल के साथ संरेखण में डिजिटलीकरण के लिए लिया गया है। सरकारी व्यवसाय वर्टिकल के लिए, उनकी विभिन्न रिपोर्टें स्वचालित की गई हैं और अब रिपोर्ट एक क्लिक पर तैयार की जा सकती है। ई-कुबेर मिलान प्रक्रिया के लिए, स्वचालन के परिणामस्वरूप समय और प्रयास की बचत हुई है।

6. संगठनात्मक संरचना का सुदृढीकरण

डिजिटलीकरण के साथ संशोधित संगठन संरचना को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप दक्षता में वृद्धि और जनशक्ति में कमी आनी चाहिए।

तदनुसार, 27 कार्यक्षेत्रों की 98 से अधिक आंतरिक गतिविधियों को डिजिटलीकरण के लिए लिया गया है। इन गतिविधियों के लिए स्पष्ट मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) और प्रक्रिया प्रवाह के साथ एक मजबूत परिचालनिक (ऑपरेटिंग) मॉडल अपनाने का सुझाव दिया गया है जिसमें संरचना की दक्षता बढ़ाने और जनशक्ति को मुक्त करने के लिए प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग शामिल है। यह स्वचालन बेहतर निर्धारित समय (टीएटी) और उन्नत अनुवर्ती तंत्र के साथ पहचानी गई गतिविधियों के लिए संभावित रूप से 70-80% मानव घंटे बचाएगा।

7. डिजाइन प्रौद्योगिकी वास्तुकला और एमएल, एआई और रोबोटिक्स प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप

बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और डिजिटल हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने प्रक्रिया के दौरान बदलते हुए परिदृश्यों को उत्साह के साथ अपनाते हुए अगले 10 वर्षों की यात्रा को ध्यान में रखते हुए डिजिटल आर्किटेक्चर के लिए एक रोड मैप बनाने की पहल की है। वर्तमान में मौजूदा एपीआई गेटवे, ईएसबी, ईएआई, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, सीबीएस, बाहरी एकीकरण, सीआरएम और बैंक के अन्य मुख्य एप्लिकेशनों की समीक्षा की है और समीक्षा के बाद कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

संगठन संरचना में परिवर्तन

संगठन की संरचना का समय-समय पर आकलन किया जाता है और शीर्ष प्रबंधन, वर्टिकल, समितियों के सुझाव के आधार पर संरचना में वांछित परिवर्तन कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा पुनर्गठन सितंबर 21 के दौरान किया गया था, जहां बेहतर समन्वय, निगरानी और वर्टिकल के और सुदृढीकरण के लिए वर्टिकल के कार्यों का पुनर्संरक्षण किया गया था।

इसके साथ ही केंद्रीकृत ऋण परिचालन बैंक-ऑफिस का गठन फिनेकल में खुलने वाले ऋण खातों और ऋण से संबंधित आवधिक डेटा प्रबंधन जैसे क्रिडिक (सीआरआईएलआईसी) कक्ष, बैंक गारंटी ई-पुष्टीकरण, सरसाई (सीआईआरएसएआई) कक्ष, एनईएसएल कक्ष और ब्याज सारणी तथा सीमा नोड रखरखाव की निगरानी के लिए किया गया है।

ग्राहक सर्वेक्षण

बीपीआर वर्टिकल ने उत्पादों, प्रक्रिया और प्रणालियों में सुधार के लिए ग्राहकों की राय के आधार पर सुझावों, प्रतिक्रिया और कार्रवाई योग्य सिफारिशों का आकलन करने के लिए समय-समय पर ग्राहक सर्वेक्षण करने की गतिविधि आरम्भ की है।


बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न सर्वेक्षण करने के लिए 5 बाजार अनुसंधान एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है और वित्तीय वर्ष के दौरान 4 सर्वेक्षण किए गए हैं:

1. ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण: हमारे ग्राहकों के संतुष्टि स्तर का आकलन करने के लिए
2. ग्राहक अनुभव सर्वेक्षण: खुदरा ऋण ग्राहकों को बैंकों के विपणन अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए।
3. ब्रांड साख(पहुँच) सर्वेक्षण: देश भर में बैंक के ब्रांड साख(पहुँच) तक का आकलन करने के लिए
4. ग्राहक निकास सर्वेक्षण: वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान अपने बचत खाते बंद करने वाले ग्राहकों के असंतोष को समझने के लिए।


इन सर्वेक्षणों से निकलने वाली अंतर्दृष्टि पर बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए कार्रवाई की जा रही है।

8. व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं:


- 8.1 31 मार्च, 2022 तक बैंक का कुल वैश्विक व्यवसाय रु. 17,48,800 करोड़ रहा।



8.2 31 मार्च, 2022 तक कुल जमा राशियां बढ़कर 10,32,392 करोड़ रुपये हो गईं। 31 मार्च, 2022 को इसमें से कासा (चालू खाता और बचत खाता) अंश 36.54% था।



8.3 31 मार्च, 2022 तक सकल अग्रिम ₹. 7,16,408 करोड़ रहा। इसमें रैम (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) क्षेत्र 31 मार्च, 2021 तक 3,51,459 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च, 2022 तक 3,84,339 करोड़ रुपये रहा। रैम क्षेत्र समग्र रूप से 9.36 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा।



8.4 31 मार्च, 2021 को ₹.18,191 करोड़ की तुलना में बैंक का विदेशी कारोबार 31 मार्च, 2022 को ₹. 17,429 करोड़ रहा। आपके बैंक की हांगकांग, डीआईएफसी (दुबई) और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में तीन विदेशी शाखाएं हैं। आपका बैंक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम में भी कार्य करता है।

9. आय और व्यय:

तालिका 1: आय और व्यय विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र	विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
1	अर्जित ब्याज	67944	68767
2	अन्य आय	12525	11744
3	कुल आय (1+2)	80469	80512
4	व्यय किया गया ब्याज	40157	44079
5	निवल ब्याज आय (1-4)	27786	24688
6	परिचालन व्यय	18438	16766
	जिसमें से स्थापना व्यय	10115	9284
7	कुल व्यय	58596	60845
8	परिचालन लाभ (3-7)	21873	19667
9	प्रावधान	16641	16761
10	निवल लाभ (हानि)	5232	2906
11	प्रति शेयर आय (₹ में)	7.73	4.54


10. लाभप्रदता और दक्षता:

10.1 आपके बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2020-21 में 19,667 करोड़ रुपये के सापेक्ष वित्त वर्ष 2021-22 में 21,873 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

10.2 वित्त वर्ष 2021-22 में बैंक का निवल लाभ 5,232 करोड़ रुपये रहा।

10.3 आपके बैंक का लागत-से-आय अनुपात वित्त वर्ष 2021-22 में 45.74% रहा।

आय अनुपात पर लागत (%)



10.4 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, औसत संपत्ति पर प्रतिलाभ 0.47% रहा, जबकि इक्विटी पर प्रतिलाभ 10.11% रहा.

तालिका 2: दक्षता अनुपात

मानदंड (%)	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
	2021-22	2020-21
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.47	0.27
इक्विटी पर प्रतिलाभ	10.11	6.68

10.5 वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु बैंक के प्रमुख उत्पादकता अनुपात निम्नानुसार हैं.

तालिका 3: उत्पादकता अनुपात


मानदंड (%)	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
	2021-22	2020-21
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (करोड़ रुपये में)	23.26	20.17
व्यापार प्रति शाखा (रु. करोड़ में)	198.91	169.35
प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु. लाख में)	29.09	25.15

10.6 लाभांश:

बैंक के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रु. 10 अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी हेतु 1.90 रुपये के लाभांश की संस्तुति की है.


11. शेयरधारकों को प्रतिलाभ:

11.1 31 मार्च, 2022 तक बैंक की कुल संपत्ति रु. 51,765 करोड़ रही.




12. आस्ति गुणवत्ता:

12.1 31 मार्च, 2022 तक बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) 79,587 करोड़ रुपये रही. 31 मार्च, 2022 तक सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए 11.11% रहा.



12.2 31 मार्च, 2022 तक बैंक का शुद्ध एनपीए 24,303 करोड़ रुपये रहा तथा 31 मार्च, 2022 को शुद्ध एनपीए अनुपात 3.68% रहा.



13. पूंजी पर्याप्तता :

- 13.1 31 मार्च, 2022 को बासल III मानदंडों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.52% रहा. मार्च 2022 को बैंक की सामान्य इक्विटी टियर I (सीईटी I) पूंजी 10.63% रही.

तालिका 4: पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासल III
(₹ करोड़ में)

मानदंड	भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम बेंचमार्क 31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
कुल जोखिम भारित आस्तियां	लागू नहीं	545,923	5,51,521
कुल पूंजीगत निधि		79,281	69,263
सीईटी 1 पूंजी		58,049	50,001
टियर 1 पूंजी		66,589	57,091
सीआरएआर (%)		11.50	14.52
सीईटी 1 (%)	8.00	10.63	9.07
टियर 1 (%)	9.50	12.20	10.35
टियर 2 (%)	लागू नहीं	2.32	2.21

13.2 बैंक द्वारा जुटाई गई पूंजी

बैंक ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट के तहत 42,79,03,111 इक्विटी शेयरों के आबंटन पर ₹ 1,447.17 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई है.

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने बासल III के अनुरूप 5000 करोड़ रुपये के टियर 1 बॉन्ड और 2000 करोड़ रुपये के टियर II बॉन्ड जारी और आवंटित किए हैं.

14. नेटवर्क

31 मार्च, 2022 तक आपके बैंक का शाखा नेटवर्क 8870 शाखाओं और 3 विदेशी शाखाओं (हांगकांग, सिडनी, दुबई) के साथ पूरे देश में फैला हुआ है. इनमें से 57 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं.

15. पुरस्कार एवं उपलब्धियां :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपके बैंक को डिजिटलीकरण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन प्रबंधन, ग्राहक सेवा आदि के क्षेत्र में की गई अपनी नई पहलों के लिए विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए:

पुरस्कार	श्रेणी	वर्ष
अपैक्स एचआर एंड बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020	इंडिया सर्वश्रेष्ठ कौशल मानव संसाधन ओरिएंटेड सीईओ पुरस्कार 2020	अप्रैल-21
ईटी महिलाओं के लिए काम करने के लिए सर्वोत्तम स्थान 2021	ईटी महिलाओं के लिए काम करने के लिए सर्वोत्तम स्थान 2021	मई-21
गोल्डन पीकॉक	मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार - 2020	जून-21
संवर्धित पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता (ईज) 3.0 सुधार	शासन और परिणाम केंद्रित मानव संसाधन वित्तीय समावेशन और ग्राहक सुरक्षा का गहन विस्तार स्मार्ट लेंडिंग तकनीक में सक्षम सहज बैंकिंग में आसानी सर्वश्रेष्ठ सुधार श्रेणी संवर्धित पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता (ईज) सुधार सूचकांक पुरस्कार 2021	अगस्त-21
राजभाषा पुरस्कार	कीर्ति 2019-20 के लिए हिंदी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक श्रेणी में प्रथम पुरस्कार 2020-21 के लिए हिंदी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक श्रेणी में तीसरा पुरस्कार 2018-19 के लिए "यूनियन सृजन" के लिए गृह पत्रिका श्रेणी में दूसरा पुरस्कार 2018-19 के लिए "राजभाषा सरिता" के लिए गृह पत्रिका श्रेणी में दूसरा पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) विशाखापत्तनम को द्वितीय पुरस्कार	सितम्बर-21

पुरस्कार	श्रेणी	वर्ष
डिजिटल भुगतान लेनदेन के उच्चतम प्रतिशत के लिए पुरस्कार	डिजिटल भुगतान उत्सव	दिसंबर-21
इंफोसिस फिनेकल नवाचार पुरस्कार 2021	प्रक्रिया में नवाचार श्रेणी में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मैनेजमेंट	जनवरी -22
आईडीसी उद्योग नवाचार पुरस्कार	परिचालन में नवाचार श्रेणी में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मैनेजमेंट.	जनवरी -22

16. सोशल मीडिया:

आपका बैंक सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंकडइन पर अपने आधिकारिक हैंडल के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है। उपयोगकर्ता वार्ता सत्र, ग्राहक सेवा, प्रतियोगिता, एड्यूकेशन पोस्ट/वीडियो, ऑनलाइन कार्यक्रम आदि के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल रहे। उपयोगकर्ता इंटरैक्शन का उपयोग ब्रांड संबंध में धारणाओं को समझने और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यावसायिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी समझ प्राप्त करने के लिए करता है।

आपका बैंक सोशल मीडिया के माध्यम से किफ़ायती ब्रांड प्रचार पर फला-फूला है और ग्राहकों को उत्पादों, सेवाओं और ऑफ़र के बारे में जागरूक करते हुए आकर्षक स्थिर / वीडियो पोस्ट के साथ गतिशील सामग्री पोस्ट की है। साइबर सुरक्षा पर पोस्ट के माध्यम से जागरूकता भी पैदा की गई, ग्राहकों से धोखाधड़ी, साइबर घोटाले और अन्य सामाजिक इंजीनियरिंग, सामाजिक कारणों, व्यक्तियों को याद रखने, महत्वपूर्ण दिनों / घटनाओं आदि के बारे में जागरूक होने का आग्रह किया गया।

आपका बैंक सभी हैंडल पर 365x24x7 उपलब्ध है जो बहुत ही संवेदनशील हैं और तुरंत उत्तर देते हैं। पिछले वर्ष में, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के 1.37 लाख प्रश्नों का उत्तर दिया गया, जिससे समय पर मार्गदर्शन, उचित पुनर्निर्देशन और शिकायत निवारण सुनिश्चित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को संतुष्टि प्राप्त हुई। 399.13 लाख इंप्रेसन और 14.17 लाख जुड़ाव के साथ आपके बैंक ब्रांड को जनता ने खूब सराहा।

आपके बैंक के पास सोशल मीडिया उपस्थिति पर एक विशाल अनुयायी आधार है जो 31 मार्च 2022 तक बढ़कर 24.33 लाख हो गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 19.51 लाख था, जो वर्ष-दर-वर्ष 24.06% की वृद्धि को दर्शाता है।

आपका बैंक लगातार मौजूदा या नए उत्पादों के बारे में समग्र भावना को आंक रहा है, नई पहलुओं, ग्राहक रुचि के बारे में प्रतिक्रिया एकत्र कर रहा है जिससे उत्पाद पेशकशों और प्रदान की जानेवाली सेवाओं में ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

आपके बैंक ने सोशल मीडिया हैंडल पर 100 से अधिक डिजिटल मार्केटिंग अभियान चलाए हैं और Google Ads पर लक्षित विज्ञापन अभियान चलाए हैं, जो उत्पादों / सेवाओं / प्रस्तावों पर अधिकतम पहुंच के लिए एक माहौल पैदा कर रहे हैं और बेहतर खोज इंजन दृश्यता वर्धित वेबसाइट ट्रैफ़िक के साथ नए ग्राहकों को शामिल कर रहे हैं।

आपके बैंक ने मेक माई ट्रिप, स्विगी, जोमैटो, बुक माई शो, अपोलो फार्मसी आदि जैसे प्रमुख बाजार के खिलाड़ियों के साथ आतिथ्य, मनोरंजन और स्वास्थ्य क्षेत्रों में ई-कॉमर्स व्यापार गठजोड़ किया है और कार्ड धारकों को कैशलेस भुगतान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है जिससे डिजिटल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़े रहें।

17. बैंक के बोर्ड में निदेशकों में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आपके बैंक के निदेशक मण्डल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- श्री लक्ष्मण एस. उप्पर को 21 मार्च, 2022 को बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री निधु सक्सेना को 1 फरवरी, 2022 को बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री गोपाल सिंह गुसाई, कार्यपालक निदेशक ने 31 जनवरी, 2021 को अधिवर्षिता पर कार्यालय में अपना कार्यकाल पूरा किया।
- श्री सूरज श्रीवास्तव को 21 दिसंबर, 2021 को बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री समीर शुक्ला को 08 नवंबर, 2021 को बैंक के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री रजनीश कर्नाटक को 21 अक्टूबर, 2021 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री दिनेश कुमार गर्ग ने 30 सितंबर, 2021 को अधिवर्षिता पर कार्यालय में अपना कार्यकाल पूरा किया।

18. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा बनाते समय निम्न तथ्यों की पुष्टि की गई है :

- सामग्री प्रस्थान, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ प्रभावी लेखा मानकों का पालन किया गया।
- लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें निरन्तर प्रभावी और निर्णीत किया गया है तथा जो अनुमान लगाए गए हैं वे उचित और विवेकपूर्ण हैं, जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए बैंक के लाभ -हानि के बारे में सही और निष्पक्ष स्वरूप दिया जा सके।
- बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त खाता अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- वार्षिक खाते एक निरन्तर मामलों के आधार पर तैयार किए गए।
- बैंक द्वारा पालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए एवं इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्यशील थे। स्पष्टीकरण इस उपबंध के उद्देश्य के लिए, "आंतरिक वित्तीय विवरणियां" शब्द का अर्थ बैंक द्वारा अपने व्यवसाय को व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है, जिसमें बैंक की नीतियों का अनुपालन, अपनी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं गलतियों की रोकथाम और उनका पता लगाना, लेखाबहियों के रिकॉर्ड की शुद्धता, पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय पर तैयार करना शामिल है।
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां मौजूद और पर्याप्त रही और ऐसी प्रणालियां प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

19. कॉर्पोरेट प्रशासन

बैंक का बोर्ड उचित कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वार्षिक रिपोर्ट के एक अलग खंड में कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट लेखा परीक्षा के पात्र नहीं है।

20. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

20.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अग्रणी रहा है। इसी प्रयास में बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) में अपने योगदान को अधिकतम बनाने के लिए वर्ष 2006 में यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी) की स्थापना की है। बैंक की प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियां अब यूबीएसएफटी के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। इसके बोर्ड की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाती है, जिसमें कार्यपालक निदेशक इसके उपाध्यक्ष न्यासी (ट्रस्टी) होते हैं, अन्य न्यासियों (ट्रस्टियों) में बैंक के महाप्रबंधक और एक स्वतंत्र न्यासी (ट्रस्टी) शामिल होते हैं। यूबीएसएफटी बोर्ड बैंक के लक्षित क्षेत्रों के अनुसार दिशा-निर्देश प्रदान करता है और प्रत्येक तिमाही इसकी समीक्षा करता है। बोर्ड के निर्देशों का पालन यूबीएसएफटी के मुख्य कार्यपालक द्वारा किया जाता है। यूबीएसएफटी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलुरु में है, जबकि प्रशासनिक कार्यालय मुंबई में स्थित है।

20.2 बैंक/यूबीएसएफटी द्वारा 2021-22 के दौरान कार्यान्वित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियां

यूबीएसएफटी ने वर्ष 2021-22 के दौरान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, कौशल विकास आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 547.36 लाख रुपये की 28 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बैंक / यूबीएसएफटी द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

- बैंकर्स ग्रामीण और उद्यमिता विकास संस्थान, हैदराबाद को राजस्व व्यय के सहभाजन हेतु 26.80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- स्वर्ण भारत- सोमा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, वेंकटचलम को राजस्व व्यय के सहभाजन हेतु 39.73 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- एसबीटी-एमआरजीआई कौशल विकास संस्थान, मुचितल को राजस्व व्यय के सहभाजन हेतु 9.75 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- कॉर्पोरेशन बैंक सेंटेनरी सार्वजनिक पुस्तकालय, मंगलोर को पुस्तकालय के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए 25.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

- कॉरपोरेशन बैंक हेरिटेज संग्रहालय, उडुपी को संग्रहालय के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए 17.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- जिला अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन उडुपी का समर्थन देते हुए COVID 19 रोगियों के इलाज के लिए 46.25 लाख दिए गए।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रांची को मरीजों के आवागमन हेतु एम्बुलेंस खरीदने के लिए का 19.21 लाख की राशि स्वीकृत की गई।
- सेंट एलॉयसियस कॉलेज, मंगलुरु को शैक्षिक अनुसंधान उपकरणों की खरीद के लिए मैंगलोर जेसुइट एजुकेशन सोसाइटी को 25.00 लाख का सहायता राशि प्रदान की गई।
- किंग जॉर्ज अस्पताल, विशाखापट्टनम को एक डॉपलर मशीन खरीदने हेतु 29.50 लाख सहायता राशि प्रदान की गई।
- मंगलागिरी, विजयवाड़ा में स्कूलों को भोजन वितरण (मध्याह्न भोजन योजना) के समर्थन के लिए दो खाद्य वितरण वाहनों (कस्टम निर्मित) की खरीदी के लिए अक्षयपात्र फाउंडेशन, बैंगलोर को 23,36,320/- रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।
- सरस्वती एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, मेघालय को सरस्वती विद्या मंदिर, कोंगोंग में 3 क्लास रूम के निर्माण के लिए 24.00 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
- श्रद्धा फाउंडेशन मुंबई को कैसर मरीजों के उनके आश्रय से एम्स भुवनेश्वर तक परिवहन के लिए एक मिनी बस की खरीदी हेतु 20.90 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई।

- देवभूमि शिक्षा प्रसार समिति, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर को उनके फार्मसी कॉलेज में बहुउद्देश्यीय हॉल के निर्माण के लिए 20.00 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई।

21. आभार:

- 21.1 निदेशक मण्डल शेयरधारकों, सम्मानित ग्राहकों, शुभचिंतकों, शेयर अंतरण एजेंट तथा भारत और विदेशों में स्थित बैंक के संवाददाताओं को उनकी सद्भावना, संरक्षण और समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।
- 21.2 निदेशक मण्डल, बैंक के काम-काज सुचारु रूप से चलाने के लिए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, बीएसई, एनएसई, वित्तीय संस्थाओं, संवाददाता बैंक तथा बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान और सामयिक परामर्श, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है।
- 21.3 निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन में स्टाफ सदस्यों की समर्पित सेवा तथा उनके बहुमूल्य योगदान की सराहना करता है और बैंक के कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति में इसी प्रकार उनके निरंतर सहयोग की आशा करता है।
- 21.4 निदेशक मण्डल सभी स्टाफ सदस्यों के सुरक्षित, स्वस्थ और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

(राजकिरण रे. जी)

स्थान : मुंबई

(राजकिरण रे. जी)

दिनांक: 30.05.2022

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Personal
Loan in only

6
Clicks!



Get Pre-Approved Personal Loan up to ₹ 5.00 lakh
in 30 seconds and in just 6 clicks

- No Documentation or Branch Visits • Zero Processing Fee • No Prepayment Penalty
- Flexibility to choose the EMI period and date as per customer's convenience

*Conditions Apply



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India



Contact us: 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555 | www.unionbankofindia.co.in

Do not share your internet banking details, such as User Id / password or your credit/debit card number /CVV/OTP with anyone – either over phone or through email.

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

1 वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वैश्विक आर्थिक संभावनाएं काफी कमजोर हो गई हैं, ओमिक्रोन लहर, लंबे समय तक वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान, लगातार कंटेनर की कमी, प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एसई) में अपने केंद्रीय बैंकों को मजबूर करने वाली घटनाओं के अनुक्रम के साथ वैश्विक आर्थिक संभावनाएं काफी कमजोर हो गई हैं। मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की गति को तेज करने के लिए और हाल ही में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों से लगातार वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों, उच्च ऊर्जा और इनपुट कीमतों के बीच और सख्त श्रम बाजार, बढ़े हुए वैश्विक वित्तीय और क्रेडिट बाजार की अस्थिरता की आशंका किसी तूफान में एक साथ आती है। आपूर्ति में व्यवधान, प्रतिबंधित कार्यबल की भागीदारी, वायरस के नए प्रकारों से जोखिम और रूस-यूक्रेन युद्ध वैश्विक विकास दृष्टिकोण को हतोत्साहित करने के रूप में उभरे हैं।

1.2 मार्च मध्य से ब्रेट कूड की कीमतें यूएस \$ 100-120 के आस पास रही हैं, जो भारत की आर्थिक संभावनाओं के लिए सबसे बड़ा जोखिम है और वैश्विक सुधार को भी जोखिम में डाल रहे हैं। मार्च 2022 के दौरान वैश्विक खाद्य कीमतें सर्वकालिक उच्च स्तर पर थीं और संभावित आपूर्ति व्यवधानों को देखते हुए इसके और बढ़ने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति के लगातार बने रहने व्यापक-आधारित और लक्ष्यों से ऊपर रहने के कारण प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) ने अपनी अति-समायोज्य मौद्रिक नीतियों को समाप्त करने की गति को तेज कर दिया। 2021 से कई उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) सख्त रुख में हैं और अनेक का इनका अनुसरण करने की उम्मीद है। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में सॉवरेन बांड का प्रतिफल नीतिगत दरों के तेजी से सख्ती की प्रत्याशा में काफी हद तक कम हुए हैं। इन घटनाक्रमों के जवाब में मुद्रा बाजार अत्यधिक अस्थिर हो गए हैं, सुरक्षा को ध्यान में रखने के कारण अमेरिकी डॉलर सूचकांक अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

1.3 वैश्विक वित्तीय बाजार काफी हद तक उत्साहित रहे, हालांकि त्वरित सामान्यीकरण की दिशा में नीतिगत सुधार ने क्यू4:2021 में तेज बदलाव किए। हालांकि, क्यू1:2022 में भू-राजनीतिक तनाव केंद्र में रहे जो लंबे समय तक चले। कुछ ईई और ईएमई के शेयर बाजारों ने सितंबर में नई ऊंचाइयों को छुआ लेकिन बाद में अधिकांश देशों में गिरावट देखी गयी। ईएमई के वित्तीय बाजारों में, 2013 के विपरीत, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा प्रभावी मार्गदर्शन के बावजूद क्यू3:2021 में कोई बड़ा सुधार परिवर्तन नहीं हुआ। अधिकांश ईई और कुछ ईएमई में इक्विटी बाजार, क्यू4:2021

के लचीलेपन को कम करते हुए और मार्च के मध्य से कुछ बेहतर प्रदर्शन से क्यू1:2022 की अधिकांश अवधि में निचले स्तर पर चले गए। युद्ध शुरू होने के बाद रूसी स्टॉक में 30% से अधिक की गिरावट आयी जिसके बाद लगभग एक महीने के लिए 24 मार्च से शुरू होने से पहले ट्रेडिंग रोक दी गई। अधिकांश अन्य ईएमई बाजारों के लिए, रुक-रुक कर शांति वार्ता से मार्च के मध्य से विश्वास पुनर्जीवित किया, जिसके परिणामस्वरूप मामूली वृद्धि हुई।

1.4 प्रमुख ईई में बॉन्ड आय व्यापक रूप से क्यू4:2021 में बढ़ी, क्योंकि निवेशक लंबे समय तक मुद्रास्फीति जोखिमों से जूझ रहे थे और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक निभाव को वापस ले लिया गया था। वक्र के सामने के छोर पर विशेष रूप से वृद्धि तेज थी। परिणामस्वरूप, प्रतिफल वक्र (10-वर्ष के सापेक्ष 2-वर्ष) जो सितंबर तक बढ़ रहा था, क्यू4 के बाद घटता गया। हालांकि, दिसंबर के मध्य से बॉन्ड प्रतिफल में महत्वपूर्ण बढ़त, फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में सुरक्षा केंद्रित होने के कारण कुछ समय के लिए धराशाई हो गई। इसके बाद यूएस फेड के त्वरित संकेतों के जवाब में बॉन्ड प्रतिफल में अधिक बढ़त आयी। फेड्स हॉकिंग के विवरणों और सुरक्षित आश्रय की मांग के कारण अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जबकि ईएमई की मुद्रा मार्च के मध्य तक व्यापक रूप से कमजोर हो गयी।

1.5 अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में, आईएमएफ ने वैश्विक विकास को 2021 में अनुमानित 6.1% से 2022 और 2023 में 3.6% तक धीमा होने का अनुमान लगाया है। यह जनवरी के अनुमान की तुलना में 2022 और 2023 के लिए 0.8 और 0.2 प्रतिशत अंक कम है। 2023 के बाद, मध्यम अवधि में वैश्विक विकास दर घटकर लगभग 3.3% रह जाने का अनुमान है। युद्ध से प्रेरित क्रेडिट की कीमतों में वृद्धि और कीमतों के दबाव के कारण 2022 में ईई में मुद्रास्फीति का अनुमान 5.7% और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 8.7% है, पिछले जनवरी के अनुमान से 1.8 और 2.8 प्रतिशत अंक अधिक है।

1.6 मार्च में, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ने 2022 के लिए वैश्विक विकास दर 2.6% रहने का अनुमान लगाया, जो अक्टूबर 2021 के आकलन से 100 बीपीएस कम है। विश्व बैंक ने भी अपने वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर 3.2% कर दिया है। मानवीय संकट, आर्थिक विखंडन को रोकने, वैश्विक तरलता बनाए रखने, ऋण संकट का प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन से निपटने और महामारी को समाप्त करने के लिए बहुपक्षीय प्रयास आवश्यक हैं।

2. घरेलू अर्थव्यवस्था

- 2.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2021-22 में 8.9% बढ़ी। वित्त वर्ष 2022 में स्थिर मूल्य पर वास्तविक जीडीपी (2011-12) में 147.72 लाख करोड़ रुपये का स्तर पर पहुंचने का अनुमान है जो कि पूर्व वित्त वर्ष 2021 में 135.58 लाख करोड़ था। वित्त वर्ष 2022 में मौजूदा कीमतों पर जीडीपी 236.44 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2021 में 198.01 लाख करोड़ रुपये था। यह 19.4% की वृद्धि दर दर्शाता है। हालाँकि, निजी खपत और निश्चित निवेश कम रहे, यह दो घटक क्रमशः केवल 1.2% और 2.6%, उनके महामारी-पूर्व के स्तर से ऊपर हैं। आपूर्ति पक्ष पर, संपर्क-गहन सेवाएं अभी भी 2019-20 के स्तर से पीछे हैं। घटते संक्रमण और प्रतिबंधों को हटाने के बीच कुछ संपर्क गहन गतिविधियों ने फिर से गति पकड़ ली है। कई उच्च आवृत्ति संकेतकों ने फरवरी-मार्च के दौरान वर्ष दर वर्ष मजबूत विस्तार दर्ज किया है। विनिर्माण और सेवाएं दोनों ही पीएमआई के विस्तार के क्षेत्र बने हुए हैं। मार्च में विनिर्माण पीएमआई में थोड़ी कमी आई है, सेवाएँ और कंपोजिट में सुधार दिखा। विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग क्यू3: वित्त वर्ष 2022 में 72.4% तक पहुंच गया, जो पिछली तिमाही में 68.3% था, जो क्यू4: वित्त वर्ष 2020 में महामारी-पूर्व स्तर 69.9% को पार कर गया।
- 2.2 क्यू1: वित्त वर्ष 2022 में दूसरी लहर से आर्थिक गति प्रभावित हुई। प्रतिबंधित लॉकडाउन और संक्रमण से निपटने में फर्मों और व्यक्तियों दोनों के बढ़ते लचीलेपन ने आर्थिक प्रभाव की गंभीरता को कम कर दिया – दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव पहली लहर का लगभग एक तिहाई रहने का अनुमान है। आर्थिक गतिविधि, जो दूसरी लहर के उतार-चढ़ाव के साथ क्यू2 : वित्त वर्ष 22 (जुलाई-सितंबर) में मजबूती प्राप्त की, क्यू3: वित्त वर्ष 22 के बाद से गति कम हुई है, क्यू4 में ओमिक्रोन के संक्रमण के प्रसार से तेज हो गया है। दूसरी लहर के बावजूद, 2021-22 में अर्थव्यवस्था में विकास उल्लेखनीय रहा है, जिसमें कुल मांग के सभी घटक एच2: वित्त वर्ष 22 में महामारी-पूर्व के स्तर को पार कर गया है। हालाँकि, 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद, महामारी-पूर्व स्तर से केवल 1.8% ऊपर रहने का अनुमान है, जो दो वर्षों में कम वृद्धि को दर्शाता है।
- 2.3 संक्रमण के तेजी से गिरावट के लाभकारी प्रभाव, हालाँकि, फरवरी 2022 से भू-राजनीतिक संघर्ष से अभिभूत हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति फरवरी 2022 में ऊपरी सहिष्णुता सीमा से ऊपर चली गई क्योंकि प्रतिकूल आधार व आपूर्ति संघर्ष की शुरुआत के प्रभाव के साथ होने से बढ़े। जबकि भारत का प्रत्यक्ष व्यापार और वित्तीय जोखिम मामूली है, धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था से अप्रत्यक्ष फैलाव, बोर्ड पर कमोडिटी की

कीमतों में तेज उछाल और भू-राजनीतिक विकास के कारण उत्पन्न जोखिम और अनिश्चितता दृष्टिकोण पर भारी पड़ता है।

- 2.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2022-23 में भारत के लिए 8.2% विकास दर का अनुमान लगाया, जिसमें कि जनवरी के अनुमान से 0.8 प्रतिशत अंक की कमी है। 2023-24 के लिए, आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.9% बढ़ने का अनुमान लगाया, जबकि विश्व बैंक के अनुसार यह 7.1% रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2022-23 के लिए 7.2% की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया है, क्यू1 में 16.2%, क्यू2 में 6.2%, क्यू3 में 4.1% और क्यू4 में 4.0% की वृद्धि के साथ 2022-23 के दौरान कच्चे तेल (भारतीय समूह) को 100 अमेरिकी \$ प्रति बैरल माना गया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण से प्रेरित वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव, संवर्धित आपूर्ति व्यवधान के साथ कुछ प्रमुख देशों में नए कोविड-19 संक्रमण और सेमी-कंडक्टर और चिप जैसे महत्वपूर्ण निविष्ट सामग्री की दीर्घकालिक कमी, दृष्टिकोण में नकारात्मक जोखिम पैदा करती हैं।
- 2.5 इससे आगे, सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान, कृषि और कृषि अर्थव्यवस्था का लचीलापन और 2022-23 के केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देकर निरंतर उच्च विकास प्राप्त करने के लिए उत्पादक क्षमता, निजी निवेश में प्रतिस्पर्धा और कुल मांग को मजबूत करने में आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है। कोविड-पूर्व मंदी का मुकाबला करने के लिए शुरू किए गए सुधारों के साथ किए अन्य उपाय लाभ से अर्थव्यवस्था को एक स्थायी उच्च विकास पथ पर लाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

3 मूल्य परिदृश्य

- 3.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 में, वैश्विक मुद्रास्फीति कई दशकों के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) में लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार आपूर्ति तंत्र में बाधाओं, कमोडिटी की उच्च कीमतों और बढ़ते वेतन दबाव के लागत दबाव से सभी अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। टिकाऊ वस्तुओं में कीमतों में दबाव के साथ उच्च ऊर्जा और खाद्य लागत ईई में मुद्रास्फीति के प्रमुख चालक थे। हालाँकि अधिकांश ईएमई के लिए मुद्रास्फीति अनिवार्य रूप से आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती को देखते हुए आपूर्ति झटकों के साथ मांग आधारित दबाव अपेक्षाकृत कमजोर बना हुआ है।
- 3.2 घरेलू अर्थव्यवस्था में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई मुख्य मुद्रास्फीति, वित्त वर्ष 2021-22 में लगातार तीन महीनों के लिए आरबीआई के 6% के ऊपरी मार्जिन से अधिक चल रही थी, जो मार्च 2022 में 6.95% के शिखर पर पहुंचा।

विकसित देशों में जहां बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन ने भी कीमतों को बढ़ाने में योगदान दिया है, भारत की मुद्रास्फीति बड़े पैमाने पर बाहरी आपूर्ति झटके के माध्यम से आयात हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 में, मुद्रास्फीति का दबाव बड़े पैमाने पर खाद्य से आया, जबकि ईंधन की मुद्रास्फीति काफी मामूली थी। वित्त वर्ष 2021-22 में, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से नए चालक के रूप में उभरी। हालांकि, खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट ने इसे बदल दिया, इसलिए वित्त वर्ष 2021-22 में कुल मुद्रास्फीति 5.5% थी, जो वित्त वर्ष 2020-21 की 6.2% की तुलना में कम थी।

- 3.3 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मूल मुद्रास्फीति ज्यादा बनी रही, जो 6.0% की ऊपरी सहनशील सीमा के करीब रही, क्योंकि लागत अर्जित दबाव ने विनिर्माण और सेवाओं दोनों को प्रभावित किया। यह वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड-पूर्व अवधि की तुलना में स्थायी और अधिक था, जो एक वर्ष पूर्व की तुलना में काफी कम अस्थिरता के साथ उच्च मूल्य दबाव के साथ अस्तित्व में था। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी छमाही के दौरान मुख्य मुद्रास्फीति दबाव का एक प्रमुख कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें रही हैं।

4. शेयर बाजार का निष्पादन

- 4.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों के लिए अत्यधिक अस्थिर था, इसमें विशेष रूप से कोविड -19 जैसी घटनाओं के कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की चिंता और अन्य के लिए रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष रहा।
- 4.2 वित्त वर्ष 2021-22 में बेंचमार्क इंडेक्स, बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्रमशः 18.29% और 18.88% बढ़े। एच1: वित्त वर्ष 22 में घरेलू इक्विटी बाजार ने दूसरी लहर के बाद आर्थिक गतिविधियों के स्वतः सामान्यीकरण, मजबूत कॉर्पोरेट आय, और टीकाकरण अभियान में तेजी के बाद नई ऊंचाइयों को छुआ। वित्त वर्ष 22 की दूसरी छमाही में सेंसेक्स 19.4% बढ़कर 30 सितंबर, 2021 को 59,126 पर बंद हुआ। इक्विटी बाजारों में एच2: वित्त वर्ष 22 में कोविड -19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के प्रकोप से उत्पन्न उच्च अस्थिरता, वैश्विक केंद्रीय बैंकों में सख्त मौद्रिक नीति, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच मामूली सुधार हुआ। फरवरी के दूसरे आधे भाग में और मार्च 2022 की शुरुआत में यूक्रेन-रूस तनाव के कारण घरेलू इक्विटी में तेज बिकवाली देखी गई, लेकिन मार्च के उत्तरार्ध में इसमें सुधार हुआ। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स एच2: वित्त वर्ष 22 में 0.9% की गिरावट के साथ 31 मार्च, 2022 को 58,569 पर बंद हुआ।

5 प्रतिफल प्रवाह :

- 5.1 वित्त वर्ष 22 की प्रथम छमाही के दौरान, कर्ब के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए अनेक उपायों की सहायता से 10-वर्षीय जी-सेक आय में 11 बीपीएस की कमी आयी।
- क्यू1: वित्त वर्ष 22 के दौरान 10-वर्ष का प्रतिफल सीमाबद्ध रहा। क्यू2 में 10-वर्षीय प्रतिफल शुरू में 15 जुलाई, 2021 को घटकर 6.13% हो गया, जो जून के लिए अपेक्षित सीपीआई मुद्रास्फीति प्रिंट से कम था और एक नया 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति 6.10% के कूपन पर जारी किया गया। जबकि प्रतिफल का औसत स्तर 3 बीपीएस से कम हुआ, जो स्लोप एच1: वित्त वर्ष 22 के दौरान 28 बीपीएस बढ़ा। अल्प अवधि आय पॉलिसी दर के आस पास टिकी रही, जबकि दीर्घावधि आय मुद्रास्फीति की समस्याओं और सरकारी उधार कार्यक्रम के आकार को दर्शाती है। ऋण समेकन की सुविधा के लिए, रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार की ओर से वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही के दौरान 31,907 करोड़ रुपये की राशि के छह स्विच ऑपरेशन किए। एच2: वित्त वर्ष 22 के दौरान, वैश्विक और घरेलू कारकों को दर्शाते हुए, 10-वर्षीय जी-सेक आय 63 बीपीएस अंक बढ़ गयी। तीसरी तिमाही के दौरान इसमें 24 बीपीएस की वृद्धि हुई, जो अमेरिका सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, घरेलू मुद्रास्फीति और सरकारी बॉन्ड आय में वृद्धि से प्रेरित थी। क्यू4 में, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों की अपेक्षा से अधिक सांकेतिक कलेंडर बाजार उधारी, केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्र द्वारा नियोजित बाजार उधारी और यूएस प्रतिफल में वृद्धि, बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के बीच बेंचमार्क प्रतिफल 39 बीपीएस और बढ़ गयी। प्राथमिक बाजार खंड के छोटे भाग पर, टी-बिल की आय प्रतिफल को प्रभावी रिवर्स रेपो दर में वृद्धि के साथ तालमेल बिठाया। बढ़ती आय और बढ़ी हुई अनिश्चितता के बीच एच2: वित्त वर्ष 22 में जी-सेक और टी-बिल दोनों में औसत व्यापार मात्रा में कमी आयी। एच2 के दौरान आय के औसत स्तर में 38 बीपीएस की वृद्धि हुई। ऋण समेकन की सुविधा के लिए, रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार की ओर से एच2: वित्त वर्ष 22 के दौरान 1.7 लाख करोड़ रुपये की राशि के पांच स्विच ऑपरेशन संचालित किए। जी-सेक प्रतिफल पर नज़र रखते हुए, कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल में एच1: वित्त वर्ष 22 के दौरान कमी आयी, जबकि जोखिम प्रीमियम (जी-सेक प्रतिफल की तुलनीय परिपक्वता के) ने मिश्रित रुख प्रदर्शित किया। हालांकि, एच2: वित्त वर्ष 22 के दौरान प्रतिफल में अधिक वृद्धि हुई और नए निर्गमों में नरमी के बीच जोखिम प्रीमियम कम हुआ।

6 बाहरी क्षेत्र

- 6.1 भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में यूएस \$417.8 अरब का सर्वकालिक उच्च वार्षिक व्यापार निर्यात प्राप्त किया, यह वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 43.2% अधिक है जो विश्व अर्थव्यवस्था में एक उलटफेर और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक मांग के पुनरुत्थान से आंशिक रूप से लाभान्वित हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में वाणिज्य आयात भी तेजी से बढ़कर यूएस \$ 610.22 अरब हो गया, जो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 54.7% अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 में निर्यात और आयात दोनों के नए शिखर पर बढ़ने से भारत के वार्षिक वाणिज्यिक व्यापार ने पहली बार 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार किया है। हालांकि, निर्यात की तुलना में आयात में तेज वृद्धि ने व्यापारिक आधार पर घाटे को काफी बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल वाणिज्यिक व्यापार घाटा यूएस \$192.4 अरब रहा।
- 6.2 2021-22 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) द्वारा समर्थित शुद्ध पूंजी प्रवाह मजबूत रहा। एच1: वित्त वर्ष 22, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) 8326 करोड़ रुपये के निवल खरीदार थे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की निवल खरीद 47,763 करोड़ रुपये थी। यूएस फेड द्वारा अपेक्षा से अधिक तेज गति से सामान्यीकरण से, यूएस ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि और रूस-यूक्रेन के आसपास बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षित पनाहगाह की ओर बढ़ने की आशंकाओं ने एच2: वित्त वर्ष 22 में एफपीआई द्वारा घरेलू इक्विटी बाजार से 1.38 लाख करोड़ रुपये की बिक्री शुरू कर दी। हालांकि, यह बिक्री डीआईआई द्वारा खरीद से रु 1.64 लाख करोड़ अधिक थी।
- 6.3 विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपये ने दोतरफा प्रदर्शन किया, और औसत आधार पर मूल्यहास हुआ। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, रुपये की गति ने एफपीआई प्रवाह, कच्चे तेल की कीमतों, मजबूत अमेरिकी डॉलर, यूएस फेड और अन्य प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्रत्याशित मौद्रिक नीति सामान्यीकरण की तुलना में तेजी से बाजार की उम्मीदों में वृद्धि और भू-राजनीतिक तनाव को दर्शाया। 7 मार्च, 2022 को रुपया 77.02 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर को छू गया। हालांकि, मार्च के उत्तरार्ध में कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के साथ इस नुकसान को कुछ कम किया। वित्त वर्ष 2021-22 में रुपया 75.78 प्रति डॉलर रहा जो पिछले वर्ष 73.12 प्रति डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2021-22 में डॉलर के मुकाबले 3.5% गिरा, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 3.4% के उछाल पर रहा।
- 6.4 अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में सुधार की मांग की संभावनाओं से अप्रैल के बाद से अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। जून में ब्रेंट कूड 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया। हालांकि जुलाई

के दूसरे सप्ताह से कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आया। अगस्त के उत्तरार्ध के बाद से अमेरिकी आपूर्ति को कड़ा कर देने से कीमतों में मजबूती आई है, जो तूफान इडा से हुए नुकसान की भरपाई में धीमी गति और चीन में कम स्टॉक एकत्र होने के कारण हुआ। 2021 की समाप्ति पर अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत में सुधार समर्थित कच्चे तेल की कीमतें साल-दर-साल 51.4% अधिक रही। यह 2022 की शुरुआत में फिर से बढ़ी और जनवरी के अंत में 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल को पार करते हुए मांग अधिक रहने, और आपूर्ति क्षमता की कमी और भू-राजनीतिक तनाव का सामना करने के कारण पहली बार 7 वर्षों में अधिक रही। रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से आपूर्ति में पूरी तरह से घाटा होने और ओपेक प्लस से कोई राहत नहीं मिलने के जोखिम के साथ, कच्चे तेल की कीमतें मार्च के पहले सप्ताह में 14 वर्ष के उच्चतम स्तर 133 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं। इसके बाद कीमतें लगभग 110 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आस पास रहने के साथ अस्थिर रही हैं। अस्थिरता के बावजूद क्यू4: वित्त वर्ष 22 में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 38% की वृद्धि हुई।

- 6.5 मार्च 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 607.3 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। निधि भंडार वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 600 अरब अमरीकी डॉलर को पार कर गया था और अक्टूबर 2021 में 642 अरब अमरीकी डॉलर के उच्च स्तर को छू गया था। हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में 5% की कमी आयी। क्यू2: वित्त वर्ष 22 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो निवल खरीददार रहे वह कोविड -19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर, यूएस फेड की मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की गति पर चिंता, इक्विटी बाजार में सुधार और भू-राजनीतिक तनाव के कारण क्यू3: वित्त वर्ष 22 में निवल विक्रेता रहे।

7 चलनिधि शर्तें:

- 7.1 मौद्रिक नीति के समायोजनात्मक रुख के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रणाली में पर्याप्त अधिशेष चलनिधि बनाए रखी, जिसका उद्देश्य विकास के नवीन अवसरों को पोषित करना और उनका समर्थन करना था। कोविड -19 के प्रकोप के बाद मार्च 2020 में स्थगित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को संशोधन के साथ बहाल करने के उद्देश्य से, आरबीआई ने लंबी अवधि के लिए निष्क्रिय निश्चित दर ओवरनाइट रिवर्स रेपो विंडो को क्रमिक, अंशांकित और गैर विघटनकारी ढंग से तरलता में संतुलन बनाए रखना जारी रखा।
- 7.2 आरबीआई ने अप्रैल 2021 में द्वितीयक बाजार जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी 1.0) की घोषणा की जिसमें खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की एक विशिष्ट राशि के लिए

प्रतिबद्धता दी गई। कुल मिलाकर, जी-एसएपी सहित ओएमओ खरीद के माध्यम से अर्जित निवल चलनिधि एच1: वित्त वर्ष 22 में रु 2.4 लाख करोड़ रही। ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) ने एच2: वित्त वर्ष 22 में सेकेंडरी मार्केट जी-एसएपी से एच1: वित्त वर्ष 22 की अपेक्षा एक बड़े मात्रा में तरलता को कम किया है। एच2: वित्त वर्ष 22 में जी-एसएपी को पर्याप्त तरलता अधिशेष, जीएसटी मुआवजे के लिए अतिरिक्त उधार न मिलने और बढ़ते सरकारी खर्च के कारण तरलता के अपेक्षित विस्तार को देखते हुए बंद कर दिया गया था।

- 7.3 कुल मिलाकर, रिज़र्व बैंक द्वारा 6 फरवरी, 2020 (से 31 मार्च, 2022 तक) कुल चलनिधि बढ़ाने के घोषित उपायों से राशि रु 17.2 लाख करोड़, जो वित्त वर्ष 2020-21 की 8.7% नॉमिनल जीडीपी है।

8 आरबीआई के नीतिगत निर्णय

- 8.1 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर अपरिवर्तित रखी। तदनुसार, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर लगभग दो दशक के निचले स्तर, क्रमशः 4.00% और 3.35% पर है। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर और बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित रहे। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने तब तक समायोजन के रुख को जारी रखने का फैसला किया है जब तक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव कम नहीं होता और विकास को पुनर्निर्मित करने के लिए ऐसा आवश्यक है, यह भी सुनिश्चित किया गया कि मुद्रास्फीति आगे बढ़ने पर भी लक्ष्य के भीतर बनी रहे।
- 8.2 आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कई पारंपरिक और अपरंपरागत उपायों को जारी रखा ताकि कोविड -19 के संक्रमण पश्चात प्रभावित आर्थिक विकास का समर्थन किया जा सके। आरबीआई ने अपनी तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत तरलता को पुनर्संतुलित करने एवं सहज संकुचन हेतु निश्चित दर रिवर्स रेपो आधारित रिवर्स रेपो एवं बाजार आधारित रिवर्स रेपो नीलामियों के साथ तंत्र में विकास का समर्थन करने के लिए समवर्ती रूप एक उदार मौद्रिक नीति के अनुरूप पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करना है। इसके साथ आरबीआई ने बड़े सुधारों की शुरुआत की है, जिसमें एनबीएफ़सी के पैमाना -आधारित विनियमन और प्रतिभूतिकरण पर संशोधित दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) पर अंतिम निर्देश जारी किए गए, जिससे कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के विकास में मदद मिलेगी। लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन (टीएलटीआरओ) को टीएलटीआरओ 2.0 और "ऑन टैप टीएलटीआरओ" की घोषणा के साथ बढ़ाया है। जिन बैंकों ने अपनी निधि की लागत को कम करने के लिए एलटीआरओ और टीएलटीआरओ को लिया है उन्हें दिसंबर

2021 में फिर से एक विकल्प दिया गया था, जिसमें परिपक्वता से पहले लेनदेन को उलटने और कम रेपो दर पर नए निधि का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी। तदनुसार, बैंकों ने दिसंबर 2021 तक टीएलटीआरओ के 39,782 करोड़ रुपये का संचयी भुगतान किया।

- 8.3 वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में, प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर पर तीन साल तक की अवधि (30 जून, 2022 तक उपलब्ध) के साथ 50,000 करोड़ रुपये की एक ऑन-टैप लिक्विडिटी विंडो खोली गई जिसके द्वारा कोविड -19 से संबंधित स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में तेजी लाने के लिए तत्काल तरलता उपलब्ध कराई गयी। इसके अतिरिक्त, छोटे व्यवसायों, एमएसएमई और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं का सहयोग करने के लिए स्माल फ़ाइनेंस बैंकों को रेपो दर पर 10,000 करोड़ रुपये के विशेष तीन-वर्षीय दीर्घकालिक रेपो संचालन (एसएलटीआरओ) का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। तीन साल तक की अवधि के साथ संपर्क-गहन क्षेत्रों में तनाव को कम करने हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए (30 जून, 2022 तक उपलब्ध) रेपो दर पर 15,000 करोड़ रुपये की एक अलग तरलता विकल्प प्रदान किया गया। रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को वित्त वर्ष 2021 -22 के दौरान नए ऋण देने के लिए 66,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरलता सहायता प्रदान की।
- 8.4 एक बड़े सरकारी उधार कार्यक्रम का सामना करते हुए, बैंकों को 31 मार्च, 2023 तक एनडीटीएल की 22% की कुल सीमा (19.5% के बजाय) तक एचटीएम सीमा को पार करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते यह अधिकता राशि 1 सितंबर, 2020 और 31 मार्च, 2022 के मध्य अर्जित एसएलआर प्रतिभूतियों के कारण है। यह भी निर्णय लिया गया कि 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही से बढ़ी हुई एचटीएम सीमा को चरणबद्ध तरीके से 19.5% तक बहाल किया जाएगा।

9 बैंकिंग परिदृश्य:

- 9.1 वित्त वर्ष 2021-22 में, बैंकिंग क्षेत्र ने सितंबर 2021 तक महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को महसूस किया, अक्टूबर से, विशेष रूप से उद्योग और खुदरा क्षेत्र में ऋण के संबंध में टर्न अराउंड किया गया। एससीबी की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में 2021-22 के दौरान और सुधार हुआ, कुल एनपीए अनुपात दिसंबर 2021 में 6.5% तक गिर गया, जो एक साल पहले 6.8% था, जो कि क्रेडिट श्रेणी में कम एनपीए द्वारा संचालित था।
- 9.2 महामारी के बाद सामान्य स्थिति की क्रमिक वापसी के साथ, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान क्रेडिट टेक -ऑफ में वृद्धि हुई। कोविड - 19 संबंधित प्रतिबंध लगाने के कारण वित्त वर्ष 2022 की प्रथम

छमाही में क्रेडिट वृद्धि कम रही. हालाँकि, वित्त वर्ष 2022 के दूसरी छमाही में, कोविड - 19 संबंधित प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाने के कारण अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में तेजी देखी गई. खुदरा ऋण कुल क्रेडिट टेक -ऑफ के लिए प्रमुख है. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गैर-खाद्य ऋण 25 मार्च (एक साल पहले 4.5%) की स्थिति के अनुसार 9.7% (वर्ष-दर-वर्ष) सुधार हुआ. ऋण वृद्धि सभी प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों द्वारा संचालित थी. कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए मार्च 2021 में 10.5% ऋण की तुलना में मार्च 2022 में 9.9% की वृद्धि दर्ज करते हुए अपना प्रदर्शन जारी रखा. मार्च 2021 में 0.4% के संकुचन से मार्च 2022 में उद्योग के लिए ऋण वृद्धि 7.1% तक बढ़ गई. सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि मार्च 2022 में बढ़कर 8.9% हो गई, जो एक साल पहले 3.0% थी, इसका मुख्य कारण एनबीएफसी को ऋण वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार और "व्यापार" और "परिवहन ऑपरेटर्स" में मजबूत क्रेडिट टेक-ऑफ था. व्यक्तिगत ऋण खण्ड ने मजबूत दर से वृद्धि करना जारी रखा और मार्च 2021 में 10.7% के सापेक्ष मार्च 2022 में 12.4% की वृद्धि की.

- 9.3 ब्याज दरों में पर्याप्त कमी, के बावजूद वित्तीय वर्ष 2021-22 में जमा की कुल राशि में मंद वृद्धि दर्ज हुई है. जमाओं ने समवर्ती पिछले वर्ष (अर्थात 26 मार्च, 2021) की 8.9% की तुलना में 25 मार्च, 2022 को 11.4% की वृद्धि दर्ज की है.
- 9.4 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक की जमा एवं ऋण दरों के मौद्रिक प्रेषण में काफी वृद्धि हुई. फरवरी 2019 से पॉलिसी रेपो दर 250 बीपीएस की कटौती की प्रतिक्रिया में, भारत औसत ऋण दर (डबल्यूएलएआर) नए और बकाए ऋण दरों में क्रमशः 213 बीपीएस और 143 बीपीएस गिरावट दर्ज की. मध्यम अवधि मियादी जमा दर (एमटीडीआर) - एक वर्ष तक की अवधि की परिपक्वता की लघु अवधि जमा में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ नए जमा पर प्रचलित कार्ड दर - मार्च 2020 से 150 बीपीएस तक कम हो गई है. साथ ही बकाया जमा पर भारत औसत घरेलू सावधि जमा दर (डबल्यूएडीटीडीआर) में 143 बीपीएस की कमी हुई है.

10 संसाधन प्रबंधन:

- 10.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपके बैंक ने रु. 17 ट्रिलियन कारोबार की उपलब्धि प्राप्त की है. 31 मार्च, 2022 तक आपके बैंक का कुल कारोबार बढ़कर 17,48,800 करोड़ रुपये हो गया. 31 मार्च, 2022 तक आपके बैंक की कुल जमा राशि 10,32,392 करोड़ रुपये थी. चालू और बचत जमा (कासा) में वित्त वर्ष 2021-22 में कुल जमा का 36.54% शामिल है. आपके बैंक का कुल अग्रिम रु. 31 मार्च, 2022 तक रु. 7,16,408 थी.

सारणी 1 : जमा की संरचना

विवरण	(रु. करोड़ में)	
	31.03.2022	31.03.2021
कुल जमा	1032392	923805
कासा जमा	377193	335592
बचत जमा	304541	271968
चालू जमा	72652	63624

10.2 वर्ष के दौरान की गयी पहल:

कारोबार जुटाने की प्रक्रिया में मैं आपके बैंक ने नए बचत, चालू और एनआरआई खातों को जुटाने के लिए पूरे वर्ष में कई अभियान शुरू किए हैं.

वेतन खातों को प्राप्त करने के लिए दिनांक 05.07.2021 से 31.08.2021 तक एक अभियान "यूएसएसए अभियान" शुरू किया गया था. इस अभियान के दौरान 48,286 वेतन खाते खोले गए.

"कासा उन्नति" के नाम से नए बचत एवं चालू खातों को खोलने हेतु एक विशेष अभियान 05.08.2021 से 24.09.2021 तक चलाया गया. इस अभियान के दौरान कुल 1030967 बचत खाते और 34144 चालू खाते खोले गए और अभियान अवधि के दौरान क्रमशः रु. 2079 करोड़ और रु. 341 करोड़ की नई निधि प्राप्त की गई.

दिनांक 15.11.2021 से 31.12.2021 तक नए बचत और चालू खाता खोलने के लिए एक और कासा अभियान "कासा चैंपियन" शुरू किया गया. अभियान के दौरान कुल 967661 बचत खाते और 32835 चालू खाते खोले गए जिनमें अभियान की अवधि के दौरान क्रमशः 1683 करोड़ रुपये और 1096 करोड़ रुपये की नई निधि का जुटाव किया गया था.

वित्त वर्ष 2021-22 के संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिनांक 14.02.2022 से 25.03.2022 तक नए बचत और चालू खाते खोलने के लिए "कासा विस्तार" नाम से कासा अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान कुल 634577 बचत खाते और 26155 चालू खाते खोले गए, जिसमें अभियान अवधि के दौरान क्रमशः 1253 करोड़ रुपये और 410 करोड़ रुपये की नई निधि रही.

आपके बैंक ने एनआरआई खातों को जुटाने का अभियान भी चलाया है. "एनआरआई स्वागत" अभियान दिनांक 04.10.2021 से 12.11.2021 तक चलाया गया और इस अभियान के दौरान 2375 एनआरआई खाते खोले गए. एनआरआई कनेक्ट 2.0 अभियान दिनांक 03.01.2022 से 31.01.2022 तक शुरू

किया गया और अभियान के दौरान 1626 एनआरआई खाते खोले गए.

वेतन खातों के लिए हमने प्रत्येक क्षेत्र से एक नोडल अधिकारी को नामित किया है जो यूएसएसए सेगमेंट के तहत खातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है

फरवरी-2022 में निष्क्रिय (डोरमेंट) खातों को सक्रिय करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया

10.3 वर्ष के दौरान प्रारम्भ किए नए उत्पाद :

एनआरआई ग्राहकों के लिए दो नई योजनाएं, यूनियन रॉयल एसबी एनआरआई (यूआरएनआरआई) और यूनियन रॉयल एसबी एनआरओ (यूआरएनआरओ) आकर्षक सुविधाओं के साथ उच्च निवल मूल्य वाले एनआरआई को आकर्षित करने के लिए प्रारम्भ किए गए.

11 ऋण प्रबंधन

11.1 कॉर्पोरेट ऋण:

दिनांक 31.03.2022 को कॉर्पोरेट ऋण रु. 3,18,028.66 करोड़ रुपये रहा. देश भर में आठ औद्योगिक वित्तीय शाखाएँ (आईएफबी) और इकतीस मिड कॉर्पोरेट शाखाएँ कॉर्पोरेट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर रही हैं. बैंक ने बड़े कॉर्पोरेट की निवेश ग्रेड परियोजनाओं के लिए विवेकपूर्ण संवितरण किया है, इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अवसरों में और उसके वैश्विक संबंधों में योगदान दिया है.

11.2 मिड कॉर्पोरेट वर्टिकल:

हमने मध्य कॉर्पोरेट वर्टिकल नियंत्रित खातों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 17.30% की वृद्धि दर्ज की है. हमने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 2998.00 करोड़ रुपए की स्वीकृत सीमा के साथ 26 नए कॉर्पोरेट ग्राहक जोड़े हैं.

हमने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 125 खातों में 4807.00 करोड़ रुपये की वृद्धि मंजूर की है.

गैर-ब्याज आय बढ़ाने के लिए हमने 25 खातों में एनएफबी सीमा (ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर) में 827 करोड़ रुपये की वृद्धि मंजूर की है.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 16985.00 करोड़ रुपये की कुल 116 एनबीजी स्वीकृत की गई है. स्वीकृत 116 एनबीजी में से 51 खातों में 6898.00 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.

11.3 स्माल कॉर्पोरेट वर्टिकल:

एमएसएमई विभाग में जुलाई 2020 से एक नया वर्टिकल यानि स्मॉल कॉर्पोरेट वर्टिकल (एससीवी) बनाया गया है. एससीवी एमएसएमई की विशिष्ट जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है जो 50.00 करोड़ से अधिक एवं 100.00 करोड़ रुपये तक के एक्सपोजर वाले कॉर्पोरेट बनने की राह पर अग्रसर है. वर्टिकल ने दिनांक 31.03.2022 तक 20.36% की वृद्धि हासिल की है.

(₹ करोड़ में)

यथा 31 मार्च 2021 की उपलब्धि (एफबी)	यथा 31 मार्च 2022 की उपलब्धि (एफबी)	मार्च 2021 की वृद्धि (एफबी)	मार्च 2021 की वृद्धि का %
7164	8623	1459	20.36%

क्षेत्र-वार एक्सपोजर:

(₹ करोड़ में)

क्रम	क्षेत्र	यथा 31 मार्च, 2022 का एक्सपोजर
1	कृषि	1531.23
2	कॉर्पोरेट	2399.86
3	एमएसएमई	4435.73
4	अन्य	133.35
5	रिटेल	123.00
कुल		8623.17

12 एफआईजी वर्टिकल

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एफआईजी वर्टिकल के कार्यनिष्पादन के मुख्य बिन्दु :

- ऋण व्यवस्था: वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, हमारे बैंक ने नए और मौजूदा वित्तीय संस्थानों के उधारकर्ताओं को उधार देने के लिए 55608 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं जिसमें से 84.47% कंपनियां एएए रेटिंग वाली हैं.
- सह ऋण व्यवस्था: हमारे बैंक ने सह ऋण व्यवस्था के तहत 5 एनबीएफसी के साथ टाई-अप किया है.
- प्रत्यक्ष समनुदेशन: वर्ष के दौरान, हमारे बैंक ने प्रत्यक्ष समनुदेशन के तहत कुल 3090 करोड़ रुपये के 12 पूल बायआउट खरीदे हैं.
- मार्च, 22 तक एनबीएफसी सकल अग्रिम बढ़कर 1,05,019.84 करोड़ रुपये हो गया है.

- बैंक के एनबीएफसी एक्सपोजर का 94.55% ए और उससे अधिक के रेटेड एनबीएफसी को है।

वर्तिकल समय-समय पर एनबीएफसी/एफआई के विभिन्न सेगमेंट के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण करता है और वसूली पर विशिष्ट प्रभाव, प्रत्येक सेगमेंट में परिसंपत्ति की गुणवत्ता, जो विशिष्ट क्षेत्रों को उधार देने की दिशा में एक निर्देशित दृष्टिकोण रखने में सक्षम थी और साथ ही पोर्टफोलियो वृद्धि के दौरान सतर्क दृष्टिकोण भी अपना रही थी।

13 रिटेल:

खुदरा ऋणों के बकाया में 8.65% की समग्र वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि देखी गयी।

खुदरा उधार के तहत उत्पादवार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि निम्नानुसार है :

योजना	(₹ करोड़ में)			
	वास्तविक मार्च, 21	वास्तविक मार्च, 21	मार्च, 21 में वृद्धि	मार्च, 21 में वृद्धि का प्रतिशत
होम	66472	71929	5457	8.21
माइल्स	9600	12705	3105	32.34
एज्युकेशन	7423	7590	167	2.25
मोर्टगैज	11936	12607	671	5.62
पर्सनल	5539	6126	587	10.60
अन्य	25286	26025	739	2.92
कुल रिटेल अग्रिम (पीडबल्यूओ समेत)	126256	136982	10726	8.50
पीडबल्यूओ (-)	830	709	-122	
कुल रिटेल अग्रिम (पीडबल्यूओ को छोड़कर)	125427	136273	10846	8.65

- मार्च, 21 की तुलना में कुल खुदरा वृद्धि रुपये 10846 करोड़ रही।
- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विकास दर 8.65% है।
- पैन इंडिया आधार पर, यूएलपी (सीपीसी) ने ₹ 20100 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹ 20424 करोड़ खुदरा ऋण को मंजूरी दी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए नए पहल:

- इस वर्ष नया यूएलपी (कांचीपुरम) शामिल किया गया जिससे यूएलपी की कुल संख्या 130 हो गई है।
- वाहन ऋण कारोबार हेतु अखिल भारतीय आधार पर एमजी हेक्टर के साथ समझौता ज्ञापन किया गया।
- यूनियन होम्स एंड यूनियन माइल्स बिजनेस के प्रचार के लिए एक और कॉर्पोरेट सेलिंग एजेंट (सीएसए) - मेसर्स यूबीआईएसएल को जोड़ा गया।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म में - कर्मचारियों और सामान्य पेंशनभोगियों के लिए यूनियन केश का प्रारम्भ किया गया।
- डिजिटल पर्सनल लोन - पीएपीएल चरण -2 (सभी ग्राहकों के लिए 25000.00 रुपये की औसत शेष राशि के साथ, 2.00 लाख रुपये की सावधि जमा और एचएल -15 लाख, एमएल -10 लाख, वीएल -5 लाख) का शुभारंभ किया गया।
- प्रीमियर संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए डिजिटल यूनियन शिक्षा ऋण (40 लाख रुपये तक का ऋण)
- नए उत्पाद
 - ए) हरित पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूनियन ग्रीन माइल्स योजना
 - बी) यूनियन सोलर रूफ टॉप योजना.
 - सी) मौजूदा होम लोन ऋणियों के लिए यूनियन आशियाना पर्सनल लोन एवं यूनियन आशियाना ओवरड्राफ्ट योजना.
 - डी) डॉक्टर / इंजीनियर / सीए इत्यादि पेशेवरों के लिए यूनियन - यूनियन प्रोफेशनल पर्सनल लोन योजना.
 - ई) गैर कृषकों के लिए रिटेल गोल्ड लोन योजना.

वित्त वर्ष 2022-23 में अधिकतम कारोबार करने के लिए चयनित रणनीतियाँ

- बैंक द्वारा अनुमानित वृद्धि और क्षेप्रका/क्षेका को उनकी क्षमता और विकास के आधार पर खुदरा कारोबार लक्ष्य का आवंटन करना. बैंक ने मार्च, 23 में खुदरा पोर्टफोलियो

में 17 प्रतिशत की वृद्धि यानि 159000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है।

- एचएल/एमएल/वीएल/पीएल के लिए डिजिटल यात्रा का कार्यान्वयन.
- अच्छे क्रेडिट इतिहास (सिबिल) वाले ग्राहकों के लिए विशेष और आकर्षक उत्पाद का शुभारंभ.
- टेकओवर/क्रॉस सेलिंग के लिए सीआईसी स्क्रब डाटा फील्ड को साझा किया गया.
- गृह ऋण एवं पूल बाईआउट के सह ऋण व्यवस्था मॉडल हेतु एनबीएफसी/एचएफसी के साथ टाई अप.
- खुदरा ग्राहकों के प्रभावी प्रतिधारण के लिए सीआईसी द्वारा उत्पन्न ट्रिगर का पोर्टफोलियो विश्लेषण.
- क्रेडिट आउटरीच अभियान का आयोजन
- केंद्रीय कार्यालय से यूएलपी के कार्यनिष्पादन की पाक्षिक समीक्षा.
- टियर II एवं III शहरों में आगामी परियोजनाओं पर बिल्टर टाई-अप बढ़ाने के लिए विशेष अभियान.

13.1 कृषि :

आपके बैंक के लिए कृषि अग्रिम सदैव ही प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है. यथा 31.03.2022 को बैंक का कृषि अग्रिम, बैंक के कुल अग्रिम की 19.03 % है. 31 मार्च, 2022 को कृषि प्राथमिकता के अंतर्गत 18% के सांविधिक लक्ष्य की तुलना में बैंक का निष्पादन 19.71% रहा और बैंक पीएसएलसी कृषि में रु. 3700 करोड़ के आधिक्य की बिक्री करने में भी कर सका. बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि हेतु 31.03.2022 तक रु. 133092 करोड़ की बकाया राशि के साथ 10.79% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की है.

यथा 31 मार्च, 2022 लघु एवं सीमांत किसानों को बकाया ऋण रु. 88194 करोड़ था जो कि एनबीसी के 9.0 प्रतिशत बेंचमार्क के सापेक्ष एनबीसी का 13.65 प्रतिशत है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, 2.84 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं.

13.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई):

1. बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण देने में ध्यान केंद्रित करता आ रहा है. एमएसएमई को ऋण 8.56% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च,

2022 को रु. 1,14,975 करोड़ रहा. एमएसएमई के अधीन, 31 मार्च, 2022 को एमएसई ऋण रु. 90,562 करोड़ रहा एवं इसमें 7.50 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई. एमएसएमई पोर्टफोलियो के विश्लेषण नीचे दिए गए हैं:

एमएसएमई पोर्टफोलियो का खंडवार विवरण

विवरण	31.03.2021	31.03.2022	वार्षिक वृद्धि	
			शुद्ध	(%)
सूक्ष्म	43,169	51,130	7,961	18.44
लघु	41,058	39,432	(1,626)	(3.96)
एमएसई	84,227	90,562	6,335	7.52
मध्यम	21,681	24,413	2,732	12.60
एमएसएमई	1,05,908	1,14,975	9,067	8.56

2. बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा के तहत आवंटित लक्ष्य को हासिल कर लिया है. वर्ष के दौरान, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 6,625.28 करोड़ रुपये की राशि के 6,43,943 नए ऋण स्वीकृत किए गए हैं. (नवीकरण सहित वर्ष के दौरान स्वीकृत कुल ऋण 11801.81 करोड़ रुपए है). 31.03.2022 तक पीएमएमवाई के तहत बकाया स्थिति 20,069.89 करोड़ रुपये है.
3. सरल (केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र) संरचना प्रसंस्करण के अलावा एक अधिग्रहण केंद्र के रूप में कार्य करती है. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान, 32 नए सरल/सरल लाइट खोले गए हैं. मार्च, 2022 तक, सरल और सरल लाइट की कुल संख्या 126 थी, जिससे सरल नेटवर्क को सभी 125 क्षेत्रीय कार्यालयों तक पहुंचा दिया गया है.

एमएसएमई पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करने के लिए की गयी नई पहल:

- ए) एमएसएमई क्रेडिट कार्ड : बैंक ने एनपीसीआई और एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से यूनियन एमएसएमई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो उद्योग में क्रेडिट कार्ड का पहला उत्पाद है. उत्पाद को 25.02.2022 को सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में माननीय एमएसएमई मंत्री, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है. यूनियन एमएसएमई क्रेडिट कार्ड 50 दिनों तक की ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि के साथ एमएसएमई को आवश्यकता आधारित वित्त प्रदान करने के लिए एक डिजिटल डिलीवरी टूल प्रदान करता है.

- बी) यूएमएफबी का शुभारंभ: एमएसएमई ऋणों को विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए, यूनियन एमएसएमई फर्स्ट ब्रांच (यूएमएफबी) को दिसंबर 2021 में पायलट

आधार पर लॉन्च किया गया है और 31.03.2022 तक, 50 एमएसएमई फर्स्ट ब्रांच प्रारम्भ किए गए हैं।

- सी) रु 10 लाख तक के स्व-नवीनीकृत एमएसएमई एसटीपी: एमएसएमई ग्राहकों की सेवा करते हुए टीएटी में सुधार के लिए अगले सोपान के रूप में, बैंक ने 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए एमएसएमई ऑटो नवीनीकरण एसटीपी (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग) प्रारम्भ किया है, जो पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण के साथ समीक्षा/नवीनीकरण प्रक्रिया को शून्य/न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ स्वचालित करता है।
- डी) क्लस्टर योजना: वित्त वर्ष 2021-22 में 12,520 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 38 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 13 नई क्लस्टर योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- ई) यूनियन जीएसटी गेन : सीएमआर के आधार पर 50% से कम संपार्श्विक कवरेज के साथ योजना को संशोधित और

अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। इसका उद्देश्य योजना के तहत नकदी प्रवाह आधारित ऋण को बढ़ाना है।

उपलब्धियां :

- बैंक ने क्रेडिट मूल्यांकन की सरल प्रक्रिया के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त किया है जो संरचना, प्रणाली और प्रक्रिया की मजबूती की पुष्टि करता है।
- पीएमईजीपी के तहत कार्यनिष्पादन के लिए केवीआईसी द्वारा बैंक को सम्मानित किया गया है।
- बैंक ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कार्यनिष्पादन हेतु द्वितीय स्थान प्राप्त किया है
- बैंक ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना डईसीएलजीएस के तहत एमएसएमई को कोविड प्रेरित तनाव से बाहर निकलने के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने में अच्छा कार्यनिष्पादन किया है..

13.3 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम :

आपका बैंक समाज के जरूरतमंद वर्गों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 31 मार्च, 2022 तक रु. 278586 करोड़ रहा। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के तहत 40% के सांविधिक लक्ष्य की तुलना में आपके बैंक ने मार्च-2022 को समाप्त तिमाही के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 43.24 प्रतिशत की वृद्धि तथा आरआईडीएफ/सिडबी/मुद्रा/एनएचबी में निवेश सहित तथा पीएसएलसी बिक्री को छोड़कर 2.63% की वृद्धि दर्ज की।

सारणी 5: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (समाप्त तिमाही 31.03.2022) लेखापरीक्षा के पश्चात

विवरण (आरआईडीएफ सहित)	31.03.22	31.03.21	वर्ष -दर - वर्ष (%)	(रु करोड़ में)	
				एएनबीसी का %	बेंचमार्क वित्त वर्ष 2022 (एएनबीसी का %)
प्राथमिक क्षेत्र ऋण (पीएसएलसी बिक्री घटाने के पश्चात)	279374	272203	2.63	43.24	40%
कृषि प्राथमिक क्षेत्र ऋण (पीएसएलसी बिक्री घटाने के पश्चात)	127343	121142	5.12	19.71	18%
लघु एवं सीमांत कृषक (पीएसएलसी बिक्री घटाने के पश्चात)	88194	76070	15.94	13.65	9%
कमजोर वर्ग को ऋण (पीएसएलसी बिक्री घटाने के पश्चात)	104698	88170	18.74	16.20	11%

सामाजिक उत्थान हेतु विशेष उधार

आपका बैंक समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक विकास एवं समान अवसर उपलब्ध करने हेतु दृढसंकल्प है। तदनुसार, बैंक ने विभिन्न कमजोर एवं असेवित वर्गों खासतौर से महिला समाज, अल्पसंख्यक समुदाय एवं स्वयं-सहायता समूहों को ऋण सुविधाएं प्रदान की है।

महिला लाभार्थी: महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा उन्हें आत्म निर्भर बनाने को ध्यान में रखकर, आपका बैंक महिला उद्यमियों हेतु ऋण को प्रोत्साहित करता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, महिला लाभार्थियों के बकाया ऋण में 21.56 % की वृद्धि हुई है जोकि मार्च, 2021 (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में में रु 55636 करोड़ एवं गैर प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र में रु 17671

करोड़) के रु.73307 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2022 (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में रु. 70251 करोड़ एवं गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में रु. 18859 करोड़) में रु. 89110 दर्ज हुआ.

अल्पसंख्यक समुदाय: आपका बैंक भारत सरकार के निदेशों के अनुसार सिक्खों, मुस्लिमों, ईसाइयों, पारसियों, बौद्धों एवं जैन जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु वित्त प्रदान कर रहा है. दिनांक 31 मार्च, 2022 को अल्पसंख्यक समुदाय की बकाया राशि रु. 26956 करोड़ रही, जो प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों को 9.71 प्रतिशत है.

कमजोर वर्ग: आपका बैंक समाज के कमजोर वर्ग को वित्त प्रदान करने में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है. दिनांक 31 मार्च, 2022 को पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ बिट्टी को घटाकर कमजोर वर्ग को वित्त 18.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, 88170 करोड़ रुपये से बढ़कर 104698 करोड़ हो गया है. 11 प्रतिशत के बेंचमार्क के मुकाबले बकाया क्रेडिट एनबीसी का 16.20 प्रतिशत रहा.

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी): ग्रामीण युवाओं की रोजगार संबंधी समस्या को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने उन जिलों में 30 आरसेटी की स्थापना की है जिन जिलों में बैंक "अग्रणी (लीड) बैंक की जिम्मेदारी" में है. दिनांक 31 मार्च, 2022 तक हमारे आरसेटी में प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 256255 है, जिसमें से 190842 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है. बैंक ने 73065 अभ्यर्थियों को क्रेडिट लिंकेज के द्वारा स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्त प्रदान किया है. इस प्रकार कुल मिलाकर आपके बैंक में देश भर में 30 आरसेटी मौजूद हैं जो बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी): आपका बैंक चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (सीजीजीबी), गुंटूर, आंध्र प्रदेश राज्य का प्रायोजक है. इसकी 230 सीबीएस शाखाओं का नेटवर्क है, जो आंध्र प्रदेश के 3 जिलों अर्थात् पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी और गुंटूर में फैली हुई है. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 14.54 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सीजीजीबी का कारोबार बढ़कर 14680.20 करोड़ रुपये हो गया है. कुल जमा 7286.86 करोड़ रुपये और अग्रिम 7393.34 करोड़ रुपये रहा, जिसमें निवल लाभ 162.34 करोड़ रुपये रहा. दिनांक 31.03.2022 को सकल एनपीए 0.91% और निवल एनपीए 0% है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रमुख पहल:

यूनियन समृद्धि केंद्र (यूएसके) : यूनियन समृद्धि केंद्र (यूएसके) एक विशेषीकृत प्रसंस्करण हब है जिसे बैंक द्वारा ग्रामीण एवं अर्ध

शहरी क्षेत्रों की शाखाओं द्वारा भेजे गए आरएएम प्रस्तावों के प्रसंस्करण एवं स्वीकृति के लिए प्रारंभ किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आरएएम पोर्टफोलियो को मजबूत करना है तथा गुणवत्ता, मूल्यांकन और ऋण प्रस्ताव की निर्धारित अवधि में सुधार लाना है. यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नासिक एवं करनाल क्षेत्र की चुनी गई शाखाओं में नवंबर, 2017 को प्रारम्भ किया गया था. पायलट कार्यान्वयन का समग्र परिणाम उत्साहवर्धक था, विभाग ने चरणबद्ध तौर पर यूएसके की संख्याओं में वृद्धि की. वर्तमान में 90 क्षेत्रों और 16 क्षेत्र महा प्रबंधक कार्यालयों की 1481 शाखाओं को कवर करते हुए 101 यूएसके हैं. ये शाखाएं ग्रामीण ओर अर्ध शहरी शाखाओं के 28% को कवर कर रही हैं. ग्रामीण ओर अर्ध शहरी शाखाओं के 40% को कवर करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2022-23 में विभाग द्वारा 50 नए यूएसके खोलना प्रस्तावित है. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान यूएसके ने रु. 5408 करोड़ के 124109 प्रस्तावों की मंजूरी दी है.

यूनियन सम्पूर्ण : वित्तीय साक्षरता, ऋण परामर्श और सूचना/ ज्ञान प्रसार और ऋण प्रक्रिया वितरण प्रणाली प्रदान करने के लिए ग्रामीण लोगों को सभी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए एकल बिंदु समाधान प्रदान करने के लिए यूनियन संपूर्ण की अवधारणा तैयार की जा रही है. यह यूएसके द्वारा प्रदान की गयी है. वर्तमान में यूनियन संपूर्ण, उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र के राजातालाव में पायलट आधार पर कार्य कर रही है.

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई): आपका बैंक उन किसानों के लाभ हेतु पीएमएफबीवाई लागू कर रहा है जिन्हें अक्सर मौसम संबंधी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. पीएमएफबीवाई के अंतर्गत आने वाले बटाईदार एवं काश्तकार सहित सभी किसान अधिसूचित फसलों को उगा रहे हैं.

क्षेत्र विशिष्ट योजनाएँ

कृषि के अंतर्गत ऋण में वृद्धि करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में किसानों के लाभ के लिए उपलब्ध क्षमता के आधार पर बैंक ने 32 क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं तैयार की हैं.

आत्मानिर्भर भारत योजनाएं/उभरते नवीनीकरण क्षेत्र:

आपके बैंक ने कृषि अवसंरचना निधि, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज के प्रधानमंत्री विधिसंगत बनाने जैसी विभिन्न आत्मानिर्भर भारत योजनाओं के माध्यम से कृषि अवसंरचना, पशुपालन अवसंरचना और खाद्य प्रसंस्करण में हो रहे भारी निवेश का पूंजीकरण प्रारम्भ किया है.

आपका बैंक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और हरित वित्त पोषण में सुधार करने में मदद करने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत संपीड़ित बायो गैस योजनाओं, सौर ऊर्जा संयंत्र, पंपसेटों के सौरकरण जैसी अक्षय ऊर्जा के तहत अन्य योजनाओं का भी लाभ प्राप्त कर रहा है।

वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए नए पहल.

- पुनर्वित्त सुविधा का लाभ उठाने और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधाएं देने के लिए एनबीसीएफडीसी के साथ समझौता ज्ञापन किया गया।
- पुनर्वित्त सुविधा का लाभ उठाने और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधाएं देने के लिए एनएचएफडीसी के साथ समझौता ज्ञापन किया गया।
- विभाग ने क्षेत्र की क्षमता के आधार पर पूरे भारत में अप्रयुक्त क्षेत्रों में 39 नए यूएसके स्थापित किए हैं।
- इस वित्त वर्ष 2021-22 में 250 नए यूनियन गोल्ड लोन पाइंट्स (यूजीएलपी) स्थापित किए गए, जिससे कुल 270 यूजीएलपी हो गए, जो स्वर्ण ऋण के लिए विशेष डिलीवरी पाइंट के रूप में काम करते हैं।
- कर्नाटक राज्य में केसीसी नवीकरण एसटीपी प्रक्रिया के डिजिटलीकरण पर पायलट परियोजना शुरू की गई है।
- वेयरहाउस रसीदों के सापेक्ष वित्त प्रदान करने के लिए संपाश्रिक प्रबंधन सेवाओं के साथ टाई अप किया गया।

वर्ष के दौरान प्रारम्भ किए गए उत्पाद:

- यूनियन कृषि कामधेनु गोल्ड लोन योजना (यूकेकेजीएल) - कृषि, कृषि संबद्ध गतिविधियों और खाद्य और कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत विशेष परेशानी रहित गोल्ड लोन उत्पाद इस वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रारम्भ किया गया है।
- जल स्वच्छता और स्वच्छता (वाश) योजना - नए शौचालयों के निर्माण के लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के लिए वित्त पोषण के लिए एक अनूठी योजना, खराब शौचालयों की मरम्मत, बाथरूम के अलावा, पाइप से पानी के कनेक्शन, बोरवेल की खुदाई, छत पर पानी वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर

वर्ग के समुदायों के लिए हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर, वाटर फिल्टर आदि प्रारम्भ किए गए हैं।

वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कार:

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे बैंक को वर्तमान वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिला है।

13.4 वित्तीय समावेशन:

13.4.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यनिष्पादन का सारांश:

क्र. सं.	मापदंड	मार्च, 2021	मार्च, 2022	मार्च, 21 की तुलना में वृद्धि दर %
1	कुल पीएमजेडीवाई खाते	216.73	244.78	12.94
2	पीएमजेडीवाई खातों में शेष राशि (करोड़ में)	6465	7780	20.34
2	रुपे कार्ड जारी खाते	115.51	118.41	2.51
3	परिचालन खातों में रुपे कार्ड	79.08	68.65	-13.19
4	आधार से जुड़े खाते	175.04	203.85	16.46
5	शून्य शेष खाते	36.39	41.67	14.51
6	स्वीकृत ओवरड्राफ्ट	6.22	2.44	-60.72
7	एपीवाई (संचयी)	20.30	25.01	23.20

- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 31.6 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए, जिनमें से 16.44 लाख पीएमजेडीवाई खाते मिशन कार्यालय द्वारा शुरू किए गए संतुष्टि ड्राइव अभियान के दौरान खोले गए।
- पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा शेष राशि में पिछले वर्ष की तुलना में रु.1315 करोड़ और औसत शेष राशि रु. 2,983/- प्रति खाता से बढ़ कर रु. 3,178/- प्रति खाता हो गयी है।
- वर्ष के दौरान एपीवाई के तहत संचयी नामांकन में 4.72 लाख की वृद्धि हुई।
- 2994 नए बिजनेस कॉर्रेस्पॉण्डेंट स्थानों को अखिल भारतीय स्तर पर आवंटित किया गया है।
- सभी बीसी आउटलेट्स पर बिजनेस कॉर्रेस्पॉण्डेंट द्वारा ग्राहकों को 27 सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

13.4.2 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान की गई नई पहल :

बीपीआर विभाग, केंद्रीय कार्यालय और हमारे जानकारी भागीदार मेसर्स बीसीजी के सुझावों के अनुसार, हमने शुरुआत में बीसी स्थानों पर पायलट आधार पर निम्नलिखित नई पहल शुरू की हैं।

- ए. शाखा में भीड़ कम करने के तहत शाखा परिसर के पास स्थिर बीसी प्वाइंट (200 मीटर के भीतर) : चुनिंदा 19 बीसी स्थानों पर स्थिर बीसी पॉइंट का शुभारंभ किया गया है जहां शाखाओं का औसत लेनदेन तुलनात्मक रूप से अधिक है।
- बी. बीसी के माध्यम से एसटीपी शिशु मुद्रा ऋण में सहायता: बीसी एसटीपी के माध्यम से शिशु मुद्रा ऋण के लिए ग्राहक को आवेदन करने में सहायता करेंगे। यह सुविधा 19 फिक्स्ड बीसी पॉइंट्स पर उपलब्ध है।
- सी. तृतीय-पक्ष उत्पाद का लीड जनरेशन: सूडलाइफ के सूक्ष्म जीवन बीमा उत्पादों के संग्रहण हेतु 20 चयनित बीसी पॉइंट्स पर बीसी द्वारा लीड जनरेशन प्रदान किया गया है।
- डी. बीसी के माध्यम से ऋण संग्रहण: रीवा, आजमगढ़ और विजयवाड़ा क्षेत्रों में 27 शाखाओं के अंतर्गत आने वाले 151 बीसी स्थानों पर एसएमए खातों में ऋण संग्रहण शुरू किया है।
- ई. हमारे विभाग द्वारा बैंक के टीएसपी मेसर्स इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की मदद से टेक आधारित बीसी मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप विकसित की है। यह एप्लिकेशन शाखा / आरओ / सीओ को मोबाइल के माध्यम से बीसी निगरानी को पूर्ण करने में सक्षम करेगी और कागज रहित, बीसी का निरीक्षण, जियो टैगिंग, सामाजिक लेखा-परीक्षा अवधारणा, लेखा-परीक्षा व्याप्ति का तत्काल एमआईएस, जोखिम निर्धारण, निवारक सतर्कता उपायों के लिए उपकरण एवं बीसी बिंदुओं पर अनियमितताओं के पूर्व चेतावनी संकेत, नियंत्रण-पट्ट के माध्यम से रिपोर्ट की उपलब्धता आदि जैसे फायदे होंगे।

13.4.3 पुरस्कार और सम्मान:

- **एपीवाई:** पीएफआरडीए द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों में हमें पीएफआरडीए से पुरस्कार और सम्मान मिला है।
- **"फाइनेशियल फ्रीडम फायटर्स" (एफएफएफ)** - 16 अगस्त से 30 सितंबर, 2021 तक फाइनेशियल फ्रीडम फायटर्स अभियान में उत्कृष्टता हेतु एक पुरस्कार और

प्रमाण पत्र के लिए हमारे बैंक ने पात्रता प्राप्त की है।

- **विनिंग वेडन्सडे:** हमारे बैंक ने जुलाई 2021 और अगस्त 2021 महीनों के लिए "वारियर्स ऑफ विनिंग वेडन्सडे" और वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 104 "प्रशंसा प्रमाणपत्र" पुरस्कारों के लिए पात्रता प्राप्त की है।

13.4.4 कारोबार वृद्धि के लिए रणनीतियाँ :

• वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बीसी बिंदुओं की तैनाती

- कॉर्पोरेट कारोबार प्रतिनिधियों के चयन के लिए आरएफपी प्रक्रिया पूरी हो गई है।
- बैंक ने 24 सीबीसी को पैनल में शामिल किया है और लगभग 17000 कारोबार प्रतिनिधियों को शामिल करने की प्रक्रिया में हैं।
- क्षेत्र से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर वर्ष के दौरान नए बीसी को नामांकित करने का भी प्रस्ताव कर रहे हैं। अधिक भीड़ वाली शाखाओं के निकट बीसी स्थान आवंटित कर वर्ष के दौरान बीसी की संख्या को 25000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- बैंक बीसी चैनल के माध्यम से पासबुक प्रिंटिंग, पीपीएफ खाता, सुकन्या समृद्धि योजना खाता, गैर-जीवन बीमा आदि जैसी अतिरिक्त सेवाओं को लागू करने की प्रक्रिया में हैं।
- बीसी पॉइंट्स को एकरूप ब्रांडिंग और ड्रेस कोड के साथ मानकीकृत करने का हम प्रस्ताव करते हैं।
- पीएमजेडीवाई खाते खोलना: हम अभियान आयोजित करके और फंडेड बैलेंस पर खोले गए पीएमजेडीवाई खातों के आधार पर अपने सीबीसी की रेटिंग के माध्यम से समेकित प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए प्रति शाखा औसत पीएमजेडीवाई खातों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- रुपये कार्ड जारी करना: हम अपनी शाखाओं, व्यापार प्रतिनिधियों को सलाह दे रहे हैं कि वे रुपये कार्ड जारी करने को बढ़ावा देने के लिए रुपये डेबिट कार्ड का उपयोग करने के विभिन्न लाभों के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करें। हमने अपनी शाखाओं को रुपये कार्ड के समय पर नवीनीकरण/री-कार्डिंग के लिए भी निर्देश दिए हैं।
- सक्रिय पीएमजेडीवाई खाते: ग्राहकों द्वारा खातों को संचालित करने के लिए एसएमएस भेजकर निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों को सक्रिय खातों में बदलने के लिए

अभियान शुरू किया जा रहा है. हम निष्क्रिय खातों को सक्रिय बनाने के लिए शाखा स्तर पर भी अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं.

- एपीवाई: हम पीएफआरडीए द्वारा शुरू किए गए सभी अभियानों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए नए नामांकन हेतु क्षेत्रों और शाखाओं को प्रोत्साहित करने को जारी रखने का प्रस्ताव करते हैं.
- सभी पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट सुविधाएं प्रदान करना और ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाना सुनिश्चित किया जाना.

13.4.5 आरबीआई/नियामक/विसेवि निर्देश:

हम समय-समय पर अपने नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त निर्देशों का पालन करने पर ध्यान देते हैं.

14 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

"31 मार्च, 2021 की तुलना में बैंक का विदेशी कारोबार रु. 19,895 करोड़ के स्थान पर 31 मार्च, 2022 को रु. 17,428.85 रहा. हमारे बैंक की तीन विदेशी शाखाएं हांगकांग, डीआईएफसी दुबई और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में हैं. आपका बैंक यूनाइटेड किंगडम में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, लंदन के माध्यम से भी काम करता है. बैंक कुआलालंपुर (मलेशिया) में अपने संयुक्त उद्यम - इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बरहाद के माध्यम से भी काम करता है, जोकि बैंक ऑफ बड़ौदा (40% शेयरहोल्डिंग) और इंडियन ओवरसीज बैंक (35% शेयरहोल्डिंग) के साथ संयुक्त उद्यम है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शेयरधारिता 25% है. बैंक के बोर्ड ने संयुक्त उद्यम को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और आवश्यक अनुमोदन के लिए बैंक पहले ही आरबीआई/डीएफएस से संपर्क कर चुका है.

विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कोविड - 19 महामारी के प्रभाव से धीमी गति से सुधार होने और हांगकांग शाखाओं के बंद होने के कारण, विदेशी शाखाओं के कुल कारोबार में 12.40% की कमी आई है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के परिचालन लाभ में 18.16% की वृद्धि हुई है..

"31 मार्च, 2021 की तुलना में बैंक का निर्यात ऋण रु. 14654.83 करोड़ के स्थान पर 31 मार्च, 2022 को रु. 15299.16 करोड़ रहा. विदेशी मुद्रा परिचालन से गैर-ब्याज

आय 217.01 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में रु. 270.38 करोड़ हो गई है.

बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान उदीयमान व्यावसायिक स्थानों पर विदेशी मुद्रा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए 8 'सी' श्रेणी शाखाओं को 'बी' श्रेणी शाखाओं के रूप में नामित किया है. इससे पूरे भारत में स्थित 'बी' श्रेणी की शाखाओं की कुल संख्या 162 हो गयी है. आपका बैंक दुनिया भर में सभी प्रमुख मुद्राओं में 40 नोस्ट्रो खाते भी रखता है जिससे ग्राहकों को दुनिया भर में अपना लेनदेन करने में सुविधा हो. इसके अलावा आपका बैंक 'बी' श्रेणी की शाखाओं के माध्यम से लगभग 165 मुद्राओं में विदेशी मुद्रा प्रेषण की सुविधा भी देता है. इसके अलावा, समर्पित वोस्ट्रो शाखा विदेशी बैंकों और विनिमय गृहों के खातों का रखरखाव कर रही है.

बैंक ने "यू-ट्रेड" पैकेज के माध्यम से विदेशी मुद्रा/व्यापार ऋण लेनदेन को डिजिटल रूप से संसाधित करने के लिए नवीनतम प्रद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को लागू किया है. बेहतर ग्राहक अनुभव के साथ डिजिटल विदेशी मुद्रा/व्यापार ऋण सेवाओं हेतु दो केंद्रीकृत बैंक ऑफिस भी स्थापित किए गए हैं.

वित्तीय वर्ष के दौरान व्यापार में अन्य महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं खातों में ईसीजीसी दावे का निपटान, आय में सुधार के साथ नोस्ट्रो खातों का युक्तिकरण और प्रीमियर ग्राहकों के 7600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के ओडीआई/एफडीआई कारोबार के प्रसंस्करण.

15 ट्रेजरी परिचालन:

- बैंक के कॉर्पोरेट लक्ष्य के अनुरूप विवेकपूर्ण चलनिधि प्रबंधक के रूप में कार्य करना. ट्रेजरी का उद्देश्य नीति दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण, बाजार और चलनिधि जोखिमों का प्रबंधन करते हुए अधिकतम लाभ अर्जित करना है. विभिन्न अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों और विदेशी मुद्रा बाजार द्वारा बेहतर नकदी प्रबंधन. उचित एम-अवधि के साथ एक अच्छा एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेश बुक बनाए रखना जो हमें अपनी लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करेगा.
- उच्च पूंजी प्रधान लिखतों को कम कर, कम पूंजी प्रधान लिखतों का लाभ उठाकर एनआईएम और आरओसीई को बढ़ा कर बैंक की पूंजी का संरक्षण करना.

ए. 2021-22 के दौरान कार्यनिष्पादन का सारांश

- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख मानकों पर ट्रेजरी प्रदर्शन लक्ष्य बनाम उपलब्धि निम्नानुसार है:-

विवरण	(₹ करोड़ में)	
	2021-22 के लिए लक्ष्य	वित्त वर्ष 2021-22 का वास्तविक
ब्याज आय	23,500.00	22,780.00
निवेश की बिक्री पर लाभ	2,500.00	3,401.00
विनिमय लाभ (विदेशी मुद्रा)	600.00	646.00
कुल ट्रेजरी आय	26,600.00	26,827.00

बी. वर्ष के दौरान की गई नई पहल :-

- ऋण समूहन: समामेलन के बाद बड़ा पीएसयू बैंक होने के नाते, बैंक को विभिन्न संस्थागत/ कॉर्पोरेट ग्राहकों तक व्यापक पहुंच प्राप्त हो रही है. इसके अलावा, टीएलटीआरओ विंडो के तहत बॉन्ड मार्केट में ट्रेजरी की सक्रिय भागीदारी ने हमें अधिक कॉर्पोरेट/ वित्तीय संस्थाओं के साथ परस्पर प्रभावित करने में सक्षम बनाया है. तदनुसार, ट्रेजरी ने बांड/ सीपी/ सीडी बाजारों में भागीदारी के लिए गैर-एसएलआर डेस्क को मजबूत किया है और बैंक के ऋण सिडिकेशन डेस्क के समन्वय में बॉन्ड सिडिकेशन गतिविधियों की शुरुआत की है. चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण रूप से बांड सिडिकेशन डेस्क स्थापित किया जाएगा.
- प्राथमिक डीलरशिप (पीडी) कारोबार का विस्तार: प्राथमिक डीलरशिप कारोबार हमें हामीदारी कमीशन और व्यापारिक आय के रूप में आय का अतिरिक्त स्रोत देगा. वित्त वर्ष 2021-22 में पीडी कारोबार से अंडरराइटिंग कमीशन रु. 41.64 करोड़ रहा.
- व्यापारी भुगतान के लिए स्वतः बचाव-व्यवस्था (ऑटो हेजिंग ऑफ मर्चेट ट्रांजैक्शन) : बैंक के साथ मर्चेट ट्रांजैक्शन करते समय टर्नअराउंड समय, बेहतर दक्षता और ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार के लिए बैंक ने सभी मर्चेट प्रवाह के लिए स्वतः बचाव-व्यवस्था शुरू की है.

सी. ट्रेजरी रणनीति

- उपयुक्त/ अनुकूल ब्याज दर अवधि के दौरान बड़ी निवेश बही तैयार करना और अनुमोदित नीति के अनुसार एम-अवधि बनाए रखना. यह ट्रेजरी लाभ का स्रोत होगा.
- वित्तीय बाजार में उपलब्ध सभी अंतरपणन अवसरों का अन्वेषण करना जैसे कि विदेशी मुद्रा बनाम मुद्रा बाजार, दिनांकित प्रतिभूतियां बनाम ब्याज दर भविष्य (आईआरएफ), दिनांकित प्रतिभूतियां बनाम ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस), दीर्घकालिक ट्रेजरी देनदारियां बनाम संरचित डेरिवेटिव आदि.
- हर स्तर पर समग्र दक्षता स्तर में सुधार के लिए एसीआई डीलिंग सर्टिफिकेशन, ट्रेडिंग गेम में महारत हासिल करना आदि जैसे विभिन्न आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण के माध्यम से जनशक्ति को मजबूत करना.
- नए ग्राहकों को शामिल करने के लिए सदस्यों के आकार का विस्तार और डिजिटल मोड का उपयोग करके बिक्री टीम को और भी अधिक सक्षम बनाना एवं बैंक के पुराने और नए ग्राहकों को सहज अनुभव प्रदान करना. बिक्री टीम के माध्यम से पीडी कारोबार के विस्तार की संभावनाएं देखना.

डी. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए योजनाबद्ध नई पहल

- एल्गो ट्रेडिंग और विदेशी मुद्रा ग्राहकों के लिए ट्रेडिंग टर्मिनल का विस्तार : बैंक एल्गो ट्रेडिंग के लिए सिस्टम की पहचान और विक्रेता को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है. यह 25% ग्राहकों को विस्तारित ट्रेडिंग टर्मिनलों के साथ कवर करेगा जिससे डीलिंग रूम में जनशक्ति की आवश्यकता कम हो जाएगी.
- मौजूदा ग्राहकों की शेर में हिस्सेदारी बढ़ाना और नए ग्राहकों को शामिल करना: बैंक विदेशी मुद्रा कारोबार को मौजूदा और साथ ही नए ग्राहकों के अधिग्रहण से चलाएगा. ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशन (फिनास्ट्रा) ग्राहकों के दस्तावेजों की निगरानी के लिए लचीलेपन देगा जिसके कारण अधिक विदेशी मुद्रा कारोबार प्राप्त होगा.

- संरचित डेरिवेटिव्स डेस्क सेटअप : बैंक ने समर्पित संरचित डेरिवेटिव डेस्क स्थापित करने की योजना बनाई है जो ग्राहकों को अपने जोखिमों को अधिक कुशलता से और वास्तविक समय के आधार पर बचाव करने में मदद करेगी. यह हमारे ऋण वर्टिकल को संरचनाबद्ध डेरिवेटिव्स की मदद से संरचनाबद्ध ऋण उत्पादों द्वारा ग्राहकों की उधारी की लागत को कम करने में भी मदद कर रहा है.

ई. पुरस्कार/सम्मान:-

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ट्रेजरी को कामीकेज बी2बी मीडिया द्वारा शीर्ष ट्रेजरी टीम के रूप में फाइनेंशियल लीडरशिप पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

16 आस्ति की गुणवत्ता :

एनपीए प्रबंधन और वसूली

16.1 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यनिष्पादन का सारांश:

मार्च, 2021 की तुलना में एनपीए स्तर रु. 89788 करोड़ से घटकर मार्च, 2022 को रु. 79587 करोड़ हो गया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमारे बैंक की आरक्षित नगदी एवं उन्नयन, अन्य वसूली और आंकड़ों में कमी का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	(₹ करोड़ में)
	वित्त वर्ष 2021-22
सकल एनपीए 31.03.2021 को	89788
सकल एनपीए 31.03.2022 को	79587
एनएनपीए 31.03.2022 को	24303
नकद वसूली	5851
छद्म खाता-बही वसूली	2023
बढ़े खाते में वसूली	2734
सकल नकद वसूली	10608
उन्नयन	7743*
सकल नकद वसूली + उन्नयन	18351*
% सकल एनपीए	11.11
% निवल एनपीए	3.68

नोट : * वर्ष के दौरान अपग्रेड और स्लिप हो गए रु. 1957 करोड़ के खाते इसमें शामिल हैं

16.2 यूनियन सरस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान की गई डिजिटल पहल:

- वर्टिकल यानी यूनियन सरस (दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली का स्वचलित समाधान) का डिजिटलीकरण, जिसके माध्यम से हम 18 मॉड्यूल को डिजिटलाइज करने की योजना बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत इरादतन चूककर्ता वर्गीकरण, बीमा, मूल्यांकन और अधिवक्ता पैनल को पहले ही 31.03.2022 को और अन्य मॉड्यूल के रूप में सक्रिय कर दिया गया है. अर्थात सरफेसी आधान का निर्माण, डीआरटी का डिजिटलीकरण, एनसीएलटी मामले, लोक अदालत में निपटाए गए मामले आदि एनपीए की प्रभावी निगरानी और वसूली के लिए उन्नत चरण में हैं.
- संपत्तियों की जियो टैगिंग और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई और बेहतर कर्मचारी अनुभव के लिए मोबाइल रिकवरी ऐप का व्यापक उपयोग.
- आईबीए द्वारा शुरू किए गए भारतीय बैंकों में गिरवी रखी गई संपत्तियों की जानकारी (आईबीएपीआई) पोर्टल के तहत आम नीलामी मंच यानी ई-विक्रय पर संपत्तियों का प्रदर्शन.
- एनपीए परिसंपत्तियों की नीलामी करते समय अधिक से अधिक बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रचार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म (मैजिक ब्रिक्स, 99 एकड डॉट कॉम जैसे पोर्टल) का उपयोग.

16.3 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू की गई वसूली रणनीतियां :

- विशेष शाखाओं के माध्यम से एनपीए खातों की प्रभावी निगरानी और केंद्रित अनुवर्ती यानी एआरबी के माध्यम से 1.00 करोड़ रुपये से 25.00 करोड़ रुपये और 25.00 करोड़ रुपये से अधिक गैर एनसीएलटी खातों के माध्यम से एवं एक्सपोजर की सीमा के निरपेक्ष सभी एनसीएलटी खातों की एसएम शाखाओं द्वारा निगरानी.
- 5.00 करोड़ रुपये से अधिक के एक्सपोजर वाले एनपीए (टीडब्ल्यूओ / पीडब्ल्यूओ सहित) की खातावार समीक्षा करना.

- प्रत्येक एफजीएमओ/ आरओ/ एआरबी /एसएएम शाखाओं में मामले के आधार पर एनपीए के कानूनी मामलों के उचित और समर्पित अनुवर्ती कार्रवाई और साथ ही शीघ्र समाधान के लिए डीआरटी/ सीएमएम/ डीएम के साथ संपर्क करने के लिए विधि अधिकारी की नियुक्ति.
- एनपीए खातों की वसूली और त्वरित वसूली के लिए एआरबी/एसएएमबी को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा.
- उन खातों की कड़ी निगरानी जहां पहले से ही ओटीएस स्वीकृत है और प्रभावी वसूली के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई. योग्यता के आधार पर मामलानुसार ओटीएस में विस्तार/ विलंब की माफी पर विचार किया जा सकता है.
- ओटीएस की संभावना का पता लगाने और उसमें तेजी लाने के लिए एनपीए उधारकर्ताओं के साथ रचनात्मक बातचीत. असफल ओटीएस मामलों के मामले में, वसूली उपायों को तार्किक निष्कर्ष तक सख्ती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए.
- जहां तकनीकी कारणों से खाते एनपीए में फिसल गए हैं, जैसे समीक्षा/नवीनीकरण कागजात जमा न होने पर, स्टॉक विवरण जमा न होने पर, उन्हें तत्काल प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है और सभी खातों को अपग्रेड किया जाना है.
- योग्यता के आधार पर पात्र एनपीए खातों का पुनर्गठन और इकाई की व्यवहार्यता और संभाव्यता के आधार पर संचालन पर धारित राशि की अनुमति.
- त्वरित परिणाम प्राप्त करने के लिए वसूली/ उन्नयन की संभावना/संभावनाओं के आधार पर सभी शाखाओं द्वारा हर महीने एनपीए खातों की संभावित सूची तैयार की जानी चाहिए. शाखाओं को एक साथ शाखा के सभी एनपीए खातों पर काम करने के बजाय इस सूची पर अपना समय और ऊर्जा केंद्रित करनी चाहिए.
- एनसीएलटी के बाहर सभी पात्र मामलों में, आईसीए तंत्र के तहत समाधान का पता लगाया

गया है जोकि सभी संभावित व्यवहार्य इकाइयों में समयबद्ध रूप से शीघ्र समाधान के लिए है.

- एनपीए खातों की वसूली में लगे बीसी/बीएफ/ आरए का सुदृढीकरण और व्यापक उपयोग.
- केन्द्रीय कार्यालय में एक विशेष टीडब्ल्यूओ प्रकोष्ठ बनाकर टीडब्ल्यूओ/ पीडब्ल्यूओ खातों में वसूली के लिए विशेष ध्यान.
- एआरसी/ एनबीएफसी/ एफआई को ऋण सौंपना और उच्च मूल्य एनपीए को एनएआरसीएल (बैंक बैंक) में अंतरण के माध्यम से समाधान करना

17 रिलेशनशिप बैंकिंग

हमारे बैंक ने वर्ष 2021-22 के दौरान तृतीय-पक्ष उत्पादों के वितरण के माध्यम से रु.274.07 करोड़ की आय अर्जित की.

वित्त वर्ष 2021-22 हेतु आय

(₹ करोड़ में)

कारोबार पैरामीटर	टीपीपीडी आय डेटा यथा 31.03.2022			
	वित्त वर्ष 2020-21 का वास्तविक	वित्त वर्ष 2021-22 का लक्ष्य	वित्त वर्ष 2021-22 का वास्तविक	उपलब्धि का %
जीवन बीमा	142.13	157.00	170.24	108%
गैर-जीवन बीमा	48.72	58.00	48.14	83%
स्वास्थ्य बीमा	32.38	40.00	38.03	95%
म्यूचुअल फंड	17.34	15.00	17.66	118%
कुल आय	240.57	270.00	274.07	102%

वर्ष के दौरान उठाए गए कदम:

2021-22 में प्रारंभ किए गए नए उत्पाद:

बैंक नेटवर्क में नए उत्पाद / विकास :

- समूह गंभीर बीमारी बीमा उत्पाद: खुदरा ऋण लेने वालों के लिए मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से गंभीर बीमारियों को कवर करने वाला समूह बीमा उत्पाद प्रारंभ किया गया है.
- पीओएसपी-एलआई: विभाग ने जीवन बीमा कारोबार के तहत पीओएस उत्पादों के संग्रहण के लिए स्टाफ सदस्यों को पीओएसपी-एलआई के रूप में सूचीबद्ध करने हेतु विस्तृत परिपत्र जारी किया. विभाग ने पीओएस उत्पादों की मांग के लिए 1078 पीओएसपी-एलआई को नामांकित किया है.

- केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की ओर से ग्रुप केयर 360 में यूनियन हेल्थ केयर पॉलिसी धारकों को पोर्टेबिलिटी का विकल्प दिया गया है।
- कारोबारी प्रतिनिधियों के माध्यम से बीमा उत्पादों के उत्पादन/बिक्री के लिए प्रायोगिक आधार पर कदम उठाए गए हैं और आने वाले दिनों में इसे बढ़ाया जाएगा।

डिजिटल पहल:

- जन सुरक्षा पोर्टल (इन-हाउस विकसित) को पीएमजेजेबीवाई / पीएमएसबीवाई के तहत नामांकन की निगरानी के लिए डीआईटी के सहयोग से अद्यतन किया गया है।
- फिनेकल में यूएमएफओटी मैनू के माध्यम से यूनियन म्यूचुअल फंड सेवाएं
 - विवरण सृजन सक्षमता।
 - एकमुश्त खरीदारी करने के बाद सक्रिय विभाग एसआईपी खरीद पर भी काम करेगा।
 - एकमुश्त निवेश करने की सुविधा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इसे लाइव बनाया गया है।
- विभाग ने सुडलाइफ से प्राप्त नवीनीकरण डेटा के आधार पर सुडलाइफ नवीनीकरण प्रीमियम के स्वचालित संग्रह की प्रक्रिया विकसित की है।
- डीआईटी के सहयोग से एक नई पहल शुरू की गई, जिसमें ग्राहकों को एसएमएस भेजे गए और सहमति प्राप्त की गई, जिसके आधार पर उन्हें पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई के लिए नामांकित किया गया।
- पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई से संबंधित दावों को सीधे उनके पोर्टल के माध्यम से संबंधित बीमा कंपनी को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए सभी शाखाओं को पहुंच प्रदान की गयी। कागज रहित दावा प्रस्तुत करने की यह पूरी प्रक्रिया डीएफएस के निर्देशों के अनुसार सक्षम पहल है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

नए नामांकन (01.04.2021 से 31.03.2022 तक)				संचयी नामांकन	
लक्ष्य मार्च 2022		मार्च 2022 तक कुल		लक्ष्य मार्च 2022	
पीएम एसबी वाई	पीएम जेजेबी वाई	पीएम एसबी वाई	पीएम जेजेबी वाई	पीएम एसबी वाई	पीएम एसबी वाई
16.50	4.48	31.37	8.53	178.94	49.72

18 सरकारी कारोबार:

सरकारी कारोबार और रिलेशनशिप वर्टिकल के कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं:

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में भारतीय स्टेट बैंक के बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना में सभी नागरिक मॉडल में बैंक दूसरे स्थान पर रहा है। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के कुल 75 अधिकृत वित्तीय संस्थानों में 5 वां स्थान रहा है।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत 27,452 नए खाते खोले गए और पिछले वर्ष के तुलना में 50.22% की वृद्धि दर्ज की गई।
- वित्त वर्ष में 87,000 करोड़ की राशि के कर चालान संग्रह 5 मिलियन पर पहुंच गया।
- इस वित्त वर्ष में 9.42 लाख खातों के लक्ष्य के सापेक्ष 1 मिलियन लघु बचत योजना खाते खोले गए और यह संख्या 10.08 लाख खातों पर पहुंच गयी।
- हमारे बैंक में सरकारी जमा अब 3.75 लाख करोड़ के मील के पत्थर तक पहुंच गया है और सरकारी खातों से कासा अब 82,855 करोड़ रुपये हो गया।
- पेंशन के अंतर्गत 7,615 खातों के लक्ष्य के सापेक्ष 14,391 नए खाते जोड़े गए।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख कारोबार जुटाना

- 32,385 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 206 एकल नोडल एजेंसी खाते खोले गए।
- कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एफपीओ योजना के कार्यान्वयन के लिए एनएएफईडी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर समझौता किया गया है। जिसमें 4,300 करोड़ रुपये के 10,000 एफपीओ खाता खोले जाएंगे। निधियों के ट्रैकिंग हेतु एनएएफईडी एचक्यू को ई-निगरानी पोर्टल प्रदान किया जाएगा।
- नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2500 करोड़ रुपये की जमा राशि जुटाई गई।
- रेल विकास निगम लिमिटेड को विक्रेता और वेतन भुगतान के लिए एसएफटीपी एकीकरण के साथ अनुकूलित इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल समाधान सुविधा प्रदान की गई। रेल विकास निगम लिमिटेड के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों में यह सुविधा प्रदान की गई और 1800 करोड़ रुपये की जमा राशि जुटाई।
- बीमटेक, एमडीआई गुरुराम और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीस को शुल्क संग्रह हेतु पेमेंट गेटवे की सुविधा प्रदान की गई।

- प्रयोगशाला शुल्क और प्लास्टिक निर्माताओं से प्रसंस्करण शुल्क के संग्रह के लिए सीपीसीबी के पेमेंट गेटवे संग्रह खाते खोले गए और साथ ही 271 करोड़ रुपये की जमा राशि जुटाई गयी.
- 1000 करोड़ रुपये बजट वाली मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना में फसल विविधिकरण के लिए कृषि और खाद्य उत्पादन मंत्रालय, उड़ीसा का खाता खोला गया.
- 55,000 कर्मचारियों को पेंशन संवितरण हेतु उत्तर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया.

जन बल

दिनांक 31.03.2022 को हमारे बैंक का कुल जनबल 75201 था.

वर्ष	अधिकारी		लिपिक		अधीनस्थ- स्टाफ		कुल		कुल स्टाफ
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
2019-20	17398	5671	8050	3045	2668	486	28116	9202	37318
2020-21	31629	11505	17763	8225	6585	2495	55977	22225	78202
2021-22	31326	11469	16389	7705	5979	2333	53694	21507	75201

मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उच्च कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करना है. बैंक का विकास उसके मानव संसाधनों की दक्षता और प्रभावशीलता पर निर्भर होता है. आपके बैंक का सदैव यह प्रयास रहा है कि बैंक के सभी क्षेत्रों और कार्यात्मक आउटलेट्स पर हर समय पर्याप्त कार्यबल उपलब्ध रहे.

आपका बैंक प्रति वर्ष विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की आवश्यकता की समीक्षा करता है और विभिन्न संवर्गों में रिक्तियों का कारोबार की वृद्धि, भावी शाखा विस्तार/समीकरण, इस्तीफा, अधिवर्षिता के कारण सेवानिवृत्ति / वीआरएस इत्यादि के कारण हुई रिक्तियों के आधार पर विश्लेषण भी किया जाता है.

आपके बैंक में निर्दिष्ट श्रेणियों हेतु रोजगार में आरक्षण हेतु सरकार की आरक्षण नीति के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है. तदनुसार, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), मुंबई को माँगपत्र भेजा जाता है. कर्मचारियों की कुल संख्या में समस्त आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार:

यूनियन प्रेरणा परियोजना:

विवरण	अधिकारी		लिपिक		अधीनस्थ- स्टाफ		कुल	
कुल स्टाफ	42795		24094		8312		75201	
जिनमें से	कुल	%	कुल	%	कुल	%	कुल	%
अनुसूचित जाति (अजा)	7417	17.33	4707	19.54	2979	35.84	15103	20.08
अनुसूचित जन जाति (अजजा)	3391	7.92	1906	7.91	698	8.40	5995	7.98
अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव)	12330	28.81	7460	30.96	2660	31.52	22410	29.80
आर्थिक रूप से कर्मजोर वर्ग (ईडबल्यूएस)	151	0.35	263	1.09	0	0	414	0.55
दिव्यांग (पीडबल्यूडी)	1402	3.27	732	3.04	304	3.66	2438	3.24
भूतपूर्व सैनिक	872	2.03	3051	12.66	725	8.72	4648	6.18

मानव संसाधन प्रबंधन:

आपका बैंक अपनी मानव संसाधन पूंजी में निवेश करके और अपने लोगों की प्रक्रियाओं को अनवरत सुदृढ़ करने के उपायों द्वारा सर्वोत्तम सेवायोजना अनुभूति प्रदान करने का प्रयास करता है. आपका बैंक अपने कार्यबल को सशक्त बनाने के साथ-साथ कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने में अग्रणी रहा है. लोगों के विकास के साथ-साथ वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक द्वारा निर्बाध कामकाज के लिए शुरू की गई प्रक्रियाओं के स्वचालन और डिजिटलीकरण के स्थिरीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मानव संसाधन नवाचार, नेतृत्व व प्रशिक्षण के लिए प्राप्त अनेकों पुरस्कार के माध्यम से उद्योग ने आपके बैंक के प्रयासों को मान्यता प्रदान की है और उनकी सराहना भी की है.

यूनियन प्रेरणा एक महत्वाकांक्षी डिजिटल मानव संसाधन परिवर्तन परियोजना है जिसने पिछले 12 महीनों में 10 से अधिक उद्योगों को डिजिटल की पेशकश की पहल के साथ एक मजबूत मानव संसाधन की नींव का निर्माण किया है।

यूनियन प्रेरणा परियोजना के अंतर्गत विकसित डिजिटल मानव संसाधन उपकरण न केवल सभी हितधारकों को कॉर्पोरेट लक्ष्यों को संप्रेषित करने के लिए कॉर्पोरेट रणनीति की प्रभावशीलता को मापता है बल्कि उन्हें समूहिक दृष्टि से साकार करने और बैंक में कार्यनिष्पादन संस्कृति को विकसित करने के लिए भी तैयार करता है।

हमने अपने लक्ष्य को रणनीतिक बनाया है जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और इस पूरी परियोजना को निम्नलिखित मॉड्यूल में विभाजित किया गया है:

कार्य की स्पष्टता: प्रणाली को अधिक उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए, किसी व्यक्ति की प्रमुख जिम्मेदारी क्षेत्रों को फिर से परिभाषित किया जाता है, जिसमें प्रमुख पैरामीटर जैसे शाखा लाभप्रदता, ग्राहक संतुष्टि, एनपीए, स्लिपेज आदि को अधिकतम सीमा तक मापने योग्य बनाना शामिल है।

कार्य की स्पष्टता उपकरण को पहली बार बैंक में डिजाइन और पेश किया गया था और शायद बैंकिंग उद्योग में भी पहली बार किया गया। इस उपकरण के माध्यम से कर्मचारियों को उनके कार्यनिष्पादन मूल्यांकन वर्ष के प्रारंभ होने के बहुत पहले ही उनके पर्यवेक्षकों द्वारा उनकी भूमिकाएँ और केआरए को डिजिटली सौंप दिया गया था।

इस उपकरण की कुछ विशेषताएँ :

- उपकरण के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी को डिजिटल भूमिका सौंपी गई।
- लक्ष्यों को दर्शाते हुए ऑटो पॉपुलेटेट केआरए।
- एकल अधिकारी को विविध भूमिका वाले कार्यभार की अनुमति दी गयी।

लक्ष्य निर्धारण : लंबे समय से बैंक अपने अंचलों, क्षेत्रों और शाखाओं का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक पारंपरिक पद्धति का उपयोग कर रहा था। शाखा लक्ष्य निर्धारित करते समय स्थानीय बाजार की विशेषताओं के बारे में सोचने की जरूरत थी। सम्पूर्ण लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया को अधिक समावेशी स्वचालित और वैज्ञानिक बनाने की भी आवश्यकता थी।

उक्त को देखते हुए, इस प्रक्रिया में सुधार करने के लिए चार सिद्धांतों पर आधारित एक नया लक्ष्य निर्धारण उपकरण की रूपरेखा बनाई गयी:

- एल्गोरिथम मान्यताओं से निर्मित वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
- टॉप-डाउन और बॉटम-अप लक्ष्य निर्धारण तंत्र का संयोजन।
- सक्षमता प्रदान करने वाली ऑटोमेशन प्रणाली।
- लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी और प्रतिक्रिया

इस नए लक्ष्य निर्धारण मॉडल/ उपकरण ने अब लक्ष्यों को अधिक यथार्थवादी और बाजार विशेषताओं के अनुरूप बना दिया है। इस प्रक्रिया को अब मैन्युअल से डिजिटल रूप में भी स्थानांतरित कर दिया गया है।

योग्यता ढांचा/रूपरेखा: कार्यात्मक और व्यवहार दक्षताओं सहित योग्यता ढांचे को पुनः परिभाषित किया गया है। वार्ता कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल, परिवर्तन प्रबंधन आदि जैसी दक्षताओं को व्यवहार दक्षता में शामिल किया गया है। व्यक्तिगत विकास योजना (आईडीपी) के माध्यम से स्वयं को प्रबंधित करने, टीम का प्रबंधन करने और कारोबार के प्रबंधन जैसे व्यवहार संबंधी लक्षणों के माप के लिए दक्षताओं के रूप में पहचाना जाता है। व्यक्तिगत विकास योजना के बाद साइकोमेट्रिक आंकलन, संज्ञानात्मक क्षमता, कैसलेट और 360 डिग्री फीडबैक जैसे कई प्रयास नेतृत्व भूमिका के लिए किए गए।

तैनाती: सिस्टम आधारित तैनाती टूल सही भूमिका के लिए सही कर्मचारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभा, कौशल-सेट, जॉब फैमिली आवंटन, कर्मचारी के अनुभव पर आधारित है। एक स्वचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे समय पर रोटेशनल / स्थानांतरण गतिविधियों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली क्षमता को कैप्चर करती है तथा मापती है और लक्षित कर्मचारियों की पहचान के लिए मुख्य भूमिका निर्धारित करने हेतु भावी उत्तराधिकारियों की पहचान सुनिश्चित करती है।

प्रतिभा प्रबंधन और उत्तराधिकार आयोजना: उत्तराधिकार आयोजना एक अन्य रणनीतिक गतिविधि है, जो विस्तृत होने के बावजूद किसी भी संगठन के लिए अमूल्य लाभकारी हैं। हम उन महत्वपूर्ण पदों की पहचान करेंगे जो अगले 2-3 वर्षों में रिक्त हो रहे हैं, या नए पदों की पहचान करेंगे जो ऐसे समय में सृजित होने जा रहे हैं और अधिक सक्षम उम्मीदवारों का एक प्रतिभा पूल तैयार

करेंगे, जिन्हें अब से कुछ साल बाद उन्हें ये भूमिकाएँ निभाने में सक्षम बनाने के लिए अनुकूलित विकास पथों पर रखा जाएगा।

बैंक ने प्रतिभा पूल की पहचान करने के लिए एक प्रतिभा प्रबंधन समिति और संभावित उत्तराधिकारियों की पहचान करने के लिए एक वरिष्ठ प्रबंधन समिति बनाई है। प्रतिभा क्षेत्र में शिक्षा पृष्ठभूमि, बैंक के भीतर पूर्व कार्य अनुभव, योग्यता मानचित्रण, प्रमुख उपलब्धियाँ आदि जैसे विवरण शामिल हैं। ऐसे सभी अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाएँ तैयार की गई हैं जिनमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ-साथ विकास के क्षेत्र भी शामिल हैं।

जॉब फैमिली और कैरियर ढांचा: पुनः डिज़ाइन दृष्टिकोण जॉब फैमिली को युक्तिसंगत बनाता है यानी सभी कार्यों में कारोबारिक कार्यनिष्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक में जॉब फैमिली को अनुकूलित करता है और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होता है। नई जॉब फैमिली संरचना नए संगठन संरचना और विशेष कौशल-सेट आवश्यकता पर आधारित है।

कोहोर्ट और ग्रेडिंग: कोहोर्ट उन व्यक्तियों का समूह / बंड है जिसमें समान प्रकार की प्रकृति और विशेषताएँ समान होती हैं। बैंकिंग शब्दावली में कोहोर्ट समान प्रकार की शाखाओं का समूह हो सकता है उदाहरण के लिए एनपीए केंद्रित समूह, एमएसएमई केंद्रित समूह, जमा आधारित शाखाओं का समूह इत्यादि। कोहोर्ट विश्लेषण एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जो समय के साथ शाखाओं के एक समूह के व्यवहार का विश्लेषण करने पर केंद्रित है, जिससे उन शाखाओं के अनुभव के बारे में अंतर्दृष्टि उजागर होती है, और ये शाखाएँ उन अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकती हैं।

कार्यनिष्पादन डैशबोर्ड: कार्यनिष्पादन डैशबोर्ड को कारोबार और गैर-कारोबारी मापदंडों के लक्ष्यों और केआरए, शीर्ष और निचले कार्यनिष्पादन की प्रवृत्ति, एक ही समूह की अन्य शाखाओं / कार्यालयों के साथ कार्यनिष्पादन की तुलनात्मक स्थिति के सापेक्ष आवधिक कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए बनाया गया है। डैशबोर्ड शाखा प्रमुखों, क्षेत्रीय प्रमुखों और अंचल प्रमुखों के लिए बनाया गया है। कार्यनिष्पादन डैशबोर्ड ने एमआईएस, फिनेकल, एलएस, लक्ष्य निर्धारित टूल और अन्य उपलब्ध बैंक के प्लेटफार्मों से डेटा और जानकारी प्राप्त करता है ताकि शाखा, क्षेत्र और अंचल द्वारा प्राप्त किए गए प्रमुख मापदंडों पर कार्यनिष्पादन को ज्ञात किया जा सके।

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन: कार्यनिष्पादन प्रबंधन एक संगठन में महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है जो कर्मचारी के कार्य को प्रोत्साहित करने और उत्पादकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। पीएमएस के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन उपकरण को इस तरह से बनाया गया है कि यह अधिक उद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष हो। बैंक में सभी संरचनाओं में केआरए को विशिष्ट

कार्य भूमिकाओं की पहचान करके और उन्हें एक व्यक्ति के प्रमुख जिम्मेदारी क्षेत्रों के साथ मैप करके उन्हें और अधिक मापने योग्य बनाने के लिए फिर से परिभाषित किया गया है, जो शाखा / कॉर्पोरेट स्तर पर वैज्ञानिक और उचित लक्ष्य निर्धारण सुनिश्चित करता है, जिससे सिस्टम अधिक मजबूत और पारदर्शी हो जाता है।

मूल्यांकन टूल कारोबारी अवसरों का दोहन करने के रूप में कार्यों में सुधार उपायों को भी प्रदान करता है, कर्मचारी के लक्ष्यों में कमी को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रथाओं आदि और कॉर्पोरेट लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ कारोबार विकास में समान परिणाम प्रदान करता है।

संशोधित मूल्यांकन टूल निम्नलिखित 5 सिद्धांतों पर आधारित है:

- भूमिकाओं के लिए माप योग्य केआरए हेतु स्वचालित और वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग।
- कार्यनिष्पादन भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलित ग्रेड कर्व के साथ कोहोर्ट आधारित कार्यनिष्पादन ग्रेडिंग।
- आगे की प्रतिक्रिया सहित लीडरों और टीम के सदस्यों के बीच आवधिक प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यप्रवाह।
- मूल्यांकन के आधार पर प्रशिक्षण और विकास की जरूरतों की पहचान करना।
- मूल्यांकन वर्ष स्कोर/ग्रेड और पोस्टिंग एवं पदोन्नति निर्णयों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना।

ज्ञानार्जन व विकास:

संशोधित संगठन संरचना के अनुसार, आपके बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली ज्ञानार्जन और विकास प्रभाग के तत्वाधान में कार्य कर रही है। इसके अलावा, ईज़ एजेंडा के अनुसार, आपके बैंक ने मानव संसाधन परिवर्तन के भाग के रूप में विभिन्न ज्ञानार्जन और विकास पहलों और प्रक्रियाओं को कार्यान्वित किया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अपने कार्यबल की ज्ञानार्जन को निर्बाध रखने के लिए विभिन्न वेबिनार, बैंक के 75 शीर्ष कार्यपालकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम सहित अल्प अवधि / दीर्घ अवधि के कार्यक्रम आईएसबी हैदराबाद के सहयोग से आयोजित किए गए। 1356 दीर्घ अवधि के कार्यक्रम (658 जॉब फैमिली आधारित कार्यक्रमों सहित) और 889 अल्प अवधि के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 69408 कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, 10405 कर्मचारियों को बाहरी संस्थानों से

उद्योग में नवीनतम विकास ज्ञानार्जन के लिए प्रशिक्षण (वेलनेस पर वेबिनार सहित) प्रदान किए गए. आपके बैंक ने स्टाफ सदस्यों के ज्ञानार्जन और विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए "यूनियन लर्नार्थॉन" नामक विशेष श्रृंखला भी शुरू की है. कर्मचारियों के सदस्यों के कौशल को बढ़ाने हेतु यूनियन लर्नार्थॉन श्रृंखला में 3800 एमसीक्यू, 25 अभ्यास सेट और 15 दिग्दर्शिका निरंतर ज्ञानार्जन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए गए.

स्टाफ कॉलेज की इन-हाउस टीम ने 12 भाषाओं में ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा पर पॉडकास्ट का शुभारंभ किया. बैंक अब ज्ञानार्जन एवं विकास पहलों के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र (सीआई) शुरू करने की प्रक्रिया में हैं.

राजभाषा:

आपके बैंक को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 4 प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया:

1. सर्वश्रेष्ठ बैंक - प्रथम
2. सर्वश्रेष्ठ पत्रिका - द्वितीय
3. सर्वश्रेष्ठ नराकास - द्वितीय
4. सर्वश्रेष्ठ पत्रिका - द्वितीय

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आपके बैंक को देश भर में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा स्थापित विभिन्न नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) से राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 74 पुरस्कार प्राप्त हुए. बैंक के 103वें स्थापना दिवस पर, 13 भारतीय भाषाओं में ग्राहकों के लिए फिनेकल की सेवाएं जैसे पासबुक प्रिंटिंग की सुविधा, खाता विवरण, धन्यवाद पत्र और चयनित विवरण और रिपोर्ट निकालने की सुविधा उपलब्ध की गई. सभी ग्राहकों के लिए 13 भाषाओं में एसएमएस सुविधा उपलब्ध है. 11 भारतीय भाषाओं में कॉल सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है. 'यू-मोबाइल' एप्लिकेशन 13 भाषाओं में उपलब्ध है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने साइबर सुरक्षा पर एक कार्टून बुक 'सीआईएसओ- मैं हूँ ना' और एमएसएमई क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए एक पुस्तक 'एमएसएमई के विविध आयम' भी प्रकाशित की गयी है.

आपके बैंक की तिमाही द्विभाषी कॉर्पोरेट संस्थानिक पत्रिका 'यूनियन धारा' को 'हाउस जर्नल प्रिंट रीजनल अवार्ड' श्रेणी में

प्रतिष्ठित पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) से रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है. बैंक की तिमाही हिन्दी पत्रिका 'यूनियन सृजन' ने भी आशीर्वाद पुरस्कार प्राप्त किया है. 'यूनियन धारा' के 'कर्नाटक', 'अनुपालन' और 'एसएमवी' पर विशेष अंक प्रकाशित किए गए. यूनियन सृजन का 'तेलंगाना' पर विशेष अंक भी प्रकाशित किया गया.

प्रमाणित आईएसओ 30414: 2018 - मानव संसाधन रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक

आपके बैंक ने आईएसओ 30414:2018 अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मानव संसाधन पूंजी प्रबंधन प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत में बैंकिंग उद्योग में मानव संसाधन-विशिष्ट आईएसओ 30414 प्रमाणन प्राप्त करने वाला प्रथम बैंक है जिसे 2018 में प्रकाशित किया गया था. बैंक ने एक महत्वाकांक्षी मानव संसाधन परिवर्तन परियोजना "यूनियन प्रेरणा" शुरू की है जिसमें आईएसओ मानकीकरण प्रक्रिया को गति देते हुए विभिन्न मानव संसाधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं का सुधार और डिजिटलीकरण शामिल है.

यह प्रमाण पत्र एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित प्रमाणन निकाय मेसर्स आरआईआर प्रमाणन प्राइवेट लिमिटेड (आईएसएस, यूएसए द्वारा मान्यता प्राप्त) द्वारा बैंकिंग सेवाओं के क्षेत्र में आंतरिक और बाहरी मानव पूंजी रिपोर्टिंग समर्थन के प्रावधान के लिए जारी किया गया था. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बैंक को मेसर्स डिजिटलेज स्ट्रेटजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्देशित किया गया था.

आईएसओ 30414:2018 प्रमाणन से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पीएसबी सुधार सूचकांक ईज 3.0 के "शासन और परिणाम-केंद्रित मानव संसाधन" विषय में उच्च स्थान पर रहने के लिए भी मानव संसाधन के क्षेत्र में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्राप्त एक अतिरिक्त उपलब्धि है.

आईएसओ 30414:2018 मानव संसाधन आंतरिक और बाहरी रिपोर्टिंग मानक प्रभावी प्रबंधन के साथ-साथ नियामकों और हितधारकों को मानव संसाधन डाटा के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए विश्वसनीय मानव संसाधन रिपोर्ट और विश्लेषण तैयार करने में संगठनों की मदद करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं. आईएसओ 30414:2018 प्रमाणन ने बैंक को मानव संसाधन मूल्य निर्माण को मापने और मूल्यांकन करने के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत मानकों को स्थापित करने में मदद की है.

पुरस्कार एवं सम्मान (वित्त वर्ष 2021-22)

प्राप्त पुरस्कार		
क्र सं	द्वारा प्रदत्त	श्रेणी
1	ग्रीनटेक फाउंडेशन	ग्रीनटेक एनर्जि कंजर्वेशन अवार्ड 2021 लीडिंग डायरेक्टर अवार्ड 2021

कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों को सहायता

18.1 कोविड की स्थिति और सेवाओं की निरंतरता पर इसके प्रभाव की समीक्षा हेतु नियमित अंतराल पर कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) की बैठकें आयोजित की गईं। आपके बैंक ने कोविड 19 की रोकथाम के लिए पहल की और इसके लिए परामर्श, दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी किया। आपके बैंक ने महामारी के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को विशिष्ट प्राथमिकता के साथ 'वर्क फ्रॉम होम' को भी प्रोत्साहित किया। कोविड 19 के कारण जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिए 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के प्रावधान के अनुसार 225 परिवारों को कुल 45 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। आपके बैंक ने महामारी के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने तथा परिपत्रों और अन्य माध्यमों से वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए विभिन्न एहतियाती उपायों और सामाजिक प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लगातार प्रयास किया। कोविड एक्शन टीम (सीएटी) जो कर्मचारियों के बीच कोविड मामलों की निगरानी और त्वरित रिपोर्टिंग के लिए अंचलीय और क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित की गई थी ताकि प्रभावित स्टाफ सदस्यों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।

18.2 शाखा नेटवर्क

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक हमारे बैंक का शाखा नेटवर्क 8870 शाखाओं और 3 विदेशी शाखाओं (हांगकांग, सिडनी, दुबई) के साथ देश भर में व्यापक रूप से फैला हुआ है। इनमें से 57 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं।

तालिका 11 : दिनांक 31.03.2022 तक शाखा नेटवर्क

	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरी	विदेशी	कुल
शाखाओं की संख्या	2537	2552	1844	1937	3	8873
शाखाएँ (%)	28	29	21	22	--	100

19 डिजिटल नेटवर्क को बढ़ाने के उपाय

डिजिटल इजेशन वर्टिकल

डिजिटल इजेशन वर्टिकल को बैंक की डिजिटल विजन को फिर से उन्मुख करके बैंक की डिजिटल परिवर्तन यात्रा को चलाने के लिए बनाया गया है। वर्टिकल में डिजिटल यात्रा, डिजिटल बैंकिंग विभाग और डिजिटल इंटरैक्शन और साझेदारी शामिल हैं। सब-वर्टिकल-वार उत्पाद पर प्रकाश डाला गया है और दिनांक 31.03.2022 को की गई गतिविधियों का वर्णन नीचे दिया गया है।

डिजिटल यात्रा

i. रु. 10 लाख तक एमएसएमई स्वचालित नवीनीकरण

यह एक पूरी तरह से स्वचालित योजना है इसमें उधारकर्ता से वित्तीय और अन्य दस्तावेजों तथा किसी भी स्तर पर शाखा से किसी भी डेटा इनपुट की मांग किए बिना न्यूनतम मैन्युअल हस्तक्षेप के साथ रुपये 10.00 लाख तक की एमएसएमई क्रेडिट सुविधाओं (कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण) की समीक्षा/नवीनीकरण के लिए तैयार किया गया है।

कार्यशील पूंजी की नवीनीकरण प्रक्रिया एक नकदी प्रवाह आधारित विश्लेषण है जिसमें दो क्लिक यात्रा होती है, एक ग्राहक तक और दूसरा शाखा तक। जबकि सावधि ऋण की समीक्षा शाखा में एक क्लिक द्वारा की जा सकती है। डिजिटल कार्यकारी सारांश में उत्पन्न, विधिवत रूप से भरे गए मानकीकृत प्रणाली से बैंक की डेटा गुणवत्ता में सुधार होगा। यह कार्यक्षमता को पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त जनबल की बचत करेगा जिसके परिणामस्वरूप भारी अवसर लागत में बचत होगी। हमारे कुल एमएसएमई पोर्टफोलियो खाते के 80% में 10.00 लाख रुपये से कम बकाया वाले ऋण खाते शामिल हैं।

ii. केसीसी स्वचालित नवीनीकरण:

रुपये 1.60 लाख तक केसीसी ऋणों के नवीनीकरण के लिए योजना किसान द्वारा भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना खेत के स्थान, स्वामित्व और प्रभार विवरण के बारे में विवरण निकालने के लिए सुविधाओं के साथ-साथ सहायता प्राप्त मोड में चलाने के लिए बनाई गई है। यह टीएटी को कम करने में मदद करता है, फसल और मिट्टी के

स्वास्थ्य, भूजल स्तर, पिछली फसल के इतिहास के बारे में समृद्ध जानकारी प्रदान करके विश्लेषण के साथ-साथ बाजार और मंडियों पर कृषि सलाहकार जानकारी के साथ डिजिटल रूप से किसान को लाभ पहुंचाता है। हमारे कुल केसीसी पोर्टफोलियो खाते के 90% में रुपये 1.60 लाख से कम बकाया वाले ऋण खाते शामिल हैं।

iii. पीएपीएल :

वेतनभोगी ग्राहकों के लिए वर्ष- 2020-21 में पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण (पीएपीएल) शुरू किया गया था और बाद में यूमोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संशोधित बीआरई और बेहतर यूआई के साथ गैर-वेतनभोगी ग्राहकों तक बढ़ाया गया।

रुपये 3000 करोड़ के मूल्य के साथ 1.15 लाख के लक्षित ग्राहक के साथ 50 लाख रुपये तक का पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण शुरू किया गया।

iv. यूनियन कैश:

यह एक वेब-आधारित एंड-टू-एंड डिजिटल यात्रा है जिसे पेंशनभोगियों को क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए विश्लेषण आधार पर बनाया गया है।

v. क्रेडिट लिंकड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल:

विभिन्न केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु ग्राहकों को नामांकित करने के लिए एक ही बिंदु के साथ एक एकीकृत पोर्टल को कार्यान्वित करने के लिए डीएफएस दिशानिर्देश के अनुरूप, क्रेडिट लिंकड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल तैयार किया गया है। हम उन गिने-चुने बैंकों में से हैं जिन्होंने सभी योजनाओं को विधिवत एकीकृत किया गया है और वे लाइव चल रही हैं।

vi. सीआरएम (CRM) समाधान:

सीआरएम प्रणाली एक टूल है जिसका उद्देश्य बिक्री, विपणन और सेवा प्रबंधन के साथ बैंक की मदद करना है। सीआरएम कई चैनलों से ग्राहक डेटा एकत्र करता है और समग्र बैंकिंग इतिहास, व्यक्तिगत जानकारी और यहां तक कि खरीद व्यवहार पैटर्न पर विस्तृत जानकारी रखता है।

मुंबई अंचल के सभी विपणन अधिकारियों और 50 एमएसएमई प्रथम शाखाओं के लिए प्रायोगिक आधार

पर अंतरिम लीड प्रबंधन समाधान शुरू किए गए हैं। सीआरएम समाधान को यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड तक बढ़ा दिया गया है।

vii. बीमा का डिजिटल इजेशन और म्यूचुअल फंड कारोबार:

बीमा कारोबार

तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री के माध्यम से शुल्क-आधारित आय बढ़ाने के लिए, वर्टिकल ने बीमा बिक्री, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश उत्पादों की डिजिटल सक्षमता को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। वर्तमान में बैंक चैनल भागीदारों के बीमा उत्पाद को केवल शाखा नेटवर्क के माध्यम से बेच रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीमा उत्पाद को सक्षम करने से हमारे ग्राहक ऑनलाइन बीमा खरीदने में सक्षम होंगे जिससे कारोबार बढ़ेगा। बैंक ने बीमा कारोबार के लिए डिजिटल समाधान की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण, रखरखाव और समर्थन के लिए विक्रेता को ऑनबोर्ड किया है।

म्यूचुअल फंड कारोबार

बैंक ने म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए डिजिटल समाधान की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण, रखरखाव और सहयोग के लिए विक्रेता को ऑनबोर्ड किया है।

डिजिटल बैंकिंग विभाग

1. डिजिटल व्यवस्था बढ़ाने के उपाय

ए) मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में सरलता

i. डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पंजीकरण के अलावा, यू-मोबाइल पर नए और मौजूदा ग्राहकों के त्वरित पंजीकरण के लिए शाखाओं को शाखा जनित टोकन का उपयोग करके पंजीकरण का एक अन्य तरीका प्रदान किया गया है। इस प्रक्रिया के साथ, डेबिट कार्ड पर निर्भरता कम हो जाती है और नए खोले गए खाते वाले ग्राहक को शाखा टोकन के साथ उसी दिन यू-मोबाइल पर ऑनबोर्ड किया जा सकता है।

ii. ग्राहकों और क्षेत्र कर्मियों की प्रतिक्रिया के आधार पर वाई-फाई नेटवर्क का उपयोग करके पंजीकरण को यू-मोबाइल पर ऑनबोर्डिंग के लिए सक्षम किया गया है।

बी) मोबाइल बैंकिंग में नई विशेषताओं और मूल्य वर्धित सेवाओं की शुरुआत

इस अवधि के दौरान, ग्राहकों के बीच मोबाइल बैंकिंग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई-नई विशेषताएं और सेवाएं शुरू की गईं:

- बैंक के भीतर अन्य ग्राहकों को फंड ट्रांसफर सीमा में रुपये 10 लाख तक की वृद्धि
- आईएमपीएस सीमा में प्रति लेनदेन रुपये 5 लाख तक की वृद्धि
- त्वरित निधि अंतरण की सीमा रुपये 50000 तक बढ़ा दी गई
- यू-मोबाइल के माध्यम से पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण प्रस्ताव और संवितरण
- यू-मोबाइल का उपयोग करके जमा राशि के विरुद्ध ऋण
- टीडीएस और ब्याज प्रमाण पत्र का सृजन और डाउनलोड
- यू-मोबाइल का उपयोग करके फॉर्म 15जी/एच प्रस्तुत करना
- विभिन्न मैसेजिंग ऐप्लिकेशन के माध्यम से लेन-देन रसीद साझा करने के लिए विकल्प सक्षम
- नेविगेशन को आसान बनाने के लिए पूर्व-लॉगिन पृष्ठ पर शेष राशि पूछताछ

सी) इंटरनेट बैंकिंग में नई सेवाएं और विशेषताएँ

इस दौरान, ग्राहकों के बीच इंटरनेट बैंकिंग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई-नई विशेषताओं और सेवाओं को शुरू किया गया है:

- ओटीपी का उपयोग कर ग्राहक द्वारा उपयोगकर्ता आईडी को सक्षम/अक्षम करने की सुविधा
- डिफॉल्ट रूप से, कर भुगतान के लिए नकद क्रेडिट खातों को सक्षम करना
- प्रति लेनदेन आईएमपीएस सीमा में रुपये 5 लाख तक की वृद्धि
- इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके सीधे प्रक्रिया (एसटीपी) के तहत पीएनजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई में नामांकन

- डेबिट कार्ड नियंत्रण (चैनलों को सक्षम/अक्षम करें)
- जमा खातों के लिए ब्याज प्रमाण पत्र का सृजन और डाउनलोड
- शेष राशि प्रमाण पत्र का सृजन और डाउनलोड
- इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके खाते में आधार और जीएसटीएन प्रवृष्ट
- जमा खातों में नामांकन जोड़ना
- फॉर्म 15जी/एच जमा करना
- लॉगिन पृष्ठ का सरलीकरण (प्रक्रिया एकल स्क्रीन में पूरी हो जाती है)
- सीबीएस में मेनू "EBANKING" को पेश करके शाखाओं के लिए व्यवस्थापक अधिकारों का विकेंद्रीकरण

डी) अभियान

बैंक ने मोबाइल बैंकिंग पर डिजिटल उपयोग बढ़ाने हेतु इस अवधि के दौरान अभियान चलाया है।

- 3एम (मिशन, मिलियन, मोबाइल) अभियान
 - यह अभियान 15-09-2021 से 31-10-2021 तक आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 1 मिलियन नए मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया था।
 - अभियान अवधि के दौरान कुल 814814 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत किए गए थे।
- एमआरबीटी (MRBT) अभियान (शाखा टोकन का उपयोग करके मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण)
 - एमआरबीटी अभियान 07.02.2022 से 19.03.2022 तक आयोजित किया गया। इस अभियान के दौरान कुल 681856 नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड किया गया था।

2. एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस

- ए) यूपीआई प्रीपेड वाउचर (ई-रूपी), ई-वाउचर शुरू किया गया था जिसे लाभार्थी द्वारा कोविड टीकाकरण का लाभ उठाते समय नामित अस्पतालों

में शोधित कराया जा सकता है। इस सुविधा का लाभ लाभार्थियों द्वारा बिना किसी बैंक खाते या स्मार्ट फोन के लिया जा सकता है।

बी) यूपीआई (UPI) ऑटो-पे जारीकर्ता सुविधा ग्राहकों के लिए शुरू की गई थी जो उन्हें यूपीआई (UPI) के माध्यम से ई-कॉम व्यापारियों के साथ आवर्ती निर्देश स्थापित करने में सक्षम बनाती है।

सी) यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय (UPI International) को भूटान देश के लिए सक्षम किया गया है, जो देश की यात्रा करने वाले ग्राहकों को यूपीआई मोड का उपयोग करके स्थानीय व्यापारियों को भुगतान करने में सक्षम बनाता है।

3. डिजिटल चैनलों पर प्रगति

डिजिटल चैनलों पर वृद्धि (आंकड़े करोड़ में)				
चैनल	31.03.2021	31.03.2022	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता (करोड़ में)	1.22	1.65	0.43	35
इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता (करोड़ में)	0.68	0.73	0.05	7

4. ईज 4.0

बैंक ने ईज 4.0 में दिसंबर-21 तिमाही के लिए बैंकिंग के ईज थीम-टेक के तहत तीसरा स्थान हासिल किया

डिजिटल इंटरैक्शन और साझेदारी

i. फिनटेक नीति:

ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं और बदलते व्यवहार को देखते हुए बैंकों को फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी करने पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो बैंकों को ग्राहकों को निर्बाध, विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करने के लिए गारंटी देता है, ताकि उन्हें फिनटेक सेगमेंट में विकास से लाभ हो सके। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बैंक की पहली फिनटेक नीति तैयार की गई। इस दस्तावेज़ के माध्यम से बैंक स्टार्ट-अप सहित फिनटेक को एक साथ लाने के उद्देश्य

से फिनटेक के साथ सहयोग करने के लिए एक अनुकूलित नीतिगत ढांचा बनाने का प्रस्ताव किया है। ये प्रतिभागी नवीन कारोबार मॉडल को बनाने, खुला आवेदन करने, तेज प्रक्रियाओं और विभेदित उत्पादों के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने, जुड़ने और समावेश करने का प्रयास करेंगे।

फिनटेक नीति समाधानों के विभिन्न संकेतक श्रेणियों पर केंद्रित है जैसे:

- भुगतान, समाशोधन और निपटान
- जमा राशि, ऋण और पूंजी जुटाना
- निवेश प्रबंधन
- डेटा विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन
- बाजार प्रावधान

नीति (1) आरएफपी/निविदा प्रक्रिया के माध्यम से फिनटेकों का पेनलीकरण (2) फिनटेक के लिए विभिन्न ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं को रेखांकित करना (3) विभिन्न हितधारकों और अन्य दिशानिर्देशों के लिए भूमिकाएं और जिम्मेदारियों के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।

ii. फिनटेकों को सूचीबद्ध :

बैंक की फिनटेक नीति में अनूठी वित्तीय सेवाएं विकसित करने वाली कंपनियों का एक पूल बनाने के लिए फिनटेक को सूचीबद्ध करने का प्रावधान है। फिनटेक का आसानी से उपलब्ध पूल बैंक को कम से कम संभव समय के भीतर आवश्यक समाधान को अपनाने में मदद करता है। बैंक के बाजार अध्ययन और अपेक्षित आवश्यकता के आधार पर, निम्नलिखित खंडों के तहत 24 फिनटेको को सूचीबद्ध किया गया था। इस तरह के पैल की वैधता तीन साल की अवधि के लिए है।

- डिजिटल यात्रा (Digital Journeys) का विकास और एकीकरण
- बीमा सहित धन प्रबंधन
- कृषि ऋण
- यूआई (UI) / यूएक्स (UX) का विकास और अनुकूलन ई. आर्टिफिशियल / मशीन / गहन अध्ययन का उपयोग करके विश्लेषण

- ई. आर्टिफिशियल / मशीन/ डीप लर्निंग के उपयोग द्वारा एनालिटिक्स
- एफ. इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट (Chatbot)
- जी. डिजिटल मार्केटिंग
- एच. नकद प्रबंधन, कारोबार और आपूर्ति शृंखला वित्तपोषण

iii. डिजिटल मार्केटिंग

वित्तीय संस्थान अपने उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जो विश्लेषिकी और सोशल मीडिया का लाभ उठाकर मार्केटिंग तकनीकों का उपयोग करके अपनी जीवन शैली के साथ संरेखित करके, उत्पादों और सेवाओं के ग्राहक अधिग्रहण, सहभागिता और डिजिटल सक्रियण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुरू किए गए विभिन्न डिजिटल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वर्टिकल ने एमएसएमई स्वचालित नवीनीकरण, केसीसी स्वचालित नवीनीकरण, शिशु मुद्रा, पीएपीएल, यूनियन कैश, सीआरएम, यूमोबाइल, सॉफ्ट पीओएस और ब्रांच टोकन पर जागरूकता / विपणन वीडियो बनाए हैं। छोटे वीडियो के अलावा, जमाखोरी, सोशल मीडिया आदि के लिए क्रिएटिव भी डिजाइन किए गए थे और क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों/ क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच परिचालित किए गए थे।

20 जोखिम प्रबंधन – जोखिम की पहचान करने और उसे कम करने की दिशा में एक सक्रिय दृष्टिकोण :

आपके बैंक का जोखिम प्रबंधन के प्रति अग्रसक्रिय दृष्टिकोण है। इसके जोखिम दर्शन में जोखिम उठाने की क्षमता और नियामक ढांचे के भीतर एक स्वस्थ पोर्टफोलियो का विकास और रखरखाव शामिल है। आपका बैंक लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि शेयरधारक मूल्य बढ़ाने और उपलब्ध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन कार्य के साथ कारोबारी कार्यों का भागीदार हो।

बैंक में जोखिम प्रबंधन एक बोर्ड द्वारा संचालित कार्य है जिसमें विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए शीर्ष कार्यपालकों की परिचालन स्तर की समितियों द्वारा समर्थित शीर्ष स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है। बैंक का निदेशक मंडल बैंक के लिए जोखिम उठाने की क्षमता और

जोखिम नीतियों को मंजूरी देता है। आरएमसी जोखिम रणनीति और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, जोखिम के स्तर और दिशा, विवेकपूर्ण उच्चतम सीमा, पोर्टफोलियो विविधीकरण की समीक्षा करता है और जोखिम रिपोर्टिंग की निगरानी करता है। जोखिम रणनीति और नीतियां बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित की जाती हैं।

आपका बैंक उपयुक्त नीतियों, संगठन संरचना, जोखिम प्रबंधन तकनीकों, पर्याप्त प्रणालियों, प्रक्रियाओं, निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम को पूरा करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित जोखिम ऐच्छिक निपटान और स्वतंत्र जोखिम कार्य है कि बैंक अपनी जोखिम क्षमता के भीतर काम करता है।

21 ऋण जोखिम प्रबंधन:

आपके बैंक के पास ऋण एक्सपोजर में जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण मूल्यांकन तंत्र एवं जोखिम प्रबंधन ढांचा है।

आपके बैंक के पास ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियाँ, ऋण अनुमोदन समिति, विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं, जोखिम रेटिंग प्रणाली, ऋण जोखिम/संविभाग प्रबंधन हेतु जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण जैसे विभिन्न साधन हैं।

बैंक के पास सभी अग्रिमों के लिए एक मानकीकृत सुपरिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया है। यह ऋण स्वीकृतियों के लिए एक समिति दृष्टिकोण अपनाता है और विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग अनुमोदन समितियाँ हैं।

पहचान किए गए उद्योगों/क्षेत्रों/संवर्ग में इसके आउटलुक एवं विकास को निर्धारित करने हेतु एक समर्पित टीम द्वारा संरचित तरीके से कारोबारी वातावरण का विश्लेषण एवं अनुसंधान किया जाता है। आंतरिक खपत एवं उद्योग अनुसंधान/ विश्लेषण रिपोर्ट की जाँच करने हेतु बैंक द्वारा शीर्ष शोध कंपनियों की सदस्यता ली गई है जिससे बैंक पर पड़े जोखिम के प्रभाव का आकलन किया जा सके। इन शोध कंपनियों द्वारा जोखिम भरे क्षेत्रों की निरंतर निगरानी के साथ- साथ समीक्षा भी की जाती है। कोविड-19 महामारी से बैंक के जोखिम प्रबंधन पर पड़े प्रभाव पर सघन रूप से नज़र रखी जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर आवश्यक उपाय किए जा सकें।

आपके बैंक द्वारा प्रत्येक तिमाही में ऋण संविभाग पर पड़ने वाले दबावग्रस्त आस्तियों का परीक्षण भी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित रूप से दबावग्रस्त

आस्तियों एवं उद्योग के सर्वोत्तम प्रथाओं और व्यापक आर्थिक अस्थिरता में हुए बदलाव को अद्यतित किया जाता है।

आपके बैंक ने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) प्रणाली स्थापित की है, जो दबावग्रस्त संकेतों को पहले से ही पहचानने में मदद करती है और नियमित आधार पर उधारकर्ताओं की वांछित क्रेडिट गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करने में मदद करती है।

आपका बैंक उधारकर्ताओं के क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए विभिन्न क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन तंत्र एवं आंकड़ों का उपयोग करता है। आपके बैंक में "गतिशील दर निर्धारण तंत्र" भी मौजूद है, जो तनावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान और उचित समाधान को अपनाने की सुविधा प्रदान करता है। बैंक ने ऋण जोखिम आंकलन प्रणाली को मजबूत करने के लिए बड़े मूल्य के खातों हेतु 'ऋण जोखिम समीक्षा प्रणाली' भी शुरू की है।

आपके बैंक ने एक ऋण स्वचालन समाधान (एलएएस) के माध्यम से ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म अपनाया है। इन प्लेटफॉर्मों पर आंतरिक रेटिंग मॉडल रखे जाते हैं, जो सिबिल तथा आरबीआई डिफॉल्टरों की सूची के साथ इंटरफेस करते हैं।

बैंक के सीआरएआर को निर्धारित करते समय, क्रेडिट जोखिम पर पूंजी शुल्क मानकीकृत दृष्टिकोण गणना पर आधारित है।

आपके बैंक RAROC रूपरेखा को अपनाया है जिसमें एमएसएमई के समस्त नए ऋण/ समीक्षाओं / नवीनीकरण और निश्चित कट-ऑफ सीमा से ऊपर कॉर्पोरेट प्रस्तावों के लिए गणना अनिवार्य है। ब्याज दर में रियायत से संबंधित ऋण निर्णय उधारकर्ता के आरएआरओसी से जुड़े होते हैं जो बैंक की लाभप्रदता बनाए रखने और हितधारकों के लिए मूल्य सृजन में मदद करते हैं।

22 बाजार जोखिम प्रबंधन:

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति, ट्रेजरी नीति और बाजार जोखिम नीति बैंकिंग और ट्रेडिंग व्यापार में बाजार जोखिम के प्रबंधन और शमन में सहायता करती है। बाजार जोखिम के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ) के पास होती है, जिसका मूल केंद्र आय तथा आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य दोनों को जोड़ना है। एएलएम डेस्क और मिड-ऑफिस क्रमशः बैंकिंग और ट्रेडिंग व्यापार में बाजार जोखिम को मापते और निगरानी करते हैं।

परिसंपत्ति देयता समिति विभिन्न परिसंपत्तियों और देनदारियों के आकार, मिश्रण, अवधि और संरचना की समीक्षा करने और निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करती है। यह मुख्य रूप से

तरलता और ब्याज दर जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और प्रबंधन करती है। परिसंपत्ति और देयता उत्पादों का मूल्य निर्धारण भी एएलसीओ द्वारा निर्धारित किया जाता है।

आपका बैंक सक्रिय तरलता प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ तनाव परिदृश्यों को विकसित करता है तथा उसकी एक आकस्मिक वित्तपोषण योजना भी है। बैंक ने तरलता मानकों पर बेसल III ढांचे के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी तरलता जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों को अपनाया है। इनमें अंतर तरलता प्रबंधन, तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर) शामिल हैं। तरलता की निगरानी सक्रिय रूप से शेर्य दृष्टि कोण और प्रवाह दृष्टिकोण दोनों के माध्यम से की जाती है।

बाजार जोखिम ऋण / इक्विटी साधनों, विदेशी मुद्रा लेनदेन और डेरिवेटिव में बैंक द्वारा ग्रहण की गई ट्रेडिंग स्थितियों से उत्पन्न हुआ है। ब्याज दर जोखिम, इक्विटी जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम होने के कारण बाजार जोखिम के प्रमुख घटक हैं।

कुछ प्रमुख जोखिम उपायों में स्थिति सीमा, अवधि सीमा, मूल्य संवेदन शीलता माप टूल जैसे पीवी01 और संशोधित अवधि (एमडी), जोखिम पर मूल्य (वीएआर), नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन सीमा (एनओओपीएल), डेलाइट एवं डीलर और सुरक्षा दोनों स्तरों पर स्टॉप लॉस सीमाएं शामिल हैं, दोनों की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है।

जोखिम उपायों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'तनाव परीक्षण नीति' द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, जो बैंक की निवेश पुस्तक पर प्रतिकूल परिदृश्यों के संभावित प्रभाव का आकलन करने में बैंक का मार्गदर्शन करता है, जिसमें विदेशी मुद्रा जोखिम और बैंक के लाभ और हानि पर इसके प्रभाव शामिल हैं। तनाव परीक्षण परिणाम आवधिक आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

विनियामक कारकों को लागू कर मानकीकृत मापविधि (एसएमएम) का उपयोग करके बैंक के बाजार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना की जा रही है।

23 परिचालन जोखिम प्रबंधन:

परिचालन जोखिम अपर्याप्तता असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान का जोखिम है। परिचालन जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, हमारे बैंक के पास एक व्यापक परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा है, जिसके कार्यान्वयन की देखरेख परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) द्वारा की जाती है और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

एक स्वतंत्र परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ ढांचे को लागू करता है। ढांचे के तहत, बैंक के पास रक्षा की तीन पंक्तियां हैं। रक्षा की पहली पंक्ति कारोबार इकाई (समर्थन और संचालन सहित) है जो मुख्य रूप से दैनिक आधार पर परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। रक्षा की दूसरी पंक्ति जोखिम प्रबंधन विभाग है, जो हमारे बैंक के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता का आकलन और निगरानी करने के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं और तकनीकों को विकसित करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा रक्षा की तीसरी पंक्ति है। टीम हमारे बैंक के अंदर शासन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण के प्रभावशीलता की समीक्षा करती है।

व्यापक प्रणालियों और प्रक्रियाओं, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखापरीक्षा का उपयोग परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए प्राथमिक साधनों के रूप में किया जाता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है। बैंक द्वारा शुरू किए गए समस्त नए उत्पाद प्रक्रियाएं परिचालन जोखिम के मुद्दों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए एक उत्पाद मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरती हैं। मौजूदा उत्पादों में भिन्नताओं के साथ-साथ आउटसोर्सिंग गतिविधियों में भी जोखिमों की समीक्षा की जाती है। बैंक ने पिछले सोलह वर्षों के दौरान हुई प्रचालनात्मक हानियों से संबंधित आंकड़े संकलित किए हैं और सुधारात्मक उपाय करने के लिए इसका विश्लेषण किया जाता है ताकि इन हानियों की पुनरावृत्ति न हो। बैंक के उत्पादों/प्रक्रियाओं में अवशिष्ट जोखिमों का आकलन करने के लिए जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू की गई है। विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की पहचान की गई है और जोखिम की सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

आपका बैंक वर्तमान में परिचालन जोखिम के तहत पूंजीगणना के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का पालन कर रहा है।

आपका बैंक सभी स्तरों पर मौजूदा प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से इसे अंतःस्थापन के द्वारा जोखिम जागरूकता संस्कृति भी बना रहा है। जोखिम अधिकारियों के लिए बैंक में आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न कार्यों और फील्ड कार्यकर्ताओं में बैंक में जोखिम संस्कृति को आत्मसात करने के लिए, जोखिम प्रबंधन पर ई-लर्निंग मॉड्यूल को अनिवार्य कर दिया गया है।

डिजिटल अपनाए जाने के भाग में, बैंक ने एक विक्रेता जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। यह विक्रेताओं से संबंधित सभी विवरणों को कैप्चर करता है और यह आउटसोर्स गतिविधि से जुड़े जोखिम पर ध्यान केंद्रित करते हुए जोखिम मूल्यांकन मॉडल को भी तैयार करता है।

आपके बैंक के पास एक मजबूत कारोबार निरंतरता योजना और आपदा वसूली योजना है जिसे समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाता है कि यह किसी भी परिचालन आकस्मिकताओं को पूरा कर सकता है। एक अच्छी तरह से प्रलेखित बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना किसी भी अप्रत्याशित प्रतिकूल घटना या परिस्थितियों के दौरान अपने कारोबार, कर्मचारियों और ग्राहकों पर कारोबारी व्यवधानों और प्रणाली की विफलता और संभावित प्रभाव को कम करने के लिए है। योजना नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है और नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी और गैर-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों के लिए एक बीसीपी त्वरित निपटान टीम (क्यूआरटी) का भी गठन किया है। क्यूआरटी व्यवधान की निगरानी करता है और विभिन्न वर्टिकल / क्षेत्र को आवश्यक निर्देश देता है और सामान्य स्थिति बहाल होने तक स्थिति की निगरानी भी करता है।

24 समूह जोखिम प्रबंधन

समूह जोखिम प्रबंधन संस्थाओं में से किसी के द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों पर जोर देता है, जिनके पास समूह भर में एक सामान्य स्थिति है, जिसका समूह पर व्यापक प्रभाव हो सकता है।

आपका बैंक अपनी समूह संस्थाओं के माध्यम से बैंकिंग, प्रतिभूतियों और पूंजी बाजार, बीमा, म्यूचुअल फंड और खुदरा परिसंपत्ति व्यवसायों जैसी विविध वित्तीय सेवाओं में भाग लेता है। बैंक ने सामान्य और तनावग्रस्त परिस्थितियों में अपनी समूह इकाइयों, आंतरिक नियंत्रणों, कम करने और पूंजी मूल्यांकन के लिए जोखिमों के आकलन के लिए एक रूपरेखा/ नीति बनाई है।

25 धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति है। धोखाधड़ी के मामलों/प्रयास किए गए धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए बैंक में धोखाधड़ी समीक्षा समिति, प्रचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति, क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और धोखाधड़ी मामलों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति है। बोर्ड को 1.00 लाख रुपये और उससे अधिक के सभी धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट करने के अलावा, बैंक धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति को 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी धोखाधड़ी मामलों की भी रिपोर्ट करता है।

आपके बैंक ने विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से लेन देन में सक्रिय धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एंटरप्राइज़-वाइड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन (EFRMS) लागू किया है।

26 उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)

ईआरएम ढांचा किसी इकाई को अपने समग्र जोखिम स्तर के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह पूरे बैंक स्तर पर जोखिम को प्रबंधित करने में मदद करता है। इसमें जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा और बैंक में निरंतर जोखिम निपटान की व्यवस्था शामिल है।

आपके बैंक की प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईआरएम नीति है। बैंक व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) भी आयोजित करता है जिसमें बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले भौतिक जोखिमों को सूचीबद्ध किया जाता है और उनकी निपटान और प्रबंधन पद्धतियों की गणना की जाती है। इसके अलावा बेसल-1 जोखिमों के अलावा, बेसल-2 जोखिमों का भी आकलन किया जाता है। सामान्य और तनावपूर्ण परिस्थितियों में पूंजी की पर्याप्तता और भविष्य की कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है।

27 अनुपालन

27.1 आपके बैंक ने सुव्यवस्थित अनुपालन नीति के साथ एक मजबूत अनुपालन प्रणाली लागू की है। अनुपालन कार्य का ध्यान नियामक एवं वैधानिक अनुपालन, उचित व्यवहार संहिताओं और अन्य निर्धारित कोड की अनुपालना, सरकारी नीतियों एवं बैंक की आंतरिक नीतियों व मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण पर केन्द्रित है।

आपका बैंक ग्राहक सेवा पर नियमित अनुपालन परीक्षण जांच-बी श्रेणी शाखाओं सहित केवाईसी-एएमएल जांच और पूरे भारत में क्रेडिट प्रक्रिया का ऑडिट करता है।

27.2 आपके बैंक के पास नियामकों / मंत्रालय / आईबीए/ बीबीबी से प्राप्त संचार की निगरानी, नियंत्रण और जोखिम निपटान पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक आंतरिक अनुपालन पैकेज उपलब्ध है। जिसके द्वारा अनिवार्य दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर अनुपालन परीक्षण जांच की जाती है। बैंक में प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट रूप से अनुपालन कार्य की भूमिका और उत्तरदायित्व परिभाषित है। आपके बैंक में स्व-प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से विनियामक और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग प्रणाली है जिसमें शाखाओं की अनुपालना क्षेत्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना शामिल है। प्रत्येक तिमाही में क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय द्वारा केंद्रीय कार्यालय के अनुपालन विभाग को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं।

आपका बैंक व्यक्तिगत स्तर के अनुपालन रिपोर्टिंग के लिए एक स्व-निर्मित अनुपालन निगरानी उपकरण ईज 4.0 लागू करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली:

प्रभावी एवं कुशल आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली बोर्ड एवं उच्च प्रबंधन के लिए बैंक के आंतरिक विवरणियों, जोखिम प्रबंधन एवं सरकारी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं के लिए स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक द्वारा 6851 इकाइयों तथा 614 शाखाओं का ऑडिट किया गया है।

उपरोक्त लेखा परीक्षा के अलावा, बैंक में कांकरेंट लेखा परीक्षा प्रणाली है जिसमें कुल जमा राशि का 60.13 प्रतिशत और बैंक के कुल अग्रिमों का 75.56 प्रतिशत शामिल है जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुपालन सुनिश्चित करता है। प्रबंधन लेखा परीक्षा, आईएस ऑडिट, ओटीएमएस अलर्ट, स्विफ्ट ऑडिट, बिल ऑफ एंट्री ऑडिट इत्यादि के साथ साथ विदेशी शाखा लेखा परीक्षा, विदेशी मुद्रा शाखा लेखा परीक्षा और व्यय लेखा परीक्षा की निगरानी भी करता है।

28 साइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा कार्यों की देखरेख के लिए आपके बैंक के केंद्रीय कार्यालय में एक अलग इकाई है। बैंक ने साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सीएसओसी) लागू किया है और इसे प्रबंधित करने के लिए एक समर्पित कुशल टीम तैनात की है। सीएसओसी साइबर खतरों की पहचान करने, उनका पता लगाने, इनसे सुरक्षित रहने एवं उन्हें रोकने में मदद करता है। बैंक ने साइबर सुरक्षा प्रशासन संरचना बनाई है जिसमें बैंक की साइबर सुरक्षा मुद्रा के विकास की निगरानी के लिए कार्यकारी और बोर्ड स्तर पर नीतियां, प्रक्रियाएं, दिशानिर्देश और समितियां शामिल हैं।

व्यापक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम (CCSAP):

आपके बैंक ने अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम (सीसीएसएपी) विकसित किया है। साइबर सुरक्षा युक्तियों के लिए ग्राहकों को जागरूक करने एवं बैंक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कई चैनलों का उपयोग कर रहा है जिनमें सोशल मीडिया, कॉर्पोरेट वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पेज, एटीएम, एसएमएस, ईमेल, शाखाओं में डिस्टले यूनिट आदि शामिल है। इससे समग्र साइबर सुरक्षा में वृद्धि हुई है। बैंक ने सीसीओआई (साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सिलेंस) की स्थापना की है,

सीसीओई के तहत बैंक ने विभिन्न ग्राहक और कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए सीडीएसी के साथ समझौता किया है।

29 सूचना प्रौद्योगिकी:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल लेंडिंग आदि नवाचारों का लाभ उठाकर प्रौद्योगिकी में नवीनतम तकनीक लागू करके "डिजिटल अनुभव" प्रदान कर रहा है। बैंक सुरक्षा से समझौता किए बिना नियामक मानदंड तय कर वर्तमान आईटी व्यवस्था को बदल रहा है ताकि कारोबार प्रणालियों और क्लाउड-आधारित अनुप्रयोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यानिष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही बैंक विविध, गतिशील और जटिल वातावरण में नवाचारों को अपनाने के लिए नए अनुप्रयोगों हेतु एंटरप्राइज सॉल्यूशन आर्किटेक्चर प्रैक्टिस को बढ़ावा दे रहा है।

वर्ष की प्रमुख विशेषताएं

- ❖ एकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक।
- ❖ आईटी प्रणाली हेतु ट्रिपल आईएसओ हासिल करने वाला पहला पीएसबी।
- ❖ एसडीडब्ल्यूएन पर सबसे बड़ी साइट बनाने वाला समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहला व दुनिया का पहला संगठन।
- ❖ एंड टू एंड शिशु मुद्रा एसटीपी कार्यान्वयन को लागू करने वाला पहला पीएसबी।
- ❖ रुपये 10 लाख तक के एमएसएमई ऋण के एंड टू एंड स्व नवीनीकरण को लागू करने वाला पहला पीएसबी।
- ❖ फिनेकल, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन और एसएमएस में बहुभाषा की सुविधा प्रदान करने वाला पहला पीएसबी।
- ❖ देश के समस्त बैंकों में एटीएम माध्यम से लेनदेन में दूसरे स्थान पर है।
- ❖ एटीएम संचालन के लिए पीसीआई डीएसएस अनुपालन हासिल करने वाला दूसरा पीएसबी।
- ❖ यूपीआई के माध्यम से 76 करोड़ से अधिक के मासिक लेनदेन व 1% से कम की तकनीकी गिरावट के साथ देश के समस्त बैंकों में तीसरे स्थान पर।
- ❖ विस्तृत श्रेणी के बैंकों में सर्वश्रेष्ठ क्लाउड एडॉप्शन हेतु आईबीए अवार्ड, आईडीसी इंडस्ट्री इनोवेशन अवार्ड्स 2021 और इंफोसिस फिनेकल इनोवेशन अवार्ड 2021 में रनर अप से सम्मानित किया गया।

वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई प्रमुख परिवर्तनकारी गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

❖ नई तकनीक को अपनाना:

- **अकाउंट एग्रीगेटर:** अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम जो क्रेडिट डिलीवरी में सुधार हेतु सरकार की डिजिटल पहलका एक हिस्सा है इसपर लाइव होने वाला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र का पहला ऋण प्रदाता बना। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम ग्राहकों की सहमति से प्राप्त डिजिटल डेटा का लाभ उठाने में उधारदाताओं की भौतिक दस्तावेजीकरण के बिना मदद करता है जिससे निर्बाध सेवा प्रदान की जा सके। कोई भी वित्तीय जानकारी उपयोगकर्ता (एफआईयू) अपने अकाउंट एग्रीगेटर हैंडल पर ग्राहक द्वारा दी गई सहमति के आधार पर डाटा का अनुरोध कर सकता है। बैंक ने रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (ReBIT) दिशानिर्देशों के अनुसार प्रौद्योगिकी स्टेक लागू किया है।
- **ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी:** बैंकिंग संबंधित सेवाओं को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कार्यान्वित करने हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 18 अन्य बैंकों के साथ एक संस्था का गठन किया है जिसे "इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (आईबीबीआईसी)" के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही निकट भविष्य में भारत बैंकिंग प्रणाली में डिजिटलीकरण में एक नई छलांग लगाने जा रहा है।
- **एआई/एमएल:** एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर अगले 3 वर्षों में एआई/एमएल के माध्यम से बैंक की संपूर्ण बिजनेस मॉडलिंग पर नजर है। एआई आधारित आईवीआर सिस्टम, यू-मोबाइल एडॉप्शन एनालिसिस, क्रॉस सेलिंग/ क्रेडिट कार्ड की अपसेलिंग, वॉयस बॉट, आदि विभिन्न उपयोग के मामले कार्यान्वयन चरण में हैं, जबकि खुदरा / कृषि / एमएसएमई क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिग्नल (ईडब्ल्यूएस) पहले से ही लागू है।
- **रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए):** बैंक आरपीए में अग्रणी फिनटेक फर्मों के साथ साझेदारी कर रहा है तथा शुरुआत में आरपीए तकनीक का उपयोग कर ऑटोमेशन के लिए कुछ प्रक्रियाओं को

चिन्हित किया है जैसे दैनिक रिपोर्ट सृजन, एटीएम समाधान, भुगतान निपटान, आदि।

❖ मजबूत और लचीला बुनियादी ढांचा

- बैंक के निजी क्लाउड का विस्तार हुआ है, वर्तमान में 600 से अधिक वर्चुअल मशीनों को होस्ट करता है और 130 से अधिक एप्लिकेशन वर्तमान में क्लाउड पर चल रहे हैं।
- 5 करोड़ से अधिक के दैनिक वित्तीय लेनदेन की मात्रा का समर्थन करने के लिए बैंक के पास एक मजबूत सीबीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर है। मासिक औसत सीबीएस लेनदेन - 155 करोड़ से अधिक है।
- बैंक ने एटीएम की प्रगति के लिए विभिन्न पहल जैसे टीएलएस 1.2 प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन, ग्रीन पिन, वीक पिन चेक, सीओएफटी, आवर्ती लेनदेन के लिए आदेश की हैं।
- नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल को नेटवर्क दृश्यता में वृद्धि, साइबर खतरों में कमी और बेहतर नेटवर्क कार्यानिष्ठादन के लिए नियोजित किया जाता है।
- एसडी-वैन समाधान लागू किया गया जो नेटवर्क प्रबंधन, अधिक नेटवर्क स्वचालन, सरलीकृत संचालन, कम परिवर्तन नियंत्रण, उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ मानकीकृत ईमेल संदेश प्रणाली का केंद्रीकृत दृष्टिकोण प्रदान करेगा। एसडी-वैन के पास विभिन्न अनुप्रयोगों और अंतर्निहित बुनियादी ढांचे पर बेहतर दृश्यता/विश्लेषण होगा; शाखा/कार्यालय कनेक्टिविटी के मौजूदा प्रावधानों का अधिकतम क्षमता के साथ लाभ उठाया जा सकता है। यह बैंडविड्थ लागत को कम करेगा।
- मजबूत और लचीला आईटी बुनियादी ढांचा पिछले छह महीनों में प्रेषक श्रेणी में यूपीआई वित्तीय लेनदेन में 120% की वृद्धि का समर्थन करता है।
- आईएसओ 27001:2013 और आईएसओ 22301:2019 का पुनः प्रमाणन। आईटी जोखिम प्रबंधन के लिए आईएसओ 31000:2018 का नया प्रमाणन।

❖ ग्राहक ईज

- सक्रिय समस्या समाधान और 24/7 सेवा

उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित एप्लिकेशन कार्यानिष्ठादन निगरानी टीम की स्थापना की गई है। आईटी सिस्टम का औसत अपटाइम 99.90% है जो उद्योग में सर्वश्रेष्ठ है।

- नेटवर्क से ऑनलाइन (एनपीसीआई/वीजा/मास्टर कार्ड) टोकन लेनदेन को संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के हिस्से के रूप में "फाईल टोकन पर कार्ड" लागू किया गया है। बैंक के ग्राहकों के वास्तविक डेबिट कार्ड नंबर को नेटवर्क के सुरक्षित टोकन वाल्ट में सुरक्षित रखा जाता है और डेबिट कार्ड नंबर के सापेक्ष यूनिक टोकन नंबर उत्पन्न होता है।
- बैंक ने डिजिटल ऋण देने की दिशा में कई कदम उठाए हैं जैसे रिटेल क्षेत्र में हाउसिंग, पर्सनल, व्हीकल लोन के एसटीपी के साथ यूनियन कैश स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस का कार्यान्वयन, एमएसएमई ऋण के लिए एसटीपी 5.00 करोड़ तक, ई2ई शिशु मुद्रा ऋण रु 50,000 तक और रु 10 लाख के एमएसएमई ऋण का ऑटो नवीनीकरण। इसके अलावा, रुपये 50000 तक के खुदरा ऋणों का ऑटो नवीनीकरण है और कृषि ऋण (केसीसी) प्रगति पर है।
- सह-उधार मॉड्यूल को पूल बायआउट (पीबीओ) तंत्र के अनुरूप लागू किया गया है।
- यूवीकॉन (व्हाट्सएप बैंकिंग) बैंक में लागू किया गया है जो विभिन्न ग्राहक को उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है जैसे खाता शेष, मिनी स्टेटमेंट, चेक की स्थिति, चेक बुक हेतु अनुरोध, लॉकर रेंट पूछताछ और खाता खोलने, डोरस्टेप बैंकिंग इत्यादि जैसी कई सहायक सेवाएं प्रदान करता है। यूवीकॉन सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ऐप यानी व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहक को आसान सेवाएं प्रदान करता है।
- फिनेकल में बहु भाषा कार्यान्वयन के तहत हिंदी और अंग्रेजी में 361 स्क्रीन उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, ग्राहकों/शाखाओं के लिए 13 स्थानीय भाषाओं में 29 रिपोर्ट उपलब्ध हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फिनेकल में बहुभाषा लागू करने वाला पहला पीएसबी है।

- इंटरनेट बैंकिंग में कई सुधार किए गए हैं जैसे सिंगल साइन-ऑन पेज, यू-टोकन पंजीकरण/विपंजीकरण पर एसएमएस/ईमेल अलर्ट, अपनी यूजर आईडी जानने के लिए कैप्चा कोड और ओटीपी, एलआईसी पॉलिसी पंजीकरण और भुगतान, संयुक्त खाता विवरण के साथ अक्षम आईबी सक्षम करना. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खुदरा और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए बल्क अपलोड भुगतान सुविधा शुरू की गई
- यूमोबाइल एप्लिकेशन में कई सुधार किए गए हैं और कई सुविधाएं जैसे वाई-फाई का उपयोग करके यू-मोबाइल में पंजीकरण, शेयर लेनदेन रसीद, प्री-लॉगिन पेज पर क्यूआर स्कैन, ऑनलाइन जमा खातों के पेटे ऋण, फॉर्म 15जी/एच जमा करना, टीडीएस और ब्याज प्रमाणपत्र आदि को जोड़ा गया है.

पुरस्कार और सम्मान:

- ❖ उच्च श्रेणी के बैंक में सर्वश्रेष्ठ क्लाउड एडॉप्शन के लिए आईबीए पुरस्कार:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को उच्च श्रेणी के बैंक में सर्वश्रेष्ठ क्लाउड एडॉप्शन से सम्मानित किया गया है क्योंकि बैंक ने तेजी से बैंकिंग को आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने में क्लाउड प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण क्षमता को अपनाया है तथा बैंक में वर्ष 2017 से निजी क्लाउड प्रौद्योगिकी लागू किया है. यह कम लागत तथा कम समय में बैंक को कई परियोजनाओं को शुरू करने में सक्षम बनाती है. इसकी सहायता से बैंक आवश्यकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक, हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड समाधानों को अपनाने के लिए भविष्य की संभावनाएं खोज रहा है.

इंफोसिस फिनेकल इनोवेशन अवार्ड 2021:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बैंक की नवोन्मेष रणनीति के लिए नवाचार प्रक्रिया श्रेणी के तहत इंफोसिस फिनेकल इनोवेशन अवार्ड 2021 में द्वितीय श्रेणी से सम्मानित किया गया है, जो ग्राहकों के लिए बेहतर टच पॉइंट अनुभव और तेजी से बैंकिंग के हर क्षेत्र में ग्राहक को सभी चरणों में बेहतर अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित है. बैंक का आईटी आर्किटेक्चर इको सिस्टम के साथ सहज एकीकरण को सक्षम बनाता है और नवीनतम तकनीकों और निरंतर नवाचारों का उपयोग करके जिम्मेदारी के साथ लचीला और सुरक्षित आईटी सिस्टम/ सेवाओं की निरंतर डिलीवरी सुनिश्चित करता है. एपीआईएम फिनेकल इंटीग्रेटर (एफआई) का

उपयोग करता है जो फिनेकल में होस्ट किए गए सभी एपीआई के लिए फिनेकल के साथ वास्तविक समय संचार के लिए फिनेकल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के सहज एकीकरण को सक्षम बनाता है.

आईडीसी उद्योग नवाचार पुरस्कार 2021

परिचालन में नवाचार हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आईडीसी इंडस्ट्री इनोवेशन अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है क्योंकि बैंक उभरती प्रौद्योगिकियों और निरंतर नवाचारों के माध्यम से कारोबार के विकास और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हेतु भविष्य के लिए नई संभावनाएं पैदा कर रहा है.

30 परिचालन विभाग :

शिकायत निवारण तंत्र:

समामेलित इकाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया गया है. शिकायत निवारण तंत्र के प्रत्येक स्तर पर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से पहचानने एवं परिभाषित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है. शिकायत निवारण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी स्तरों पर शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र और मानक संचालन तरीकों को परिभाषित किया गया है.

शिकायत निवारण नीति: संशोधित नीति ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए रूपरेखा तैयार करती है; इसका उद्देश्य शिकायत की प्रकृति के आधार पर एक अच्छी तरह से संरचित प्रगति मैट्रिक्स और पूर्व-परिभाषित टीएटी के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों की घटनाओं को कम करना है. इसका उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना है.

यूनियन केयर 2.0 - बैंक द्वारा संशोधित यूनियन केयर हैंडबुक जारी की गई है, जिसमें शिकायतों का वर्गीकरण, शिकायतों के संभावित कारण और उपचारात्मक उपाय, वृद्धि मैट्रिक्स दिए गए हैं. एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, पेंशन, मोबाइल बैंकिंग, डोर स्टेप बैंकिंग, एनईएफटी/ आरटीजीएस, एसबीए/ डीमेट आदि क्षेत्रों से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए नामित अधिकारियों के अद्यतन संपर्क विवरण शामिल हैं. यह हैंडबुक ग्राहकों की शिकायतों के बेहतर तरीके से शीघ्र समाधान के लिए क्षेत्र के कर्मियों की मदद कर रही है.

बैंक की वेबसाइट पर शिकायत निवारण अधिकारी के विवरण

का अद्यतन: शिकायतों के त्वरित समाधान में ग्राहक की सुविधा हेतु बैंक की वेबसाइट में एफजीआरओ और आरजीआरओ के संपर्क और अन्य विवरण पूर्व की भांति अद्यतित किए गए हैं. हमने क्षेत्रीय कार्यालय / आंचलिक कार्यालय में तैनात शिकायतों के निवारण के लिए एक विस्तृत कार्य योजना, क्या करें और क्या न करें, आरजीआरओ/एफजीआरओ के लिए दौरे/छुट्टी के दौरान

वैकल्पिक व्यवस्था भी जारी की है। अब हमारी वेबसाइट में मुख्य शिकायत अधिकारी स्तर से लेकर अंचलीय और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर तक संरचित शिकायत निवारण प्रणाली शामिल है।

ग्राहकों की शिकायतों का निपटान: वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण	संख्या
01 अप्रैल, 2021 को बकाया शिकायतें (बीओ शिकायतों सहित)	10,780
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें (बीओ शिकायतों सहित)	3,28,216
वर्ष के दौरान हल की गई शिकायतें (बीओ शिकायतों सहित)	3,37,601
31 मार्च, 2022 तक बकाया शिकायतें (बीओ शिकायतों सहित)	1,395

31. सतर्कता:

बैंक में सतर्कता विभाग का प्रमुख "मुख्य सतर्कता अधिकारी" (सीवीओ) होता है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करता है। सीवीओ को केंद्रीय कार्यालय में तैनात कार्यात्मक सतर्कता अधिकारियों, फील्ड सतर्कता अधिकारियों की एक टीम क्रमशः 1 उप महाप्रबंधक एवं 4 सहायक महाप्रबंधक की अध्यक्षता में क्षेत्रीय सतर्कता प्रकोष्ठों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। बैंक में सतर्कता प्रशासनिक संगठन के सतत विकास और लाभप्रदता के लिए आवश्यक कारोबारी निर्णयों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर्मचारी के आचरण को बनाए रखने के लिए एक नैतिक पहलू के रूप में कार्य करता है। सतर्कता के विभिन्न पहलुओं को निवारक, सहभागी एवं दंडात्मक रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक संगठन में सतर्कता की दक्षता को दंडात्मक कार्रवाइयों के बजाय, हानिकारक प्रथाओं की रोकथाम और परेशानी मुक्त वितरण सेवाओं को सुनिश्चित करने के तंत्र और प्रक्रियाओं में सुधार लाने की प्रक्रिया पर आँका जाता है।

बैंक ने एक मुखबिर नीति (व्हिसल ब्लोअर) अपनाई है जिसके अनुसार बैंक के कर्मचारी धोखाधड़ी, कदाचार या अन्य गतिविधि या घटना से संबंधित चिंताएं जो बैंक या समाज के हित के खिलाफ हैं के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। इस नीति के अनुसार, मानव संसाधन विभाग के कार्यकारी निदेशक सभी व्हिसल ब्लोअर शिकायतों के लिए नामित नोडल अधिकारी हैं। पीआईडीपीआई और व्हिसल ब्लोअर को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 के दौरान बैंक कर्मचारियों द्वारा पीआईडीपीआई पर 4 फिल्में तैयार की गई हैं और सीजीजीबी प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंक द्वारा एक फिल्म तैयार की गयी है। बैंक के सभी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार किया गया और इसके परिणामस्वरूप अब तक लगभग 46000 से अधिक लोगों द्वारा इसे देखकर प्रतिक्रिया की गई है।

सभी स्तरों पर निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अधिकार का दुरुपयोग, निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन न करने जैसे आंतरिक / बाहरी खतरों से बैंक की सुरक्षा करने के लिए 'सहभागी सतर्कता' नामक योजना बनाई गई है। योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान और शाखाओं में निवारक सतर्कता यात्राओं के दौरान जागरूकता पैदा की जाती है।

सतर्कता निवारक यात्राओं में सतर्कता अधिकारियों द्वारा शाखाओं का अचानक दौरा किया जाता है, जिसका उद्देश्य समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्व के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करना है। वित्त वर्ष 2021-22 में 5925 दौरे किए गए।

पीवीवी के अलावा, बैंक द्वारा एक ऑफसाइट निगरानी प्रणाली अपनाई जाती है जो असामान्य लेनदेन अनियमितताओं आदि का पता लगाने में मदद करती है एवं सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करती है। वर्ष के दौरान, ऑफ-साइट निगरानी के तहत 3726 अलर्ट जारी किए गए थे, जिन्हें उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए नियंत्रकों को भेजा गया था।

वर्ष के दौरान, बैंक में प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा सुझाए गए संबंधित विभागों में 6 प्रणालीगत सुधार किए गए हैं। विभिन्न वैधानिक और नियामक निकायों (सीवीसी, आरबीआई, एमओएफ, सीबीआई आदि) द्वारा मांग किए जाने पर नियमित रूप से प्रेषित किए जाते हैं, ताकि वे हमारे सतर्कता मामलों और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों पर सामान्य जांच और पर्यवेक्षण कर सकें।

सीवीसी के निर्देशों के अनुपालन में, हमारा बैंक संगठन के अंदर और बाहर ग्रामीण आबादी सहित देश के कर्मचारियों, बच्चों, युवाओं, अन्य नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई गतिविधियों को निष्पादित करके हर साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। इस वर्ष, हमारे बैंक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 के दौरान सभी पीएसबी/पीएसयू के सीवीओ के लिए समारोह किया गया जिसकी मेजबानी विजिलेंस स्टडी सर्कल, मुंबई द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त-श्री सुरेश एन पटेल, सचिव, सीवीसी श्री ओटोम दाई और अतिरिक्त सचिव- श्री पी. डेनियल ने सम्मिलित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2021 तक मनाया गया जिसका विषय "स्वतंत्र भारत@75-सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता" रखा गया. इसी विषय के अंतर्गत स्टाफ सदस्यों सहित 7.98 लाख नागरिकों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलवाई गई. वर्चुअल माध्यम से सतर्कता अधिकारियों द्वारा चुनिंदा आकांक्षी जिलों में दौरे करने के अलावा 14125 अन्य गतिविधियों का संचालन भी किया गया. सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 के दौरान श्री पी. डेनियल-अतिरिक्त सचिव, सीवीसी के आगमन और संबोधन के दौरान बोर्डरूम में शीर्ष अधिकारियों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. अपने कर्मचारियों के ज्ञान संवर्धन के लिए हमने सच्ची धोखाधड़ी की घटनाओं पर आधारित "धोखाधड़ी से सीखें: 20 केस स्टडीज" विषय पर पत्रिका का अनावरण किया. दैनिक चेतावनी श्रृंखला के विमोचन के साथ पीआईडीपीआई संकल्प पर कार्टून बुक "दैनिक सतर्कता" और मासिक पत्रिका "सतर्कता से सफलता" को जारी किया गया. बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विषयों जैसे वित्तीय समावेशन, साइबर सुरक्षा, व्यवहार और नेतृत्व कौशल आदि पर कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के क्षेत्र पदाधिकारियों द्वारा पवई कार्यालय-मुंबई सहित 10 अन्य स्थानों पर आई सेफ बैंकिंग पर एक वेबिनार आयोजित किया गया. दर्शकों की एक बड़ी भीड़ और रचनात्मक सत्र देखे गए. बैंक के सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव स्ट्रीमिंग की गई. पीआईडीपीआई और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सीवीओ श्री उमेश कुमार सिंह का एक विशेष रेडियो साक्षात्कार "पते की बात" शीर्षक के साथ रेड एफएम पर भी प्रसारित किया गया.

31 मार्च, 2022 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 76147 की तुलना में, लंबित सतर्कता मामलों की संख्या 199 अर्थात् 0.26% है. वर्ष के दौरान, विभाग को 504 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से पिछले वर्ष से संबंधित 53 शिकायतों सहित 492 का निपटारा किया जा चुका है. वर्ष के दौरान, 84 मामलों में जांच के आदेश दिए गए, जिनमें से 90 मामलों में रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें पिछले वर्ष से संबंधित 22 जांच रिपोर्ट शामिल हैं. 14 मामलों में जांच रिपोर्ट का इंतजार है जो 03 महीने से कम पुराने हैं. जांच पूरी करने और सतर्कता विभाग को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए टीएटी 90 दिनों के बेंचमार्क के मुकाबले 82 दिनों का था.

एक नई पहल सतर्कता बोध सूचकांक (वीपीआई) शुरू किया गया है जो क्षेत्र महाप्रबंधकों/ क्षेत्र प्रमुखों को क्षेत्रीय सतर्कता समिति की बैठकों में 8 चयनित मापदंडों की समीक्षा के आधार पर बैंक के उपलब्ध निवारक सतर्कता उपकरणों के कार्यान्वयन के स्तर और प्रभावशीलता का आकलन तिमाही आधार पर करने में सक्षम करेगा. प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सतर्कता विभाग ने

एक नई परियोजना "यूनियन सुधार" के तहत एक सर्वेक्षण किया है जो संभवतः हमारे बैंक में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तरीके में बदलाव ला सकता है और बैंकों के दंड लगाने के जोखिम को कम कर सकता है, जिससे बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिल सकेगा और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जा सकेगा.

32. अवसर

32.1 अखिल भारतीय उपस्थिति: समामेलन के बाद, बैंक कुल कारोबार के मामले में 5वें और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच नेटवर्क के मामले में चौथे सबसे बड़े बैंक के रूप में उभरा है. बैंक के पास 8873 शाखाओं और 11,232 एटीएम का नेटवर्क है, जिसमें 77,000 से अधिक कर्मचारी हैं और 120 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं.

मजबूत संगठन ढांचा: बैंक की संगठन संरचना को सभी स्तरों पर नया रूप दिया गया है, जिसमें ऊर्ध्वाधरीकरण, केंद्रीकरण मुख्य विषयों के रूप में लिया गया है. प्रसंस्करण केंद्रों के केंद्रीकरण और डिजिटलीकरण, विश्लेषण, कारोबार प्रक्रिया परिवर्तन आदि सहित कई नए कार्यक्षेत्र बनाकर, बैंक खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है.

डिजिटलीकरण: पिछले कुछ वर्षों में बैंक ने डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण पैठ बनाई है. हाल ही में सभी बैंकिंग जरूरतों के लिए एक नए युग के सुपर ऐप "यूनियन नेक्स्ट" के तहत प्री-अप्लूड पर्सनल लोन (पीएपीएल), एमएसएमई एसटीपी, एमएसएमई क्रेडिट कार्ड, सीआरएम पैकेज, ट्रेड फाइनेंस मॉड्यूल, यूवीसीकनेक्ट, यूनियन डायल इत्यादि कई डिजिटल पहलुओं को लागू किया गया है.

32.2 **उच्च बाजार हिस्सेदारी:** अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ देश में 5वां सबसे बड़ा पीएसबी होने के नाते, अधिकांश भारतीय राज्यों में बैंक की बहुत मजबूत बाजार हिस्सेदारी है. उच्च बाजार हिस्सेदारी से बैंक को अपनी दृश्यता में सुधार करने और उच्च कारोबार और दूसरों पर बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी.

32.3 **मजबूत जनबल:** बैंक के पास सबसे युवा जनबल है जिसकी औसत आयु 40 वर्ष से कम है. डिजिटल सेवा बैंक के रूप में आसान परिवर्तन में अपेक्षाकृत युवा जनबल बैंक की सहायता करेगा. बैंक ने एक बहुआयामी मानव संसाधन परिवर्तन परियोजना "यूनियन प्रेरणा" भी शुरू की है जिसका उद्देश्य कार्यनिष्पादन प्रबंधन, सीखने और विकास, पोस्टिंग, प्लेसमेंट, जॉब फैमिली और करियर विकास ढांचे में काम करने के हमारे दैनिक तरीकों को फिर से परिभाषित करना है.

33 चुनौतियाँ

33.1 कड़ी प्रतिस्पर्धा: भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रतिस्पर्धा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है। नए खिलाड़ियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करने के लिए बैंकों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है। फिनटेक से बैंकिंग क्षेत्र को नवाचारों और इसकी घातीय वृद्धि के साथ चुनौती देने की उम्मीद है। इन नए खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पारंपरिक बैंकों को अब डिजिटल-फर्स्ट बिजनेस मॉडल अपनाना चाहिए।

33.2 अनिश्चित कारोबारी माहौल: कारोबारी माहौल बेहद अनिश्चित है। मौजूदा महामारी संबंधी झटके से बैंकों पर अधिक दबाव पड़ने की संभावना है। बफर्स का सक्रिय निर्माण और पूंजी जुटाना न केवल ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बल्कि वित्तीय प्रणाली में लचीलापन बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।

33.3 साइबर सुरक्षा: डिजिटल नवाचारों के अंतर्गत साइबर लचीलापन बढ़ाना एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे-जैसे हम अपने कार्य के घंटों का विस्तार कर रहे हैं और बढ़ी हुई पहुंच तथा इंटरऑपरेबिलिटी की इजाजत दे रहे हैं, हमारे सिस्टम पर साइबर हमलों के लगातार बढ़ने का खतरा भी है। अनुभव से पता चलता है कि सर्वश्रेष्ठ और संरक्षित प्रणालियों से भी समझौता किया जा सकता है जो हितधारकों को अनुपातहीन जोखिमों के लिए उजागर कर सकता है।

34 आउटलुक

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की हालत दशकों में अपने सबसे अच्छे स्तर पर है। वित्त वर्ष 2019-20 में शुरू हुआ सुधार वित्त वर्ष 2022-23 में जारी रहने की संभावना है जो मजबूत बैलेंस शीट और कॉर्पोरेट कैपेक्स चक्र की अपेक्षित शुरुआत के साथ क्रेडिट मांग में सुधार से समर्थित है। बैंक पिछले छह वर्षों में उच्चतम लाभप्रदता को देखते हुए सभी क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं तलाश करेंगे और ऋण वसूली से भी सुधार होंगे। देश की बड़ी और विविध अर्थव्यवस्था में सुधार से भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण में सुधार हुआ है जिससे बैंकों के लिए स्थायी कारोबार विकास का लाभ होगा। उपभोक्ता और कारोबारी भरोसे में सुधार के साथ-साथ घरेलू मांग में सुधार से आर्थिक विकास और ऋण मांग को फायदा मिलेगा।

कॉर्पोरेट आय में वृद्धि एवं बैंकों से महत्वपूर्ण कर्जदार गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों, के लिए धन संबंधी बाधाओं को कम करने से ऋण वृद्धि को समर्थन मिलेगा। आगे महामारी से संबंधित व्यवधान के घटते जोखिम ने वित्तीय कार्यनिष्पादन जोखिमों को भी कम किया है। यद्यपि रूस-यूक्रेन सैन्य संघर्ष से वैश्विक आर्थिक गिरावट कुछ जोखिम पैदा करेगी क्योंकि यह तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये के मूल्य को कम करने के कारण मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है, जिससे रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा।

फरवरी, 2022 में रूसी-यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के साथ, विभिन्न वैश्विक और घरेलू एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के विकास अनुमानों को घटा दिया है। हालांकि, घरेलू अर्थव्यवस्था के अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2022-23 में 7-8% की सीमा में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हासिल करने की संभावना है। आर्थिक सुधार की प्रतिक्रिया में बैंक तेजी से जोखिम लेने की क्षमता में वृद्धि दिखा रहे हैं, जैसा कि हाल के महीनों में ऋण वृद्धि में पुनरुत्थान से संकेत मिलता है। खुदरा मांग में पुनरुद्धार और समग्र ऋण वृद्धि कॉर्पोरेट ऋण में वृद्धि की पूरक होगी। ढांचागत खर्च पर सरकार के मजबूत फोकस के अंतर्गत ढांचागत और निर्माण क्षेत्र की मदद से कॉर्पोरेट ऋण की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। इसके अलावा, कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में अनुमानित 2 लाख करोड़ रुपये का प्राथमिक निवेश कॉर्पोरेट ऋण वृद्धि को और बढ़ावा देगा।

कोविड-19 महामारी में भुगतानों के डिजिटल में परिवर्तन से भारत के इकोसिस्टम को भी मजबूत किया है। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस क्षेत्र में अपने प्रयास जारी रखेंगे ताकि अधिक से अधिक नवोन्मेषी समाधान किए जा सकें। भविष्य में आरबीआई और सरकार द्वारा निरंतर नीतिगत सहयोग से देश में बैंकिंग प्रणाली का क्रमिक विकास होगा।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर



(राजकिरण रै. जी)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: मुंबई

दिनांक : 30.05.2022

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता :

1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया श्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है. शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है.

1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और शेयरधारकों की संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता है. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कॉर्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है.

1.3 बैंक का दृढ़ विश्वास है कि निदेशक मंडल एवं अन्य शेयरधारकों द्वारा स्व-अनुशासन एवं निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाने से एक स्वच्छ, पारदर्शी एवं विश्वसनीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभिशासन के लिए आधार उपलब्ध होगा जिससे शेयरधारकों का निरंतर सहयोग एवं विश्वास प्राप्त होगा.

1.4 कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बदलते परिदृश्य में बैंक के सामने अतिरिक्त चुनौतियाँ पैदा हुई हैं और आपके बैंक ने मार्च 2020 से स्थिति का सामना करने में चरित्र, परिपक्वता और लचीलापन दिखाया है एवं भविष्य में भी इसको जारी रखेगा.

1.5 उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है. यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है. इसमें मूलतः सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियाँ सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा :

- निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियाँ
- अनुपालन (विनियामक एवं पॉलिसी)
- शेयरधारकों के साथ संबंध
- बैंक एवं उसके निदेशकों द्वारा प्रकटन

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और
- अन्य विविध मामले जैसे निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक के लिए आचार संहिता, आंतरिक व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) निषेध, संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति, विसिल ब्लोवर नीति, स्टाफ संबंधी मामले, सतर्कता आदि.

1.6 बैंक सूचीबद्ध निकाय होने के कारण सेबी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रावधानों (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 का इस प्रकार अनुपालन करता है कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी बैंक पर लागू होने वाले निर्देशों एवं दिशानिर्देशों का उल्लंघन न हो.

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम 1970 यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है.

2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में बैंक के समग्र अनुश्रवण कार्य सहित नये उत्पाद विकसित करने के लिए नीतियों को मंजूर करना, लक्ष्यों के सापेक्ष कारोबार समीक्षा, ऋण, परिचालन, बाजार, तरलता जोखिम, जोखिम कार्यों की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत संवीक्षा, एनपीए प्रबंधन एवं रिपोर्ट किए गए एनपीए तथा प्रावधानीकरण सत्यनिष्ठा, विनियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन का समग्र पर्यवेक्षण संबंधी नीतियों का अनुमोदन सम्मिलित हैं.

2.3 निदेशक मंडल ने विभिन्न उप-समितियाँ बनाई हैं और निदेशक मंडल के समितियों के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है. निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें आवधिक अंतराल पर होती हैं.

2.4 31 मार्च, 2022 को निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पाँच पूर्णकालिक निदेशक यथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) तथा चार (4) कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त छह (6) गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गये श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं बृहद् अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

- 2.5 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कर्मचारी निदेशक और अधिकारी निदेशक के पद रिक्त थे. केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सीए निदेशक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के पद यथा 31 मार्च, 2022 को रिक्त थे.
- 2.6 निदेशक मंडल की संरचना यथा 31 मार्च, 2022 निम्नानुसार है:

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसीबी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसीबी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप और विशेषज्ञता के क्षेत्र)
1	श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (कार्यपालक)	01.07.2017	एमसीबी एसआरसीबी आरएमसी आईटीएससी एससीएमएफ डीपीपीसी एसटीसीबी आरईएमसी एचआरएससीबी सीएसी-1 सीडीआरसीएफ आरसीएनसीबीड&बल्यूडी	6725	2	1	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त 01.07.2017 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 30.06.2020 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या 4/4/2017 बीओ.आई दिनांकित 30.06.2020 द्वारा केन्द्र सरकार ने कार्यकाल अवधि को 30.06.2020 से बढ़ाकर 31.05.2022 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया है. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त
2	श्री मानस रंजन बिस्वाल कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	01-03-2019	एमसीबी एसआरसीबी आरएमसी आईटीएससी आरईएमसी एचआरएससीबी सीएसी-1 सीडीआरसीएफ एससीएमएफ	शून्य	1	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 28.02.2022 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या 4/4/2021 बीओ.आई दिनांकित 26.08.2021 द्वारा केन्द्र सरकार ने कार्यकाल अवधि को 28.02.2022 से बढ़ाकर 30.04.2022 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया है. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त
3	श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	10-03-2021	एमसीबी एसआरसीबी आरएमसी आईटीएससी आरईएमसी एचआरएससीबी सीएसी-1 सीडीआरसीएफ	6725	3	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 10.03.2021 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : अर्थशास्त्र, वित्त एवं प्रबंधन

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसीबी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसीबी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप और विशेषज्ञता के क्षेत्र)
4	श्री रजनीश कर्नाटक, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	21-10-2021	एमसीबी एसआरसीबी आरएमसी आईटीएससी आरईएमसी एचआरएससीबी सीएसी-1 सीडीआरसीएफ	शून्य	2	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 21.10.2021 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे। विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त
5	श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	01-02-2022	एमसीबी एसीबी एसआरसीबी आरएमसी आईटीएससी एससीएमएफ आरईएमसी एचआरएससीबी सीएसी-1 सीडीआरसीएफ	शून्य	2	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 01.02.2022 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे। विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं विपणन
6	श्री समीर शुक्ला, सरकार नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक)	08-11-2021	एसीबी एसआरसीबी आईटीएससी एससीएमएफ डीपीपीसी आरईएमसी एचआरएससीबी बीसीपीई	शून्य	2	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (बी) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे। विशेषज्ञता के क्षेत्र : प्रबंधन एवं वित्त
7	श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक)	26-04-2019	एमसीबी एसीबी डीपीपीसी	शून्य	1	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा भारिबैं की संस्तुति पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे। विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग, वित्त एवं सूचना प्रौद्योगिकी
8	श्री सूरज श्रीवास्तव, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक- स्वतंत्र)	21-12-2021	एसीबी एसआरसीबी आरएमसी एनआरसी	शून्य	2	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि यथा 21.12.2021 या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नामित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : लेखा, कराधान एवं वित्त

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसीबी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसीबी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप और विशेषज्ञता के क्षेत्र)
9	श्री लक्ष्मण एस. उप्पर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक- स्वतंत्र)	21-03-2022	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि यथा 21.03.2022 या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नामित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : प्रशिक्षण एवं विकास, प्रबंधन एवं सीएसआर
10	डॉ. जयदेव मद्गुला, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	28-06-2018	एसीबी एसआरसीबी आरएमसी आईटीएससी एससीएमएफ एसटीसीबी एचआरएससीबी आरसीएनसीबीड&बल्यूडी बीसीपीई	200	2	2	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन दिनांक 28.06.2018 से 27.06.2021 तक निर्वाचित और दिनांक 28.06.2021 से आगामी तीन वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग, वित्त एवं जोखिम प्रबंधन
11	सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	29-07-2021	एमसीबी एसआरसीबी आरएमसी आईटीएससी एसटीसीबी एचआरएससीबी बीसीपीई	1000	2	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन दिनांक 29.07.2021 से 28.07.2024 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : सूचना प्रौद्योगिकी, एचआर एवं सीएसआर

\$ समिति के नाम का संक्षिप्ताक्षर

एसीबी	-	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
बीसीपीई	-	बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति
सीएसी - I	-	साख अनुमोदन समिति- I
सीडीआरसीएफ	-	पूंजी निधि की उगाही हेतु निदेशकों की समिति
सीईएसडी	-	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान के माध्यम से शेयरधारकों के निदेशकों का चुनाव समिति
सीएससीबी	-	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
सीएसआरसी	-	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
डीपीपीसी	-	अनुशासनिक कार्यवाही एवं पदोन्नति समिति
ईडीसी	-	निर्वाचन विवाद समिति
एचआरएससीबी	-	बोर्ड की मानव संसाधन उप समिति
आईटीएससी	-	बोर्ड की आईटी रणनीति समिति
एमसीबी	-	बोर्ड की प्रबंधन समिति
एनआरसी	-	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
आरसीएनसीबी&डबल्यूडी	-	बैंक के गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं & जानबूझकर चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
आरईएमसी	-	बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति
आरएमसी	-	जोखिम प्रबंधन समिति
एससीएमएफ	-	रु. 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु विशेष समिति
एसआरसीबी	-	हितधारकों की संबंध समिति
एसटीसीबी	-	बोर्ड की शेयर अंतरण समिति

2.7 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान नियुक्तियां / कार्यकाल समापन

नियुक्तियां: वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड में शामिल किए गए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

क्र.	नाम	आयु	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख	विशेषज्ञता का स्वरूप	संक्षिप्त परिचय
1.	डॉ. जयदेव मदुगुला	58	28.06.2021	27.06.2024	बैंकिंग एवं जोखिम प्रबंधन	डॉ. जयदेव मदुगुला ने कॉमर्स में स्नातकोत्तर और बिजनेस मैनेजमेंट में पीएचडी किया है। वर्तमान में, आप आईआईएम बंगलोर में वित्त एवं लेखांकन के प्रोफेसर हैं। आपको न केवल भारत की प्रमुख संस्थाओं में बल्कि विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में भी एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का पर्याप्त अनुभव है। आपने विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन किया है और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपने शोध संबंधी लेखों का प्रकाशन किया है तथा आपने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार एवं प्रशंसा अर्जित की है। आप 28 जून, 2018 से 27 जून, 2021 तक बैंक के शेरधारक निदेशक के पद पर कार्यरत थे।
2	सुश्री प्रीति जय राव	62	29.07.2021	28.07.2024	सूचना प्रौद्योगिकी, एचआर एवं सीएसआर	श्रीमती प्रीति जय राव कंप्यूटर विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ आईआईटी मुंबई से एमएससी (गणित) हैं। आप व्यावसायिक मूल्य, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मानव संसाधन और प्रक्रिया स्वचालन को बढ़ाने पर जोर देते हैं। आपको सभी पाँच महाद्वीपों में स्थित ग्राहकों को विभिन्न आईटी सेवाएं प्रदान करने में 24 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। आप पिछले कई वर्षों से प्रौद्योगिकी सेवाओं और सक्रिय रूप से विभिन्न सीएसआर गतिविधियों से संबंधित सार्वजनिक और निजी कंपनियों के निदेशक मंडल की सदस्य हैं।
3	श्री रजनीश कर्नाटक	51	21.10.2021	20.10.2024 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो	बैंकिंग एवं वित्त	श्री कर्नाटक ने वाणिज्य (एम.कॉम) में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की तथा आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं। आपको बैंकिंग क्षेत्र में 27 वर्ष का गहन कार्यानुभव है और आपने अनेक शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों का भी कार्यभार संभाला है। आप परियोजना निधिकरण तथा कार्यशील पूंजी निधिकरण, ऋण जोखिम की विशेष योग्यता के साथ जोखिम प्रबंधन व ऋण मूल्यांकन कौशल में दक्ष हैं।
4	श्री समीर शुक्ला	43	08.11.2021	अगले आदेशों तक	प्रबंधन एवं वित्त	श्री समीर शुक्ला कर्नाटक केडर के 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं।
5	श्री सूरज श्रीवास्तव	48	21.12.2021	20.12.2024 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो	लेखा, कराधान एवं वित्त	श्री सूरज श्रीवास्तव भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के मानद सदस्य हैं तथा विधि (एलएल.बी) में स्नातक भी हैं। श्री श्रीवास्तव को कराधान एवं लेखा संबंधी अभ्यास में एक पेशेवर सनदी लेखाकार के रूप में 16 वर्षों का कुशल अनुभव है।
6	श्री निधु सक्सेना	53	01.02.2022	31.01.2025 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो	बैंकिंग एवं विपणन	श्री निधु सक्सेना वाणिज्य स्नातक हैं और आपने सीएआईआईबी योग्यता के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर भी किया है। बैंकिंग में अपने 25 वर्षों के अनुभव से पूर्व श्री निधु सक्सेना को विभिन्न क्षेत्रों में 8 वर्षों का कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी है।
7	श्री लक्ष्मण एस. उप्पर	50	21.03.2022	20.03.2025 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो	प्रशिक्षण एवं विकास, प्रबंधन एवं सीएसआर	श्री उप्पर इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। आप एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, जनहितैषी और कर्नाटक क्लासिक एज्यूकेशन प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं। आपने 2012 में स्पर्धा स्पर्ति पब्लिशर्स एवं प्रिंटेड प्राइवेट लिमिटेड की भी शुरुआत की है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है।

कार्यकाल समापन: निम्नांकित सदस्यों का कार्यकाल वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्ण हुआ.

क्र	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि	कारण
1	डॉ. उत्तम कुमार सरकार	शेयरधारक निदेशक	28.06.2021	कार्यकाल पूर्ण होने पर
2	श्री के. कदिरसन	शेयरधारक निदेशक	28.06.2021	कार्यकाल पूर्ण होने पर.
3	श्री दिनेश कुमार गर्ग	कार्यपालक निदेशक	01.10.2021	अधिवर्षिता पर.
4	डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	07.11.2021	कार्यकाल पूर्ण होने पर
5	श्री गोपाल सिंह गुसाई	कार्यपालक निदेशक	01.02.2022	अधिवर्षिता पर.

2.8 निदेशकों का परस्पर संबंध :

किसी भी निदेशक का आपस में कोई भी नजदीकी संबंध नहीं है.

2.9 निदेशकों की समिति सदस्यता :

सेबी (एलओडीआर) विनिमयन, 2015 के विनिमयन 26(1) के क्रम में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता एवं सदस्यता (एसीबी) तथा बोर्ड की स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसीबी) को प्रकटन के लिए ध्यान में रखा जाता है.

वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक का कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध संस्थाओं/ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में जहां वे निदेशक थे 10 समिति से अधिक समिति के सदस्य नहीं रहे हैं ना ही उन्होंने 5 समिति से अधिक समिति की अध्यक्षता की है.

बैंक की समितियों पर निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता/ अध्यक्षता एवं अन्य सूचीबद्ध/ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ जहां वे निदेशक थे यथास्थिति 31.03.2022 का ब्यौरा निम्नानुसार है.

क्र	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कंपनी का नाम	समिति का नाम	सदस्य/ अध्यक्ष
1.	श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	यूनाइटेड इंडिया इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड	एसीबी	अध्यक्ष
		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसीबी	सदस्य
2.	श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसीबी	सदस्य
3.	श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसीबी	सदस्य
		2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
		3. स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इन्श्युरेंस	एसीबी	सदस्य
4.	श्री रजनीश कर्नाटक, कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसीबी	सदस्य
		यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	एसीबी	सदस्य
5.	श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
		2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसीबी	सदस्य
6.	श्री समीर शुक्ला, सरकार नामित निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसीबी	सदस्य
7.	श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
8.	श्री सूरज श्रीवास्तव, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
		2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसीबी	सदस्य
9.	श्री लक्ष्मण एस. उप्पर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	लागू नहीं		
10.	डॉ. जयदेव मद्दुगुला, शेयरधारक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
		2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसीबी	सदस्य
11.	सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक	1. मस्टेक लिमिटेड	एसीबी	सदस्य
		2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसीबी	सदस्य

2.10 निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले अभिज्ञता (परिचय) कार्यक्रमों का ब्यौरा :

निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट पर निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध कराया गया है:

<http://www.unionbankofindia.co.in/english/familiarisation.aspx>

2.11 सूचीबद्धता विनियमन की अनुसूची V की अपेक्षा के अनुरूप पेशारत कंपनी सचिव ने अपने प्रमाणपत्र के जरिए प्रमाणित किया है कि सेबी/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या अन्य ऐसे सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति या नियुक्ति पर बने रहने के संबंध में वर्जित या अयोग्य नहीं माना गया है तथा इस संबंध में पेशारत कंपनी सचिव का प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

2.12 बैंक का निदेशक मण्डल पुष्टि करता है कि बैंक के स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक) सूचीबद्धता विनियमन में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करता है एवं वे प्रबंधन से स्वतंत्र है।

3 वार्षिक सामान्य बैठक :

बैंक के शेयरधारकों की 19वीं वार्षिक साधारण बैठक **मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त, 2021** को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

श्री राजकिरण रै जी.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री गोपाल सिंह गुसाई	कार्यपालक निदेशक
श्री दिनेश कुमार गर्ग	कार्यपालक निदेशक
श्री मानस रंजन बिस्वाल	कार्यपालक निदेशक
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक
डॉ. जयदेव मद्गुला	शेयरधारक निदेशक, एसीबी एवं एसआरसीबी के अध्यक्ष
सुश्री प्रीति जय राव	शेयरधारक निदेशक

4 निदेशक मंडल की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा:

वर्ष 2021-22 के दौरान 22 बार यथा 29.04.2021, 14.05.2021, 25.05.2021, 07.06.2021, 14.06.2021, 23.06.2021, 30.06.2021, 17.07.2021, 28.07.2021,

29.07.2021, 30.07.2021, 26.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 02.11.2021, 25.11.2021, 15.12.2021, 29.12.2021, 24.01.2022, 07.02.2022, 25.02.2022 और 30.03.2022 को निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित की गयीं।

नोट : गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का पद वर्तमान में रिक्त है और श्री राजकिरण रै जी, बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 खंड डी, पार्ट ई, सूची II के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1970 के खंड 12(6) के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

5. बोर्ड की समितियां

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रणनीति के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों एवं/अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियां गठित की हैं। महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं -

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
4. रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)
5. बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी)
6. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)*
7. बोर्ड की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)
8. बोर्ड की हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसीबी)*
9. आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)
10. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
11. अनुशासनिक कार्यवाही एवं पदोन्नति समिति (डीपीपीसी)
12. बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)
13. बैंक के गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं & जानबूझकर चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी&डबल्यूडी)
14. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआरसी)*
15. ऋण अनुमोदन समिति-I (सीएसी- I)
16. पूंजीगत निधि की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)
17. बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति (बीसीपीई)

* **नोट 1:** बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 30.03.2022 की अपनी बैठक में ग्राहक सेवा और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कार्यों के साथ एसआरसीबी के दायरे को अधिदेश द्वारा विस्तार किया है और इसके परिणामस्वरूप, सीएससीबी और सीएसआरसी को सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में स्थापित एसआरसीबी के दायरे और संरचना को कमजोर किए बिना एसआरसीबी में विलय कर दिया गया है. एसआरसीबी को पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) कार्यों के साथ भी अनिवार्य किया गया है.

नोट 2: बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 30.03.2022 की अपनी बैठक में "चुनाव विवाद समिति" और "शेयरधारकों के निदेशकों के चुनाव पर निर्णय लेने वाली समिति - पीएसबी द्वारा मतदान" को समाप्त कर दिया है क्योंकि विशिष्ट मुद्दों के लिए समितियां थीं और ऐसे मुद्दे हाल के दिनों में समक्ष नहीं आए हैं. बोर्ड ने इस संबंध में यह भी निर्णय लिया कि विशिष्ट अवधि के लिए उक्त समितियों का पुनः गठन उन्हीं नियमों और शर्तों के साथ जब कभी आवश्यक हो, किया जा सकता है.

5.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

5.1.1 संघटन :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13 (यथा संशोधित) के अनुक्रम में बोर्ड की प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं: -

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ,
- कार्यपालक निदेशक,
- भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक का धारा 9(3) (सी) के अन्तर्गत नामांकन, एवं
- तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकों का धारा 9(3) (ई), (एफ), (एच) एवं (आई) के अन्तर्गत आवर्तन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा नामांकन किया जा सकता है और छह माह की अवधि हेतु दो बार के लिए पुनः निर्वाचित किया जा सकता है.

श्री राजकिरण रे जी, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.1.2 कार्य :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न कारोबारी मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी/समीक्षा, ऋण समझौता/अपलेखन प्रस्ताव, साख अनुमोदन समिति-1 के प्राधिकार से अधिक पूंजी एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने, निवेश, दान आदि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के निदेशकों द्वारा बोर्ड की प्रबंधन समिति गठित की गयी है.

वर्ष 2021-22 के दौरान एमसीबी की 24 बैठकें आयोजित की गयी.

5.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

5.2.1 संघटन :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी है. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं -

- कार्यपालक निदेशक, आन्तरिक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा के प्रभारी
- भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती, एवं
- धारा 9(3)(जी) के अन्तर्गत दो अन्य गैर कार्यपालक निदेशक, जिनमें से एक सामान्यतः सनदी लेखाकार निदेशक हो.

अन्य कार्यपालक निदेशक/कों को आमंत्रित किया जा सकता है, यदि कार्यसूची में उनके क्षेत्र से संबंधित कोई मद चर्चा के लिए शामिल हो.

डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की.

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 18(1)(ई) के अनुसार कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव होगा.

5.2.2 कार्य :

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कैलेंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा

करती है. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:-

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का गठन, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है.
2. एसीबी, बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली, गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है. यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है. इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है :-
 - अंतर-शाखा समायोजन खाते
 - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो.
 - विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान की बकाया स्थिति
 - धोखाधड़ी
 - बहियों के मिलान से संबंधित सभी अन्य प्रमुख क्षेत्र.
3. एसीबी, भारिबैं एवं सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है.
4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. बैंक के छमाही/वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है.
5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीति और कार्य प्रणाली, संबंधित पार्टी लेनदेन, व्हिसिल ब्लोअर तकनीक, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक

के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है.

6. उपर्युक्त के अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सूची II के भाग सी के अधीन परिभाषित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की भूमिका एवं लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा करना भी लेखापरीक्षा समिति के कार्य में शामिल है.

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 10 बैठकें हुईं. ये बैठकें दिनांक 07.06.2021, 22.06.2021, 29.07.2021, 25.08.2021, 23.09.2021, 02.11.2021, 23.11.2021, 07.02.2022, 10.02.2022 और 16.03.2022 को आयोजित हुईं.

5.3 जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

5.3.1 संघटन :

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति गठित की है. सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित शेष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन करेगा. कार्यों में समानता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 06.12.2019 को आयोजित अपनी बैठक में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन (सीएसआर & एएलएम) पर निर्देशकों की पर्यवेक्षण समिति का नाम बदलकर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) किया है.

समिति में निम्नानुसार सदस्य शामिल किए गए हैं :

- अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक एवं
- तीन गैर-कार्यपालक निदेशक.

आज की तारीख में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष का पद रिक्त है और राष्ट्रीकृत बैंक योजना 1970 (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) के अनुबंध 12(6) की शर्तों के अनुसार श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.3.2 कार्य :

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए समिति गठित की है, यह समिति बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है.

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी.

5.4 रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)

5.4.1 संघटन:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है. वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा / अंतर बैंक खातों, बहियों के मिलान के प्रमुख क्षेत्रों आदि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है. एसीबी से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे. यह विशेष समिति रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान देती है, जबकि एसीबी सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण जारी रखेगी.

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है.

- अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य

आज की तारीख में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष का पद रिक्त है राष्ट्रीकृत बैंक योजना 1970 (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) के अनुबंध 12(6) की शर्तों के अनुसार श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.4.2 कार्य :

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि:

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को पहचानने और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय करना.
- धोखाधड़ी का पता लगाने में हुई देरी का पता लगाने और/ अथवा बैंक के उच्च प्रबंधन या भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों की पहचान करना.
- सीबीआई/ पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण करना.
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा यदि स्टाफ संबंधी कोई कार्रवाई हो तो उसे तत्काल निपटाया जाता है.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसी उपचारात्मक कार्रवाई की समीक्षा करना.
- धोखाधड़ी निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू करना.

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी.

5.5 बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी) :

5.5.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए वसूली प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर की उप समिति गठित की गयी हैं. यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी.

समिति का संगठन इस प्रकार है:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.5.2 कार्य :

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयीं।

5.6 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

5.6.1 संघटन :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में बैंक में ग्राहक सेवा की देखरेख के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति गठित की गयी है। समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक
- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- चार गैर-कार्यपालक निदेशक

इनके अतिरिक्त, इन बैठकों में आंतरिक लोकपाल तथा दो विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है।

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.6.2 कार्य:

समिति निम्नलिखित कार्य कर रही है:

- i. ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव देना।
- ii. मौजूदा नीतियों एवं कार्यपद्धतियों को युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण की दृष्टि से उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा निरंतर आधार पर परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने हेतु समुचित प्रोत्साहनों का सुझाव देना।
- iii. बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने से पूर्व नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा करके संस्तुति करना।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयीं।

5.7 बोर्ड की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)

5.7.1 संघटन :

समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बोर्ड द्वारा नामित कोई दो निदेशक होते हैं। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन के दो विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेते हैं।

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.7.2 कार्य :

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन का प्रबंधन एवं पुनरावलोकन :

1. एचआर पर बैंक की संपूर्ण रणनीति।
 - समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
 - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
 - उत्तराधिकार की योजना
2. बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास
 - प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी निष्पादन आकलन
 - सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक प्रणाली देना
3. बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप एचआर नीतियों को सुव्यवस्थित करना
 - पुरस्कार व प्रोत्साहन
 - पदोन्नति
 - तैनाती
4. प्रशिक्षण
 - विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
 - सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण/पुनश्चर्या
5. एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 7 बैठकें आयोजित की गयीं।

5.8 बोर्ड की हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसीबी)

5.8.1 संघटन :

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुक्रम में, कार्यपालक निदेशकों एवं तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों की बोर्ड की स्टैकधारक संबंध समिति (एसआरसीबी) गठित की गयी है।

डॉ. जयदेव मद्गुला, शेयरधारक निदेशक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

5.8.2 कार्य :

1. बैंक के प्रतिभूति धारकों के शेयरों के अंतरण/ ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की अप्रप्ति, घोषित लाभांशों की अप्रप्ति, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्रों को जारी करने, सामान्य बैठकों आदि से संबंधित शिकायतों का निपटान एवं अनुश्रवण करना।
2. शेयरधारकों द्वारा मतदान के प्रभावी अभ्यास के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।
3. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गयी सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना।
4. बैंक द्वारा अदावी लाभांशों की प्रमात्रा को कम करने एवं कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंटों/ वार्षिक रिपोर्टों/ सांविधिक नोटिसों की ससमय प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए विभिन्न उपायों एवं पहल की समीक्षा करना।

दिनांक 30.03.2022 से प्रभावी, एसआरसीबी के दायरे को ग्राहक सेवा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) कार्य से संबंधित कार्यों के साथ अधिदेशित कर बढ़ाया गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयीं।

5.8.3 अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम :

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 6 के अनुक्रम में, श्री मंगेश मांद्रेकर को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया एवं निवेशक शिकायत निवारण के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया।

5.8.4 वर्ष 2021-22 के दौरान शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण :

31.03.2022 को समाप्त वित्त वर्ष की तुलना में 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष में प्राप्त, निस्तारित एवं लम्बित शिकायतों की संख्या प्रदर्शित करने वाली तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है :-

	विवरण	31.03.22 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए	31.03.21 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
ए.	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या	0	0
बी.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या	8	18
सी.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निस्तारित की गयी शिकायतों की संख्या	8	18
डी.	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या	0	0

5.9 आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)

5.9.1 संघटन

आईटी सुशासन उपायों के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर रणनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की ओर से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी रणनीति समिति बनाने की संस्तुति की है। समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- एमडी एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण

- सरकार द्वारा नामिती निदेशक
- दो गैर कार्यपालक निदेशक जिसमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा
- दो बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- मुख्य सूचना अधिकारी (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख, मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक)

सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की।

5.9.2 कार्य :

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है.
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने कारोबार बढ़ाने में आईटी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया एवं पद्धति का पालन किया है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी में निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप रहें और बजट स्वीकार करने योग्य हों.
- रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना.
- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना.
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना.
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना.

- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदाहरणार्थ- जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्रोत संबंधी)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आईटी से अधिकतम कारोबारी लाभ प्राप्त हो.
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पर्यवेक्षण और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन हैं.
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ मिल रहा है)
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना.
- बैंक के डिजिटल लेनदेनों को बढ़ाने के लिए तत्संबंधी परामर्श, दिशानिर्देश एवं अनुश्रवण हेतु डिजिटल लेनदेन पर बोर्ड स्तरीय उप समिति के रूप में कार्य करने के लिए.

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयीं.

5.10 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

बैंक की पूर्व में दो अलग समितियां अर्थात् नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति थी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी थी. वित्त मंत्रालय ने अपने पत्रांक एफ़. नं. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से यह सुझाव दिया कि बोर्ड को अलग नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति के स्थान पर, कथित दोनों समितियों को सुपुर्द किए गए कार्यों को करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर.एपीपीटी.नं. 9/29.67.001/2019-20, दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से निर्दिष्ट अनुसार बैंक के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के नाम से एक समिति गठित कर सकता है.

इस प्रकार, उपरोक्त वर्णित वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के क्रम में, निदेशकों के बोर्ड ने 06.12.2019 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो अलग समितियों के स्थान पर एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन को अनुमोदित किया है

5.10.1 संघटन :

भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर निर्देश क्र. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड) के निर्देशों, 2019 को जारी किया है. कथित निर्देशों के परिच्छेद 4.1 के क्रम में, बैंक को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के अधीन निदेशकों के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया को करने के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को गठित करने की आवश्यकता है. समिति की संरचना निम्नानुसार है :

- अधिनियम 9(3) (जी) की धारा के अधीन नामित गैर-कार्यकारी निदेशक
- अधिनियम 9(3) (एच) की धारा के अधीन नामित तीन गैर-कार्यकारी निदेशक

दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को भी समिति में नामित किया जा सकता है परंतु वह समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

5.10.2 कार्य :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अधीन किसी व्यक्ति के निदेशक के रूप में चयन हेतु "योग्य एवं उपयुक्त" निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया करना.

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 14ए और एनआरसी के कोरम के अभाव में, की कमी को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड द्वारा शेरधारक निदेशकों के चुनाव से संबंधित एजेंडे को दो बार लिया गया और एनआरसी की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी.

5.11 अनुशासनिक कार्यवाही और पदोन्नति समिति (डीपीपीसी)

बैंक के पास पहले दो अलग समितियां यथा निदेशक पदोन्नति समिति (डीपीसी) और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता (डीपीसी-V) थी.

वित्त मंत्रालय ने अपने पत्राचार एफ. सं. 16/19/2019 - बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक की अपनी पहल पर गठित बोर्ड समितियों की निरंतरता की आवश्यकता और उनकी संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने वाले उनके कार्यों की संभावना की, उनके बोर्ड में समीक्षा करने की सलाह दी.

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश दिनांक 24.10.1990 और बुनियादी संरचना को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों की पदोन्नति समिति और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता को 06.12.2019 से समामेलित करने का निर्णय लिया.

5.11.1. संघटन :

निदेशक मंडल ने समिति के गठन को निम्न रूप में मंजूरी दी है

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

वेतनमान VI से VII और वेतनमान VII से VIII की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार आयोजित करते समय स्वतंत्र सदस्य / बाहर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना है.

श्री राजकिरण रे जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.11.2. कार्य :

- टीईजीएस VI से टीईजीएस VII में तथा टीईजीएस VII से टीईजीएस VIII में पदोन्नति प्रक्रिया कराना
- टीईजीएस VI एवं टीईजीएस VII के कार्यपालकों का क्रमशः टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति न होने पर अपीलों पर विचार करना.
- टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति के ऐसे मामले पर विचार करना जहां सील्ड कवर प्रक्रिया को अपनाया गया है.
- सतर्कता, गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय जांच की समीक्षा करना
- उच्च कार्यपालकों के एपीएआर अंकों की समीक्षा

अभ्यावेदन के आधार पर प्रकटीकरण की तिथि से 15 दिनों के भीतर करना

- महाप्रबंधकों को प्रमुख दंड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध अपील की समीक्षा करना.

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 6 बैठकें आयोजित की गयीं.

5.12 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

5.12.1. संघटन :

इस समिति में पूर्व कार्यपालक निदेशकों, मुख्य अनुपालन अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी और महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक / सहायक महा प्रबंधक बोर्ड सचिव शामिल हैं.

समिति की संरचना निम्नानुसार है :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में, बोर्ड सचिवालय के प्रभारी कार्यकारी निदेशक
- दो गैर कार्यकारी निदेशक

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.12.2. कार्य :

बैंक ने शेयरों के शीघ्र अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं.

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजारों में कारोबार में सुगमता के लिए, सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.01.2022 के जरिए निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोध की प्रोसेसिंग करते समय केवल अभौतिकी रूप में (डीमैटरियलाइज्ड मोड में) शेयर जारी करेंगी:

- ए. प्रतिभूति प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करना
- बी. दावारहित उंचत खाते से दावा
- सी. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीकरण/आदान-प्रदान

- डी. पृष्ठांकन
- ई. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभक्त करना
- एफ. प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन
- जी. संचारण
- एच. परिवहन

वर्ष के दौरान, एसटीसीबी की बैठक 4 बार आयोजित की गई तथा परिचालन के जरिए 19 संकल्प पारित किए गए थे.

5.13. गैर सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी एवं डब्ल्यूडी)

पूर्व में बैंक की दो अलग समितियां थीं अर्थात् "गैर सहकारी" उधारकर्ता के वर्गीकरण के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी) और बैंक के जानबूझकर चूककर्ता से संबंधित समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीबी). एमओएफ ने अपने पत्रांक एफ. क्र. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 को बोर्ड में बैंक की स्वयं की पहल पर स्थापित बोर्ड समितियों के जारी रहने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा उनके कार्यों को किसी अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने की संभावना की समीक्षा करने की सलाह दी ताकि उनकी संख्या को तर्कसंगत बनाया जा सके.

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को तर्कसंगत बनाने और उपर्युक्त दो समितियों से संघटन के आधार पर उनमें संशोधन करने का निर्णय लिया और गैर सहकारी उधारकर्ता की पहचान करने तथा गैर सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ताओं के वर्गीकरण के लिए एकल समिति गठित करने का निर्णय किया जो 06.12.2019 से प्रभावी है.

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कोई दो स्वतंत्र निदेशक

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.13.1. कार्य :

- समिति, अनुमोदन समिति के आदेशों की समीक्षा करेगी, अर्थात् कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व वाली समिति द्वारा उधारकर्ता की रिकार्डिंग असहयोगी के रूप में किये जाने पर बोर्ड की समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि होने के बाद ही यह आदेश अंतिम होगा.
- छमाही आधार पर असहयोगी उधारकर्ताओं की स्थिति की

समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व ऋण अनुशासन रिटर्न व सहकारी व्यवहार द्वारा उनके नाम को अवर्गीकृत किया जा सकता है.

- जानबूझकर चूककर्ता के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण पर कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा और पुष्टि करना.
- सीआरआईएलसी को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न की समीक्षा करना.

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी.

5.14 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति (सीएसआरसी)

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति का उद्देश्य बोर्ड तथा बैंक के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति को पूरा करने में सहायता करना है.

5.14.1 संघटन :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत नामित कोई एक अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक.
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत चुने गए एक शेयरधारक निदेशक.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.14.2 कार्य :

1. निदेशक मंडल को सीएसआर नीति तैयार कर अनुशंसित किया जाना एवं आगे की जाने वाली गतिविधियों का संकेत करना.
2. परियोजनाओं का अनुमोदन सीएसआर नीति के तहत समिति द्वारा अनुमोदित यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट या अन्य ऐसी इकाई/ संस्था के माध्यम से किया जाना चाहिए.
3. महाप्रबंधक/ कार्यपालक निदेशक/ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित प्राधिकारों के प्रयोग की

समीक्षा तिमाही आधार पर करना. यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्य निष्पादन का तिमाही आधार पर समीक्षा करना.

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी.

5.15 पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)

5.15.1 संघटन :

बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति की दृष्टि से समिति का गठन किया गया है. समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकगण भी शामिल हैं.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.15.2 कार्य:

निदेशक मंडल / शेयरधारकों जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत समिति को पूंजीगत निधियों की उगाही हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने तथा ऐसे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, जो उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित है, करने के लिए प्राधिकार हैं. लेकिन यह बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय एवं सेबी विनियमन के अधीन प्रदत्त अनुसार प्रमात्रा एवं माध्यम, ट्रांच की संख्या, कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/ प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारकों और/ या अन्य किसी व्यक्ति को आरक्षण देने तथा ऐसे निर्गम (मों) का समय निर्धारण, अपने विवेकाधिकार पर निर्गम की शुरुआत करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं. बशर्ते कि यह लागू नियमों एवं विनियमन तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अध्वधीन है.

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 8 बैठकें आयोजित की गयी.

5.16 कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (बीसीपीई)

5.16.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय ने पत्रांक एफ.नं. 9/5/2019-आईआर दिनांक 30.08.2019 द्वारा बैंक को सलाह दी कि प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक प्रभारी आंतरिक नियंत्रण कार्य (जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा) एवं महाप्रबंधक प्रभारी आंतरिक नियंत्रण (जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा) के कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति का गठन किया जाए।

दिनांक 14.11.2019 को संप्रेषित उपर्युक्त वर्णित एमओएफ के अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों के अनुमोदन के साथ कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति का गठन किया जाए।

1. गैर कार्यपालक अध्यक्ष (एनईसी)
2. सरकार द्वारा नामिती निदेशक, एवं
3. बोर्ड में सबसे लंबे समय तक सेवारत शेयरधारक निदेशक.

कार्यालय में एनईसी का पद खाली होने की दशा में, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, एनईसी के स्थान पर समिति के सदस्य होंगे.

5.16.2 कार्य :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक एवं महाप्रबंधकों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन, समीक्षा एवं स्वीकृति.

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 2 बैठकें आयोजित की गयी.

5.17 ऋण अनुमोदन समिति-1 (सीएसी-1)

5.17.1 संघटन :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1970 के खंड 13ए के अनुसार, बैंक ने ऋण-अनुमोदन समिति-1 का गठन किया है. समिति रु. 800 करोड़ तक के किसी भी एकल ऋण प्रस्ताव के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी (ए और अधिक के बाह्य रेटिंग किए खाते जिनकी वैध रेटिंग है) और अन्य खातों के लिए रु.600 करोड़ तक तथा समूह एक्सपोजर के लिए रु.800 करोड़ और यदि एक्सपोजर इन सीमाओं से अधिक होता है तो उस पर बोर्ड की प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा.

सीएसी-1 में निम्न शामिल हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी ऋण
- मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी वित्त/मुख्य वित्त अधिकारी और
- मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.17.2 कार्य :

अग्रिम से संबंधित सभी मामले, जिसमें अनुमोदन/समीक्षा - नवीकरण, विविध अनुरोध, ब्याज में रियायत, समझौते/बड़े खाते में डालने वाले प्रस्ताव, पूंजी एवं राजस्व व्यय का अनुमोदन, अधिग्रहण एवं किराए पर परिसर आदि जो इसके प्रत्यायोजन अधिकारों में आते हैं, सीएसी-1 में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं.

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 24 बैठकें आयोजित की गयी.

6. साधारण सभा की बैठकें:

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की साधारण बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प
पोस्टल बैलट	14 फरवरी, 2019	--	कर्मचारी शेयर खरीद योजना (यहाँ "यूनियन बैंक-ईएसपीस" के रूप में संदर्भित है) के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को एक या एक से अधिक भाग में ₹10/- (रुपए दस मात्र) प्रति अंकित मूल्य के 8,00,00,000 (आठ करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर सृजित करना, प्रदान करना, जारी तथा आर्बिटित करना, जो बैंक की मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ परी पसु रैकिंग के अनुरूप हैं.
असाधारण सामान्य बैठक	26 मार्च, 2019 प्रातः 11.00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020	₹68.84 के प्रीमियम सहित ₹78.84 की दर से ₹4,112 करोड़ के नकदी आधार पर कुल 52,15,62,658 इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी करना.
सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	28 जून, 2019 प्रातः 11:00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020	ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹4,900 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.
अठारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	04 अगस्त, 2020 प्रातः 11.00 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा	समंजन की दिनांक को बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में जमा शेष को 31 मार्च, 2020 को बैंक की संघयी हानि ₹32758,49,47,263.10 (रुपए बत्तीस हजार सात सौ अट्ठावन करोड़ उनचास लाख सैंतालीस हजार दो सौ तिरेसठ एवं दस पैसे मात्र) में समंजित करने हेतु तथा इसको वर्तमान वित्त वर्ष 2020 -21 के दौरान खाते में लेने के लिए
असाधारण सामान्य बैठक	30 दिसंबर, 2020 प्रातः 11:00 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा	ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹6,800 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.
असाधारण सामान्य बैठक (रद्द)	25 जून, 2021 प्रातः 11.00 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा	बैठक में एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव ही एकमात्र एजेंडा था और बैंक को केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हुआ था और इसलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 यथा संशोधित, के विनियम 66 के अनुसार बैठक को रद्द कर दिया गया था.
उन्नीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक	10 अगस्त, 2021 प्रातः 11 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा	ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹3,500 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.

7. प्रकटन

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 तथा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी दिशानिदेशों/ परिपत्रों से बैंक संचालित होता है.

यह बताया गया है कि बैंक सूचीबद्धता विनियमों की लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है। हालांकि, वर्तमान में निदेशक मंडल में कुछ रिक्त पद हैं जिसके परिणामस्वरूप कम संख्या वाली कई समितियों का गठन किया गया है और इस प्रकार, बैंक सेबी सूचीबद्धता विनियमों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने में असमर्थ है। बैंक ने भारत सरकार से रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया है।

उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है। खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

7.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन से बनाये गये नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है। पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं।

बैठक शुल्क (फीस) :

बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (3) की शर्तों (ई), (एफ), (जी), (एच) व (आई) के अनुसार नियुक्त किए गए निदेशक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र एफ संख्या 15/1/2011-बीओ-आई दिनांक 30 अगस्त, 2019, बोर्ड की बैठकों एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक योजना की शर्त 17 (1) के अनुसार, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता तथा बोर्ड की समितियों की बैठकों की अध्यक्षता के लिए बोर्ड के निदेशकों द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क सहित प्रति निदेशक कुल अधिकतम सीमा रु.25 लाख के साथ नीचे दिए गए तरीके से बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र होंगे।

बोर्ड के निदेशकों ने 29 जुलाई, 2020 की अपनी बैठक द्वारा बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु 1 अप्रैल, 2021 से रु.70000 बैठक शुल्क एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु रु.35000 के भुगतान को अनुमति प्रदान की है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता हेतु रु. 20000 एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों हेतु रु. 10000 के अतिरिक्त शुल्क की स्वीकृति दी गई है।

उपरोक्त सूचना बैंक की वेबसाइट में <http://www.unionbankofindia.co.in/english/Making-payment.aspx> लिंक के अंतर्गत भी उपलब्ध है।

यात्रा एवं विराम भत्ता :

अपने लिये पात्र शुल्क के अतिरिक्त बैंक के कार्य से यात्रा करने वाले प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 खंड 17 की शर्तों के अनुसार यात्रा व्यय एवं विराम व्यय, यदि कोई हो, का समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा।

7.2 महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक संबंधों का प्रकटन :

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जो बैंक के हितों के विपरीत हो।

बैंक में यह स्थापित प्रथा है कि बोर्ड या बोर्ड की उप-समितियों की उन बैठकों में वे निदेशक भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनके या उनके रिश्तेदारों/ फर्मों/ कपनियों के हितों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती है।

7.3 आर्थिक संबंध या लेनदेन का प्रकटन :

बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशकों का सामान्य बैंकिंग कारोबार लेनदेन तथा बोर्ड एवं समिति की बैठकों हेतु उन्हें प्रदत्त बैठक शुल्क के अलावा उनका बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है।

7.4 सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम :

वर्ष 2021-22 के दौरान क्वालिफाइड इस्टीमेशन प्लेसमेंट के माध्यम से 1447 करोड़ रुपये (लगभग) की इक्विटी की आय जुटाई गई थी और उक्त प्राप्त राशि का उपयोग बेसल घट्ट दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की टियर 1 पूंजी को बढ़ाने के लिए आरबीआई और बैंक की विकास योजनाओं और सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए किया गया था।

बॉन्ड्स: वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने रु. 2000 करोड़ के बासेल III अनुपालित टियर 2 बांड जारी किए एवं रु.5000 करोड़ के बासेल III अनुपालित एटी 1 बांड जारी किए। आरबीआई और बैंक की विकास योजनाओं और सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए उक्त प्राप्त राशि का उपयोग आरबीआई के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की टियर 1 और टियर 2 पूंजी को बढ़ाने और बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया गया था।

7.5 दंड या आक्षेप :

गत 3 वर्षों के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

7.6 व्हिसिल ब्लोअर नीति :

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है <https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>.

लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है. इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है.

7.7 प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति :

सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 46(2) (एच) के अनुपालन में बैंक ने प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति निरूपित की है तथा इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है <https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>

हालांकि आज की तारीख में बैंक की कोई प्रमुख सहायक नहीं है.

7.8 संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति :

बैंक द्वारा संबंधित पक्ष संव्यवहारों के निपटान हेतु संबंधित संव्यवहार नीति निरूपित की गयी है. इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx> बैंक का कोई भी संबंधित पक्ष संव्यवहार नहीं था, जिसका वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक का वृहद स्तर पर हित प्रभावित नहीं हुआ.

7.9 लाभांश वितरण नीति :

बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश की घोषणा हेतु नीति तैयार की है. इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>

7.10 अधिग्रहण कूट:

बैंक ने समय-समय पर सेबी के यथा संशोधित 2011 प्रावधानों (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं टेकओवर) का अनुपालन किया है.

7.11 सेबी विनियमन 2015 का अनुपालन (आंतरिक भेदिया ट्रेडिंग को रोकना) :

विनियमों के अनुसार बैंक ने नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों को बैंक के शेयर में लेनदेन करने में आंतरिक भेदिया ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक संहिता को तैयार किया है. इन विनियमों के लिए आवश्यक कई प्रपत्रों को तैयार किया गया है जिनके द्वारा बैंक के नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों से आवधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकें. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विवरणों के साथ बैंक के नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों के लिए बैंक के शेयरों में ट्रेडिंग विंडो को बंद रखा गया है.

ट्रेडिंग विंडो बंद होने की तिथि	बंद होने का कारण
31 मार्च, 2021 से 09 जून, 2021	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा.
30 जून, 2021 से 31 जुलाई, 2021	30 जून, 2021 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा.
30 सितंबर, 2021 से 4 नवंबर, 2021	30 सितंबर, 2021 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा.
31 दिसंबर, 2021 से 9 फरवरी, 2022	31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा.

7.12 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण :

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

7.13 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट :

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) को निर्दिष्ट समयावधि में प्रस्तुत किया.

7.14 वेबसाइट पर जानकारी का प्रचार :

बैंक ने सूचियन विनियम के उप विनियम 46 के खंड (बी) से (आई) तक के अधीन आवश्यक जानकारी को अपने वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर प्रदर्शित किया है.

7.15 सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त फीस का ब्यौरा :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को बैंक एवं इसके सहायक द्वारा सभी सेवाओं हेतु समेकित रूप से कुल रु. 56.78 करोड़ का भुगतान किया गया है.

7.16 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में प्रकटीकरण (बचाव, रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013:

ए. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दाखिल की गयी शिकायतों की संख्या : 10 (दस)

बी. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या : 5 (पाँच)

सी. वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या : 5 (पाँच)

7.17 शाखा नेटवर्क

31 मार्च, 2022 तक हमारे बैंक का शाखा नेटवर्क 8870 शाखाओं और 3 विदेशी शाखाओं (हांगकांग, सिडनी, दुबई) के साथ पूरे देश में फैला हुआ है। इनमें से 57 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं।

यथा 31.03.2022 तक शाखा का नेटवर्क						
	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	मेट्रो	विदेशी	कुल
शाखाओं की संख्या	2537	2552	1844	1937	3	8873
शाखा (%)	28	29	21	22	--	100



7.18 क्रेडिट रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत या विदेश में सभी डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट या कोई मियादी जमा राशि कार्यक्रम या फंड को जुटाने हेतु बैंक का प्रस्ताव कोई योजना, सभी का पुनर्निर्माण के सहित क्रेडिट रेटिंग्स की सूची प्राप्त की गयी है।

रेटिंग एजेंसी	बासल III		बासल II		जमा प्रमाणपत्र	आउटलुक
	अतिरिक्त टियर 1	टियर 2	लोअर टियर II	अप्पर टियर II		
ब्रिकवर्क	BWR AA	BWR AA+	-	-	-	स्थायी
क्रिसिल	CRISIL AA	CRISIL AA+	CRISIL AA+	-	-	स्थायी
केयर	CARE AA	CARE AA+	CARE AA+	-	-	स्थायी
इंडिया रेटिंग	IND AA	IND AA+	-	-	-	स्थायी
इकरा लिमिटेड	-	ICRA AA+	-	-	ICRA A1+	स्थायी

एफआईटीसीएच – दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 की रेटिंग रिपोर्ट:

संवर्ग	रेटिंग
दीर्घकालिक जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर)	"BBB-" आउटलुक नकारात्मक
अल्पावधि जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर)	F3
व्यवहार्यता रेटिंग (वीआर)	b

स्टैंडर्ड & पूर रेटिंग दिनांक 25 जनवरी, 2022

संवर्ग	रेटिंग
जारीकर्ता ऋण रेटिंग (दीर्घ अवधि/ अल्प अवधि)	BB+/Stable/B
स्टैंडअलोन ऋण प्रोफाइल (एसएसीपी)	bb-
बैंक सीनियर असेक्युर्ड नोट्स (दीर्घ अवधि)	BB+

आउटलुक: स्टेबल

8. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) सहित फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) आदि अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाए गये हैं। इसी प्रकार बैंक

द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित, संबंधित प्रस्तुतियां, शेयरधारकों का पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर "निवेशक संबंध" के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये हैं।

9. शेयरधारकों की सूचना

9.1 वित्त वर्ष – 1 अप्रैल से 31 मार्च

9.2 इक्विटी शेयर एवं बॉन्ड की सूचीबद्धता – बैंक के इक्विटी शेयर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध हैं तथा इसका स्क्रिप कोड निम्नानुसार है :-

नाम	कोड
बीएसई लिमिटेड (बीएसई), फिरोज़ जीजीभाय टावर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001	532477
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई), एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट नं सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051	UNIONBANK-EQ

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इक्विटी शेयर के लिए वार्षिक सूचीबद्ध शुल्क दिनांक 29 अप्रैल, 2022 से पहले दोनो शेयर बाज़ारों को प्रदत्त कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर प्रॉमिजरी नोट (टियर I एवं टियर II पूंजी) के रूप में आरक्षित गैर परिवर्तनीय -बॉण्ड जारी किए हैं। 31 मार्च, 2022 को तत्संबंधित ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आईएसआईएन	बॉण्ड ब्योरा	शृंखला	राशि (रु. करोड़ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)
1	आईएनई 692A08029	बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XX	1,000	15.09.2016	स्थायी	9.50
2	आईएनई 692A08086	बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XXIV	500	03.05.2017	स्थायी	9.08
3	आईएनई 692A08110	बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XXVII	500	15.12.2020	स्थायी	8.73
4	आईएनई 692A08128	बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XXVIII	1,000	11.01.2021	स्थायी	8.64
5	आईएनई 692A08136	बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XXIX	205	29.01.2021	स्थायी	8.73
6	आईएनई 434A08083	बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	एटी-1 सिरीज़ IV	500	31.10.2017	स्थायी	9.20
7	आईएनई 692A08169	बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XXXII	2,000	22.11.2021	स्थायी	8.70
8	आईएनई 692A08177	बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XXXIII	1500	20.12.2021	स्थायी	8.40
9	आईएनई 692A08185	बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XXXIV	1500	02.03.2022	स्थायी	8.50
10	आईएनई 692A09266	बासल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ XVII-A	2,000	22.11.2013	22.11.2023	9.80
11	आईएनई 692A08045	बासल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ XXII	750	24.11.2016	24.11.2026	7.74
12	आईएनई 434A08075	बासल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ डी	1,000	24.10.2017	24.10.2027	7.98
13	आईएनई 112A08051	बासल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ II	1,000	08.11.2019	08.11.2029	8.93
14	आईएनई 112A08044	बासल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ I	500	14.11.2017	14.11.2027	8.02
15	आईएनई 692A08094	बासल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ XXV	1,000	16.09.2020	16.09.2030	7.42
16	आईएनई 692A08102	बासल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ XXVI	1,000	26.11.2020	26.11.2035	7.18
17	आईएनई 692A08144	बासल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ XXX	850	24.06.2021	24.06.2031	7.19
18	आईएनई 692A08151	बासल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ XXXI	1,150	09.07.2021	09.07.2036	7.25
		कुल		17,955			

दिनांक 31.03.2022 को बासल II अनुपालन बॉण्ड

क्र. सं.	आईएसआईएन	बॉण्ड ब्योरा	शृंखला	राशि (रु. करोड़ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)
1	आईएनई 692A09241	लोवर टियर II	बॉण्ड सिरीज़ XVI-B	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90
		कुल		800			

9.3 लाभांश :

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रु. 10/- अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर रु. 1.90/- के लाभांश की सिफारिश की है।

9.4 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण :

लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक	शुक्रवार, 13 मई, 2022
वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय और स्थान	गुरुवार, 30 जून, 2022 सुबह 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी सी) या अन्य आडिओ विजुअल साधन (ओएवीएम) सुविधा के जरिए, केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का अभिप्रेत स्थल) पर
बहियों के बंद रहने की तिथि	शुक्रवार, 24 जून, 2022 से गुरुवार, 30 जून, 2022 (दोनों दिन शामिल)
ई-वोटिंग के खुलने और बंद होने की तिथि	सोमवार, 27 जून, 2022 (सुबह 9.00 बजे आईएसटी) से बुधवार, 29 जून, 2022 (शाम 5.00 बजे आईएसटी)

9.5 वित्तीय कैलेंडर :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं:

वित्तीय परिणाम	घोषणा की संभावित तिथि
30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 अगस्त, 2022 तक
30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 नवम्बर, 2022 तक
31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 फरवरी, 2023 तक
31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	15 मई, 2023 तक

9.6 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक ने शेयरों के अंतरण और उससे संबंधित अन्य मामलों के निपटान के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति गठित की है। सेबी के दिनांक 08.06.2018 के दिशानिर्देशों एवं सेबी कि प्रेस विज्ञापित दिनांक 03.12.2018, दिनांक 31.03.2019 के बाद शेयरों को भौतिक अंतरण अनुमत नहीं है, अतः शेयर धारकों से अनुरोध है कि अपने भौतिक शेयर धारिता को डीमैट खाता खोलकर डीमैट रूप में परिवर्तित करा लें।

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजारों में कारोबार में सुगमता के लिए, सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.01.2022 के जरिए निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोध की प्रोसेसिंग करते समय केवल अभौतिकी रूप में (डीमैटरियलाइज्ड मोड में) शेयर जारी करेंगी:

- ए. प्रतिभूति प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करना
- बी. दावारहित उचत खाते से दावा
- सी. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीकरण/आदान-प्रदान
- डी. पृष्ठांकन
- ई. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभक्त करना
- एफ. प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन
- जी. संचारण
- एच. परिवहन

शेयरधारक / दावेदार विधिवत भरा हुआ फॉर्म आईएसआर -4 जमा करेगा और आरटीए / सूचीबद्ध संस्था, सेवा अनुरोधों को संसाधित करने के बाद, आपतियों को दूर कर, यदि कोई हो, ऐसे अनुरोधों के 30 दिनों के भीतर शेयरधारक / दावेदार को भौतिक प्रमाण पत्र के बजाय "पुष्टिकरण पत्र" जारी करेगी।

पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 120 दिनों के लिए वैध होगा, जिसके तहत शेयरधारक / दावेदार उक्त प्रतिभूतियों को डीमैटरियलाइज्ड करने के लिए निक्षेपागार सहभागी से अनुरोध करेगा।

आरटीए पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों और 90 दिनों की समाप्ति के बाद, प्रतिभूति धारक / दावेदार को डीमैट अनुरोध जमा करने की जानकारी देते हुए एक अनुस्मारक जारी करेगा।

आरटीए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भौतिक शेयर प्रमाण पत्र को बनाए रखेगा और सेवा अनुरोध को संसाधित करने के पश्चात, प्रमाण पत्र के ऊपर/ प्रमाण पत्र के पीछे "पुष्टिकरण पत्र जारी" पर मुहर लगाएगा।

निक्षेपागार सहभागी पुष्टि पत्र के आधार पर डीमैट अनुरोध तैयार करेगा और डीमैट अनुरोध को संसाधित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई/आरटीए को अग्रेषित करेगा।

यदि पुष्टि पत्र के 120 दिनों के भीतर डीमैट अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो शेयरों को इकाई के उचत निलंब डीमैट खाते में जमा किया जाएगा।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के अनुपालन के क्रम में बैंक द्वारा डाटा मैट्रिक्स विज़नेस सोल्यूशन्स लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में शेयरों तथा लाभांश के अंतरण, शेयरधारकों के आवेदनों के रिकॉर्ड एवं शेयर से संबंधित अन्य गतिविधियों में शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण हेतु अधिदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। निवेशक अपने अंतरण विलेख / आवेदन / शिकायतें आरटीए के साथ नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं।

बैंक ने अपने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है। शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं।

<p>रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) डाटा मैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशन्स लिमिटेड यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्लॉट नंबर बी-5, पार्ट बी क्रॉसलेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400 093 फोन : 022 - 66712001-6 फैक्स : 022 66712011 ई-मेल : ubiinvestors@ datamaticsbpm.com</p>	<p>डिबेंचर ट्रस्टी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 17, आर. कमानी मार्ग, बेलाई एस्टेट, मुंबई 400 001. फोन (022) 40807001 फैक्स (022) 66311776 ईमेल : adityakapil@idbitrustee.com एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लिमिटेड एक्सिस हाउस, दूसरी मंजिल, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई 400025 फोन (022) 24255215/216 ईमेल : debenturetrustee@axistrustee.com</p>	<p>कंपनी सचिव निवेशक सेवाएं प्रभाग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. फोन -(022) 2289 6636 फैक्स -(022) 22025238 ई-मेल: investorservices@ unionbankofindia.bank</p>
--	--	--

9.7 अन्य सूचनाएं :

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है।

बैंक ने ऐसे सभी शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से अर्धवार्षिक संप्रेषण भेजा है, जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/ डीपी में पंजीकृत है।

9.8 शेयरों का अमूर्तिकरण:

बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों का अमूर्तिकरण करने का करार किया है। बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित आईएसआईएन (ISIN) कोड, **आईएनई692A01016** है।

अतः यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में शेयर धारित शेयरधारक अपने हित में अपने शेयरों का अमूर्तिकरण कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने/ खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे। इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयरों का क्रय- विक्रय केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकता है। इससे लाभश्रु भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगा।

31.03.2022 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

श्रेणी	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक	84,556	1,60,76,330	0.24
डीमैट			
एनएसडीएल	3,08,118	85,10,17,704	12.45
सीडीएसएल	3,87,025	596,76,53,432	87.31
कुल	7,79,699	683,47,47,466	100.00


नोट: बैंक के प्रोमोटोर की पूरी शेयरधारिता डीमैटरियालाइज्ड फॉर्म में उपलब्ध है।


इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायगत कंपनी सचिव ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया गया है। शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बहियों के अद्यतनीकरण/ रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान हुआ है।

बैंक ने भौतिक रूप में शेयर धारित सभी धारकों को शेयरों के आमूर्तिकरण हेतु अनेक बार सूचित किया है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2021-22 के दौरान 1024 शेयरधारकों ने भौतिक रूप से धारित 2,46,878 शेयरों का आमूर्तिकरण किया है।

9.9 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा

माह	बीएसई			एनएसई			बीएसई सेंसेक्स	
	उच्चतम (रु)	न्यूनतम (रु)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (रु)	न्यूनतम (रु)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (रु)	न्यूनतम (रु)
अप्रैल, 2021	38.55	32.20	1,19,99,809	38.60	32.10	15,20,63,122	50375.77	47204.50
मई, 2021	39.35	33.50	3,01,45,311	39.40	33.50	46,27,47,957	52013.22	48028.07
जून, 2021	41.50	34.20	5,93,09,301	41.50	34.20	74,41,97,717	51450.58	52482.71
जुलाई, 2021	39.45	35.20	1,79,10,404	39.45	35.20	24,88,16,185	51802.73	52586.84
अगस्त, 2021	37.75	32.65	1,28,26,535	37.75	32.70	13,44,75,434	52804.08	57552.39
सितम्बर, 2021	37.55	34	2,02,34,183	37.45	34.00	20,71,68,161	57263.90	59126.36
अक्टूबर, 2021	51.7	35.75	6,04,40,335	51.70	35.70	68,20,66,105	58551.14	59306.93
नवम्बर, 2021	54.8	41.60	4,62,33,018	54.80	41.55	40,63,95,777	56382.93	57064.87
दिसम्बर, 2021	49.65	41.30	3,65,07,478	49.70	41.30	30,38,26,610	55132.68	58253.82
जनवरी, 2022	48.75	41.20	2,59,81,544	48.85	41.10	21,49,10,696	56409.63	58014.17
फरवरी, 2022	51.7	38.05	4,13,55,261	51.70	37.85	36,74,87,860	54383.20	56247.28
मार्च, 2022	42.00	37.25	2,64,20,705	42.00	37.20	22,02,80,214	52260.82	58568.51
31.03.2022 को अन्तिम मूल्य	38.7			38.7			-	
बाजार पूंजीकरण	रु. 26,450 करोड़			रु. 26,450 करोड़			-	





* स्रोत-बीएसई वेबसाइट (www.bseindia.com)

9.10 शेयरधारिता का वितरण :

शेयरधारिता	यथा 31.03.2022				यथा 31.03.2021			
	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500 तक	642618	82.42	76427698	1.12	5,28,933	81.76	6,75,45,606	1.05
501 से 1000	58277	7.47	45172534	0.66	49,399	7.64	3,75,00,984	0.59
1001 से 2000	30157	3.87	45971773	0.67	25,313	3.91	3,83,06,983	0.60
2001 से 3000	20276	2.60	51007654	0.75	19,538	3.02	4,89,43,404	0.76
3001 से 4000	9745	1.25	34019956	0.50	9,516	1.47	3,29,19,269	0.51
4001 से 5000	5544	0.71	26009371	0.38	4,516	0.70	2,09,83,000	0.33
5001 से 10000	8289	1.06	59067045	0.86	6,869	1.06	4,72,68,459	0.74
10001 से अधिक	4793	0.62	6497071435	95.06	2,890	0.45	6,113,376,650	95.42
कुल	779699	100.00	6834747466	100.00	646974	100.00	6406844355	100.00

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य रु. 10/- है

9.11 शेयरधारिता का पैटर्न :

दिनांक 31.3.2022 तथा 31.03.2021 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा :

शेयरधारक की श्रेणी	यथा 31.03.2022		यथा 31.03.2021	
	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %
प्रोमोटर				
भारत सरकार	5,70,66,60,850	83.49	5,70,66,60,850	89.07
पब्लिक				
निवेशक संस्था				
म्यूचुअल फंड & यूटीआई	6,42,39,168	0.94	5,64,49,674	0.89
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी (केंद्रीय/राज्य सरकार संस्थान)	4178,25,501	6.11	22,34,23,845	3.49
एफआईआई & विदेशी म्यूचुअल फंड	8,07,63,510	1.18	4,22,69,800	0.66
अन्य				
निजी कॉर्पोरेट निकाय	4,89,41,688	0.72	1,75,23,616	0.27
भारतीय जनता	50,84,00,256	7.44	35,55,71,135	5.55
एनआरआई/ओसीबी/योग्य विदेशी निवेशक	79,16,493	0.12	49,45,435	0.07
कुल	6,83,47,47,466	100.00	6,40,68,44,355	100.00

9.12 बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची :

31.03.2022 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इस प्रकार हैं:

क्र.	नाम	शेयर	पूंजी का%
1	भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	5706660850	83.49
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	385692691	5.64
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि- ए/सी एचडीएफसी मिड कैप अपरच्युनिटीज फंड	51036160	0.77
4	सोसाइटी गेनेरले ओडीआई	36327637	0.53
5	रेखा झुनझुनवाला	8400000	0.12
6	रेखा झुनझुनवाला	8400000	0.12
7	रेखा झुनझुनवाला	8400000	0.12
8	इंडिया फ्रस्ट लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8264219	0.12
9	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7912257	0.11
10	जनरल इश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	7704495	0.11

9.13 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश :

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है :

क्र. सं.	संबंधित लाभांश खाते	अदत्त लाभांश बैंक खाता सं.	वित्तीय वर्ष	लाभांश का दर	आईईपीएफ को अंतरण की प्रस्तावित तारीख	यथा 31.03.2022 को शेष (रु.)
1.	यूबीआई	317901090049761	2014-15	रु.6.00 प्रति शेयर	07-08-22	2,20,58,280.00
2.	यूबीआई	317901090049775	2015-16	रु.1.95 प्रति शेयर	08-08-23	1,04,06,896.10
3.	पूर्व-आंध्रा बैंक	117911100001617	2014-15	रु.2.00 प्रति शेयर	19-08-22	1,47,79,824.50
4.	पूर्व- आंध्रा बैंक	117911100001802	2015-16	रु.0.50 प्रति शेयर	31-08-23	58,19,786.42
5.	पूर्व-कॉर्पोरेशन बैंक	510101000855048	2014-15	रु. 1.40 प्रति शेयर	10-08-22	23,06,352.00
	कुल					5,53,71,139.02

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है.

9.14 अदावाकृत शेयर :

क) भौतिक रूप में :

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा विनियमन) 2015 की अनुसूची VI अर्थात् अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक अदावाकृत उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आबंटित शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2021 को शेष	4	600
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	शून्य	शून्य
31.03.2022 को डीमैट उचंत खाते में शेष	4	600

ख) डीमैट रूप में :

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा विनियमन) 2015 की अनुसूची VI अर्थात् अदावाकृत शेयरों के

निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफपीओ के समय आबंटित शेयर जो किसी तकनीकी कमी के कारण आवेदकों के डीमैट खाते में क्रेडिट नहीं किए गए हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

विवरण (यूबीआई-एफपीओ)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2021 को शेष	216	26414
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	0	0
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	0	0
31.03.2022 को डीमैट उचंत खाते में शेष	216	26,414

विवरण (पूर्व-आंध्र बैंक एवं पूर्व-कॉर्पोरेशन बैंक)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2020 को शेष	175	17,431
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	7	4342
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	7	4342
31.03.2021 को डीमैट उचंत खाते में शेष	168	13089

ऊपर बताए गए सभी शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

10. सूचीबद्ध करार के गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

क्रमांक	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	अनुपालन की स्थिति
1.	निदेशक मंडल एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होती है।	गैर-कार्यपालक का पद 05.07.2020 से खाली है। इसे केंद्र सरकार द्वारा भरा जाना है।
2.	शेयरधारकों के अधिकार विगत छः माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए।	बैंक के आरटीए/ बैंक में अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करने वाले सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से अर्धवार्षिक सूचना भेजा जाता है।
3.	लेखापरीक्षा में संशोधित अभिमत कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होनी चाहिए।	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही।
4.	आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे महा प्रबंधक, केन्द्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग को रिपोर्ट करता है। हालांकि, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई फ्लैश रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट की अद्यतन जानकारी लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाती है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से



(राजकिरण रे जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2022

आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

राजकिरण रै जी

(राजकिरण रै जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2022

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

हमने दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता विनियम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम'), समय - समय पर यथा संशोधित, सूचीबद्धता विनियम के विनियम 15(2) के अनुसार, वर्ष 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के लिए की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मार्गदर्शित अभिमत के अनुसार की गई है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गयी पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित है। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है।

अपनी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्ध करार में निर्धारित उपयुक्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है।

आगे हमारा अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के क्रियाकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है।

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002785S

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959W

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFGY6267

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं. 109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFAO2016

सीए सचिन वी. लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFDY8530

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002803C

कृते मेसर्स एन वी एस एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100W

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFRK9410

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFAB5594

सीए प्रदीप जे. शेठी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXEX08437

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 मई, 2022

फॉर्म न. एमआर-3 सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

[सेबी के परिपत्र क्रमांक सेबी सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के साथ पठित सेबी (लोडर) के विनियमनों के नियमन 24 ए के संबंध में]

प्रति,
सदस्य,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

मैंने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (जिसे यहाँ के बाद से ठबैकठ कहा गया है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है. सचिवीय परीक्षण इस प्रकार से किया गया है कि मुझे कॉरपोरेट संहिता/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हो.

सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान, बैंक द्वारा बनाई गई बैंक की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्तों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड और इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मेरे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि मेरी राय में, बैंक ने, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की पूरी अवधि के लेखा परीक्षण की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि यहाँ बाद में उचित रूप से, विधिपूर्वक रिपोर्ट करने के लिए बैंक के पास बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं:

निम्न प्रावधानों के अनुसार मैंने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा बनाए गए कागजातों, कार्यवृत्तों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड का परीक्षण किया है :

- i. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970
- ii. राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रबंधन) की योजना, 1970;
- iii. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनी नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित)
- iv. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1945; और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश
- v. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998
- vi. विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं नियम एवं उसके अंतर्गत प्रचलित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधारी नियमन;
- vii. प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- viii. डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 और विनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम;
- ix. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नानुसार नियमन एवं दिशानिर्देश):-
 - ए. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर एवं अधिग्रहणों का भौतिक अधिग्रहण) विनियमन 2011;
 - बी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया कारोबार का निषेध) विनियमन, 2015 ;
 - सी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2018;
 - डी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंश आधारित कर्मचारी लाभ एवं श्रम-जन्य इक्विटी) विनियमन, 2021;
 - ई. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियमन, 2008;

- एफ. कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम एवं अंश हस्तांतरण एजेंट्स का रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993;
- जी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साधारण शेयर का असूचीयन) विनियमन, 2021; एवं
- एच. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाइबैक) विनियमन, 2018;
- आई. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2021;

मैंने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 [“सूचीयन विनियमन”] के लागू वाक्यों के अनुपालन होने की भी जांच की है। सूचीबद्ध इकाई ने उपरोक्त विनियमों के प्रावधानों एवं इसके अधीन जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, जो सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 21 मई, 2022 में मेरी टिप्पणियों के अधीन हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित के अलावा बैंक ने उपरोक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का लागू सीमा तक अनुपालन किया है:

- ए) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) और 9(3)(एफ) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले दो कर्मचारी निदेशक बैंक के निदेशक मंडल में नहीं थे।
- बी) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(जी) के तहत बोर्ड में एक निदेशक होगा जो कम-से-कम पन्द्रह वर्षों से चार्टर्ड एकाउंटेंट होगा, जिसका नामांकन भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। यह पद दिनांक 06.02.2021 से रिक्त है।
- सी) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एफनं4/4/2015-बीओ-1 (पार्ट) दिनांक 30.10.2015 के अनुसार बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होंगे, चूंकि बैंक के पास गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है अतः इस अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया गया है।
- ड) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र आरबीआई/सीओ.डीओएस.एसईडी.सं-एस153/25/01-009/021-2022 दिनांक 01.06.2021 के द्वारा बैंक को कानूनी इकाई अभिज्ञापक (एलईआई) अपेक्षकों के अनुश्रवण और कार्यान्वयन में नियंत्रण कमियों को निर्धारित करने की सलाह दी थी और बैंक ने तदनुसार आवश्यक कदम उठाए हैं।
- ई) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा तनावग्रस्त आस्तियों के विक्रय पर दिशा-निर्देश, भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा जोखिम निर्धारण) निदेश, 2016 के तहत परिपत्र के अंतर्गत धोखाघड़ी मामलों की पहचान और रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित समय-सीमा के उल्लंघन के प्रत्येक के लिये रु. 50 लाख का जुर्माना लगाया है।
- एफ) निदेशकों की अपर्याप्तता और राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के तहत बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति से संबंधित एजेंडे को लिया गया था।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि -

पूर्वगामी के अधीन, बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव में अधिनियम, नियम एवं विनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की निर्धारित बैठकों की जानकारी के लिए सभी निदेशकों को उचित सूचना दी गई थी, बैठकों के लिए कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स पहले ही भेजे गए थे और कार्यसूची की मदों पर बैठक से पहले अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निर्णय सर्वसम्मति से किए गए थे और कार्यवृत्तों की समीक्षा करते समय कोई असंतोषजनक विचार नहीं देखा गया था।

में आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के साथ बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएँ हैं।

में आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित घटनाओं / कार्यों को निष्पादित किया है:

- i) बैंक के निदेशक मंडल ने 30 जून, 2021 को आयोजित बैठक में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रु. 9700 करोड़ की पूंजीगत निधि, जिसमें रु. 3500 करोड़ इक्विटी शेयरों के माध्यम से अनधिक राशि शामिल है एवं अतिरिक्त टियर I (एटी I) बॉण्ड और या टियर II बॉण्ड्स के माध्यम से रु. 6200 करोड़ से अनधिक राशि की उगाही के लिए पूंजी योजना का अनुमोदन किया है।
- ii) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ़) ने दिनांक 21 मई, 2021 को आयोजित बैठक में अहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को कुल रु. 1447.17 करोड़ के इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य रु. 10/- से प्रीमियम रु. 23.82 पर 42,79,03,111 इक्विटी शेयर का आबंटन किया है। इन शेयरों के सूचीकरण के लिए एनएसई और बीएसई से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किया गए।
- iii) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ़) ने दिनांक 21 मई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में बासल घट्ट के अनुपालन वाले टियर-2 बांड (आईएसआईएन आईएनई434ए08059) के संबंध में इसके कॉल ऑप्शन की तारीख पर कुल 1000 करोड़ रुपये के कॉल ऑप्शन के प्रयोग को मंजूरी दी।
- iv) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ़) ने दिनांक 24 जून, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में निजी प्लेसमेंट के आधार पर 8500 गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, अप्रत्याभूत, गौण, पूर्ण प्रदत्त बासल III अनुपालित ऋण लिखतों को डिबेंचर के रूप में जारी और आवंटित किया जो टियर-2 कैपिटल बॉन्ड (श्रृंखला XXX) में शामिल होने के लिए पात्र है, जिसका अंकित मूल्य 10,00,000/- रुपये है, जिनका कुल मूल्य 850 करोड़ रुपये है।
- v) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ़) ने दिनांक 5 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में कुल रु. 1000 करोड़ के बासल घट्ट अनुपालित टियर-2 बांड (आईएसआईएन: आईएनई692ए08011) और कुल 900 करोड़ रुपये के बासल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 1 बांड (आईएसआईएन: आईएनई434ए08067) के संबंध में कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।
- vi) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ़) ने दिनांक 09 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में निजी प्लेसमेंट के आधार पर 1150 गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, अप्रत्याभूत, गौण, पूर्ण प्रदत्त बासल III अनुपालित ऋण लिखतों को डिबेंचर के रूप में जारी और आवंटित किया जो टियर-2 कैपिटल बॉन्ड (श्रृंखला XXXI) में शामिल होने के लिए पात्र है, जिसका अंकित मूल्य 100,00,000/- रुपये है, जिनका कुल मूल्य 1150 करोड़ रुपये है।
- vii) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ़) ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 को पारित अपने संकल्प के द्वारा बासल घट्ट के अनुपालन वाले टियर-1 बांड (आईएसआईएन आईएनई692ए08037) के संबंध में कुल 1000 करोड़ रुपये के कॉल ऑप्शन की तारीख पर कॉल ऑप्शन के प्रयोग को मंजूरी प्रदान की।
- viii) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ़) ने दिनांक 22 नवम्बर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में निजी प्लेसमेंट के आधार पर 2000 गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, अप्रत्याभूत, गौण, स्थायी पूर्ण प्रदत्त बासल III अनुपालित अतिरिक्त टायर-I बॉण्ड को डिबेंचर (श्रृंखला XXXII) के आवंटन का अनुमोदन प्रदान किया है जो बैंक के अतिरिक्त टियर-1 कैपिटल में शामिल होने के लिए पात्र है, जिसका अंकित मूल्य 100,00,000/- रुपये है, जिनका कुल मूल्य 2000 करोड़ रुपये है।
- ix) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ़) ने दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को परिचालित उनके पारित संकल्प के द्वारा निजी प्लेसमेंट के आधार पर 2000 गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, अप्रत्याभूत, गौण, स्थायी पूर्ण प्रदत्त बासल III अनुपालित अतिरिक्त टायर-I बॉण्ड (श्रृंखला XXXIII) के डिबेंचर रूप में आवंटन का अनुमोदन प्रदान किया है जो बैंक के अतिरिक्त टियर-1 कैपिटल में शामिल होने के लिए पात्र है, जिसका अंकित मूल्य 100,00,000/- रुपये है, जिनका कुल मूल्य 1500 करोड़ रुपये है।

- x) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ़) ने दिनांक 2 मार्च, 2022 को परिचालित उनके पारित संकल्प के द्वारा निजी प्लेसमेंट के आधार पर 1500 गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, अप्रत्याभूत, गौण, स्थायी पूर्ण प्रदत्त बासल III अनुपालित अतिरिक्त टायर-1 बॉण्ड (शृंखला XXXIV) के डिबेंचर रूप में आवंटन का अनुमोदन प्रदान किया है जो बैंक के अतिरिक्त टियर-1 कैपिटल में शामिल होने के लिए पात्र है, जिसका अंकित मूल्य 100,00,000/- रुपये है, जिनका कुल मूल्य 1500 करोड़ रुपये है।
- xi) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ़) ने दिनांक 10 फरवरी, 2022 को परिचालित उनके संकल्प के द्वारा निम्नलिखित बासल III अनुपालित अतिरिक्त टायर 1 बॉण्डों के लिये कॉल विकल्प को प्रयोग करने का अनुमोदन प्रदान किया है
- (आईएसआईएन:आईएनई692ए08052) रू. 250 करोड़ के लिये
 - (आईएसआईएन:एनई692ए08060) रू. 750 करोड़ के लिये
 - (आईएसआईएन:एनई692ओ08078) रू. 500 करोड़ के लिये
- xii) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ़) ने दिनांक 28 मार्च, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में बासल III के अनुपालन वाले टियर-1 बांड (आईएसआईएन आईएनई692ए08086) के संबंध में कुल 500 करोड़ रुपये के कॉल ऑप्शन की तारीख पर कॉल ऑप्शन के प्रयोग को मंजूरी प्रदान की।

बी दुर्गाप्रसाद राय

कंपनी सचिव

एसीएस संख्या : 10060; सी पी संख्या . : 4390

यूडीआईएन : A010060D000361664

स्थान : मुंबई

दिनांक : 21 मई, 2022

इस रिपोर्ट को हमारे के पत्र के साथ यहाँ तक की तारीख तक पढ़ा जाए जो परिशिष्ट 'ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

परिशिष्ट 'ए'

प्रति,
 सदस्य,
 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
 केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए मेरे सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए.

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है. हमारा उत्तरदायित्व इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त है.
2. मैंने सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तु के शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की उपयुक्त प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है. परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित तथ्य सही हैं. मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, हमारी राय प्रकट करने का एक उचित आधार प्रदान करती है.
3. मैंने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता की जांच नहीं की है.
4. जहां कहीं आवश्यक रहा है, विधि, नियमों एवं विनियमनों एवं घटी हुई घटनाओं आदि के अनुपालन बारे में मैंने प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है.
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों एवं दूसरे लागू विधि, नियमों एवं विनियमनों मानकों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है. हमारा परीक्षण प्रक्रियाओं का परीक्षण आधार पर सत्यापन करने तक सीमित था.
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके लिए प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

बी दुर्गाप्रसाद राय
 कंपनी सचिव

एफसीएस संख्या : 10060; सी पी संख्या . : 4390
 यूडीआईएन : A010060D000361664

स्थान : मुंबई
 दिनांक : 21 मई, 2022

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु

मैंने परीक्षण किया है :

- ए) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") द्वारा सभी दस्तावेज़ एवं रिकॉर्ड हमें उपलब्ध कराये गए एवं स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है,
- बी) बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में फ़ाइल/प्रस्तुत किए गए हैं,
- सी) बैंक की वेबसाइट,
- डी) अन्य कोई दस्तावेज़/फ़ाइल, जो भी संबंधित है, जिनका इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए विश्वास किया गया है. 31 मार्च, 2022 ("समीक्षा अवधि") को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन के संबंध में निम्न के प्रावधानों के साथ:
- ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") एवं विनियमन, इसके अंतर्गत जारी परिपत्र, दिशानिर्देश; एवं
- बी) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा इसके अंतर्गत जारी विनियमन, परिपत्र, दिशानिर्देश;

विशिष्ट विनियम, जिनके प्रावधानों और उनके द्वारा जारी परिपत्र / दिशानिर्देशों की जांच की गई है, में शामिल हैं:

- ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015;
- बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018;
- सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और टकेओवर का भौतिक अधिग्रहण) विनियम, 2011; (समीक्षा अवधि के दौरान अनुपालन आवश्यकता से संबन्धित कोई घटना नहीं हुई है)
- डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018; (समीक्षा अवधि के दौरान अनुपालन आवश्यकता से संबन्धित कोई घटना नहीं हुई है)
- ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियम, 2021; (समीक्षा अवधि के दौरान अनुपालन आवश्यकता से संबन्धित कोई घटना नहीं हुई है)
- एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2013; (समीक्षा अवधि के दौरान अनुपालन आवश्यकता से संबन्धित कोई घटना नहीं हुई है)
- जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गेर-परिवर्तनीय और शोधनीय अधिमान शेयरों की सूचीबद्धता एवं निर्गम) विनियम, 2013; (समीक्षा अवधि के दौरान अनुपालन आवश्यकता से संबन्धित कोई घटना नहीं हुई है)
- एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;
- आई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया लेनदेन का निषेध) विनियम, 2015;
- जे) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अन्य विनियम, और इनके तहत जारी परिपत्र/ दिशानिर्देश, जो बैंक पर लागू हैं

और उपर्युक्त परीक्षण के आधार पर, मैं यह रिपोर्ट करता हूँ कि समीक्षा अवधि के दौरान:

ए) निम्न मामलों को छोड़कर, सूचीबद्ध इकाई ने उपरोक्त के अंतर्गत जारी नियमनों एवं परिपत्रों/ दिशा निर्देशों प्रावधानों का पालन किया है:-

क्र. सं.	अनुपालन की आवश्यकता (विशिष्ट वाक्य सहित नियमन/परिपत्र/ दिशानिर्देश)	विचलन	पेशेवर कंपनी सचिव की द्वारा किए गये अवलोकन / टिप्पणी
1	सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का विनियम 17(बी) क्या सूचीबद्ध इकाई के पास गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, कम-से-कम आधे निदेशक मंडल स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए.	चूँकि बैंक में कोई गैर- कार्यपालक अध्यक्ष नहीं हैं, बोर्ड के निदेशकों की संख्या के अनुसार बोर्ड में कम-से-कम 6 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए.	यद्यपि स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि वह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित नहीं हुए हैं और पीएसबी को स्थापित करने वाला अधिनियम स्वतंत्र निदेशकों को परिभाषित नहीं करता है वित्त मंत्रालय की फ़ाइल संख्या 6/20/2019 -बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 ने यह स्पष्ट किया है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम 1970 के खंड (जी) के तहत के तहत नियुक्त गए गैर-आधिकारिक निदेशक और और धारा 9(3) के खंड (एच) के तहत के तहत नियुक्त गए गैर-आधिकारिक निदेशक अधिकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक की प्रकृति के समान हैं इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए बैंक के निदेशक मंडल ने उपरोक्त धारा के खंड (जी) (एच) और (आई) के तहत नियुक्त/ नामित निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में विचार किया है. रिपोर्ट किये गये वर्ष में बैंक के बोर्ड में खंड (जी) के तहत नियुक्त कोई निदेशक नहीं थे और खंड (एच) और (आई) के तहत नियुक्त / नामित दोनों निदेशक के साथ बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय के आधार पर न्यूनतम 6 निदेशकों के स्थान पर केवल 4 स्वतंत्र निदेशक थे.
2	सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का विनियम 19(1) निदेशक मंडल को दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशकों के साथ न्यूनतम तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करना चाहिए.	बैंक के निदेशक मंडल में निर्धारित संख्या में गैर- कार्यपालक / स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण समिति में सदस्यों की कमी थी.	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (जी) के तहत गैर- कार्यपालक निदेशक एवं धारा 9(3) (एच) के तहत तीन गैर-कार्यपालक निदेशक होने चाहिए. यद्यपि बोर्ड में अधिनियम की धारा 9(3) (जी) के तहत गैर-कार्यपालक निदेशक नहीं हैं. किन्तु, अधिनियम की धारा 9(3) (एच) और 9(3) (आई) के तहत समिति का गठन करने हेतु नामित दो निदेशक हैं, जिससे एलओडीआर के अंतर्गत समिति के गठन की आवश्यकता की पूर्ति होती है. बैंक के बोर्ड द्वारा समिति के कार्य राष्ट्रीयकृत बैंक योजना, 1970 (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) के खंड 14ए के अनुसार किए जाते हैं.

बी) सूचीबद्ध इकाई ने उपरोक्त विनियमनों एवं उसके अंतर्गत परिपत्रों/ जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार उचित रिकॉर्ड बनाए हैं जैसा कि उन रिकॉर्ड के मेरे परीक्षण में प्रकट होता है.

- सी) उपरोक्त अधिनियमों/विनियमनों के अंतर्गत और अब तक जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों या तो सेबी अथवा स्टॉक एक्सचेंज द्वारा (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रियाओं के सहित) सूचीबद्ध इकाई/ इसके प्रवर्तकों/ निदेशकों/ मैटेरियल कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है जैसा कि मेरे परीक्षण से प्रकट होता है.
- डी) पिछली रिपोर्ट के संबंध में की गई टिप्पणियों के अनुपालन के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्टिंग की आवश्यकता इस अवधि में लागू नहीं है.
- ई) वैधानिक लेखा परीक्षकों का सूचीबद्ध इकाईयों और उनकी मैटेरियल सबसिडियरी से त्यागपत्र के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/114/2019 दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 के अनुबंध 6(ए) और 6(बी) के अनुसार किसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं है.

बी दुर्गाप्रसाद राय

कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या. ए-10060; सीओपी संख्या: 4390

यूडीआईएन: A010060D000361664

स्थान: मुंबई

दिनांक: 21 मई, 2022

बैंक परिपत्र

नोटिस

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरणियां

निवेशकों की गैर अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10) (i) के अनुसार में)

सेवा में,

सदस्यगण,

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक भवन,

239, विधान भवन मार्ग,

नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10) (i) के अनुसार मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) जिसका केन्द्रीय कार्यालय 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 में अवस्थित है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे बैंक द्वारा मेरे समक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।

मेरी राय और मेरी जानकारी के अनुसार और आवश्यक सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in, पर निवेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन सहित), जहां कहीं भी लागू हो) और बैंक तथा इसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, एतद्वारा मैं प्रमाणित करता हूँ कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड के निम्नलिखित निदेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या अन्य किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बनाए रखने से नहीं रोका गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री राजकिरण रै जी.	07427647	01 जुलाई, 2017
2.	श्री मानस रंजन बिस्वाल	08162008	01 मार्च, 2019
3.	श्री नितेश रंजन	08101030	10 मार्च, 2021
4.	श्री रजनीश कर्नाटक	08912491	21 अक्टूबर, 2021
5.	श्री निधु सक्सेना	लागू नहीं	01 फरवरी, 2022
6.	श्री समीर शुक्ला	06435463	08 नवंबर, 2021
7.	श्री अरुण कुमार सिंह	09498086	26 अप्रैल, 2019
8.	श्री सूरज श्रीवास्तव	लागू नहीं	21 दिसंबर, 2021
9.	श्री लक्ष्मण एस उप्पर	लागू नहीं	21 मार्च, 2022
10.	डॉ. जयदेव मद्गुला	03574167	28 जून, 2018
11.	श्रीमती प्रीति जय राव	03352049	29 जून, 2021

बैंक, एक राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 और बैंकिंग कार्यकारी अधिनियम, 1949 के तहत शासित है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं है। इस प्रकार, बैंक के बोर्ड के निदेशक के लिए डीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करूँ। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

बी दुर्गाप्रसाद राय

कंपनी सचिव

एसीएस: 10060; सीओपी: 4390

यूडीआईएन: A010060D000186445

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 अप्रैल, 2022

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

प्रति,
निदेशक मंडल,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
मुंबई.

सेबी के विनियमन 17(8) (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के तहत सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र.

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे जानकारी एवं विश्वास के अनुसार

ए. हमने वर्ष के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

- (1) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नहीं है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो;
- (2) ये विवरण सूचीबद्ध इकाई के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इसमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनी एवं विनियमनों का अनुपालन किया गया है.


बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सूचीबद्ध इकाई द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हो या जिससे सूचीबद्ध इकाई की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियाँ, जो कोई हों और उन कमियों को सुधारने के लिए किए गए या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है. -

- (1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन;
- (2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका उल्लेख किया गया है; और
- (3) उन्हें ज्ञात धोखाधड़ी के प्रमुख मामले, जिनसे यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(प्रफुल्ल कुमार सामल)
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 13 मई, 2022

5.17.3 वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मण्डल एवं अन्य समिति बैठकों में निदेशकों का ब्यौरा तथा उपस्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	प्रकार	निदेशक मण्डल की समितियों के निदेशक एवं सदस्य																			
			बोर्ड		एमसीबी		एसीबी		एसआरसी		आरएमसी		आईटीएससी		एससीएमएफ		डीपीसी		एस्टीसीबी **			
			आयोजित*	उपस्थित	आयोजित*	उपस्थित	आयोजित*	उपस्थित	आयोजित*	उपस्थित	आयोजित*	उपस्थित	आयोजित*	उपस्थित	आयोजित*	उपस्थित	आयोजित*	उपस्थित	आयोजित*	उपस्थित		
1	श्री राजकिरण रे. जी. 01.07.2017 से	एमडी & सीईओ	22	22	24	24	-	-	-	-	5	4	5	5	4	4	4	6	6	4	4	
2	श्री मानस रंजन बिस्वाल, 01.03.2019 से	ईडी	22	21	24	18	-	-	-	4	4	5	3	3	3	-	-	-	-	-	-	
3	श्री नितेश रंजन, 10.03.2021 से	ईडी	22	22	24	22	5	5	4	4	5	5	5	2	2	-	-	-	-	-	-	
4	श्री रजनीश कर्नाटक, 21.10.2021 से	ईडी	9	9	11	11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
5	श्री निधु सक्सेना, 01.02.2022 से	ईडी	3	2	4	4	3	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	श्री समीर शुक्ला केंद्र सकार द्वारा नामित, 08.11.2021 से	एनईडी	7	4	-	-	4	4	-	-	-	-	2	2	1	1	4	4	-	-	-	
7	श्री अरुण कुमार सिंह आरबीआई द्वारा नामित निदेशक, 26.04.2019 से	एनईडी	22	21	24	23	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	
8	श्री सूरज शीवास्त्व, 21.12.2021 से	आईडी/एनईडी	5	5	-	-	3	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	श्री लक्ष्मण एम. उप्प, 21.03.2022 से	आईडी/एनईडी	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	डॉ. जयदेव मद्गुवाल, 28.06.2018 से	आईडी / एसडी	22	22	-	-	10	10	4	4	5	5	5	4	4	-	-	-	-	4	4	
11	शुश्री प्रीति जय राव, 29.07.2021 से	आईडी / एसडी	13	13	16	15	-	-	2	2	3	3	4	4	-	-	-	-	-	3	3	
वित्तीय वर्ष 22 के दौरान दिनांक 31.03.2022 से पूर्व बैंक के निदेशक मण्डल के निदेशकों की बैठकों में उपस्थिती की जानकारी निम्नानुसार है																						
1	डॉ. उत्तम कुमार सकार, 27.06.2021 तक	आईडी / एसडी	6	6	6	6	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	
2	श्री के. कदिरसन, 27.06.2021 तक	आईडी / एसडी	6	3	6	3	-	-	1	0	1	0	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
3	श्री दिनेश कुमार गर्ग, 30.09.2021 तक	ईडी	13	11	12	9	-	-	2	2	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
4	डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा केंद्र सकार द्वारा नामित, 07.11.2021 तक	एनईडी	15	15	-	-	6	6	-	-	-	-	3	3	3	2	2	2	2	-	-	
5	श्री गोपाल सिंह गुसाई, 31.01.2022 तक	ईडी	19	19	20	20	-	-	3	3	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या

** 19 प्रस्तावों को अलग-अलग समय अंतराल पर शेर अंतरण समिति को परिपत्र संकल्प के रूप में परिचाहित किया गया तथा इसे समिति द्वारा अनुमोदित किया गया.

एमडी एवं सीईओ - प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

ईडी - कार्यपालक निदेशक

एनईडी - गैर कार्यपालक निदेशक

आईडी - स्वतंत्र निदेशक

एसडी - शेरधारक निदेशक

5.17.3 वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मण्डल एवं अन्य समिति बैठकों में निदेशकों का ब्यौरा तथा उपस्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं	निदेशक का नाम	प्रकार	निदेशक मण्डल की समितियों के निदेशक एवं सदस्य																	
			सीएससीबी		आरसी/एनसीबी & डब्ल्यूडी		एनआरसी		सीएससी-1		आईएनसी		सीडीआई							
			आयोजित*	उपस्थित	आयोजित*	उपस्थित	आयोजित*	उपस्थित	आयोजित*	उपस्थित	आयोजित*	उपस्थित	आयोजित*	उपस्थित						
1	श्री राजकिरण रे. जी. 01.07.2017 से	एसडी & सीईओ	4	4	4	4	-	-	4	4	7	6	24	24	4	4	8	8	-	-
2	श्री मानस रंजन बिस्वाज, 01.03.2019 से	ईडी	4	4	-	-	-	-	4	4	7	5	24	19	4	4	8	8	-	-
3	श्री नितेश रंजन, 10.03.2021 से	ईडी	4	4	-	-	-	-	4	4	7	7	24	24	4	4	8	8	-	-
4	श्री रजनीश कर्नाटक, 21.10.2021 से	ईडी	2	2	-	-	-	-	2	2	4	4	11	11	2	2	2	2	-	-
5	श्री निधु सक्सेना, 01.02.2022 से	ईडी	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	-	-
6	श्री समीर शुक्ला केंद्र सरकार द्वारा नामित, 08.11.2021 से	एनईडी	2	1	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	2	2	-	-	1	1
7	श्री अरुण कुमार सिंह आरबीआई द्वारा नामित निदेशक, 26.04.2019 से	एनईडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	श्री सूरज श्रीवास्तव, 21.12.2021 से	आईडी/एनईडी	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	श्री लक्ष्मण एस. उप्पर, 21.03.2022 से	आईडी/एनईडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	डॉ. जयदेव मद्रुगुला, 28.06.2018 से	आईडी / एसडी	4	4	4	4	-	-	3	3	6	6	-	-	-	-	-	-	2	2
11	सुश्री प्रीति जय राव, 29.07.2021 से	आईडी / एसडी	2	2	3	3	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	1	1

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान दिनांक 31.03.2022 से पूर्व बैंक के निदेशक मण्डल के निदेशकों की बैठकों में उपस्थितों की जानकारी निम्नानुसार है

1	डॉ. उत्तम कुमार सरकार, 27.06.2021 तक	आईडी / एसडी	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
2	श्री के. कदिरसेन, 27.06.2021 तक	आईडी / एसडी	1	1	-	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3	श्री दिनेश कुमार गर्ग, 30.09.2021 तक	ईडी	2	0	-	-	-	-	2	1	3	2	12	10	2	2	6	3	-	-
4	डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा केंद्र सरकार द्वारा नामित, 07.11.2021 तक	एनईडी	2	2	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	2	2	-	-	1	1
5	श्री गोपाल सिंह गुप्ताई, 31.01.2022 तक	ईडी	3	3	-	-	-	-	3	3	6	6	20	19	3	3	7	7	-	-

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति /

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

मुंबई

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के साथ दिये जा रहे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें शामिल हैं, 31 मार्च, 2022 का तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना जिसमें वर्ष के परिणाम शामिल हैं के सार सहित नकदी प्रवाह विवरण एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट्स

- हमने 20 शाखाओं, एक ट्रेज़री शाखा और 18 एफजीएमओ कार्यालयों की लेखा परीक्षा की है
- 3413 शाखाओं की लेखा परीक्षा सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों ने की है और
- 3 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षकों ने की है.

हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाएँ एवं अन्य लेखापरीक्षक के लिए शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया है. लाभ हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण उन 5931 शाखाओं के रिटर्न हैं जो लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं थीं, को भी तुलन पत्र में शामिल किया गया है. लेखा परीक्षा न की गई इन शाखाओं में अग्रिमों का 16.36 प्रतिशत, जमा का 33.74 प्रतिशत, ब्याज आय का 37.35 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 37.64 प्रतिशत हिस्सा है.

हमारे मत में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा बैंक के लिये अपेक्षित एवं भारत में मान्य सामान्य तौर पर लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं एवं प्रस्तुत है और:

- तुलन पत्र, जिसे उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, 31 मार्च, 2022 को बैंक के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित करने के लिए उचित रूप से तैयार किया गया है;
- लाभ और हानि खाता, उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही अधिशेष दर्शाता है; तथा
- नकद प्रवाह विवरण उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है.

अभिमत का आधार:

2. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खंड के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित है. हम आईसीएआई की आचार संहिता एवं आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक शामिल हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी किये गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

मामलों का प्रभाव

3. हम आपका ध्यान अनुसूची 18 के नोट संख्या 15.के की ओर आकर्षित करते हैं - 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई लेखा नीतियों/ अनुमानों में परिवर्तन के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए खातों के नोट्स, जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू है एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में है. गैर-निष्पादित खातों में वसूली के विनियोजन के संबंध में, पहले अप्राप्त ब्याज की और फिर

बकाया मूलधन का विनियोजन किया जाता है जबकि पहले की अवधि में सर्वप्रथम मूलधन और फिर अप्राप्त ब्याज का विनियोजन किया जाता था। लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण प्रभाव के परिणामस्वरूप तिमाही के लिए आय में ₹ 495.26 करोड़ और वर्ष के लिए ₹ 1081.77 करोड़ की वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप सकल अनर्जक परिसंपत्तियों में उतनी राशि की कमी नहीं आई है।

हम आपका ध्यान अनुसूची 18 के नोट संख्या 15.सी की ओर आकर्षित करते हैं - ₹1902.02 करोड़ की पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए खातों पर नोट्स. बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ-हानि खाते में ₹ 380.40 करोड़ की राशि का चार्ज किया है, और ₹1521.62 करोड़ के शेष असंशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है।

हम आपका ध्यान अनुसूची 18 के नोट संख्या 15.एन की ओर आकर्षित करते हैं - कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण अनिश्चितताओं के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए खातों पर नोट्स. इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों के संचालन और वित्तीय परिणामों पर प्रभाव भविष्य के विकास पर निर्भर करता है जिसमें कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई और अन्य नियामक उपाय शामिल हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

- मुख्य लेखा परीक्षा मामले वो मामले हैं जो, चालू अवधि के लिये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में, हमारे पेशेवर निर्णयों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। ये मामले पूरे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में देखे गए, और इस पर अपना अभिमत बनाने में, हम इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं देते हैं। हम इस बात पर दृढ़ हैं कि निम्नलिखित निर्धारित मामले हमारी रिपोर्ट में बताने के लिये मुख्य लेखा परीक्षा मामले हैं।

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
1	विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएससी) तथा प्रावधानीकरण	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
	<p>31 मार्च, 2022 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश कुल आस्तियों का 85.01% थे, जो आस्तियों का बड़ा एक वर्ग है। उक्त पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड एवं अन्य दिशानिर्देश) द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित हैं। बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सोल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैनुअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) की सेवाओं के उपयोग पर अधिक निर्भर करता है।</p> <p>बैंक में आईआरएससी मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है।</p>	<p>हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित था।</p> <p>हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएससी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसकी संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में प्रयुक्त तर्क एवं मान्यताओं की समीक्षा एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आकलन, ऋणों का संवितरण एवं निगरानी शामिल हैं।</p> <p>इनमें निम्नलिखित के मूल्यांकन और समझ शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/ एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैनुअल नियंत्रण; आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता; अग्रिमों के मामले में ऋण अनुमोदन, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया पर समग्र नियंत्रण और निवेश के मामले में खरीददारी, बिक्री तथा निर्णय प्रणाली पर नियंत्रण रखा है।

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
		<ul style="list-style-type: none"> • हमने ऋण और निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा प्रावधान किया है। • हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहाँ कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है। • हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न, जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा दी गयी हैं, पर विश्वास किया है। • हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य ऐसे पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं, के कार्यों की समीक्षा एसए 620 के अनुसार लेखापरीक्षक विशेषज्ञ की सेवाएं लेकर कराई हैं। • इसके अतिरिक्त हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है। • हमने बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षण/निरीक्षण रिपोर्ट के रिपोर्टों एवं उक्त हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है। • अंक संबंधी सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन। <p>हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन और परीक्षण किया है।</p>
2	<p>सूचना प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण</p> <p>कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में, बैंक की वित्तीय लेखा अवधि एवं रिपोर्टिंग सिस्टम कोर बैंकिंग सोल्युशन के प्रभावी कार्यनिष्पादन पर एवं सीबीएस से जुड़े हुए या स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे अन्य आईटी सिस्टम पर अत्यधिक रूप से निर्भर है। लेनदेन की अत्यधिक मात्रा, विविधता एवं जटिलता को प्रतिदिन प्रसंस्करित किया जाता है एवं जोखिम यह है कि औटोमेटेड लेखा पद्धति एवं संबन्धित आंतरिक नियंत्रण या तो उपर्युक्त तौर पर डिजाइन नहीं है या प्रभावी तौर से परिचालन नहीं कर रहा है। विशेष केंद्रण के क्षेत्र इस तर्क से संबन्धित हैं कि डाटा की विश्वसनीयता एवं शुद्धता, पहुँच का प्रबंधन एवं दायित्वों का पृथक्करण सिस्टम में फीड होती है। ये मुख्य सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि एप्लिकेशन एवं डाटा में बदलाव उचित, प्राधिकृत, शुद्ध एवं जाँचे गए हैं ताकि सिस्टम सही एवं विश्वसनीय रिपोर्ट एवं अन्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय सूचनाएँ सृजित करे जोकि वित्तीय विवरणों के प्रसारण के लिए प्रयोग होती है।</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में सिस्टम से टेस्ट चेक बेसिस के आधार पर सृजित अन्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय सूचनाओं के सत्यापन द्वारा आईटी सिस्टम की परिचालन प्रभावकारिता की समीक्षा, जांच एवं सत्यापन शामिल है।</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह सुनिश्चित करना कि टेस्ट चेक बेसिस के आधार पर किए गए हमारे सत्यापन में पायी गयी कमियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधन को सूचित कर दी गयी हैं। • वो क्षेत्र जहां कमियाँ पायी गयी थी, में स्वतंत्र वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ जैसे मूल जांच की जा सकती है। • विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ जैसे अनुपातीय विश्लेषण, ट्रेंड विश्लेषण, उचित परीक्षण, तुलनात्मक विश्लेषण। • शाखा के लेखापरीक्षा के आधार पर सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया कार्य एवं पास की गयी सुधारात्मक प्रविष्टियों (एमओसी) पर निर्भरता।

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
	<p>हमने निम्नलिखित के लिए सीबीएस की एवं अन्य आईटी सिस्टम के सही निष्पादन पर भरोसा किया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं आय निर्धारण अग्रिम पोर्टफोलियो का प्रावधानीकरण अग्रिम एवं देयताओं संबंधी विभिन्न मदों एवं विभिन्न वर्गों में इसकी अवधि पूर्ण होने के स्वरूप की पहचान विभिन्न उच्चत एवं विविध खातों, अवैयक्तिक खातों, अंतर-शाखा शेष एवं अन्य इस तरह के खातों का समाधान निवेश संबंधी लेनदेन को रिकॉर्ड करना जमा एवं अन्य देयताओं पर ब्याज खर्च 	<ul style="list-style-type: none"> जहां भी उपलब्ध हो, बाहरी वेंडर जांच रिपोर्टों पर विश्वास करना. आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा एवं मुख्य आईटी कंट्रोल के अनुपालन के संबंध में आईटी विभाग से परिचर्चा.
3	<p>आस्थगित कर की मान्यता और माप</p> <p>बैंक ने 31 मार्च, 2022 को ₹ 12,29,23,747 ('000 में) की शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति को मान्यता दी है. वस्तुनिष्ठ अनुमान के अलावा, आस्थगित कर संपत्ति की पहचान और माप उपलब्धता के संबंध में निर्णय और कई अनुमानों और भविष्य में मुनाफे की दृश्यता पर आधारित है. मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में हाल ही में हुई कमी से समय की विस्तारित अवधि में उपलब्धता और लाभ की भविष्यवाणी का अनुमान लगाया जाता है जिससे अनिश्चितता और उक्त परिसंपत्ति की अनुचित मान्यता के अंतर्निहित जोखिम में कमी होती है.</p>	<p>प्रचलित कर कानूनों और बैंक पर लागू प्रासंगिक नियमों की समझ हासिल करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में जोखिम मूल्यांकन को शामिल किया गया है. अपनी समझ के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक मुख्य नियंत्रणों और वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दोनों परीक्षण किए हैं. हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है:</p> <ul style="list-style-type: none"> आय पर करों के लिए लेखांकन एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की पहचान और माप के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन; प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए बजट और मध्यावधि अनुमानों के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली पद्धति, मान्यताओं जैसे एकरूपता, प्रबंधन अभ्यावेदन, सामंजस्य और निरंतरता और अन्य मापदंडों का आकलन किया गया, जिसमें आय वृद्धि और लागू कर दरें शामिल हैं और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया है. मुनाफे की उपलब्धता और दृश्यता की संभावना का आकलन किया गया जिसके सामने बैंक भविष्य में इस आस्थगित कर संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा.

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
4.	<p>कोविड-19 महामारी</p> <p>कोविड 19 महामारी ने देश भर में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत सरकार ने मार्च 2020 के बाद से एक के बाद एक लॉक डाउन की घोषणा की थी, जिसे संबंधित राज्य की मौजूदा स्थिति के आधार पर देश भर में क्षेत्रीय तरीके से विभिन्न समय पर उठाया और फिर से लगाया गया था.</p> <p>तदनुसार एवं आंशिक और पूर्ण लॉक डाउन के अनुरूप, हमने वर्ष के कुछ हिस्से के लिए यात्रा प्रतिबंधों का सामना किया और जहां कहीं भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, बैंक ने दूरस्थ रूप से ऑडिट करने की सुविधा प्रदान की. वर्ष के अंत तक यह स्थिति काफी हद तक कम हो गई और इसलिए वर्ष के अंत में भौतिक लेखापरीक्षा सबसे अधिक प्रचलित थी.</p> <p>जैसा कि हम व्यक्तिगत/भौतिक रूप में/चर्चा के द्वारा लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य नहीं जुटा सकते थे, तथा शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों/कॉर्पोरेट कार्यालय के वर्टिकल से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत नहीं कर सकते थे, हमने ऐसे संशोधित लेखापरीक्षा प्रावधानों की प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में पहचान की है.</p> <p>तदनुसार, सुदूर लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए हमारे लेखापरीक्षा प्रावधानों में संशोधन किया गया.</p>	<p>जहाँ भौतिक पहुँच संभव नहीं थी, वहाँ बैंक द्वारा बैंक के निर्दिष्ट ऑडिट पोर्टल सहित डिजिटल माध्यम, ई-मेल एवं सीबीएस के सुदूर पहुँच तथा लेखाबंदी पैकेज से आवश्यक रिकॉर्ड/रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रमाणपत्र हमें उपलब्ध कराए गए थे. इस तरह, हमें ऐसे उपलब्ध कराए गए दस्तावेज, रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड जोकि लेखापरीक्षा आयोजित करने तथा चालू अवधि की रिपोर्टिंग के लिए मान्य लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया आयोजित की गयी थी.</p> <p>तदनुसार, हमने अपने लेखापरीक्षा प्रावधानों में (नियामक तथा आईसीएआई एड्वाइजरी पर आधारित) निम्नानुसार संशोधन किए हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> कुछ शाखाओं/क्षेत्रों/अंचलों/वर्टिकल्स/कॉर्पोरेट कार्यालय एवं बैंक के अन्य कार्यालय, जहाँ भौतिक रूप से पहुँचना संभव नहीं था, वहाँ आवश्यक रिकॉर्ड दस्तावेज/सीबीएस /लेखाबंदी पैकेज एवं अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुदूर पहुँच/ई-मेल की सहायता से सत्यापन किया गया है. दस्तावेज, विलेख, प्रमाणपत्र, शाखाओं के विवरण की स्कैन प्रतियों का सत्यापन किया गया तथा संबंधित रिकॉर्ड हमें ई-मेल और बैंक के सुरक्षित नेटवर्क सुदूर पहुँच से उपलब्ध कराए गए हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत एवं फ़ोन पर चर्चा/कान्फ्रेंस कॉल, ई-मेल तथा इसी तरह के संचार माध्यमों से पूछताछ की गई तथा आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाए गए हैं. पदनामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने चर्चा करने की बजाय टेलीफोन/ई-मेल के माध्यम से हमारा लेखापरीक्षा निरीक्षण किया गया.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचनाएं

5. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं. अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट के अंदर वर्ष की मुख्य बातें, परिशिष्टों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय अनुपात, कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट एवं कोर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, परंतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एवं उसके उपर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं, जो हमें इन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पीलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्रय नहीं देते हैं.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी केवल चिन्हित अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है एवं ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से विरोधाभासी है या लेखापरीक्षा में जानकारी ली गई है, या तात्विक रूप से मेल नहीं होता है.

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख से पहले, यदि हमारे कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य सूचनाओं में बड़ी विसंगतियाँ हैं, तो हमें इस बात को रिपोर्ट करना होगा. इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है.

जब हम अन्य सूचनाओं को पढ़ते हैं और यदि हम निष्कर्ष निकालें कि इसमें कुछ तथ्य गलत हैं तो हमें गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और इसके प्रभारियों की जिम्मेदारियाँ :

6. बैंक के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारियों में बैंक के सही एवं निष्पक्ष वित्तीय स्थिति एवं नकद प्रवाह देने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किये जाने वाले लेखा नियमों, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानदंड एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम,

1949 के खंड 29 के प्रावधान एवं समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र एवं दिशानिर्देश के अनुरूप हों। इस जिम्मेदारी में बैंकों की आस्तियों के सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को पहचानने एवं उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन करना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही विचार देते हैं तथा तात्त्विक गलत बयानी चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन बैंक की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू है, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग करना जब तक प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास इसके अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समूचे तौर पर चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से तात्त्विक गलतबयानी से मुक्त है, एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हमारा मत शामिल करना है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गयी लेखापरीक्षा हमेशा तात्त्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्त्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के विवेकपूर्ण आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सके।

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। हम साथ ही:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की तात्त्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना एवं जो हमारे मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्त्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न धोखाधड़ी को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, साभिप्राय चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें जो सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन।
- लेखांकन की कार्यशील संस्था आधारित प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित टोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की सामर्थ्य पर संदेह बना सकती है। अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि टोस अनिश्चितता नजर आती है तो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित, संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन एवं क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्हित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि उसे उचित प्रदर्शन माना जाए।

वास्तव में, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिणाम जोकि, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से संभव हो सकता है कि इससे वित्तीय विवरणों के विवेकपूर्ण ज्ञानवान प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया जा सके। हम निम्न परिणात्मक वास्तविकता एवं गुणात्मक घटक का

प्रयोग करते हैं i) हमारे लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने एवं हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एवं ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गयी किसी भी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, ऐसे मामलों में भी उनसे सम्प्रेषण करते हैं जो गवर्नेस से प्रभारित हैं, नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा का समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आंतरिक नियंत्रण में अन्य महत्वपूर्ण कमियों, जिन्हें हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम गवर्नेस के प्रभारी को भी वचन देते हैं कि हमने वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं की अनुपालना और अन्य ऐसे मामलों में सुरक्षा से संबन्धित उचित विवरण भी प्रदान करते हैं, जो हमें उचित प्रतीत होते हैं।

चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, गवर्नेस के प्रभारी को संप्रेषित मामलों में से हम केवल उन्हीं मामलों को रिपोर्ट करते हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण हों, इसलिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ये विशेष हैं। हम इन मामलों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं, जब तक कानून या विनियमन द्वारा मामले के बारे में लोकप्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या अत्यधिक दुर्लभ मामलों में हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारे रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हों।

अन्य मामले:

8. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 3416 घरेलू शाखाओं और प्रोसेसिंग केंद्रों सहित 3 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनका वित्तीय विवरण यह बताता है कि कुल आस्तियां 31 मार्च, 2022 को ₹ 3443521247.98 (हजार में) है एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 247892046.15 (हजार में) है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लिया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2022 को ये शाखाएं और प्रोसेसिंग केंद्र 41.73% अग्रिम, 63.26% जमाओं, 30.58% गैर निष्पादक आस्तियों को कवर करती हैं और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के राजस्व में इन शाखाओं का योगदान 31.63% है। इन शाखाएं वित्तीय विवरण शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित हैं और जिनकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गयी है, एवं हमारे विचार में जहाँ तक इसका संबंध राशियों एवं प्रकटीकरण से है जिन्हें शाखाओं के संबंध में जोड़े गए हैं, पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमारी राय में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।
 उपर्युक्त अनुच्छेद 5 एवं 8 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980, तथा उनमें अपेक्षित प्रकटनों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं:
 ए. हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
 बी. हमारे विचार से, हमारी जानकारी में आये बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार में किये गए हैं; तथा
 सी. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।
10. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संवैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से संवैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के लिए रिपोर्टिंग प्रतिबद्धता" के संबंध में पत्र क्र.डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 में अपेक्षित तथा जिसे उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई, 2020 को जारी सम्प्रेषण के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट विशेष मामलों के संबंध में हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:
 ए) हमारे मत में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बनाने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है, बशर्त कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों में कोई भिन्नता हो।

- बी) हमारे मत में, ऐसे वित्तीय संव्यवहारों या मामले, जिनका विपरीत प्रभाव बैंक की कार्यप्रणाली पर पड़ता हो, के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है.
- सी) चूंकि बैंक कंपनीज़ अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनीज़ अधिनियम 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) में बैंक का निदेशक होने का प्रतिबंध बैंक पर लागू नहीं है.
- डी) खातों के रख-रखाव तथा इनसे संबन्धित मामलों में, हमारी कोई विशेष या विपरीत टिप्पणी नहीं है.
- ई) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक ए** में दिए गए हैं. दि. 31 मार्च, 2022 को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी परिचालन के संबंध में हमारे रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं है.

11. इनके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (ए) हमारे मत में, बैंक के द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुरूप विधिवत लेखे रखे गए हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक बहियाँ और विवरण उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं, जहां का दौरा हमने नहीं किया है.
- (बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता और नकद प्रवाह विवरण बैंक के खातों से मेल खाते हैं और संबन्धित विवरण उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं, जहां का दौरा हमने नहीं किया है.
- (सी) बैंककारी नियामक अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन बैंक की शाखाओं के लेखापरीक्षकों द्वारा खातों से संबन्धित रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं तथा यह रिपोर्ट उन्हीं के आधार पर तैयार की गई है और
- (डी) हमारे मत में, तुलन पत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुरूप है, और वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों की सीमा से असंगत नहीं हैं.

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002785S

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFGY6267

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFRK9410

कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं. 109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFAO2016

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002803C

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFAB5594

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959W

सीए सचिन वी लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFDY8530

कृते मेसर्स एन बी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100W

सीए प्रदीप जे. शेटी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXEXO8437

स्थान : मुंबई

दिनांक : 13 मई, 2022

अनुलग्नक "ए" स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (नियत तारीख को हमारे रिपोर्ट के 'अन्य संवैधानिक और नियामक अपेक्षाओं' के अनुभाग के तहत अनुच्छेद 10(ए) के संदर्भ में) भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र क्र.डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 तथा उसके बाद दिनांक 19 मई, 2020 को जारी सम्प्रेषण (यथा संशोधित) की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट.

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें बैंक शाखाओं की इस तारीख के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी लेखापरीक्षा शामिल है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शी नोट के आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए, बैंक प्रबंधन का यह उत्तरदायित्व है कि वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित कर उन्हें लागू करे. इन उत्तरदायित्वों में, पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण मानदंड बनाना, लागू करना और उन्हें संचालित करना शामिल है, जिससे इसके कारोबार विधिवत और प्रभावी संचालित हो सके और बैंक की नीतियों का अनुपालन हो सके, इसकी आस्तियों को सुरक्षित रखा जा सके, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान की जा सके, लेखांकन रिकार्ड में सटीकता और पूर्णता हो और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचनाएँ प्राप्त की जा सके, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और दिशानिदेशों में अपेक्षित हैं.

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

अपने लेखापरीक्षा में, बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है. हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर यथासंभव लागू भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशानिदेश नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शी नोट के आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा की है, हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के उचित अनुपालना में नैतिक अपेक्षाओं के लिए मानक दिशानिदेश नोट में इस बात का ध्यान रखना कि उनका अनुपालन हो रहा है और सभी प्रमुख मामलों में प्रभावी परिचालन हो रहा है या नहीं.

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनका प्रभावी परिचालन के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, यदि कोई कमी हो तो उसके जोखिम का निर्धारण करना, निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जांच करना और प्रभावी परिचालन के लिए उपाय सुझाना शामिल है. इस प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर होगा, इसमें वित्तीय विवरणों की विसंगतियों के जोखिमों का मूल्यांकन भी शामिल है, भले ही धोखाधड़ी या त्रुटि से हुए हों.

हमारा विश्वास है कि निम्न अनुच्छेद के अनुसार अन्य मामलों में, जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें मिले हैं तथा शाखा लेखापरीक्षकों को उनके रिपोर्ट में मिले हैं, वे बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बैंक में एक प्रक्रिया है, जिसमें सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के तहत बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना शामिल है. बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्न नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है: (1) बैंक की आस्तियों से संबंधित संव्यवहारों का विस्तृत रूप से सटीक और उचित रिकार्ड्स के रख-रखाव करना; (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उचित आश्वासन कि वितते विवरणों को बनाने के लिए आवश्यक संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है तथा प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप बैंक प्राप्तियाँ और व्यय किए गए हैं; तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा प्रवृत्ति को समय रहते रोकना और वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाली बैंक की आस्तियों का पता लगाना.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाओं, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण की अवहेलना, त्रुटियों के कारण तथ्य दोष या धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है. इसके साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पूर्वानुमान परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से भविष्य के जोखिमों के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट हो सकती है.

अभिमत

हमारे मत और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा अन्य मामलों के तहत निम्न अनुच्छेदों में शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त रिपोर्टों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को बैंक में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तहत सभी प्रमुख तत्वों में पर्याप्त परिचालन हो रहा है, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा दिये गए मार्गदर्शी नोट के अनुदेशों का अनुपालन बैंक द्वारा किया जा रहा है।

अन्य मामले :

हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का, जहां तक 3413 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी परिचालन प्रभावशीलता से संबंध है वह उन शाखाओं से संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संगत रिपोर्टों पर आधारित है।

हमारी राय में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है।

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002785S

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFGY6267

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFRK9410

कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं. 109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFAO2016

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002803C

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFAB5594

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959W

सीए सचिन वी लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFDY8530

कृते मेसर्स एन बी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100W

सीए प्रदीप जे. शेट्टी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXEXO8437

स्थान : मुंबई

दिनांक : 13 मई, 2022

स्टैंडअलोन तुलन पत्र

यथा 31 मार्च, 2022

(₹ 000' में)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
पूँजी एवं देयताएं			
पूँजी	1	6,83,47,475	6,40,68,444
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	2	63,74,13,875	58,06,98,908
शेयर आवेदन राशि		-	-
जमाराशियाँ	3	10,32,39,26,349	9,23,80,53,402
उधार	4	51,17,90,975	51,83,71,092
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	33,44,31,935	31,58,66,602
कुल		11,87,59,10,609	10,71,70,58,448
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष	6	46,11,25,911	37,88,04,613
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य शेष	7	73,38,77,672	46,52,98,860
निवेश	8	3,48,50,73,915	3,31,51,17,896
अग्रिम	9	6,61,00,46,627	5,90,98,28,759
अचल आस्तियां	10	7,19,13,038	7,34,38,719
अन्य आस्तियां	11	51,38,73,446	57,45,69,601
कुल		11,87,59,10,609	10,71,70,58,448
आकस्मिक देयताएं	12	6,50,24,77,545	3,70,52,79,658
संग्रहण के लिए बिल		66,08,94,129	34,69,48,137
प्रमुख लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

(पंकज कुमार)
उप महाप्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(निधु सक्सेना)
कार्यपालक निदेशक

(रजनीश कर्नाटक)
कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(समीर शुक्ला)
निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)
निदेशक

(लक्ष्मण एस उप्पर)
निदेशक

(डॉ. जयदेव मद्गुला)
निदेशक

(प्रीति जय राव)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002785S

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959W

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFGY6267

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं. 109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFA02016

सीए सचिन वी. लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFDY8530

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002803C

कृते मेसर्स एन बी एस एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100W

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFRK9410

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFAB5594

सीए प्रदीप जे. शेठी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXEX08437

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 मई, 2022

स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	67,94,39,508	68,76,73,349
अन्य आय	14	12,52,48,172	11,74,44,937
कुल		80,46,87,680	80,51,18,286
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	40,15,74,864	44,07,89,085
परिचालन व्यय	16	18,43,80,735	16,76,59,928
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		16,64,11,123	16,76,09,622
कुल		75,23,66,722	77,60,58,635
III. वर्ष का लाभ/(हानि)			
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ/(हानि)		5,23,20,958	2,90,59,651
कुल		5,23,20,958	2,90,59,651
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षिति में अंतरण		1,30,80,240	72,64,913
पूंजी आरक्षिति में अंतरण		1,22,12,675	90,01,837
निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में अंतरित		65,68,682	1,27,92,901
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		22,53,341	-
धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित में अंतरण		52,20,000	-
प्रस्तावित लाभ/हानि		1,29,86,020	-
लाभ एवं हानि लेखे में शेष		0	0
कुल		5,23,20,958	2,90,59,651
प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड) (अंकित मूल्य रु. 10)	18	7.73	4.54
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट्स	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

(पंकज कुमार) उप महाप्रबंधक	(प्रफुल्ल कुमार सामल) मुख्य वित्तीय अधिकारी
कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से	
(निधु सक्सेना) कार्यपालक निदेशक	(रजनीश कर्नाटक) कार्यपालक निदेशक
	(राजकिरण रै जी.) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(समीर शुक्ला) निदेशक	(अरुण कुमार सिंह) निदेशक
(लक्ष्मण एस उप्पर) निदेशक	(डॉ. जयदेव मद्गुला) निदेशक
(सूरज श्रीवास्तव) निदेशक	(प्रीति जय राव) निदेशक
हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार	
कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन 002785S	कृते मेसर्स सारडा एंड पारीख एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन 109262W/W100673
कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन 108959W	
सीए पी. एम. वीरामनी भागीदार सदस्य सं. 023933 यूडीआईएन: 22023933AIXFGY6267	सीए गिरिशज सोनी भागीदार सदस्य सं. 109738 यूडीआईएन: 22109738AIXFA02016
सीए सचिन वी. लूथरा भागीदार सदस्य सं. 109127 यूडीआईएन: 22109127AIXFDY8530	
कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन 005223C	कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन 002803C
कृते मेसर्स एन वी एस एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन 110100W	
सीए शरद बंसल भागीदार सदस्य सं. 423507 यूडीआईएन: 22423507AIXFRK9410	सीए गौतम शर्मा भागीदार सदस्य सं. 79225 यूडीआईएन: 22079225AIXFAB5594
सीए प्रदीप जे. शेट्टी भागीदार सदस्य सं. 046940 यूडीआईएन: 22046940AIXEX08437	

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 मई, 2022

बैंक परिपुष्ट

नीटिस

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरणियां

स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां यथा 31 मार्च, 2022

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
अनुसूची 1 - पूंजी :		
I. प्राधिकृत:		
रु. 10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु. 10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	10,00,00,000	10,00,00,000
II. निर्गमित, अभिदत्त, कॉल्ड अप एवं प्रदत्त :		
i. रु. 10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित (पिछले वर्ष 570,66,60,850 इक्विटी शेयर)	5,70,66,609	5,70,66,609
ii. रु. 10 प्रति शेयर की दर से 112,80,86,616 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 70,01,83,505 इक्विटी शेयर)	1,12,80,866	70,01,835
घटाएँ: काल्स अप्रदत्त	0,000	0,000
जोड़ें: जब्त शेयर	0,000	0,000
कुल	6,83,47,475	6,40,68,444

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :				
I. सांविधिक आरक्षित:				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	13,32,08,662		12,59,43,749	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,30,80,239	14,62,88,901	72,64,913	13,32,08,662
II. पूंजी आरक्षित:				
i) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित:				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,89,84,778		4,99,77,701	
वर्ष के दौरान वृद्धि	79,201		40,444	
वर्ष के दौरान कमी	14,93,238		10,33,367	
कुल	4,75,70,741		4,89,84,778	
ii) पूंजी आरक्षित:				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,67,12,164		3,77,10,327	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,22,12,675		90,01,837	
कुल	5,89,24,839		4,67,12,164	
iii) समामेलन समायोजन आरक्षित	1,30,95,979	11,95,91,559	1,30,95,979	10,87,92,921
III. शेयर प्रीमियम :				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	17,32,70,019		50,08,54,966	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,01,92,652		0,000	
वर्ष के दौरान कमी	50,871	18,34,11,800	32,75,84,947	17,32,70,019
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित :				
i) राजस्व आरक्षित :				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	9,64,54,761		8,25,61,562	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,31,16,426		2,64,98,876	
वर्ष के दौरान कमी	11,98,748		1,26,05,677	
कुल	10,83,72,439		9,64,54,761	

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित पिछले तुलनपत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि	5,50,78,789		5,50,78,789	
	52,20,000		0,000	
कुल	6,02,98,789		5,50,78,789	
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित पिछले तुलनपत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान कमी	10,42,370		3,63,866	
	23,859		6,85,434	
	10,35,910		6,930	
कुल	30,319		10,42,370	
iv) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित पिछले तुलनपत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि	1,27,92,901		0,000	
	65,68,682		1,27,92,901	
कुल	1,93,61,583		1,27,92,901	
V) एफएक्स स्वेप पर विशेष आरक्षित लाभ	58,485	18,81,21,615	58,485	16,54,27,306
V. लाभ हानि खाते में शेष		0,000		0,000
कुल		63,74,13,875		58,06,98,908
अनुसूची 3 - जमाराशियां :				
ए)				
I. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	81,32,959		76,23,510	
ii) अन्य से	71,83,91,699	72,65,24,658	62,86,14,209	63,62,37,719
II. बचत बैंक जमाराशियां		3,04,54,07,826		2,71,96,80,826
III. मीयादी जमाराशियां				
i) बैंकों से	2,27,87,325		3,16,45,103	
ii) अन्य से	6,52,92,06,540	6,55,19,93,865	5,85,04,89,754	5,88,21,34,857
कुल		10,32,39,26,349		9,23,80,53,402
बी)				
i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		10,32,10,23,919		9,21,62,71,426
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		29,02,430		2,17,81,976
कुल		10,32,39,26,349		9,23,80,53,402
अनुसूची 4 - उधार :				
ए)				
भारत में उधार				
I. भारतीय रिजर्व बैंक	14,20,90,000		14,20,90,000	
II. अन्य बैंक	1,99,29,833		1,40,00,565	
III. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	2,98,96,073		2,74,54,914	
IV. शाश्वत बॉन्डस- टियर I	8,70,50,000		7,10,50,000	
V. अधीनस्थ बॉन्डस- टियर II	10,05,00,000		10,05,00,000	
VI. 7 वर्षीय इन्फ्रा बॉन्डस	0,000	37,94,65,906	50,01,000	36,00,96,479
बी) भारत से बाहर उधार		13,23,25,069		15,82,74,613
कुल		51,17,90,975		51,83,71,092
उपर्युक्त (बी) I & II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार		14,70,29,470		14,20,90,000

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान :				
I. देय बिल		2,68,90,202		2,30,30,334
II. उपचित ब्याज		4,52,33,997		3,13,98,586
III. अन्य (प्रावधान सहित)		26,23,07,736		26,14,37,682
कुल		33,44,31,935		31,58,66,602
*मानक आस्तियों हेतु प्रावधान सहित रु. 6,56,67,690 (पिछले वर्ष रु.5,11,29,666)				
अनुसूची 6 – नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष:				
I. धारित नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)		3,78,19,394		3,78,17,879
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (ए) चालू खाते में (बी) अन्य खातों में		42,33,06,517 0,000		34,09,86,734 0,000
कुल		46,11,25,911		37,88,04,613
अनुसूची 7 – बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन :				
I. भारत में स्थित बैंकों में जमा शेष				
i) बैंकों में शेष (ए) चालू खातों में (बी) अन्य जमा खातों में		22,24,274 6,08,75,196		52,33,575 7,02,13,074
ii. मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन (ए) बैंकों से (बी) अन्य संस्थाओं से		0,000 55,41,14,877	61,72,14,347	29,55,40,000 37,09,86,649
II. भारत के बाहर				
i) चालू खातों में		29,80,253		22,66,568
ii) अन्य जमा खातों में		11,36,83,072		9,20,45,643
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		0,000	11,66,63,325	0,000 9,43,12,211
कुल		73,38,77,672		46,52,98,860
अनुसूची 8 – निवेश:				
I. भारत में निवेश				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में		2,64,16,37,956		2,40,25,37,531
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		0,000		0,000
iii) शेयरों में		2,30,53,036		2,01,62,150
iv) डिबेंचर एवं बॉण्डों में		69,38,31,055		74,40,56,416
v) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में		33,86,095		53,76,479
vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में)		9,51,30,775		11,59,47,026
कुल		3,45,70,38,917		3,28,80,79,602
II. भारत से बाहर निवेश				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)		1,61,01,880		1,48,25,814
ii) अन्य निवेश (बॉण्डों में)		4,60,268		7,39,320
iii) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में		1,14,72,850		1,14,73,160
कुल		2,80,34,998		2,70,38,294
कुल		3,48,50,73,915		3,31,51,17,896

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
III. i) भारत में निवेश				
सकल मूल्य		3,51,85,30,523		3,35,03,34,391
मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान		6,14,91,606		6,22,54,789
निवल मूल्य		3,45,70,38,917		3,28,80,79,602
ii) भारत से बाहर निवेश				
सकल मूल्य		2,83,51,221		2,70,57,741
मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान		3,16,223		19,447
निवल मूल्य		2,80,34,998		2,70,38,294
कुल		3,48,50,73,915		3,31,51,17,896

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)		
ए.		
i) खरीदे और भुनाए गए बिल	3,87,09,874	4,11,16,878
ii) केश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	2,87,88,96,001	2,66,12,08,397
iii) मीयादी ऋण	3,69,24,40,752	3,20,75,03,484
कुल	6,61,00,46,627	5,90,98,28,759
बी.		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत*	5,34,44,92,520	5,07,39,93,631
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत	13,06,61,251	16,51,79,860
iii) अप्रतिभूत	1,13,48,92,856	67,06,55,268
कुल	6,61,00,46,627	5,90,98,28,759
(* बही ऋण के सापेक्ष रु. 61,83,30,066 के अग्रिम सहित (पिछले वर्ष रु. 59,90,84,207))		
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण		
I. भारत में अग्रिम:		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2,59,52,39,457	2,52,92,91,622
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	72,72,96,155	61,06,29,459
iii) बैंक	2,22,975	3,07,310
iv) अन्य	3,13,82,79,933	2,62,93,66,222
कुल	6,46,10,38,520	5,76,95,94,613
II. भारत के बाहर अग्रिम:		
i) बैंकों से प्राप्य	5,31,10,677	3,41,84,098
ii) अन्य से प्राप्य		
ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	12,11,011	0,000
बी) सिंडिकेटेड ऋण	5,47,141	11,83,093
सी) अन्य	9,41,39,278	10,48,66,955
कुल	14,90,08,107	14,02,34,146
कुल	6,61,00,46,627	5,90,98,28,759

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां :				
ए. मूर्त आस्तियां				
I. परिसर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	8,15,36,732		8,08,23,818	
वर्ष के दौरान वृद्धि	6,10,204		7,16,224	
वर्ष के दौरान कमी	12,75,792		3,310	
	8,08,71,144		8,15,36,732	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	2,63,31,743	5,45,39,401	2,48,41,708	5,66,95,024
II. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	6,22,879		5,79,704	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,26,601		1,57,093	
वर्ष के दौरान कमी	3,88,483	3,60,997	1,13,918	6,22,879
III. भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	12,45,683		12,45,683	
वर्ष के दौरान वृद्धि	13,08,678		-	
वर्ष के दौरान कमी	55,725		-	
	24,98,636		12,45,683	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	4,52,022	20,46,614	78,385	11,67,298
IV. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित)				
ए) पट्टे पर दी गयीं आस्तियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	2,65,352		2,65,352	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	2,65,352	-	2,65,352	-
बी) अन्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	6,46,03,010		6,20,76,819	
वर्ष के दौरान वृद्धि	48,67,443		34,97,487	
वर्ष के दौरान कमी	7,95,520		9,71,296	
	6,86,74,933		6,46,03,010	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	5,60,79,797	1,25,95,136	5,25,98,644	1,20,04,366
वी. अमूर्त आस्तियां				
कंप्यूटर साफ्टवेयर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	1,12,22,581		85,50,124	
वर्ष के दौरान वृद्धि	8,72,637		26,73,629	
वर्ष के दौरान कमी	11,880		1,172	
	1,20,83,338		1,12,22,581	
घटाएं: आज की तारीख तक परिशोधित	97,12,448	23,70,890	82,73,429	29,49,152
कुल		7,19,13,038		7,34,38,719

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :				
I. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल)		1,79,97,045		7,34,01,772
II. उपचित ब्याज		7,68,96,049		6,00,37,714
III. स्रोत पर प्रदत्त कर/ कर की कटौती(निवल प्रावधान)		5,39,12,604		6,62,28,752
IV. लेखन सामग्री एवं स्टॉप		63,349		68,176
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां		1,334		1,238
VI. अन्य*		21,24,01,949		20,61,34,433
VII. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)		12,29,23,747		15,67,24,947
VIII. एमएटी क्रेडिट पात्रता		2,96,77,369		1,19,72,569
कुल		51,38,73,446		57,45,69,601
*नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गयी राशि रु. 9,64,56,088 सहित (पिछले वर्ष रु. 11,12,93,710)				
अनुसूची 12 - संभाव्य देयताएं :				
I. बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		3,31,30,212		3,73,07,180
II. अंशतों प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं		0,000		5,920
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं		4,36,34,96,833		2,28,99,08,209
IV. संघटकों की ओर दी गयी गारंटी				
ए) भारत में	65,35,08,697		66,32,75,681	
बी) भारत से बाहर	1,65,75,655	67,00,84,352	1,34,92,045	67,67,67,726
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं		1,26,92,16,524		52,07,37,119
VI. अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग		13,77,78,737		15,68,01,095
VII. डी ई ए एफ योजना - 2014 में अंतरित राशि		2,87,70,887		2,37,52,409
कुल		6,50,24,77,545		3,70,52,79,658
उगाही हेतु बिल		66,08,94,129		34,69,48,137

स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाते के रूप में अनुसूचियां

यथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों/ बिलों पर ब्याज/ बट्टा	45,23,55,006	45,76,58,380
II. निवेशों से आय	19,94,28,382	20,57,37,022
III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज	2,14,08,267	1,60,48,797
IV. अन्य	62,47,853	82,29,149
कुल	67,94,39,508	68,76,73,349
अनुसूची 14 - अन्य आय :		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	1,73,98,170	1,24,19,145
II. निवेशों की बिक्री से लाभ (निवल)	3,41,11,874	3,65,13,065
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	-10,70,995	40,76,402
IV. भूमि, बिल्डिंग एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/ हानि - (निवल)	-3,489	76,136
V. विनिमय संबन्धित कार्यों से लाभ (निवल)	60,80,630	43,36,222
VI. विदेश / भारत में सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	24,700	0,000
VII. विविध आय	6,87,07,282	6,00,23,967
कुल	12,52,48,172	11,74,44,937
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :		
I. जमा राशियों पर ब्याज	37,45,42,117	40,80,68,450
II. भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	1,05,59,953	1,49,02,542
III. अन्य	1,64,72,794	1,78,18,093
कुल	40,15,74,864	44,07,89,085
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :		
I. कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	10,11,46,061	9,28,36,117
II. किराया, कर और बिजली	1,07,06,732	1,10,38,072
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	9,67,655	9,22,049
IV. विज्ञापन और प्रचार	6,13,743	3,11,524
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	73,81,013	89,52,298
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	8,287	13,326
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	6,30,321	10,55,638
VIII. विधि प्रभार	14,08,632	12,47,733
IX. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	31,10,629	23,31,123
X. मरम्मत एवं रखरखाव	32,71,779	35,60,302
XI. बीमा	1,28,77,009	1,26,65,917
XII. अन्य व्यय	4,22,58,874	3,27,25,828
कुल	18,43,80,735	16,76,59,928

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (स्टैंडअलोन) : अनुसूची 17

1. प्रस्तुति का आधार

वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबे), द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एएस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन से अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) में रिपोर्ट किए गए राशियों एवं रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय के संबंध में अनुमान/आकलन लगाएं। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर की पहचान ज्ञात परिणाम अवधि के दौरान होती है।

3. राजस्व की पहचान

- 3.1. जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है।
- 3.2. गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है। पिछले वर्ष अप्राप्त आय की गणना और बची हुई अप्राप्त आय की गणना वर्ष के दौरान एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत आस्ति के रूप में की गई है।
- 3.3. गारंटी पत्र / साख पत्र पर कमीशन की गणना उपचय के आधार पर की गई है।
- 3.4. विनियम एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं।
- 3.5. "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:
 - 3.5.1. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है।

- 3.5.2. शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है।
- 3.6. जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है।
- 3.7. भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए बिक्री को लेखांकित किया गया है।
- 3.8. आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर आयकर वापसी पर ब्याज की गणना की गई है।

4. वसूली का विनियोजन :

एक बारगी निपटान एवं एनसीएलटी समाधान से वसूली का विनियोजन स्वीकृति की शर्तों के अनुसार होगा। ओटीएस / एनसीएलटी के अलावा अन्य माध्यमों से वसूली निम्नानुसार विनियोजित होगी:

- 4.1. जब देनदार और लेनदार के बीच कोई समझौता नहीं होता है कि देनदार द्वारा भुगतान किए गए धन को लेनदार द्वारा कैसे विनियोजित किया जाना आवश्यक है, तो विनियोजन का क्रम निम्नानुसार होगा :

मियादी ऋण हेतु :

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.
- छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अनप्रयुक्त ब्याज).
- वसूली की तिथि तक मूलधन / ईएमआई की बकाया राशि के लिए.
- चल रहे खाता-बही शेष के लिए.

चल रहे खातों के लिए:

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
 - छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अनप्रयुक्त ब्याज) सहित एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.
 - मूलधन के लिए
- 4.2. यदि उधारकर्ता उपर्युक्त से भिन्न विनियोजन की शर्तों का अनुबंध करता है और यदि विनियोजन की ऐसी भिन्न शर्तें बैंक द्वारा स्वीकार की जाती हैं तो वसूली का विनियोजन स्वीकृत शर्तों के अनुसार होगा.

4.3. गैर निष्पादित निवेश वसूली के मामले में वितरण निम्नानुसार किया जाएगा:

- ए. व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- बी. एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.
- सी. छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अनप्रयुक्त ब्याज)
- डी. वसूली की तिथि तक मूलधन / ईएमआई की बकाया राशि के लिए
- ई. चल रहे खाता-बही शेष के लिए

5. नकदी प्रवाह विवरण:

बैंक का नकदी प्रवाह विवरण एएस-3. के अनुसार तैयार किया जाता है. नकदी प्रवाह विवरण मुख्य रूप से वर्गीकृत है :

- 5.1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह : इस गतिविधि में परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.
- 5.2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह : इस गतिविधि में निवेश से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.
- 5.3. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह - इस गतिविधि में वित्तीय लिखत से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

6. निवेश

6.1. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारूप ए की अपेक्षाओं के अनुरूप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

- 6.1.1. सरकारी प्रतिभूतियां
- 6.1.2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- 6.1.3. शेयर
- 6.1.4. ऋण पत्र एवं बांड
- 6.1.5. अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं
- 6.1.6. अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र क्र. डीओआर.एमआरजी 42/21.04.141 /201-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 के दिशानिर्देशों के अधीन पुनः निम्नलिखित 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है. यथा

- ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

6.2. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं

- 6.2.1. "एचटीएम" में धारित प्रतिभूतियां अधिग्रहण लागत पर
 - 6.2.1.1. अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित हैं तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है.
 - 6.2.1.2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.
 - 6.2.1.3. अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.
 - 6.2.1.4. सहायक/संयुक्त उपक्रमों में अपने निवेश मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य कमी, जिन्हें एचटीएम में शामिल किया गया है, को प्रदान किया जाएगा.
- 6.2.2. "एएफएस" तथा "एचएफटी" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियां
 - 6.2.2.1. बिक्री के लिए उपलब्ध एवं व्यापार के लिए धारित श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप-वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्धहास, लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.
 - 6.2.2.2. प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है:

ए	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां)	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए/एफबीआईएल) के कोटेशन के अनुसार
बी	राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड	एफआईएमएमडीए / एफबीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्ति के आधार पर
सी	इक्विटी शेयर	यदि उल्लिखित हों, तो बाज़ार मूल्य पर, अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों की अनुपस्थिति में ₹ 1/- प्रति कंपनी के अनुसार. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर बही मूल्य की गणना जाती है.

डी	वरीयता शेयर	यदि उल्लिखित हों, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमडीए / ए. फबीआईएल के दिशा-निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं
ई	ऋण पत्र/ बांड्स	यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमडीए / एफबीआईएल के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर
एफ	म्युचुअल फंड (एमएफ)	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की स्थिति में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार
जी	राजकोषीय बिल / जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
एच	उद्यम पूंजी निधियाँ (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुरानी न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हों, तो ₹1/- प्रति वीसीएफ के अनुसार
आई	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

- 6.3. अंतर बैंक/भारिबैं रेपो तथा अंतर बैंक/भारिबैं रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.
- 6.4. भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :
- 6.4.1. एफ़एस / एचएफ़टी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में यथा शिफ्ट की तिथि पर पुस्तकीय मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर. यदि कोई हास है, तो लगाया गया है
- 6.4.2. एचटीएम श्रेणी से एफ़एस / एचएफ़टी श्रेणी में
- 6.4.2.1. यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत / बही मूल्य पर

- 6.4.2.2. यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर.

इस प्रकार शिफ्ट की गई प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इसके परिणाम रूप मूल्य में होने वाली कमी के लिए पूरा प्रावधान किया गया है.

- 6.4.3. विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.
- 6.5. गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य हास/प्रावधान किया गया है.
- 6.6. किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.
- 6.7. प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.
- 6.8. इक्विटी की खरीद और बिक्री पर भुगतान किए गए ब्रोकरेज और एसटीटी को सौदे की कीमत में शामिल किया गया है.
- 6.9. एचटीएम प्रतिभूतियों पर प्रीमियम के परिशोधन की गणना सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके की गई है.
- 6.10. निवेश पोर्टफोलियो के लेखांकन के लिए बैंक भारत औसत मूल्य (डबल्यूएपी) का अनुसरण कर रहा है.
- 6.11. भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा 'निपटान तिथि' का पालन किया जाता है.
- 6.12. म्युचुअल फंड जोखिम पूंजी और प्रतिभूति रसीद की इकाइयों से होने वाली आय को नकदी आधारी माना जाता है.

- 6.13. डेरीवेटिव संविदा

- 6.13.1. वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) उपचित आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

- 6.13.2. ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं (यदि कोई लाभ हो तो अनदेखा किया जाए)

6.13.3. विकल्प संविदाओं के मामले में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है। यदि कोई लाभ हो, तो अनदेखा कर दिया जाता है।

7. अग्रिम

7.1. सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

7.1.1. मानक

7.1.2. अवमानक

7.1.3. संदिग्ध और

7.1.4. हानि आस्तियां

ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र डीओआर क्रं एसटीआर. आरईसी 55/21.04.048/2021-22 दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 के शर्तानुसार विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।

7.2. भारिबे द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ही अग्रिमों एवं ऋणों को निष्पादित एवं गैरनिष्पादित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ऋण आस्तियां गैरनिष्पादित आस्तियां (एनपीए) में तभी वर्गीकृत होती है जब :

7.2.1. मियादी ऋण के संबंध में, जब मूलधन का ब्याज और/अथवा किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो;

7.2.2. ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण अग्रिम के संबंध में यदि खाता "अनियमित रहता" है यथा

7.2.2.1. यदि नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से निरंतर 90 दिनों की अवधि के लिए अधिक हो अथवा यदि निरंतर 90 दिनों की अवधि हेतु तुलन पत्र की अवधि तक कोई जमा न हों अथवा यदि उक्त अवधि हेतु खाते में देय ऋण को चुकाने हेतु खाते में पर्याप्त ऋण उपलब्ध न हों, या

7.2.2.2. नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से कम हो लेकिन पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त न हो।

7.2.3. खरीदे गए /रियायती बिलों के संदर्भ में, 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बिल अतिदेय रहते हैं।

7.2.4. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां दो मौसमी फसलों के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं।

7.2.5. लंबी अवधि के फसल के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां एक

मौसमी फसल के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं।

7.2.6. एक कार्यशील पूंजी उधार खाता एनपीए हो जाएगा यदि खाते में इस तरह के अनियमित आहरण को 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए अनुमति दी गई हो भले ही इकाई कार्यशील हो या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

7.2.7. एमएसएमई खातों के संबंध में, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की छूट का लाभ बैंक को दिया जाता है आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण मानकों का पालन करेंगे जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर क्र.बीपी 100/21.04.048/2017-18 दिनांक 07 फरवरी, 2018 एवं डीबीआर क्र. बीपी. 108/21.04.048/2017/18 दिनांक 06 जून, 2018 में वर्णित किया गया है।

7.2.8. एमएसएमई खातों के संबंध में, जो भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 और परिपत्र क्र.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 के संदर्भ में जारी परिपत्र क्र. डीओआर.सं.बीपी.बीसी.4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार पुनर्गठित किए जाएंगे एवं मानक श्रेणी में रखे जाएंगे, पहले से किए गए प्रावधान के अतिरिक्त 5% का प्रावधान बैंक मॉडेल करेगा. उक्त परिपत्र के अनुसार इस प्रावधान में परिवर्तन किया जाएगा।

7.2.9. 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 एवं 23 मई, 2020 को आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण पर कोविड 19 विनियामक पैकेज से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार मानक रूप से वर्गीकृत पात्र उधारकर्ताओं के लिए 01 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के लिए यद्यपि जिनका अतिदेय 29 फरवरी, 2020 को था के पुनर्गठन पर विचार किए बिना बैंक ने किस्त और / या ब्याज के भुगतान पर स्थगन को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 एवं परिपत्र क्र.डीबीआर सं.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020, डीओआर.एसटीआर. आरईसी12/21.04.048/2021-22 एवं डीओआर.एसटीआर. आरईसी 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 के अनुसार कॉर्पोरेट एवं रिटेल ऋण के पुनर्गठन के संदर्भ में बैंक इस संबंध में आवश्यक प्रावधान बनाए रखेगा।

7.3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एनपीए को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में बांटा गया है :

7.3.1. अवमानक: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक या उससे कम अवधि के लिए गैर-निष्पादक रही है।

- 7.3.2. संदिग्ध: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में रही है.
- 7.3.3. हानि: ऐसी ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की जा चुकी है, लेकिन ऋण राशि पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं की गई है.
- 7.4. विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए न्यूनतम किए जाने वाली राशि निम्नानुसार है :

अवमानक आस्तियां:	i. कुल बकाया राशि का सामान्य 15%
	ii. ऐसी ऋण राशि पर 10% अतिरिक्त प्रावधान, जो आरंभ से ही असुरक्षित हो.
	iii. आरंभ से, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों के असुरक्षित भाग के लिए 20% प्रावधान, जिसमें एस्करो खाते जैसी कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियाँ उपलब्ध हों (उपर्युक्त के अनुसार 25% के स्थान पर)
संदिग्ध-सुरक्षित भाग	i. एक वर्ष तक 25%
	ii. एक से तीन वर्ष 40%
	iii. तीन वर्ष से अधिक 100%
संदिग्ध-असुरक्षित भाग	100%
हानि आस्ति	100%

- 7.5. अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.
- 7.6. विदेशी कार्यालयों के संबंध में, एनपीए के लिए ऋणों और अग्रिमों में वर्गीकरण या प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों या स्थानीय नियमों के अनुसार, जो भी अधिक उपयुक्त हो, किए गए हैं.
- 7.7. पुनर्गठित/पुनर्निर्धारण आस्तियों में प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसमें एनपीए हेतु प्रावधान के अलावा, पुनर्गठन के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्यों के बीच का अंतर होना आवश्यक होता है.
- 7.8. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामलों में, यदि खाता नियामक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होता है, तो खाते को निष्पादक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है.
- 7.9. पिछले वर्षों में राइट ऑफ किए गए ऋणों के मुकाबले वसूली गई राशि वसूली के वर्ष में आय के रूप में चिन्हित की गई है.

- 7.10. मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को "अन्य देयताओं और प्रावधानों" में रखा गया है, जिन्हें तुलन पत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों की गणना में नहीं लिया गया है. मानक आस्ति प्रावधान आईआरएसी आरबीआई मास्टर परिपत्र आरबीआई/2021-2022/104 डीओआर.सं.एसटीआर.आरईसी.55/21.04.048/2021-22 दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 एवं तदनंतर समय समय पर जारी परिपत्र के अनुसार बनाए गए हैं.

- 7.11. छह महीने से अधिक समय से बकाया उचित खातों की प्रविष्टियों पर सरकार / सरकारी निकायों से प्राप्त होने वाले दावे जैसे फसल ऋण / निर्यात अग्रिम पर ब्याज सब्सिडी, प्राय पेंशन आदि को छोड़कर 100% पर प्रावधान किया जाता है.

8. संपत्ति, प्लॉट और उपकरण

- 8.1. परिसर एवं अन्य स्थायी आस्तियों को, संचित मूल्यहास का शुद्ध और संचित क्षतियों की राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है. लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधर लागत और सीधे व्यापार छूट और छूट का उपयोग करने के लिए एसेट को इसकी कार्यशील स्थिति में लाने की लागत शामिल है. उपयोग करने के लिए राखी गई सम्पत्तियों पर किए गए उप-व्यय पर केवल तभी पूंजी लगाई जाती है जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है. जमीन और इमारतों, यदि पुनर्मूल्यांकन को पुनर्गठित राशि कहा जाता है. "संपत्ति, प्लॉट और उपकरण" पर संशोधित एएस-10 के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन पर प्रशंसा का श्रेय रेवल्यूशन रिजर्व को दिया जाता है और उसके द्वारा प्रदान किए गए मूल्यहास को वहाँ से घटा दिया जाता है और इसे रेवल्यूशन रिजर्व में जमा कर दिया जाता है.
- 8.2. बैंक की व्यय नीति में समय समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन मेटड पर अचल आस्तियों पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है. मूल्यहास की लागू दरें निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	पूंजी आस्ति	उपयोग हेतु वर्ष(वर्ष)	प्रतिशत में दर
1	अचल संपत्ति- भूमि	गैर निर्दिष्ट; तदनुसार, कोई मूल्यहास नहीं	शून्य
2	आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों)	60	1.67
3	फर्नीचर	10	10.00
4	फिक्सचर	10	10.00

क्र. सं	पूंजी आस्ति	उपयोग हेतु वर्ष(वर्ष)	प्रतिशत में दर
5	वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/वातानुकूलित डक्टबल)	10	10.00
6	स्लिट एवं विंडो वातानुकूलन	5	20.00
7	विद्युत इन्स्टालमेंट एवं उपकरण	5	20.00
8	सौर ऊर्जा उपकरण	15	6.67
9	एलिवेटर एवं लिफ्ट	15	6.67
10	पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य	5	20.00
11	दूरभाष उपकरण	5	20.00
12	मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	10	10.00
13	मोटर कार, मोटर लॉरी एवं पावर बैट्री सहित विद्युत परिचालित या ईंधन सेल संचालित वाहन	8	12.50
14	मोबाइल फोन	3	33.33
15	जेनेरेटर	15	6.67
16	कार्यालय उपकरण / यंत्र, एसडीवी लॉकर्स, स्ट्रॉग रूम डोर, नकद तिजोरी आदि	5	20.00
17	कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के अन्तरिम भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3	33.33
18	एटीएम एवं संबद्ध मर्दे	3	33.33
19	यूपीएस एवं संबद्ध आइटम मर्दे	5	20.00
20	सर्वर एवं नेटवर्क	6	16.66
21	कम्प्यूटर के अंतिम यूजर साधन जैसे डेस्कटॉप, लैपटाप, आई-पैड, टेबलेट्स प्रिंटर एवं स्कैनर, डिजिटल घड़ी आदि	3	33.33

8.3. भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगने पर, परिसर पर मूल्यहास संमिश्र लागत पर लगाया गया है।

8.4. पट्टे पर ली गई आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाया गया है।

9. आस्तियों में क्षति

अचल आस्ति (पुनर्मूल्यांकित अस्ति सहित) पर हासित हानि (यदि कोई हो) का निर्धारण आईसीएआई द्वारा जारी "आस्ति की हास" पर एएस-28 के अनुरूप होता है एवं लाभ एवं हानि खाते में चार्ज ऑफ किया जाता है। आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है। किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर हास हानि मानी जाती है। हास हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है। उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर-पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है। हास के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यहास लगाया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई हास हानि बढ़ाई या घटाई जाती है। लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो हास न होने पर सामान्य मूल्यहास लगाने के बाद होती है।

10. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है। प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी विनिमय से जुड़े लेनदेन के लिए लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" पर एएस-11 के अनुसार किया जाता है। एएस-11 की शर्तों के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन को ए) एकीकृत परिचालन एवं बी) गैर एकीकृत परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सभी विदेशी शाखाओं, अपतटीय बैंकिंग इकाइयों, अंतर्देशीय सहायक संस्थाओं को गैर एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है एवं विदेशी विनिमय और प्रतिनिधि कार्यालयों में घरेलू परिचालन को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है।

एकीकृत परिचालन हेतु लेखांकन :

- 11.1. वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित मौद्रिक और गैर मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को संशोधित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते से निर्धारित किया जाता है।
- 11.2. आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तिथि पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है।
- 11.3. वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तिथि को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है। फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में किया गया है।
- 11.4. गारंटी, स्वीतिकरण, अनुमोदन और अन्य दायित्वों के कारण आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर वर्णित हैं।

12. गैर एकीकृत परिचालन हेतु लेखांकन :

- 12.1. राजस्व की पहचान
संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार आय और व्यय का निर्धारण/लेखांकन किया जाता है।
- 12.2. आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण
आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों या आरबीआई के दिशानिर्देशों, जो भी उच्च हो, के अनुसार किए जाते हैं
- 12.3. अचल आस्ति और मूल्यहास
12.3.1. अचल आस्ति का ऐतिहासिक लागत पर हिसाब लगाया जाता है।
12.3.2. संबंधित देशों के लागू कानूनों के अनुसार अचल आस्ति पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।
- 12.4. आस्ति एवं देयताएं (मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक के साथ अनुषंगी देयताएं) वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दर पर अनूदित की जाती है।
- 12.5. आय एवं व्यय संबंधित तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर अनूदित की जाती है।
- 12.6. सभी परिणामी विनमय अंतरों को विदेशी मुद्रा अनुवाद रिज़र्व में संचित किया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ :

- 13.1. अल्पावधि रोजगार लाभ :
अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है
- 13.2. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :
13.2.1. निर्धारित अंशदान योजनाएं :
बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है। इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है। बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है।
13.2.2. निर्धारित लाभ योजना :
ग्रेच्युटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं। इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है। एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है।

14. खंडवार रिपोर्टिंग

- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखामानक 17- "खंडवार रिपोर्टिंग" के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है। कारोबार खंडों को वर्गीकृत किया गया है
- 14.1. ट्रेजरी परिचालन,
 - 14.2. कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,
 - 14.3. रिटेल बैंकिंग परिचालन और
 - 14.4. अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है

15. लीज संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये परिसंपत्तियों के लिए लीज भुगतान को लीज अवधि के आधार पर लाभ और हानि खाते में एक सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

16. प्रति शेयर आय

बैंक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल एवं डायल्यूटेड आय की रिपोर्ट को सूचित करता है। प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की गई है। प्रति शेयर डायल्यूटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है। प्रति इक्विटी शेयर की डायल्यूटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्यूटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है।

17. कराधान :

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर एएस-22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच अंतर के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं। चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है। कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं स्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक 'उचित निश्चितता' न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थगित कर का निर्धारण होगा। गैर-मूल्यहास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल "आभासी निश्चितता" होने पर मान्यता दी जाती है।

18. प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 के अनुसार प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप

वर्तमान देयताएं हों, ऐसी संभावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है; क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रूप में परिणित हो सकती है।

19. शेयर निर्गम व्यय:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किए गए हैं।

20. खातों का समेकन :

बैंक की पांच सहायक कंपनियां यथा यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ट्रस्ट्री कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एवं यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड है।

बैंक के तीन संयुक्त उद्यम यथा स्टार यूनियन दार्ड-इची लाइफ इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड एवं इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद हैं।

बैंक की एक सहयोगी चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक है।

समेकित वित्तीय विवरण निम्न के आधार पर बनाया गया है:

- 20.1. मूल बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
- 20.2. सहायक कंपनियों का समेकन : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण पर एएस-21 के क्रम में अंतर-समूह संव्यवहारों, अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के पश्चात, मुख्य बैंक संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों के आय / व्यय / आस्तियों / देयताओं को पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकत्रीकरण करेंगे।
- 20.3. एसोसिएट्स का समेकन : एसोसिएट में निवेश भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन - 23 के अनुसार, इक्विटी पद्धति के अंतर्गत, समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन के आधार पर लेखांकित किया गया है।
- 20.4. संयुक्त उपक्रम का समेकन : भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन- 27 के अनुसार संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का आनुपातिक समेकन किया गया है।

अनुसूची 18: लेखों पर नोट्स (स्टैंडअलोन)

1. विनियामक पूंजी

बैंक 01 अप्रैल, 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है. 01 अक्टूबर, 2021 तक बासल III कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन अनुसूची दिशानिर्देशों में दी गयी है. भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, बासल III को दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टियर-1 पूंजी, कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) एवं अतिरिक्त टियर-1 पूंजी (एटी 1) से बनी है.

बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2022 तक पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी I के 8.00% (2.50% पूंजी संरक्षण बफर सहित) न्यूनतम टियर I सीआरएआर के 9.50% तक बनाए रखना आवश्यक है.

वर्ष के दौरान, बैंक ने 21 मई, 2021 को अहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अंतर्गत 42,79,03,111 अतिरिक्त इक्विटी शेयर जारी किए हैं. तदनुसार, बैंक ने भारत सरकार की शेयरधारिता 31 मार्च, 2021 तक के 89.07% के तुलनात्मक घटकर 83.49% हो गई है. इसके साथ ही, बैंक ने ट्रांच में रु. 2,000 करोड़ के बासल III अनुपालक टियर-2 बॉन्ड तथा रु. 5,000 करोड़ के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड जारी किए हैं और रु. 2,000 करोड़ के बासल III अनुपालक टियर-2 बॉन्ड तथा रु. 3,400.00 करोड़ के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड के मोचन के लिए कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है.

ए) नियामक पूंजी का संगठन:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)/भुगतान किए गए शेयर तथा आरक्षित (कटौतियों के निवल, यदि कोई हो)	58,048.85	50,000.86
ii.	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी/अन्य टियर 1 पूंजी	8,539.83	7,089.64
iii.	टियर 1 पूंजी (i + ii)	66,588.68	57,090.50
iv.	टियर 2 पूंजी	12,692.32	12,172.01
v.	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	79,281.00	69,262.51
vi.	कुल जोखिम भारांक आस्तियां (आरडबल्यूए)	5,45,922.81	5,51,520.67

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
vii.	सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीई 1)/भुगतान किया गया शेयर पूंजी तथा आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में आरक्षित	10.63	9.07
viii.	टियर 1 अनुपात (आर डब्लू ए के प्रतिशत के रूप में टियर 1)	12.20	10.35
ix.	टियर 2 अनुपात (आर डब्लू ए के प्रतिशत के रूप में टियर 2)	2.32	2.21
x.	जोखिम भारांक आस्ति अनुपात को पूंजी (सीआरएआर) (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	14.52	12.56
xi.	लीवरेज अनुपात	5.17	4.82
xii.	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	ए) भारत सरकार	83.49	89.07
	बी) राज्य सरकार (नाम स्पष्ट करें)	--	--
	सी) प्रायोजक बैंक	--	--
xiii.	वर्ष के दौरान उगाही किए गए इक्विटी पूंजी में से भुगतान राशि	1,447.17	--
xiv.	वर्ष के दौरान उगाही की गई गैर-इक्विटी टियर-1 पूंजी की राशि, जिसमें से:		
	ए) बासल III अनुपालक जारी गैर-संचयी अधिमानित शेयर	--	--
	बी) बासल III अनुपालक जारी ऋण लिखतें	5,000.00	1,705.00
xv.	वर्ष के दौरान उगाही की गई टियर-पूंजी की राशि, जिसमें से		
	ए) जारी संचयी अधिमानित शेयर	--	--
	बी) विमोचन योग्य गैर-स्नाचाइ अधिमानित शेयर	--	--
	सी) बासल III अनुपालक प्रतिदेय गैर प्रवर्तनीय टियर II बॉण्ड	2,000.00	2,000.00

बी) आरक्षित से आहरण में कमी:

वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने धोखाधड़ियों के अमूर्त अंश से अन्य आरक्षित में रु. 119.87 करोड़ का आहरण किया है.

2. आस्ति देयता प्रबंधन

ए) आस्तियों तथा देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न

चाबू वर्ष 2021-22

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन -2 महीने	>2-3 महीने	>3-6 महीने	>6 महीने -1 वर्ष	>1-3 वर्ष	>3-5 वर्ष	>5 वर्ष	कुल
जमा राशि	12,750.62	22,568.14	15,505.37	24,224.17	31,592.76	34,111.25	77,995.40	1,47,057.37	1,20,848.10	86,172.71	4,59,566.76	1032392.63
अग्रिम	6,038.86	11,250.55	9,483.94	21,912.53	4,709.33	17,723.78	34,326.71	62,738.47	2,98,295.75	71,329.79	1,23,194.95	661004.66
निवेश	1,44,407.71	18,199.02	1,748.39	5,135.88	1,441.91	22,859.62	26,503.85	25,831.24	13,504.34	20,494.70	68,380.73	348507.39
उधार	803.30	778.30	602.84	1,132.91	831.74	1,104.87	1,713.57	5,643.17	19,676.78	3,676.24	15,215.38	51179.10
विदेशी मुद्रा की आस्तियां	4,900.56	2,797.74	2,961.84	2,339.01	3,635.01	5,975.17	4,771.74	5,434.65	10,170.15	7,449.49	27.23	50462.59
विदेशी मुद्रा की देयताएं	2,921.98	927.90	1,638.95	1,650.41	1,661.87	3,276.05	3,395.36	5,638.17	6,322.48	6,492.50	265.12	34190.79

विगत वर्ष 2020-21

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन -2 महीने	>2-3 महीने	>3-6 महीने	>6 महीने -1 वर्ष	>1-3 वर्ष	>3-5 वर्ष	>5 वर्ष	कुल
जमा राशि	11,694.42	18,607.02	13,760.66	23,523.19	37,021.49	31,306.22	68,591.32	1,07,186.17	1,08,382.66	73,551.34	4,30,180.85	9,23,805.34
अग्रिम	7,173.12	11,484.58	6,734.08	16,592.79	6,417.73	18,817.87	26,682.54	48,794.25	2,77,422.49	68,391.66	1,02,471.75	5,90,982.88
निवेश	1,00,670.43	11,906.20	1,008.94	2,560.90	1,178.82	3,305.04	18,365.60	18,003.07	36,339.39	26,551.54	1,11,621.87	3,31,511.79
उधार	802.64	636.06	-	1,146.47	1,932.10	868.80	10,393.24	1,283.94	18,242.36	2,176.49	14,355.00	51,837.11
विदेशी मुद्रा की आस्तियां	3,540.66	1,084.56	560.53	2,674.13	2,100.73	1,704.15	2,690.29	9,436.09	9,264.62	5,197.94	3,034.17	41,287.87
विदेशी मुद्रा की देयताएं	2,193.50	748.75	85.33	1,707.52	2,406.03	1,013.28	10,709.85	5,877.58	3,320.28	3,688.13	785.01	32,535.26

बी) तरलता कवरेज अनुपात

एलसीआर का उद्देश्य बैंक द्वारा पर्याप्त स्तर की भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का रखरखाव सुनिश्चित करना है, ताकि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गम्भीर तरलता दबाव के अन्तर्गत उसे अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 कैलेंडर दिवस के अंदर नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

एलसीआर का अनुपात एचक्यूएलए का शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह है।

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{एचक्यूएलए}}{30 \text{ दिनों में शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह}}$$

जहां शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह = अधिकतम (नकद बहिर्प्रवाह-नकद अंतर्वाह), नकद बहिर्प्रवाह का 25%

एलसीआर के लिए न्यूनतम आवश्यकता आरबीआई द्वारा कैलेंडर वर्ष 2019 से 100% निर्धारित की गयी है। एलसीआर बैंक के घरेलू एवं विदेशी परिचालनों में लागू है।

उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए):

तरल आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां होती हैं, जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा लगातार दबाव के समय सम्पार्श्विक के रूप में निधियों को प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें भार रहित अर्थात् विधिक, नियामक अथवा परिचालनात्मक अवरोधों के बिना होना चाहिए। ऐसी आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां होती हैं, जो बिना किसी अवरोध के एवं कम अथवा बिना किसी मूल्य हानि के सरलता से एवं तत्काल नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं। एचक्यूएलए की दो श्रेणियां ए) स्तर-1 आस्तियां, एवं बी) स्तर- 2 आस्तियां होती हैं। स्तर-2 आस्तियों को तरलता एवं मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर पुनः दो भाग स्तर 2ए आस्तियों एवं स्तर 2बी आस्तियों में विभाजित किया जाता है।

स्तर 1 बिना किसी मार्जिन के एचक्यूएलए में शामिल स्टॉक आस्तियां हैं। स्तर 1 आस्तियों में मुख्य रूप से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का आधिक्य सहित नकदी, एसएलआर (सांविधिक चलनिधि अनुपात) का आधिक्य, सीमांत स्टैंडिंग सुविधा (दिनांक 01 जनवरी, 2022 से प्रभावी निवल मांग एवं मियादी देयताएं का 2%) एवं एफएलएलसीआर (निवल मांग एवं मियादी देयताएं का 15%) शामिल है।

स्तर 2 ए आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 15% नकद कटौती की गई है। स्तर 2ए आस्तियों में मुख्य रूप से 20% जोखिम भारत के साथ प्रतिभूतियां शामिल हैं। स्तर 2 बी आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 50% नकद कटौती की गई है। स्तर 2 बी आस्तियां एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्तर 2बी आस्तियां जिनका जोखिम भार मुख्य रूप से 20% से अधिक, परन्तु 50% से अधिक नहीं है जोखिम भार वाली प्रतिभूतियां होती हैं।

शुद्ध नकदी प्रवाह

कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह में से कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह को घटाने पर कुल शुद्ध नकदी प्रवाह परिभाषित होता है। नकद प्रवाह सुनिश्चित करने के क्रम में, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपनी जमा पूंजी को ग्राहकों के विभिन्न संवर्गों में जैसे रिटेल (जिसमें आम जन से जमा लेना शामिल है), लघु कारोबार ग्राहकों (जिनका सकल निधियन रु. 7.5 करोड़ है) एवं गैर वित्तीय ग्राहकों (एनएफसी) से जमा तथा अन्य विधिक अस्तित्व वाले ग्राहकों (ओएलई) को पृथक करता है। कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह के 75% तक की समग्र कैप तक, अपेक्षित प्रवाह के दर से संविदात्मक प्राप्तियों के विभिन्न श्रेणियों के बकाया राशियों को गुणा कर कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह का आकलन किया जाता है।

बैंक के एलसीआर के बारे में संक्षिप्त जानकारी

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्ति पर तीन महीने के दौरान बैंक ने औसत एचक्यूएलए रु. 2,80,230 करोड़ को बनाए रखा है। बैंक के लिए स्तर 1 आस्तियां एचक्यूएलए की मुख्य संचालक हैं। इनमें एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 96% योगदान है। दिनांक 31 मार्च, 2022 की समाप्त तिमाही के दैनिक औसत के आधार पर, एचक्यूएलए का अधिकतम भाग अर्थात् कुल एचक्यूएलए का लगभग 52% चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता की सुविधा उपलब्ध है, स्तर 2 आस्तियां जो, स्तर 1 की तुलना में गुणवत्ता में कम है, उनमें 40% की अधिकतम स्वीकार्य / अनुमत स्तर के सापेक्ष एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 4% है।

बैंक का एक्सपोजर मुख्यतः भारतीय रूप में है। कुल निधियन स्रोतों का बड़ा भाग असुरक्षित सम्पूर्ण निधियन से बना है। रिटेल जमा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा, कुल भारत नकदी बहिर्प्रवाह का क्रमशः लगभग 22% और 5% है। कुल भारत नकदी बहिर्प्रवाह का लगभग 38% गैर वित्तीय कॉर्पोरेट से जमा है। बैंक के ग्राहकों की ओर से जमा की गई राशि में मूलतः बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी बैंक गारंटी (बीजी) एवं साख पत्र (एलसी) शामिल है। कुल भारत नकद अंतर्प्रवाह में लगभग 75% विभिन्न प्रतिपक्षकारों के अंतर्प्रवाह का योगदान है।

बैंक ने मार्च, 2022 तिमाही के सभी कार्य दिवसों के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना की है। 67 डाटा पॉइंट्स के दैनिक अवलोकन के औसत की गणना की गई है। दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए 184.89% औसत एलसीआर के सापेक्ष 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए 175.38% है तथा कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 100% वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान औसत एलसीआर का संचलन:

तिमाही	जून 2021	सितंबर 2021	दिसंबर 2021	मार्च 2022	वित्त वर्ष 2021-22
एलसीआर अनुपात:	168.64	174.79	184.89	175.38	175.79

मात्रात्मक प्रकटीकरण (तिमाही वार)

(₹ करोड़ में)

	मार्च 2021 तिमाही		जून 2021 तिमाही		सितंबर 2021 तिमाही		दिसंबर 2021 तिमाही		मार्च 2022 तिमाही	
	कुल मूल्य (औसत)	कुल भारति मूल्य (औसत)	कुल अभारति मूल्य (औसत)	कुल भारति मूल्य (औसत)	कुल अभारति मूल्य (औसत)	कुल भारति मूल्य (औसत)	कुल अभारति मूल्य (औसत)	कुल भारति मूल्य (औसत)	कुल अभारति मूल्य (औसत)	कुल भारति मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां										
1 कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचयूपएलए)	2,64,062.48	2,60,800.07	2,75,196.22	2,71,883.86	2,65,905.75	2,62,849.21	2,80,876.87	2,78,152.33	2,80,230.24	2,77,655.44
नकदी बहिर्प्रवाह										
2 खुदरा जमा राशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमा राशियां, जिसमें से:										
(i) स्थिर जमा राशियां	2,81,301.96	14,065.10	2,81,890.54	14,094.53	2,82,346.59	14,117.33	2,82,787.93	14,139.40	2,86,287.44	14,314.37
(ii) घटाई गई स्थिर जमा राशियां	3,04,645.36	30,464.54	3,12,735.36	31,273.54	3,16,701.48	31,670.15	3,21,507.81	32,150.78	3,28,047.54	32,804.75
3 बेजमानती शोक निधियां, जिसमें से:	1,80,334.04	89,557.36	2,04,357.24	1,01,394.39	1,91,527.79	96,086.03	1,96,801.51	99,535.59	2,00,598.22	1,01,620.62
(i) परिवालानात्मक जमा राशियां (सभी काऊंटर पार्टियां)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) रैर-परिवालानात्मक जमा राशियां (सभी काऊंटर पार्टियां)	1,80,334.04	89,557.36	2,04,357.24	1,01,394.39	1,91,527.79	96,086.03	1,96,801.51	99,535.59	2,00,598.22	1,01,620.62
(iii) बेजमानती ऋण										
4 जमानती शोक निधियां	328.26	-	193.83	0.50	72.81	0.95	711.59	-	422.26	7.72
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	1,47,079.47	18,817.13	1,71,242.05	24,952.04	1,34,084.61	19,434.41	1,19,680.83	17,766.57	1,32,737.42	21,653.42
(i) ड्रेविटिव एक्सपोजर एवं अन्य सम्पार्थिक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	3.26	3.26	4.29	4.29	1.29	1.29	3.96	3.96	27.26	27.26
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह										
(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	1,47,076.22	18,813.87	1,71,237.76	24,947.75	1,34,083.32	19,433.12	1,19,676.87	17,762.61	1,32,710.16	21,626.16
6 अन्य संविदात्मक निधि बाध्याता	2,403.02	2,403.02	2,811.65	2,811.65	2,902.89	2,902.89	3,309.78	3,309.78	3,201.84	3,201.84
7 अन्य आकास्मिक निधि बाध्याता	70,781.69	2,123.52	68,839.14	2,065.72	89,814.09	2,694.72	89,807.54	2,694.65	90,030.40	2,700.94
8 कुल नकदी बहिर्प्रवाह	9,86,874.20	1,57,431.05	10,42,096.85	1,76,619.41	10,17,476.69	1,66,932.92	10,14,634.53	1,69,624.32	10,41,325.12	1,76,303.66
नकदी अंतर्प्रवाह										
9 जमानती अधिम (उद्वहणार्थ रिवर्स शेरो)	22,092.64	0.00	23,562.42	0.00	19,302.56	-	32,741.96	-	36,175.58	0.02
10 पूर्ण निष्पादनीय एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	2,837.61	2,837.61	4,388.82	4,388.82	17,405.96	12,274.18	19,553.39	14,539.73	18,458.03	13,489.62
11 अन्य नकद अंतर्प्रवाह	14,986.30	10,513.76	15,775.61	11,006.78	4,278.02	4,278.02	4,644.91	4,644.91	4,499.09	4,499.09
12 कुल नकद अंतर्प्रवाह	39,916.56	13,351.37	43,726.85	15,395.60	40,986.54	16,552.21	56,940.26	19,184.64	59,132.70	17,988.73
13 कुल एचयूपएलए		2,60,800.07		2,71,883.86		2,62,849.21		2,78,152.33		2,77,655.44
14 कुल शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह		1,44,079.68		1,61,223.81		1,50,380.71		1,50,439.67		1,58,314.93
15 तरलता कवरेज अनुपात (%)		181.01%		168.64%		174.79%		184.89%		175.38%

सी) निवल स्थिर निधियन अनुपात

i) गुणानात्मक प्रकटीकरण:

निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) का उद्देश्य बैंक की तरलता जोखिम प्रोफाइल की प्रतिरोध क्षमता को प्रोत्साहित करना तथा लंबे समय के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिरोध क्षमता को और अधिक संवर्धित करना है। एनएसएफआर के अनुसार बैंकों को उनके तुलन पत्रेत्तर गतिविधियों के संगठन संबंधी पूंजी तथा आस्तियों के रूप में स्थिर निधियन प्रोफाइल को बनाए रखने की आवश्यकता है।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधियन की राशि से संबंधित उपलब्ध स्थिर निधियन की राशि के रूप में उल्लिखित किया गया है।

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधियन (एसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधियन (आरएसएफ)}}$$

भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2018 में लगभग 100% के बराबर न्यूनतम आवश्यकता के साथ निवल स्थिर निधियन अनुपात के कार्यान्वयन पर विनियमों को जारी किया। यह कार्यान्वयन 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। एनएसएफआर बैंक के देशी परिचालनों के साथ ही विदेशी परिचालनों में भी लागू है तथा स्टैंडअलोन तथा समेकित स्तर पर गणनीय है।

उपलब्ध स्थिर निधियन (एसएफ) को विश्वास करने योग्य पूंजी तथा देयताओं के अंश के रूप में वर्णित किया जाता है जो 100 भारांक प्राप्त करने वाले 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाले देयताओं सहित उनके प्रकार तथा देयताओं की परिपक्वता के अनुसार विविध कारक के भारांकों द्वारा वर्णित किया जाता है।

आवश्यक स्थिर निधियन (आरएसएफ) को तुलन पत्र तथा तुलन पत्रेत्तर के एक्सपोजरों के अंश के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसे नियमित आधार पर निधियन की आवश्यकता है। स्थिर निधियन आवश्यकता की राशि, धारित विविध आस्तियों की तरलता विशेषताओं तथा अवशिष्ट परिपक्वताओं का कार्य है।

बैंक के एनएसएफआर का संक्षिप्त परिचय

उपलब्ध स्थिर निधियन (एसएफ) के मुख्य घटक पूंजी आधार, रिटेल जमाराशि आधार तथा गैर-वित्तीय कंपनियों से निधियन तथा संस्थागत ग्राहकों से दीर्घ-अवधि निधियन है। संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात कुल उपलब्ध स्थिर निधियन का पूंजी आधार लगभग 9%, रिटेल जमा (लघु आकार के कारोबार ग्राहकों से जमाराशि सहित) 68% तथा थोक निधियन 21% हुआ है।

आवश्यक स्थिर निधियन में प्रारम्भ में कॉर्पोरेट, रिटेल ग्राहकों तथा वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करने शामिल है, जिसमें संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात कुल आरएसएफ का 82% होता है। उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों के स्टॉक में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद और आरक्षित शेषराशि भी शामिल हैं। सरकारी ऋण जारी करने के पश्चात परिणामतः उनके उच्च गुण तथा तरल विशेषता के कारण शून्य या निम्न राशि की स्थिर निधियन को आकर्षित करती है। तदनुसार, संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात एचक्यूएलए में आवश्यक स्थिर निधियन का केवल 3% शामिल है। आवश्यक स्थिर निधियन में अन्य आस्तियों तथा आकस्मिक निधियन दायित्व जैसे समर्पित ऋण सुविधाएं, गारंटी तथा साख पत्र के 15% शामिल हैं।

बैंक ने आवश्यकता स्थिर निधियन के ₹ 61,51,200 एमआईओ के सापेक्ष समेकित स्तर के ₹ 90,67,645 एमआईओ के उपलब्ध स्थिर निधियन सहित संतोषजनक स्थिर निधियन बफर को बरकरार रखा है, जिसके परिणामतः 31 मार्च, 2022 तक समेकित एनएसएफआर 147.41% हुआ है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

मार्च, 2022 तक समेकित एनएसएफआर का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य				भारांकित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
	एएसएफ मद					
1	पूँजी: (2+3)	65,865.83	500.00	2,800.00	16,317.85	82,183.68
2	विनियामक पूँजी	65,865.83	0.00	0.00	862.85	66,728.68
3	अन्य पूँजी लिखतें	0.00	500.00	2800.00	15,455.00	15,455.00
4	छोटे कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमा तथा जमाराशि: (5+6)	3,06,015.13	1,23,377.43	1,12,229.03	1,18,948.30	6,15,904.72
5	स्थिर जमा	1,57,204.34	16,642.91	16,092.51	19,955.67	2,00,398.44
6	अल्प स्थिर जमा	1,48,810.80	1,06,734.52	96,136.52	98,992.63	4,15,506.28
7	थोक निधियन: (8+9)	71,238.13	1,52,239.14	1,04,620.69	45,879.68	1,88,062.72
8	परिचालनात्मक जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	71,238.13	1,52,239.14	1,04,620.69	45,879.68	1,88,062.72
10	अन्य देयताएं: (11+12)	38,317.01	6,967.54	4,843.17	20,613.39	20,613.39
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी	38,317.01	6,967.54	4,843.17	20,613.39	20,613.39
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					9,06,764.50
	आरएसएफ मद					
14	उच्च गुण तरल आस्ति के कुल एनएसएफआर (एचक्यूएलए)					15,873.09
15	परिचालनात्मक उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशि	39.04	0.00	0.00	0.00	19.52
16	निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)	2,238.58	1,71,639.17	36,535.76	5,58,433.59	5,05,993.64
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को असंरक्षित निष्पादित ऋण	0.00	97,166.19	1,253.47	24,561.57	28,446.79
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, रिटेल तथा छोटे कारोबार ग्राहकों को ऋण तथा सर्वोत्तम, केंद्रीय बैंकों एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से:	0.00	70,851.92	28,600.27	4,25,903.02	3,89,150.15
20	ऋण जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित	0.00	40,631.05	3,716.58	1,12,683.89	95,418.35
21	निष्पादित आवसीय बंधक, जिनमें से:	0.00	53.30	127.95	59,707.96	38,900.80
22	ऋण जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित	0.00	53.30	127.95	59,707.96	38,900.80

क्र. सं.	विवरण	परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य				भारांकित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
23	विनिमय-ट्रेडेड इक्विटियों सहित प्रतिभूतियां जो संदिग्ध नहीं हैं तथा एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	2,238.58	3,567.75	6,554.07	48,261.04	49,495.90
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 की पंक्ति तक योग)	78,600.04	11,828.54	0.00	1,996.47	87,378.54
25	स्वर्ण सहित भौतिक ट्रेडेड उत्पाद	0.00				0.00
26	व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राथमिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां तथा सीसीपी के संदिग्ध निधि को अंशदान		2,012.38	0.00	0.00	1,710.52
27	एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां		173.75	0.00	0.00	173.75
28	पोस्ट किए गए विविध मार्जिन की कटौती के पूर्व एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां		87.04	0.00	0.00	87.04
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी आस्तियां	78,600.04	9,555.37	0.00	1,996.47	85,407.22
30	तुलन पत्रेत्तर मदें		1,17,104.57	0.00	0.00	5,855.23
31	कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30)					6,15,120.01
32	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)					147.41%

दिसंबर, 2021 तक समेकित एनएसएफ़आर का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य				भारांकित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
	एसएफ़ मद					
1	पूंजी: (2+3)	62,753.57	2,000.00	2,800.00	14,786.49	77,540.06
2	विनियामक पूंजी	62,753.57	0.00	0.00	831.49	63,585.06
3	अन्य पूंजी लिखतें	0.00	2,000.00	2,800.00	13,955.00	13,955.00
4	छोटे कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमा तथा जमाराशि: (5+6)	2,91,263.39	1,18,467.55	1,09,715.66	1,11,179.33	5,87,966.14
5	स्थिर जमा	1,52,617.66	16,759.49	16,320.58	20,360.22	1,96,773.06
6	अल्प स्थिर जमा	1,38,645.73	1,01,708.06	93,395.08	90,819.10	3,91,193.08
7	थोक निधीयन: (8+9)	55,629.90	1,33,710.15	76,178.98	43,332.48	1,56,424.56
8	परिचालनात्मक जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधीयन	55,629.90	1,33,710.15	76,178.98	43,332.48	1,56,424.56
10	अन्य देयताएं: (11+12)	41,872.99	11,593.17	3,758.01	19,924.50	19,924.50
11	एनएसएफ़आर व्युत्पन्न देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी	41,872.99	11,593.17	3,758.01	19,924.50	19,924.50
13	कुल एसएफ़ (1+4+7+10)					8,41,855.26
	आरएसएफ़ मद					
14	उच्च गुण तरल आस्ति के कुल एनएसएफ़आर (एचक्यूएलए)					15,136.56
15	परिचालनात्मक उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशि	81.40	0.00	0.00	0.00	40.70
16	निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)	2,687.83	1,16,059.57	35,082.95	5,27,706.01	4,77,359.37

क्र. सं.	विवरण	परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य				भारांकित मूल्य
		कोई परपिकवता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को असंरक्षित निष्पादित ऋण	0.00	55,981.66	2,680.71	18,102.89	23,076.16
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, रिटेल तथा छोटे कारोबार ग्राहकों को ऋण तथा सर्वोत्तम, केंद्रीय बैंकों एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से:	0.00	57,154.35	27,380.93	3,81,801.94	3,52,760.45
20	ऋण जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित	0.00	26,427.64	1,452.57	69,858.67	59,348.24
21	निष्पादित आवसीय बंधक, जिनमें से:	0.00	444.73	38.28	76,338.52	49,861.54
22	ऋण जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित	0.00	444.73	38.28	76,338.52	49,861.54
23	ऐसी प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप में नहीं हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं।	2,687.83	2,478.84	4,983.02	51,462.66	51,661.21
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 की पंक्ति तक योग)	81,378.60	15,406.78	0.00	2,294.83	92,250.30
25	स्वर्ण सहित भौतिक ट्रेडेड उत्पाद	0.00				0.00
26	व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राथमिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां तथा सीसीपी के सदिग्ध निधि को अंशदान		1,849.64	0.00	0.00	1,572.19
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां		214.76	0.00	0.00	214.76
28	पोस्ट किए गए विविध मार्जिन की कटौती के पूर्व एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां		132.32	0.00	0.00	132.32
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी आस्तियां	81,378.60	13,210.06	0.00	2,294.83	90,331.03
30	तुलन पत्रेत्तर मर्दे		2,22,048.26	93.78	0.00	9,301.27
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					5,94,088.20
32	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)					141.71%

3. निवेश

ए) निवेश संविभाग का संगठन

यथा 31.03.2022

	भारत में निवेश										भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शेअर	डिबेंचर एव बॉन्ड	सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्म	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्म	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश				
परिपक्वता तक धारित															
सकल	1,99,238.04	-	59.71	56,762.49	343.61	346.90	2,56,750.75	--	1,148.71	0.40	1,149.11	2,57,899.86			
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	-	-	-	(80.00)	(5.00)	-	(85.00)	--	(1.43)	-	(1.43)	(86.43)			
निवल	1,99,238.04	-	59.71	56,682.49	338.61	346.90	2,56,665.75	--	1,147.28	0.40	1,147.68	2,57,813.43			
बिक्री के लिए उपलब्ध															
सकल	65,341.29	-	5,085.76	14,182.17	-	10,908.61	95,517.83	1640.39	-	45.62	1,686.01	97,203.84			
घटाएं: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	(2,840.17)	(1,481.55)	-	(1,742.43)	(6,064.15)	(30.20)	-	-	(30.20)	(6,094.35)			
निवल	65,341.29	-	2,245.59	12,700.62	-	9,166.18	89,453.68	1610.19	-	45.62	1,655.81	91,109.49			
ट्रेडिंग के लिए धारित															
सकल	(415.53)	-	-	-	-	-	(415.53)	--	-	-	-	(415.53)			
घटाएं: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	0.00	--	-	-	-	-			
निवल	(415.53)	-	-	-	-	-	(415.53)	--	-	-	-	(415.53)			
कुल निवेश	2,64,163.80	-	5,145.47	70,944.66	343.61	11,255.51	3,51,853.04	1,640.39	1,148.71	46.02	2,835.12	3,54,688.16			
घटाएं: एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	-	(80.00)	(5.00)	-	(85.00)	-	(1.43)	-	(1.43)	(86.43)			
घटाएं: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	(2,840.17)	(1,481.55)	-	(1,742.43)	(6,064.15)	(30.20)	-	-	(30.20)	(6,094.35)			
निवल	2,64,163.80	0.00	2,305.30	69,383.11	338.61	9,513.08	3,45,703.90	1610.19	1,147.28	46.02	2,803.49	3,48,507.39			

नोट :

- सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उद्यम (भारत में & भारत के बाहर) में दर्शाया गया प्रावधान मानक एमटीएम पर निर्धारित है और न कि एनपीआई पर.
- गैर-कार्यनिष्पादन निवेशों हेतु प्रावधान में केवल परिपक्वता तक धारित संवर्ग शामिल है.
- मूल्यहास और एनपीआई के प्रावधान में बिक्री के लिए उपलब्ध एवं ट्रेडिंग संवर्ग के लिए धारित शामिल है.
- इंडिया फ़र्स्ट लाइफ़ इन्श्योरेंस में 21% की हिस्सेदारी को बेचने के पश्चात हमारी धारिता घटकर 9% पर आ गयी है. अतः इसे सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम (एचटीएम) के स्थान पर इक्विटि प्राइवेट (एचटीएम) में वर्गीकृत किया गया है. आगे, एचटीएम से एएफएस संवर्ग में अंतरण हेतु आरबीआई से अनुमति मांगी गयी है.

यथा 31.03.2021

(₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश					भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश		
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शेअर	डिबेंचर एव बॉन्ड	सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्म	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थायीय प्राधिकरण सहित)	सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्म		अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश
परिपक्वता धारित												
सकल	1,90,986.93	-	-	58,926.19	542.65	231.72	2,50,687.49	--	1,148.71	0.40	1,149.11	2,51,836.60
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	-	-	-	(30.00)	(5.00)	-	(35.00)	--	(1.39)	-	(1.39)	(36.39)
निवल	1,90,986.93	-	-	58,896.19	537.65	231.72	2,50,652.49	--	1,147.32	0.40	1,147.72	2,51,800.21
विक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	49,202.14	-	5,103.61	16,927.41	-	12,953.94	84,187.10	1,483.13	-	73.53	1,556.67	85,743.77
घटाएं: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	(44.16)	-	(3,087.40)	(1,467.95)	-	(1,590.96)	(6,190.47)	(0.55)	-	-	(0.55)	(6,191.02)
निवल	49,157.98	-	2,016.21	15,459.46	-	11,362.98	77,996.63	1,482.58	-	73.53	1,556.12	79,552.75
ट्रेडिंग के लिए धारित												
सकल	108.84	-	-	50.00	-	-	158.84	-	-	-	-	158.84
घटाएं: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	-	(0.01)	-	-	(0.01)	-	-	-	0.00	0.01
निवल	108.84	-	-	49.99	-	-	158.83	-	-	-	-	158.83
कुल निवेश	2,40,297.91	-	5,103.61	75,903.60	542.65	13,185.66	3,35,033.44	1,483.13	1,148.71	73.93	2,705.78	3,37,739.22
घटाएं: एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	-	(30.00)	(5.00)	-	(35.00)	-	(1.39)	-	(1.39)	(36.39)
घटाएं: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	(44.16)	-	(3,087.40)	(1,467.96)	-	(1,590.96)	(6,190.48)	(0.55)	-	-	(0.55)	(6,191.03)
निवल	2,40,253.75	0.00	2,016.21	74,405.64	537.65	11,594.70	3,28,807.96	1482.58	1,147.32	73.93	2,703.84	3,31,511.80

नोट :

1. सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उद्यम (भारत में & भारत के बाहर) में दर्शाया गया प्रावधान मानक एमटीएम पर निर्धारित है और न कि एनपीआई पर.
2. गैर-कार्यनिष्पादन निवेशों हेतु प्रावधान में केवल परिपक्वता तक धारित संवर्ग शामिल है.
3. मूल्यहास और एनपीआई के प्रावधान में विक्री के लिए उपलब्ध एवं ट्रेडिंग संवर्ग के लिए धारित शामिल है.

बी) मूल्यहास तथा निवेश अस्थिर आरक्षित के लिए प्रावधानों का विचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2021-22	2020-21
i)	निवेशों पर मूल्यहास के धारित प्रावधान का विचलन		
	ए) प्रारम्भिक शेषराशि	6,227.42	6,316.07
	बी) योग: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	631.98	762.72
	सी) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बड़े खाते डालना	678.07	851.37
	डी) अंतिम शेषराशि	6,181.33	6,227.42
ii)	निवेश अस्थिर आरक्षित का विचलन		
	ए) प्रारम्भिक शेषराशि	1,279.29	0.00
	बी) योग: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	656.87	1,279.29
	सी) घटाएं: आहरण द्वारा कमी	0.00	0.00
	डी) शेषराशि	1,936.16	1,279.29
iii)	एएफएस तथा एएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेशों की अंतिम शेषराशि के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेषराशि	2.00	1.64

सी) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री व अंतरण

बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक के बही मूल्य के निवेश का एचटीएम श्रेणी से विक्रय एवं उसमें अंतरण किया है. उपर्युक्त से 5% प्रारंभिक सीमा अलग होगी:

- प्रतिभूतियों के एकबारगी हस्तांतरण को / एचटीएम श्रेणी से निदेशक मण्डल के अनुमोदन से लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंकों के द्वारा किए जाने की अनुमति है.
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसएलआर आवश्यकताओं में अधोगामी संशोधन के तदनुसार एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कम करने के लिए एचटीएम से प्रत्यक्ष विक्रय.
- भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन परिचालनों जैसे खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) तथा सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को विक्रय.
- भारत सरकार द्वारा वापस खरीदने/परिचालन अंतरण के अंतर्गत बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों को पुनः खरीदना.
- बायबैक/स्विच परिचालन के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों को पुनः खरीदना.
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त अंतरण.

डी) गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

- गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
ए)	आरंभिक शेष	4,811.06	4,637.92
बी)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि	566.54	932.60
सी)	उपरोक्त अवधि के दौरान कमी	945.91	759.46
डी)	अंतिम शेष	4,431.69	4,811.06
ई)	कुल धारित प्रावधान	4,036.84	4,091.41

ii) गैर- एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संमिश्र

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों में निवेशों के जारीकर्ता संमिश्र निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी आबंटन की मात्रा		निवेश स्तर से नीचे प्रतिभूतियों की मात्रा		गैर- निर्धारित प्रतिभूतियों की मात्रा		गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की मात्रा	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
ए)	पीएसयू	4,071.94	5,611.24	1,170.10	1,135.01		-	3,197.29	3,392.83	22.83	22.83
बी)	वित्तीय संस्थाएं	2,695.24	5,283.22	595.68	214.36		-		-		-
सी)	बैंक	2,057.83	1,938.63	1,850.15	598.43		-		-		-
डी)	निजी कॉर्पोरेट	29,301.27	29,878.49	24,005.23	19,378.01	456.28	944.62	413.54	216.39	138.94	33.75
ई)	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम	1,492.32	1,691.36	1,492.32	1,691.36						
एफ)	अन्य	50,905.77	53,038.37	47,310.71	47,277.50		-		-		-
जी)	मूल्यहास हेतु किया गया प्रावधान	(6,150.58)	(6,182.71)								
	कुल	84,373.79	91,258.60	76,424.19	70,294.67	456.28	944.62	3610.83	3609.22	161.77	56.58

ई) रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के अनुसार)

इंगित अवधि के लिए निर्धारित निम्नलिखित सारणी, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) व सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) में संव्यवहार सहित क्रमशः रेपो व रिवर्स रेपो संव्यवहार के तहत खरीदे एवं बेचे गए प्रतिभूतियों के विवरण दिए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा दिनांक 31.03.2022 तक बकाया
i)	रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
	ए) सरकारी प्रतिभूतियां	14,387.54	15,973.43	14,893.63	15,365.43
	बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--
	सी) अन्य कोई प्रतिभूतियां	0.00	10.33	8.15	10.33
ii)	रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां				
	ए) सरकारी प्रतिभूतियां	1,010.00	59,931.00	27,275.09	52,245.60
	बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--
	सी) अन्य कोई प्रतिभूतियां	--	--	--	--

एफ) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के प्रतिभूतियों के बिक्री पर ₹ 2,120.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,844.94 करोड़) के लाभ को शुरुआत में लाभ तथा हानि खाते में लिया गया।

जी) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के संबंध में, वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत के अतिदेय ₹ 719.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 703.10 करोड़) हुआ है।

एच) शेयर परिवर्तनीय डिबेंचर तथा म्यूचुअल फंड/वेंचर पूंजी फंड इक्विटी की इकाइयों और साथ ही अग्रिमों में भी किए गए कुल निवेश के सापेक्ष शेयर का योग ₹ 2,523.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,387.17 करोड़) है।

4. आस्ति गुणवत्ता

ए) अग्रिमों तथा धारित प्रावधानों का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष 2021-22	मानक	गैर-निष्पादित			कुल	
	कुल मानक अग्रिमों	उप-मानक	संदिग्ध	हानि		कुल गैरनिष्पादित अग्रिमों
सकल मानक अग्रिम तथा एनपीए						
प्रारंभिक शेषराशि	5,63,896.13	13,489.56	50,540.50	25,758.14	89,788.20	6,53,684.33
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए जोड़					22,877.39	22,877.39
घटाएं: वर्ष के दौरान गिरावट*					33,078.53	33,078.53
अंतिम शेषराशि	6,36,820.81	11,040.55	49,449.47	19,097.04	79,587.07	7,16,407.87
*सकल एनपीए में गिरावट के कारण:					33,078.53	33,078.53
i) उन्नयन					7,742.82	7,742.82
ii) वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर)					5,851.28	5,851.28
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े-खाते डालना					18,025.70	18,025.70
iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत के अलावा अन्य को बड़े खाते डालना					1,458.73	1,458.73
प्रावधानों (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधान की प्रारंभिक शेषराशि	5,112.97	2,272.67	34,896.24	24,679.04	61,847.95	66,960.92
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					11,919.46	11,919.46
घटाएं: प्रवर्तन किया गया अतिरिक्त प्रावधान बड़े खाते डालना					19,110.88	19,110.88
धारित प्रावधान की अंतिम शेषराशि	6,566.77	2,377.63	33,650.81	18,628.10	54,656.53	61,223.30
विविध जमाराशि में रखी गई राशि प्राप्त ईसीजीसी दावे/वाद दायर खातों में वसूली/एनपीए खातों में पुनर्संचित छोड़ी गई राशि					627.24	627.24
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेषराशि		11,197.34	15,165.99	917.19	27,280.52	27,280.52
जोड़े: वर्ष के दौरान नए शामिल किए गए जोड़					10,986.46	10,986.46
घटाएं: वर्ष के दौरान घटाव					13,963.68	13,963.68
अंतिम शेषराशि		8,659.30	15,524.13	119.87	24,303.30	24,303.30
अस्थिर प्रावधान						
प्रारंभिक शेषराशि						306.20
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नवीन प्रावधान						--
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरण में गिरावट राशि						306.20
अस्थिर प्रावधानों की अंतिम शेषराशि						शून्य

वित्त वर्ष 2021-22	मानक	गैर-निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिमों	उप-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैरनिष्पादित अग्रिमों	
तकनीकी बट्टे-खाते डालना तथा उसमें की गई वसूलियाँ						
तकनीकी बट्टे-खाते डालने/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालने के खातों का प्रारंभिक शेषराशि						55,877.88
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डालना						17,611.07
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डाले गए खातों से की गई वसूलियाँ						4,808.52
अंतिम शेषराशि						68,680.43

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष 2020-21	मानक	गैर-निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिमों	उप-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैरनिष्पादित अग्रिमों	
सकल मानक अग्रिम तथा एनपीए						
प्रारंभिक शेष राशि	5,68,924.76	16,188.46	60,352.10	20,651.98	97,192.54	6,66,117.30
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए जोड़					17,442.68	17,442.68
घटाएं: वर्ष के दौरान गिरावट					24,847.02	24,847.02
अंतिम शेष राशि	5,63,896.13	13,489.56	50,540.50	25,758.14	89,788.20	6,53,684.33
*सकल एनपीए में गिरावट के कारण:					24,847.02	24,847.02
i) उन्नयन					2,674.49	2,674.49
ii) वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर)					5,189.88	5,189.88
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालना					14,746.88	14,746.88
iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत के अलावा अन्य को बट्टे खाते डालना					2,235.77	2,235.77
प्रावधानों (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधान की प्रारंभिक शेष राशि					65,229.57	65,229.57
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					13,912.19	13,912.19
घटाएं: प्रवर्तन किया गया अतिरिक्त प्रावधान बट्टे खाते डालना					17,293.81	17,293.81
धारित प्रावधान की अंतिम शेष राशि	5,112.97	2,272.67	34,896.24	24,679.04	61,847.95	66,960.92

वित्त वर्ष 2020-21	मानक		गैर-निष्पादित			कुल
	कुल मानक अग्रिमों	उप-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैरनिष्पादित अग्रिमों	
विविध जमा राशि में रखी गई राशि प्राप्त ईसीजीसी दावे/वाद दायर खातों में वसूली/एनपीए खातों में पुनर्संचित छोड़ी गई राशि					659.73	659.73
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष राशि					31,324.63	31,324.63
जोड़े: वर्ष के दौरान नए शामिल किए गए जोड़					14,406.62	14,406.62
घटाएं: वर्ष के दौरान घटाव					18,450.73	18,450.73
अंतिम शेष राशि		11,197.34	15,165.99	917.19	27,280.52	27,280.52
अस्थिर प्रावधान						
प्रारंभिक शेष राशि						306.20
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नवीन प्रावधान						--
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरण में गिरावट राशि						--
अस्थिर प्रावधानों की अंतिम शेष राशि						306.20
तकनीकी बट्टे-खाते डालना तथा उसमें की गई वसूलियाँ						
तकनीकी बट्टे-खाते डालने/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालने के खातों का प्रारंभिक शेष राशि						46,139.52
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डालना						14,746.88
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डाले गए खातों से की गई वसूलियाँ						5,008.52
अंतिम शेष राशि						55,877.88
अनुपात (प्रतिशत में)						
सकल एनपीए से सकल अग्रिमों					2021-22	2020-21
					11.11	13.74
सकल एनपीए से सकल अग्रिमों					3.68	4.62
प्रावधान कवरेज अनुपात					83.61	81.27

नोट: भारतीय रिजर्व बैंक के अधिसूचना भारिबैं/2021-22/28 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 के अनुसार बैंकों को उनके संबंधित बोर्ड से अनुमोदन के पश्चात एनपीए के लिए विशेष प्रावधानों को करने के लिए उनके द्वारा 31 दिसंबर, 2020 तक धारित अस्थिर प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर के 100% का उपयोग करने की अनुमति है. बैंकों ने अपने निदेशक मण्डल से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किया है तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही/वर्ष के दौरान विशेष एनपीए प्रावधान को करने के लिए ₹ 306.20 करोड़ की राशि के अस्थिर प्रावधान का उपयोग किया है.

बी) क्षेत्र-वार अग्रिम एवं सकल एनपीए

(₹ करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	2021-22			2020-21		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %
i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
ए)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	1,24,395.26	13,543.61	10.89	116,944.15	14,379.97	12.30
बी)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र क्षेत्र के उद्योग को ऋण	39,765.31	8,167.11	20.54	42,785.42	10,124.17	23.66
सी)	सेवाएं	75,149.63	13,349.25	17.76	79,639.65	14,899.51	18.71
डी)	वैयक्तिक ऋण	39,275.53	2,098.46	5.34	40,258.40	2,389.44	5.94
	उप-योग (i)	2,78,585.73	37,158.43	13.34	2,79,627.62	41,793.09	14.95
ii)	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
ए)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	8,696.56	1,863.22	21.42	3193.75	126.81	3.97
बी)	उद्योग	1,43,378.04	20,574.40	14.35	1,26,763.50	26,357.31	20.79
सी)	सेवाएं	1,65,324.21	13,950.23	8.44	1,14,066.55	13,757.81	12.06
डी)	वैयक्तिक ऋण	1,20,423.35	6,040.79	5.02	1,30,032.91	7,753.18	5.96
	उप-योग (ii)	4,37,822.16	4,24,28.64	9.69	3,74,056.71	47,995.11	12.83
	कुल (i+ii)	7,16,407.88	79,587.07	11.11	6,53,684.33	89,788.20	13.74

उद्यमों के विवरण, जिसमें उप-क्षेत्र अग्रिम उद्योग क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 10% से अधिक है:

क्र. सं.	उद्यम	वित्त वर्ष 2021-22			वित्त वर्ष 2020-21		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %
i	मूल मेटल एवं मेटल उत्पाद	16,014	4,557	28.46	23,567	3,376	14.33
ii	निर्माण	40,734	8,898	21.84	49,592	8,415	16.97
iii	फूड विनिर्माण एवं प्रोसेसिंग	18,758	5,101	27.19	20,479	4,439	21.68

सी) समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
कुल आस्तियां	26,418.31	23,148.91
कुल एनपीए	2,265.25	2,545.74
कुल राजस्व	426.24	564.94

- डी) (i) आरबीआई परिपत्र क्र. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/31.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के तहत संकल्प योजना एवं पुर्ननिर्माण का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या	निवेश मूल्य	धारित प्रावधान
आरबीआई जून, 2019 परिपत्र के आधार पर ऋण का इक्विटी में परिवर्तन	4	36.31	30.01

- (ii) पुनर्गठन के अधीन खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां		कॉर्पोरेट (एमएसएमई को छोड़कर)		सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी (एमएसएमई)		खुदरा (कृषि एवं एमएसएमई को छोड़कर)		कुल		
	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-21	मार्च-22	
मानक	उधारकर्ताओं की संख्या	455	6,683	11	32	1,25,209	1,05,979	31,416	70,032	1,57,091	1,82,926
	सकल राशि	20.00	332.44	2,346.09	9,246.36	4,971.50	5,707.11	3,824.40	9,533.55	11,161.98	24,819.45
	धारित प्रावधान	0.52	32.64	148.98	673.44	186.68	435.10	317.83	949.69	654.01	2,090.87
उपमानक	उधारकर्ताओं की संख्या	70	579	0.00	2	16,383	34,772	532	3,088	16,985	38,441
	सकल राशि	4.92	14.45	0.00	72.94	799.37	1,008.81	129.27	298.33	933.56	1,394.52
	धारित प्रावधान	0.75	2.24	0.00	13.15	120.98	160.32	19.60	46.61	141.33	222.32
संदिग्ध	उधारकर्ताओं की संख्या	1368	1224	87	67	8,784	21,852	863	1,202	11,102	24,345
	सकल राशि	220.96	207.61	11,300.20	10,144.05	1,653.15	2,032.77	30.02	153.34	13,204.34	12,537.77
	धारित प्रावधान	190.63	172.95	10,847.35	8,817.41	1,208.40	1,349.91	20.87	88.94	12,267.25	10,429.20
हानि	उधारकर्ताओं की संख्या	27	54	66	59	241	2,144	158	1,814	492	4,071
	सकल राशि	99.11	171.34	5,966.81	6,972.99	452	564.96	8.38	89.14	6,526.29	7,798.43
	धारित प्रावधान	99.11	171.31	5,676.18	6,968.74	451.36	567.01	7.73	89.00	6,234.38	7,796.06
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	1920	8740	164	160	1,50,617	1,64,747	32,969	76,136	1,85,670	2,49,783
	सकल राशि	344.99	725.83	19,613.10	26,436.34	7,876.02	9,313.65	3,992.07	10,074.36	31,826.18	46,550.18
	धारित प्रावधान	291.01	379.13	16,672.51	16,472.75	1,967.42	2,512.33	366.03	1,174.23	19,296.97	20,538.45

आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानिकरण में विचलन

- ई) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.32/21.04.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के क्रम में बैंक को विचलन का प्रकटीकरण करना चाहिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी कार्यक्रम के कारण जोखिम एवं पूंजी के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप होता है, जहां निम्नांकित में से दोनों या कोई एक शर्त के पूरा होने पर:

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकित किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण वरीयता अवधि के लिए प्रावधानों एवं आकस्मिकताएं से पहले रिपोर्ट किए गए से 10 प्रतिशत अधिक हैं, और;
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित अतिरिक्त सकल एनपीए वरीयता अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए से 15 प्रतिशत अधिक हैं.

चूंकि विचलन निर्दिष्ट प्रारम्भिक सीमा के अंतर्गत हैं, इसलिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षित है.

एफ) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण:

- i) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने किसी भी ऋण को संदिग्ध में अंतरित नहीं किया है।
- ii) समनुदेशन के माध्यम से प्राप्त उन ऋणों के विवरण जिन्हें संदिग्ध में शामिल नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
अर्जित ऋणों की कुल राशि	1,962.42	--
अवशिष्ट परिपक्ता का कुल भारांक (माह में)	144.00	--
प्रवर्तक द्वारा धारित अवधि का कुल भारांक (माह में)	20.42	--
प्रवर्तक द्वारा लगभग आर्थिक ब्याज का प्रतिधारण	10.00%	--
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	273.96%	--

प्राप्त ऋणों को निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए है।

- iii) बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोई भी अनर्जक आस्ति प्राप्त नहीं की है।
- iv) अंतरित किए गए अनर्जक ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं:

वित्त वर्ष 2021-22

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	एआरसी को	अनुमत अंतरिती को	अन्य अंतरिती को (कृपया स्पष्ट करें)
खातों की संख्या	8	शून्य	शून्य
अंतरित किए गए ऋणों के कुल बकाया मूलधन	1,181.38		
अंतरित किए गए ऋणों के अवशिष्ट अवधि के कुल भारांक	शून्य		
अंतरित ऋणों के निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)	108.59		
कुल प्रतिफल	623.60		
पिछले वर्ष में अंतरित किए गए खातों के संबंध में लिए गए अतिरिक्त प्रतिफल	28.52		

वित्त वर्ष 2020-21

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	एआरसी को	अनुमत अंतरिती को	अन्य अंतरिती को (कृपया स्पष्ट करें)
खातों की संख्या	3	शून्य	शून्य
अंतरित किए गए ऋणों के कुल बकाया मूलधन	365.62		
अंतरित किए गए ऋणों के अवशिष्ट अवधि के कुल भारांक	शून्य		
अंतरित ऋणों के निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)	46.22		
कुल प्रतिफल	188.46		
पिछले वर्ष में अंतरित किए गए खातों के संबंध में लिए गए अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य		

नोट : वर्ष के दौरान, दबावग्रस्त परिसंपत्ति के बिक्री के कारण ₹ 511.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 163.12 करोड़) के अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में वापस कर दिया गया था।

- v) 31 मार्च, 2022 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपे गए वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण निम्नानुसार है:

वसूली रेटिंग बैंड	बही मूल्य (₹ करोड़ में)	
	यथा 31.03.2022	यथा 31.03.2021
आरआर 1+	12.33	14.58
आरआर 1	878.44	824.04
आरआर 2	303.07	534.67
आरआर 3	148.63	254.89
आरआर 4	382.41	331.60
आरआर 5	376.79	261.89
आरआर 6	25.30	17.49
गैर-चिन्हित	78.23	79.39
कुल	2,205.20	2318.55

31 मार्च, 2022 के दौरान एसआर पोर्टफोलियों में किसी नए एसआर को शामिल नहीं किया गया है।

जी) धोखाधड़ी खाते

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी की संख्या	638	579
धोखाधड़ी में शामिल राशि	3,942.37	12,791.43
ऐसे धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि	3,554.83	9,830.78
वर्ष के अंत तक "अन्य आरक्षित" से डेबिट किए गए अमूर्त प्रावधान की राशि	119.87	937.89

- एच) कोविड-19 संबंधी तनाव के लिए समाधान ढांचे के अनुसार आरबीआई परिपत्र दिनांक 06 अगस्त, 2020 तथा 05 मई, 2021 के अंतर्गत कार्यान्वित की गई समाधान योजना के विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	(ए) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर (ए) 30.09.2021 तक स्थिति	(बी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से एनपीए में स्लिप हुए कुल ऋण	(सी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से बड़ेखाते डाली गई राशि	(डी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि	(ई) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर (ए) 31.03.2022 तक स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	9,689.80	223.77	-	222.72	9,243.31
कॉर्पोरेट व्यक्ति	8,188.63	2,036.67	-	429.90	5,659.06
जिसमें से, एमएसएमई	302.85	0.00	-	9.92	292.93
अन्य	340.51	11.68	-	2.24	326.59
कुल	18,218.94	2,272.12	-	717.86	15,228.96

आई) "आग्रियों की पुनरसंरचना सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र (एकबारगी पुनरसंरचना) पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर.बीपी.बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी. 34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020, डीओआर.एसटीआर.आरईसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 तथा डीओआर.एसपीआर.आरईसी. 12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के क्रम में बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ता खातों को निम्नानुसार पुनर्संरचित किया है:

पुनर्संरचित किए गए खातों की संख्या	₹ करोड़ में
1,65,685	7,356.71

जे) वैयक्तिक तथा छोटे कारोबार के लिए समाधान ढांचा 2.0 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के क्रम में, विवरण निम्नानुसार है:

क्षेत्र	यथा 31.03.2022 तक स्थिति	
	उधारकर्ताओं की संख्या	राशि ₹ करोड़ में
वैयक्तिक तथा छोटे कारोबार	47810	6371.65
कृषि/संबद्ध	7465	372.84
कुल	55275	6744.49

के) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के क्रम में, बैंक ने 31 मार्च, 2022 तक 12 खातों में प्रावधान धारित किया है, जो निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों की राशि	(बी) में से यथा 31.03.2022 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि	(ए) में से आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत कवर किए गए अपेक्षित प्रावधान	31.03.2022 तक धारित प्रावधान
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
3,893.04	2,665.83	2,665.83	1,219.13	1,219.13

आई) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर क्र. बीपी. 15199/21.04.048/2016-17 और डीबीआर क्र. बीपी. 1906/21.04.048/2016-17 क्रमशः दिनांक 23 जून, 2017 और 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर किए गए खातों के लिए दिनांक 31.03.2022 तक बैंक ने 100% शेष राशि ₹ 13,756 करोड़ का प्रावधान किया है.

5. एक्सपोजर

ए) रियल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	प्रत्यक्ष एक्सपोजर	91,038.56	92,742.69
ए)	आवासीय बंधक-आवासीय संपत्तियों पर ऋण पूरी तरह से बंधक द्वारा सुरक्षित है और ये सम्पत्तियां ऋण लेने वालों के कब्जे में हैं या किराये पर हैं;	76,189.00	78,513.68
	उपर्युक्त में से, प्राथमिक क्षेत्र अग्रियों में शामिल किए जाने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण	34,702.00	38,020.20

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बी)	वाणिज्यिक रियल इस्टेट- वाणिज्यिक अचल सम्पदा (कार्यालय भवन, फुटकर स्थल, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-पट्टेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) के ऋण बंधक द्वारा सुरक्षित. एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल हैं.	14,849.56	14,229.01
सी)	बंधक समर्थित/ प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर - i. आवासीय, ii. वाणिज्यिक रियल इस्टेट.	शून्य शून्य	शून्य शून्य
ii)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर.	44,862.16	35,195.26
	रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	1,35,900.72	1,27,937.95

बी) पूँजी बाजार में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है.	1,364.85	1,284.63
ii)	शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों में निवेश हेतु बेजमानती आधार पर (आईपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम	1.32	6.45
iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	319.28	372.31
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्ड्स / परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः सुरक्षित नहीं करती है.	825.61	1,264.64
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां	393.50	452.23
vi)	शेयरों/ बॉन्डों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कॉर्पोरेट्स को मंजूर ऋण	--	25.00
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों/ निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	--	--
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना.	--	--
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण	--	--
x)	वेंचर पूँजी निधियों के सभी एक्सपोजर (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) इक्विटी के समान माने जाएंगे और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूँजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ हिसाब में लिया जाएगा.	1,158.92	1,102.54
	पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर	4,063.48	4,507.80

सी) जोखिम संवर्ग-वार कंट्री एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	शुद्ध एक्सपोजर 31.03.2022	धारित प्रावधान 31.03.2022	शुद्ध एक्सपोजर 31.03.2021	धारित प्रावधान 31.03.2021
अपर्याप्त	16,345.90	शून्य	16,661.26	शून्य
अल्प	13,396.01	शून्य	9,989.26	शून्य
सामान्य	390.84	शून्य	286.23	शून्य
उच्च	1.18	शून्य	0.65	शून्य
अत्यधिक उच्च	5.28	शून्य	0.00	शून्य
सीमित	0.00	शून्य	0.00	शून्य
ऑफ-क्रेडिट	0.00	शून्य	0.00	शून्य
कुल	30,139.21	शून्य	26,937.40	शून्य

कंट्री जोखिम नीति 2021-22 के अनुसार, भारत में ट्रेड एक्सपोजर के लिए बैंक द्वारा ईसीजीसी कंट्री जोखिम वर्गीकरण का उपयोग भारत तथा विदेश दोनों में स्थित शाखाओं के अतिरिक्त व्यापार जोखिम के लिए किया गया है।

बैंक केवल उस देश के संबंध में ही कंट्री जोखिम नीति का प्रावधान करेगा, जहां निवल वित्त पोषित जोखिम अपनी कुल संपत्ति का 1% या उससे अधिक है।

डी) बेजमानती अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे राइट्स, लाइसेंस, अथॉरिटी आदि पर प्रभार के पेटे बकाया ऋण राशि	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त सम्पार्थिक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

ई) फेक्टरिंग एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
डीबीआर.नं.एफएसडी.बीसी.32/24.01.007/2015-16 दिनांक 30 जुलाई, 2015 (पैरा 8) के अनुसार टीआरईडी एक्सपोजर.	543.54	391.80

एफ) इंद्रा गुप एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
इंद्रा गुप एक्सपोजर की कुल राशि	490.44	399.99
20 बड़े इंद्रा गुप एक्सपोजर की कुल राशि	490.44	399.99
बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के इंद्रा गुप एक्सपोजर में 20 बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के इंद्रा गुप एक्सपोजर का प्रतिशत	0.05	0.05
इंद्रा गुप एक्सपोजर पर ऋण सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं नियामक द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई.	शून्य	शून्य

जी) अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

यूएफसीई के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए ग्राहक के अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर एक नीति अनुमोदित की है। बैंक नीति बनाते समय, फोरेक्स मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा गया है एवं तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। बैंक ने अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से होने वाली क्रेडिट जोखिमों को ध्यान में रखा है एवं तदनुसार अतिरिक्त ऋण मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को शामिल कर जोखिम को कम करने के उपायों को अपनाया है। मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान यूएफसीई के साथ कम्पनियों के एक्सपोजर के लिए कुल प्रावधान रु. 30.49 करोड़ किया गया।

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर एवं एनपीए का केन्द्रीकरण:

ए) जमाराशियों का केन्द्रीकरण

	(₹ करोड़ में)	
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	97,755.30	73,698.36
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत	9.47	7.99%

बी) अग्रिमों का केन्द्रीकरण

	(₹ करोड़ में)	
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए कुल अग्रिम	1,04,418.65	71,722.59
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत.	14.35	10.83%

सी) एक्सपोजर का केन्द्रीकरण

	(₹ करोड़ में)	
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	1,39,132.22	1,11,126.87
बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोजर में बीस बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	14.57	13.09%

डी) एनपीए का केन्द्रीकरण

	(₹ करोड़ में)	
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	11,098.86	16,716.74
कुल सकल एनपीए में अधिकतम बीस एनपीए के एक्सपोजर का प्रतिशत	13.95	18.62

7. डेरीवेटिव्स

ए) वायदा दर अनुबंध / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि प्रतिपक्षों	17,840.00	10,690.00
ii)	अनुबंध के अनुसार संबंधित पक्षों द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानि	110.71	239.17
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	बैंकिंग उद्योग	बैंकिंग उद्योग
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	4.96	20.04

नोट:

- I. भारतीय रुपये में ब्याज दर स्वैप की परस्पर हेजिंग ऋण व्यवस्था की गई.
- II. बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी अथवा स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर संव्यवहारों को अपनाया है.
- III. हेज संव्यवहारों के लिए सभी अंतर्निहित, उपचय के आधार पर है.

बी) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
		खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री
i)	वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव संव्यवहारों के कल्पित मूल राशि का विनिमय (लिखत-वार)				
	ए) 577GS2030	70.00	70.00	129.98	130.03
	बी) 585GS2030	1,963.00	1,963.00	--	--
	सी) 664GS2035	428.00	428.00	--	--
	डी) 610GS2031	3,035.02	3,035.02	--	--
ii)	31 मार्च, 2022 तक बकाया ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत संव्यवहारों की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)				
iii)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और "अत्यंत प्रभावी" न हुई कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)				
iv)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और "अत्यंत प्रभावी" न हुई मार्क टू मार्केट मूल्य (लिखत-वार)*				

सी) डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

i) गुणात्मक प्रकटन:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के ढांचे के अधीन बैंक दो समूहों में डेरीवेटिव्स संव्यवहार करता है।

- i) काउन्टर पर डेरीवेटिव संव्यवहार
- ii) एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव संव्यवहार

काउन्टर पर डेरीवेटिव समूह में बैंक वायदा दर अनुबंध, ब्याज दर स्वेप, क्रॉस करेंसी स्वेप और करेंसी ऑप्शन में संव्यवहार करता है।

एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले डेरीवेटिव समूह, में बैंक करेंसी वायदा और वायदा ब्याज दर में कारोबार करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) एवं मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसईआईएल) का उनकी करेंसी डेरीवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य है। बैंक इन एक्सचेंजों में करेंसी वायदा में स्वामित्व ट्रेडिंग करता है। बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैंक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है। नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है।

बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वायदा ब्याज दर पर व्यापार करता है। बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैंक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है। नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है।

बैंक लागू विनियमों के अंतर्गत स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग, अपने स्वयं के तुलनपत्र की हेजिंग और अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिए डेरीवेटिव संव्यवहार करता है। स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वेप, करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में की जाती है। हालांकि डेरीवेटिव लिखतों में गैर-ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं, किन्तु इससे बैंक की विविध जोखिमों भी बढ़ जाती है। बैंक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्न युक्तियां अपनायी हैं।

ए) आवश्यक मूलभूत संरचना के क्रम में ट्रेजरी शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया है।

- I) फ्रंट ऑफिस- (डीलिंग रूम) बैंक की नीति और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है।
- II) मिड कार्यालय - जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन
- III) बैंक ऑफिस - निपटान, समाधान और लेखांकन।

मिड ऑफिस ट्रेडिंग बही में संव्यवहारों तथा आधिकार्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिकार्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है। मिड ऑफिस मार्क टू मार्केट के जरिए दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में संव्यवहारों के लिए वित्तीय जोखिमों को भी आंकता है। आस्ति व देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिए दैनिक मार्क टू मार्केट पोजीशन, जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है।

कॉर्पोरेट ग्राहकों के मामले में संव्यवहार केवल अंतर्निहित क्रेडिट एक्सपोजर करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेजरी पॉलिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं। आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं। बैंक ने ऋण एक्सपोजर के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है।

बैंक कुछ बैंकों के साथ ऋण सहायक अनुबंध (सीएसए) में शामिल हुआ है। सीएसए नियम एवं शर्तों को विनियमित करने वाला विधिक दस्तावेज है जिसके अंतर्गत द्विपक्षीय ऋण संव्यवहार में प्रतिपक्षों के ऋण जोखिम को कम करने के लिए संपार्श्विक पोस्ट किया गया है।

- बी) बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डेरीवेटिव लिखत के प्रकार, प्रचलन की गुंजाइश एवं अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, डील साइज सीमा और स्टॉप-लॉस सीमा तथा प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी सीमाओं का भी उल्लेख है।

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है। ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं। जोखिम मानदण्डों यथा पीवी01, स्टॉप-लॉस, प्रतिपक्षी पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए हैं। आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है और यदि कोई उल्लंघन है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत की जाती है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर ऑप्शन डेरीवेटिव संविदाओं से कुल पीवी01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के अंदर रहे।

- सी) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोजरों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव लेनदेनों का भी प्रयोग करता है। बैंक की ट्रेजरी नीति में एक्सपोजरों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है। हेज लेनदेनों का नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है। इन लेनदेनों पर पीवी01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकल्पित लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है। हेज प्रभाविता वह डिग्री है, जिसमें परिवर्तन से हेज किए गए मर्दों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य में शामिल हो जाता है। हेज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया समय-समय पर की जाती है।

- डी) हेज्ड/ अन-हेज्ड संव्यवहारों को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है। सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क-टू-मार्केट किए जाते हैं और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकॉर्ड की जाती है।

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, आय की पहचान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय-समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है।

क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लिमिट तय करने के लिए नीति बनाई हुई है। बैंक आवधिक अंतराल पर प्रति पक्षकार एक्सपोजर की निगरानी के लिए करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है। डेरीवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक/मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं। अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरीवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है।

ग्राहक से संबंधित डेरीवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ, प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिए कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है।

ii) मात्रात्मक प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटन					
क्र.	विवरण	31-03-2022		31-03-2021	
		करेंसी डेरीवेटिव्स	बयाज दर डेरीवेटिव्स	करेंसी डेरीवेटिव्स	बयाज दर डेरीवेटिव्स
(ए)	डेरीवेटिव (कल्पित मूल राशि)				
	(i) हेजिंग के लिए	370.64	2180.00	741.97	4,550.00
	(ii) ट्रेडिंग के लिए	4,44,008.28	15,660.00	2,30,474.48	6,140.00
(बी)	बाजार स्थिति को अंकित				
	(i) आस्तियां (+)	1,818.71	88.38	1,306.63	104.25
	(ii) देयताएं (-)	-1,683.63	-88.67	-1,181.82	-109.74
(सी)	ऋण एक्सपोजर (*)	11,041.95	267.08	8,365.85	325.92
(डी)	ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित प्रभाव (100डपीवी01) (लाख में)				
	(i) हेजिंग डेरीवेटिव पर	0.00	4,392.29	0.00	5,421.60
	(ii) ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	0.00	134.01	0.00	385.98
(ई)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100डपीवी01 (लाख में)				
	I. अधिकतम				
	(i) हेजिंग पर	0.00	5,454.20	0.00	10,201.70
	(ii) ट्रेडिंग पर	0.00	2,345.28	0.00	581.71
	II. न्यूनतम				
	(i) हेजिंग पर	0.00	1,407.51	0.00	5,409.62
	(ii) ट्रेडिंग पर	0.00	22.40	0.00	3.84

डी) क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप:

वित्त वर्ष 21-22 के दौरान बैंक ने कोई भी क्रेडिट डिफाल्ट स्वेप संव्यवहार नहीं किया.

8. सिक्युरिटाइजेशन संबंधी प्रकटन: शून्य

9. बैंक द्वारा प्रायोजित ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी: शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएफ) में अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
डीईएफ को अंतरित राशि का प्रारम्भिक शेष	2,375.24	1,914.71
जोड़ा : वर्ष के दौरान डीईएफ में अंतरित की गयी राशि	545.18	490.35
घटाएं : डीईएफ द्वारा दावे के रूप में प्रतिपूर्ति की गयी राशि	43.33	29.82
डीईएफ को अंतरित राशि का अन्तिम शेष	2,877.09	2,375.24

11. शिकायतों का प्रकटन:

बैंकों को ग्राहकों एवं बैंकिंग लोकपाल से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें				
क्र.		विवरण	2021-22	2020-21
1.		वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	10,780	2,872
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	3,28,216	4,15,035
3.		वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	3,37,601	4,07,127
	3.1	जिनमें से कुल शिकायत बैंक द्वारा अस्वीकृत किए गए	415	1131
4.		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	1,395	10,780
बैंकिंग लोकपाल से प्राप्त बैंक द्वारा प्राप्त समाधान योग्य शिकायतें				
5.		से प्राप्त बैंक द्वारा प्राप्त समाधान योग्य शिकायतों की संख्या	7,971	8,544
	5.1	5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के पक्ष में समाधान की गई शिकायतों की संख्या	7,229	6,446
	5.2	5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से समाधान की गई शिकायतों की संख्या	740	1182
	5.3	5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरुद्ध में निर्णय पास किए जाने पर निपटान की गई शिकायतें.	2	8
6.		निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए निर्णय के अलावा)	0	0

नोट:-

- 1) रखरखाव योग्य शिकायतें विशेष रूप से बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती है। हालांकि, सीएमएस साइट से एकत्रित उपरोक्त डेटा में खंड 11 के अनुसार समझौते द्वारा निपटान किया गया है एवं साथ ही साथ लोकपाल योजना 2006 के खंड 13 के अनुसार अस्वीकृत शिकायतों को भी शामिल किया गया है, जो कि पत्र व्यवहार के अधीन है।

(₹ करोड़ में)

बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के प्रथम 5 कारण (बैंकिंग लोकपाल शिकायतें सहित)

शिकायतों के प्रकार, (अर्थात संबद्ध शिकायतें)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में लंबित शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 से में कितनी शिकायतें, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित है
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष (2021-22)					
एटीएम/ डेबिट कार्ड	4,583	2,13,956	-26.73	324	50
इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	344	62,068	1.61	213	-
बिना पूर्व सूचना/अत्यधिक प्रभार/ फोकलोजर प्रभारों के प्रभार लगाना	2,389	10,355	23.19	47	71
चेक/ ड्राफ्ट/ बिल	52	3410	-36.03	11	-
क्रेडिट कार्ड	27	3194	-17.10	32	17
अन्य	3,385	35,233	-20.51	768	60
कुल	10,780	3,28,216	-20.92	1395	198
पिछला वर्ष (2020-21)					
एटीएम/ डेबिट कार्ड	1,250	2,92,035	3.30%	4,583	2,342
इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	214	61,087	44.16%	344	205
बिना पूर्व सूचना/अत्यधिक प्रभार/ फोकलोजर प्रभारों के प्रभार लगाना	171	8,406	37.51%	2,389	1,746
चेक/ ड्राफ्ट/ बिल	20	5331	129.48%	52	24
ऋण एवं अग्रिम	16	3853	146.04%	27	8
अन्य	1,201	44,323	146.48%	3,385	1,847
कुल	2,872	4,15,035	17.39%	10,780	6,172

12. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

नियामक का नाम	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	1	1.00	-	-
अन्य नियामक	1	0.46	-	-

13. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक भुगतान किया गया पारिश्रमिक.

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
	राशि	राशि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0.37	0.34
कार्यपालक निदेशकगण	1.21	1.11
कुल	1.58	1.45

14. अन्य प्रकटन

ए) कारोबार अनुपात

(₹ करोड़ में)			
क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	कार्यशील निधियों में ब्याज आय के रूप में प्रतिशत	6.11	6.34
ii)	कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय के रूप में प्रतिशत	1.13	1.08
iii)	जमा राशि की लागत	4.12	4.66
iv)	शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.71	2.47
v)	कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ के रूप में प्रतिशत	1.97	1.81
vi)	आस्तियों पर प्रतिफल	0.47	0.27
vii)	प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (₹. करोड़ में)	20.48	19.23
vi)	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹. करोड़ में)	0.07	0.04

बी) बैंकाश्योरेंस कारोबार:

बैंक के एश्योरेंस कारोबार से अर्जित की गयी आय का विवरण निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)			
क्र.	आय का स्वरूप	31.03.2022	31.03.2021
1.	जीवन बीमा पॉलिसी	170.24	142.13
2.	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	48.14	48.72
3.	स्वास्थ्य बीमा	38.03	32.37

सी) विपणन एवं संवितरण

विपणन तथा संवितरण के संदर्भ में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक का विवरण (बैंकाश्योरेंस कारोबार को छोड़कर):

(₹ करोड़ में)			
क्र.	आय का स्वरूप	31.03.2022	31.03.2021
1.	म्यूचुअल निधि कारोबार का संवितरण	17.66	17.34

डी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रमाणपत्र

अन्य बातों के साथ-साथ बैंक के अन्य आय में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाणपत्र की बिक्री से ₹. 143.26 करोड़ का कमीशन आय शामिल है. पीएससीएल प्रमाणपत्र का व्यापारित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)	
श्रेणी	व्यापारित मूल्य
पीएसएलसी-सामान्य	5,157
पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत किसान	3,700
कुल	8,857

ई) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

	(₹ करोड़ में)	
लाभ एवं हानि मद में प्रदर्शित प्रावधान तथा आकस्मिकताओं का ब्रेक अप:	31.03.2022	31.03.2021
निवेश पर एनपीआई के लिए प्रावधान/(प्रवर्तन)	214.61	966.86
एनपीए पर प्रावधान	11,613.25	13,595.75
एकीकरण पर प्रावधान (निम्न नोट का संदर्भ लें)	--	323.86*
मानक आस्तियों पर प्रावधान/(प्रवर्तन)	1,449.02	1,245.63
आय कर (आईटी)/ आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) पर किए गए निवल प्रावधान	3,347.31	(506.55)
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं:		
- स्थानांतरण हानि	--	--
- पुर्नसंरचित अग्रिम	(32.94)	81.87
- अन्य	49.83	1,053.54
कुल	16,641.08	16,760.96

* यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के कारण बैंक ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 323.86 करोड़ का अतिरिक्त एकीकरण प्रावधान किया है।

एफ) भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप (आईएनडी- एएस)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.-76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 के माध्यम से बैंकों में भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी- एएस) के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप निर्धारित किया तथा बैंकों को इस संबंध में हुए प्रगति सहित अपनी आईएनडी- एएस के कार्यान्वयन की रणनीति का प्रकटन करना था। तदनुसार बैंक द्वारा आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है। बैंक द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति का निरीक्षण करने हेतु संचालन समिति का भी गठन किया गया है तथा निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति को समय-समय पर इससे अवगत कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, डीओ.डीबीआर.बीपी.नं.2535/21.07.001/2017-18 दिनांक 13 सितंबर, 2017 के अनुसार, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को तिमाही आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक आईएनडी-एएस वित्तीय विवरण प्रोफॉर्मा प्रस्तुत किया है। तदुपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक (विनियमन विभाग) के दिनांक 08 अगस्त, 2021 के मेल के क्रम में, बैंक को अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रोफॉर्मा आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया। 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के लिए पिछले प्रोफॉर्मा वित्तीय को भारतीय रिजर्व बैंक को 25 नवंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से जमा किया गया।

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	1,083.45	1,000.28
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में एरियर	--	--

15. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

ए. राजस्व पहचान (एएस 9)

आय के कुछ मदों को छोड़कर उपचय आधार पर आय एवं व्यय की गणना महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसूची 17 के लेखांकन नीति क्र. 3.4 के अनुसार वास्तविक आधार पर की गई, जो कि मूर्त नहीं मानी जाएगी।

बी. कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित)
i) अल्पावधि रोजगार लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूट रहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

ii) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:
ए) निर्धारित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है। इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है। बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है।

बैंक के पास 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है। यह योजना पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी के तत्वावधान के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा प्रबंधित है। एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में रु. 120.35 करोड़ एरियर सहित रु. 501.51 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 297.92 करोड़) का अंशदान किया है।

बी) निर्धारित लाभ योजना:

ग्रेच्युटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं। इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है। एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की बीमाकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31-03-2022		31-03-2021	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
	परिभाषित लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाली सारणी:				
	वर्ष के आरंभ में देयता	3,355.82	26,011.41	2,738.03	24,553.31
	ब्याज लागत	232.56	1,797.39	187.28	1,667.17
	चालू सेवा लागत	161.12	212.30	137.71	265.17
i)	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	1902.02	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(प्रदत्त लाभ)	(465.84)	(2,341.52)	(433.15)	(1,682.84)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31-03-2022		31-03-2021	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
	परिवर्तन के कारण - बीमांकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि				
	वित्तीय धारणा में	(119.57)	(1,446.34)		
	जनसांख्यिकी धारणा में	2.86	63.46	(26.36)	(247.67)
	बाध्यताओं पर बीमांकिक(अर्जन)/ हानि	30.86	2,452.27	752.31	1,456.27
	वर्ष के अंत में देयताएं	3,197.81	28,650.99	3,355.82	26,011.41
	योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,746.43	26,720.88	2,671.12	23,145.31
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	190.33	1,846.41	182.70	1,571.57
	अंशदान	843.37	551.42	291.35	3,605.19
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(लाभ भुगतान)	(465.84)	(2,341.52)	(433.15)	(1,682.84)
ii)	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(53.31)	(266.31)	(34.41)	(81.65)
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य अभिज्ञात किया जाने वाला	3,367.60	27,043.50	2,746.43	26,720.88
	अवधि के लिए बीमांकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि	(85.85)	1,069.39	725.95	1,208.60
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(53.31)	(266.31)	(34.41)	(81.65)
	कुल चिन्हित बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(139.16)	803.08	691.54	1,126.95
	संक्रमणकालीन देयता की पहचानी				
iii)	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:				
iv)	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	190.33	1,846.41	182.70	1,571.57
	योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/ (हानि)	53.31	266.31	34.41	81.65
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	243.64	2,112.72	217.11	1,653.22
	आय विवरण में चिन्हित व्यय:				
	वर्तमान सेवा लागत	161.12	212.30	137.71	265.17
	ब्याज लागत	42.23	(49.02)	4.58	95.60
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v)	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) (संवर्धित पारिवारिक पेंशन का 1/5)	शून्य	380.40	शून्य	शून्य
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	(139.16)	803.08	691.54	1,126.95
	लाभ एवं हानि खाते में चिन्हित व्यय	64.19	1,346.76	833.83	1,487.72

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31-03-2022		31-03-2021	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
	तुलन पत्र समाधान:				
vi)	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि)	609.39	(709.47)	66.91	1,408.00
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	64.19	1346.76	833.83	1,487.72
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(नियोक्ता का अंशदान)	(843.37)	(551.42)	(291.35)	(3,605.19)
	तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध (आस्ति)/ देयता राशि	(169.79)	85.87	609.39	(709.47)
	अन्य ब्यौरे:				
	पेंशन सेवा के प्रत्येक साल के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अध्यक्षीन है.				
	ग्रेच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹ 20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो.				
vii)	वर्ष के दौरान बीमाकिक अर्जन/ हानि की गणना की गई है.				
	वेतन वृद्धि कम्पनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है.				
	सदस्यों की संख्या	75,201	23,216	78,203	28,235
	वेतन प्रति माह	354.44	182.95	354.09	210.64
	अगले वर्ष के लिए अंशदान	-	592.76	354.09	-
	आस्तियां का संवर्ग:				
	भारत सरकार की आस्तियां	63.45	585.14	64.56	601.59
	कॉर्पोरेट बॉन्ड/एफडीआर	36.15	721.81	96.29	1029.07
	विशेष जमा योजना	-	-	-	-
viii)	राज्य सरकार	101.17	1185.78	125.89	1150.74
	संपत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	244.10	1733.36	185.67	1,426.35
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	2897.20	22,492.80	2,252.98	22,235.49
	म्युच्युअल फंड	25.53	324.61	21.04	277.64
	कुल	3,367.60*	27,043.50*	2746.43	26,720.88

*नोट: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेंशन और उपदान देयता की गणना 7.00% के सापेक्ष वित्त वर्ष 2021-22 में उचित मूल्य की योजना आस्तियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बीमा कंपनियों में निवेश पर प्रतिकूल पेंशन की गणना के लिए 7.25% जबकि उपदान देयता की गणना के लिए 7.00% मानी गई है.

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/ कमी :	ग्रैच्युटी योजना				
तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
वर्ष के अंत में देयताएं	3,197.81	3,355.82	1291.94	1,222.64	1,244.88
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,367.60	2,746.43	1219.01	1,202.14	1,302.00
अंतर	169.79	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	169.79	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12

*यूबीआई स्टैंडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

(₹ करोड़ में)

तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	ग्रैच्युटी योजना				
अनुभव समायोजन	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि	30.86	752.31	25.87	7.91	(142.26)
योजनागत आस्तियां (हानि)/ लाभ	53.31	34.41	7.20	(13.03)	10.64

*यूबीआई स्टैंडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/ कमी:	पेंशन योजना				
तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
वर्ष के अंत में देयताएं	28,650.99	26,011.41	12,746.69	12,158.43	11,803.32
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	27,043.50	26,720.88	12,607.16	12,308.84	12,115.00
अंतर	(1,607.49)	709.47	(139.53)	150.41	311.68
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	1521.62	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	(85.87)	709.47	(139.53)	150.41	311.68

*यूबीआई स्टैंडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

(₹ करोड़ में)

तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	पेंशन योजना				
अनुभव समायोजन	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि	2,452.27	1,456.27	938.90	125.22	(37.82)
योजनागत आस्तियां (हानि)/ लाभ	266.31	81.65	75.23	7.18	(21.39)

*यूबीआई स्टैंडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

(₹ करोड़ में)

मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%)	2021-2022		2020-2021	
	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
पिछली छूट दर	6.93	6.91	6.84	6.79
पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	6.93	6.91	6.84	6.79
पिछली वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
चालू छूट दर	7.31	7.40	6.93	6.91
वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.31	7.40	6.93	6.91
वर्तमान वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
वर्तमान एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

iii) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	31.03.2022	31.03.2021
1.	पेंशन	1,346.76	1,487.72
2.	अवकाश यात्रा रियायत	13.41	27.45
3.	अवकाश नकदीकरण	48.70	102.29

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर बीमार अवकाश के लिए रु. 236.12 करोड़ का प्रावधान किया है, हालांकि इसमें कोई बड़ा भुगतान नहीं है।

iv) अपरिशोधित पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्युटी देयताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
पेंशन		
ए) आगे की गई शेष राशि	शून्य	शून्य
बी) सकल देयता	1,902.02	शून्य
सी) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	380.40	शून्य
डी) आगे ली गई शेष राशि	1,521.62	शून्य
ग्रेच्युटी		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	शून्य
बी) आगे ले जाया गया	शून्य	शून्य

- v. दिनांक 11 नवंबर, 2020 के XI द्वि-पक्षीय समझौता तथा संयुक्त नोट के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में अतिरिक्त देयता हेतु संवर्धन को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर रु. 1902.02 करोड़ किया गया। इसके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र भारिबैं/2021-22/105 डीओआर/एसीसी/आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के क्रम में, बैंकों को उक्त देयता में, 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष सहित पाँच वर्षों तक परिशोधन करना अनुमत है। तदनुसार, बैंक ने उक्त देयता को पांच वर्षों तक परिशोधित करने का निर्णय लिया तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ/हानि खाते में रु. 380.40 करोड़ के अपरिशोधित व्यय शेषराशि को आगामी 4 वर्षों के लिए परिशोधन हेतु आगे लिया है। यदि लाभ या हानि खाते में अप्रभारित व्यय को पूर्णतः लिया जाए, तो 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शुद्ध लाभ रु. 3710.48 करोड़ होगा।

सी) क्षेत्रवार रिपोर्ट (एस-17)

(₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र		स्टैंडअलोन	
		वर्ष की समाप्ति	
		(लेखापारीक्षित)	(लेखापारीक्षित)
		31.03.2022	31.03.2021
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व		
1	ट्रेज़री परिचालन	26,815.66	27,789.92
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	26,198.04	24,817.48
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	25,776.79	26,541.51
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	1,397.64	1,371.55
5	गैर आबंटित	403.35	133.91
	कुल क्षेत्रवार राजस्व	80,591.48	80,654.37
	घटाएं अंतर क्षेत्रवार राजस्व	(122.7)	(142.54)
	परिचालन से आय	80,468.78	80,511.83
(बी)	क्षेत्रवार परिणाम		
1	ट्रेज़री परिचालन	6,002.74	6,157.83
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	4,508.68	4,197.57
3	कॉर्पोरेट बैंकिंग	(3,093.72)	(8,823.12)
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	758.37	733.23
5	गैर आबंटित	403.35	133.91
	कर पूर्व कुल लाभ/ (हानि)	8,579.42	2,399.42
(सी)	कर हेतु प्रावधान	3,347.31	(506.55)
(डी)	कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि)	5,232.11	2,905.97
(ई)	क्षेत्रवार आस्तियां		
1	ट्रेज़री परिचालन	4,78,735.97	4,27,941.43
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	3,18,913.6	2,77,171.79
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	3,68,181.73	3,41,941.30
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर आबंटित	21,759.76	24,651.32
	कुल	11,87,591.06	10,71,705.84
(एफ)	क्षेत्रवार देयताएं		
1	ट्रेज़री परिचालन	4,70,252.54	4,19,807.14
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	2,90,449.81	2,53,344.66
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	3,35,313.11	3,10,531.92
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर आबंटित	20,999.47	23,545.40
	कुल	11,17,014.93	10,07,229.12

(₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र		स्टैंडअलोन	
		वर्ष की समाप्ति	
		(लेखापारीक्षित)	(लेखापारीक्षित)
		31.03.2022	31.03.2021
(जी)	नियोजित पूंजी		
1	ट्रेज़री परिचालन	8,483.43	8,134.29
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	28,463.79	23,827.13
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	32,868.62	31,409.38
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	–	–
5	गैर आबंटित देयताएं	760.29	1,105.92
	कुल	70,576.13	64,476.72

नोट:

- बैंक चार क्षेत्रों यथा: ट्रेज़री, रिटेल, कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग में परिचालन करता है। उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक (एस) 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है। बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है। विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर, एस-17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत हैं। अतः बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है।
- सीधे तौर पर आबंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिये गये हैं।
- पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

डी. संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एस - 18)**i. संबंधित पार्टियों की सूची****ए) समनुषंगी**

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
- यूनियन ट्रस्टी कं. प्रा. लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड.
- आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड.
- यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड.

बी) संयुक्त उद्यम

- स्टार यूनियन दार्ई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
- एसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड.
- इंडिया फस्ट लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड

सी) सहायक संस्था

- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(₹ करोड़ में)

नाम	पदनाम	31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भुगतान किया गया पारिश्रमिक
श्री राजकिरण रे जी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	0.37
श्री गोपाल सिंह गुसाई @	कार्यपालक निदेशक	0.26
श्री दिनेश कुमार गर्ग *	कार्यपालक निदेशक	0.15
श्री मानस रंजन बिस्वाल	कार्यपालक निदेशक	0.31
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक	0.30
श्री रजनीश कर्नाटक #	कार्यपालक निदेशक	0.14
श्री निधु सक्सेना ^	कार्यपालक निदेशक	0.05

@ 31.01.2022 तक

* 30.09.2021 तक

21.10.2021 से

^ 01.02.2022 से

वर्ष के दौरान जिन पार्टियों के साथ संव्यवहार प्रारंभ किए गए

लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैरा 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" हैं, के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। आगे, एएस-18 के पैरा 6 के अनुसार, बैंक ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, को प्रकटित नहीं किया गया है।

ई. "लीज" परिचालन लीज (एएस-19) पर लिया गया परिसर:

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के पास कोई भी अस्वीकार किए जाने वाले परिचालन लीज नहीं है। अतः एएस-19 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है। हालांकि, लाभ एवं हानि खाते में परिचालन लीज के लिए लीज भुगतान राशि रु. 816.15 करोड़ (प्रति वर्ष रु. 835.15 करोड़) मानी गई है।

एफ. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारत औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड पोर्टेशियल इक्विटी शेयरों के भारत औसत के माध्यम से की गयी है।

प्रति शेयर अर्जन की गणना निम्नलिखित है:

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	6,40,68,44,355	6,40,68,44,355
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	42,79,03,111	शून्य
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	6,83,47,47,466	6,40,68,44,355
प्रति शेयर मूल अर्जन आकलन के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	6,77,26,13,590	6,40,68,44,355
प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन के परिकलन लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	6,77,26,13,590	6,40,68,44,355
शुद्ध लाभ / (हानि) ₹ करोड़ में	5,232.11	2,905.98
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹)	7.73	4.54
प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन (₹)	7.73	4.54
प्रति शेयर नॉमिनल वैल्यू (₹)	10.00	10.00

जी. कर हेतु प्रावधान:

i. आस्थगित कर (एएस-22)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
	आस्थगित कर आस्ति		
1	कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण)	474.78	457.76
2	अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	358.42	299.18
3	अन्य प्रावधानों के कारण	14,069.38	18,146.08
4	विदेशी मुद्रा अंतरण अधिशेष (रिजर्व)	1.14	36.50
5	मानक आस्ति	588.37	-
	कुल	15,492.08	18,939.52
	आस्थगित कर देयताएं		
1	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	1,092.63	1,104.51
2	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	2,107.08	1,924.67
3	निवेश पर मूल्यहास	-	237.86
	कुल	3,199.71	3,267.04
	शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां	12,292.37	15,672.48
	शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	शून्य	शून्य

ii. प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	3,347.31	(506.55)

कॉर्पोरेट कर निर्धारण:

विद्यमान और लंबित दोनों ही करों के लिए कर प्रावधान किया जाता है। लागू कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर कर योग्य आय पर विद्यमान कर प्रदान किया जाता है। समयान्तर के कारण उत्पन्न लंबित कर आस्तियों एवं लंबित कर देयताएं, जो आने वाले अवधि में परिवर्तनीय होते हैं, उनकी पहचान लागू किए गए या तुलन पत्र की तिथि तक पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर की जाती है।

लंबित कर आस्तियों की पहचान तभी दी जाती है, जब भविष्य में ऐसे आस्तियों की वसूली लगभग निश्चित हो। वर्ष के दौरान हुई प्रगति के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को लंबित कर आस्तियों/ देयताओं की समीक्षा की जाती है।

एच. संयुक्त उपक्रम में निवेश (एएस-27)

निवेश के अंतर्गत रु. 236.68 करोड़ (गत वर्ष रु. 435.72 करोड़) शामिल हैं, जो स्टार यूनियन दार्ई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी में बैंक की हित राशि है।

आई. की हानि (एएस-28)

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो।

जे. आकस्मिक देयतायें (एएस-29)

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची-12 के क्र. (I) व (VI) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः न्यायालय के निर्णय/ विवेचन/ न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है।

के. बैंक ने 01 अप्रैल, 2021 के प्रभाव से एनपीए खातों (उन खातों के अलावा जिनमें समायोजन के तरीके को उधारकर्ता एवं बैंक के मध्य विशेष रूप से स्वीकार किया गया है) में वसूली के समायोजन के तरीके को परिवर्तित किया है। तदनुसार, ऐसे एनपीए खातों में वसूलियों को पहले ही अवधियों में किए जाने वाली प्रक्रिया के विपरीत अब पहले ब्याज में और फिर मूलधन में समायोजित किया जाता है। लेखांकन नीति में परिवर्तन ने तिमाही में रु. 495.26 करोड़ तथा वर्ष में रु. 1081.77 करोड़ तक ब्याज आय में वृद्धि की है और परिणामस्वरूप सकल एनपीए में समान राशि की कमी हुई है।

एल. चालू वर्ष के दौरान, कोई मद अवधि से पहले की नहीं है (एएस 5 के अनुसार) एवं परिचालनों को बंद नहीं किया गया है (एएस-24 के अनुसार)।

एम. पर्यावरण नियंत्रण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की "सतत विकास एवं कारोबार उत्तरदायित्व नीति" नामक नीति विद्यमान है, जिसकी प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है और पिछली बार 30.03.2022 को बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। इस नीति के जरिए, बैंक पर्यावरण की रक्षा एवं उसकी बहाली के प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक द्वारा विद्युत संरक्षण, पैकेज्ड पेयजल हेतु प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग न करने आदि जैसे अनेक उपाय किए गए हैं।

एन. कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था सहित भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी, भारत ने कोविड-19 महामारी की और दो लहरों और देश के कुछ भागों में स्थानीय/ क्षेत्रीय लॉकडाउन को पुनः लागू किए जाने का सामना किया। बैंक लगातार इस परिस्थिति की निगरानी कर रहा है और ग्राहकों तक पहुँच स्थापित करने एवं पूर्ण बैंकिंग परिचालनों को सुनिश्चित करने के लिए विविध डिजिटल प्रयासों सहित सभी संभव पहल कर रहा है। बैंक, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विविध प्रयासों एवं उठाए गए कदमों और टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन यह मानता है कि भविष्य में बैंक के कार्यनिष्पादन और चल रही संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ओ. बहियों का मिलान, अंतरशाखा/ बैंक लेनदेनों का मिलान

- (i) विदेशी बैंकों व अन्य बैंकों में राशि की पुष्टि/ मिलान प्राप्त कर लिया गया है/ किया गया है.
- (ii) उच्चत खाता, विविध जमाखाता, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतरशाखा/ कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों का समायोजन निरंतर आधार पर जारी है.
- (iii) उसकी (i) एवं (ii) की लंबित अंतिम मंजूरी का खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई होता है, तो वह प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा.

पी. एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन

बैंक एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के विद्यमान प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित मूल राशि पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान संबंधी कोई भी मामले रिपोर्ट नहीं किए गए हैं.

पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो पुनः समूहित/पुनः समेकित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 तक के हस्ताक्षरकर्ता

(पंकज कुमार) उप महाप्रबंधक		(प्रफुल्ल कुमार सामल) मुख्य वित्तीय अधिकारी
(निधु सक्सेना) कार्यपालक निदेशक	(रजनीश कर्नाटक) कार्यपालक निदेशक (राजकिरण रे जी.) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	(नितेश रंजन) कार्यपालक निदेशक
(समीर शुक्ला) निदेशक	(अरुण कुमार सिंह) निदेशक	(सूरज श्रीवास्तव) निदेशक
(लक्ष्मण एस उप्पर) निदेशक	(डॉ. जयदेव मद्दुगुला) निदेशक	(प्रीति जय राव) निदेशक
कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन 002785S	कृते मेसर्स सारडा एंड पारीख एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन 109262W/W100673	कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन 108959W
सीए पी. एम. वीरामनी भागीदार सदस्य सं. 023933 यूडीआईएन: 22023933AIXFGY6267	सीए गिरिराज सोनी भागीदार सदस्य सं. 109738 यूडीआईएन: 22109738AIXFAO2016	सीए सचिन वी. लूथरा भागीदार सदस्य सं. 109127 यूडीआईएन: 22109127AIXFDY8530
कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन 005223C	कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन 002803C	कृते मेसर्स एन वी एस एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन 110100W
सीए शरद बंसल भागीदार सदस्य सं. 423507 यूडीआईएन: 22423507AIXFRK9410	सीए गौतम शर्मा भागीदार सदस्य सं. 79225 यूडीआईएन: 22079225AIXFAB5594	सीए प्रदीप जे. शेठ्टी भागीदार सदस्य सं. 046940 यूडीआईएन: 22046940AIXEX08437

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 मई, 2022

स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

क्र.स. विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
ए परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:		
कर से पहले निवल लाभ	8,57,941	2,39,941
निम्न के लिए समायोजन :		
अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	73,809	89,523
निवेशों के लिए प्रावधान	21,461	55,922
गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल)	11,61,326	13,91,961
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,36,521	1,37,517
स्टाफ संबंधी व्ययों हेतु प्रावधान	-	86,605
अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल)	10,072	13,983
अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि	35	(761)
उधारी पर ब्याज : पूंजीगत साधन	1,55,133	1,59,660
संयुक्त उपक्रम कंपनी से प्राप्त लाभांश	(3,019)	(2,016)
उप योग	24,13,280	21,72,334
निम्न के लिए समायोजन:		
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	1,08,58,729	55,17,273
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	(90,800)	4,81,492
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(17,40,928)	(51,75,058)
अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(81,63,505)	(5,07,273)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	4,45,843	(7,04,838)
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल)	(1,73,612)	96,730
आरक्षित से/में अंतरण	72,382	1,63,638
परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	36,21,389	20,44,299
बी निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :		
अचल संपत्तियों की खरीद	(73,970)	(70,444)
अचल आस्तियों की बिक्री / समायोजन के आगम	15,382	9,739
सहायक कंपनी में निवेश में (वृद्धि) / कमी	19,907	421
सहायक कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री	--	--
निवेशों से प्राप्त लाभांश	3,019	2,016
निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(35,662)	(58,268)
सी वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:		
शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम	1,44,208	--
पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि	7,00,000	3,70,500
पूंजीगत लिखतों की चुकौती	(5,40,000)	(3,85,000)
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि	(2,25,801)	(16,93,479)
उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत	(1,55,133)	(1,59,660)
वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	(76,726)	(18,67,639)
समामेलन पर नकदी एवं नकदी समकक्ष (डी)	--	28,12,022
नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/ (कमी) (ए)+(बी)+(सी)	35,09,001	29,30,413
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	84,41,035	55,10,622
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	1,19,50,036	84,41,035

बैंक परिपुष्टय

नाटिश

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरणियां

स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

क्र.स. विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
नकदी एवं नकदी समकक्ष के घटक		
डी वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	01.04.2021	31.03.2020
नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	37,88,046	20,11,830
बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	46,52,989	34,98,792
वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	84,41,035	55,10,622
ई वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	31.03.2022	31.03.2021
नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	46,11,259	37,88,046
बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	73,38,777	46,52,989
वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	1,19,50,036	84,41,035

जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरूप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(पंकज कुमार)

उप महाप्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(निधु सक्सेना)

कार्यपालक निदेशक

(रजनीश कर्नाटक)

कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)

कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(समीर शुक्ला)

निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)

निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)

निदेशक

(लक्ष्मण एस उप्पर)

निदेशक

(डॉ. जयदेव मद्गुला)

निदेशक

(प्रीति जय राव)

निदेशक

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र :

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3 "नकदीप्रवाह विवरण" के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 13 मई, 2022 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप हैं।

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002785S

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959W

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFGY6267

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं. 109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFAO2016

सीए सचिन वी. लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFDY8530

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002803C

कृते मेसर्स एन वी एस एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100W

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFRK9410

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFAB5594

सीए प्रदीप जे. शेठ्टी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXEX08437

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 मई, 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति /

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

मुंबई

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 का समेकित तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण खाता नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

ए. बैंक का लेखा-परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;

बी. 2 देशी सहायक, 1 देशी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई, 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सहायक), 1 विदेशी सहायक एवं 1 विदेशी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण.

सी. 2 सहायक एवं 1 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण.

बैंक के साथ उपरोक्त इकायों को "समूह" के रूप में संदर्भित किया जाना है.

हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सहायक, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों एवं सहयोगियों के संबंध में अन्य वित्तीय जानकारी एवं अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप है और उसमें निम्न समाहित है -

ए. यथा 31 मार्च, 2022 को बैंक के मामलों की दशा में समेकित तुलन पत्र के मामले में सही व निष्पक्ष;

बी. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता के मामले में लाभ की वास्तविक राशि; एवं

सी. उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में नकदी प्रवाह का सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाया गया है.

अभिमत का आधार :

2. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित हैं. हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता एवं हमारे वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए नैतिक आवश्यकताओं सहित, प्रासंगिक समूह बैंक से स्वतंत्र हैं एवं हमने अपनी इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता सहित अन्य नैतिक जिम्मेदारियों के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

मामलों का प्रभाव

3. हम आपका ध्यान अनुसूची 18 के नोट संख्या 17 की ओर आकर्षित करते हैं - समेकित वित्तीय विवरणों के लिए खातों पर नोट्स, जो बताता है कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों/अनुमानों में पिछले वित्त वर्ष 31 मार्च, 2021 को समाप्त की तुलना में परिवर्तन हुआ है और यह 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी है. गैर-निष्पादित खातों में वसूली के विनियोग के संबंध में, पहले अप्राप्त ब्याज के लिए और फिर मूलधन के प्रति बकाया मूलधन के लिए और फिर पहले की अवधि में अप्राप्त ब्याज की और लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण प्रभाव तिमाही के लिए आय में ₹ 495.26 करोड़ की वृद्धि हुई है और वर्ष के लिए ₹ 1081.77 करोड़ की वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में समतुल्य राशि में कमी आई है.

हम आपका ध्यान **अनुसूची 18 के नोट संख्या 9** की ओर आकर्षित करते हैं - समेकित वित्तीय विवरणों के लिए खातों पर नोट्स, जो पारिवारिक पेंशन में ₹ 1902.02 करोड़ की राशि में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन का वर्णन करता है। बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ-हानि खाते में ₹380.40 करोड़ की राशि का शुल्क लगाया है और ₹1521.62 करोड़ के शेष असंशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है।

हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 16 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं- समेकित वित्तीय विवरणों के खातों के लिए नोट्स जो कोविड-19 महामारी के फैलने से अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों के संचालन और वित्तीय परिणामों पर प्रभाव भविष्य के विकास पर निर्भर है, जिसमें उस ओर अन्य नियामक उपायों को कम करने के लिए की जा रही कार्रवाई शामिल है।

हमारा अभिमत इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले :

4. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों में हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में बताया गया था, और उसके बाद हमारा अभिमत बनाने तथा इन मामलों पर हम एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में जानकारी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मुख्य लेखा परीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
1	विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेश पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा प्रावधान	हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।
	<p>यथा 31 मार्च, 2022 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश जो है वह आस्तियों का एक बड़ा वर्ग है एवं कुल आस्तियों का 85.01% है। नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानदंडों एवं अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार) द्वारा निर्धारित उद्देश्यात्मक मापदंडों पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान आधारित है। हमारे बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैनुअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) पर अधिक निर्भर करता है।</p> <p>बैंक में आईआरएसी मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है।</p>	<p>हमारे लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएसी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसके संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में तर्क एवं मान्यताओं पर नियंत्रण, एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आंकलन, ऋणों के संवितरण एवं निगरानी शामिल है।</p> <p>इनमें निम्नलिखित के मूल्यांकन और समझ शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। • गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैनुअल नियंत्रण; • आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता;

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
		<ul style="list-style-type: none"> • अग्रिमों के मामलों में ऋण अनुमोदन के समग्र नियंत्रण, सवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया और निवेश के मामले में खरीददारी पर नियंत्रण, बिक्री तथा नियंत्रण में रखने की निर्णय प्रणाली • हमने ऋण/निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया. • हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहां कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है. • हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न और उनके कार्य पर विश्वास किया है. जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षा का उपयोग कर रहा है. • हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं तथा जो एक लेखा परीक्षक का कार्य करते हुए एसए 620 के अनुसार बैंक को सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके कार्यों की समीक्षा की है. • इसके अतिरिक्त हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है. • हमने बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षण/ निरीक्षण रिपोर्ट के रिपोर्टों एवं उक्त हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है. • अंक संबंधी सटीकता, डाटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन. हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन और परीक्षण किया है.

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
2	<p>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण</p> <p>कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में, बैंक की वित्तीय लेखा अवधि एवं रिपोर्टिंग सिस्टम कोर बैंकिंग सोल्युशन (सीबीएस) के प्रभावी कार्यनिष्पादन पर एवं सीबीएस से जुड़े हुए या स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे अन्य आईटी सिस्टम पर उच्च स्तरीय रूप से निर्भर है. लेनदेन की व्यापक मात्रा, विविधता एवं जटिलता को दैनिक रूप में संसाधित किया जाता है तथा वहां एक जोखिम है जो स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएँ तथा इससे संबंधित आंतरिक नियंत्रण सही ढंग से डिजाइन तथा प्रभावी रूप से संचालन नहीं हो सकते हैं. विशेष क्षेत्र का फोकस लॉजिक से संबंधित है, जो कि सिस्टम में डाटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, एसेस प्रबंधन तथा कर्तव्यों के पृथक्करण को भरा जाता है. ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि आवेदन एवं डाटा उचित, अधिकृत, शोधित तथा जांचे गए हैं ताकि सिस्टम वास्तविक एवं विश्वसनीय रिपोर्ट/रिटर्न तथा अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सूचना जेनरेट कर सके जिसे वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति हेतु उपयोग किया जा सके.</p> <p>हमने निम्नलिखित के लिए सीबीएस एवं अन्य आईटी प्रणालियों के निरंतर एवं सटीक कामकाज पर विश्वास जताया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं आय निर्धारण; अग्रिम संविभाग पर प्रावधान; विभिन्न वर्गों में अग्रिमों एवं देयता मदों की पहचान एवं इसकी परिपक्वता का स्वरूप उचत एवं विविध खातों, अवैयक्तिक खाता एवं पुराने तथा अंतर-शाखा शेष तथा अन्य ऐसे खातों का समाधान निवेश लेनदेनों की रिकॉर्डिंग जमा एवं अन्य देयताओं पर ब्याज व्यय; 	<p>हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में परीक्षण जांच के आधार पर सिस्टम से जेनरेट अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सूचना का सत्यापन कर आईटी प्रणाली के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है.</p> <p>हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में निम्न शामिल है:</p> <ul style="list-style-type: none"> यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण जांच आधार पर हमारे सत्यापन में कमियों को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रबंधन को सूचित किया गया है ; क्षेत्रों में कर्मियों को देखा गया है कि मौलिक परीक्षण की तरह स्वतंत्र वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया है ; अनुपात विश्लेषण, ट्रेंड विश्लेषण, उचित परीक्षण, तुलनात्मक विश्लेषण की तरह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया; सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित कार्य पर विश्वास एवं शाखा लेखा के परीक्षण के आधार पर सुधारक प्रविष्टियाँ (एमओसी) पारित की गई; बाह्य विक्रेता जांच रिपोर्ट, जहाँ कहीं भी उपलब्ध हो, पर अभिमत आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा एवं मुख्य आईटी कंट्रोल के अनुपालन के संबंध में आईटी विभाग से परिचर्चा.

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
3	आस्थगित कर की मान्यता और माप	
	<p>बैंक ने 31 मार्च, 2022 को ₹12,29,23,747 (`000 में) शुद्ध आस्थगित कर आस्थियों की पहचान की है। मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्थगित कर आस्थियों की पहचान एवं माप करना, भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित है। हाल ही में आस्थगित कर आस्थियों की मात्रा में वृद्धि, पहचान किए गए अनुमानों की उपलब्धता एवं एक विस्तारित समयावधि में लाभ का पूर्वानुमान, इस प्रकार से अनिश्चितता में वृद्धि एवं उक्त आस्थि में अंतर्निहित जोखिम व इसकी अनुचित पहचान।</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमनों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल है। हमारे समझौते के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दोनों टेस्टों का कार्य निष्पादन किया है। हमारे कंट्रोल टेस्टिंग के साथ हमने निम्न लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में कार्य निष्पादन किया है, लेकिन यह सीमित नहीं है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • आय पर "करों के लिए लेखांकन" एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्थियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन। • एकरूपता, स्थिरता एवं निरंतरता, बजट और मिडटर्म जैसे अनुमान, प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए तरीके, धारणा और अन्य मापदंडों का आकलन किया, जिसमें प्रबंधन द्वारा विकास और कर की दरों को लागू किया और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया। • लाभ की दृश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे भविष्य में ऐसा आस्थगित कर आस्थियों का उपयोग करने में बैंक सक्षम होगा।
4.	कोविड-19 महामारी	
	<p>कोविड-19 महामारी ने देश भर में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत सरकार ने मार्च 2020 से लॉक डाउन की श्रृंखला की घोषणा की थी, जिसे मौजूदा स्थिति के आधार पर देश भर में संबंधित राज्य में क्षेत्रवार तरीके से समय-समय पर उठाया गया और फिर से लगाया गया।</p> <p>इसी के अनुरूप और आंशिक और पूर्ण लॉक डाउन के अनुरूप, हमने वर्ष के कुछ हिस्से के लिए यात्रा प्रतिबंधों का अनुभव किया और जहां कहीं भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, बैंक ने दूरस्थ रूप से ऑडिट करने की सुविधा प्रदान की। वर्ष के अंत तक यह स्थिति काफी हद तक कम हो गई और इसलिए वर्ष के अंत में भौतिक लेखापरीक्षा सबसे अधिक प्रचलित थी।</p> <p>इसलिए जहां कहीं भी हम व्यक्तिगत रूप से/ भौतिक रूप से/ शाखाओं/ क्षेत्रों और क्षेत्रों/ कार्यक्षेत्रों/ कॉर्पोरेट कार्यालयों में अधिकारियों के साथ चर्चा और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से ऑडिट साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके, हमने ऐसी संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है।</p> <p>तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को दूर से लेखापरीक्षा करने के लिए संशोधित किया गया था।</p>	<p>जहां कहीं भी भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, बैंक द्वारा डिजिटल माध्यम से हमें आवश्यक रिकॉर्ड/ रिपोर्ट/ दस्तावेज/ प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें बैंक के नामित ऑडिट पोर्टल, ईमेल और सीबीएस के लिए रिमोट एक्सेस और क्लोजिंग पैकेज शामिल थे। इस सीमा तक, लेखापरीक्षा प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर की गई थी, जिन्हें वर्तमान अवधि के लिए लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग के संचालन के लिए लेखा परीक्षा साक्ष्य के रूप में भरोसा किया गया था।</p> <p>तदनुसार, हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं (नियामक और आईसीएआई परामर्शों के आधार पर) को निम्नानुसार संशोधित किया:</p> <ul style="list-style-type: none"> • बैंक की कुछ शाखाओं/ क्षेत्रों/ अंचलों/ वर्टिकल/ कॉर्पोरेट कार्यालयों और अन्य कार्यालयों के संबंध में जहां कहीं भी भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, रिमोट एक्सेस/ ईमेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवश्यक रिकॉर्ड/ दस्तावेजों/ सीबीएस/ क्लोजिंग पैकेज और अन्य एप्लिकेशन साँ फटवेयर का सत्यापन किया गया। • बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर ईमेल और रिमोट एक्सेस के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाणपत्रों, शाखाओं से रिटर्न और संबंधित रिकॉर्ड की स्कैन की गई प्रतियों का सत्यापन किया गया। • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, संवाद और फोन कॉल/ कॉन्फ्रेंस कॉल, ईमेल और इसी प्रकार के संचार चैनलों पर चर्चा के माध्यम से पूछताछ किया गया और आवश्यक ऑडिट साक्ष्य एकत्र किए गए। • नामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने बातचीत करने के बजाय हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान टेलीफोन/ ईमेल के माध्यम से किया गया।

समेकित वित्तीय विवरणों और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचनाएं

5. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष की मुख्य बातें, परिशिष्टों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय अनुपात, कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट एवं कोर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, परंतु वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं, जो हमें इन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पीलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं।

हमारे समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ने की है एवं ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना एकल वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से परिवर्तनशील है या हमारी जानकारी लेखापरीक्षा में प्राप्त या अन्यथा ही तात्विक रूप से गलत बयान की गई है।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख से पहले, यदि हमारे कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य सूचनाओं में बड़ी विसंगतियाँ हैं, तो हमें इस बात को रिपोर्ट करना होगा। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

जब हम अन्य सूचनाओं को पढ़ते हैं और यदि हम निष्कर्ष निकालें कि इसमें कुछ तथ्य गलत हैं तो हमें गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है।

प्रबंधन एवं वे जो समेकित वित्तीय विवरणों के लिए गवर्नेंस द्वारा प्रभारित हैं:

6. बैंक के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय परिणामों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण के लिए जिम्मेदार हैं जो समूह, उसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के समेकित वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाह एवं अन्य वित्तीय जानकारी का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21- "समेकित वित्तीय विवरणों", लेखा मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश के लिए लेखांकन" एवं लेखा मानक 27- संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखा नियमों के अनुरूप है एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधान,

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र, दिशानिर्देशों एवं निर्देशों ("आरबीआई दिशानिर्देश") और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत हैं।

समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल एवं उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई अधिनियम के प्रावधानों/बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अनुसार लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं ताकि समूह की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनिमित्यताओं की पहचान एवं बचाव, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन बनाना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा तात्विक गलत बयानी चाहे वे धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, से मुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल एवं उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई, समूह एवं इसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है ताकि वह कार्यशील क्षमता के रूप में बने रहे एवं लागू अनुरूप प्रकटीकरण, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग करना जब तक निदेशक मंडल या तो समूह का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल एवं उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई, समूह एवं इसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के जांच-पड़ताल के लिए जिम्मेदार होंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समुचित तौर पर चाहे धोखाधड़ी या गलती की वजह से तात्विक गलतबयानी से मुक्त है एवं एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गई लेखापरीक्षा

हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी. गलतबयानी धोखाधड़ी या गलती की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है, यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रभावित कर पाते.

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं. हम साथ ही:

- वित्तीय विवरण की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानने एवं मूल्यांकित करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना एवं जो हमारा मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है. धोखाधड़ी से उत्पन्न एक तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम गलती से उत्पन्न को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है.
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें जो कि सभी परिस्थितियों में उपयुक्त हो.
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण.
- लेखांकन की कार्यशील संस्था के आधार के प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ठोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की समर्थ्य पर संदेह बना सकती है. अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि ठोस अनिश्चितता नजर आती है, तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो अब तक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्राप्त किए गए हैं. हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती है.

- संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, प्रकटीकरण सहित, वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, एवं क्या वित्तीय वितरण अंतर्निहित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि वह एक उचित प्रदर्शन हासिल करें.

वास्तविकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिणाम है जोकि, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, संभावित बनाता है कि वित्तीय विवरणों के विवेकपूर्ण ज्ञानवान प्रयोगकर्ता के आर्थिक फैसले को प्रभावित किया जा सकता है. हम परिणात्मक वास्तविकता एवं गुणात्मक घटक का प्रयोग करते हैं i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने एवं हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एवं ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गई किसी भी गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करना.

अन्य मामलों के अलावा, हम लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखा के समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी किन्हीं महत्वपूर्ण कमियों को गवर्नेस के संबंध में उनसे संप्रेषण करते हैं.

हम गवर्नेस से प्रभारित को भी वचन देते हैं कि हमने स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, एवं उनसे संप्रेषण करने के लिए सभी रिश्ते एवं अन्य मामले जिनके बारे में माना जाता है कि वह विवेकपूर्ण तरीके से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं, एवं सुरक्षोपाय संबंधी, जहां लागू है.

गवर्नेस से प्रभावित संपोषित मामलों से, हमने ऐसे मामलों को निर्धारित किया है जो कि वर्तमान अवधि की एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के सबसे अधिक महत्व के हैं एवं इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम इन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में लोक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या जब, अत्यधिक दुर्लभ मामलों में, हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हो.

अन्य मामले:

8. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में, निर्दिष्ट 3 सहायक कंपनियां एवं 2 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई एवं 1 सहयोगी, जिनके वित्तीय विवरणों में यथा 31 मार्च, 2022 को कुल संपत्ति ₹ 7,38,99,114 (हजार में) एवं कुल राजस्व ₹ 1,42,06,742 (हजार में) एवं उसी

तारीख को समाप्त वर्ष में कर राशि के बाद शुद्ध लाभ ₹3,20,963 (हजार में), समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में माना गया है। इन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और इन सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के संबंध में हमारा मत यह है कि समेकित वित्तीय विवरणों में निर्दिष्ट राशि एवं प्रकटीकरण मात्र अन्य लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों में 2 सहायक एवं 1 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भी शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी यथास्थिति 31 मार्च, 2022 को कुल संपत्ति ₹23,61,162 (हजार में), समूह के हिस्सेदारी को दर्शाता है, दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 5,66,826 (हजार में) समूह का हिस्सा एवं कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ ₹3,22,462 (हजार में) समूह के हिस्सेदारी को दर्शाता है, जैसा कि समेकित वित्तीय परिणामों में निर्दिष्ट है। ये अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी हमें बैंक के प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रदान की गयी है एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों एवं सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित हैं, पूर्ण रूप से इस तरह की समीक्षा/अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारे मत में एवं बैंक प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यह वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी समूह के महत्व लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समूह की इकाइयों जिनके वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, को अनुसूची 18 लेखों पर नोट्स में सूचीबद्ध किया गया है, जो समूह के समय के समेकित वित्तीय विवरण का एक भाग है।

उक्त संदर्भित मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत एवं किए गए कार्य के संबंध में हमारा विश्वास तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें एवं अशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

10. ऊपर दिए गए पैरा 5 और 8 में इंगित ऑडिट की सीमा और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अधीन, सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के बयान जैसा कि लागू सीमा तक "अन्य मामले" पैरा में उल्लेखित है और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी है और अन्य वित्तीय जानकारी हमारी लेखा परीक्षा एवं अलग-अलग वित्तीय विवरण पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आवश्यक है और हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- ए) हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त की गई जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।
- बी) हमारे विचार से हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन, बैंक के अधिकार में किए गए हैं; तथा
- सी) बैंक के कार्यालय एवं शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- ए) हमारी राय में, बैंक द्वारा अब तक की विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, उन पुस्तकों की जांच से यह प्रतीत होता है कि हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिन पर हमने दौरा नहीं किया है;
- बी) समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए खाता बही के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के साथ मेल खाते हैं जिन पर हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;
- सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से निपटाया गया है;

डी) हमारी राय में, समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित कैश फ्लो स्टेटमेंट लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यह अपनी सीमा में है व आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं.

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFNV8228

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFXC6066

कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं. 109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFFR2991

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFID6253

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W

सीए सचिन वी लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFLG9220

कृते मेसर्स एन बी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

सीए प्रदीप जे. शेड्डी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXFCS3650

स्थान : मुंबई

दिनांक : 13.05.2022

समेकित तुलन पत्र

यथा 31 मार्च, 2022

(₹ 000' में)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
पूंजी	1	6,93,87,510	6,51,08,479
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	2	63,92,23,739	58,22,69,299
अल्पमत हित	2ए	-	-
जमाराशियाँ	3	10,34,36,77,535	9,25,65,39,262
उधार	4	51,24,51,999	51,92,22,312
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	37,29,15,316	40,06,34,595
कुल		11,93,76,56,099	10,82,37,73,947
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष	6	46,11,58,920	37,88,57,135
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य शेष	7	73,64,23,289	46,87,76,239
निवेश	8	3,51,83,90,437	3,39,05,85,059
अग्रिम	9	6,63,35,56,506	5,93,32,00,827
अचल आस्तियां	10	7,20,83,095	7,36,64,201
अन्य आस्तियां	11	51,60,43,852	57,86,90,486
समेकन पर साख		-	-
कुल		11,93,76,56,099	10,82,37,73,947
आकस्मिक देयताएं	12	6,51,14,68,340	3,71,78,14,658
संग्रहण के लिए बिल		66,08,94,128	34,69,48,137
प्रमुख लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

(पंकज कुमार)
उप महाप्रबंधक(प्रफुल्ल कुमार सामल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(निधु सक्सेना)
कार्यपालक निदेशक(रजनीश कर्नाटक)
कार्यपालक निदेशक(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ(समीर शुक्ला)
निदेशक(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक(सूरज श्रीवास्तव)
निदेशक(लक्ष्मण एस उप्पर)
निदेशक(डॉ. जयदेव मद्गुला)
निदेशक(प्रीति जय राव)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002785Sकृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959Wसीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFNV8228सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं. 109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFFR2991सीए सचिन वी लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFLG9220कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223Cकृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002803Cकृते मेसर्स एन वी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100Wसीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFXC6066सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFID6253सीए प्रदीप जे. शेठी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXFCS3650

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 मई, 2022

समेकित लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	68,22,96,573	69,31,14,562
अन्य आय	14	13,52,44,131	14,30,67,228
कुल		81,75,40,704	83,61,81,790
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	40,17,84,651	44,11,23,988
परिचालन व्यय	16	19,70,26,117	19,75,15,212
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		16,66,44,918	16,92,62,404
कुल		76,54,55,686	80,79,01,605
III. सहायक कंपनियों में अल्पमत हित और अर्जन के अंश से पहले समेकित निवल लाभ/(हानि)			
जोड़ें : सहायक कंपनियों में लाभ/(हानि) का अंश		5,68,187	3,53,803
पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) अल्पमत शेयरधारकों का हिस्सा घटाने से (घटाएँ):-अल्पमत हित		5,26,53,205	2,86,33,988
वर्ग विशेष हेतु समूह के लिए वर्ष का समेकित निवल लाभ/(निवल हानि)		-	-
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ/(हानि)		5,26,53,205	2,86,33,988
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		5,26,53,240	2,86,34,023
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित में अंतरण		1,31,93,989	73,35,683
पूंजी आरक्षित में अंतरण		1,22,12,675	90,01,837
निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित में अंतरित		65,68,682	1,27,92,901
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		24,71,838	(4,96,433)
प्रस्तावित लाभ/हानि		1,29,86,021	-
विशेष आरक्षित में अंतरण [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii)]		52,20,000	-
लाभ हानि लेखों में शेष		35	35
कुल		5,26,53,240	2,86,34,023
प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड (अंकित मूल्य रु.10)	18	7.77	4.47
प्रमुख लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित नोट्स	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

(पंकज कुमार)
उप महाप्रबंधक(प्रफुल्ल कुमार सामल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(निधु सक्सेना)
कार्यपालक निदेशक(रजनीश कर्नाटक)
कार्यपालक निदेशक(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक(समीर शुक्ला)
निदेशक(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ(सूरज श्रीवास्तव)
निदेशक(लक्ष्मण एस उप्पर)
निदेशक(डॉ. जयदेव मद्गुला)
निदेशक(प्रीति जय राव)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002785Sकृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959Wसीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFNV8228सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं. 109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFFR2991सीए सचिन वी लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFLG9220कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223Cकृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002803Cकृते मेसर्स एन वी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100Wसीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFXC6066सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFID6253सीए प्रदीप जे. शेठ्टी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXFCS3650

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 मई, 2022

बैंक परिपुष्टय

नोटिस

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरणियाँ

समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां यथा 31 मार्च, 2022

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
अनुसूची 1 - पूंजी :		
I. प्राधिकृत:		
रु. 10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु. 10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	10,00,00,000	10,00,00,000
II. निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :		
i. रु. 10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित (पिछले वर्ष 570,66,60,850 इक्विटी शेयर)	5,70,66,609	5,70,66,609
ii. रु. 10 प्रति शेयर की दर से 112,80,86,616 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 70,01,83,505 इक्विटी शेयर)	1,12,80,866	70,01,835
कुल	6,83,47,475	6,40,68,444
अनुसूची 1ए - सहायक कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयर पूंजी :		
17 मई, 2018 को दार्ड ईची लाइफ होल्डिंग इंक को 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रति ₹ 10/- (यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक सहायक कंपनी द्वारा जारी) के 10,40,03,544 अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय गैर - मोचनीय अधिमानित शेयर	10,40,035	10,40,035
कुल	10,40,035	10,40,035

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :				
I. सांविधिक आरक्षित:				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	13,36,27,665		12,62,91,983	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,31,93,989		73,35,682	
वर्ष के दौरान कमी	-	14,68,21,655	-	13,36,27,665
II. पूंजी आरक्षित:				
ए) पूंजी आरक्षित :				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,67,20,564		3,77,18,727	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,22,12,675		90,01,837	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	5,89,33,239		4,67,20,564	
बी) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित:				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,89,84,778		4,99,77,701	
वर्ष के दौरान वृद्धि	79,200		40,444	
वर्ष के दौरान कमी	1493238		10,33,368	
	4,75,70,740		4,89,84,777	
सी) समामेलन आरक्षित				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	13,095,979		13,095,979	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	13,095,979	11,95,99,958	13,095,979	10,88,01,321

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
III. समेकन पर पूंजी आरक्षिति				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	6,63,498		6,63,498	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	2,42,147	4,21,351	-	6,63,498
IV. शेयर प्रीमियम :				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	17,37,85,077		50,13,70,025	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,01,92,653		-	
वर्ष के दौरान कमी	50,870	18,39,26,860	32,75,84,947	17,37,85,077
V. राजस्व एवं अन्य आरक्षिति :				
i) राजस्व आरक्षिति :				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	9,53,58,032		8,20,08,797	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,36,44,810		2,60,02,442	
वर्ष के दौरान कमी	15,72,823		1,26,05,677	
	10,74,30,020		9,54,05,562	
घटाएँ:- अल्पमत हित	-		-	
	10,74,30,020		9,54,05,562	
ii) धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,50,78,789		5,50,78,789	
वर्ष के दौरान वृद्धि	52,20,000		-	
	6,02,98,789		5,50,78,789	
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	20,15,886		15,93,516	
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,95,338		4,29,740	
वर्ष के दौरान कमी	10,37,597		9,044	
	12,73,628		20,14,212	
iv) विशेष लाभ आरक्षिति/ नकदी प्रवाह हेज आरक्षिति				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	58,485		58,485	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		454	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	58,485		58,939	
v) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति:				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,27,92,901		41,300	
वर्ष के दौरान वृद्धि	65,68,682		1,27,92,901	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	1,93,61,583		1,28,34,201	
vi) डिबेंचर मोचन आरक्षिति				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	31,375		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	31,375	18,84,53,880	-	16,53,91,703
VI. लाभ हानि खाते में शेष				
लाभ हानि खाते में शेष		35		35
कुल		63,92,23,739		58,22,69,299

बैंक परिपुष्टय

नाटिस

सांनिधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरणियां

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 2 ए अल्पमत हित				
प्रारंभिक शेष			-	-
जोड़े/ (घटाएँ):- वर्ष के दौरान वृद्धि/ (घटाएँ)			-	-
कुल अल्पमत हित			-	-

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 3 - जमाराशियां :				
I. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	81,32,959		76,23,510	
ii) अन्य से	71,90,31,754	72,71,64,713	62,94,60,721	63,70,84,231
II. बचत बैंक जमाराशियां		3,04,57,69,582		2,71,99,65,042
III. मीयादी जमाराशियां				
i) बैंकों से	2,27,87,325		3,16,45,104	
ii) अन्य से	6,54,79,55,915	6,57,07,43,240	5,86,78,44,885	5,89,94,89,989
कुल		10,34,36,77,535		9,25,65,39,262
भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां		10,31,96,69,265		9,21,47,62,722
भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमा राशियां		2,40,08,270		4,17,76,540
कुल		10,34,36,77,535		9,25,65,39,262

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 4 - उधार :				
ए) भारत में उधार				
i. भारतीय रिजर्व बैंक	14,20,90,000		14,20,90,000	
ii. अन्य बैंक	1,98,28,213		1,40,33,310	
iii. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	3,02,20,231		2,78,19,964	
iv. शाश्वत बॉन्ड्स	8,70,50,000		7,10,50,000	
v. अधीनस्थ बॉन्ड्स	10,05,00,000		10,05,00,000	
vi. 7 वर्षीय इन्फ्रा बॉन्ड्स	-	37,96,88,444	50,01,000	36,04,94,274
बी) भारत से बाहर उधार		13,27,63,555		15,87,28,038
कुल		51,24,51,999		51,92,22,312
उपर्युक्त बी (I) एवं (II) में सम्मिलित प्रतिभूति उधार		14,70,29,470		14,20,90,000

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :		
I. देय बिल	2,68,90,202	2,30,30,334
II. उपचित ब्याज	4,54,94,112	3,18,07,505
III. अन्य (प्रावधान सहित)*	30,05,31,002	34,57,96,756
कुल	37,29,15,316	40,06,34,595

*मानक आस्तियों हेतु प्रावधान सहित रु. 6,57,86,258 (पिछले वर्ष रु. 5,12,25,996)

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
अनुसूची 6 – नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष:		
I. धारित नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)	3,78,48,706	3,78,64,974
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष		
i. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष चालू खाते में	42,33,09,768	34,09,87,188
ii. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष अन्य खाते में	446	4,973
कुल	46,11,58,920	37,88,57,135

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
अनुसूची 7 – बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन :		
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
ए) चालू खातों में	24,07,403	58,71,512
बी) अन्य जमा खातों में	6,15,83,178	7,11,41,687
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
ए) बैंकों से	-	-
बी) अन्य संस्थाओं से	55,41,14,877	29,55,40,000
	61,81,05,458	37,25,53,199
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	33,72,152	27,17,626
ii) अन्य जमा खातों में	11,36,93,769	9,20,46,674
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	12,51,910	14,58,740
कुल	11,83,17,831	9,62,23,040
	73,64,23,289	46,87,76,239
अनुसूची 8 – निवेश:		
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	2,65,82,89,693	2,42,56,14,461
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	58,64,924	1,60,14,875
iii) शेयरों में	2,62,42,463	3,27,94,407
iv) डिबेंचर एवं बाण्डस में	70,34,90,650	75,85,84,336
v) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों / एसोसिएट में	26,88,946	21,20,760
vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में)	10,05,44,011	13,41,76,368
कुल	3,49,71,20,687	3,36,93,05,207
II. भारत से बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	1,85,57,542	1,87,83,099
ii) शेयरों में	6,810	9,450
iii) अन्य निवेश (बाण्डस में)	27,05,398	24,87,303
iv) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में	-	-
कुल	2,12,69,750	2,12,79,852
कुल	3,51,83,90,437	3,39,05,85,059

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
III. i) भारत में निवेश		
सकल मूल्य	35,58,61,12,295	3,43,15,59,994
घटाएं: मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	61,491,607	62,254,787
भारत में निवेश निवल मूल्य	3,49,71,20,688	3,36,93,05,207
ii) भारत से बाहर निवेश		
सकल मूल्य	2,15,85,972	2,12,99,300
घटाएं: मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	3,16,223	19,448
भारत से बाहर निवेश निवल मूल्य	2,12,69,749	2,12,79,852
कुल	3,51,83,90,437	3,39,05,85,059

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)		
I i) खरीदे और भुनाए गए बिल	3,87,31,665	4,11,53,857
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	2,87,95,84,813	2,66,27,05,495
iii) मीयादी ऋण	3,71,52,40,028	3,22,93,41,475
कुल	6,63,35,56,506	5,93,32,00,827
II i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	5,36,44,78,377	5,09,22,54,335
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत	13,07,52,505	16,55,89,292
iii) अप्रतिभूत	1,13,83,25,624	67,53,57,201
कुल	6,63,35,56,506	5,93,32,00,828
ए. भारत में अग्रिम:		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2,59,52,39,457	2,52,92,91,622
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	72,72,96,155	61,06,29,459
iii) बैंक	2,22,975	3,07,310
iv) अन्य	3,13,83,22,359	2,62,94,41,664
कुल	6,46,10,80,946	5,76,96,70,055
बी. भारत के बाहर अग्रिम:		
i) बैंकों से प्राप्य	5,45,65,135	3,47,68,977
ii) अन्य से प्राप्य		
ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	12,32,802	36,979
बी) सिंडीकेटेड ऋण	5,47,141	11,83,093
सी) अन्य	11,61,30,482	12,75,41,723
	17,24,75,560	16,35,30,772
कुल	6,63,35,56,506	5,93,32,00,827

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां :				
ए. मूर्त आस्तियां				
I. परिसर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	8,16,49,772		8,09,95,477	
वर्ष के दौरान वृद्धि	6,12,275		7,17,393	
वर्ष के दौरान कमी	12,79,323		4,738	
	8,09,82,724		8,17,08,132	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	2,64,08,228	5,45,74,496	2,49,42,252	5,67,65,880
II. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	6,30,768		5,96,816	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,87,638		2,18,977	
वर्ष के दौरान कमी	4,48,273	3,70,133	1,82,517	6,33,276
III. भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	12,45,683		12,45,683	
वर्ष के दौरान वृद्धि (पुनर्मूल्यांकन सहित)	13,08,678		-	
वर्ष के दौरान कमी	55,725		-	
	24,98,636		12,45,683	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	4,52,022	20,46,614	78,385	11,67,298
IV. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित)				
ए) पट्टे पर दी गयीं आस्तियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	2,68,478		2,68,478	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	2,68,478		2,68,478	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	2,68,478	0	2,68,478	0
बी. अन्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	6,49,59,025		6,25,93,795	
वर्ष के दौरान वृद्धि	49,20,419		35,32,456	
वर्ष के दौरान कमी	8,19,609		9,93,375	
	6,90,59,835		6,51,32,876	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	5,63,82,534	1,26,77,301	5,30,38,569	1,20,94,307
बी. अमूर्त आस्तियां				
(i) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	1,14,93,797		89,51,793	
वर्ष के दौरान वृद्धि	9,10,278		27,20,989	
वर्ष के दौरान कमी	29,870		9,256	
	1,23,74,205		1,16,63,526	
आज की तारीख तक परिशोधित	99,59,654	24,14,551	86,60,085	30,03,441
कुल		7,20,83,095		7,36,64,201

बैंक परिपुष्टय

गोपनीय

सांख्यिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरणियां

समेकित लाभ एवं हानि खाते के भाग के रूप में अनुसूचियां

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों/ बिलों पर ब्याज/ बट्टा	45,29,33,293	45,83,44,668
II. निवेशों से आय	20,15,94,684	21,03,54,155
III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज	2,14,39,537	1,61,06,390
IV. अन्य	63,29,059	83,09,349
कुल	68,22,96,573	69,31,14,562
अनुसूची 14 - अन्य आय :		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	1,71,90,485	1,21,60,225
II. निवेशों की बिक्री से लाभ - (निवल)	3,52,44,503	4,32,96,427
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	(13,43,760)	40,76,402
IV. स्थायी आस्तियों की बिक्री से लाभ/ हानि - (निवल)	(3,489)	2,05,851
V. विनिमय संव्यवहारों से लाभ - (निवल)	60,83,678	43,40,878
VI. ए) पट्टा वित्त आय	-	-
बी) पट्टा प्रबंधन शुल्क	-	-
सी) अतिदेय शुल्क	-	-
डी) प्राप्य पट्टा किराया पर ब्याज	-	-
VII. विविध आय	7,80,72,713	7,89,87,445
कुल	13,52,44,131	14,30,67,228
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :		
I. जमाराशियों पर ब्याज	37,47,18,766	40,83,59,049
II. भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	1,05,60,975	1,49,23,543
III. अन्य	1,65,04,910	1,78,41,396
कुल	40,17,84,651	44,11,23,988
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :		
I. कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	10,26,36,661	9,49,10,217
II. किराया, कर और बिजली	1,08,29,331	1,12,06,349
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	9,75,941	9,30,033
IV. विज्ञापन और प्रचार	6,94,846	7,18,677
V. ए) पट्टा आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	74,48,149	90,81,502
बी) पट्टा आस्तियों पर मूल्यहास	-	-
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	48,608	59,706
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	6,70,847	10,94,891
VIII. विधि प्रभार	15,25,868	13,66,141
IX. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	31,25,474	23,36,294
X. मरम्मत एवं रखरखाव	33,75,669	36,62,617
XI. बीमा	1,16,58,849	1,20,98,687
XII. साख पर परिशोधन, यदि कोई हो	-	-
XIII. अन्य व्यय	5,40,35,874	6,00,50,099
कुल	19,70,26,117	19,75,15,212

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (समेकित) : अनुसूची 17

1 प्रस्तुति का आधार

ये वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा वर्णित न हों, प्रचलित लेखाबन्दी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, गोइंग कंसर्न अवधारणा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियाँ भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं), द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एएस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है। विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित पद्धति और सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है।

2 अनुमानों का उपयोग

जीएएपी के साथ अनुरूपता में वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से जाना जाता है।

3. समेकन का आधार

ए) बैंक की 5 सहायक कंपनियों, 3 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी इकाई है। इसकी जानकारी निम्नानुसार है : -

क्र.	प्रकृति	इकाई	स्टेक
1	सहायक कंपनी	यूबीआई एएमसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	100%
2	सहायक कंपनी	यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	100%
3	सहायक कंपनी	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	100%
4	सहायक कंपनी	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड	100%

क्र.	प्रकृति	इकाई	स्टेक
5	सहायक कंपनी	यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	100%
6	संयुक्त उद्यम	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	25.10%
7	संयुक्त उद्यम	एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड	26.02%
8	संयुक्त उद्यम	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी	25.00%
9	सहयोगी इकाई	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	35%

समेकित वित्तीय विवरण निम्न के आधार पर बनाया गया है:

- 1) मूल बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
- 2) सहायक कंपनियों का समेकन : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण पर एस-21 के क्रम में अंतर-समूह संव्यवहारों, अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के पश्चात, मुख्य बैंक संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों के आय / व्यय / आस्तियों / देयताओं के पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकत्रीकरण करेंगे।
- 3) एसोसिएट्स का समेकन: एसोसिएट में निवेश इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट में निवेश का लेखांकन से संबंधित मानक लेखांकन - 23 के अनुसार, इक्विटी पद्धति के आधार पर समेकन हेतु लेखांकित किया गया है।
- 4) संयुक्त उपक्रम का समेकन: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का मानक लेखांकन- 27 के अनुसार संयुक्त उद्यम में आनुपातिक शेयर का पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।

बी) घरेलू एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम के मामले में, मूल बैंक द्वारा पालन किए गए भिन्न-भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण, लेखांकन समायोजन बढ़ रहे हैं और एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम की व्यवहारिक समस्याओं के कारण एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर समायोजन नहीं किए गए हैं क्योंकि राशियां प्राप्त नहीं हुईं।

- सी) सहायकों में निवेश के समूह की लागत एवं सहायकों में इक्विटी के मुख्य भाग के बीच के अंतर को सीएफएस में साख/ पूंजी रिजर्व, जैसा भी मामला हो के रूप में पहचाना गया है।
- डी) समेकित सहायक कंपनी के शुद्ध परिसम्पत्तियों में निम्न अल्प संख्यक हित शामिल हैं:
- सहायक कंपनी में किए गए निवेश की तिथि पर अल्पसंख्यक को स्रोतजन्य इक्विटी की राशि
 - मूल सहायक कंपनी का संबंध अस्तित्व में आए दिनांक से, राजस्व रिजर्व / हानि में अल्पसंख्यक शेयरों में गतिविधि एवं इक्विटी.
 - अल्पसंख्यक को लागू आधिक्य एवं कोई अग्रतर हानि, को बहुसंख्यक हित के सापेक्ष केवल उस हद तक समायोजित किया जाता है जहां अल्पसंख्यक के लिए बाध्यकारी दायित्व है, और नुकसानों में अच्छा कर सकता है।

4 राजस्व निर्धारण

ए) बैंकिंग निकाय

- जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है।
- गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है। गत वर्ष में दर्ज की गई आय और वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत आस्तियों के संबंध में शेष अप्रतिभूत की मान्यता समाप्त कर दी गई है।
- गारंटी पत्र / साख पत्र पर कमीशन की गणना उपचित आधार पर की गई है।
- विनिमय एवं ब्रोकरेज अर्जित, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय, न्यूनतम जमाशेष आदि वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं।
- "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

- ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है।

- बी) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए लेखांकन किया गया है।

- जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए की बिक्री का लेखांकन किया गया है।
- आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर आयकर रिफंड पर ब्याज की गणना की जाती है।

बी) गैर - बैंकिंग संस्था

जीवन बीमा

i) प्रीमियम आय

प्रीमियम (जीएसटी निवल) जब देय है, तब आय के रूप में मान्य है। लिंकड कारोबार हेतु जब एसोसिएटेड यूनिट सृजित की जाती है, तब प्रीमियम के रूप में मान्य है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल आय के रूप में लिया जाता है। कालातीत पॉलिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रूप में पहचाना जाता है, जब पॉलिसियां पुनर्स्थापित हुई हैं। पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय के रूप में तब परिवर्तित किया जाता है, जब पुनर्बीमा प्रीमियम के रूप में परिवर्तित किया गया है।

ii) लिंकड फंड से आय

लिंकड फंड से आय, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टेलिटी प्रभार, कोष प्रबंधन प्रभार आदि शामिल है, को जारी पॉलिसियों के नियमों व शर्तों के अनुसार लिंकड कोष से वसूल किया गया है।

iii) पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा की लागत को प्रीमियम आय की पहचान के समय समझौते या पुनर्बीमाकर्ता के साथ मूल अनुबंध के अनुसार गणना की गई है। पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध प्राप्त है।

iv) लाभों का भुगतान (दावों सहित)

लाभ के भुगतान में पॉलिसी लाभ व दावा निपटान लागत, यदि कोई है, शामिल है, के लिए मृत्यु, राइडर व समर्पण

दावों की सूचना प्राप्त होने पर गणना की गई है। उत्तरजीवी लाभ दावों व परिपक्वता दावों की देय होने पर गणना की गई है। एसोसिएट यूनिट्स निरस्त होने पर लिक्विड पॉलिसी के अंतर्गत निकासी व समर्पण की संबंधित योजना में गणना की जाती है। दावों पर पुनर्बीमा वसूली की उसी अवधि में गणना की गई है, जिस अवधि से संबंधित दावें हैं।

v) **अधिग्रहण लागत**

अधिग्रहण लागतें ऐसी लागतें हैं जिसमें परिवर्तन जारी रहता है और जो प्राथमिक तौर पर बीमा संविदा के अधिग्रहण से संबंधित हैं एवं उसी अवधि में खर्च किए गए हैं, जिस अवधि से संबंधित है।

vi) **जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु देयता**

जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु बीमांकिक देयता और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है, लेकिन देयता आस्तित्व में है, का निर्धारण नियुक्त बीमांकिक द्वारा सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करते हुए और समूह कारोबार के मामले में, अनर्जित प्रीमियम रिजर्व पद्धति द्वारा स्वीकृत बीमांकिक व्यवहार, बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, आईआरडीए विनियमों और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्व्युरिस ऑफ इंडिया के अनुसार किया गया है।

आस्ति प्रबंधन

- i) निवेश प्रबंधन शुल्क को सेवा कर के साथ उपचय आधार पर म्युचुअल फण्ड योजनाओं (योजना में कम्पनी द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) की औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार पहचान की गई है कि यह सेबी (म्युचुअल फण्ड) विनियम, 1996 और उसके पश्चात कोई संशोधन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
- ii) निवेश सलाहकारी शुल्क की पहचान ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर की गई है।
- iii) ब्याज उपचित आय की पहचान समयानुपात पद्धति का उपयोग करते हुए, संव्यवहार में निहित दर के आधार पर की गई है
- iv) लाभांश आय की पहचान तब की गई है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया हो।

5 **निवेश**

i) **वर्गीकरण**

बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारूप "ए" की अपेक्षाओं के अनुरूप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) ऋणपत्र एवं बॉन्ड

ई) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं

एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र डीओआर. एमआरजी.42/21.04.141/201-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 के अनुसार तीन संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यथा:

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस)

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

ii) **मूल्यांकन का आधार**

मूल्यांकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं:

ए) "एचटीएम" में धारित प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर : अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है।

बी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

सी) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

- डी) ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में अस्थायी के अलावा हास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है.
- ई) "एफएस" व "एचएफटी" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप्ट वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध हास, यदि है, तो लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि शुद्ध वृद्धि, यदि कोई हों, को अनदेखा किया गया है.
- एफ) अन्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

ए	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ)	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए/एफबीआईएल) के कोटेशन के अनुसार
बी	राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बांड	एफआईएमएमडीए/एफबीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्ति के आधार पर.
सी	इक्विटी शेयर	यदि उल्लेखित हो, तो बाजार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य पर, दोनों नहीं होने पर, रु.1/- प्रति कंपनी के अनुसार. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर ब्रेक-अप मूल्य की गणना की जाए.
डी	वरीयता शेयर	यदि उल्लेखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए/एफबीआईएल के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं.
ई	ऋण पत्र/बॉन्ड्स	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए/एफबीआईएल के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर.

एफ	म्युचुअल फंड (एमएफ)	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की दशा में, संबंधित म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
जी	राजकोषीय बिल / जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
एच	उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुराना न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हो तो रु.1/- प्रति वीसीएफ.
आई	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

- iii) अंतर बैंक रेपो / रिजर्व रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.
- iv) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

ए) विक्रय के लिए उपलब्ध(एफएस)/ट्रेडिंग के धारित(एचएफटी) से परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर बही मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर, यदि कोई, हास है, तो लगाया गया है.

बी) परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध(एफएस)/ट्रेडिंग के लिए धारित(एचएफटी) श्रेणी में

- यदि परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत / बही मूल्य पर.

- यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर.
- सी) विक्रय के लिए उपलब्ध(एएफएस) से ट्रेडिंग के लिये धारित(एचएफटी) श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.
- डी) इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया.
- v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है.
- vi) किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि एवं निवेश की मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित ("एचटीएम") श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.
- vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.
- viii) म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल एवं प्रतिभूति रसीद की इकाइयों से होने वाली आय को नकद आधार पर माना जाएगा.
- ix) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा "निपटान तारीख" का पालन किया जाता है.

6 डेरीवेटिव संविदा

- ए) वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वेप उपचित आधार पर लगाई गई है, सिवाय उन स्वेप नामित आस्तियों या देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य या लागत से कम या बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वेप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वेप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

बी) ट्रेडिंग स्वेप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं (लाभ यदि कोई है, को अनदेखा किया जाए).

सी) विकल्प संविदाओं के मामले में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

7 अग्रिम

i) भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों पर मास्टर परिपत्र डीओआर.नं.एसटीआर. आरईसी.55/21.04.048/2021-22 दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है. विदेशी शाखाओं में स्थित अग्रिमों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा स्थानीय विधि, जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं, द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिक सख्त हो लागू होंगे.

ii) अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठन अग्रिमों के उचित मूल्य में गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

iii) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को "अन्य देयताओं और प्रावधानों" में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल गैर निष्पादक आस्तियों व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है.

iv) बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में माना जाएगा.

v) छह महीने से अधिक समय से बकाया उचित खातों की प्रविष्टियों पर प्रावधान 100% किया गया है, सिवाय सरकार/ सरकारी निकायों से प्राप्त दावे जैसे फसल ऋण पर ब्याज अनुदान/निर्यात अग्रिम, पेंशन आदि को छोड़कर.

8. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

- i) परिसर एवं अन्य अचल आस्तियों को, लागत रहित संचित मूल्यहास कहा गया जैसा कि हानि के लिए समायोजित किया गया है, यदि कोई है. लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधार लागत और परिसंपत्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से लागत कम व्यापार छूट और रिबेट शामिल है. इस तरह की आस्तियों से इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है. पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है तथा हास की राशि को उसमें से घटाया गया है और "संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण" पर संशोधित लेखा मानक-10 के अनुसार राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा. .
- ii) बैंक की व्यय नीति में समय समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन मेंथड पर अचल आस्तियों पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है. मूल्यहास की लागू दरें निम्नानुसार हैं:

क्र.सं	पूंजी आस्ति	उपयोग हेतु वर्ष (वर्ष)	प्रतिशत में दर
1	अचल संपत्ति- भूमि	गैर निर्दिष्ट; तदनुसार, कोई मूल्यहास नहीं	शून्य
2	आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों)	60	1.67
3	फर्नीचर	10	10.00
4	फिक्सचर	10	10.00
5	वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/वातानुकूलित डकटेबल)	10	10.00
6	स्लिट एवं विंडो एयर वातानुकूलन	5	20.00
7	विद्युत इन्स्टालमेंट एवं उपकरण	5	20.00
8	सौर ऊर्जा उपकरण	15	6.67
9	एलिवेटर एवं लिफ्ट	15	6.67
10	पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य	5	20.00
11	दूरभाष उपकरण	5	20.00
12	मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	10	10.00
13	मोटर कार, मोटर लॉरी एवं इलेक्ट्रिक से संचालित वाहन जिसमें पावर बैट्री सहित या ईंधन सेल संचालित वाहन शामिल है.	8	12.50

क्र.सं	पूंजी आस्ति	उपयोग हेतु वर्ष (वर्ष)	प्रतिशत में दर
14	मोबाइल फोन	3	33.33
15	जेनेरेटर	15	6.67
16	कार्यालय उपकरण	5	20.00
17	कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के एकीकृत भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3	33.33
18	एटीएम एवं संबद्ध आइटम	3	33.33
19	यूपीएस एवं संबद्ध आइटम	5	20.00
20	सर्वर एवं नेटवर्क	6	16.66
21	अंतिम यूजर साधन जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, आई-पैड, टैब्लेट प्रिंटर एवं स्कैनर, डिजिटल घड़ियाँ आदि	3	33.33

- iii) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यहास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.
- iv) पट्टे पर ली गई आस्तियां तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर का उपयोग कर स्ट्रेट-लाइन के आधार पर लगाया गया है.
- v) देश के बाहर स्थित अचल आस्तियों एवं सहायक कंपनी/एसोसियेट्स की अचल सम्पत्तियों पर नियामक की आवश्यकतानुसार/अथवा संबंधित देश/उद्योग की प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप मूल्यहास लगाया गया है.

9. आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यहास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यहास लगाने के बाद होती.

10. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

काउंटर साइकिलिक बफर प्रावधानीकरण करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग

अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा का मूल्यांकन किया जाता है। काउंटर साइक्लिक प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11 (विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है। जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) एकीकृत परिचालन एवं

बी) गैर एकीकृत परिचालन।

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाइयां, विदेशी अनुषंगियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है।

ए) एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

- आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर लिया गया गया है।
- विदेशी मुद्रा मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है।
- गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गई हैं।
- परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है।
- वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है। फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और "अंतरिम" परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।

बी) गैर - एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण

- आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है।
- विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा आकस्मिक देयताओं बकाया का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर पर किया जाता है।
- आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है।
- परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग "विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व" खाते में रखा जाता है।

12. कर्मचारी लाभ

(ए) अल्पावधि रोजगार लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूर्ण देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(बी) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

i. निर्धारित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है। इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई

भत्ता के 10% का अंशदान तथा बैंक द्वारा 14% का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

ii. निर्धारित लाभ योजना:

ग्रेच्युटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इस्टीमेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्युरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. एक्युरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

13. **खंड-वार रिपोर्ट करना :**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और इस्टीमेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 "खंड-वार रिपोर्टिंग" के अनुसार, बैंक ने कारोबार संवर्ग को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में माना है. कारोबार खंड को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- 13.1 ट्रेजरी परिचालन,
- 13.2 कॉर्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,
- 13.3 रिटेल बैंकिंग परिचालन और
- 13.4 अन्य बैंकिंग परिचालन में

14. **लीज संव्यवहार**

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया जाता है. बैंक द्वारा लीज/ किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/ लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय माना जाता है.

15. **प्रति शेयर आय**

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को बकाया इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की

जाती है. प्रति शेयर डायल्यूटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है, जो किया जाता है यदि वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम का अनुबंध अथवा परिवर्तित किया गया था. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्यूटेड आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर के भारित औसत संख्या और बकाया डायल्यूटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की जाती है.

16. **कराधान**

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर एएस -22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच समय अंतराल के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं. चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है. कर योग्य आय पर कर नियमों के अनुसार वर्तमान कर का प्रावधान किया गया है. समय अंतराल के कारण उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियों एवं अस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं स्थापित कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक "उचित निश्चितता" न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थगित कर का निर्धारण होगा. गैर-मूल्यहास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल "आभासी निश्चितता" होने पर मान्यता दी जाती है.

17. **प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां**

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) के अनुसार, बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों. ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गयी है, क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रूप में परिणित हो सकती है.

18. **शेयर निर्गम व्यय :**

शेयर निर्गम व्यय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं.

अनुसूची 18 लेखों पर नोट्स (समेकित)

1. बैंक (पैरेंट) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित किया गया है, वे निम्नानुसार हैं:

सहायक कंपनियों के नाम	निगमन का देश	31.03.2022 को पैरेंट के स्वामित्व का अनुपात
यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100%
यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	100%
आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.	भारत	100%
यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	भारत	100%

2. समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रमों के विवरण निम्नानुसार हैं:

संयुक्त उपक्रम के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दार्ज-ईची लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (गैर-बैंकिंग)	भारत	25.10%
एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	26.02%
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद	भारत	25.00%

3. समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट के विवरण निम्नानुसार हैं:

एसोसिएट का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	भारत	35%

31 मार्च, 2022 को बैंक द्वारा किए गए निवेश का मूल्य ₹1492.32 करोड़ रहा, जिसे दीर्घावधि निवेश के रूप में माना गया है।

4. सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरण जिनका उपयोग समेकन के लिए किया गया है, वे पैरेंट की रिपोर्टिंग तिथि, अर्थात् 31 मार्च, 2022, तक के हैं।
5. स्टार यूनियन दार्ज-ईची लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी, यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड और आंध्रा बैंक फिनाशियल सर्विसेज लिमिटेड और एसआरआईसी (इंडिया)

लिमिटेड की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

6. वर्ष के दौरान, बैंक ने इंडिया फ्रस्ट लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपने 21% निवेश को बैंक ऑफ बड़ौदा को निर्निहित कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक की शेयर धारिता 30% से 9% तक कम हो गयी है एवं तदनुसार बैंक के सीएफएस में दिनांक 31.03.2022 को इंडिया फ्रस्ट लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर विचार नहीं किया गया है।
7. निरंतर आधार पर उच्च खातों, विविध जमाराशि, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतर-शाखा / कार्यालय खातों में लंबित प्रविष्टियों का समायोजन प्रगति पर है। उसी के अंतिम मंजूरी के बावजूद, प्रबंधन की राय में खातों पर कुल प्रभाव, यदि कोई हो, तो वह उल्लेखनीय नहीं है।
8. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:

8.1 ए. पूंजी

बैंक 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के पालन के अधीन है। 1 अक्टूबर, 2021 तक बासल III के कार्यान्वयन के लिए एक संक्रमण अनुसूची दिशानिर्देश में दी गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2021 से बासल III का सम्पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, टीयर I पूंजी कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी I) और अतिरिक्त टियर I से बनी है।

बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2022 तक पूंजी का जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी-I 8.00% (2.50% के पूंजी संरक्षण बफर सहित) और न्यूनतम टीयर I सीआरएआर 9.50% तक बनाए रखना आवश्यक है।

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा दिनांक 21 मई, 2021 को आहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थानन के तहत 42,79,03,111 अतिरिक्त इक्विटी शेयर जारी किया गया है, जिससे बैंक ने रुपये 1,447.17 करोड़ की राशि जुटाई है। तदनुसार बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता दिनांक 31 मार्च, 2021 को, 89.07% के सापेक्ष कम होकर 83.49% तक हो गयी है। इसके अलावा, बैंक ने बासल III अनुपालन में खंडवार रुपये 2,000 करोड़ की टीयर-2 बॉन्ड एवं अतिरिक्त रुपये 5,000 करोड़ की टीयर-1 जारी किया है और बासल III अनुपालन में मोचन (रिडम्पशन) हेतु रुपये 2,000 करोड़ की टीयर-2 बॉन्ड एवं अतिरिक्त रुपये 3,400 करोड़ की टीयर-1 बॉन्ड के लिए कॉल विकल्प का अभ्यास प्रारम्भ किया है।

संरचना के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना नीचे दी गई है:

		(₹ करोड़ में)	
क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i.	सामान्य इक्विटी टायर-1 पूंजी अनुपात (सीईटी 1) / प्रदत्त शेयर पूंजी एवं आरक्षित (निवल कटौती, यदि कोई हो)	58,205.98	50,133.85
ii.	अतिरिक्त टायर 1 पूंजी / अन्य टायर 1 पूंजी	8,539.83	7,105.00
iii.	टायर 1 पूंजी (i + ii)	66,745.81	57,238.85
iv.	टायर 2 पूंजी	12,692.32	12,185.77
v.	कुल पूंजी (टायर 1+टायर 2)	79,438.12	69,424.62
vi.	कुल जोखिम-भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)	5,48,469.51	5,54,434.89
vii.	सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में प्रदत्त शेयर एवं आरक्षित	10.61	9.04
viii.	टायर 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टायर 1 पूंजी)	12.17	10.32
ix.	टायर 2 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टायर 2 पूंजी)	2.31	2.20
x.	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	14.48	12.52
xi.	लीवरेज अनुपात	5.17	4.82
xii.	शेयर धारिता का प्रतिशत ए) भारत सरकार बी) राज्य सरकार (नाम का उल्लेख करें) सी) स्पॉन्सर बैंक	83.49	89.07
xiii.	वर्ष के दौरान प्रदत्त इक्विटी पूंजी के माध्यम से जुटाई गयी राशि	1,447.17	-
xiv.	वर्ष के दौरान जुटाई गयी गैर-इक्विटी टायर 1 पूंजी की राशि जिसमें: ए) बासल III अनुपालन शाश्वत गैर संचयी अधिमान शेयर बी) बासल III अनुपालन स्थायी/ बेमियादी कर्ज लिखत	-- 5,000.00	-- 1,705.00
xv.	वर्ष के दौरान जुटाई गयी टायर 2 पूंजी की राशि जिसमें ए) शाश्वत गैर संचयी अधिमानी शेयर बी) प्रतिदेय गैर संचयी अधिमानी शेयर सी) बासल III अनुपालन कर्ज लिखत	-- -- 2,000.00	-- -- 2,000.00

8.2 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

		(₹ करोड़ में)	
लाभ एवं हानि शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का ब्रेकअप:	31.03.2022	31.03.2021	
निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / (प्रति प्रविष्टि)	200.48	839.74	
एनपीए के लिए प्रावधान	11,931.44	13,733.74	
सामंजस्य के लिए प्रावधान	--	323.86	
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (प्रति प्रविष्टि)	1,451.35	1,246.34	
आयकर / आस्थगित कर के लिए प्रावधान	3,357.84	(500.84)	
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:	(276.62)	1,283.40	
योग	16,664.49	16,926.24	

8.3 काउंटर साईक्लिकल प्रावधान बफर / फ्लोटिंग प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	प्रारंभिक शेष	306.20	306.20
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य
iii)	लेखा वर्ष के दौरान ड्रा डाउन की गई राशि	306.20	शून्य
iv)	लेखाबंदी शेष	शून्य	306.20

9 कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित) (मूल बैंक)

i) अल्पावधि रोजगार के लाभ:

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूट रहित राशि को अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान मान्य होती है, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की थी।

ii) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

ए. निश्चित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है। इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है। बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है।

बैंक के पास 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है। यह योजना पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी के तत्वावधान के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा प्रबंधित है। एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्वोरिटीज़ डिपॉजिटरी को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में रु. 120.35 करोड़ एरियर सहित रु. 501.51 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 297.92 करोड़) का अंशदान किया है।

बी) निश्चित लाभ योजना:

ग्रेच्युटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं। इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है। एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है।

निश्चित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है।

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
i)	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाती तालिका:				
	वर्ष के आरंभ में देयता	3,355.82	26,011.41	2,738.03	24,553.31
	ब्याज लागत	232.56	1,797.39	187.28	1,667.17
	चालू सेवा लागत	161.12	212.30	137.71	265.17
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	1902.02	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(प्रदत्त लाभ)	(465.84)	(2,341.52)	(433.15)	(1,682.84)
	बाध्यताओं पर बिमांकिक (अर्जन)/ हानि- परिवर्तन के कारण				
	वित्तीय धारणा में	(119.57)	(1,446.34)	शून्य	शून्य
	जनांकिक धारणा में	2.86	63.46	(26.36)	(247.67)
	बाध्यताओं पर बिमांकिक (अर्जन)/ हानि	30.86	2,452.27	752.31	1,456.27
	वर्ष के अंत में देयताएं	3,197.81	28,650.99	3,355.82	26,011.41
ii)	योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी::				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य योजना	2,746.43	26,720.88	2,671.12	23,145.31
	आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	190.33	1846.41	182.70	1,571.57
	अंशदान	843.37	551.42	291.35	3,605.19
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(प्रदत्त लाभ)	(465.84)	(2,341.52)	(433.15)	(1,682.84)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(53.31)	(266.31)	(34.41)	(81.65)
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,367.60	27,043.50	2,746.43	26,720.88
	अवधि के लिए बाध्यताओं पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(85.85)	1,069.39	725.95	1,208.60
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(53.31)	(266.31)	(34.41)	(81.65)
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(139.16)	803.08	691.54	1,126.95
iii)	संक्रमणकालीन देयता की पहचान:				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :				
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	190.33	1,846.41	182.70	1,571.57
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	53.31	266.31	34.41	81.65
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	243.64	2112.72	217.11	1,653.22
v)	आय विवरण में चिन्हित व्यय :				
	वर्तमान सेवा लागत	161.12	212.30	137.71	265.17
	ब्याज लागत	42.23	(49.02)	4.58	95.60
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) (बढ़ी हुयी फॅमिली पेंशन का 1/5)	शून्य	380.40	शून्य	शून्य
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक (अर्जन) या हानि	(139.16)	803.08	691.54	1,126.95
	लाभ व हानि खाते में चिन्हित व्यय	64.19	1346.76	833.83	1,487.72

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
vi)	तुलन पत्र समाधान:				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में चिह्नित शुद्ध राशि)	609.39	(709.47)	66.91	1,408.00
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	64.19	1346.76	833.83	1,487.72
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(नियोक्ता का अंशदान)	(843.37)	(551.42)	(291.35)	(3,605.19)
	तुलन-पत्र में शुद्ध (आस्ति)/देयता चिह्नित राशि	(169.79)	85.87	609.39	(709.47)
vii)	अन्य विवरण :				
	पेंशन सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अध्यक्षीन है।				
	उपदान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि रुपये 20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो।				
	वर्ष के दौरान बीमांकिक अर्जन/हानि की गणना की गई है।				
	वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है।				
	सदस्यों की संख्या	75,201	23,216	78203	28235
	वेतन प्रति माह	354.44	182.95	354.09	210.64
	आगामी वर्ष के लिए अंशदान	--	592.76	354.09	--
viii)	आस्तियों का संवर्ग:				
	भारत सरकार की आस्तियां	63.45	585.14	64.56	601.59
	कॉर्पोरेट बांड/एफडीआर	36.15	721.81	96.29	1029.07
	विशेष जमा योजना	--	--	--	--
	राज्य सरकार	101.17	1185.78	125.89	1150.74
	सम्पत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	244.10	1733.36	185.67	1,426.35
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	2,897.20	22,492.80	2,252.98	22,235.49
	म्यूचुअल फंड	25.53	324.61	21.04	277.64
	योग	3,367.60*	27,043.50*	2,746.43	26,720.88

* नोट : वित्तीय वर्ष 2020-21 के पेंशन एवं उपदान जो 7.00% माना गया था, के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपादान देयताएं का उचित मूल्य और पेंशन देयताएं 7.00% निर्धारित करने के लिए, एलआईसी एवं अन्य बीमा कंपनियों में निवेश पर रिटर्न को 7.25% माना गया है।

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/कमी:	उपदान योजना				
	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि					
वर्ष के अंत में देयता	3,197.81	3,355.82	1291.94	1,222.64	1,244.88
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,367.60	2,746.43	1219.01	1,202.14	1,302.00
अंतर	169.79	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12
पिछली पहचान न की गई सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	169.79	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12

* यूबीआई स्टैडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	उपदान योजना				
	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
अनुभव समायोजन	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
योजना देयता पर (लाभ)/ हानि	30.86	752.31	25.87	7.91	(142.26)
योजना आस्तियों पर (हानि) / लाभ	53.31	34.41	7.20	(13.03)	10.64

* यूबीआई स्टैडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/कमी:	पेंशन योजना				
	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
वर्ष के अंत में देयताएं	28,650.99	26,011.41	12,746.69	12,158.43	11,803.32
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	27,043.50	26,720.88	12,607.16	12,308.84	12,115.00
अंतर	(1,607.49)	709.47	(139.53)	150.41	311.68
पहचान न की गई पूर्व सेवा लागत	1521.62	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	(85.87)	709.47	(139.53)	150.41	311.68

* यूबीआई स्टैडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	पेंशन योजना				
	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
अनुभव समायोजन					
योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि	2,452.27	1,456.27	938.90	125.22	(37.82)
योजनागत आस्तियों (हानि) / लाभ	266.31	81.65	75.23	7.18	(21.39)

* यूबीआई स्टैडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमान का उपयोग (%)	2021-22		2020-21	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
पिछली छूट दर	6.93	6.91	6.84	6.79
पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	6.93	6.91	6.84	6.79
पिछली वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
वर्तमान छूट दर	7.31	7.40	6.93	6.91
वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	7.31	7.40	6.93	6.91
वर्तमान वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
वर्तमान एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

i) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालिक अवधि कर्मचारी लाभ हेतु तैयार किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	31.03.2022	31.03.2021
1.	पेंशन	1,346.76	1,487.72
2.	अवकाश किराया रियायत	13.41	27.45
3.	अवकाश नकदीकरण	48.70	102.29

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर बीमारी अवकाश के लिए रु. 236.12 करोड़ का प्रावधान किया है, हालांकि इसमें कोई बड़ा भुगतान नहीं है.

ii) फंमिली पेंशन एवं उपदान देयताएं अपरिशोधित :

	31.03.2022	31.03.2021
पेंशन		
ए) पूर्ववर्ती शेष राशि	शून्य	शून्य
बी) सकल देयताएं	1,902.02	शून्य
सी) लाभ एवं हानि पर प्रभार	380.40	शून्य
डी) अग्रेषित शेष राशि	1,521.62	शून्य
उपदान		
ए) लाभ एवं हानि पर प्रभार	शून्य	शून्य
बी) अग्रेषित	शून्य	शून्य

ई. 11 नवंबर, 2020 के 11वें द्विपक्षीय समझौता और संयुक्त नोट के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में वृद्धि पर अतिरिक्त देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 1902.02 करोड़ रुपये आ गई है। इसके अलावा, आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के अनुसार, बैंकों को उक्त देयता को 5 वर्ष की अवधि तक परिशोधित करने की अनुमति है, जिसका प्रारम्भ दिनांक 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष होगी। तदनुसार, बैंक ने उक्त देयता को 5 वर्षों की अवधि में परिशोधित करने का विकल्प चुना है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते में 380.40 करोड़ रुपये की राशि का शुल्क लिया है और शेष 1,521.62 करोड़ रुपये के असंशोधित व्यय को अगले 4 वर्षों में परिशोधन के लिए आगे बढ़ाया गया। यदि परिशोधन रहित व्यय को लाभ या हानि खाते में पूरी तरह से मान्यता दी गई है, तो 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ 3,743.70 करोड़ रुपये होगा।

10. क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (एएस-17)

10.1. कारोबार क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कारोबार क्षेत्र	समेकित	
		समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
		31.03.2022	31.03.2021
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व		
1	ट्रेजरी परिचालन	26,815.66	27,789.92
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	26,198.04	24,817.48
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	25,776.79	26,541.51
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	1,397.64	1,371.55
5	गैर आबंटित	1,688.64	3,240.26
	कुल क्षेत्रवार राजस्व	81,876.77	83,760.72
	घटाया अंतर क्षेत्रवार राजस्व परिचालन से आय	(122.70)	(142.54)
		81,754.07	83,618.18
(बी)	क्षेत्रवार परिणाम		
1	ट्रेजरी परिचालन	6,002.74	6,157.83
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	4,508.68	4,197.57
3	कॉर्पोरेट बैंकिंग	(3,093.72)	(8,823.12)
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	758.37	733.23
5	गैर आबंटित	390.27	61.67
	कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)	8,566.34	2,327.18
(सी)	कर हेतु प्रावधान	3,357.84	(500.84)
(डी)	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	5,208.50	2,828.02
	जोड़ा: एसोसिएट में लाभ का शेयर	56.82	35.38
(ई)	समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)	5,265.32	2,863.40

क्र. सं.	कारोबार क्षेत्र	समेकित	
		समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
		31.03.2022	31.03.2021
(एफ)	क्षेत्रवार आस्तियां		
1	ट्रेजरी परिचालन	4,78,735.97	4,27,941.43
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	3,18,913.60	2,77,171.79
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	3,68,181.73	3,41,941.30
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	--	--
5	गैर आबंटित	27,934.31	35,322.87
	कुल	11,93,765.61	10,82,377.39
(जी)	क्षेत्रवार देयताएं		
1	ट्रेजरी परिचालन	4,70,252.54	4,19,807.14
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	2,90,449.81	2,53,344.66
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	3,35,313.11	3,10,531.92
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	--	--
5	गैर आबंटित	26,889.03	33,955.90
	कुल	11,22,904.49	10,17,639.62
(एच)	नियोजित पूंजी		
1	ट्रेजरी परिचालन	8,483.43	8,134.29
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	28,463.79	23,827.13
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	32,868.62	31,409.38
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	--	--
5	गैर आबंटित देयताएं	1,045.28	1,366.97
	कुल	70,861.12	64,737.77

नोट:

- बैंक चार क्षेत्रों अर्थात् ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है। उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस-17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है। बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है। इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस-17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर एएस-17 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं। अतः बैंक का रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है।
- सीधे तौर पर आबंटित न किए जा सकने योग्य आय, व्यय, प्रयुक्त पूंजी प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किए जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिए गए हैं।
- बैंक ने तिमाही के दौरान अपनी एक संयुक्त उद्यम इकाई में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश किया है (कृपया ऊपर उल्लिखित नोट संख्या 6 देखें)। इसलिए आंकड़े उस हद तक तुलनीय नहीं हैं।

11. संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस-18)

11.1 संबंधित पार्टियों की सूची

ए. सहायक कंपनियां

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि.
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.
- आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.
- यूबीआई सर्विसेस लि

बी. संयुक्त उपक्रम

- स्टार यूनियन दार्ज-इची इश्योरेंस कं. लि.
- एएसआरईसी (इंडिया) लि.
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद

सी. एसोसिएट

- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

डी. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु भुगतान की गई पारिश्रमिक
श्री राजकिरण रै जी.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	0.37
श्री गोपाल सिंह गुसाई @	कार्यपालक निदेशक	0.26
श्री दिनेश कुमार गर्ग*	कार्यपालक निदेशक	0.15
श्री मानस रंजन बिस्वाल	कार्यपालक निदेशक	0.31
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक	0.30
श्री रजनीश कर्नाटक#	कार्यपालक निदेशक	0.14
श्री निधु सक्सेना^	कार्यपालक निदेशक	0.05

@ 31.01.2022 तक

* 30.09.2021 तक

21.10.2021 से

^ 01.02.2022 से

ई) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक – भुगतान की गई पारिश्रमिक राशि

विवरण	(₹ करोड़ में)	
	31.03.2022	31.03.2021
	राशि	राशि
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक	0.37	0.34
कार्यपालक निदेशक	1.21	1.11
कुल	1.58	1.45

पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए

लेखा मानक (एस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। आगे, एस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं का प्रकटन नहीं किया गया है।

12. प्रति शेयर अर्जन (एस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गई है।

प्रति शेयर आय की गणना नीचे दी गई है:

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	640,68,44,355	640,68,44,355
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	42,79,03,111	शून्य
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	6,83,47,47,466	640,68,44,355
मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	6,77,26,13,590	640,68,44,355
विघटित अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले शेयर की भारित औसत संख्या	6,77,26,13,590	640,68,44,355
निवल लाभ/(हानि) रुपए करोड़ में	5,265.32	2,863.40
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹)	7.77	4.47
विघटित अर्जन प्रति शेयर (₹)	7.77	4.47
मौद्रिक मूल्य प्रति शेयर (₹)	10	10

13. करों के लिये प्रावधान:

आस्थगित कर (एस-22)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
आस्थगित कर आस्तियां			
1	कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण)	474.78	457.76
2	स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	358.12	298.39
3	गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	14,072.58	18,156.51
4	विदेशी मुद्रा अंतरण अधिशेष	1.14	36.50
5	मानक आस्तियां	588.37	--
6	अन्य	0.07	--
	कुल	15,495.05	18,949.16
12 आस्थगित कर देयताएं			
1	प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	1,092.63	1,104.51
2	36(i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां	2,107.08	1,924.67
3	निवेश पर मूल्यहास	--	237.86
	योग	3,199.71	3,267.04
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति	12,295.34	15,682.12
	शुद्ध आस्थगित कर देयता	शून्य	शून्य

14. आस्तियों की हानि (एएस-28)

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो।

15. पैरेंट और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त जानकारियों का समेकन वित्तीय विवरण (सीएफएस) के निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है और ऐसी मदों से संबंधित सूचनाएं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, का सीएफएस में इसका प्रकटन नहीं किया गया है।
16. कोविड - 19 महामारी के प्रकोप ने भारतीय अर्थव्यवस्था सहित विश्व भर की आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भी, भारत ने कोविड - 19 महामारी की दो और लहरें देखीं और देश के कुछ हिस्सों में स्थानीय / क्षेत्रीय लॉकडाउन उपायों को फिर से लागू किया गया। बैंक निरंतर स्थिति की निगरानी कर रहा है और ग्राहकों तक पहुंच और पूर्ण बैंकिंग परिचालन को जारी रखने के लिए विभिन्न डिजिटल पहलों सहित सभी संभव उपाय कर रहा है। बैंक, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न पहलों और कदमों को ध्यान में रखते हुए और टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति के साथ, प्रबंधन का मानना है कि भविष्य में बैंक के कार्यनिष्पादन और संबंधित अनुमानों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
17. बैंक ने 1 अप्रैल 2021 से एनपीए खातों में वसूली के विनियोजन के तरीके को बदल दिया है (उन खातों के अलावा जहां विनियोजन की विधि विशेष रूप से उधारकर्ता और बैंक के बीच सहमत हुई है)। तदनुसार, ऐसे एनपीए खातों में वसूली अब पहले ब्याज के लिए और फिर मूलधन की ओर विनियोजित की जाती है, जैसा कि पूर्व में यह रिवर्स प्रक्रिया इसके विपरीत था। लेखांकन नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप तिमाही के लिए ब्याज आय में 495.26 करोड़ रुपये और वर्ष के लिए 1,081.77 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप सकल एनपीए में समतुल्य राशि की कमी नहीं हुई है।
18. पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनः समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरी

(पंकज कुमार)
उप महाप्रबंधक
(निधु सक्सेना)
कार्यपालक निदेशक

(समीर शुक्ला)
निदेशक
(लक्ष्मण एस उप्पर)
निदेशक

(रजनीश कर्नाटक)
कार्यपालक निदेशक
(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक
(डॉ. जयदेव मद्गुला)
निदेशक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)
निदेशक
(प्रीति जय राव)
निदेशक

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002785S

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFNV8228

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFXC6066

कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं. 109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFFR2991

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002803C

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFID6253

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959W

सीए सचिन वी लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFLG9220

कृते मेसर्स एन वी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100W

सीए प्रदीप जे. शेड्डी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXFCS3650

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 मई, 2022

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

क्र.स. विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
ए परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:		
कर से पहले निवल लाभ	8,56,634	2,32,677
निम्न के लिए समायोजन :		
अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	73,809	90,815
निवेशों के लिए प्रावधान	20,048	55,624
गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल)	11,62,524	14,05,760
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,36,754	1,37,588
स्टाफ संबंधी व्ययों हेतु प्रावधान	-	86,605
अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल)	11,339	16,367
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि	35	(2,059)
उधारी पर ब्याज : पूंजीगत साधन	1,55,133	1,59,660
एसोसिएट में लाभ का शेयर	5,682	3,538
उप योग	24,21,959	21,86,576
निम्न के लिए समायोजन:		
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	1,08,71,383	55,20,773
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	(5,55,146)	6,26,592
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(12,92,420)	(53,44,849)
अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(81,66,081)	(4,89,586)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	3,45,116	(5,84,957)
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल)	(54,388)	(22,864)
आरक्षित से/में अंतरण	63,465	1,61,050
परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	36,33,888	20,52,734
बी निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :		
अचल संपत्तियों की खरीद	(74,953)	(71,898)
अचल आस्तियों की बिक्री/समायोजन के आगम	30,788	11,789
सहायक कंपनी के निवेश में (बढ़ोतरी) / कमी	(11,606)	
निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(55,771)	(60,109)
सी वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह::		
शेयर प्रीमियम (निवल) सहित सहायक कंपनियों के अधिमानित शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम	-	-
शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम	1,44,209	3,70,500
पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि	7,00,000	
पूंजीगत लिखतों की चुकौती	(5,40,000)	(3,85,000)
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि	(2,27,704)	(17,11,906)
उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत	(1,55,133)	(1,59,660)
वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	(78,628)	(18,86,066)
नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/ (कमी) (ए)+(बी)+(सी)	34,99,488	1,06,559
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	84,76,334	55,57,753
समामेलन पर प्राप्त नकदी एवं नकदी समकक्ष	-	28,12,022
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	1,19,75,822	84,76,334
नकदी एवं नकदी समकक्ष के घटक		

बैंक परिपुष्टय

नाटिश

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरणियां

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

क्र.स. विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
डी वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	01.04.2021	01.04.2020
नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	37,88,571	20,11,892
बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	46,87,762	35,12,987
वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	84,76,334	55,24,879
ई वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	31.03.2022	31.03.2021
नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	46,11,589	37,88,571
बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	73,64,233	46,87,762
वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	1,19,75,822	84,76,334

जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरूप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(पंकज कुमार)
उप महाप्रबंधक

(निधु सक्सेना)
कार्यपालक निदेशक

(समीर शुक्ला)
निदेशक
(लक्ष्मण एस उप्पर)
निदेशक

(रजनीश कर्नाटक)
कार्यपालक निदेशक
(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक
(डॉ. जयदेव मद्गुला)
निदेशक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)
निदेशक
(प्रीति जय राव)
निदेशक

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र :

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3 "नकदीप्रवाह विवरण" के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 13 मई, 2022 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के समेकित लाभ हानि खाते तथा समेकित तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप हैं।

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002785S

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFNV8228

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFXC6066

कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं. 109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFFR2991

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002803C

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFID6253

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959W

सीए सचिन वी लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFLG9220

कृते मेसर्स एन वी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100W

सीए प्रदीप जे. शेठ्टी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXFCS3650

पूंजी नियमन बासल III के अंतर्गत प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III, पूंजी नियमन पर जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार बैंकों के लिए बासल III, पूंजी अपेक्षाओं के तहत पिलर III प्रकटन करना आवश्यक है. बैंक द्वारा ये प्रकटन किए गए हैं, जो बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/basel-disclosures-iii.aspx>

बैंक परिपत्र

नोटिस

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरणियां

कारोबारी उत्तरदायित्व एवं निरंतरता रिपोर्ट

सेबी द्वारा आवश्यक, कारोबारी उत्तरदायित्व एवं निरंतरता रिपोर्ट बैंक की वेबसाईट www.unionbankofindia.co.in पर उपलब्ध है. यदि कोई सदस्य उसकी भौतिक प्रति चाहते हैं तो वे बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते है.

NOTICE OF 20th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the **20th (Twentieth) Annual General Meeting ("AGM")** of the Shareholders of Union Bank of India ("Bank") will be held on **Thursday, 30th June, 2022 at 11.00 am (IST)** at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact the following business:

Ordinary Business:

Item No. 1:

To discuss, approve and adopt the Audited **Standalone and Consolidated** Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2022, **Standalone and Consolidated** Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2:

To declare Dividend of ₹1.90 per Equity Share for the Financial Year 2021-22.

Special Business:

Item No. 3:

Raising of Capital of the Bank by way of issuance of fresh Equity Shares and / or by issuance of Additional Tier-1 / Tier-2 Capital as per BASEL III Guidelines

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 3(2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("**Act**"), Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("**Scheme**"), the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 ("Regulations") and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the SEBI (Issue

of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 [**the SEBI (ICDR) Regulations**], the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [**the SEBI (LODR) Regulations**] as amended, the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India), Regulations, 2017 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of **the members of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank** (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s)/prospectus or such other document(s), in India or abroad **for an aggregate amount not exceeding ₹8,100 Crore (Rupees Eight Thousand One Hundred Crore only) subject to:**

- such number of equity shares and / or Preference Shares (whether Cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms and conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not for cash (whether at a discount or premium to the market price or issue price or floor price) **for an amount not exceeding ₹3,800 Crore (Rupees Three Thousand Eight Hundred Crore only)** which together with the existing Paid-up Equity share capital of **₹6834.74 Crore (Rupees Six Thousand Eight Hundred Thirty Four Crore and Seventy Four lakhs only)** will be within the total authorized capital of ₹10,000 crore (Rupees Ten Thousand Crore Only) of the Bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, or to the extent of enhanced

Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, whichever is higher, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity Share Capital of the Bank.

- such number of perpetual debt instruments, Non-convertible debentures including but not limited to Sub-ordinated Debentures, Bonds and / or other debt securities on private placement / public issue basis in one or more tranches which may classify for Tier-1 or Tier-2 Capital as (including Green/Foreign Currency Denominated Additional Tier -1 /Tier -2 Bonds) identified and classified by RBI, **for an amount not exceeding ₹4,300 Crore (Rupees Four Thousand Three Hundred Crore only).**

to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Limited Liability Partnerships (LLPs), Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs")/ Foreign Portfolio Investors ("FPIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Alternate Investment Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are eligible to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above, as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment of equity/preference shares/securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP), Follow on Public Issue, Rights Issue to public shareholders with or without promoter/promoter group shareholders forgoing their entitlement to equity shares, Depository Receipts/ADR/GDR, Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures, Employees Stock Option Scheme or Employee Stock Purchase Scheme of the Bank or such other mode of issue or combinations of these as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment or Green Shoe option and that such offer, issue, placement and allotment of equity/preference shares/securities be made as per the provisions of the Act, RBI Guidelines, the SEBI ICDR Regulations and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department for Promotion of Industry and Internal Trade - Ministry of Commerce and Industry (DPIIT), Ministry of Finance and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Government of India at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations:

- a) The allotment of Securities shall only be made to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations, such

securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution.

- b) The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of the SEBI (ICDR) Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations.
- c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs/FPIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such

modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s), Arranger(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall

be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Committee of Directors for Raising of Capital Funds or the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



Place : Mumbai
Date:30.05.2022

(S.K. Dash)
COMPANY SECRETARY

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

a. In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing norm to be followed and pursuant to clarificatory General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 2/2022 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 15th June, 2020, 28th September 2020, 31st December 2020, 13th January 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021 and 5th May 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA Circulars”) and Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 for Equity and Listed non-convertible securities, issued by the Securities and Exchange Board of India (“SEBI Circulars”) and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), Communication No. F. No. 7/47/2020-BOA dated 10th July 2020 of Ministry of Finance, Government of India, the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common

venue. The deemed venue for the AGM shall be the Central Office of the Bank situated at Mumbai. The Special business mentioned in the business Item No.3 being unavoidable, be transacted at the 20th AGM of the Bank through VC/OAVM.

- b. The Bank is adhering and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank has ensured sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.
- c. KFin Technologies Limited (KFintech) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.
- d. In line with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the AGM will be made available on the website of the Bank at www.unionbankofindia.co.in, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com and also on the website of KFintech at <https://evoting.kfintech.com>.
- e. As the AGM will be held through VC/OAVM Facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India.
- f. Members may participate in the AGM through VC/OAVM facility by following the procedure as mentioned below which shall be kept open for the Members from 10.45 AM (IST) i.e. 15 minutes before the time scheduled to start the AGM and the Bank may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled time to start the AGM. To join the VC/OAVM please visit <https://emeetings.kfintech.com> with the credentials as mentioned in the notice para no. 16 (vii) (a), (b) & (c). The helpline toll free no. 1800 309 4001 may be used for assistance with the technology before or during the meeting.
- g. Members may note that the VC/OAVM Facility with two-way conferencing and also pose questions concurrently, provided by KFintech allows participation of atleast 1,000 Members on a first-come-first-served basis. The large shareholders (i.e. shareholders holding 2% or more shareholding), promoter, institutional investors, directors, key managerial personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination

and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, auditors, scrutinizer etc. can attend the AGM without any restriction on account of first-come- first-served principle as per the MCA Circulars. Institutional Investors who are Members of the Bank, are encouraged to attend and vote in the 20th AGM through VC/OAVM Facility.

- h. Attendance of the Members participating in the AGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.
- i. Since the AGM is being held through VC/OAVM the physical attendance of members is dispensed with and no proxies would be accepted by the Bank pursuant to MCA Circulars.
- j. Speaker shareholder registration before AGM may also be availed during the remote e-voting period latest by **5 PM on Tuesday, 28th June, 2022**. Shareholders who wish to register as speaker are requested to visit <https://emeetings.kfintech.com> by using e-voting login credentials and click speaker registration during this period. Shareholders are requested to wait for their turn to be called by the Chairman of the meeting during the Question Answer session and coordination during the AGM. The Bank may have to dispense or curtail the speaker session; hence, shareholders are encouraged to send their relevant questions etc. in advance as provided in Notice Para No. 14 from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number /folio number and mobile number, on the Bank's email address investorservices@unionbankofindia.bank. Such questions by the Members shall be taken up during the meeting and replied by the Bank suitably. However, it is requested to raise the questions precisely and in short at the time of meeting to enable us to answer the same.
- k. The Shareholders who have not registered their email id can participate in the AGM after registering their email ID and Mobile Nos. in the weblink <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx>
- l. Members holding shares in physical form are requested to furnish bank details, email address, change of address etc. to the Registrars and Transfer Agent M/s Datamatics Business Solutions Limited before the cut-off date i.e. **Thursday, 23rd June, 2022**, in order to take note

of the same. In respect of members holding shares in electronic mode, the details as would be furnished by the Depositories as at the close of the aforesaid date will be considered by the Bank. Hence, members holding shares shall update their records at the earliest to enable us to send the Notice of AGM to their registered email id.

3. APPOINTMENT OF PROXY

In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70(vi) of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 will not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith. However, representatives of the Members may be appointed for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.

4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to info@jmja.in not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Friday, 24th June, 2022**.

5. BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Friday, 24th June, 2022 to Thursday, 30th June, 2022** (both days inclusive) for the purpose of AGM and for payment of Dividend, if declared by the Shareholders.

6. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or Bank's Investors Services Division for payment of unclaimed/unpaid dividend.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividend remained unclaimed/unpaid for 30 days from

the date of its declaration shall be transferred to the "Unpaid Dividend Account" within 7 days from the date of expiry of such period of 30 days.

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Account" and remained unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2013-14 to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2014-15 (Final), the Shareholders may visit unclaimed dividend search facility made available on Bank's website under following link: <https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomList.aspx> Procedure to claim unclaimed dividend and requisite forms are also made available on the above link

7. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE / NOMINATION

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc.,

- a. **For shares held in electronic form:** to their Depository Participants (DPs)
- b. **For shares held in physical form:** to the Bank / Bank's Registrar and Transfer Agent (RTA) in prescribed **Form ISR-1** and other forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD_ RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021. The Bank has sent letters along with Business Reply Envelopes (BRE) for furnishing the required details.
- c. As per the provisions of the said SEBI Circular, the facility for making nomination is available for the Members in respect of the shares held by them. Members who have not yet registered their nomination are requested to register the same by submitting **Form No. SH-13**. If a Member desires to opt out or cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/ she may submit the same in **Form ISR-3** or **SH-14** as the case may be. Members are requested to submit the said details to their DP in case the shares are held by them in dematerialized form and to Bank's RTA in case the

shares are held in physical form.

The address of Bank's RTA:

Datamatics Business Solutions Ltd.,
 Unit: Union Bank of India,
 Plot No. B-5, Part B, MIDC,
 Crosslane, Marol,
 Andheri (East), Mumbai - 400 093.
 Tel. No.: 022 – 66712001-6.

- d. The said forms are available on the website of the Bank at www.unionbankofindia.co.in/english/important-announcement-to-physical-shareholders.aspx
- e. Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.
- f. Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

8. ISSUANCE OF SECURITIES IN DEMATERIALIZED FORM IN CASE OF INVESTOR SERVICE REQUESTS AND SIMPLIFICATION OF PROCEDURES FOR TRANSMISSION OF SHARES AND FOR ISSUANCE OF DUPLICATE SECURITIES CERTIFICATES

Members may please note that SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_ RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 has mandated the Listed Entities to issue securities in dematerialized form only through letter of confirmation while processing the following service requests viz.

- Issue of duplicate securities certificate;
- claim from unclaimed suspense account;
- renewal/ exchange of securities certificate;
- endorsement;
- sub-division/splitting of securities certificate;
- consolidation of securities certificates/folios;
- transmission and transposition.

Accordingly, Members are requested to make the said service requests by submitting a duly filled and signed **Form ISR – 4**, the format of which is available on the Company's website at www.unionbankofindia.co.in/english/issuance-securities.aspx. It may be noted

that any service request can be processed only after the folio is KYC Compliant. Shareholders are also requested to follow the procedure as simplified by SEBI with regard to transmission of shares and issuance of duplicate shares certificate.

9. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the RTA of the Bank – Datamatics Business Solutions Ltd., immediately of:

- The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

10. COPIES OF ANNUAL REPORT

Considering the impact of COVID-19 pandemic and as allowed by the authorities, copies of the Annual Report 2021-22 in physical form shall not be dispatched and the same shall be sent through e-mail only to those Shareholders who have registered their Email IDs with the Bank or with Depository Participant. The Annual Report will also be hosted on the websites of the Bank and the Stock Exchanges. The shareholders may contact the Registrar and Share Transfer Agent in case of physical shares or Depository Participant in case of shares in demat form, for updation of email id.

11. CUT OFF DATE

FOR E-VOTING:

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, voting rights of the shareholders in respect of business Item nos. 1, 2 & 3 shall be reckoned as on **Thursday, 23rd June, 2022**.

12. PAYMENT OF DIVIDEND

If the dividend, as recommended by the Board of Directors, is declared at the AGM, payment of such dividend subject to Tax Deduction at Source will be made from **Monday, July 11, 2022 onwards as under:**

- To all Beneficial Owners in respect of shares held in dematerialized form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (“NSDL”) and the Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”), collectively “Depositories”, as of end of day on **Thursday, 23rd June, 2022**.

- To all Members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transmission or transposition requests lodged with the Bank as of the close of business hours on **Thursday, 23rd June, 2022**.

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates against payment of Dividend more than ₹5000 per shareholder on PAN basis. For the prescribed rates for various categories, please refer to the Finance Act, 2020 and the amendments thereof. The shareholders are requested to update their valid PAN with the DPs (if shares held in dematerialized form) and the Bank/Bank's RTA (if shares are held in physical form).

13. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Thursday, 23rd June, 2022** shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is also only eligible vote.

14. INFORMATION ON ACCOUNTS AND OTHER RELATED QUERIES

Shareholders seeking any information on the Accounts and other related queries are requested to write to the Bank by email at investorservices@unionbankofindia.bank which should reach the Bank before the date of the AGM latest **by 5 PM on 28th June, 2022** so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only during the AGM. Please

note that members' questions will be answered only if they continue to hold shares as on cut-off date i.e. **23rd June, 2022**.

Alternatively, Shareholders holding shares as on cut-off date may also visit <https://emeetings.kfintech.com> and click on "post your queries here" to post the relevant queries/view/questions. The window shall be activated during remote e-voting period and shall be closed by **5 pm on 28th June, 2022**.

15. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

SEBI vide its notification dated January 24, 2022 has mandated that all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Members are advised to dematerialise the shares held by them in physical form. Members can contact the Bank or Bank's RTA for assistance in this regard.

16. BUSINESS SET OUT IN THE NOTICE WILL BE TRANSACTED THROUGH ELECTRONIC VOTING SYSTEM AND THE BANK IS PROVIDING FACILITY FOR VOTING BY ELECTRONIC MEANS:

- i. Pursuant to the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI") and Regulation 44 of Listing Regulations read with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted during the AGM and facility for those Members participating in the AGM to cast vote through e-voting system during the AGM.
- ii. The facility for voting shall also be made available during the AGM and the shareholders participating in the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting through e-voting.

- iii. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- iv. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system ("remote e-voting") during the prescribed time prior to AGM and voting during AGM will be provided by service provider KFintech.
- v. The remote e-voting period commences on **Monday, 27th June, 2022 (9:00 am IST)** and ends on **Wednesday, 29th June, 2022 (5:00 pm IST)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date of **Thursday, 23rd June, 2022** may cast their vote by remote e-voting for business Item nos. 1, 2 & 3. The remote e-voting module shall be disabled by KFintech for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- vi. Any person who becomes a member of the Bank after sending notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. **Thursday, 23rd June, 2022**, may obtain the User ID and Password in the manner mentioned below by sending email to Bank at investorservices@unionbankofindia.bank along with authentic proof of shareholder or to write to KFintech at evoting@kfintech.com sufficiently before closing of the remote e-voting i.e. **before 5.00 pm on 29th June, 2022**.
- vii. The process and the manner for remote e-voting and e-voting during AGM is as under:

As per the SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in **Demat mode** are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Individual Shareholders (holding securities in DEMAT mode) - Login through Depositories.

NSDL	CDSL
<p>1. User already registered for IDeAS facility:</p> <p>I. URL: https://eservices.nsd.com</p> <p>II. Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section.</p> <p>III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting"</p> <p>IV. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.</p>	<p>1. Existing user who have opted for Easi / Easiest</p> <p>I. URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login</p> <p>or</p> <p>URL: www.cdslindia.com</p> <p>II. Click on New System Myeasi</p> <p>III. Login with user id and password.</p> <p>IV. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication.</p> <p>V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote.</p>
<p>2. User not registered for IDeAS e- Services</p> <p>I. To register click on link : https://eservices.nsd.com</p> <p>II. Select "Register Online for IDeAS"</p> <p>III. Proceed with completing the required fields.</p>	<p>2. User not registered for Easi/Easiest</p> <p>I. Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>II. Proceed with completing the required fields.</p>
<p>3. User not registered for IDeAS e-Services</p> <p>I. To register click on link : https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>II. Proceed with completing the required fields.</p>	<p>3. By visiting the e-Voting website of CDSL</p> <p>I. URL: www.cdslindia.com</p> <p>II. Provide demat Account Number and PAN No.</p> <p>III. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account.</p> <p>IV. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP (E-voting Service Provider) where the e-Voting is in progress.</p>
<p>4. By visiting the e-Voting website of NSDL</p> <p>I. URL: https://www.evoting.nsd.com/</p> <p>II. Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.</p> <p>III. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.</p> <p>IV. Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page.</p> <p>V. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.</p>	

Important note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned websites.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depositories i.e. NSDL and CDSL

Members facing any technical issue - NSDL	Members facing any technical issue - CDSL
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43.

Individual Shareholders (holding securities in DEMAT mode) - Login through their Depository Participants.

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

Login method for Non-Individual Shareholders and Shareholders holding securities in Physical Form

- Initial Password is provided in the body of the email.
- Launch internet browser and type the URL: <https://evoting.kfintech.com> in the address bar.
- Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No. /DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFintech for e-voting, you can use your existing User ID and password for casting your votes.
- After entering the details appropriately, click on LOGIN.

- You will reach the password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,\$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- You need to login again with the new credentials.
- On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Union Bank of India.
- On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- Click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.
- Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.
- Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory (ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at info@jmja.in and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'EVEN.....'

- viii. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and evoting manual available at <https://evoting.kfintech.com> under help section or call on 1800 309 4001 (toll free).
- ix. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to KFinTech or send an email to evoting@kfintech.com or call 1800 309 4001 (Toll Free).
- x. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. **Thursday, 23rd June, 2022** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.
- xi. In case of Joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of KFinTech, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.
- xii. Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.
- xiii. Ms. Mansi Damania of M/s JMJA & Associates LLP, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote evoting process in a fair and transparent manner.
- xiv. The Chairman/Chairperson of the Meeting shall, after commencement of the AGM, allow voting for all those shareholders who are participating in the AGM but have not casted their vote by availing the remote e-voting facility.
- xv. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, within two working days of the conclusion of the AGM, submit a consolidated scrutinizer’s report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman/ Chairperson of the Meeting or any other person authorised by him/her in writing.

17. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of remote e-voting and e-voting during the AGM alongwith the consolidated report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the website of KFinTech i.e. <https://evoting.kfintech.com>. The voting results and consolidated scrutinizer’s report shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges i.e. BSE & NSE.

18. SCRUTINISERS FOR E-VOTING AT MEETING

As already indicated for e-voting, Ms. Mansi Damania of M/s JMJA & Associates LLP, Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of all the business Items. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder for the E-voting conducted at the Meeting.

19. OUTCOME OF MEETING

The resolution shall be deemed to be passed at the Central Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolution(s).

20. RECORDED TRANSCRIPT

Proceeding of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in under Investor Relations section as soon as possible.

Explanatory Statement

ITEM NO.3:

Raising of Capital:

The Bank is in the business of the Banking and related services activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is ₹10,000 Crore. The paid-up equity share capital of the Bank as on 31st March 2022 was ₹6,834.47Crore.

Post QIP, shareholding of Government of India in the Bank is 83.49% of the total paid-up capital of the Bank.

The capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2022 was as under:

Capital Adequacy Ratios - Basel III

Parameters	Regulatory Capital March 31, 2022	₹ in crore)	
		March 31, 2022	March 31, 2021
Total Risk Weighted Assets	NA	545,923	5,51,521
Total Capital Funds		79,281	69,263
CET 1 Capital		58,049	50,001
Tier 1 Capital		66,589	57,091
CRAR (%)	11.50	14.52	12.56
CET 1 (%)	8.00	10.63	9.07
Tier 1 (%)	9.50	12.20	10.35
Tier 2 (%)	2.00	2.32	2.21

Note: RBI minimum benchmarks are including CCB (Capital Conservation buffer) of 2.50 per cent in CRAR, CET 1 and Tier 1 ratios.

In order to maintain the Capital and Leverage Ratio requirements under the Basel III guidelines for expansion of business assets and based on the estimated growth, your Directors have decided to raise the Capital up to **₹8,100 Crore (Rupees Eight Thousand One Hundred Crore Only)**.

In order to ensure regulatory compliances and to meet the requirement of additional capital funds for expanding and achieving the targeted business growth and for general lending purposes, the Bank may raise Equity Share Capital

through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutions Placement and/or Preferential Allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The Bank may also raise such number of perpetual debt instruments, Non-convertible debentures including but not limited to Sub-ordinated Debentures, Bonds and / or other debt securities on private placement / public issue basis in one or more tranches which may classify for Tier-1 or Tier-2 Capital as identified and classified by RBI and in compliance with the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021.

The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise as far as equity shares are concerned. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board of Directors on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares/ Bonds at an appropriate time, mode, and or issue of Bonds and other terms. This proposed resolution once passed it will supersede the resolution already passed in similar line, by the shareholders of the Bank in its Annual General Meeting held on 10th August, 2021.

The proposed issuance of Equity Shares and or Bonds in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend passing of the special resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or

concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



(S. K. Dash)
COMPANY SECRETARY

Place : Mumbai
Date: 30.05.2022

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

The Board of Directors are pleased to present the 103rd Annual Report of the Bank for the Financial Year 2021-22 together with the 'Audited Balance Sheet', 'Profit & Loss Account', 'Cash-Flow Statement' and the report on 'Management Discussion & Analysis'. The 'Corporate Governance Report' and 'Business Responsibility & Sustainability Report' also form part of the Annual Report 2021-22.

1. Highlights:

- 1.1 India's economic growth remained resilient in FY 2021-22, as the lifting of most virus containment measures boosted demand, keeping war-induced price pressures from dampening the recovery. A slew of data, from services activity to bank credit pointed to the return of demand in the second half of FY 2021-22. Consumer activity were encouraging, with bank credit growth at 9.6% in FY 2021-22, up from 5.6% in FY 2020-21. Liquidity conditions also continued to remain in surplus. Having achieved the milestone of over US\$ 400 billion of merchandise exports in FY 2021-22, the country is aiming for an ambitious export target of approximately US\$ 800 billion for both goods and services for the next year, nearly 19.5% higher than that achieved in 2021-22.
- 1.2 The COVID-19 pandemic will go down in history as one of the worst health crises the world has ever faced. Its economic impact may linger for many more years and confront us challenges of rebuilding livelihoods, safeguarding businesses and reviving the economy. Economic activity has barely recovered to pre-COVID levels even after two years. India's economic rebound faces difficult challenges from the legacy of deep-rooted structural bottlenecks as well as the scars of the pandemic. The Russia-Ukraine conflict has also dampened the momentum of recovery, with its impact transmitting through record-high commodity prices, weaker global growth outlook, and tighter global financial conditions. Concerns surrounding de-globalization impacting future trade, capital flows and supply chains have amplified uncertainties for the business environment. The RBI in its latest Report on Currency and Finance, has stated that it may take 12 years for the Indian economy to recover from the losses incurred during Covid-19 pandemic.
- 1.3 The global economy is in the midst of a geo-political debacle, with heightened uncertainty complicating the outlook. International commodity prices, which were already on an upward spiral amidst demand-supply imbalances, hardened precipitously in early March 2022 and remained volatile at elevated levels thereafter. India too is experiencing tremors from these developments. The fallout of the war and retaliatory sanctions is already evident in inflation prints and balance of payments developments.
- 1.4 The IMF in its World Economic Outlook had slashed global growth projections from 6.1% in 2021 to 3.6% in both 2022 and 2023. Reasons ascribed include the Ukraine war that has resulted in considerable economic damage coupled with worldwide spillovers through commodity markets, trade, and financial channels. Elevated inflation levels are another looming challenge complicating the trade-offs that central banks are faced with, between containing inflation and boosting economic growth. The war and lockdowns in China have worsened supply disruptions, narrowing the limited fiscal space for countries.
- 1.5 Notwithstanding economic uncertainties triggered by the Russia-Ukraine war it is quite clear from all accounts that India will remain the fastest growing economy in the world. According to National Statistical Organisation (NSO) estimate, India is projected to grow 8.9% in 2021-22. The Reserve Bank has pegged the economic growth rate for 2022-23 at 7.2%, while IMF in its latest report projected India's growth at 8.2% for 2022-23 and 6.9% for 2023-24. Given the reforms undertaken by the government and the various supportive measures by the RBI, a very strong foundation is being laid for further rapid increase in economic growth in the coming years. The Union Budget 2022-23 has provided for a sharp increase in public investment and capital expenditure. The various government initiatives are seen to be supporting growth and credit demand is expected to further pick up in FY 2022-23. As per RBI, sustained thrust on capital expenditure by the government, push to digitalization and growing opportunities for new investment in areas like e-commerce, start-ups, renewables, and supply chain logistics could, in turn, contribute to step up the trend growth while closing the formal-informal gap in the economy.

2. Bank's Performance

Established in the year 1919, your Bank has 8870 branches and 3 overseas branches, 11,232 ATMs across 29 States and 5 Union Territories and 75201 employees as on March 31, 2022.

Key achievements during FY 2021-22:

- Net Interest Income for FY 2021-22 stood at ₹ 27,786 crore.
- Operating profit for FY 2021-22 stood at ₹ 21,873 crore.
- PCR stood at 83.61% as on March 31, 2022
- Net NPA ratio stood at 3.68% as on March 31, 2022.

During FY 2021-22, your Bank has undergone many transformations/adopted new processes as given below.

2.1 EASE (Enhanced Access and Service Excellence)

Enhanced Access and Service Excellence (EASE) was launched by Government of India in the financial year 2018-19 to increase efficiency of PSBs across every domain and to measure the performance on a common index on a quarterly basis. Your Bank has registered third rank in EASE 3.0 annual index.

EASE Agenda under its fourth iteration primarily required PSBs to expand their digital portfolio, establish a robust IT infrastructure and onboard strategic partners to leverage their expertise within the overall sphere of banking activities.

Your Bank has continuously striven to adopt & adapt to the reforms recommended by EASE Agenda. To upgrade the banking experience for its customers and embrace the digital transformation as envisioned, the major developmental goals accomplished by your Bank in FY 2021-22 are :

- Retail & MSME portfolio under the straight through processing (STP) channel has been expanded for easy & quick disbursement of loans. Agriculture STP has been launched on a pilot basis to make farm credit easily accessible.
- Under co-lending model, your Bank has tied up with several NBFCs in the Retail & MSME segments. The aim is to leverage their reach to expand our loan book.

- Your Bank has adopted industry leading IT infrastructure to offer uninterrupted banking services.
- While fine-tuning the credit lead generation models, your Bank has further strengthened its analytics-based capabilities to identify potential customers for several non-credit related investment product offers.
- Your Bank has deployed 'EASE Banking Outlets' under the banner 'Digiconnect'. These outlets offer round-the-clock basic banking services. Multi-functional kiosks have been deployed to offer digital banking, cheque deposit, passbook printing & non-financial transactions facilities apart from cash deposits & withdrawal.
- With a mammoth workforce of over 70,000 employees, your Bank has taken several initiatives on the human resources front. It includes quarterly appraisal process to monitor performance throughout the year and a digital Performance Management Tool to lend transparency to the system, amongst others.
- To strengthen compliance mechanism, individual level compliance monitoring tool has been introduced which has been completely developed using in-house IT capabilities.

In the latest EASE 4.0 index for Q3 FY 2021-22, your Bank stood fourth amongst all PSBs. Your Bank was the runner-up in two out of six themes and has registered the third best performance in one theme.

True to the idea of EASE, your Bank is taking concerted efforts to improve financial inclusion, leverage technology to simplify banking experience and effectively monitor asset portfolio by digitalizing collections actions for cleaner loan books. Through active digital adoption, your Bank has geared up to keep up with the rapidly evolving banking landscape.

2.2 Strategy –Business Process Re-engineering (BPR)

Bank embraced the amalgamation process and successfully achieved the harmonisation of products, processes and policies, reorganisation of structure of Central Office as well as field, rollout of various CPCs, communication support to field functionaries for effective integration and road map for realisation of

cost synergy etc. Amalgamation related exercise was carried out by the bank under "Project Samarth".

The Bank during the year endeavored to focus towards designing, implementing and driving the new initiatives required for the process improvements across the Bank in the post amalgamation scenario under Project Samarth 2.0

Brief initiatives undertaken by Bank during the FY 2021-22 are enumerated below:

Project Samarth 2.0

To carry out various post amalgamation transformation initiatives, Project SAMARTH 2.0 has been undertaken. The objective of the project includes Digitization of various products, processes and back offices to achieve operational & cost efficiency along with enhanced customer experience and services. Through these initiatives, Bank aim to create a brand of Digital Union Bank.

The overall scope of work under Project Samarth 2.0 is grouped under 7 Work Streams (WS) as under:

WS-I	• Continued support and strategy for synergy realization
WS-II	• Digitization of Customer Journey across asset and liability products segment
WS-III	• Revamping the CAPS, POS, Credit card business model and implementation to derive benefits
WS-IV	• Designing new branch model for smaller, sales-oriented and digital branches, touch points and Business Banking Branches for MSME advances and revamping of BC Model.
WS-V	• Digitization of Back-office operations and entire reconciliation activities
WS-VI	• Strengthening of the Organization Structure
WS-VII	• Design technology architecture and a roadmap for implementation of ML, AI, and Robotics Process

2.3 Continued support and strategy for synergy realization

The bank achieved great milestones in the amalgamation journey. Post amalgamation the focus is on long-term business strategies and leveraging the expanded size to re-tune the entire products and processes on par with emerging competition for desired level of business growth and process efficiency.



Long term synergy plan for the Bank – For getting long term synergy, 15 niche areas in 10 segments have been identified with the help of respective verticals for achieving substantial growth in the selected segments.

Digital adoption enhancement

With the objective to enhance digital adoption by customers on various platforms and payment systems (IB, MB, UPI etc) many new changes have been implemented in U-Mobile (Bank's Mobile banking platform) to enhance user interface and experience. Further, 2 successful campaigns have been launched and complemented with hand in hand marketing efforts which included bulk SMS, Social Media Channels, websites and offline channels like poster & banners for creating awareness. During these campaigns 1.5 million customers were onboarded on U-Mobile.

Redesigning Central Processing Centres (CPC)

For redesigning SARAL, ULP & USK model, multi-prong interventions have been suggested for optimization of process and implementation has been initiated, which includes

- Digitization of processes and transfers between Branch, CPC & borrower
- Optimization of query solving through direct contact between CPC and borrower
- Larger role in compliance monitoring & lead generation
- Optimizing resources and changes in processing to optimize TAT

Collections Improvement

A hybrid model of collection has been launched in our Bank with dedicated structure to take care of end-to-end collections process with Call Centre & Feet on street and Regional Collection Centre structure. "Regional Collection Centres (RCoC)" have been opened across all 125 Regional Offices, with deployment of 600+ internal staff at these centres to have focused approach on collections.

Pilot of 'Feet on Street' (FOS) Model of collections has been launched in 5 FGMOs viz Pune, Vijayawada, Bangalore, Vishakhapatnam & Hyderabad, under which 60 external FOS has been deployed in five zones for affecting collections.

2.4 Digitization of Customer Journey across asset and liability products segment

The main objective has been to create a road map for end-to-end digital journeys across asset and liability products and design the digital journey for assets and liability products. The end-to-end digital journeys aim at substantial reduction in TAT, enhanced customer experience and reduced operational cost.

Retail Asset Journey

Pre-Approved Personal Loan (PAPL) phase-I was launched in September 2021 where offers were sent to eligible salaried customers on pilot basis. Based on the learnings from Phase-I, new BRE rules have been framed to expand our customers base by covering non-salaried customers also. Subsequently PAPL phase 2 has been launched on 10.03.2022.

The digital journey design for Personal loan, Education loan & Vehicle loan has been completed and implementation is under way.

MSME Journey

To give boost to MSME lending and reduce TAT of loan sanction, following 3 journeys have been prioritized for end-to-end digitization

- Renewal of MSME Loans upto ₹ 10.00 lacs (WC & Term Loans)
- Union GST Gain (Traders Working Capital) upto ₹ 2.00 cr
- Union Mudra under 'Kishor' and 'Tarun' Category Post pilot launch in 4 regions, the STP journey of MSME renewals upto ₹ 10.00 lacs is planned to be launched pan India in April 2022. The scheme envisages no/minimal manual intervention to complete the review/renewal of Working Capital as well as Term Loan accounts of MSMEs having combined credit limits upto ₹10.00 Lakh. The product has been designed to provide much needed relief to the MSMEs by waiving submission of Balance Sheet and assessing the credit limits on the basis of cash flow.

The digital journey design for Union GST Gain & Union Mudra under 'Kishor' and 'Tarun' Category has been completed and implementation is under way.

Agriculture Journey

Two Agri products, KCC and SHG have been prioritized for end-to-end digitization journeys. The Journey design and Screen field design for these products have been finalized.

For KCC renewal journey upto ₹ 1.60 lacs, vendor has been onboarded, pilot has been initiated and pan India launch is expected by June 2022. The journey includes features like farm assessment through satellite imagery, auto assessment of limit based on Satellite data & SOF, digitized land record integration with Government portal, etc. The STP journey is expected to reduce the TAT and the workload of Branches as approx. 17 lacs KCC accounts would be eligible under this.

2.5 Cyber Security Operation Centre (CSOC): Bank has implemented cyber security framework and instituted Cyber Security Operation Centre. A dedicated skilled team is deployed to manage the CSOC. The CSOC helps to identify, detect, protect & prevent the cyber threats.

2.6 Cyber Security Centre of Excellence (CCoE): Bank has established the CCoE (Cyber Security Centre of Excellence) with a vision to create the best in the industry new generation cyber security technologies to protect the Bank and focus on comprehensive awareness & education program for its employees & customers.

3. Revamping the Collection & Payment Services (CAPS), POS, Credit Card business model and implementation to derive the benefits

During harmonisation and rationalization of processes during amalgamation, certain strengths of eCB and eAB were identified such as CAPS, POS and Credit Card Business. Going forward, need was felt to revamp these models to cater the larger customer base by creating a strong and sustainable business model with digital solutions for operational efficiency and synergy.

Collection & payment System (CAPS)

To create a sustainable CAPS business model, Sales acceleration pitching programme has been launched for 1200 plus Corporate Customers and 154 new clients have been onboarded till now. Besides this training has been provided to the CAPS Branches and Tracking template has also been designed as a part of review mechanism. API development for Collection & payment services started for the Corporate clients

Point of Sale (POS)

To Design and implement a sustainable and profitable POS business model with end-to-end digitisation and centralisation of processes, Soft POS product has been launched which provides multiple modes of payment options for merchant (tap to pay, QR scanning, payment through SMS link) with value added services such as Kirana, Khata book etc

Credit Card

To Design and drive implementation of a sustainable and profitable Credit Card business model with end-to-end digitisation of processes including sourcing, analytics-based lead generation, risk profiling, early warning signals, collection, recovery, dispute management and increase the penetration, various initiatives have been taken.

Under the initiative new variant of Credit card, Uni-Carbon Credit card (co-branded with HPCL) has been launched which has shown good traction. Further Pre-approved Credit Card (PACC) has been launched in 2 phases, showing good conversion rate of more than 2.5%.

For Enhancing the customer onboarding journey, pilot of end to end STP journey has been launched and journey will be launched pan India shortly.

4. Designing new branch model for smaller, sales-oriented and digital branches, touch points and Business Banking Branches for MSME advances and revamping of BC Model

Digi Connect & Digi Connect Pro Outlets


As a part of long-term synergy, need was felt to adopt lean branches to reduce the cost and increase the efficiency. Accordingly, Bank identified redesigning and digitizing the branch formats as one of the primary avenues of transformation. With changed scenario in banking and adoption of technology, bank expanded its footprints by opening '**smaller, sales-oriented and digital branches**' which are named as Digi-Connect & Digi-Connect Pro outlets.

As of now, Bank has launched 5 Digi Connect Pro outlets and 1 Digi Connect outlet at different locations as a pilot. These Outlets are in line with the guidance of Government for opening 75 Digital Banking Branches unit in 75 districts of the country.

Union MSME First Branches

(UMFBs) have been designed to have supreme focus on providing customized service to valued MSME customers efficiently as well as cater to the needs of mid and large corporate accounts in the absence of MCBs and IFBs, by suitably modifying the Business Banking Branch model.

UMFB will cater to the needs of MSME customers by providing all services like MSME loans, deposits, forex services, LC/BG, credit cards, insurance products, etc., under one roof dedicated to bringing the synergic value to the customers. These branches have dedicated Relationship Managers who work closely with customers to fulfill their banking needs. The location of these branches has been finalized based on advanced analytics done to determine the MSME potential of the area along with field expertise. As per the aspiration of Bank, already 50 UMFBs have been opened during the Financial Year. These UMFBs are proactively scouting for MSME proposals.



Revamped BC Model

To strengthen the BC channel, additional services have been identified for implementation at BC points under the project. These additional services include-

- Lead generation of third party products
- Assistance of BCs for Mobilizing Shishu Mudra Loans
- Introduction of Fixed BC Points for decongestion of branches
- Collection of SMA Loans

Pilot for the above processes have been launched and showing good traction. Based on the input of the pilot, the initiatives will be launched pan India

5. Digitization of Back Office and Reconciliation Processes

Under Project Samarth 2.0, initiatives have been undertaken to create, design and implement a digitised process for back-office operations which currently employ large manpower for doing routine jobs, so as to release the manpower and to improve the operational efficiency in terms of cost, TAT, tracking capabilities and contain operational risk.

28 Reconciliation activities and 8 Back-office processes from various verticals have been taken up for digitization, in alignment with respective verticals. For Government Business Vertical, their various reports are automated and now the report is generated by single click. For E-Kuber reconciliation process, automation has resulted in saving of time and effort.

6. Strengthening of the Organization Structure

The Revamped Organization Structure needs to be strengthened with digitation of operating models, which should result in increased efficiency and reduced manpower.

Accordingly, more than 98 internal activities of 27 verticals have been taken up for digitization. A strong operating model with clear SOP and process flow has been suggested for these activities which includes use of technology and best practices to increase efficiency of the structure and release the manpower. This automation will potentially save 70-80% man hours for the identified activities with improved TAT and enhanced tracking mechanism.

7. Design technology architecture and a roadmap for implementation of ML, AI, and Robotics Process

Keeping in view the technological advancement and digital interventions in Banking sector, Bank has taken up the initiative of creating a road map for digital architecture considering next 10 years journey with agility to adopt the changed scenarios during the process. Presently the existing API gateway, ESB, EAI, Infrastructure, Digital, CBS, external integration, CRM and other Core applications of the Bank were reviewed and Post review implementation is underway.

Change in Organization Structure

The organization structure is periodically assessed and based on the suggestion of Top management, verticals, committees the desired changes in the structure are being implemented. One such major reorganization was taken up during September'21 where realignment of verticals/functions of verticals for better coordination, monitoring and further strengthening of verticals.

Further Centralized Credit Operations Back-office has been formed to monitor loan accounts opening in Finacle and periodical data management pertaining to credit like CRILIC Cell, BG e-Confirmation, CERSAI Cell, NeSL Cell and Interest table and Limit Node maintenance.

Customer Surveys

BPR vertical has taken up the activity of conducting Periodical customer surveys to assess the customer opinion, feedback and actionable recommendations based on suggestions to improve the products, process and systems.


Bank has empaneled 5 Market Research Agencies in FY 2021-22 for conducting various surveys and 4 Surveys have been conducted during the Financial Year:

1. Customer Satisfaction Survey to assess the satisfaction level of our customers
2. Customer Experience Survey to assess the quality of services provided by Marketing Officers of the Bank to Retail Loan customers.
3. Brand Penetration Survey to access the Brand Penetration of the bank across Country
4. Customer Exit survey to understand the pain points of customer who have closed their Saving Accounts during FY 2021-22.


The insights emerging out of these surveys are being acted upon for better customer experience.

8. Business Highlights:


- 8.1 The global business of the Bank stood at ₹ 17,48,800 crore as on March 31, 2022.



- 8.2 Total Deposits increased to ₹ 10,32,392 crore as on March 31, 2022. Out of this, CASA share (current account and saving account) stood at 36.54 % as on March 31, 2022.



8.3 Gross Advances stood at ₹ 7,16,408 crore as on March 31, 2022. The RAM (Retail, Agriculture and MSME) sector stood at ₹ 3,84,339 crore as on March 31, 2022 compared to ₹ 3,51,459 crore as on March 31, 2021. RAM Sector as a whole grew at an annual rate of 9.36%.



8.4 Overseas business of the Bank stood at ₹ 17,429 Crore as on March 31, 2022 compared to ₹ 18,191 Crore as on March 31, 2021. Your Bank has three overseas branches at Hong Kong, DIFC (Dubai) and Sydney (Australia). Your Bank also operates in the United Kingdom through its wholly owned subsidiary, Union Bank of India (UK) Ltd.

9. Income and Expenditure:

Table 1: Income and Expenditure Statement

(₹ in crore)


Sr. No.	Particulars	FY 2021-22	FY 2020-21
1	Interest Earned	67944	68767
2	Other Income	12525	11744
3	Total Income (1+2)	80469	80512
4	Interest Expended	40157	44079
5	Net Interest Income (1-4)	27786	24688
6	Operating Expenses	18438	16766
	w/w Establishment Expenses	10115	9284
7	Total Expenditure	58596	60845
8	Operating Profit (3-7)	21873	19667
9	Provisions	16641	16761
10	Net Profit/Loss	5232	2906
11	Earnings per share (in ₹)	7.73	4.54

10. Profitability and Efficiency:

10.1 Your Bank reported an Operating Profit of ₹ 21,873 crore in FY 2021-22 as compared to ₹ 19,667 crore in FY 2020-21.

10.2 Net profit of the Bank stood at ₹5,232 crore in FY 2021-22.

10.3 Cost-to-income ratio of your Bank stood at 45.74% in FY 2021-22.



10.4 During FY 2021-22, Return on Average Assets stood at 0.47%, whereas Return on Equity stood at 10.11%.

Table 2: Efficiency Ratios

Parameter (%)	FY 2021-22	FY 2020-21
Return on Average Assets	0.47	0.27
Return on Equity	10.11	6.68

10.5 The following are the key productivity ratios of the Bank for FY 2021-22.

Table 3: Productivity Ratios


Parameter	FY 2021-22	FY 2020-21
Business per Employee (₹ in crore)	23.26	20.17
Business per Branch (₹ in crore)	198.91	169.35
Gross Profit per Employee (₹ in lakh)	29.09	25.15

10.6 Dividend:

Board of the Bank has recommended dividend of ₹1.90 per equity share of face value ₹10 each for FY 2021-22.


11. Shareholders' Return:

11.1 The Bank's net worth was ₹ 51,765 crore as on March 31, 2022.




12. Asset Quality:

12.1 Gross Non-Performing Assets (GNPA) of the Bank stood at ₹ 79,587 crore as on March 31, 2022. GNPA as per cent to gross advances stood at 11.11% as on March 31, 2022.



12.2 Net NPA of the Bank stood at ₹ 24,303 crore as on March 31, 2022 and the Net NPA ratio stood at 3.68% as on March 31, 2022.



13. Capital Adequacy

13.1 The Capital Adequacy Ratio as per BASEL III norms stood at 14.52% as on March 31, 2022. Common Equity Tier I (CET I) capital of the Bank stood at 10.63% in March 2022

Table 4: Capital Adequacy Ratios - Basel III
(₹ in crore)

Parameters	RBI Minimum Benchmark March 31, 2022	March 31, 2022	March 31, 2021
Total Risk Weighted Assets		545,923	5,51,521
Total Capital Funds	NA	79,281	69,263
CET 1 Capital		58,049	50,001
Tier 1 Capital		66,589	57,091
CRAR (%)	11.50	14.52	12.56
CET 1 (%)	8.00	10.63	9.07
Tier 1 (%)	9.50	12.20	10.35
Tier 2 (%)	NA	2.32	2.21

13.2 Capital raised by the Bank

Bank has raised equity capital of ₹ 1,447.17 Crore on allotment of 42,79,03,111 equity shares under Qualified Institutions Placement.

Further, the Bank has issued and allotted Basel III compliant Tier 1 Bonds of ₹ 5,000 Crore and Tier II Bonds of ₹ 2,000 Crore during the FY2021-22.

14. Network

Branch Network of your Bank is widely spread across the country with 8870 branches and 3 overseas branches (Hongkong, Sydney, Dubai) as on March 31, 2022. Out of these 57 percent of the branches are located in rural and semi-urban centers.

15. Awards & Accolades

During FY 2021-22, your Bank received various awards for its new initiatives taken in Digitization, Financial Inclusion, HR management, Customer Service etc.

Award	Category	Year
Appex India HR & Business Excellence Awards 2020	Best Strategy in HR 2020	Apr-21
	HR Oriented CEO Award 2020	

Award	Category	Year
ET Best Place to work for Women 2021	ET Best place to work for Women 2021	May-21
Golden Peacock	HR Excellence Award - 2020	Jun-21
Ease 3.0 Reform	Governance & outcome-centric HR	Aug-21
	Deepening Financial Inclusion & customer Protection	
	Smart lending	
	Tech enabled ease of banking	
	Best improvement category	
	Ease Reform Index Award 2021	
Rajbhasha Kirti Puraskar	1st prize in Nationalized bank Category for Implementation of hindi for 2019-20	Sep-21
	3 rd prize in Nationalized bank Category for Implementation of hindi for 2020-21	
	2 nd prize in House Magazine Category for "Union Srijan" for 2018-19	
	2 nd prize in House Magazine Category for "Rajbhasha Sarita" for 2018-19	
	2 nd prize in Town official language Implementation committee (TOLIC) Vishakhapatnam of Union Bank of India for 2019-20	
Award for highest percentage of digital Payment transactions	Digital Payment Utsav	Dec-21

Award	Category	Year
Infosys finacle Innovation award 2021	Application Programming Interface Management Under Process Innovation category	Jan-22
IDC Industry innovation awards	Application Programming Interface Management (APIM) under Innovation in Operations category.	Jan-22

16. Social Media

Your bank is extending services through its official handles on all major social media platforms viz. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and LinkedIn. Users were engaged in business interactions through conversation sessions, customer care, contests, educating posts/ videos, organizing online events etc. User interactions were used to understand brand perception and gained competitive intelligence to increase business prospects through social media.

Your bank has thrived on cost-effective brand publicity through social media and posted dynamic content with attractive static/ video posts, bringing customer awareness of the products, services and offers. Awareness was also created through posts on cyber security, urging customers to be aware of frauds, cyber scams and other social engineering, social causes, remembering personalities, significant days/ events etc.

Your bank is available 365x24x7 on all handles which are very responsive and reply instantly. In the last year, 1.37 lakhs queries from social media users were responded ensuring timely guidance, proper redirections and complaint redressal resulting in customer delight. Your bank brand was well received by the public at large, justified with a whopping 399.13 lakhs impressions and 14.17 lakhs engagements.

Your bank has a huge follower base on social media presence which has grown to 24.33 lakhs as on 31st March 2022 against 19.51 lakhs last fiscal scaling a growth of 24.06% YoY.

Your bank is continuously measuring the overall sentiment about existing or new products, collecting feedback about initiatives, customer interest to meet the expectations of customers in product offerings and services rendered.

Your bank has run more than 100+ Digital Marketing campaigns on social media handles and targeted ad campaigns on Google Ads creating buzz for maximum reach on products/ services/ offers and roped in new customers along with improved search engine visibility and enhanced website traffic.

Your bank has made e-commerce business tie-ups across hospitality, entertainment and health sectors with key market players like MakeMyTrip, Swiggy, Zomato, BookMyShow, Apollo Pharmacy etc. and encouraged card holders to embrace cashless payments thereby remaining with digital banking ecosystem.

17. Changes in the Directors on the Board of the Bank

The following changes took place in the Board of directors of your Bank during the financial year 2021-22.

- Shri Laxman S. Uppar has been appointed as a Part-Time Non-Official Director on the Board of the Bank on March 21, 2022.
- Shri Nidhu Saxena has been appointed as an Executive Director on the Board of the Bank on February 1, 2022.
- Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director of the Bank has completed his term in the office on January 31, 2021 upon superannuation.
- Shri Suraj Srivastava has been appointed as a Part-Time Non-Official Director on the Board of the Bank on December 21, 2021.
- Shri Sameer Shukla has been appointed as a Government Nominee Director of the Bank on November 08, 2021.
- Shri Rajneesh Karnatak has been appointed as an Executive Director of the Bank on October 21, 2021.
- Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director of the Bank has completed his term in the office on September 30, 2021 upon superannuation.

18. Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March, 2022:

- The applicable Accounting Standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- Accounting Policies had been selected and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period.
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate Account Records in accordance with the provisions of the relevant Acts for safeguarding the assets of the bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- The Annual Accounts were prepared on a going concern basis.
- Internal financial controls had been laid down to be followed by the bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Explanation.—For the purposes of this clause, the term “internal financial controls” means the policies and procedures adopted by the Bank for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information.
- Proper systems were in place to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

19. Corporate Governance

The Board of the Bank is committed to adopt good Corporate Governance practices in letter and spirit. A detailed report on Corporate Governance is given in a separate section of the Annual Report. The Corporate Governance report for financial year 2021-22 has no audit qualifications.

20. Corporate Social Responsibility (CSR)

20.1 Union Bank of India has been in the forefront in meeting its CSR commitments. Towards this the Bank has established Union Bank Social Foundation Trust (UBSFT) in the year 2006 as an extended arm for carrying out the CSR activities of the Bank. UBSFT has been incorporated aiming to support initiatives towards Social upliftment & improving lives of underprivileged segments. The major CSR activities of the Bank are now being carried out through the UBSFT. Its Board is headed by the Bank's Managing Director & CEO with Executive Directors as Vice Chairman Trustees, other trustees include the Bank's General Managers and one independent trustee. The UBSFT Board provides directions in accordance with the Bank's thrust areas and undertakes review every quarter. The directions of the Board are executed by the Chief Executive of UBSFT. While the Registered office of UBSFT is at Bengaluru, the administrative office is at Mumbai.

20.2 The CSR activities undertaken by the Bank/UBSFT in 2021-22

UBSFT has approved 28 projects involving an amount of ₹547.36 lacs during the year 2021-22 under various sectors like Education, Health care, Community Development, Skill Development etc. details of some major projects undertaken by Bank/UBSFT are given below:

- Bankers Institute for Rural & Entrepreneurship Development, Hyderabad have been approved an amount of ₹26.80 lacs towards sharing of revenue expenses.
- Swarna Bharat –Soma Institute of Technical training, Venkatachalam have been approved an amount of ₹39.73 lacs towards sharing of revenue expenses
- SBT-MRGI –Skill Development Institute, Muchintal have been approved an amount of ₹9.75 lacs towards sharing of revenue expenses.

- Corporation Bank Centenary Public Library, Mangalore have been approved an amount of ₹25.00 lacs towards meeting the revenue expenses of the Library.
- Corporation Bank Heritage Museum, Udupi have been approved an amount of ₹17.00 lacs towards meeting the revenue expenses of the Museum
- Supported District administration Udupi for setting up an Oxygen plant at district hospital at a cost of ₹ 46.25 lacs for treating COVID 19 patients.
- Supported National Health Mission Ranchi for purchasing one Ambulance at a cost of ₹19.21 lacs for transportation of patients.
- Supported Mangalore Jesuit Education Society for procuring educational research equipments for St. Aloysius College, Mangaluru at a cost of ₹25.00 lacs.
- Supported King George Hospital, Visakhapatnam for procuring one Doppler machine at a cost of ₹ 29.50 lacs.
- Supported Akshayapatra Foundation, Bangalore for purchase of two food distribution vehicles (custom built) for supporting food distribution (mid day meal scheme) to schools at Mangalagiri, Vijayawada at a cost of ₹ 23,36,320/-.
- Saraswati Education & Welfare Trust, Meghalaya have been approved donation of ₹24.00 lacs for construction of 3 class rooms in Saraswati Vidya Mandir, Kongong.
- Supported Shraddha Foundation Mumbai for purchase of a mini bus for transportation of cancer patients from shelter to AIIMS Bhubaneswar at a cost of ₹20.90 lacs.
- Devbhumi Siksha Prasar Samiti, Rudrapur, Udham Singh Nagar have been approved donation of ₹20.00 lacs towards construction of multi purpose hall in their college of pharmacy.

21. Acknowledgements

- 21.1** The Directors thank the shareholders, valued customers, well-wishers, Share Transfer Agent and correspondents of the Bank in India and abroad for their goodwill, patronage and support.

21.2 The Directors acknowledge with gratitude the valuable and timely advice, guidance and support received from Government of India, Government of Maharashtra, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Central Vigilance Commission, BSE, NSE, financial institutions, correspondent Banks and Statutory Central Auditors of the Bank, in the functioning of the Bank.

21.3 The Directors place on record their deep appreciation for the dedicated service and valuable contribution made by members of staff in the overall performance of the Bank during the year and look forward to their

continued co-operation in the realisation of the corporate goals of the Bank in the years ahead.

21.4 The Directors also express that the staff members stay safe, healthy and maintain good health.

For and on behalf of the Board of Directors



(Rajkiran Rai G.)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place : Mumbai
Date : 30.05.2022

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1 Global Economy

- 1.1 The global economic prospects have weakened significantly during FY 2021-22, with a sequence of events from the Omicron wave, prolonged global supply chain disruptions, persistent container shortages, multi-decadal inflation highs in major advanced economies (AEs) forcing their central banks to quicken the pace of monetary policy normalization and more recently by the escalating geopolitical tensions. Amidst persisting global supply chain disruptions, elevated energy and input prices, tighter labour markets and apprehensions of heightened global financial and commodity market volatility come together in a perfect storm. Supply disruptions, restrained workforce participation, risks from new variants of the virus and the Russia-Ukraine war have emerged as fresh dampeners to global growth outlook.
- 1.2 Brent crude prices have been hovering in the US\$ 100-120 range since mid-March, posing the higher risk to India's economic prospects and putting the global recovery at heightened risk. Global food prices were at an all-time high during March 2022 and are expected to harden further in view of potential supply disruptions. With inflation turning out to be persistent and broad-based, major Advanced Economies (AEs) quickened the pace of unwinding of their ultra-accommodative monetary policies. A number of emerging market economies (EMEs) has been in a tightening mode since 2021, and more are expected to follow. Sovereign bond yields in major AEs have hardened substantially in anticipation of a faster and steeper tightening of policy rates. Currency markets have turned highly volatile in response to these developments, as the US dollar index touching new heights due to flight to safety.
- 1.3 Global financial markets remained largely buoyant, although policy pivots towards quicker normalisation caused sharp shifts in Q4:2021. Geopolitical tensions, however, took centre stage in Q1:2022, plunging them into a tailspin. Stock markets in a few AEs and EMEs scaled fresh peaks in September but slid subsequently in most countries. The EME financial markets, unlike in 2013, did not experience a major upheaval

in Q3:2021 despite taper guidance by the US Federal Reserve. Equity markets in most AEs and a few EMEs, shed the resilience of Q4:2021 and went into a downswing for most part of Q1:2022 before recouping some ground from mid-March. Russian stocks plummeted by more than 30% after the outbreak of war, following which trading was halted for almost a month before resuming gradually from March 24. For most other EME markets, optimism on intermittent peace talks revived confidence from mid-March, resulting in a modest rise.

- 1.4 Bond yields across major AEs broadly rose in Q4:2021, as investors tussled with prolonged inflation risks and withdrawal of monetary accommodation by major central banks. The increase was particularly sharp at the front end of the curve. As a result, the yield curve (10-year over 2-year) which was steepening till September, flattened since Q4. The significant hardening in bond yields since mid-December, however, reversed briefly in end-February and early March on flight to safety. Subsequently, Bond yields shifted higher in response to hawkish signals from the US Fed. The US dollar strengthened on Fed's hawkish statements and safe haven demand, while EME currencies broadly weakened until mid-March.
- 1.5 In its latest World Economic Outlook report, the IMF has projected global growth to slow from an estimated 6.1% in 2021 to 3.6% in 2022 and 2023. This is 0.8 and 0.2 percentage points lower for 2022 and 2023 than projected in January. Beyond 2023, global growth is forecast to decline to about 3.3% over the medium term. War-induced increase in commodity price and broadening price pressures have led to 2022 inflation projections of 5.7% in AEs and 8.7% in emerging market and developing economies—1.8 and 2.8 percentage points higher than projected last January.
- 1.6 In March, the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) projected global growth for 2022 to be 2.6%, 100 bps below its October 2021 assessment. The World Bank also cut its global growth forecast from 4.1% to 3.2%. Multilateral efforts to respond to the humanitarian

crisis, prevent further economic fragmentation, maintain global liquidity, manage debt distress, tackle climate change, and end the pandemic are essential.

2. Domestic Economy

- 2.1 According to the second advance estimates of the National Statistical Office, real Gross Domestic Product (GDP) rose by 8.9% in 2021-22. Real GDP at constant (2011-12) prices in FY22 is estimated to attain a level of Rs 147.72 lakh crore, as against Rs 135.58 lakh crore in FY21. GDP at current prices in the year FY22 is estimated to attain a level of Rs 236.44 lakh crore, as against Rs 198.01 lakh crore in FY21, showing a growth rate of 19.4%. Private consumption and fixed investment, however, remain subdued, with these two components being only 1.2% and 2.6%, respectively, above their pre-pandemic levels. On the supply side, contact-intensive services still trail the 2019-20 level. Some contact-intensive activities have regained traction amidst declining infections and the removal of restrictions. Several high-frequency indicators posted robust year-on-year expansion during February-March. Both manufacturing and services PMIs remain in the zone of expansion; while manufacturing PMI moderated slightly in March, services and composite showed improvement. Capacity utilization in the manufacturing sector recovered further to 72.4% in Q3:FY22 from 68.3% in the previous quarter, surpassing the pre-pandemic level of 69.9% in Q4:FY20.
- 2.2 The economic momentum was hit by the second wave in Q1:FY22. Restricted lockdowns and a growing resilience of both firms and individuals in dealing with the infections reduced the severity of the economic impact – the economic impact of the second wave is estimated to be about one-third of the first wave. Economic activity, which gained strength in Q2:FY22 (July-September) with the ebbing of the second wave, has lost pace since Q3:FY22, exacerbated by the spread of the Omicron variant in Q4. Despite the second wave, the turnaround in the economy in 2021-22 has been remarkable, with all the components of aggregate demand surpassing the pre-pandemic levels in H2:FY22. GDP in 2021-22, however, is estimated to be only 1.8% above the pre-pandemic level, suggesting lost growth over two years.
- 2.3 The beneficial effects of the rapid receding of infections have, however, been overwhelmed

by the geopolitical unrest since February 2022. Consumer price index (CPI) inflation edged above the upper tolerance band in February 2022 as unfavourable base effects combined with the onset of supply shocks as conflict escalates. While India's direct trade and financial exposures are modest, indirect spillovers from the slowing global economy, the sharp jump in commodity prices across the board and elevated risk aversion and uncertainty owing to geopolitical developments weigh heavily on the outlook.

- 2.4 The International Monetary Fund (IMF) projected an 8.2% growth rate for India in 2022-23, which is a 0.8 percentage point reduction from its January projection. For 2023-24, the IMF projected the Indian economy to grow by 6.9%, while the World Bank expects it to be at 7.1%. Reserve Bank of India (RBI) projected real GDP growth for 2022-23 at 7.2%, with 16.2% growth in Q1, 6.2% in Q2, 4.1% in Q3 and 4.0% in Q4, assuming crude oil (Indian basket) at US\$ 100 per barrel during 2022-23. Financial market volatility induced by monetary policy normalisation in advanced economies renewed COVID-19 infections in some major countries with augmented supply-side disruptions and protracted shortages of critical inputs, such as semiconductors and chips, pose downside risks to the outlook.
- 2.5 Going forward, the forecast of a normal south-west monsoon, the resilience of agriculture and the farm economy, and the capital expenditure push in the Union Budget for 2022-23 can provide the much-needed support critical to achieving sustained high growth by enhancing productive capacity, crowding in private investment and strengthening aggregate demand. The dividends of reforms initiated to counter the pre-COVID slowdown, along with additional measures and initiatives during the pandemic, are expected to help launch the economy on a sustainable high growth path.

3 Price scenario

- 3.1 In FY 2021-22, global inflation soared to multi-decadal highs, increasingly getting persistent across major advanced economies (AEs) and several emerging market economies (EMEs). Inflation ratcheted up across economies on cost-push pressures from persistent supply chain bottlenecks, high commodity prices and spiraling wage pressures. High energy and food costs were the major drivers for inflation in AEs, besides

price pressures in durable goods. For most EMEs, however, inflation was essentially driven by supply shocks, with demand-pull pressures remaining relatively weak, given the slack in economic activity.

3.2 In domestic economy, headline inflation, measured by the consumer price index (CPI), has been trailing above RBI's upper margin of 6% for three consecutive months in FY 2021-22, to reach a peak of 6.95% in March 2022. Unlike in advanced countries, where sizeable fiscal stimulus also contributed to the heating up of prices, India's inflation has been largely imported via exogenous supply shocks. In FY 2020-21, inflationary pressures came largely from food while fuel inflation was quite benign. In FY 2021-22, crude prices hardened to emerge as the new driver. However, the drop in food inflation offset this, so overall inflation was lower at 5.5% in FY 2021-22 compared with 6.2% in FY 2020-21.

3.3 Core inflation remained elevated during FY 2021-22, sticking close to the upper tolerance threshold of 6.0% as cost-push pressures impacted both manufacturers and services. It was sticky and higher than in the pre-COVID period during FY 2021-22, with elevated core price pressures coexisting with significantly lower volatility than a year ago. A key source of core inflationary pressures during H2:FY22 has been petrol and diesel prices.

4. Stock market performance

4.1 The financial year 2021-22 was highly volatile for equity markets globally, due to various events, which includes Covid-19 pandemic, inflation concerns especially in developed economies and the conflict between Russia and Ukraine.

4.2 In FY 2021-22, the benchmark indices, BSE Sensex and Nifty50 gained 18.29% and 18.88%, respectively. The domestic equity market scaled new highs in H1:FY22, lifted by the gradual normalization of economic activity post the second wave, strong corporate earnings, and pick-up in the vaccination drive. The Sensex gained 19.4% in H1:FY22 to close at 59,126 on September 30, 2021. Equity markets corrected marginally in H2:FY22 amidst high volatility triggered by the outbreak of the Omicron variant of COVID-19, hawkish monetary policy stances of global central banks, elevated crude oil prices and escalating geopolitical tensions. Domestic equities witnessed sharp selloffs in the second half of February and early March 2022 over Ukraine-Russia tensions

but recovered in the second half of March. Overall, the BSE Sensex lost 0.9% in H2:FY22 to close at 58,569 on March 31, 2022.

5 Yield Movement:

5.1 During H1:FY22, the 10-year G-sec yield softened by 11 bps, aided by a host of measures taken by the Reserve Bank to foster an orderly evolution of the yield curve. The 10-year yield remained range bound during Q1:FY22. In Q2, the 10-year yield initially declined to 6.13% on July 15, 2021 aided by a lower than expected CPI inflation print for June and issuance of a new 10-year benchmark security at a coupon of 6.10%. While the average level of yields softened by 3 bps, the slope steepened by 28 bps during H1:FY22. Short term yields remained anchored around the policy rate while long term yields reflected inflationary concerns and the size of the government borrowing programme. In order to facilitate debt consolidation, the Reserve Bank conducted six switch operations on behalf of the central government amounting to Rs 31,907 crore during H1:FY22. During H2:FY22, the 10-year G-sec yield hardened by 63 basis points, reflecting global and domestic factors. It rose by 24 bps during Q3, driven by higher international crude oil prices, domestic inflation and increasing government bond yields in major economies including the US. In Q4, the benchmark yield firmed up by a further 39 bps owing to higher-than-expected indicative calendar of market borrowings of State Governments/Union Territories, planned market borrowings by the Centre indicated in the Union Budget 2022-23 and the rise in US yields, international crude oil and other commodity prices over escalating geopolitical tensions. At the shorter end of the primary market segment, yields on T-bills firmed up in sync with the increase in the effective reverse repo rate. Average trading volume in both G-secs and T-bills dipped in H2:FY22, amidst rising yields and elevated uncertainty. The average level of yield increased by 38 bps during H2. To facilitate debt consolidation, the Reserve Bank conducted five switch operations on behalf of the central government amounting to Rs 1.7 lakh crore during H2:FY22. Tracking G-sec yields, corporate bond yields softened during H1:FY22 while risk premia (over G-sec yields of comparable maturities) exhibited a mixed trend. However, yields moved higher during H2:FY22 and risk premia compressed amidst moderation in new issuances.

6 External Sector

6.1 India achieved an all-time high annual merchandise exports of US\$ 417.8 billion in FY 2021-22, an increase of 43.2% over FY 2020-21, in part benefitting from a rebound in the world economy and resurgence of industrial demand in advanced economies. Merchandise imports in FY 2021-22 also rose steeply to US\$ 610.22 billion, an increase of 54.7% over FY 2020-21. India's annual merchandise trade has breached the crucial US\$ 1 trillion mark for the first time in FY 2021-22, as both exports and imports have scaled fresh peaks. However, quicker growth in imports than exports has considerably widened the deficit in the trade account. The total merchandise trade deficit stood at US\$ 192.4 billion in FY 2021-22.

6.2 Net capital flows remained robust in 2021-22 supported by foreign direct investment (FDI) and foreign portfolio investment (FPI). During H1:FY22, foreign portfolio investments (FPIs) were net buyers to the tune of Rs 8326 crore, while net purchases of domestic institutional investors (DIIs) amounted to Rs 47,763 crore. Apprehensions over the faster than anticipated pace of normalization by the US Fed, the rise in the US treasury yields and the rush to safe-haven amidst escalating tensions around Russia-Ukraine triggered a selling spree by the FPIs amounting to Rs 1.38 lakh crore from the domestic equity market in H2:FY22. These sales, however, were more than offset by purchases by DIIs to the tune of Rs 1.64 lakh crore.

6.3 In the forex market, the Indian Rupee exhibited two-way movements, and depreciated on an average basis. During FY 2021-22, the rupee movement reflected FPI flows, crude oil prices, the strengthening US dollar, increasing market expectations of a faster than anticipated monetary policy normalization by the US Fed and other major advanced economies and escalating geopolitical tensions. The rupee touched a record low of Rs 77.02 per US\$ on March 7, 2022. However, it reversed some of these losses in the second half of March with the correction in crude oil prices. The rupee has ended FY 2021-22 at 75.78 per dollar as compared to 73.12 per dollar in the corresponding last year, with a decline of 3.5% against the dollar in FY 2021-22 as compared to 3.4% gain in FY 2020-21.

6.4 International crude oil prices rallied unevenly since April on improved demand prospects. Brent

crude crossed US\$ 70 per barrel in June. From the second week of July, however, crude oil prices turned volatile. Prices have firmed up since the latter part of August on tightening US supplies owing to slow recovery from disruption caused by Hurricane Ida and lower stockpiles in China. Crude oil prices ended 2021 51.4% higher year-on-year, on the back of a rally in October and early November. They resurged in early 2022, breaching US\$ 90 per barrel towards end-January – the first time in seven years – as demand remained robust while supply faced capacity constraints and escalated geopolitical tensions. With the Russia-Ukraine war propelling risks of outright supply losses and OPEC plus providing no respite, crude oil prices rocketed to a 14-year high of US\$ 133 per barrel in the first week of March. Prices have remained volatile, thereafter fluctuating around US\$ 110 per barrel. Notwithstanding the volatility, Brent crude oil prices surged by 38% in Q4:FY22.

6.5 India's foreign exchange reserves reached US\$ 607.3 billion as at the end of March 2022. The reserves had crossed US\$ 600 billion in the first half of FY 2021-22 and touched a high of US\$ 642 billion in October 2021. However, forex reserves contracted by 5% in the second half of FY 2021-22. Foreign portfolio investors, net buyers in Q2:FY22, turned into net sellers from Q3:FY22 in view of the resurgence of Covid-19 infections, concerns over the pace of the US Fed's monetary policy normalization, correction in the equity market and geopolitical tensions.

7 Liquidity conditions:

7.1 In consonance with the accommodative stance of monetary policy, the Reserve Bank maintained ample surplus liquidity in the system during FY 2021-22, aimed at nurturing and supporting the nascent growth impulses. With the objective of restoring the revised liquidity management framework – suspended in March 2020 after the outbreak of COVID-19 – the RBI continued with a rebalancing of liquidity from the passive fixed-rate overnight reverse repo window towards longer tenors through VRRR auctions in a gradual, calibrated and non-disruptive manner.

7.2 The RBI announced a secondary market G-sec acquisition programme (G-SAP 1.0) in April 2021, with a commitment to a specific amount of open market purchases of government securities. Overall, net liquidity injected through OMO purchases, including G-SAP, amounted

to Rs 2.4 lakh crore in H1: FY22. Open market operations (OMOs) drained liquidity in H2:FY22 in contrast to a sizeable injection in H1:FY22 from the secondary market G-SAP. G-SAP was discontinued in H2:FY22, given the ample liquidity surplus, the absence of additional borrowing for GST compensation and the expected expansion of liquidity on account of higher government spending.

- 7.3 Overall, the total liquidity enhancing measures announced by the Reserve Bank since February 6, 2020 (up to March 31, 2022) amounted to ₹17.2 lakh crore, 8.7% of FY 2020-21 nominal GDP.

8 RBI's policy decisions

- 8.1 During FY 2021-22, the RBI kept the policy repo rate unchanged. Accordingly, the repo rate and reverse repo rate stands at a near two decadal low, at 4.00% and 3.35%, respectively. The Marginal Standing Facility (MSF) rate and the Bank Rate remain unchanged at 4.25%. The Monetary Policy Committee (MPC) decided to continue with the accommodative stance as long as it is necessary to revive growth and mitigate the impact of COVID-19 on the economy, while ensuring that inflation remains within the target going forward.
- 8.2 The RBI continued to undertake several conventional and unconventional measures during FY 2021-22 to support economic growth impacted by the aftereffects of COVID-19. The RBI engaged in rebalancing liquidity from passive absorption under fixed-rate reverse repo under its liquidity adjustment facility (LAF) to market-based reverse repo auctions while ensuring adequate liquidity in the system in consonance with an accommodative monetary policy stance to support growth. Concurrently, the RBI has ushered in major reforms, including scale-based regulation of NBFCs and revised guidelines on securitization. The final directions on credit default swaps (CDS) were issued, which would help in the development of the corporate bond market. Targeted long-term repo operations (TLTRO) were augmented with the announcement of TLTRO 2.0 and 'On tap TLTROs'. To reduce the cost of funds of banks that had availed of LTRO and TLTRO, an option was given to them again in December 2021, allowing a reversal of transactions before maturity and availing fresh funds at the reduced repo rate. Accordingly, banks repaid cumulatively Rs 39,782 crore of TLTROs by December 2021.

- 8.3 In H1:FY22, an on-tap liquidity window of Rs 50,000 crore with tenors of up to three years at the repo rate was opened (available till June 30, 2022) to boost the provision of immediate liquidity for ramping up COVID-19 related healthcare infrastructure and services. Furthermore, it was decided to conduct special three-year long-term repo operations (SLTRO) of Rs 10,000 crore at the repo rate for small finance banks to support small businesses, MSMEs, and other unorganised sector entities. A separate liquidity window of Rs 15,000 crore was provided to alleviate stress in contact-intensive sectors (available till June 30, 2022) with tenors of up to three years at the repo rate. The Reserve Bank provided additional liquidity support of Rs 66,000 crore for fresh lending during FY 2021-22 to All India Financial Institutions.

- 8.4 Faced with a large government borrowing programme, banks were permitted to exceed the HTM ceiling up to an overall limit of 22% of NDTL (instead of 19.5%) till March 31, 2023, provided such excess is on account of SLR securities acquired between September 1, 2020 and March 31, 2022. It was also decided that the enhanced HTM limit would be restored to 19.5% in a phased manner, beginning from the quarter ending June 30, 2023.

9 Banking environment:

- 9.1 In FY 2021-22, the banking sector saw the adverse effects of the pandemic until September 2021, followed by a turnaround in credit, especially to industry and retail, from October. The asset quality of SCBs improved further during 2021-22, with the overall NPA ratio declining to 6.5% in December 2021 from 6.8% a year ago, driven by lower NPAs in credit to industry.
- 9.2 Credit offtake picked up during 2021-22, with the gradual return of normalcy after the pandemic. Lower credit growth in H1:FY22 was due to imposing Covid-19 related restrictions. However, in H2:FY22, the economy witnessed an uptick in the activities due to gradual lifting of Covid-19 related restrictions. Retail credit has continued to be the key driver for total credit offtake. Non-food credit extended by scheduled commercial banks rose by 9.7% (y-o-y) as on 25th March 2022 (4.5% a year ago). Credit growth was driven by all the major economic sectors. Credit to agriculture and allied activities continued to perform well, registering growth of 9.9% in March 2022 as

compared to 10.5% in March 2021. Credit growth to industry picked up to 7.1% in March 2022 from a contraction of 0.4% in March 2021. Credit growth to services sector accelerated to 8.9% in March 2022 as compared to 3.0% a year ago, mainly due to significant improvement in credit growth to NBFCs and robust credit offtake in 'trade' and 'transport operators'. Personal loans segment continued to expand at a robust rate and grew by 12.4% in March 2022 from 10.7% in March 2021.

- 9.3 Aggregate deposits of SCBs registered a slower growth during FY 2021-22, due to considerable moderation in interest rates. The deposit growth slowed to 8.9% as on 25th March 2022, as compared to 11.4% growth in the corresponding last year (i.e. 26th March 2021).
- 9.4 Monetary transmission to deposit and lending rates of banks had improved significantly during FY 2021-22. In response to the 250 bps reduction in the policy repo rate since February 2019, the weighted average lending rates (WALRs) on fresh and outstanding rupee loans have declined by 213 bps and 143 bps, respectively. The median term deposit rate (MTDR) – the prevailing card rates on fresh deposits – has moderated by 150 bps since March 2020, led by shorter tenor deposits of maturity of up to one year. Concomitantly, the weighted average domestic term deposit rate (WADTDR) on outstanding deposits declined by 143 bps.

10 Resources management:

- 10.1 During FY 2021-22, your Bank has achieved a milestone business figure of ₹17 Trillion. The total business of your bank grew to ₹17,48,800 crore as on March 31, 2022. Total deposits of your Bank stood at ₹10,32,392 crore as of March 31, 2022. Current and Savings deposits (CASA) comprise 36.54% of total deposits in the FY 2021-22. Total advances of your Bank stood at ₹7,16,408 as on March 31, 2022.

Table 1: Composition of Deposits

Particulars	₹ in crore)	
	31.03.22	31.03.21
Total Deposits	1032392	923805
CASA Deposits	377193	335592
Saving Deposits	304541	271968
Current Deposits	72652	63624

10.2 New initiatives taken during the year:

As a part of business mobilization, your bank has launched many of campaigns throughout the year to mobilize new Saving, Current and NRI accounts.

To canvass salary accounts, a campaign "USSA Campaign" was launched from 05.07.2021 to 31.08.2021. During the campaign 48,286 salary accounts were opened.

The exclusive campaign "CASA Unnati" for opening new Saving & Current accounts was launched from 05.08.2021 to 24.09.2021. A total of 1030967 Saving accounts and 34144 Current accounts were opened during the campaign with the addition of Rs 2079 crore and Rs 341 crore of fresh fund, respectively, during the campaign period.

Another CASA campaign, "CASA Champion" for opening new Saving & Current accounts, launched from 15.11.2021 to 31.12.2022. Total 967661 Saving accounts and 32835 Current accounts opened during the campaign with Rs 1683 crore and Rs 1096 crore of fresh fund, respectively, during the campaign period.

In order to achieve respective targets of FY 2021-22 CASA campaign "CASA Vistaar" for opening new Saving & Current account launched from 14.02.2022 to 25.03.2022. Total 634577 Saving accounts and 26155 Current accounts opened during the campaign with Rs 1253 crore and Rs 410 crore of fresh fund, respectively, during the campaign period.

Your Bank has also drove the campaign to mobilize NRI accounts. The "NRI Swagat" Campaign was launched from 04.10.2021 to 12.11.2021, and 2375 NRI accounts were opened during the campaign. NRI Connect 2.0 campaign was launched from 03.01.2022 to 31.01.2022, and 1626 NRI accounts were opened during the campaign.

For Salary accounts, we have designated a Nodal officer from each Region to have focused attention on the accounts under the USSA segment, outlining his roles and responsibilities

Special Drive launched for activation of Dormant Accounts in Feb-2022

10.3 New products launched during the year:

Introduction of two New Schemes for NRI Customers, Union Royal SB NRE (URNRE) and Union Royal SB NRO(URNRO), with lucrative features to attract High Net worth NRIs.

(₹ in Crore)

Achievement as on 31 st March 2021 (FB)	Achievement as on 31 st March 2022 (FB)	Growth over Mar 2021 (FB)	% Growth over Mar 2021
7164	8623	1459	20.36%

11 Credit Management

11.1 Corporate Credit:

As on 31.03.2022, the corporate advance stood at ₹3,18,028.66 Crore. Eight Industrial Finance Branches (IFBs) and thirty-one Mid Corporate Branches (MCBs) across the country are catering to the needs of corporate clientele. The Bank has made judicious disbursements to investment grade projects of large corporate, thus participating in the growth opportunities in the Indian economy and its global linkages.

11.2 Mid Corporate Vertical:

We have registered growth of 17.30 % on a YOY basis in mid-corporate vertical controlled accounts. We have added 26 new corporate customers with a sanctioned limit of ₹2998.00 crore during FY 2021-22.

We have accorded enhancement in 125 accounts amounting to ₹4807.00 crore during FY 2021-22.

To increase non-interest income, we have accorded enhancement in NFB limit (Off Balance sheet exposure) amounting to ₹827 crore in 25 accounts.

A total of 116 NBG of amount ₹16985.00 crore has been approved during FY 2021-22. Out of 116 NBG approved, the final sanction has been accorded in 51 accounts amounting to ₹6898.00 crore.

11.3 Small Corporate Vertical:

Within the MSME department, a new vertical, i.e. Small Corporate Vertical (SCV), has been created since July 2020. SCV focuses on the specific needs of MSMEs, which are on the path to emerging as corporates having exposure above ₹50.00 crore and upto ₹100.00 crore. The vertical is able to achieve growth of 20.36% as on 31.03.2022.

Sector-wise exposure:

(₹ in Crore)

S. no	Sector	Exposure as on 31 st March 2022
1	Agriculture	1531.23
2	Corporate	2399.86
3	MSME	4435.73
4	Others	133.35
5	Retail	123.00
Total		8623.17

12 FIG Vertical

Highlights of performance of FIG Vertical during FY 2021-22 :

- On lending: During the FY 2021-22, Our bank has sanctioned Rs 55608 crs to new and existing Financial institutions borrower towards onward lending. Out of which AAA-rated companies constitute 84.47%.
- Co Lending: Our bank has entered into a tie-up with 5 NBFCs under a co-lending arrangement.
- Direct Assignment: During the year, our bank has purchased 12 Pool buyouts under Direct Assignment totalling to ₹3090 crs.
- Gross Advances to NBFCs increased to Rs 1,05,019.84 crs as of March 22.
- 94.55 % of NBFC Exposure of the bank is towards A & above Rated NBFCs.

The vertical had periodically made an analysis of the performance of various segments of NBFCs/FIs, and specific impact on the recovery, and asset quality in each segment, which enabled to have a directed approach towards lending to specific segments, and also taking a cautious approach while growing the portfolio substantially.

13 Retail:

Overall Y-o-Y growth in retail loans outstanding is 8.65%.

Product-wise, Y-o-Y growth under Retail Lending is as under:

(₹ in Crore)

Scheme	Actual March 21	Actual March 22	Growth over March 21	% Growth Over March 21
Home	66472	71929	5457	8.21
Miles	9600	12705	3105	32.34
Education	7423	7590	167	2.25
Mortgage	11936	12607	671	5.62
Personal	5539	6126	587	10.60
Others	25286	26025	739	2.92
Total Retail Advance (Inc PWO)	126256	136982	10726	8.50
PWO (-)	830	709	-122	
Total Retail Advance (Excluding PWO)	125427	136273	10846	8.65

- Total Retail growth of ₹10846 Crore over March'21.
- Growth on a YOY basis is at 8.65 %.
- PAN India basis, ULPs (CPCs) sanctioned Retail loans of ₹20424 Cr against the target of ₹20100cr.

New initiatives Taken during FY 2021-22:

- New ULP (Kanchipuram) was added this year, taking the total tally to 130.
- MOU entered with MG Hector on a Pan India basis to mobilise vehicle loan business.
- Added one more Corporate Selling Agent (CSA)-M/s UBISL for canvassing Union Homes & Union Miles Business.
- In Digital Platform - Union Cash for staff & general pensioners launched.
- Digital Personal Loan- PAPL phase-2 (to all customers with Avg bal. of ₹25000.00, term deposit of ₹2.00 lakhs and availed HL-15 lakhs, ML-10 lakhs, VL-5 lakhs) launched.

- Digital Union Education loan for Students Studying in Premier Institutes (loan upto ₹40 lakhs)
- New Products
 - a) Under Green Initiatives - Union Green Miles Scheme for Electric Vehicles
 - b) Union Solar Roof Top Scheme.
 - c) For existing home loan borrowers - Union Ashiyana Personal Loan & Union Ashiyana Overdraft Scheme.
 - d) For professionals like doctors/engineers/ CAs etc. -Union Professional Personal Loan Schemes.
 - e) Retail Gold Loan Scheme for Non-Agriculturist.

Strategies to be opted for business maximization in FY 2022-23

- Allotment of Retail business target to Zone/Region based on their potential and growth projected by the bank. Bank has projected 17 % percent growth in retail portfolio, i.e. Rs 159000 crore in March'23
- Implementation of Digital Journey for HL/ML/VL/PL
- Devise special and attractive products for customers with good credit history. (CIBIL)
- CIC scrub data for Takeover/cross-selling shared to fields.
- Tie up with NBFCs/HFC for Co-lending models of Housing loans and pool buyout.
- Portfolio analysis of triggers generated by CIC for effective retention of retail customers.
- Organizing Credit Outreach Drives
- Fortnightly review of the performance of ULPs from CO.
- Special drive to increase builder tie-ups on upcoming projects in Tier II and III cities.

13.1 Agriculture:

Agriculture lending has always been the priority area for your bank. Agriculture advances constituted 19.03% of Gross advances of the bank as on 31.03.2022. Against statutory target of 18% under Agriculture Priority as on March 31, 2022, Bank's performance is 19.71%, and also bank could sella surplus of ₹3700 Cr under PSLC Agriculture. The bank registered a YOY growth of 10.79% in Agriculture for FY 2021-22 with an outstanding of ₹133092 Cr as on 31.03.2022.

Outstanding credit to small and marginal farmers as of March 31, 2022 stood at ₹88194 crore constituted 13.65 per cent of ANBC against the benchmark of 9.0 per cent of ANBC. During FY 2021-22, 2.84 lakh fresh Kisan Credit Cards were issued.

13.2 Micro, Small & Medium Enterprises (MSME):

1. Bank has been focusing on delivering credit to Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) sector. Lending to MSMEs stood at ₹1,14,975 crore as on March 31, 2022 registering an annual growth of 8.56% per cent. Within MSME, MSE lending stood at ₹90,562 crore as on March 31, 2022, registering an annual growth of 7.50% per cent. The Break-up of the MSME portfolio is provided as below:

Break-Up of MSME Portfolio

Particulars	31.03.2021	31.03.2022	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Micro	43,169	51,130	7,961	18.44
Small	41,058	39,432	(1,626)	(3.96)
MSE	84,227	90,562	6,335	7.52
Medium	21,681	24,413	2,732	12.60
MSME	1,05,908	1,14,975	9,067	8.56

2. Bank has achieved the allotted Target under Mudra for the FY 2021-22. During the year, 6,43,943 new loans have been sanctioned under Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY), amounting to Rs 6,625.28 Crore. (Total loans sanctioned during the year, including renewal, is for ₹11801.81 cr). Outstanding position under PMMY as of 31.03.2022 is at Rs 20,069.89 crore.

3. The SARAL (Centralized Processing Centres) Structure acts as an acquisition centre in addition to processing. During the FY 2021-

2022, 32 new SARAL/SARAL Lites have been opened. As of March 2022, the total number of SARAL and SARAL Lites stood at 126, expanding the SARAL network to all the 125 ROs.

New Initiatives for boosting MSME portfolio:

- MSME Credit Card: Bank, in association with NPCI & Ministry of MSME, has launched the Union MSME Credit Card – a first of its kind product in the industry. The product was launched on 25.02.2022 by the Hon'ble Minister for MSME, GOI, at Sindhudurg, Maharashtra. Union MSME Credit Card provides a digital delivery tool in extending need-based finance to MSMEs with an interest-free credit period of up to 50 days.
- Launch of UMFBs: To have an exclusive focus for MSME loans, Union MSME First Branch (UMFB) has been launched on a pilot basis in Dec'2021 and as on 31.03.2022, 50 MSME First Branches have been launched.
- MSME Auto-Renewal STP up to Rs 10 lakh: As a step forward in improving the TAT while serving the MSME clientele, Bank has launched MSME Auto-Renewal STP (Straight Through Processing) for loans up to Rs 10 lakh with end to end digitization which automates the Review/Renewal process with Nil/minimal manual intervention.
- Cluster Schemes: 13 new cluster schemes for 38 ROs with an outlay of Rs 12,520 Crs were approved in FY 2021-22.
- Union GST Gain: The scheme is modified and made more competitive with reduced collateral coverage starting from 50% based on CMR. The same is aimed at increasing Cash Flow based lending under the scheme.

Achievements:

- Bank has received ISO Certification for the SARAL Process of Credit Appraisal, confirming robustness of structure, system & process.
- Bank has been awarded by KVIC for its performance under PMEGP.

- Bank has ranked second for performance under the PM SVANIDHI scheme.
- Bank has registered good performance under Emergency Credit Line Guarantee Scheme [ECLGS] in extending need-based support to MSMEs to sail out from Covid induced stress.

13.3 Priority Sector Advances:

Your Bank remains committed towards extending credit facilities to the needy segments

of society. Your bank's priority sector advance stood at ₹278586 crore as on March 31, 2022. Against the statutory target of 40% under Priority, sector advances, your bank achieved 43.24 per cent of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for the Quarter ended March-2022 with a growth of 2.63% after excluding the PSLC sales and including the investments in RIDF/SIDBI/MUDRA/NHB.

Table 5: Priority Sector Advances (Quarter ended 31.03.2022) POST AUDIT

(₹ in Crore)

Particulars (Including RIDF)	31.03.22	31.03.21	Y-o-Y (%)	% to ANBC	Benchmark FY 2022 (% of ANBC)
Priority Sector Credit (After Deducting PSLC-Sold)	279374	272203	2.63	43.24	40%
Agriculture Priority Sector (After Deducting PSLC-Sold)	127343	121142	5.12	19.71	18%
Small & Marginal Farmers (After Deducting PSLC-Sold)	88194	76070	15.94	13.65	9%
Credit to Weaker section (After Deducting PSLC-Sold)	104698	88170	18.74	16.20	11%

Specific Lending for Social Upliftment

Your Bank has continued to keep its focus on social development and equal opportunities for all segments of society. Accordingly, the Bank extended credit facilities to various weak and unserved sections of the society, specifically women, minority communities and self-help groups.

Women Beneficiaries: With a view to promoting entrepreneurs among the women and making them self-reliant, your Bank encourages credit to women entrepreneurs. During FY 2021-22, Total outstanding loans to women beneficiaries have increased from ₹73307 crore in March 2021 (Priority ₹55636 Crs and Non-Priority ₹17671 Crs) to ₹89110 Crore in March 2022 (Priority ₹70,251 Crs and Non-priority ₹18859 Crs), recording growth of 21.56 %.

Minority Communities: Your Bank is extending finance to the minority communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians, and Jains, in line with Government of India directives on the welfare of minority communities. As on March 31, 2022, the outstanding credit to minority stood at ₹26956 crore, which constitutes 9.71 percent of Priority sector advances.

Weaker Section: Your Bank has been actively participating in financing for weaker sections of society. Finances to weaker section net sale of PSLC-SF/MF has increased from ₹88170 crore to ₹104698 crore, as on March 31, 2022, registering a growth of 18.74 per cent. Outstanding credit stood at 16.20 per cent of ANBC against the benchmark of 11 per cent.

Rural Self Employment Training Institute (RSETI): With the aim of mitigating the employment problem among the rural youth, the Bank has

established 30 RSETIs in districts where the bank has "Lead Bank Responsibility". As of March 31, 2022, total number of candidates trained in our RSETIs is 256255, out of which 190842 candidates have been settled. Bank has provided finance to 73065 candidates to start their own business through credit linkage. Thus in total your bank is having 30 RSETIs present across the country creating employment opportunities for the Unemployed Rural youth.

Regional Rural Banks (RRBs): Your Bank sponsors Chaitanya Godavari Grameen Bank (CGGB), Guntur, Andhra Pradesh state. It has a network of 230 CBS Branches, spread over 3 districts of Andhra Pradesh, namely, East Godavari, West Godavari & Guntur. Business of CGGB has increased to ₹14680.20 crore with a growth of 14.54 per cent during FY 2021-22. Total Deposits stood at ₹7286.86 Cr and Advances at ₹7393.34 Cr, with a Net profit of ₹162.34 Cr. The Gross NPA is 0.91%, and the Net NPA is 0% as on 31.03.2022.

Key Initiatives to strengthen the Priority sector:

Union Samridhi Kendra (USK): Union Samridhi Kendra (USK) is a specialized processing hub established by the Bank for processing and sanctioning of RAM proposals sent from RUSU Branches. Its main objective is to strengthen the RAM portfolio of the RUSU Branches and to improve the quality, appraisal and turnaround time of loan proposals. The model was initially piloted in selected Branches of the Nasik and Karnal Regions in Nov 2017. As the overall result of the pilot implementation was encouraging, Department has scaled the number of USKs in a phased manner. At present, there are 101 USKs across 90 regions & 16 FGMOs covering 1481 branches. These branches cover 28% of RUSU Branches. Department has proposed to establish 50 new USKs during the current FY 2022-23, to cover 40% of RUSU branches. During FY 2021-22, USKs have sanctioned 124109 proposals to the tune of ₹5408 Cr.

Union Sampurna: To provide financial literacy, credit counselling and information/knowledge dissemination and credit process delivery mechanism under one rooftop to provide single point solution for all kinds of financial assistance to rural people concept of Union Sampurna is being designed. It is an extended arm of USK. Presently Union Sampurna is functioning on a

pilot basis in Rajatalab, Varanasi Region, Uttar Pradesh.

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY):

Your Bank is implementing PMFBY for the benefit of farmers who faced climatic adversities very often and suffer a lot. All farmers, including share cropper and tenant farmers growing the notified crops in the notified areas covered under PMFBY.

Area Specific Schemes

Bank has formulated 32 Area Specific Schemes, based on the available potential for the benefit of the farmers in the respective areas to augment lending under agriculture.

Atmanirbhar Bharat Schemes/Emerging Renewable Sectors:

Your bank has started capitalizing on huge investments taking place in Agri Infra Structure, Animal Husbandry and Food Processing through various Atmanirbhar Bharat Schemes like Agri Infrastructure Fund, Animal Husbandry Infrastructure Development Fund and Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises.

Your bank is also leveraging other schemes under renewable energy like Compressed biogas schemes, solar power plants, and solarization of pump sets under the PM KUSUM Scheme to help in achieving the sustainable development goals and improving the Green Financing.

New initiatives undertaken during the year 2021-22.

- MoU entered with NBCFDC for availing the refinance facility and to extend the credit facilities to Other Backward Classes (OBCs) at Concessional Rate of Interest.
- MoU entered with NHFDC to avail the refinance facility and to extend the credit facilities to Persons With Disabilities (PwDs) at a Concessional Rate of Interest.
- Department has established 39 New USKs in the untapped regions all over India, based on the potentiality of the area.
- Established 250 new Union Gold Loan Points (UGLPs) in this FY 2021-22 taking the total to 270 UGLPS which serve as exclusive delivery

points to the Gold Loans.

- A pilot project on digitization of the KCC Renewal STP process has been initiated in Karnataka state.
- Tie up with collateral management services to extend finance against Warehouse Receipts.

The product launched during the year:

- Union Krishi Kamdhenu Gold Loan Scheme (UKKGL)-Exclusive hassle-free Gold loan product for Agriculture, Agriculture allied activities & for food & agro-processing activities under the Priority sector is launched during this FY 2021-22

- Water Sanitation and Hygiene (WASH) Scheme – A unique scheme for financing to improve the sanitation, health and hygiene for the construction of new toilets, repair of defunct toilets, the addition of bathrooms, piped water connections, digging of bore well at the backyard, rooftop water harvesting structures, water filters etc. for weaker section communities in rural areas is launched during the FY 2021-22.

Awards Received during the year:

- Your bank has received the Best bank award among PSBs during the current year under SHG Bank Linkage Programme for the FY 2020-21.

13.4 Financial Inclusion:

13.4.1 Summary of performance during the FY 2021-22:

S. No.	Parameters	March 2021	March 2022	% Growth over Mar 21
1	No. of PMJDY A/cs	216.73	244.78	12.94
2	Balances in PMJDY A/cs (crs)	6465	7780	20.34
2	RuPay Cards issued A/cs	115.51	118.41	2.51
3	RuPay Cards in Operative A/cs	79.08	68.65	-13.19
4	Aadhaar Seeded A/cs	175.04	203.85	16.46
5	Zero Balance A/cs	36.39	41.67	14.51
6	Overdraft Sanctioned	6.22	2.44	-60.72
7	APY (cumulative)	20.30	25.01	23.20

- 31.6 Lakhs PMJDY accounts were opened during FY 2021-22, out of which 16.44 Lakhs PMJDY Accounts were opened during Saturation Drive Campaign launched by Mission Office during the year.
- Total Deposit balances in PMJDY accounts have increased by ₹1315 crs over the previous year, and average balances have increased from ₹2,983/-per Account to ₹3,178/- per Account.
- Cumulative enrollments under APY increased by 4.72 lakhs during the year.
- 2994 new Business Correspondents locations were allotted Pan India.
- 27 services are provided by Business Correspondents at all BC outlets to the Customers.

13.4.2 New initiatives taken during FY 2021-22 :

As per the suggestions of the BPR Department, Central Office and our Knowledge Partner M/s BCG, we have launched the following new initiatives on a Pilot basis at BC locations initially.

- Fixed BC Point near the Branch (within 200 Meters) under decongestion of branch: We have launched fixed BC points at selected 19 BC locations where the average transactions of branches are comparatively high.
- STP Shishu Mudra loan assistance through BC:BCs will assist the customer in applying for Shishu Mudra loans through STP. This facility is available at 19 Fixed BC Points.
- Lead Generation of Third-Party Product: Lead generation by BCs to mobilize Micro Life

Insurance products of SUD Life is provide dat 20 selected BC Points.

- d. Loan Collection through BC: We have launched Loan collection in SMA Accounts at 151 BC locations falling under 27 Branches in Rewa, Azamgarh and Vijayawada Regions.
- e. Our department has developed a Tech-based BC Monitoring Mobile App with the help of our TSP M/s Integra Micro system Pvt Ltd. This Application will enable the Branch/RO/CO to complete the BC Monitoring through Mobile and will have the advantages like Paperless Inspection of BCs, Geo Tagging, Social Audit concept, Real-Time MIS of the audit coverage, Risk categorization, a tool for Preventive Vigilance measures and Early Warning Signal of irregularities at BC points, availability of Reports through Dashboard etc.

13.4.3 Awards & Recognition:

- **APY:** We have received an award and recognition certificate from PFRDA in the various campaigns organized by PFRDA.
- **FINANCIAL FREEDOM FIGHTERS" (FFF)–** Our Bank is qualified for One Award and One Certificate of Excellence in the FFF Campaign 16th Aug – 30th September 2021.
- **Winning Wednesday:** Our Bank was qualified for the AWARD 'Warriors of Winning Wednesday' for the months of July 2021 & August 2021 and a total of 104' Certificates of Appreciation for the FY 21-22.

13.4.4 Strategies for Business Growth :

- **Deployment of BC points during FY 2021-22**
 - RFP process to select Corporate Business Correspondents is completed.
 - We have empanelled 24 CBCs and are in the process of onboarding 17000 Business Correspondents approx.
 - We are also proposing to enrol new BCs during the year based on the recommendations received from Regions. We propose to increase the number of BCs to 25000 during the year by allotting BC locations near Branches with high footfalls.

- We are in the process of implementing Additional services like Passbook Printing, PPF A/c, Sukanya Samridhi Yojana A/c, Non-Life Insurance etc. through BC Channel.
- We propose to standardize BC Points with Uniform Branding and Dress Codes.
- Opening of PMJDY Accounts: We are focusing on increasing the average PMJDY accounts per Branch by Organizing Campaigns and stepping up concerted efforts by rating our CBCs on the basis of PMJDY Accounts opened on Funded balances.
- Rupay Cards Issuance: We are advising our Branches, Business Correspondents to educate the Customers of the various benefits of using Rupay Debit Cards to promote Rupay Cards issuance. We have also instructed our branches for Timely renewal / re-carding of Rupay Cars.
- Operative PMJDY Accounts – We are starting a Campaign to Convert Dormant PMJDY Accounts to Operative Accounts by sending SMS to customers to Operate the Accounts. We are also following up at the Branch level to make the Dormant Accounts Operative.
- APY: We propose to continue incentivizing ROs and Branches for fresh enrolments to encourage active participation in all campaigns launched by PFRDA.
- Extending PMJDY Overdraft facilities to all eligible PMJDY account holders and ensure availing of Overdraft facility.

13.4.5 RBI/Regulatory/DFS Directions:

We note to follow the directions received from our regulatory authorities from time to time.

14 International Banking

"Overseas business of the Bank stood at ₹17,428.85 Crore as on March 31, 2022 compared to ₹19, 895 Crore as on March 31, 2021. Your Bank has three overseas branches at Hong Kong, DIFC Dubai and Sydney (Australia). Your Bank also operates in the United Kingdom through its wholly-owned subsidiary, Union Bank of India (UK) Ltd, London. Your Bank also operates in Kuala Lumpur (Malaysia) through

its Joint Venture - India International Bank Malaysia Berhad, which is a Joint Venture with Bank of Baroda (40% shareholding) and Indian Overseas Bank (35% shareholding). Union Bank of India's shareholding is 25%. The Bank's board has approved the proposal for conversion of the Joint venture into a Wholly Owned Subsidiary, and the Bank has already approached RBI/DFS for necessary approvals.

Due to the slow-paced recovery from the Covid-19 pandemic impact across various geographies and the ongoing closure of the Hong Kong branch, the total business of the foreign branches has decreased by 12.40%, but the operating profit has increased by 18.16% for the FY 2021-22.

"Export Credit of the Bank stood at ₹15299.16 Crore as on March 31, 2022, compared to ₹14654.83 Crore as on March 31, 2021. Non-Interest income from foreign exchange operations increased from ₹217.01 Crore to ₹270.38 Crore in FY 2022 vis-à-vis FY 2021.

Your Bank has designated 8 'C' category branches as 'B' category branches during the Financial year at emerging business locations for facilitating the foreign exchange business. This takes the total count of 'B' Category branches to 162, located all across India. Your Bank also maintains 40 Nostro accounts in all the major currencies across the world to facilitate the customers for carrying their transactions worldwide. Apart from this, your bank also facilitates foreign exchange remittances in almost 165 currencies through the 'B' Category branches. Moreover, a dedicated Vostro branch is maintaining accounts of foreign banks and exchange houses.

The bank has implemented state of the art technology & infrastructure to process Foreign exchange/trade credit transactions digitally through the "U-Trade" package. Two centralized back-office have also been established for digital Foreign exchange/trade credit services with enhanced customer experience.

Other significant contributors to business during the financial year are settlement of ECGC claims in many accounts, rationalization of NOSTRO accounts with improvement in income and processing of ODI/FDI business of premiere clients with amounts more than ₹7600 Crore.

15 Treasury Operations:

- To act as a prudent liquidity manager in line with Bank's corporate goal. Treasury aims at generating optimum profit while managing the

credit, market and liquidity risks as per policy guidelines. Better cash management by different short term money market instruments and forex market. Maintaining a decent SLR & Non-SLR investment book with appropriate M-duration which will help us to enhance our profitability.

- Conserve the bank's capital by reducing high capital intensive instruments and increase the NIM and ROCE by leveraging the less capital intensive instruments.

a. Summary of performance during 2021-22

- Treasury performance target v/s achievement on major parameters during the FY 2021-22 are as under:-

(₹ in Cr)

Particulars	Target for 2021-22	Actual for FY 2021-22
Interest Income	23,500.00	22,780.00
Profit on Sale of Investment	2,500.00	3,401.00
Exchange Profit (forex)	600.00	646.00
Total Treasury Income	26,600.00	26,827.00

b. New Initiatives during the year:-

- Debt Syndication:** Being a large PSU bank post amalgamation, Bank is getting wide access to various institutional/Corporate customers. Further, Treasury's active participation in the Bond Market under the TLTRO window has enabled us to interact with more corporate/FIs. Accordingly, Treasury has strengthened the Non-SLR desk for participation in the Bonds/CP/CD markets and initiated Bond Syndications activities in coordination with Bank's Loan Syndication Desk. Full fledged Bond Syndication desk will be established in the current financial year.
- Expanding Primary Dealership (PD) Business:** Primary Dealership business will give us an additional source of income in the form of underwriting commission and trading income. For the FY 2021-22 underwriting commission from PD Business was Rs 41.64 Cr.
- Auto Hedging of Merchant transaction:** The Bank initiated auto hedging of all the merchant flows to improve the turnaround time, better efficiency and customer satisfaction while undertaking merchant transactions with the Bank.

c. Treasury Strategy

- Create a large investment book during an appropriate/ conducive interest rate period and maintain M-duration as per approved policy. This will be a source of treasury profit.
- Explore all available arbitrage opportunities in the financial market, such as forex Vs money market, dated securities Vs interest rate future (IRF), Dated securities vs overnight index swap (OIS), Long term treasury liabilities vs structured derivatives etc.
- Strengthening manpower through various in-house and external training like ACI dealing certification, Mastering the trading game etc., for improving overall efficiency level at every stage.
- To make the sales team even more capable by increasing the size of members and using the digital mode to onboard new customers and provide a seamless experience to old and new customers of the bank. Exploring possibilities of expanding PD Business through the sales team

d. New Initiative Planned in FY 2022-23

- ALGO Trading and extension of the trading terminal to Forex clients: Bank is in the process of identification of systems & finalization of a vendor for ALGO trading. It will cover 25% of customers with extended trading terminals, thereby reducing manpower requirements at the dealing room.
- Increasing existing customers share & onboarding new customers: Bank will drive Forex business from existing as well as acquisition of new customers. Trade Finance solution (Finastra) will provide more Forex Business due to flexibility to customers for document handling.
- Structured Derivatives Desk Setup: Bank has planned to set up a dedicated structured derivative desk which will help customers to hedge their risks more efficiently and on a real-time basis. This has also been helping our credit verticals to reduce the cost of borrowing of customers by structured loan products with the help of structured derivatives.

e. Awards/Accolades:-

Union Bank of India, Treasury received Financial Leadership Awards as Top Treasury team by KamiKaze B2B media.

16 Asset quality:

NPA MANAGEMENT & RECOVERY

16.1 Summary of Performance for FY 2021-22:

The NPA Level reduced from Rs 89788 crore as of March 2021 to Rs 79587 Crore as of March 2022. Our cash recovery & up-gradation and details of other recovery and reduction figures for the financial year 2021-22 are as under:

(Rs in crore)

Particulars	FY 2021-22
GNPA as of 31.03.2021	89788
GNPA as of 31.03.2022	79587
NNPA as of 31.03.2022	24303
Cash Recovery	5851
Dummy Ledger Recovery	2023
Rec. in written off a/cs	2734
Gross Cash Recovery	10608
Upgradation	7743*
Gross cash recovery + Upgradation	18351*
% Gross NPA	11.11
% Net NPA	3.68

Note : *Including Rs 1957 crore of those accounts which are upgraded and slipped during the Year

16.2 Digital Initiatives Taken during the FY 2021-22 under project UNION SARAS:

- Digitization of the Vertical, i.e. UNION SARAS (Stressed Assets Recovery Automated Solution), through which we are planning to digitize 18 modules, w/w Wilful default classification, Insurance, Valuation and Advocate empanelment have already made live as of 31.03.2022, and other modules viz. creation of SARFAESI repository, digitization of DRT, NCLT cases, Lok Adalat settled cases etc. are in advanced stage for effective monitoring and recovery of NPAs.
- Extensive use of Mobile Recovery App for geo tagging of properties & for effective follow up, and for better employee experience.

- Showcasing properties on the common auction platform, i.e. eBkay under the Indian Banks Auctions Mortgaged Properties Information (IBAPI) portal launched by IBA.
- Use of digital platforms (portals like Magic bricks, 99 acres.com) for wider publicity to attract more and more bidders while auctioning NPA assets.

16.3 Recovery Strategies initiated during FY 2021-22

- Effective monitoring and focused follow-up of NPA accounts through specialized Branches, i.e. ₹1.00 crore to ₹25.00 crore through ARBs and above ₹25.00 crore under non NCLT accounts and all the NCLT accounts irrespective of exposure through SAM Branches.
- Exploring account wise review of NPAs (including TWO/PWO) having exposure of more than ₹5.00 crore.
- Appointment of law officer in each FGMO/RO/ARB/SAM Branches for proper and dedicated follow up of legal matters of NPAs on case to case basis as well as for liaisoning with DRT / CMM / DM for early resolution.
- The focus will be given to strengthening ARBs/SAMBs for Recovery and quick Realization of the NPA accounts.
- Close monitoring of accounts where already OTS approved and proper follow-ups for effective recovery. On case to case basis, considering the merits, an extension of OTS/condonation of delay can be considered.
- Constructive negotiations with NPA Borrowers to explore the possibility of OTS and expedite the same. In case of failed OTS cases, recovery measures are to be pursued vigorously to their logical conclusion
- Where the accounts have slipped to NPA due to technical reasons, like non-submission of review/renewal papers, non-submission of stock statements, efforts to be made to obtain the same immediately, and all the accounts are to be upgraded.
- Restructuring of the eligible NPA accounts based on the merits and permitting holding on an operation based on the viability & feasibility of the unit.

- A doable list of NPA accounts should be prepared by all the branches every month based on the possibility/chances of recovery/up-gradation for achieving quick results. Branches should focus their time and energy on this list of accounts instead of simultaneously chasing all NPA accounts of the branch.
- In all eligible cases outside NCLT, resolution under ICA Mechanism has been explored, which is time-bound in all potentially viable units for early resolution.
- Strengthening and extensive use of BCs/BFs/RAs engaged for recovery of NPA accounts.
- Special focus for recovery in TWO/PWO accounts by creating a special TWO cell at CO.
- Resolution through the assignment of debt to ARCs/NBFCs/FIs and shifting of high-value NPAs to NARCL (Bad Bank)

17 Relationship banking

Our Bank earned an income of ₹274.07 crore through the distribution of third-party products during the year 2021-22.

INCOME FOR FIN. YEAR 2021-22 (₹ in Crore)

Business Parameter	TPPD INCOME DATA AS OF 31.03.2022			
	ACTUALS FY 2020-21	TARGET FY 2021-22	TARGET FY 2021-22	% Achieve- ment
Life Insurance	142.13	157.00	170.24	108%
Non-Life Insurance	48.72	58.00	48.14	83%
Health Insurance	32.38	40.00	38.03	95%
Mutual Fund	17.34	15.00	17.66	118%
Total Income	240.57	270.00	274.07	102%

Initiatives during the year:

NEW PRODUCTS LAUNCHED IN 2021-22:

New Products / Developments in the Bank network:

- Group Critical Illness Insurance Product: For Retail Loan Borrowers group insurance product covering critical illnesses is launched in association with Manipal Cigna Health Insurance Co. Ltd.

- POSP-LI: Department issued a detailed circular regarding the empanelment of staff members as POSP-LI for mobilizing POS Products under the Life Insurance business segment. Department has enrolled 1078 POSP-LI for soliciting POS products.
- Portability option is given to Union Health Care policyholder in Group Care 360 from Care Health Insurance Company.
- Steps initiated on a pilot basis, for lead generation/sale of insurance products thru Business Correspondents and will be scaled up in the coming days.

DIGITAL INITIATIVES:

- Jansuraksha Portal (developed in-house) has been updated in association with DIT to track the enrolments under PMJJBY / PMSBY.
- Union Mutual Fund services through UMFOT Menu in Finacle.
 - Statement Generation enabled.
 - Post making the Lumpsum purchase LIVE dept will work on SIP purchase also.
 - Lump-sum Investment facility has been tested successfully and has been made LIVE.
- Department has developed the process of the automated collection of SUDLIFE Renewal premium based on renewal data received from SUDLIFE.
- A new initiative was rolled out, with support from DIT, wherein SMS were sent to customers and consent was obtained, based on which they are enrolled for PMJJBY / PMSBY.
- Access is provided to all Branches for Online submission of claims pertaining to PMJJBY / PMSBY directly to the concerned insurance company thru their portal. This entire journey of paperless claim submission is the initiative enabled as per the directions of DFS.

SOCIAL SECURITY SCHEMES

Fresh Enrolments(01.04.2021 to 31.03.2022)					Cumulative Enrolments
TARGET MAR 2022		TOTAL TILL MAR 2022			As of Mar'22
PMSBY	PMJJBY	PMSBY	PMJJBY	PMSBY	PMJJBY
16.50	4.48	31.37	8.53	178.94	49.72

18 Government Businesses:

Performance Highlights of Government Business and Relationship vertical:

- Finished at 2nd Position in NPS All Citizen Model, after SBI in PSB Category. Overall 5th Position among 75 authorised financial institutions both public & private.
- Mobilised 27,452 accounts under National Pension System and recorded 50.22% growth over the previous year.
- Tax Challans collection reached the 5 Million mark in the FY, amassing ₹87,000 Crore in amount.
- Achieved 1 million Small Saving Scheme Accounts in this FY. Against the target of 9.42 Lakh accounts and reached at 10.08 Lakh accounts.
- Govt Deposits in our Bank have now reached a milestone figure of 3.75 Lakh crore, and CASA from Govt accounts are now ₹ 82,855 crore.
- Under Pension, 14,391 new accounts were added against a target of 7,615 accounts.

Major Business Mobilised During Financial Year 2021-22

- Mobilised 206 Single Nodal Agency Accounts under various schemes with total budget of ₹ 32,385 Crores.
- National level Tie-Up with NAFED for implementation of FPO scheme under Ministry of Agriculture. The scheme includes opening of 10,000 FPOs account with budgetary outlay of ₹ 4,300 Crores. E-Monitoring portal will be provided to NAFED HQ for tracking of funds.
- Mobilized deposit of ₹ 2500 Crores of National High Speed Rail Corporation Limited.
- Provided Customized Internet Banking Portal solution with SFTP integration for vendor and salary payment to Rail Vikas Nigam Limited. Facility to be implemented in 7 RVNL RO Offices and Mobilized Deposit of ₹1800 Crores.
- Provided Payment Gateway facility to BIMTECH, MDI GURUGRAM and Birla Institute of Management Studies for fee collection.

- Mobilized payment gateway collection account of CPCB for collection of Laboratory Fee and Processing fee from plastic manufactures. Also mobilised deposit of ₹ 271 Crores.
- Mobilised account of Ministry of Agriculture and Food Production, Odhisa for Crop Diversification in Mega Lift Irrigation Project Scheme budget of ₹ 1000 Crores.
- Signed MoU with North Delhi Municipal Corporation for Pension disbursement of 55,000 employees.

Manpower Strength

The total manpower of your Bank as on 31.03.2022 stood at 75201.

YEAR	OFFICERS		CLERKS		SUB-STAFF		TOTAL		TOTAL STRENGTH
	MALE	FEMALE	MALE	FEMALE	MALE	FEMALE	MALE	FEMALE	
2019-20	17398	5671	8050	3045	2668	486	28116	9202	37318
2020-21	31629	11505	17763	8225	6585	2495	55977	22225	78202
2021-22	31326	11469	16389	7705	5979	2333	53694	21507	75201

The main objective of Human Resources Management is to ensure the high performance of employees for the achievement of organizational goals along with their personal growth. The growth of the Bank depends on the efficiency and effectiveness of its human resources. It has been the endeavour of your Bank that optimum workforce is available at all field and functional outlets of the Bank at all times.

Your Bank has been reviewing the requirement of staff in various cadres every year, and an analysis of the vacancies in various cadres is being made having

Human Resource Management :

Your Bank strives to offer the best in class employment experience by investing in its human capital and taking measures to constantly reinvent its people processes. Your Bank has been at the forefront in introducing industry best practices to empower its workforce as well as to meet corporate objectives. Alongside people development, the focus during FY 2021-22 has been on the stabilization of automation and digitization of processes initiated by the Bank for seamless functioning. The industry has recognized and lauded your Bank's efforts through numerous awards received during 2021-22, for HR innovation, Leadership & Training.

regard to the growth of the business, future branch expansion/ rationalization, attrition on account of resignations, retirements on superannuation/VRS etc.

The guidelines for reservation in employment for specified categories are strictly followed by your Bank as per Govt. Policy on reservations. Accordingly, the indents are placed with the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS), Mumbai. The representation of all reserved categories of employees within the overall staff strength is as detailed below:

Union Prerna Project:

Particulars	OFFICERS		CLERKS		SUB-STAFF		TOTAL	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Total Employees	42795		24094		8312		75201	
Within which	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Scheduled Castes (SCs)	7417	17.33	4707	19.54	2979	35.84	15103	20.08
Scheduled Tribes (STs)	3391	7.92	1906	7.91	698	8.40	5995	7.98
Other Backward Classes (OBCs)	12330	28.81	7460	30.96	2660	31.52	22410	29.80
Economically Weaker Section (EWSs)	151	0.35	263	1.09	0	0	414	0.55
Differently Abled (PWDs)	1402	3.27	732	3.04	304	3.66	2438	3.24
EX-Servicemen	872	2.03	3051	12.66	725	8.72	4648	6.18

The Union Prerna, an ambitious digital HR transformation project, has built a strong HR foundation over the last 12 months with 10+ industry first and digital-first offerings.

The digital HR tools developed under Project Union Prerna measures the effectiveness of the corporate strategy to not only communicate the corporate goals to all stakeholders but also to equip them to realize the collective vision and inculcate performance culture in the Bank.

We have strategized our vision which further break-up into various milestones, and divided the entire project into the following modules:

Role Clarity: To make the system more objective and fair, the key responsibility areas of an individual are re-defined, including the key parameters like branch profitability, customer satisfaction, NPAs, slippage etc., making into measurable at the maximum extent.

A Role Clarity Tool was designed and introduced in the bank for the first time and perhaps a first in the banking industry as well. Through this tool, employees were digitally assigned their roles and KRAs by their supervisors at the very start of their performance assessment year.

Some of the features of the Tool are:

- Digital role assignment for each employee through the tool
- Auto populated KRAs with visibility of targets
- Multiple role assignments allowed for a single officer

Target Setting: For a long time, the bank was using a traditional method for assigning targets to its Zones, Regions and Branches. There was a need to cogitate about local market characteristics while setting up branch targets. There was also a need to make the entire target setting process more inclusive, automated and scientific.

In view of the same, a new target setting tool based on following four principles is designed to provide a course correction to this process:

- Scientific approach with built-in algorithmic validations
- Combination of Top-Down & Bottom-up Target setting mechanism
- System enablement facilitating automation
- Involvement and feedback from all stakeholders in the target setting process

This new target setting model/tool has now made targets more realistic, and market characteristics are driven. The process has now shifted from manually to digitally as well.

Competency Framework: The Competency Framework was redefined, including Functional & Behavioural Competencies. Competencies like negotiation skills, analytical skills, change management etc. are included in behavioural competencies. Behavioural traits like managing self, managing team and managing business are identified as competencies for measurement through the Individual development Plan (IDP). The IDP is followed by multiple interventions like psychometric assessment, cognitive ability, caselets and 360-degree feedback for leadership roles.

Postings: The system driven Postings tool is based on talent, skill-sets, job family allocation, and experiences of an employee to ensure the right fit for the right role. An automated digital platform designed to complete the rotational / transfer activity on time. This system captures and measures the potential and identify prospective successors for identified key positions for targeted grooming.

Talent Management & Succession Planning: Succession Planning is another strategic activity, which though elaborate, has invaluable benefits for any organization. We shall be identifying critical posts which are falling vacant in the next 2-3 years, or new posts which are going to be created in such time and create a talent pool of high potential candidates, who shall be put on customized development paths to enable them to take up these roles, a few years from now.

Bank has created a Talent Management Committee to identify the talent pool and a Senior Management Committee to identify potential successors. The talent field comprises details like education background, prior work experience within the Bank, competency mapping, key achievements, etc. Individual Development Plans have been prepared for all such executives, which include strength areas as well as development areas.

Job Families & Career Framework: The re-designed approach rationalizes job families, i.e. optimizes job families across the Bank for greater focus on business performance across all functions and arrives at the best fit. The new job family structure is based on the new organization structure and specialized skill-set requirement.

Cohort & Grading: Cohort is a group/band of individuals having similar kinds of nature & characteristics in common. In banking terminology, the cohorts can be a group of similar kind of Branches for example cohort of NPA focused, a cohort of MSME focused, a cohort of Deposit based Branches and so on. Cohort Analysis is an analytical technique that focuses on analysing the behaviour of a group of Branches over time, thereby uncovering insights about the experience of those Branches and what these Branches can do to better those experiences.

Performance Dashboards: The Performance Dashboard has been designed to review the periodic performance of an individual against business & non-business parameters, targets & KRAs, top and bottom performing trends, a relative comparison of performance with other branches/offices of the same cohort etc. The dashboards have been created for Branch Heads, Regional Heads and Zonal Heads. The Performance Dashboards fetched data and information from the MIS, Finacle, LAS, Target Setting Tool, and other available Bank platforms to showcase the performance on major parameters which are achieved by Branch, Region and Zone.

Performances Appraisal: Performance Management is one of the crucial activities in an organization which helps to boost employee engagement and productivity. Keeping the importance of PMS in mind, the Appraisal tool is designed in such a way that it is more objective, transparent and fair. KRAs across all structures in Bank were re-defined to make them more measurable by identifying unique job roles and mapping them with Key Responsibility Areas of an individual, which ensure scientific and reasonable target setting at the Branch/Corporate level making the system more robust and transparent.

The Appraisal tool also provides the course correction measures in the form of business opportunities to be tapped, practices to be adopted for meeting the shortfall in targets, etc., to the employee and the same results in business growth aligned with the corporate goals and objectives.

The revamped Appraisal Tool is based on the following 5 principles:

- Automated & objective scoring for measurable KRAs for roles.
- Cohort based performance grading with customized grade curve to ensure performance differentiation.

- Work flow to facilitate periodic feedback between leaders & team members, including upward feedback.
- Identify coaching & development needs based on the appraisal.
- Establish strong linkages between appraisal score/grades and posting & promotions decisions.

Learning & Development

As per the revised organization structure, the training system of your Bank is functioning under the aegis of the Learning & Development division. Further, as per the EASE agenda, your Bank has implemented various Learning & Development initiatives and processes as part of the HR transformation journey.

In order to keep the learning journey of its workforce uninterrupted various webinars short duration/long duration programs, including Leadership Development Programs for 75 Top executives of the Bank partnered with ISB Hyderabad, were conducted during the FY 2021-22. 1356 long-duration programs (including 658 Job Family-based programs) and 889 small duration programs covering 69408 employees were conducted. Further, 10405 employees were provided training (including webinars on wellness) to learn the latest developments in the industry from external institutes. Your Bank also rolled out exclusive learning series, namely 'Union Learnathon', to supplement the training and developmental needs of staff members. In the Union Learnathon series, 3800 MCQs, 25 Practice sets and 15 Digidarshika were hosted to foster the culture of continuous learning and intended to upskill staff members.

The in-house team of Staff College has launched Podcast on Cyber Security for Customers and Staff in 12 languages. The bank is now in the process of rolling out the Center of Excellence (CoE) under the L&D initiatives.

Official Language

Your Bank received 4 prestigious Rajbhasha Kirti Puraskars from the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, GoI:

1. Best Bank – First
2. Best Magazine – Second
3. Best TOLIC – Second
4. Best Magazine – Second

During the Financial year 2021-22, your Bank received 74 Awards for outstanding performance in Official Language Implementation from different TOLICs (Town Official Language Implementation Committees) set up by the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Vibhag, across the country. On the 103rd Foundation Day of the Bank, services of Finacle for customers like the facility of passbook printing, account statements, thanks giving letters and selected statements and reports are launched in 13 Indian Languages. SMS facility for all customers is available in 13 languages. The Call Centre facility is also available in 11 Indian languages. The Mobile Banking application – 'U-Mobile' is available in 13 Indian languages. During the year, your Bank also published a Cartoon Book on Cyber Security, 'CISO-Main Hoon Na' & a Book, 'MSME ke Vividh Aayam', covering various aspects of MSME lending.

'Union Dhara', Your Bank's quarterly bilingual corporate in-House, received the prestigious Public Relations Council of India (PRCI) Silver award in the 'House Journal Print Regional Award' category. 'Union Srijan' Hindi Magazine of the bank also won Ashirwad Award. 'Union Dhara' has published special issues on 'Karnataka', 'Compliance' and 'SAMV'. Union Srijan also published a special issue on 'Telangana'.

Certified ISO 30414:2018 - International Standard for Human Capital Reporting

Your Bank has successfully implemented the Human Resource Capital Management System as per the ISO 30414:2018 international standard. Union Bank of India is one of the first in the banking industry in India to obtain the HR-specific ISO 30414 certification which was published in 2018. The Bank has embarked on an ambitious HR Transformation project, "Union Prerna", which includes revamping & digitization of various HR systems & processes, giving impetus to the ISO standardization process.

The certificate was issued by an independent reputed certification body M/s. RIR Certification Pvt. Ltd. (accredited by IAS, USA) for Provision of Internal & External Human Capital Reporting support in the Domain of Banking Services. The Bank was guided by M/s. DigitalAge Strategies Pvt. Ltd. for implementation of the project.

The ISO 30414:2018 certification is an added accolade achieved by the Union Bank of India in the field of Human Resources, in addition to being ranked high in the "Governance and Outcome-Centric Human

Resources" theme of the PSB Reforms Index EASE 3.0 for the FY 2020-21.

The ISO 30414:2018 Human Capital internal & external reporting standards provide guidelines to help organizations produce credible human capital reports and analytics for effective management as well as for public disclosure of human capital data to regulators & stakeholders. The ISO 30414:2018 certification has helped the bank establish globally accepted standards for measuring and evaluating Human Resources value creation.

Awards & Accolades (FY 2021-22)

Award Received		
Sr. No	Awarded By	Category
1	Greentech Foundation	Greentech Energy Conservation Award 2021 Leading Director Award 2021

Assistance to employees during the COVID-19 pandemic

18.1 Business Continuity Plan (BCP) meetings were conducted at regular intervals to review the COVID situation and its impact on the continuity of services. Your Bank took initiatives for containment of COVID 19 and issued advisories, guidelines and Standard Operating Procedures (SOPs) for the same. Your Bank also encouraged 'Work from Home' during the pandemic with a specific preference for physically challenged staff and pregnant women staff. As per the Provision of Ex-gratia of ₹20 lacs for the families of those employees who lost their lives due to COVID 19, a total amount of Rs 45 Crore was paid to 225 families. Your Bank continuously strived to increase awareness among employees about the pandemic and various precautionary measures & social protocols to be followed to prevention of the spread of the virus through circulars and other means. COVID Action Teams (CATs), which were set up at the Zonal & Regional level for monitoring & prompt reporting of COVID cases among staff, continued to provide necessary assistance to affected staff members.

18.2 Branch Network:

The Branch Network of our Bank is widely spread across the country with 8870 branches and 3 overseas branches (Hongkong, Sydney, Dubai) as on March 31, 2022. Out of these, 57 percent of the branches are located in rural and semi-urban centres.

Table 11: Branches Network As on 31.03.2022

	Rural	Semi-Urban	Urban	Metro	Foreign	Total
No. of Branches	2537	2552	1844	1937	3	8873
Branches (%)	28	29	21	22	--	100

19 Measures to enhance Digital Network

Digitization Vertical

Digitization vertical has been created to drive the digital transformation journey of the Bank by re-orienting Bank's digital vision. The vertical comprises of Digital Journeys, Digital Banking Department and Digital Interactions & Partnerships. The sub-vertical wise product highlights and activities carried out as on 31.03.2022 is delineated here below.

Digital Journeys

i. MSME Auto-Renewal upto 10 lakhs

It is a fully automated scheme devised for the Review/Renewal of MSME credit facilities (Working Capital & Term Loan) upto ₹ 10.00 Lacs with minimal manual intervention, without seeking financial & other documents from the borrower and any data input from the branch at any stage. The renewal process of working capital is a Cash Flow-based analysis with a two-click journey, one at the customer end and the other at the Branch end. Whereas the review of Term Loan involves a single click at the branch. The standardized system generated, duly filled in digital executive summary will improve the data quality of the Bank. It will save substantial manpower required to carry out this functionality which will result in huge opportunity cost savings. 80% of our total MSME portfolio account wise comprises of loan accounts with outstanding less than ₹10.00 lakhs.

ii. KCC Auto-Renewal:

Scheme for Renewal of KCC loans upto Rs 1.60 lakhs designed to run in self as well as in assisted mode with features for extracting the details about the location, ownership & charge detail of farmland without submission of a physical document by the farmer. It helps in reduced TAT and objective analysis by providing enriched information on crop & soil health, groundwater level, and past cropping history, along with digitally benefits farmers with Agri advisory information on market & Mandis. 90% of our total KCC portfolio account wise comprises of loan accounts with outstanding less than ₹1.60 lakhs.

iii. PAPL:

Pre-approved Personal Loan (PAPL) was launched in 2020-21 for salaried customers and later on scaled up to non-salaried customers with revised BRE and better UI through the UMobile platform. Pre-approved Personal Loan up to ₹50 lakhs have been introduced with a targeted customer of 1.15 lakh with a value of ₹3000 Crs.

iv. Union Cash:

It is a web-based end-to-end digitized journey designed on an analytics-based approach for offering credit facilities to pensioners.

v. National Portal for Credit Linked Government Schemes:

In line with the DFS guideline to implement a unified portal with a single point for customers to enrol for various Central/State Government sponsored schemes, National Portal for credit-linked govt schemes has been designed. We are among the few banks to make all the schemes duly integrated and running live.

vi. CRM Solutions:

CRM system is a tool aimed at helping the bank with sales, marketing and service management. CRM gathers customer data from multiple channels and holds detailed information on overall banking history, personal info, and even purchasing behaviour patterns.

Interim Lead Management solution has been launched on a pilot basis for all Marketing Officers of Mumbai Zone and 50 MSME First Branches. The CRM solutions has been extended to UBI Services Ltd also.

vii. Digitization of Insurance & Mutual Fund Business:

Insurance Business

To scale up fee-based income through the sale of third-party products, the vertical has initiated steps for implementing digital enablement of Insurance sales, Mutual Funds and other Investment products. Currently, Bank is selling the insurance product of channel partners only through the Branch network. By enabling the Insurance product on the digital platform, our customers will be able to buy insurance online, thereby increasing the business. The Bank has onboarded the vendor for the supply, installation, integration, maintenance, and support of digital solutions for the insurance business.

Mutual Fund Business

The Bank has an onboarded vendor for the supply, installation, integration, maintenance, and support of digital solutions for the Mutual fund business.

Digital Banking Department

1. Measures to enhance Digital Penetration

a) Ease of Registration process for Mobile Banking

i. In addition to registration through Debit Card & Internet Banking, another method of registration using Branch generated tokens has been provided to branches for quick registration of new and existing customers on UMobile. With this process, dependency on Debit cards is reduced, and customers with a newly opened account can be onboarded to UMobile on the same day with Branch Token.

ii. Based on feedback from customers & field functionaries, Registration using a wi-fi network has been enabled for onboarding to UMobile.

b) Introducing new features and value-added services in Mobile Banking

During the period, many new features and services were released to promote the usage of Mobile Banking amongst the customers:

i. Increase in Fund Transfer limit to other customers within Bank to Rs10 lakh

ii. Increase in IMPS limit to Rs5 lakh per transaction

iii. Quick Fund Transfer limit increased to Rs50000

iv. Pre-approved personal loan offers and disbursement through UMobile

v. Loan against Deposit using UMobile

vi. Generation and Download of TDS & Interest Certificate

vii. Submission of Form 15G/H using UMobile

viii. ShareoptionenabledforsharingofTransaction receipt through various messaging apps

ix. Balance Enquiry on the pre-login page to ease navigation

c) Addition of new services and features in Internet Banking

During the period, many new features and services were released to promote the usage of Internet Banking amongst the customers:

i. Facility to Enable/Disable User ID by the customer using OTP

ii. Enabling of Cash Credit accounts for Tax Payment, by default

iii. Increase in per transaction IMPS limit to ₹5 lakh

iv. Enrolment to PMJJBY and PMSBY under Straight Through Process (STP) using Internet Banking

v. Debit Card Control (Enable/Disable channels)

vi. Generation and Download of Interest certificate for Deposit accounts

vii. Generation and Download of Balance Certificate

viii. Aadhaar and GSTN seeding in an account using Internet Banking

ix. Add nomination to deposit accounts

x. Submission of Form 15G/H

xi. Simplification of the Login page (process gets completed in a single screen)

xii. Decentralization of admin rights to branches by introducing the menu "EBANKING" in CBS

d) Campaigns

Bank has conducted a campaign during the period for increasing penetration on Mobile Banking and increasing digital usage.

i). 3M (Mission Million Mobile) Campaign

- The campaign was conducted from 15-09-2021 till 31-10-2021, targeting a total of 1 Million new mobile banking registrations.

- A total of 814814 new users were registered during the campaign period.

ii. MRBT Campaign (Mobile Banking Registration using Branch Token)

- MRBT campaign was conducted from 07.02.2022 till 19.03.2022. During the campaign total of 681856 new customers were onboarded.

2. Unified Payment Interface

- a) UPI Prepaid Voucher (e-RUPI), an e-voucher that can be redeemed by the beneficiary at designated hospitals for availing of Covid vaccination, was rolled out. The facility can be availed by beneficiaries without the need of any bank account or smartphone.
- b) UPI Auto Pay Issuer facility was rolled out for customers enabling them to set recurring instructions with e-com merchants through UPI.
- c) UPI International has been enabled for the country Bhutan enabling customers travelling to the country to pay to the local merchants using UPI mode.

3. Progress on Digital Channels

Growth in Digital Channels (Figures in Crs)				
Channels	31.03.2021	31.03.2022	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Mobile Banking Users (in Crs)	1.22	1.65	0.43	35
Internet Banking Users (in Crs)	0.68	0.73	0.05	7

4. EASE 4.0

Bank secured 3rd position under the Theme-Tech Enabled Ease of Banking for the Dec'21 Quarter in EASE 4.0

Digital Interactions & Partnerships

i. Fintech Policy:

Rising customer expectations and changing customer behaviours have compelled banks to consider partnering with FinTech companies warranting Banks to deliver seamless, world-class services to the customers so that they can be benefitted by the evolution in FinTech Segment. Considering the requirement, the maiden Fintech policy of the Bank was framed. Through this document, the Bank proposes to create a customized policy framework for collaborating with FinTech with an aim to bring together FinTech, including Startups. These participants would strive to create innovative business models, open applications, agile processes and differentiated products to attract, connect, and engage with customers.

The policy focuses on various indicative categories of Fintech solutions such as:

- Payments, Clearing & Settlement
- Deposits, Lending & Capital raising
- Investment Management
- Data Analytics & Risk Management
- Market Provisioning

The policy provides the framework for (1) Empaneling of Fintechs through RFP / tender process (2) Outlining various onboarding processes for Fintechs, (3) roles & responsibilities for various stakeholders and other guidelines.

ii. Empanelment of Fintechs:

Fintech policy of the Bank provides for empanelment of Fintechs to create a pool of companies having developed unique financial services. A readily available pool of FinTechs helps the Bank in the adoption of the required solution within the shortest possible time. Based on the market study and expected requirements of the Bank, 24 fintechs were empanelled under the following segments. The validity of such empanelment is for a period of three years.

- a. Development & Integration of Digital Journeys
- b. Wealth Management, including Insurance
- c. Agricultural Lending
- d. UI / UX Development & Customization.
- e. Analytics using Artificial / Machine / Deep Learning
- f. Intelligent Virtual Assistant (Chatbot)
- g. Digital Marketing
- h. Cash Management, Trade and Supply chain financing

iii. Digital Marketing

Financial institutions are adopting novel ways to reach their customers to market their products and services. Digital Marketing is one such way which plays a pivotal role in customer acquisition, engagement & digital activation of products and services by aligning with their lifestyles, using marketing techniques by leveraging analytics & social media. To give impetus to the various digital products launched, the vertical has designed awareness/marketing videos on MSME Auto-Renewal, KCC Auto-Renewal, Shishu Mudra, PAPL, Union Cash, CRM, UMobile, Soft POS and Branch

Token. In addition to short videos, creatives for hoarding, social media etc., were also designed and circulated among FGMO/Regional Offices.

20 Risk management – A proactive approach towards identifying and mitigating risk:

Your Bank has a proactive approach to risk management. Its risk philosophy involves developing and maintaining a healthy portfolio within its risk appetite and regulatory framework. Your Bank constantly endeavours to ensure that the business function partners with the risk management function to enhance shareholder value and ensure judicious use of available capital.

Risk Management is a Board driven function in the bank with the Risk Management Committee (RMC) at the apex level supported by operational level committees of top executives for managing various risks. The Board of Directors of the Bank approves the Risk appetite and Risk policies for the Bank. The RMC supervises the implementation of the risk strategy and policies, reviews the level and direction of risk, prudential ceilings, and portfolio diversification and monitors the risk reporting. The risk strategy and policies are effectively communicated to all branches and offices of the Bank.

Your Bank addresses Credit, Market and Operational risk through appropriate policies, organisational structure, risk management techniques, adequate systems, procedures, and monitoring and reporting mechanisms. It has a well-defined risk appetite statement and an independent risk function to ensure that the Bank operates within its risk appetite.

21 Credit Risk Management:

Your Bank has well-defined credit appraisal mechanisms and risk management frameworks in place for identification, measurement, monitoring and control of the risks in credit exposures.

Your Bank has various instruments like Credit Risk Management Policies, Credit Approval Committee, Prudential Exposure Limits, Risk Rating system, and Risk-based pricing for credit Risk/Portfolio Management.

Your Bank has a standardised and well-defined approval process for all advances. It adopts a committee approach for credit sanctions and has approval committees at various levels.

The business environment is analysed and researched in a structured manner by a dedicated team of experts

to decide its outlook and growth appetite in the identified industries/sectors/segments. Your bank has also subscribed to industry research/analysis reports from top research companies for internal consumption. Risky sectors are monitored continuously and wherever warranted; exposure concerned is reviewed immediately. The impact of the COVID-19 pandemic on banks' exposure impact is tracked and monitored very closely to take necessary remedial measures in time.

Your Bank also conducts Stress Tests every quarter on its Credit portfolio. Stress Scenarios are regularly updated in line with RBI guidelines, industry best practices and changes in macroeconomic variables.

Your Bank has put in place an Early Warning Signal (EWS) system based on a predictive analytical approach, which helps to identify the stress signals well in advance and helps to take appropriate mitigation measures to maintain the desired credit quality of borrowers on a regular basis.

Your Bank uses various Credit Risk Assessment Models and scorecards for assessing borrower-wise credit risk. Your Bank also has in place a 'Dynamic Rating framework', which facilitates early identification of stress and triggers and adoption of appropriate mitigation mechanisms. Bank has also introduced the 'Credit Risk Review Framework' for large value accounts to strengthen the loan underwriting.

Your Bank has adopted an IT platform for credit appraisal processes through Lending Automation Solutions (LAS). Internal Rating models are hosted on these platforms, which are interfaced with CIBIL, RBI defaulters' lists etc.

While arriving at Bank's CRAR, capital charge on credit risk is computed based on Standardized approach.

Your Bank has adopted the RAROC Framework for optimal risk-reward considerations, wherein RAROC computation for all fresh sanctions/reviews/renewals of MSME and Corporate proposals above a certain cut-off limit is mandatory. Credit decisions related to the concession in Rate of Interest (ROI) are linked to the RAROC of the borrower, which will help in maintaining the profitability of the bank and value creation for the stakeholders.

22 Market Risk Management:

Asset Liability Management Policy, Treasury Policy and Market Risk Policy aid in the management and mitigation of market risk in the banking and trading

books. Overall responsibility for managing the market risk lies with the Asset Liability Committee (ALCO). The fundamental focus is to add value both from the earnings perspective and from the economic value perspective. The ALM Desk and Mid-Office measure and monitor the market risk in the Banking and Trading books, respectively.

The Asset Liability Committee meets regularly to review and decide on the size, mix, tenor and composition of various assets and liabilities. It primarily does identification, measurement, monitoring and management of liquidity and interest rate risk. Pricing of asset and liability products is also decided by ALCO.

Your Bank ensures proactive liquidity management, develops stress scenarios and also has a contingency funding plan in place. Bank has adopted the liquidity risk management guidelines issued by RBI pursuant to the Basel III framework on liquidity standards. These include the intraday liquidity management, Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR). Monitoring of liquidity is proactively done both through both the stock approach and flow approaches.

Market Risk stems from the Trading positions assumed by the Bank in debt/equity instruments, forex transactions and Derivatives. The key drivers of Market Risk are Interest Rate Risk, Equity Risk, and Forex Risk.

Some of the key risk measures include position limits, tenor limits, price sensitivity measurement tools such as PV01 and Modified Duration (MD), Value At Risk (VaR), Net Overnight Open Position Limit (NOOPL), Daylight Limits, and Stop loss limits at both dealer and security level is being monitored on a daily basis.

The Risk measures are further supplemented by a Board-approved 'Stress Testing Policy', which guides the Bank in assessing the potential impact of adverse scenarios on the Bank's Investment book, including forex exposures and their impact on the Bank's Profit & Loss. The Stress Testing results are being submitted to Board on a periodic basis.

The Market Risk capital charge of the Bank is being computed using the Standardized Measurement Method (SMM) by applying the regulatory factors.

23 Operational Risk Management:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, and systems or from external events. To manage Operational Risks, your Bank has in place a comprehensive

Operational Risk Management Framework, whose implementation is supervised by the Operational Risk Management Committee (ORMC) and reviewed by the Risk Management Committee of the Board.

An independent Operational Risk Management Cell implements the framework. Under the framework, the Bank has three lines of defence. The first line of defence is the business unit (including support and operations) which is primarily responsible for managing Operational Risk on a day to day basis. The second line of defence is the Risk Management Department, which develops policies, procedures and techniques to assess and monitor the effectiveness of your Bank's internal controls. Internal Audit is the third line of defence. The team reviews the effectiveness of governance, risk management and internal controls within your Bank.

The comprehensive systems and procedures, internal control system and audit are used as primary means for managing Operational risk. The bank has in place a Board approved Operational Risk Management Policy based on Reserve Bank of India guidelines. All new products/processes introduced by the Bank pass through a Product Evaluation Process to identify and address the operational risk issues. Variations in existing products, as well as risks in outsourcing activities, are also reviewed. The Bank has compiled data relating to operational losses incurred during the last sixteen years, and it is analyzed for taking corrective measures so that these losses do not recur. The process has also been put in place to conduct Risk and Control Self-Assessment (RCSA) for assessing the residual risks in the products/processes of the Bank. Key Risk Indicators (KRIs) have been identified for various processes, and the threshold limits have been fixed.

Your Bank is currently following the Basic Indicator Approach (BIA) for capital computation under Operational Risk.

Your Bank is also creating a risk awareness culture by embedding it through the existing training system at all levels. Internal as well as external trainings are conducted in the Bank for the Risk Officers. To imbibe the risk culture in the Bank across various functions and field functionaries, e-learning modules on Risk Management have been made mandatory.

As part of digital adoption, your bank has developed a Vendor Risk Management System. It captures all the details related to vendors, and it also hosts a risk assessment model, focusing on the risk associated with the outsourced activity.

Your Bank has a robust Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan that is periodically tested to ensure that it can meet any operational contingencies. A well-documented Board approved Business Continuity plan is in place to minimize business disruptions and system failure, and potential impact on its business, employees and customers during any unforeseen adverse event or circumstances. The plan is designed in accordance with the regulatory guidelines and is reviewed regularly. Further, Bank has also constituted a BCP Quick Response Team (QRT) for IT and Non IT related Disruptions. QRT monitors the disruption and gives necessary directions to various Verticals/fields and also monitors the situation till normalcy is restored.

24 Group Risk Management

Group Risk entails the risks faced by any of the group entities that have a common resonance across the group, which may have a group-wide impact.

Your Bank, through its group entities, participates in diversified financial services like banking, securities and capital markets, insurance, mutual fund and retail asset businesses. Bank has put in place a framework/policy for the assessment of risks for its Group entities, internal controls, mitigants and capital assessment under normal and stressed conditions.

25 Fraud Risk Management

Your Bank has a Board approved Fraud Risk Management Policy in place. Bank has a Fraud Review Council, Operational Risk Management Committee, Credit Risk Management Committee, Audit Committee of the Board and Special Committee of Board for Monitoring of Fraud Cases to examine the cases of frauds/ attempted frauds and to put in place systems and procedures for prevention of frauds. Apart from reporting all the fraud cases of ₹1.00 lakh & above to the Board, the Bank also reports all the fraud cases of ₹1.00 crore & above to the Special Committee of the Board for Monitoring of Fraud.

Your Bank has implemented an Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS) for proactive fraud detection in transactions through various digital channels.

26 Enterprise Risk Management (ERM)

An ERM framework enables a firm to gain a clear view of its overall risk level. It helps to manage and align risk with strategy at a whole Bank level. It encompasses, among others, a Risk Appetite framework and the establishment of consistent Risk culture in the Bank.

Your Bank has a Board approved ERM policy in place. Bank also conducts a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) wherein the material risks faced by the Bank are listed, and their measurement and management methodologies are enumerated. Besides the Pillar-I risks, the Pillar-II risks are also assessed. The adequacy of the capital under normal & stressed conditions and to meet future business requirements are also assessed.

27 Compliance

27.1 Your Bank has implemented a robust compliance system along with a well-documented Compliance policy. The focus of the compliance function is adherence to regulatory compliance, statutory compliance, compliance with fair practice codes and other prescribed codes, government policies, the Bank's internal policies and prevention of money laundering and funding of illegal activities.

Your Bank conducts regular Compliance Test Checks on Customer Service, KYC-AML checks including B Category branches and Credit Process Audit conducted across the Regions pan India.

27.2 Your Bank has an in-house Compliance package to monitor, control & follow up communications received from Regulators/ Ministry/IBA/BBB. Periodic compliance test checks are put in place for effective implementation of mandatory guidelines. The role & responsibility of the compliance function is clearly defined for every tier in the Bank. Your Bank has a well-established reporting system to ensure regulatory and statutory compliance through a self-certification process; a Compliance certificate is submitted by branches to the respective ROs/ROs to FGMOs. FGMOs & CO verticals submit the compliance certificate to the Compliance Department every quarter.

Your Bank is in the process of implementing an in-house built Compliance Monitoring Tool-an application for Individual Level Compliance reporting-one of the deliverables of the EASE 4.0 Agenda.

Internal Audit System:

An effective and efficient internal audit function provides independent assurance to the Board and Senior Management on the quality and effectiveness of the Bank's internal control, risk management and governance systems and processes.

During the year FY 2021-22, Bank has conducted 6851 Branch audits and 614 audits for other units.

Apart from the above audits, Bank has a Concurrent Audit system covering 60.13% of total deposits and 75.56% of total advances of the Bank, which ensures compliance with RBI guidelines and also conducting Management Audit, IS Audit, OTMS Alerts, Swift Audit, Bill of Entry audit, Foreign Branches' audit, Forex Branches audit and Expenditure Audit for effective follow up and monitoring.

28 Cyber Security

Your Bank has a separate vertical at Central Office for overseeing Cyber Security functions. Bank has implemented Cyber Security Operation Centre (CSOC) and deployed a dedicated, skilled team to manage it. The CSOC helps to identify, detect, protect & prevent cyber threats. Bank has created a Cyber Security Governance structure comprising Policies, procedures, guidelines and committees at the executive & Board levels to oversee the development of the cyber security posture of the Bank.

Comprehensive Cyber Security Awareness Program (CCSAP):

Your Bank has developed a comprehensive Cyber Security Awareness Programme (CCSAP) to enhance the level of cyber security awareness among its customers and employees. To be aware, the customers for cyber security tip the Bank using multiple channels to reach customers viz. social media, corporate website, internet banking login page, ATM, SMS, Emails, Display units in branches etc. This has led to an increase in overall cyber resilience. Bank has established the CCoE (Cyber Security Centre of Excellence). Under the CCoE, the Bank has collaborated with CDAC for various customer and employee awareness Programmes, Training and Certifications.

29 Information Technology :

Union Bank of India is offering a "Digital Experience" to its customers by leveraging and implementing the latest innovations in technology like cloud computing, digital lending etc. Bank is transforming the current IT architecture to ensure high-performance access to business systems and cloud-based applications, complying with regulatory norms without compromising security. At the same time, Bank is fostering Enterprise Solution Architecture Practices for new applications to support new innovations in diverse, dynamic and complex environments.

Highlights of the Year

- ❖ First public sector bank to go live on the account aggregator ecosystem.
- ❖ First PSB to achieve triple ISO for its IT Systems.
- ❖ First among all the PSBs & First organization in the world to have the largest sites on SDWAN
- ❖ First PSB to implement End to End Shishu Mudra STP implementation.
- ❖ First PSB to implement End to End auto-renewals of MSME loans up to 10 lacs.
- ❖ First PSB to implement multi-language in Finacle, Mobile Banking application and SMS.
- ❖ Stands 2nd in ATM transactions among all banks across the country.
- ❖ Second PSB to achieve PCI DSS compliance for ATM operations.
- ❖ 3rd in UPI transactions among all Banks in the country with monthly transactions of 76+ crore and technical decline of less than 1%.
- ❖ The bank is awarded the IBA award for Best Cloud Adoption in Large Category Bank, IDC Industry Innovation Awards 2021, and Runner Up in Infosys Finacle Innovation Award 2021.

Major transformational activities implemented during the year are as below:

❖ New Technology Adoption

- **Account Aggregator:** Union Bank of India has become the first public sector lender to go live on the account aggregator ecosystem, a part of the government's digital initiatives to improve credit delivery. The account aggregator ecosystem helps lenders leverage digital data acquired with the customer's consent to provide seamless service without physical documentation. Any financial information user (FIU) can request data based on consent given by the customer on their account aggregator handle. Bank has implemented the technology stack as per the Reserve Bank Information Technology (ReBIT) guidelines.
- **Blockchain Technology:** Union Bank of India, along with 18 other banks, have formed an organization known as "Indian Banks Blockchain Infrastructure Company (IBBIC)" to implement Banking related Services in Blockchain Technology. With this, the Banking System in India is going to take a new leap in Digitization in the near future.

- **AI/ML:** Bank has initiated the setting up of the Analytics Center of Excellence and eyeing complete business modelling through AI/ML in the next 3 years. Various use cases like AI-based IVR System, U-Mobile Adoption Analysis, Cross-Selling/Upselling of Credit Cards, Voice Bot, etc., are in the implementation stage, whereas Early Warning Signal (EWS) in Retail/Agri/MSME sectors is already implemented.
 - **Robotic Process Automation (RPA):** Bank is partnering with leading Fintech firms in RPA and initially identified a few processes for automation like daily report generation, ATM reconciliation, payment settlement, etc. Using RPA technology.
- ❖ **Robust and Resilient Infrastructure**
- Bank's private cloud is expanded, which currently hosts 600+ virtual machines, and 130+ applications are presently running on Cloud.
 - The bank has a robust CBS Infrastructure to support daily financial transaction volume of 5+ crore. Monthly average CBS transactions – 155+ crore.
 - Bank has taken various initiatives for ATM advancements like the implementation of TLS 1.2 protocol, Green PIN, week PIN check, CoFT, and e mandate for recurring transactions.
 - Network Access Control is employed for increased network visibility, reduction in cyber threats and improved network performance.
 - SD-WAN solution implemented, which will provide a centralized approach to network management, more network automation, simplified operations, reduced change control, standardized email messaging system with advanced security features. SD-WAN will have better visibility/analytics on various applications and the underlying infrastructure; existing provisions for branch/office connectivity can be leveraged with optimum capacity. It will reduce bandwidth costs.
 - Robust and resilient IT Infrastructure supports a 120% increase in UPI financial transactions in the remitter category in the last six months.
 - Recertification of ISO 27001:2013 and ISO 22301:2019. Fresh certification of ISO 31000:2018 for IT Risk management.

❖ **Customer EASE**

- A dedicated Application Performance Monitoring team is established to ensure proactive issue resolution and 24/7 service availability. The average Uptime of IT systems is 99.90% which is at par with Best in the industry.
- "Card on File-Tokenization" was implemented as part of RBI guidelines for handling online tokenized transactions from Networks (MasterCard/VISA/NPCI). The actual debit card number of the Bank's customers is held safe in a secure token vault of Networks, and a unique token number is generated against the debit card number.
- Bank has taken various steps towards digital lending, such as the implementation of Union Cash Straight Through Process along with STP of Housing, Personal, Vehicle loans in Retail segment, STP for MSME loans up to 5.00 Cr, E2E Shishu Mudra loans up to ₹50,000 and auto-renewal of MSME loans up to ₹10 lacs. Further, auto-renewal of retail loans up to ₹50 lacs and Agri Loans (KCC) is under progress.
- The co-Lending module has been implemented in line with Pool Buyout (PBO) mechanism.
- UConn (WhatsApp Banking) is implemented in the Bank and offers various customer-friendly services, namely Account Balance, Mini Statement, Cheque Status, Cheque Book request, Locker Rent enquiry and many more Auxiliary services like Account Opening, Door Step Banking etc. UConn provides ease of use to the customer by rendering services through the most used app, i.e. WhatsApp.
- Under Multi-language implementation in Finacle, 361 screens are made available in Hindi and English. Further, 29 reports are available to customers/branches in 13 vernacular languages. Union Bank of India is the first PSB to implement multi-language in Finacle.
- Multiple enhancements are done in Internet Banking like Single Sign-On Page, SMS/Email alert on U-Token Registration/Deregistration, Captcha code for know your user ID and Enable Disable IB with OTP, LIC Policy registration and Payment, Combined Account Statement Generation through Internet Banking, Bulk Upload payment facility introduced for Retail and corporate customers.

- Various enhancements and features have been added to the U-Mobile application, like Registration to U-Mobile using Wi-Fi, Share Transaction Receipt, Scan QR on the pre-login page, Loan against online deposit accounts, Form 15G/H submission, TDS & Interest Certificate generation.

Awards & Accolades:

❖ IBA award for Best Cloud Adoption in Large Category Bank:

Union Bank of India was awarded the **Best Cloud Adoption in Large Category bank** as Bank has recognized the significant potential of the cloud technology in providing modern infrastructure for Banking at a very early stage and implemented on-premises private cloud in 2017. It is extremely cost-effective and scalable over traditional data centres and helped the Bank to roll out many projects in a short span, optimizing the Now, Bank has well-established premises private cloud and exploring future possibilities to adopt Public, Hybrid and Multi-Cloud solutions for Bank's forthcoming projects by duly considering the requirement and security.

Infosys Finacle Innovation Award 2021:

Union Bank of India was awarded **Runner Up in Infosys Finacle Innovation Award 2021 under the Process Innovation Category** for the Bank's innovation strategy, which is centred around customers to provide a superior experience at all stages of the customer journey in every sphere of Banking through superior touchpoint experience and agile services. Bank's IT architecture enables seamless integration with the ecosystem and ensures continuous delivery of responsive, resilient and secure IT Systems/Services using the latest technologies and continuous innovations. APIM uses Finacle Integrator (FI) that enables seamless integration of Finacle Core Banking Solution for real-time communication with Finacle for all APIs that are hosted at Finacle.

IDC Industry Innovation Awards 2021

Union Bank of India is awarded **IDC industry Innovation Awards 2021 under Innovation in Operations** as Bank is architecting the future by driving business growth and creating competitive advantages through emerging technologies and continuous innovations.

30. Operations Department

Grievance Redressal Mechanism:

The Grievance Redressal Mechanism has been strengthened to cater to the need of the Amalgamated

entity. The roles and responsibilities at each level of the Grievance Redressal Mechanism have been clearly identified and defined. Mechanism to resolve the complaints and Standard Operating Practices has been defined at all levels to speed up the process of grievance redressal.

Grievance Redressal Policy: - The revised policy outlines the framework for addressing customer grievances; it aims at minimizing instances of customer complaints and grievances through a well-structured escalation matrix and pre-defined TATs depending on the nature of the complaint. The purpose is to ensure prompt as well as effective redressal of customer complaints.

Union Care 2.0 – The revised Union Care Handbook has been issued by the bank, which covers the categorization of complaints, probable reasons for complaints and remedial measures, escalation matrix and updated contact details of officials nominated for resolving customer complaints in the area of ATM, Internet Banking, Pension, Mobile Banking, Door Step Banking, NEFT/RTGS, ASBA/DEMAT etc. The Handbook is helping the Field Functionaries for early resolution of customer complaints in a better way.

Updation of Grievance Redressal Officer Details on Bank's Website: The Bank has now uploaded the contact and other details of FGRO and RGRO on our website to enable ease to the customer in quick resolution of complaints. We have also issued a detailed action plan, Do's & Don'ts, and alternate arrangements during the tour/leave of RGROs/FGROs for redressal of grievances posted at RO's/ZOs. Now our website contains the structured Grievance Redressal Mechanism from the Chief Grievance Officer level to ZO and RO levels.

Handling of Customer Grievances: The details of customer complaints received during the financial year 2021-22 are given below.

Particulars	Count
Complaints outstanding as of 01 st April 2021 (including BO Complaints)	10,780
Complaints received during the year (including BO Complaints)	3,28,216
Complaints resolved during the year (including BO Complaints)	3,37,601
Complaints outstanding as of 31 st March 2022 (including BO Complaints)	1,395

31. Vigilance

The vigilance department in the Bank is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO), who acts as an extended

arm of the CVC. The CVO is assisted by a team of Functional Vigilance Officers and Field Vigilance Officers stationed at the Central Office and Zonal Vigilance Cells / Regional Vigilance Cells, respectively, headed by a DGM and 4 AGMs. The vigilance administration in the bank acts as a moral gatekeeping of the employee's conduct in order to promote sound business decisions necessary for perpetual growth & profitability of the organization. The facets of vigilance are classified into preventive, participative & punitive. Rather than punitive actions, the efficiency of vigilance in an organization is counted on efficiency in bringing Reformation in systems & procedures by preventing unhealthy practices and ensuring hassle-free delivery services.

The Bank has adopted a Whistle Blower Policy pursuant to which employees of the Bank can raise their concerns relating to fraud, malpractice or any other activity or event which is against the interest of the Bank or society as a whole. As per the Whistle Blower Policy, the Executive Director looking after HR is the designated Nodal Officer for all whistleblower complaints. To promote PIDPI & Whistle Blower, 4 films have been prepared in the house on PIDPI enacted by our bank staff & 1 film has been prepared by CGGB sponsored RRB during VAW-2021. Wide publicity of the same was done through all the social media handles of the Bank, and this resulted in approximately 46K+ views & impressions to date.

To safeguard the Bank against internal/external threats such as fraud, bribery, corruption, abuse of authority, and non-compliance with laid down systems & procedures, constant vigilance at all levels is necessary through a process called 'participative vigilance'. To popularize the scheme, awareness is created during the VAW and during preventive vigilance visits to the branches.

Preventive Vigilance Visits are surprised visits to branches by vigilance officials, the very purpose of which is to sensitize the staff about the importance of following the laid down rules and procedures by the Bank from time to time. In F.Y. 2021-22, 5925 visits were conducted.

In addition to the PVV, an offsite surveillance system is adopted by the Bank, which helps in the detection of abnormal transactions, irregularities etc. and thereby initiates corrective action. During the year, 3726 alerts were raised under off-site surveillance, which was referred to the controllers for taking appropriate corrective actions.

During the year, 6 systemic improvements have been undertaken by the concerned departments as suggested by the Vigilance Department in order to streamline the processes and systems in the Bank. Control Returns are also sent regularly to various statutory and regulatory bodies (CVC, RBI, MOF, CBI etc.) as demanded by them to enable them to exercise a general check and supervision over our vigilance cases and anti-corruption work.

In compliance with CVC directions, our Bank observes Vigilance Awareness Week from October to November every year by executing numerous activities in & outside the organization with the aim of sensitizing & spreading awareness amongst staff, children, youth and all citizens of the country, including the rural population. This year, the pre-inauguration ceremony of VAW-2021 began in our bank by being a host to the event organized by Vigilance Study Circle, Mumbai, for all the CVOs of the PSBs/PSUs in Mumbai. The event was graced by the visit & address from Central Vigilance Commissioner - Shri Suresh N Patel, Secretary, CVC - Shri Otem Dai & Additional Secretary - Shri P. Daniel.

During the solemn occasion of observing **Vigilance Awareness Week from 26th Oct to 1st Nov, 2021** under the theme "**'Independent India@75 – Self Reliance with Integrity'**" we were able to entail participation of 7.98 lac citizens including staff members by oath-taking of integrity pledge through online mode and conduct 14125 outreach activities apart from undertaking visits in select aspirational districts by vigilance officials. We were opportune to organize an event with top executives in the boardroom graced by a visit & address by Shri P. Daniel - Additional Secretary, CVC, during VAW-2021. For knowledge enrichment of our staff, we unveiled a magazine, "Learn from Frauds: 20 Case studies based on true fraud incidents", a Cartoon Book on PIDPI Resolution, along with the release of Daily Alert Series: "Dainik Satarkta" & compilation of Monthly magazine "Satarkta Se Safalta". A webinar on Safe Banking was arranged at Powai office - Mumbai and 10 others by field functionaries from several eminent personalities on topics related to different areas of banking, viz. financial inclusion, cyber security, behavioural and leadership skills etc. witnessed a large turnout of spectators and the constructive sessions. Live streaming on the social media handles of the Bank was done. An exclusive radio interview of CVO Shri. Umesh Kumar Singh, with the title "PATE KI BAAT", has also been broadcasted on RED FM to reach the masses to create awareness about PIDPI & Vigilance Awareness Week.

Coming to the punitive part, as against the total staff strength of 76147 as of 31st March 2022, the number of pending vigilance cases is 199, i.e. 0.26%. During the year, 504 complaints were received by the department, of which 492 have been disposed of, including 53 complaints pertaining to the previous year. During the year, investigations were ordered in 84 cases, of which reports were received in 90 cases, including 22 investigation reports pertaining to the previous year. Investigation reports in 14 cases are awaited, which are less than 03 months old. TAT for completing the investigation and submission of the investigation report to the Vigilance department stood at 82 days as against the benchmark of 90 days.

A new initiative Vigilance Perception Index (VPI), has been undertaken, which will enable Field General Managers/ Regional Heads to assess the level of implementation and effectiveness of available preventive vigilance tools of the Bank based on the review of 8 selected parameters in the Zonal Vigilance Committee meetings on a quarterly basis. Vigilance has undertaken a survey under a new Project – Union Reformation, to identify key areas which could possibly bring in a change in the way disciplinary action is perceived in our bank and also reduce the banks' risk of imposition of penalties, thereby promoting a better work culture and uphold the principles of natural justice.

32 Opportunities

32.1 Pan India Presence: Post amalgamation, the Bank has emerged as the 5th largest in terms of total business and 4th largest in terms of network among the PSBs. The Bank has a network of 8873 branches & 11,232 ATMs, an employee base of over 77,000 and a customer base of over 120 million.

Strong organization structure: The organisation structure of the Bank has been redesigned across all the levels by adopting verticalization, centralisation and specialisation as the main themes. By centralisation processing centres and creating several new verticals, including digitisation, analytics, business process transformation etc., the Bank is making itself ready for the future.

Digitisation: The Bank has made significant inroads into digitisation in the last couple of years. Implemented many Digital Initiatives in the bank, e.g. Pre Approved Personal Loan (PAPL), MSME STP, MSME credit card, CRM Package, Trade Finance Module, UVCconnect, Union Dial

and the most recently Union Nxt – a new age super app for all banking needs.

32.2 Higher Market Share: Being the 5th largest PSB in the country with a pan India presence, the Bank has a very strong market share in most of the Indian States. Higher market share will help the Bank to improve its visibility and reach to grab higher business and an edge over others.

32.3 Strong Workforce: The Bank has one of the youngest workforces, with an average age of fewer than 40 years. A relatively younger workforce will help the Bank for easy transformation towards a digital-savvy Bank. The Bank has also put in place a multi-faceted Human Resource transformation project, "Union Prerana", which aims to reimagine our daily ways of working across performance management, Learning and development, posting, placement, job families and career development framework, to name a few.

33 Threats

33.1 Stiff Competition: The competition in the Indian banking system has been increasing over the years. There is an urgent need for banks to up their game to overcome tough competition from new players. FinTech is expected to challenge the banking sector with innovations and its exponential growth. Traditional banks must now adopt a digital-first business model in order to compete with these new players.

33.2 Uncertain Business Environment: The business environment is highly uncertain. The current pandemic related shock is likely to place greater pressure on the banks. Proactive building of buffers and raising capital will be crucial not only to ensure credit flow but also to build resilience in the financial system - the resilience of individual banks and financial entities as well as the resilience of the financial sector as a whole.

33.3 Cyber security: Enhancing cyber resilience is another important aspect when it comes to digital innovations. As we are expanding our operating hours and allowing for increased access and increased interoperability, there are persisting threats of cyber-attacks to our systems. Experience shows that even the most efficient and protected systems can get compromised, which could expose stakeholders to disproportionate risks.

34 Outlook

The Indian banking system's health has been at its best in decades. The improvement in health, which began in FY 2019-20, is likely to continue in FY 2022-23, backed by strengthened balance sheets and an improving credit demand outlook with an expected commencement of the corporate CAPEX cycle. Banks will look for growth across sectors and benefit from loan recoveries, considering their highest profitability in the past six years. The outlook for India's banking sector has improved as the ongoing recovery of the country's large and diversified economy will support sustainable business growth for banks. Improving consumer and business confidence, as well as improving domestic demand, will support economic growth and credit demand. Rising corporate earnings and easing funding constraints for non-bank finance companies, which are significant borrowers from banks, will support loan growth. The receding risk of further pandemic-related disruption has also lowered financial performance risks. However, the global economic fallout from the Russia-Ukraine military conflict will create some risks as it fuels inflation because of rising oil prices and driving down the value of the rupee, which will increase pressure on the Reserve Bank to raise interest rates.

With the commencement of the Russian-Ukraine conflict in February 2022, various global and domestic agencies have downgraded India's growth projections for FY 2022-23. However, the domestic economy is expected to outperform its peers and is likely to

achieve real GDP growth in the range of 7-8% in FY 2022-23. In response to the economic recovery, banks are increasingly showing a rise in risk appetite, as indicated by a revival in credit growth in recent months. The revival in retail demand and overall credit growth will be supplemented by rising corporate credit growth. The share of corporate loans could increase, supported by the infrastructure and construction sectors in light of the government's strong focus on infrastructure spending. Further, an estimated Rs 2 lakh crore worth of primary investments in performance-linked incentive schemes will provide a further boost to corporate credit growth.

The COVID-19 pandemic has also fast-tracked the digital transformation of the payments ecosystem in India. The banks are expected to continue their efforts in this area so as to come out with more and more innovative solutions. Going forward, the continued policy support by the RBI and the government would lead to an orderly growth of the banking system in the country.

For and on behalf of the Board of Directors



**(Rajkiran Rai G.)
Managing Director and CEO**

Place : Mumbai
Date : 30.05.2022



nxt ONE STOP DEPOSIT SOLUTIONS

Union Bank presents **nxt**. The next gen app that allows customers to avail of several banking services on a touch. One can open fixed deposits and get instant Loan Against Deposit at zero service charges and nil documentation. What's more, the entire process is completed within seconds.

Download the App from



Open Fixed Deposits • Get Loan Against Deposit

Contact us: 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555 | www.unionbankofindia.co.in

Do not share your internet banking details, such as User Id / password or your credit/debit card number /CVV/OTP with anyone – either over phone or through email.

Corporate Governance Report

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

- 1.1 Union Bank of India is committed to good corporate governance practices. The Bank has laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels, thereby enhancing the shareholders' value and protecting the interests of the stakeholders.
- 1.2 The Bank considers itself as trustee of its shareholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding their wealth. During the year under review, the Bank continued its pursuit of achieving these objectives through adoption of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks and pursuing policies and procedures to satisfy its legal and ethical responsibilities.
- 1.3 The Bank firmly believes that the self-discipline and sincerity of the Board and other stakeholders in carrying out their responsibilities provide the bedrock for a clean, transparent and trustworthy Corporate Governance regime which in turn will earn continuous support and trust of stakeholders.
- 1.4 The changing landscape on account of the COVID-19 pandemic has posed additional challenges and your Bank has shown the character, maturity and resilience to deal with the situation since March 2020 and would continue to demonstrate the same going forward.
- 1.5 To implement the best practices, the Board has framed a Code of Corporate Governance. The code helps to inculcate a spirit of good corporate governance right from the top. It basically encompasses and documents the practices followed in the Bank in conduct of its duties towards all the stakeholders like:
- Functioning of Board and its various Committees
 - Compliance (Regulatory and Policy)
 - Relation with shareholders
 - Disclosures by Bank and its Directors
 - Corporate Social Responsibility and
 - Other miscellaneous issues viz. Code of Conduct for Directors & Senior Management Personnel,

Prohibition of Insider Trading, Related Party Transaction Policy, Whistle Blower Policy, Staff Related Matters, Vigilance etc.

- 1.6 The Bank being a listed entity complies with the Corporate Governance provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent that it does not violate statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities applicable to the Bank.

2. BOARD OF DIRECTORS

- 2.1 The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.
- 2.2 The responsibilities of the Board include monitoring overall functioning of Bank including but not limiting to approval of policies for conduct of business, business reviews, assessing the independence of the audit and risk function, detailed scrutiny of quarterly and annual financial results, NPA management and provisioning integrity, compliance of regulatory and statutory guidelines, customer protection, financial inclusion, overall supervision of human resources etc.
- 2.3 The Board has constituted various sub-committees and delegated its powers for different functional areas to the committees of the Board. The Board as well as its Committees meet at periodic intervals.
- 2.4 As on 31st March, 2022, the Board comprised of five whole-time Directors viz. Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) and four(4) Executive Directors appointed by the Government of India besides six(6) Non-Executive Directors who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience guides the Bank in its progress and achievements in various spheres.
- 2.5 The positions of Workmen Employee Director and Officer Employee Director to be nominated by the Central Government were vacant during the year. The positions of CA category Director and Part-Time Non official Directors to be nominated by the Central Government were vacant as on 31.03.2022.

2.6 Composition of the Board of Directors as on 31st March, 2022 is as under:

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	Holding of Bank's shares	Number of memberships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of Chairmanships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Listed Companies and Area of Expertise)
1	Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO (Executive)	01-07-2017	MCB SRCB RMC ITSC SCMF DPPC STCB REMC HRSCB CAC-I CDRCF RCNCB & WD	6725	2	1	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office for a period of three years from the date of his taking over the charge of the post on or after 01.07.2017 i.e. upto 30.06.2020 or until further orders, whichever is earlier. Further, vide notification no. F.No. 4/4/2017 – BO.I dated 30.06.2020, the Central Govt has extended the term beyond 30.06.2020 till the date of superannuation i.e., 31.05.2022 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking & Finance
2	Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director (Executive)	01-03-2019	MCB SRCB RMC ITSC REMC HRSCB CAC-I CDRCF SCMF	Nil	1	Nil	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of his taking over charge of the post i.e. upto 28.02.2022 or until further orders, whichever is earlier. Further, vide notification no. F.No. 4/4/2021 – BO.I dated 26.08.2021, the Central Govt has extended the term beyond 28.02.2022 till the date of superannuation i.e., 30.04.2022 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking & Finance
3	Shri Nitesh Ranjan, Executive Director (Executive)	10-03-2021	MCB SRCB RMC ITSC REMC HRSCB CAC-I CDRCF	6725	3	Nil	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of assumption of office i.e., from 10.03.2021 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Economics, Finance & Management

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	Holding of Bank's shares	Number of memberships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of Chairmanships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Listed Companies and Area of Expertise)
4	Shri Rajneesh Karnatak, Executive Director (Executive)	21-10-2021	MCB SRCB RMC ITSC REMC HRSCB CAC-I CDRCF	Nil	2	Nil	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of assumption of office i.e., from 21.10.2021 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking & Finance
5	Shri Nidhu Saxena, Executive Director (Executive)	01-02-2022	MCB ACB SRCB RMC ITSC SCMF REMC HRSCB CAC-I CDRCF	Nil	2	Nil	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of assumption of office i.e., from 01.02.2022 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking & Marketing
6	Shri Sameer Shukla Government Nominee Director (Non-Executive)	08-11-2021	ACB SRCB ITSC SCMF DPPC REMC HRSCB BCPE	Nil	2	Nil	Nominated as a Director by Central Government u/s 9(3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders. Area of Expertise: Management & Finance
7	Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director (Non-Executive)	26-04-2019	MCB ACB DPPC	Nil	1	Nil	Nominated as a Director by Central Government on the recommendation of RBI u/s 9(3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders. Area of Expertise: Banking, Finance & Information Technology
8	Shri Suraj Srivastava Part-Time Non-Official Director (Non-Executive - Independent)	21-12-2021	ACB SRCB RMC NRC	Nil	2	Nil	Nominated as a Part Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from the date of notification i.e. 21.12.2021 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Audit, Taxation and Finance

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	Holding of Bank's shares	Number of memberships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of Chairmanships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Listed Companies and Area of Expertise)
9	Shri Laxman S. Uppar Part-Time Non-Official Director (Non-Executive - Independent)	21-03-2022	Nil	Nil	Nil	Nil	Nominated as a Part Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from the date of notification i.e. 21.03.2022 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Learning & Development, Management and CSR
10	Dr. Jayadev Madugula Shareholder Director (Independent Non-Executive)	28-06-2018	ACB SRCB RMC ITSC SCMF STCB HRSCB RCNCB & WD BCPE	200	2	2	Elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from 28.06.2018 to 27.06.2021 and re-elected for further period of three years from 28.06.2021. Area of Expertise: Banking, Finance & Risk Management
11	Ms. Priti Jay Rao Shareholder Director (Independent Non-Executive)	29-07-2021	MCB SRCB RMC ITSC STCB HRSCB BCPE	1000	2	Nil	Elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from 29.07.2021 to 28.07.2024. Area of Expertise: Information Technology, HR & CSR

\$ Abbreviations of Committee Names

- ACB - Audit Committee of the Board
- BCPE - Board Committee for Performance Evaluation
- CAC -I - Credit Approval Committee – I
- CDRCF - Committee of Directors for Raising of Capital Fund
- CESD - Committee to decide on Election of Shareholders Directors – Voting by PSBs
- CSCB - Customer Service Committee of the Board
- CSRC - Corporate Social Responsibility Committee
- DPPC - Disciplinary Proceedings & Promotion Committee
- EDC - Election Dispute Committee
- HRSCB - HR Sub-Committee of the Board
- ITSC - IT Strategy Committee
- MCB - Management Committee of the Board
- NRC - Nomination & Remuneration Committee

RCNCB&WD - Review Committee for Non Cooperative Borrowers & Willful Defaulters of the Bank

REMC - Recovery Management Committee of the Board

RMC - Risk Management Committee

SCMF - Special Committee on Monitoring of Frauds of ₹ 1 crore & above

SRCB - Stakeholders Relationship Committee

STCB - Share Transfer Committee of the Board

2.7 Appointments/Cessations during the Financial Year 2021-22:

Appointments: The following new directors inducted on the Board during the financial year 2021-22:

Sr. No.	Name	Age	Date of Appointment	Expiry date of current term	Nature of Expertise	Brief Profile
1.	Dr. Jayadev Madugula	58	28.06.2021	27.06.2024	Banking & Risk Management	<p>Dr. Jayadev Madugula is a Post Graduate in Commerce and Ph.D. in Business Management. Presently, he is Professor of Finance & Accounting at IIM, Bangalore.</p> <p>He has rich experience of teaching not only in premier institutions in India but also as a Visiting Professor in various universities abroad. He has published various books and research articles in national and international journals and has won various awards and accolades in the field of education. He was the Shareholder Director of the Union Bank of India from June 28, 2018 to June 27, 2021.</p>
2.	Ms. Priti Jay Rao	62	29.07.2021	28.07.2024	Information Technology, HR & CSR	<p>Ms. Priti Jay Rao is M.Sc (Mathematics) from IIT Bombay with specialization in Computer Science. She is a passionate advocate of amplifying business value, leveraging Technology, Human Resources and Process Automation.</p> <p>She has to her credit, 24 Years of diverse experience in building and delivering range of IT services for customers located across all the five continents.</p> <p>She is the member of Board of Directors of Public and Private companies related to various aspects of technology services and also actively engaged in various CSR activities.</p>
3.	Shri Rajneesh Karnatak	51	21.10.2021	20.10.2024 or until further orders, whichever is earlier	Banking & Finance	<p>Shri Karnatak is a Post Graduate in Commerce (M.Com) and is a Certified Associate from Indian Institute of Bankers (CAIIB). He has a rich banking experience of over 27 years and carries varied branch and Administrative office experience. He carries with him credit appraisal skills including project funding & working capital funding along with Risk Management with specific reference / special emphasis on Credit Risk.</p>

Sr. No.	Name	Age	Date of Appointment	Expiry date of current term	Nature of Expertise	Brief Profile
4.	Shri Sameer Shukla	43	08.11.2021	until further orders	Management & Finance	Shri Sameer Shukla is an officer of Indian Administrative Service (IAS) belonging to 2005 batch of Karnataka Cadre.
5.	Shri Suraj Srivastava	48	21.12.2021	20.12.2024 or until further orders, whichever is earlier	Audit, Taxation & Finance	Shri Suraj Srivastava is a Fellow Member of The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and also a Bachelor of Laws (LL.B.). Shri Srivastava has a rich professional experience of over 16 years as a practicing Chartered Accountant in taxation and audit practice.
6.	Shri Nidhu Saxena	53	01.02.2022	31.01.2025 or until further orders, whichever is earlier	Banking & Marketing	Shri Nidhu Saxena, is a Commerce graduate and also holds a Masters in Business Administration along with CAIIB qualification. Prior to his 25 years of banking experience, he had 8 years of corporate exposure in different sectors.
7.	Shri Laxman S. Uppar	50	21.03.2022	20.03.2025 or until further orders, whichever is earlier	Learning & Development, Management and CSR	Shri Uppar has done Bachelor's in Engineering. He is a noted Educationist, Philanthropist and Founder of Karnataka Classic Education Private Ltd. He has also started Spardha Spoorti Publishers & Printers Pvt. Ltd. in 2012, which publishes books and magazines for various competitive examinations.

Cessations: The following members ceased to be the Directors during the financial year 2021-22:

Sr. No.	Name of Director	Designation	Date of Cessation	Reason
1.	Dr. Uttam Kumar Sarkar	Shareholder Director	28.06.2021	Completion of Tenure
2.	Shri K. Kadiresan	Shareholder Director	28.06.2021	Completion of Tenure
3.	Shri Dinesh Kumar Garg	Executive Director	01.10.2021	Superannuation
4.	Dr. Madnesh Kumar Mishra	Govt. of India Nominee Director	07.11.2021	Completion of Tenure
5.	Shri Gopal Singh Gusain	Executive Director	01.02.2022	Superannuation

2.8 Inter-se relationship of Directors:

There is no inter-se relationship amongst the Directors.

2.9 Committee Membership of Directors:

In terms of regulations 26(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 Chairpersonship and Membership of Audit Committee of the Board (ACB) and Stakeholders Relationship Committee (SRCB) are considered for this disclosure.

No Director of the Bank was a member in more than 10 Committees or acted as Chairperson of more than 5 Committees across all listed entities/public limited companies in which he / she was a Director during the year 2021-22.

Details of Membership/Chairmanship held by the Directors on the Committees of the Bank and other listed/public limited companies where he was a Director as on 31.03.2022 are given here under:

Sr. No.	Name & Designation of Director	Name of Company	Name of Committee	Member/Chairman
1	Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	1. United India Insurance Company Ltd.	ACB	Chairman
		2. Union Bank of India	SRCB	Member
2	Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	1. Union Bank of India	SRCB	Member
3	Shri Nitesh Ranjan, Executive Director	1. Union Bank of India	SRCB	Member
		2. UBI Services Ltd.	ACB	Member
		3. Star Union Dia-Ichi Life Insurance Co Ltd.	ACB	Member
4	Shri Rajneesh Karnatak, Executive Director	1. Union Bank of India	SRCB	Member
		2. UBI Services Ltd.	ACB	Member
5	Shri Nidhu Saxena, Executive Director	1. Union Bank of India	ACB	Member
		2. Union Bank of India	SRCB	Member
6	Shri Sameer Shukla, Government Nominee Director	1. Union Bank of India	ACB	Member
		2. Union Bank of India	SRCB	Member
7	Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director	1. Union Bank of India	ACB	Member
8	Shri Suraj Srivastava, Part-Time Non-Official Director	1. Union Bank of India	ACB	Member
		2. Union Bank of India	SRCB	Member
9	Shri Laxman S. Uppar, Part-Time Non-Official Director	NA		
10	Dr. Jayadev Madugula, Shareholder Director	1. Union Bank of India	ACB	Chairman
		2. Union Bank of India	SRCB	Chairman
11	Ms. Priti Jay Rao, Shareholder Director	1. Mastek Limited	ACB	Member
		2. Union Bank of India	SRCB	Member

2.10 Details of Familiarization Programmes attended by Directors:

The details of training programmes attended by Directors of the Bank are made available on Bank's website under the following link:

<http://www.unionbankofindia.co.in/english/familiarisation.aspx>

2.11 In terms of requirement of Schedule V of the Listing Regulations, a Practicing Company Secretary has certified that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of Bank by the SEBI / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority and the certificate from Practicing Company Secretary in this regard forms part of Annual Report.

2.12 The Board of Directors of the Bank confirms that the independent directors of the Bank fulfil the conditions specified in Listing Regulations and are independent of the management.

3. ANNUAL GENERAL MEETING

The Nineteenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank was held on **Tuesday, 10th August, 2021** through VC/OAVM where the following directors were present:

Shri Rajkiran Rai G.	Managing Director & CEO
Shri Gopal Singh Gusain	Executive Director
Shri Dinesh Kumar Garg	Executive Director
Shri Manas Ranjan Biswal	Executive Director
Shri Nitesh Ranjan	Executive Director
Dr. Jayadev Madugula	Shareholder Director, Chairman ACB & SRCB
Ms. Priti Jay Rao	Shareholder Director

4. BOARD MEETINGS

Details of Board Meetings held during the Financial Year 2021-22:

The Board met 22 times during the year 2021-22 on 29.04.2021, 14.05.2021, 25.05.2021, 07.06.2021, 14.06.2021, 23.06.2021, 30.06.2021, 17.07.2021, 28.07.2021, 29.07.2021, 30.07.2021, 26.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 02.11.2021, 25.11.2021, 15.12.2021, 29.12.2021, 24.01.2022, 07.02.2022, 25.02.2022 and 30.03.2022.

Note: The Position of Non-Executive Chairman is vacant as on date and Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the Chairman of the Board in terms of Clause 12(6) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with Clause D, Part E, Schedule II of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

5. COMMITTEES OF THE BOARD

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of Directors and/or executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Govt. of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Audit Committee of the Board (ACB)
3. Risk Management Committee (RMC)
4. Special Committee on monitoring of Frauds of ₹ 1.00 crore and above (SCMF)
5. Recovery Management Committee of the Board (ReMC)
6. Customer Service Committee of the Board (CSCB)*
7. HR Sub-Committee of the Board (HRSCB)
8. Stakeholders Relationship Committee of the Board (SRCB)*
9. IT Strategy Committee (ITSC)
10. Nomination & Remuneration Committee (NRC)
11. Disciplinary Proceedings & Promotion Committee (DPPC)
12. Share Transfer Committee of the Board (STCB)

13. Review Committee for Non Cooperative Borrowers & Willful Defaulters of the Bank (RCNCB & WD)
14. Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)*
15. Credit Approval Committee-I (CAC - I)
16. Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF)
17. Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)

***Note 1:** The Board of Directors of the Bank at its meeting dated 30.03.2022 expanded the scope of SRCB by mandating it with the functions related to Customer Service and Corporate Social Responsibility and as a consequence, CSCB and CSRC have been merged into SRCB, without diluting the scope and composition of SRCB as enunciated in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. SRCB also has been mandated with Environment, Social and Governance (ESG) functions.

Note 2: The Board of Directors of the Bank at its meeting dated 30.03.2022 discontinued "Election Disputes Committee" and "Committee to decide on election of Shareholders Directors – Voting by PSBs", as these committees were issue specific and such issues did not crop up in the recent past. The Board also decided in this regard that the said committees can be re-formed with the same terms and conditions as and when required for specific period.

5.1 Management Committee of the Board (MCB)

5.1.1 Composition:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended), the Management Committee of the Board consists of –

- Managing Director & CEO,
- Executive Directors,
- RBI Nominee Director nominated under section 9(3)(c) and

- Three other Non-Executive Directors under Section 9 (3) (e), (f), (h) & (i) nominated by the Board for a period of one year and may be re-nominated thereafter for a period of six months each for two times.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee.

5.1.2 Functions:

Pursuant to the directives of Ministry of Finance, Government of India, Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters viz. sanctioning/review of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure beyond the powers of Credit Approval Committee-I, acquisition and hiring of premises, investments, donations, etc.

During the year 2021-22, 24 meetings of MCB were held.

5.2 Audit Committee of the Board (ACB)

5.2.1 Composition:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Bank as per the guidelines of Reserve Bank of India and Ministry of Finance, Government of India. The ACB consists of following members –

- Executive Director in-charge of Internal Inspection and Audit
- Nominees of Govt. of India & Reserve Bank of India and
- Two Non-Executive Directors of which one should ordinarily be a Chartered Accountant Category Director nominated u/s 9(3)(g), if any.

Other Executive Director/s can be invitee/s to the meeting if the agenda includes any item for discussion from their domain.

Dr. Jayadev Madugula, Shareholder Director chaired the Committee.

Company Secretary acts as Secretary to the ACB in terms of Regulation 18(1)(e) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

5.2.2 Functions:

The ACB reviews the functions of the Bank as mandated by calendar of items issued by the RBI. The major functions of ACB are enumerated below:

1. ACB provides directions as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory / external audit of the Bank and inspection by RBI.
2. ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank i.e. the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also specially focuses on the follow-up :-
 - Inter-branch adjustment accounts
 - Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and Nostro accounts
 - Arrears in balancing of books at various branches
 - Frauds
 - All other major areas of housekeeping.
3. ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of guidelines of RBI and SEBI.
4. Regarding statutory audits, ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports. It interacts with the external auditors before and after the finalization of annual / semi-annual financial accounts and on the audit reports.
5. ACB reviews the accounting policies and practices, related party transactions, Mechanism for Whistle-Blower, Management Discussion and Analysis and Quarterly and Annual Financial Results of the Bank.
6. In addition to the above, the functions of the Audit Committee include the role of the Audit Committee

and review of information by audit committee as defined under Part – C of Schedule II – Corporate Governance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The Committee met 10 times during the year 2021-22 on 07.06.2021, 22.06.2021, 29.07.2021, 25.08.2021, 23.09.2021, 02.11.2021, 23.11.2021, 07.02.2022, 10.02.2022 and 16.03.2022.

5.3 Risk Management Committee (RMC)

5.3.1 Composition:

The Bank had constituted Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management in terms of RBI guidelines. In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Board of Directors shall constitute a Risk Management Committee (RMC) in top 1000 listed entities determined on the basis of market capitalization. Considering the similarity in functions, the Board in its meeting dated 06.12.2019 changed the name of Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM) to Risk Management Committee (RMC).

The Committee consists of the following members:

- Chairman
- Managing Director & CEO,
- Executive Directors and
- Three Non-Executive Directors.

The Position of Non-Executive Chairman is vacant as on date and Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee in terms of Clause 12(6) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

5.3.2 Functions:

The Committee is constituted to supervise the functions of Risk and Asset Liability Management in the Bank. The Committee is responsible for identifying, evaluating and monitoring the overall risks faced by the Bank.

The Committee met 5 times during the year 2021-22.

5.4 Special Committee of the Board of Directors for monitoring of Frauds of ₹ 1.00 crore and above (SCMF)

5.4.1 Composition:

Special Committee of the Board of Directors for monitoring of frauds of ₹ 1 crore and above is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present the Audit Committee of Board (ACB) is required to oversee the internal inspection, statutory audit, inter branch/inter bank accounts and major areas of housekeeping etc. The ACB is also required to focus attention on preventive aspects and follow-up action being initiated by the bank on frauds. However, this Special Committee focuses on Monitoring and following up of cases of frauds involving amounts of ₹ 1 crore and above exclusively while ACB continues to monitor all the cases of frauds in general.

The Special Committee is constituted with following members of the Board of Directors:

- Chairman
- Managing Director & CEO
- Two members from the Audit Committee of the Board
- Two other members from the Board excluding RBI nominee Director

The Position of Non-Executive Chairman is vacant as on date and Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the Chairman of the Committee in terms of Clause 12(6) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

5.4.2 Functions:

The major function of the Special Committee is to monitor and review all the cases of frauds of ₹ 1 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae, if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any and/or reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI /Police Investigation and recovery position.

- Ensure that the staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The Committee met 4 times during the year 2021-22.

5.5 Recovery Management Committee of the Board (ReMC)

5.5.1 Composition:

A Board level Sub Committee for Recovery Management has been formed as per Ministry of Finance, Government of India guidelines to monitor the progress in recovery on regular basis and this Committee would submit its report to the Board.

The composition of the Committee is:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Government of India Nominee Director

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee.

5.5.2 Functions:

To monitor the progress in recovery on regular basis and submit the report to the Board.

The Committee has held 4 meetings during the year 2021-22.

5.6 Customer Service Committee of the Board (CSCB)

5.6.1 Composition:

Customer Service Committee of the Board is constituted as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India to look after the customer service in Bank. The Committee Comprises of following members:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Govt. Nominee Director

- Four Non-Executive Directors

In addition, Internal Ombudsman and Two Experts also participate as special invitees in these meetings.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee.

5.6.2 Functions:

The Committee is undertaking the following tasks:

- To make suggestions on improving the quality of customer services.
- To review the implementation of the existing policies and procedures with a view to rationalize and simplify them & to suggest appropriate improvements to facilitate changes on an ongoing basis.
- To review and recommend the policies to the Board annually before the same is placed to the Board for approval.

The Committee has held 4 meetings during the year 2021-22.

5.7 Human Resources Sub-Committee of the Board (HRSCB)

5.7.1 Composition:

The Committee consists of Managing Director & CEO, Executive Directors, Government Nominee Director and any two Directors nominated by the Board. In addition, two experts in Human Resources also participate as special invitees.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee.

5.7.2 Functions:

To oversee & review the implementation of following aspects:

- Overall Strategy for the Bank on HR.
 - Overall manpower plan and skills gap identification.
 - Systems, procedures and structures to attract and groom right talent.
 - Succession planning.

2. Development of performance management system covering all staff in the Bank
 - Performance assessment on transparent Key Responsibility Areas.
 - System of providing developmental feedback to all staff.
3. Fine tuning of policies on HR in line with Bank's strategy and market realities.
 - Reward and incentives
 - Promotions
 - Deployment
4. Training
 - Specialist business skills training
 - General retraining / reorientation for all staff
5. IT automation of all HR related activities

The Committee has held 7 meetings during the year 2021-22.

5.8 Stakeholders Relationship Committee

5.8.1 Composition:

Pursuant to the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Stakeholders Relationship Committee of the Board (SRCB) has been constituted with Executive Directors and Three Non-Executive Directors.

Dr. Jayadev Madugula, Shareholder Director, is the present Chairman of the Committee.

5.8.2 Functions:

1. Monitoring and resolving the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
2. Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
3. Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.

4. Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.

W.e.f. 30.03.2022, the scope of SRCB has been enhanced by mandating it with the functions related to Customer Service, Corporate Social Responsibility and Environment, Social and Governance (ESG) functions.

The Committee has held 4 meetings during the year 2021-22.

5.8.3 Name & Designation of Compliance Officer:

Pursuant to Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Shri Mangesh Mandrekar has been appointed as Company Secretary and designated as the Compliance Officer of the Bank for Investor Grievances.

5.8.4 Details of Shareholder Complaints during the year 2021-22:

A comparative chart showing number of complaints received, responded and pending for the financial year ended 31.03.2022 vis-à-vis 31.03.2021 is as under:-

Sr. No	Particulars	For F.Y. ended 31.03.22	For F.Y. ended 31.03.21
a.	No. of shareholders complaints pending at the beginning of the year	0	0
b.	No. of shareholders complaints received during the year	8	18
c.	No. of shareholders complaints resolved during the year	8	18
d.	No. of shareholders complaints pending at the end of the year	0	0

5.9 Information Technology Strategy Committee (ITSC)

5.9.1 Composition:

As a part of IT Governance measures, RBI has recommended creation of IT Strategy Committee of the Board to advise the Board on strategic direction on IT and to review IT Investments on behalf of the Board. The Committee consists of:

- MD & CEO
- Executive Directors
- Govt. Nominee Director
- Two Non-Executive Directors one of whom shall be independent Director
- Two Outside IT Experts
- Chief Information Officer (CGM/GM heading the IT function of the Bank)

Ms. Priti Jay Rao, Shareholder Director chaired the Committee.

5.9.2 Functions:

- Approving IT strategy and policy documents.
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represent a balance of risks & benefits and that budgets are acceptable.
- Monitoring the methods that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing & use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining bank's growth.
- Ensure adequate mitigation for exposure towards IT risks & controls, evaluating effectiveness of management's monitoring.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks).

- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive maximum business value from IT.
- Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value).
- To build up mechanism to undertake IT disaster management.
- To act as Board level Sub-Committee on Digital Transactions to advice, guide and monitor enhancing digital transactions of the Bank.

The Committee has held 5 meetings during the year 2021-22.

5.10 Nomination & Remuneration Committee (NRC)

The Bank earlier had two separate Committees viz. Nomination Committee and Remuneration Committee constituted in terms of earlier guidelines issued by RBI and MOF. MOF vide its communication F. No. 16/19/2019-BO.1 dated 30.08.2019 advised that in place of separate Nomination Committee of the Board and Remuneration Committee of the Board, the Bank may constitute a single committee named Nomination and Remuneration Committee for carrying out the functions entrusted to the said two committees and having composition as specified vide RBI's communication RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR.Appt. No. 9/29.67.001/2019-20, dated August 2, 2019.

Thus, pursuant to the above mentioned MOF guidelines, the Board of Directors approved the constitution of a single Nomination and Remuneration Committee (NRC) in place of two separate Committees in line with RBI guidelines w.e.f. 06.12.2019.

5.10.1 Composition:

Reserve Bank of India vide its Master Direction No.9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 has issued Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions,

2019. In terms of Para 4.1 of the said directions, the bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Composition of the Committee is as under:

- Non-Executive Director nominated under section 9(3)(g) of the Act
- Three Non-Executive Directors nominated under section 9(3)(h) of the Act

As per the guidelines, the Non-Executive Chairman may also be nominated on the Committee but shall not chair the Committee.

5.10.2 Functions:

To undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

In view of lack of quorum of NRC and Clause 14A of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the agenda pertaining to election of Shareholder Directors was taken up twice by the Board during FY 2021-22 and meeting of NRC could not be held.

5.11 Disciplinary Proceedings & Promotion Committee (DPPC)

The Bank earlier had two separate Committee viz. Directors Promotion Committee (DPC) and Disciplinary Proceedings Committee – Vigilance/Non-Vigilance (DPC-V).

MOF vide its communication F. No. 16/19/2019-BO.1 dated 30.08.2019 advised to review in its Board the need for continuation of Board committees set up at the bank's own initiative and the possibility of their functions being discharged by another Board committee or the Board, with a view to rationalise their number.

The Board of Directors with a view to rationalize its Committees and considering the MOF guidelines dated 24.10.1990 and basic composition, decided to merge

Directors' Promotion Committee and Disciplinary Proceedings Committee – Vigilance/ Non-Vigilance w.e.f. 06.12.2019.

5.11.1 Composition:

The Board of Directors has approved the constitution of the Committee as below –

- Managing Director & CEO
- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director

Independent members / Outside experts to be inducted while conducting interview for the promotion process from Scale VI to VII and Scale VII to VIII.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee.

5.11.2 Functions:

- To conduct Promotion Process from TEGS VI to TEGS VII and TEGS VII to TEGS VIII,
- consider appeals of Executives in TEGS VI & VII against non-promotions to TEGS VII & VIII respectively,
- to consider promotions to TEGS VII & VIII in cases where Sealed Cover Procedure is adopted
- To review Vigilance, Non-Vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.
- To review APAR marks of Top Executives upon their representation within 15 days from the date of disclosure.
- To review the appeal against the Regular Departmental Action for major penalty for General Managers

The Committee has held 6 meetings during the year 2021-22.

5.12 Share Transfer Committee of the Board (STCB)

5.12.1 Composition:

The Committee consists of:

- Managing Director & CEO or in absence, Executive Director in charge of Board Secretariat
- Two Non-Executive Directors

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee.

5.12.2 Functions:

With a view to effecting speedy transfer of shares, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of the Board with powers to confirm transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc.

Further, in the interest of investors and with a view to enhance ease of dealing in securities markets by investors, SEBI, vide its circular dated 25.01.2022, decided that the listed entities shall henceforth issue the shares in dematerialized mode only while processing the following service requests:

- a. Issue of duplicate securities certificate;
- b. Claim from Unclaimed Suspense Account;
- c. Renewal / Exchange of securities certificate;
- d. Endorsement;
- e. Sub-division / Splitting of securities certificate;
- f. Consolidation of securities certificates / folios;
- g. Transmission;
- h. Transportation;

During the year, the STCB met 4 times and 19 Resolutions were passed by circulation.

5.13 Review Committee for Non Cooperative Borrowers and Willful Defaulters (RCNCB&WD)

The Bank earlier had two separate Committee viz. Review Committee for Classification of Non-Cooperative Borrower (RCNCB) and Review Committee on Willful Defaulters of the Bank (RCWDB). MOF vide its communication F. No. 16/19/2019-BO.1 dated 30.08.2019 advised to review in its Board the need for continuation of Board committees set up at the bank's own initiative and the possibility of their functions being discharged by another Board committee or the Board, with a view to rationalise their number.

The Board of Directors with a view to rationalize its Committees and based on the composition of the above two committees, decided to merge the same and to constitute a single Committee for identification of Willful Defaulters and classification of Non-Cooperative

Borrowers namely Review Committee for Non Cooperative Borrowers and Willful Defaulters with the following composition w.e.f. 06.12.2019 –

- Managing Director & CEO
- Any two Independent Directors

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee.

5.13.1 Functions:

- The committee shall review the orders of the Approving Committee i.e. Executive Director Headed Committee recording the Borrower to be non-cooperative. The order shall become final only after it is confirmed by the Review Committee of the Board.
- On a half-yearly basis review the status of non-cooperative borrowers for deciding whether their names can be declassified as evidenced by their return to credit discipline and cooperative dealings before its submission to the Board.
- Review & confirm the orders passed by Committee headed by Executive Director on classification of Borrowers as Willful Defaulters.
- Reviewing the quarterly Return submitted to CRILC.

The Committee has held 4 meetings during the year 2021-22.

5.14 Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)

The objective of the Corporate Social Responsibility Committee shall be to assist the Board and the Bank in fulfilling its Corporate Social Responsibility.

5.14.1 Composition:

- Managing Director & CEO,
- Executive Directors
- One Part-Time Non-Official Director nominated under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 Act.
- One Shareholder Director elected under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 Act.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee.

5.14.2 Functions:

1. Formulating and recommending the CSR Policy to the Board of Directors and indicating activities to be undertaken.
2. Approval of projects to be undertaken either through Union Bank Social Foundation Trust or such other entity/organisation as approved by the Committee in terms of CSR Policy.
3. Reviewing usage of delegated authority by GM/ED/MD & CEO on quarterly basis. Reviewing performance of Union Bank Social Foundation Trust on quarterly basis.

The Committee has held 4 meetings during the year 2021-22.

5.15 Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF)

5.15.1 Composition:

As per the approval given by the Board the committee is constituted to complete the necessary formalities for raising of capital funds. The Committee consists of MD & CEO and Executive Directors.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee.

5.15.2 Functions:

The Committee is authorized by the Board / Shareholders, as the case may be to complete the necessary formalities for raising of capital funds and to do all such acts, deeds, and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable including but not limited to decide on quantum & mode(s), number of tranches, price or prices, discount/premium, reservations to employees, customers, existing shareholders and/or any other persons as decided by the Board and as provided under SEBI regulations and the timing of such issue(s), calling the issue open at its discretion subject to applicable Rules and Regulations and GoI & RBI approval.

The Committee has held 8 meetings during the year 2021-22.

5.16 Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)

5.16.1 Composition:

Ministry of Finance vide communication no. F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019 advised the Bank to constitute a Board Committee for Performance Evaluation of Managing Directors & CEO, Executive Directors in charge of internal Control Functions (Risk, Compliance and Audit) and General Managers in charge of internal control Functions (Risk, Compliance and Audit) of the bank.

Further as per MOF communication dated 14.11.2019, the Board Committee for Performance Evaluation is to be constituted with the approval of the Board with following members –

1. Non-Executive Chairman (NEC)
2. Government nominee Director, and
3. Longest serving Shareholder Director on the Board.

In case of vacancy in the office of NEC, the Chairman of Audit Committee of the Board shall be a member of the Committee in place of NEC.

5.16.2 Functions:

To appraise, review and accept the Annual Performance Appraisal Reports of the Managing Director and CEOs, Executive Directors and Chief General Managers in charge of Risk, Compliance and Audit.

The Committee has held 2 meeting during the year 2021-22.

5.17 Credit Approval Committee-I (CAC-I)

5.17.1 Composition:

As per clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Bank has constituted the Credit Approval Committee-I. The Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto ₹ 800 crore (in case of A & above externally rated accounts having valid rating) and up to ₹ 600 crore in case of other accounts and group exposure upto ₹ 800 crore and in case exposure exceeds such limits, it shall be considered by the Management Committee of the Board.

The composition of CAC-I is as under:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Chief General Manager / General Manager in-charge of the Credit
- Chief General Manager / General Manager in-charge of the Finance/Chief Financial Officer and
- Chief General Manager / General Manager in-charge of the Risk Management

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank chaired the Committee.

Shareholders held during last 3 years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Special Resolution
Postal Ballot	14 th February, 2019	--	To create, grant offer, issue and allot up to 8,00,00,000 (Eight crore) new equity shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "Union Bank -ESPS") in one or more tranches, to eligible employees.
Extraordinary General Meeting	26 th March, 2019 at 11:00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Prinicipal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020.	Issue of 52,15,62,658 Equity Shares for cash at an Issue Price of ₹ 78.84 including premium of ₹ 68.84 on Preferential Basis to Government of India, upto ₹ 4,112 Crore.
17 th Annual General Meeting	28 th June, 2019 at 11:00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Prinicipal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020.	To raise Capital through FPO/Rights/QIP/Preferential allotment etc. by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto ₹ 4,900 crore (including premium, if any).

5.17.2 Functions:

All credit related matters including approval/review-renewal, miscellaneous requests, interest concessions, compromise/write off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, etc. within its delegated authority are being put up before the CAC-I for approval.

The Committee has held 24 meetings during the year 2021-22.

6. GENERAL BODY MEETINGS

The details of the General Body Meetings of the

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Special Resolution
18 th Annual General Meeting	4 th August, 2020 at 11:00 a.m.	Central Office, Union Bank, Mumbai through VC or OAVM	To set off the Bank's accumulated losses of ₹ 3,27,58,49,47,263.10 (Rupees Thirty Two Thousand Seven Hundred Fifty Eight Crores Forty Nine Lacs Forty Seven Thousand Two Hundred Sixty Three and Ten Paise only) as at 31 st March, 2020 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial Year 2020-21.
Extraordinary General Meeting	30 th December, 2020 at 11:00 a.m.	Central Office, Union Bank, Mumbai through VC or OAVM	To raise Capital through FPO/Rights/ QIP/Preferential allotment etc. by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto ₹ 6,800 crore (including premium, if any).
Extraordinary General Meeting (Cancelled)	25 th June, 2021 at 11:00 a.m.	Central Office, Union Bank, Mumbai through VC or OAVM	Election of ONE Shareholder Director was the only agenda at the Meeting and the Bank received only ONE valid nomination and therefore the meeting was cancelled as per Reg.66 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended.
19 th Annual General Meeting	10 th August, 2021 at 11:00 a.m.	Central Office, Union Bank, Mumbai through VC or OAVM	To raise Capital through FPO/Rights / QIP/Preferential allotment etc. by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto ₹ 3,500 crore (including premium, if any).

7. DISCLOSURES

The Bank is governed by the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and guidelines/circulars issued by RBI, Gol and SEBI.

It is stated that the Bank is complying with the applicable mandatory requirements of Listing Regulations. However, currently there are a few vacancies on the Board which has resulted in composition of several committees with lesser strength and thus, the Bank is unable to meet the requirements of SEBI

Listing Regulations in-toto. The Bank has requested Government of India to fill the vacancies.

Compliance with respect to non-mandatory requirements is also given in this report. The other disclosure requirements stipulated by the Listing Regulation are as under:

7.1 Remuneration of Directors:

Managing Director & CEO and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of traveling & halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard. Other terms and conditions of the appointment of whole-time directors are as per clause 8 of the Nationalised Banks

(Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details of the same are given in the notes to accounts.

Sitting Fees:

The Directors appointed under clause (e), (f), (g), (h) and (i) of sub-section (3) of section (9) of the Banking Companies Act are entitled to sitting fees as mentioned below in accordance with circular F.No.15/1/2011-BO.I dated August 30, 2019 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, in terms of clause 17(1) of the Nationalised Banks Scheme for attending meetings of the Board and meetings of the committees of the Board, along with additional fees for chairing the meeting of the Board and for chairing the meeting of committees of the Board, as decided by the Board of Directors subject to overall ceiling of 25 lakhs per director per annum.

The Board of Directors in its meeting held on July 29, 2020, approved payment sitting fees of ₹ 70,000 with effect from April 1, 2021 for attending per meeting of the Board and ₹ 35,000 for attending per meeting of the committees of the Board. Additional fees of ₹ 20,000 for chairing per meeting of the Board and ₹ 10,000 for chairing per meeting of committees of the Board was also approved.

The above information is also available on Bank's website under following link: <http://www.unionbankofindia.co.in/english/Making-payment.aspx>

Travelling & Halting Allowance:

In addition to fees to which a director is entitled to be paid, every such director travelling in connection with the work of the Bank shall be reimbursed his Travelling & Halting expenses, if any, in terms of the provisions of clauses 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, on such basis as may be fixed by Central Government from time to time.

7.2 Disclosure on Material Significant Related Party Transactions:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives/firms/companies in which they are interested are discussed.

7.3 Disclosure of Pecuniary Relationship or Transactions:

The Bank's Non-Executive Directors do not have any pecuniary relationship or transaction with the Bank except to the extent of transactions done in the normal course of banking business and the sitting fees paid to them by the Bank for their attendance in the Board and Committee meetings of the Board of the Bank.

7.4 Proceeds from Public issues, Right issues, Preferential issues etc.:

The proceeds of Equity to the tune of ₹ 1447 crore (approx.) were raised during the year 2021-22 by way of Qualified Institutions Placement and the said proceeds were utilized for augmenting the Bank's Tier 1 Capital in terms of Basel III guidelines of RBI and to support growth plans and general corporate requirements of the Bank.

Bonds: During the year 2021-22, the Bank has issued Basel III Compliant Tier 2 Bonds to the tune of ₹ 2000 crore and Basel III Compliant AT 1 Bonds to the tune of ₹ 5000 crore. The said proceeds were utilized for augmenting the Bank's Tier 1 and Tier 2 Capital in terms of Basel III guidelines of RBI and to enhance the long-term resources of the Bank.

7.5 Penalties or Strictures:

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.

7.6 Whistle Blower Policy:

The Bank has put in place the Whistle Blower Policy and same can be accessed via following link –

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/about-us-policiescodes.aspx> .

The Audit Committee of the Board periodically reviews the functioning of the said policy. It is further stated that no employee has been denied access to the Audit Committee of the Board.

7.7 Policy for determining Material Subsidiary:

In compliance with Regulation 46(2)(h) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has formulated Policy for determining Material Subsidiary and same can be accessed via following link <https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>

However as on date there is no material subsidiary of the Bank.

7.8 Related Party Transaction Policy:

The Bank has formulated Related Party Transaction Policy on dealing with Related Party Transactions. The said policy can be accessed via following link <https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>.

The Bank didn't have any materially significant related party transactions that had potential conflict with the interest of the Bank at large during the FY 2021-22.

7.9 Dividend Distribution Policy:

The Bank has formulated Policy for declaration of dividend for the year 2021-22. The said policy can be accessed via following link

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>

7.10 Takeover Code:

The Bank has also complied from time to time with the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended.

7.11 Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015:

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in Shares of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and the Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was kept closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

Dates of closure of trading window	Purpose of closure
31 st March 2021 to 9 th June 2021	Declaration of Financial Results for the year ended 31 st March 2021.
30 th June 2021 to 31 st July 2021	Declaration of Financial Results for the quarter ended 30 th June 2021.
30 th September 2021 to 4 th November 2021	Declaration of Financial Results for the quarter ended 30 th September 2021.
31 st December 2021 to 9 th February 2022	Declaration of Financial Results for the year ended 31 st December 2021.

7.12 Management Discussion and Analysis:

The same has been given separately in the Annual Report.

7.13 Compliance Reports on Corporate Governance:

The Bank has submitted quarterly compliance reports on Corporate Governance in the specified format to BSE Ltd (BSE) & National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) within stipulated timeline.

7.14 Dissemination of Information on Website:

The Bank has disseminated the required information under clauses (b) to (i) of sub-regulation 46 of Listing Regulations on its [website www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in).

7.15 Details of Fees paid to Statutory Auditors:

Total fees for all services paid by the Bank and its subsidiaries, on a consolidated basis, to Statutory Auditor during Financial Year 2021-22 is ₹ 56.78 Crore.


7.16 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

- number of complaints filed during the financial year 2021-22 : 10 (Ten)
- number of complaints disposed of during the financial year 2021-22 : 5 (Five)
- number of complaints pending as on end of the financial year 2021-22 : 5 (Five)

7.17 Branch Network:

Branch Network of our Bank is widely spread across the country with 8870 branches and 3 overseas branches (Hongkong, Sydney, Dubai) as on March 31, 2022. Out of these, 57 percent of the branches are located in rural and semi-urban centers.

Branches Network As on 31.03.2022						
	Rural	Semi-Urban	Urban	Metro	Foreign	Total
No. Of Branches	2537	2552	1844	1937	3	8873
Branches (%)	28	29	21	22	--	100



Bank Overview

Notice

Statutory Reports

Financial Statements

7.18 Credit Rating

List of all credit ratings obtained along with revisions during the financial year 2021-22, for all debt instruments or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the Bank involving mobilization of funds, whether in India or abroad:

Rating Agency	Basel III		Basel II		Certificates of Deposits	Outlook
	Additional Tier 1	Tier 2	Lower Tier II	Upper Tier II		
Brickwork	BWR AA	BWR AA+	-	-	-	Stable
CRISIL	CRISIL AA	CRISIL AA+	CRISIL AA+	-	-	Stable
CARE	CARE AA	CARE AA+	CARE AA+	-	-	Stable
India Ratings	IND AA	IND AA+	-	-	-	Stable
ICRA Ltd	-	ICRA AA+	-	-	ICRA A1+	Stable

FITCH - Rating report dated October 29, 2021:

Category	Rating
Long Term Issuer default Rating (IDR)	"BBB-" Outlook Negative
Short Term Issuer Default Rating (IDR)	F3
Viability Rating (VR)	b

Standard & Poor's- Rating Date: January 25, 2022

Category	Rating
Issuer Credit Rating (Long term/ Short Term)	BB+/Stable/B
Standalone Credit Profile (SACP)	bb-
Bank's Senior Unsecured Notes (Long term)	BB+
Outlook:	Stable

8. MEANS OF COMMUNICATION

The quarterly, half-yearly and annual financial results of the Bank were published in leading newspapers including Business Standard (English), The Free Press Journal (English), Navbharat (Hindi) and Navshakti (Marathi). The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in Similarly, the press releases issued by the Bank, related presentations, shareholding pattern, etc. are also simultaneously placed on the Bank's website under the head "Investor Relations".

9. SHAREHOLDERS' INFORMATION

9.1 Financial Year – 1st April to 31st March

9.2 Listing of Equity Shares & Bonds - The Bank's equity shares are listed on BSE and NSE and Bonds listed on NSE. The details of stock scrip code are as follows:

Name	Code
BSE Limited (BSE), Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001	532477
National Stock Exchange of India Limited (NSE), Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051	UNIONBANK-EQ

The Annual Listing Fee for Equity Shares for the financial year 2022-23 has been paid to both the Stock Exchanges on 29th April, 2022.

The Bank has issued Unsecured Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof as on 31.03.2022 are as under:

Sr. No.	ISIN	Bond Description	Series	Amount (in ₹ Cr.)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate (%) (p.a.)
1	INE692A08029	Basel III Compliant Additional Tier I	Bond Series XX	1,000	15-Sep-16	Perpetual	9.50
2	INE692A08086	Basel III Compliant Additional Tier I	Bond Series XXIV	500	3-May-17	Perpetual	9.08
3	INE692A08110	Basel III Compliant Additional Tier I	Bond Series XXVII	500	15-Dec-20	Perpetual	8.73
4	INE692A08128	Basel III Compliant Additional Tier I	Bond Series XXVIII	1,000	11-Jan-21	Perpetual	8.64
5	INE692A08136	Basel III Compliant Additional Tier I	Bond Series XXIX	205	29-Jan-21	Perpetual	8.73
6	INE434A08083	Basel III Compliant Additional Tier I	AT-1 Series IV	500	31-Oct-17	Perpetual	9.20
7	INE692A08169	Basel III Compliant Additional Tier I	Bond Series XXXII	2000	22-Nov-21	Perpetual	8.70
8	INE692A08177	Basel III Compliant Additional Tier I	Bond Series XXXIII	1500	20-Dec-21	Perpetual	8.40
9	INE692A08185	Basel III Compliant Additional Tier I	Bond Series XXXIV	1500	02-Mar-22	Perpetual	8.50
10	INE692A09266	Basel III Compliant Tier II	Bond Series XVII-A	2,000	22-Nov-13	22-Nov-23	9.80
11	INE692A08045	Basel III Compliant Tier II	Bond Series XXII	750	24-Nov-16	24-Nov-26	7.74
12	INE434A08075	Basel III Compliant Tier II	Bond Series D	1,000	24-Oct-17	24-Oct-27	7.98
13	INE112A08051	Basel III Compliant Tier II	Bond Series II	1,000	8-Nov-19	8-Nov-29	8.93
14	INE112A08044	Basel III Compliant Tier II	Bond Series I	500	14-Nov-17	14-Nov-27	8.02
15	INE692A08094	Basel III Compliant Tier II	Bond Series XXV	1,000	16-Sep-20	16-Sep-30	7.42
16	INE692A08102	Basel III Compliant Tier II	Bond Series XXVI	1,000	26-Nov-20	26-Nov-35	7.18
17	INE692A08144	Basel III Compliant Tier II	Bond Series XXX	850	24-Jun-21	24-Jun-31	7.19
18	INE692A08151	Basel III Compliant Tier II	Bond Series XXXI	1,150	9-July-21	9-July-36	7.25
		Total		17,955			

Basel II Compliant Bond as on 31.03.2022:

Sr. No.	ISIN	Bond Description	Series	Amount (in ₹ Cr.)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate (%)(p.a.)
1	INE692A09241	Lower Tier II	Bond Series XVI-B	800	28-Dec-12	28-Dec-22	8.90
Total				800			

9.3 Dividend:

The Board of Directors has recommended a dividend of ₹ 1.90 per equity share of face value ₹ 10/- for FY 2021-22.

9.4 Particulars of AGM:

Board Meeting for considering Accounts	Friday, 13 th May, 2022
Date, Time & Venue of AGM	Thursday, 30 th June, 2022 at 11.00 AM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) facility at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting)
Dates of Book Closure	Friday, 24 th June, 2022 to Thursday, 30 th June, 2022 (both days inclusive)
Opening & Closing of E-Voting	Monday, 27 th June, 2022 (9:00 AM IST) to Wednesday, 29 th June, 2022 (5:00 PM IST)

9.5 Financial Calendar:

The tentative calendar for declaration of results for the financial year 2022-23 is given below:

Financial Results	Likely release of results
For the quarter ending June 30, 2022	By August 10, 2022
For the quarter ending September 30, 2022	By November 10, 2022
For the quarter ending December 31, 2022	By February 10, 2023
For the year ending March 31, 2023	By May 15, 2023

9.6 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances:

The Bank has constituted the Share Transfer Committee of the Board to consider the transfer of shares and other related matters terms of SEBI guidelines dated 08.06.2018 & SEBI Press Release dated 03.12.2018, physical transfer of shares is not permitted after 31.03.2019, thus, shareholders are requested to open a demat account and dematerialise their physical shareholding.

Further, in the interest of investors and with a view to enhance ease of dealing in securities markets by investors, SEBI, vide its circular dated 25.01.2022, decided that the listed entities shall henceforth issue the shares in dematerialized mode only while processing the following service requests:

- Issue of duplicate securities certificate;
- Claim from Unclaimed Suspense Account;
- Renewal / Exchange of securities certificate;
- Endorsement;
- Sub-division / Splitting of securities certificate;
- Consolidation of securities certificates / folios;
- Transmission;
- Transportation;

The Shareholder / claimant shall submit duly filled up Form ISR-4 and the RTA / listed entity shall, after processing the service requests, issue a "Letter of Confirmation" instead of physical certificates to the shareholder / claimant within 30 days of such requests after removing objections, if any.

The Letter of Confirmation shall be valid for 120 days from the date of its issuance within which the shareholder / claimant shall make a request to the depository participant for dematerializing the said securities.

The RTA shall issue a reminder after the end of 45 days and 90 days from the date of issuance of Letter of Confirmation, informing the securities holder / claimant to submit the demat request.

The RTA shall retain the physical share certificate as per the existing procedure and deface the certificate with a stamp "Letter of Confirmation Issued" on the face / reverse of the certificate, subsequent to processing the service request.

Depository Participant shall generate the demat request on the basis of Letter of Confirmation and forward the same to the Listed entity / RTA for processing the demat request.

If demat request is not received within 120 days of the Letter of Confirmation, shares shall be credited to the Suspense Escrow Demat Account of the entity.

In compliance with SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has appointed Datamatics Business Solutions Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of Shares, dividend, recording of shareholders' requests, solution of shareholders' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at the address mentioned below.

The Bank has also established Investor Services Division at its Central Office, Mumbai. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Division for any of their requests/complaints.

Registrar & Share Transfer Agent (RTA)	Debenture Trustee	Company Secretary
Datamatics Business Solutions Ltd. Unit: Union Bank of India Plot No. B-5, Part B Crosslane, MIDC Andheri (East), Mumbai-400 093. Tel No: 022 - 66712001-6 Fax No: 022 - 66712011 Email: ubiinvestors@datamaticsbpm.com	IDBI Trusteeship Services Limited Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400001 Tel- (022) 40807001 Fax- (022) 66311776 Email: adityakapil@idbitrustee.com Axis Trustee Services Ltd Axis House, 2 nd Floor, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400025 Tel- (022) 24255215/216 Email: debenturetrustee@axistrustee.in	Investor Services Division Union Bank of India 12th Floor, Central Office, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021. Tel-(022) 2289 6636 Fax-(022) 22025238 E-mail: investorservices@unionbankofindia.bank

9.7 Other communications:

In addition to timely responses to the queries of the shareholders, the Bank proactively sends a half yearly communication to the shareholders to promote good investors' relations.

The Bank sent Half-yearly Communication through email to all the shareholders whose email id is registered with the Bank / DP.

9.8 Dematerialisation of shares:

The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is INE692A01016.

Therefore, it is requested that the shareholders holding the shares in physical mode may get their shares dematerialized in their own interest as it will save them from the need of safe custody of the share certificates which at times may lead to loss/mutilation. Besides, this would also provide them instant liquidity as the shares of the Bank is traded in demat form. This would also result in easy and faster collection of dividend payments.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31.03.2022 are as under:

Category	No of Shareholders	No. of Shares	% of shareholding
Physical	84,556	1,60,76,330	0.24
Demat			
NSDL	3,08,118	85,10,17,704	12.45
CDSL	3,87,025	596,76,53,432	87.31
TOTAL	7,79,699	683,47,47,466	100.00



Note: Entire Shareholding of the Promoter of the Bank is in Dematerialized Form.

Further, in pursuance of the circular issued by SEBI, a practicing Company Secretary has also conducted reconciliation of Share Capital Audit on a quarterly basis. During the course of reconciliation of Share Capital audit, no discrepancy in updation/maintenance of the Register of Members or processing of demat requests was found and the capital held in physical mode and demat mode tallied with the issued capital.

The Bank has sent various communications to its shareholders holding shares in physical form to dematerialize the same. As a result, 1024 shareholders dematerialized their 2,46,878 shares held in physical form during the year 2021-22.

9.9 Market Price, Volume of shares traded in Stock Exchanges:

Months	BSE			NSE			BSE SENSEX	
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High	Low
Apr-2021	38.55	32.20	1,19,99,809	38.60	32.10	15,20,63,122	50375.77	47204.50
May-2021	39.35	33.50	3,01,45,311	39.40	33.50	46,27,47,957	52013.22	48028.07
Jun-2021	41.50	34.20	5,93,09,301	41.50	34.20	74,41,97,717	51450.58	52482.71
Jul-2021	39.45	35.20	1,79,10,404	39.45	35.20	24,88,16,185	51802.73	52586.84
Aug-2021	37.75	32.65	1,28,26,535	37.75	32.70	13,44,75,434	52804.08	57552.39
Sep-2021	37.55	34	2,02,34,183	37.45	34.00	20,71,68,161	57263.90	59126.36
Oct-2021	51.7	35.75	6,04,40,335	51.70	35.70	68,20,66,105	58551.14	59306.93
Nov-2021	54.8	41.60	4,62,33,018	54.80	41.55	40,63,95,777	56382.93	57064.87
Dec-2021	49.65	41.30	3,65,07,478	49.70	41.30	30,38,26,610	55132.68	58253.82
Jan-2022	48.75	41.20	2,59,81,544	48.85	41.10	21,49,10,696	56409.63	58014.17
Feb-2022	51.7	38.05	4,13,55,261	51.70	37.85	36,74,87,860	54383.20	56247.28
Mar-2022	42.00	37.25	2,64,20,705	42.00	37.20	22,02,80,214	52260.82	58568.51
Closing Price as on 31.03.22	38.7			38.7				
Market Cap	₹26,450 crore			₹26,450 crore				



* Source-BSE Website (www.bseindia.com)

9.10 Distribution of Shareholding:

Shareholding	As of 31.03.2022				As of 31.03.2021			
	No. of share-holders	% to total	No. of shares	% to total	No. of share-holders	% to total	No. of shares	% to total
Upto 500	642618	82.42	76427698	1.12	5,28,933	81.76	6,75,45,606	1.05
501 to 1000	58277	7.47	45172534	0.66	49,399	7.64	3,75,00,984	0.59
1001 to 2000	30157	3.87	45971773	0.67	25,313	3.91	3,83,06,983	0.60
2001 to 3000	20276	2.60	51007654	0.75	19,538	3.02	4,89,43,404	0.76
3001 to 4000	9745	1.25	34019956	0.50	9,516	1.47	3,29,19,269	0.51
4001 to 5000	5544	0.71	26009371	0.38	4,516	0.70	2,09,83,000	0.33
5001 to 10000	8289	1.06	59067045	0.86	6,869	1.06	4,72,68,459	0.74
10001 & above	4793	0.62	6497071435	95.06	2,890	0.45	6,113,376,650	95.42
Total	779699	100.00	6834747466	100.00	646974	100.00	6406844355	100.00

The face value of Bank's per Equity share is ₹ 10/-.

9.11 Shareholding pattern:

The Shareholding Pattern of the Bank's shares as of 31.03.2022 vis-a-vis 31.03.2021 is as follows:

Category of shareholder	As of 31.03.2022		As of 31.03.2021	
	No. of share-holders	% to total	No. of share-holders	% to total
Promoter				
Government of India	5,70,66,60,850	83.49	5,70,66,60,850	89.07
Public				
Institutional Investors				
Mutual Funds & UTI	6,42,39,168	0.94	5,64,49,674	0.89
Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/ State Govt. Institutions)	4178,25,501	6.11	2234,23,845	3.49
FIs & Foreign Mutual Funds	8,07,63,510	1.18	4,22,69,800	0.66
OTHERS				
Private Corporate Bodies	4,89,41,688	0.72	1,75,23,616	0.27
Indian Public	50,84,00,256	7.44	35,55,71,135	5.55
NRIs/OCBs/Qualified Foreign Investor	79,16,493	0.12	49,45,435	0.07
Total	6,83,47,47,466	100.00	6,40,68,44,355	100.00

9.12 List of Top 10 Shareholders of the Bank:

The list of top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2022 is as follows:

Sr. No.	Name	Shares	% To capital
1	PRESIDENT OF INDIA (Government of India)	5706660850	83.49
2	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	385692691	5.64
3	HDFC TRUSTEE COMPANY LTD - A/C HDFC MID – CAP OPPORTUNITIES FUND	51036160	0.77
4	SOCIETE GENERALE - ODI	36327637	0.53
5	REKHA JHUNJHUNWALA	8400000	0.12
6	REKHA JHUNJHUNWALA	8400000	0.12
7	REKHA JHUNJHUNWALA	8400000	0.12
8	INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LTD	8264219	0.12
9	THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED	7912257	0.11
10	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA	7704495	0.11

9.13 Unclaimed/Unpaid Dividend:

The amount of dividend that remained unclaimed for a period of seven years from the date of transfer of dividend to the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). The list of dividends declared so far and proposed date of transfer for various dividend accounts are given below:

Sr. No	Dividend Account pertaining to	Unpaid Dividend Bank Account No.	Financial Year	Rate of dividend	Proposed Date of Transfer to IEPF	Balance as on 31.03.2022 (₹)
1	UBI	317901090049761	2014-15	₹ 6.00 per share	07-08-22	2,20,58,280.00
2	UBI	317901090049775	2015-16	₹ 1.95 per share	08-08-23	1,04,06,896.10
3	E-AB	117911100001617	2014-15	₹ 2.00 per share	19-08-22	1,47,79,824.50
4	E-AB	117911100001802	2015-16	₹ 0.50 per share	31-08-23	58,19,786.42
5	E-CB	510101000855048	2014-15	₹ 1.40 per share	10-08-22	23,06,352.00
TOTAL						5,53,71,139.02

The shareholders who have not claimed the above dividends till now are requested to make a claim at the earliest to the Registrar & Share Transfer Agent or the Investor Services Division of the Bank. A format of indemnity bond in this respect is available on the website of the bank (www.unionbankofindia.co.in).

9.14 Unclaimed Shares:

a) In Physical Form:

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares, the Bank opened an Unclaimed Suspense Account in March, 2012 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares issued in physical form during IPO of the Bank in the year 2002, which are still unclaimed are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

Particulars	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2021 lying in Demat Suspense Account	4	600
Shareholders approached for transfer during the financial year 2021-22	NIL	NIL
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2021-22	NIL	NIL
Balance as on 31.03.2022 lying in Demat Suspense Account	4	600

b) In Demat Form:

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares, the Bank has opened a Demat Suspense Account in March 2010 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares allotted to the applicants at the time of Bank's FPO during 2006 but not credited to their respective demat account due to some technical reasons are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

Particulars (UBI-FPO)	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2021 lying in Demat Suspense Account	216	26414
Shareholders approached for transfer during the financial year 2021-22	0	0
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2021-22	0	0
Balance as on 31.03.2022 lying in Demat Suspense Account	216	26,414

Particulars (E-AB and E-CB)	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2020 lying in Demat Suspense Account	175	17,431
Shareholders approached for transfer during the financial year 2020-21	7	4342
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2020-21	7	4342
Balance as on 31.03.2021 lying in Demat Suspense Account	168	13089

The voting rights on above- mentioned all shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same to their respective Demat Account.

10. EXTENT OF COMPLIANCE WITH DISCRETIONARY REQUIREMENTS OF LISTING REGULATIONS

Sr. No	Non-Mandatory Requirement	Extent of Compliance
1.	Board A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his /her duties.	The position of Non-Executive Chairman is vacant since 05.07.2020. The same has to be filled up by the Central Government
2.	Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders.	Half-yearly communication is sent by way of an email to all the shareholders who registered their email IDs with the Bank / RTA of the Bank.
3.	Modified opinion(s) in Audit Report The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	There has been no modified opinion in audit report during the year under review.

Sr. No	Non-Mandatory Requirement	Extent of Compliance
4.	Reporting of Internal Auditor The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	As per the Board approved Risk Based Internal Audit Policy, the Internal Auditors report directly to the Chief General Manager, Audit & Inspection Department. However, details with latest position of Flash Reports & Special Reports given by internal auditors are placed before the Audit Committee of the Board.

For and on behalf of the board of directors



(Rajkiran Rai G.)

Managing Director & Chief Executive Officer

Place: Mumbai

Date: 30.05.2022

DECLARATION ON CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the website of the Bank. The Directors and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year 2021-22.

For and on behalf of the board of directors



Place: Mumbai
Date: 30.05.2022

(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & Chief Executive Officer

Independent Auditors' Certificate on Corporate Governance

To The Members of Union Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate governance by Union Bank of India, for the year ended on March 31, 2022, as stipulated in the relevant provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') amended from time to time as referred to in Regulation 15(2) of the Listing Regulations for the year April 01, 2021 to March 31, 2022.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Corporate Governance, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate governance as stipulated in the above-mentioned Listing Regulations, as applicable.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For **M/s R G N Price & Co.**
Chartered Accountants
FRN 002785S

CA P. M. Veeramani
Partner
Membership No.023933
UDIN: 22023933AIXFGY6267

For **M/s P V A R & Associates**
Chartered Accountants
FRN 005223C

CA Sharad Bansal
Partner
Membership No. 423507
UDIN: 22423507AIXFRK9410

For **M/s SARDA & PAREEK LLP**
Chartered Accountants
FRN 109262W/W100673

CA Giriraj Soni
Partner
Membership No.109738
UDIN: 22109738AIXFAO2016

For **M/s Gopal Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN 002803C

CA Gautam Sharma
Partner
Membership No. 079225
UDIN: 22079225AIXFAB5594

For **M/s C R Sagdeo & Co.**
Chartered Accountants
FRN 108959W

CA Sachin V. Luthra
Partner
Membership No. 109127
UDIN: 22109127AIXFDY8530

For **M/s N B S & Co.**
Chartered Accountants
FRN 110100W

CA Pradeep J. Shetty
Partner
Membership No. 046940
UDIN: 22046940AIXEXO8437

Place of Signature: Mumbai
Date of Report: 13.05.2022

Form No. MR-3
Secretarial Audit Report
For the year ended March 31, 2022

[Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, read with
 SEBI Circular CIR/CFD/CMD1/27/2019 Dated February 08, 2019]

To,
 The Members,
 Union Bank of India
 Central Office, Mumbai

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Union Bank of India (hereinafter called "the Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorised representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2022, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on March 31, 2022, according to the provisions of:

- i. The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970
- ii. The Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;
- iii. The Banking Regulation Act, 1949 & Banking Companies Rules, 1949 (as amended from time to time)
- iv. The Reserve Bank of India Act, 1945 and Master Directions, Notifications and Guidelines issued by RBI from time to time
- v. The Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998
- vi. The Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made there under to the extent of Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- vii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- viii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- ix. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021
 - e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 - f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
 - g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; and
 - h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;
 - i. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021

I have also examined compliance with the applicable clauses of 'the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["Listing Regulations"]'. The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder subject to my observations in my Secretarial Compliance Report dated May 21, 2022.

During the period under review, the Bank has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above, to the extent applicable, except to the following:

- a) The Board of Directors of the Bank did not comprise of two Employee Directors required to be nominated by the Government of India under section 9(3)(e) and 9(3) (f) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- b) In terms of section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board shall have one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank. The post has been vacant since 06/02/2021.
- c) In terms of Ministry of Finance, Government of India letter no. F No. 4/4/2015- BO.I(pt. dated 30/10/2015, the Non-Executive Chairman of the Bank shall be the Chairman of the Risk Management Committee of the Board, Since the Bank does not have a Non-Executive Chairman, this requirement has not been complied with.
- d) The Reserve bank of India had vide its letter:RBI/CO.DOS.SED.No.S153/25-01-009/021-2022 dated 01/06/2021., advised the Bank to ensure compliance and carry out assessment to plug control gaps in monitoring and implementation of Legal Entity Identifier (LEI) requirements and accordingly, the Bank has taken necessary steps.
- e) Reserve bank of India, had imposed a penalty of ₹ 50 lakhs each on the bank under the Reserve Bank of India (Frauds Classification and Reporting by Commercial Banks and Select FIs) Directions, 2016 and Guidelines on sale of Stressed Assets by Banks for non adherence to the timeframe fixed in this circular for identification and reporting of fraud cases.
- f) In view of insufficiency of Directors and Clause 14A of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the agenda pertaining to Nomination and Remuneration Committee was taken up by the Board of Directors of the Bank.

I further report that –

Subject to foregoing, the Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the applicable Acts, Rules and Regulations.

Adequate notice was given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance for meetings and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

During the period under review, decisions were carried through unanimously and no dissenting views were observed, while reviewing the minutes.

I further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that during the audit period, the Bank has undertaken following events/actions:

- i) The Board of Directors of the Bank at their meeting held on June 30, 2021, approved the capital plan for the year, to raise capital funds up to ₹9700/- crores comprising an amount not exceeding ₹ 3500 crore by way of equity shares and an amount not exceeding ₹6200 crore by way Additional Tier-1 (AT-1) and or Tier-2 bonds.
- ii) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF) at its meeting held on May 21, 2021, allotted 42,79,03,111 equity shares of face value of ₹10/- each at a premium of ₹23.82, aggregating to ₹1447.17 crore, to Qualified Institutional Buyers. Necessary Approvals for listing of these shares on NSE and BSE were also obtained.
- iii) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF) at its meeting held on May 21, 2021, accorded its

approval to exercise call option in respect of BASEL III compliant Tier-II bonds (.ISIN INE434A08059) aggregating to ₹1000 crore on its call option date.

- iv) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF) at its meeting held on June 24, 2021, issued and allotted 8500 Non-Convertible Taxable, Unsecured, Subordinated, Fully Paid Up BASEL III compliant Debt instruments in the nature of Debentures, eligible for inclusion in Tier - 2 Capital Bond (Series XXX), of the face value of ₹10,00,000/- aggregating to ₹850 crore, on private placement basis.
- v) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF) at its meeting held on July 5, 2021, accorded its approval to exercise call option in respect of BASEL III compliant Tier-2 Bonds (ISIN : INE692A08011) aggregating to ₹1000 crore, and BASEL III compliant Additional Tier 1 bonds ((ISIN : INE434A08067) aggregating to ₹900 crore.
- vi) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF) at its meeting held on July 9, 2021, issued and allotted 1150 Non-Convertible, Taxable, Unsecured, Subordinated, Fully Paid Up BASEL III compliant debt instruments in the nature of debentures eligible for inclusion in Tier- 2 Capital Bonds (Series XXXI), of the face value of ₹100,00,000/- aggregating to ₹1150 crore, on private placement basis
- vii) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF) vide resolution passed by circulation, dated October 1, 2021, accorded its approval to exercise call option in respect of BASEL III compliant Additional Tier-1 Bonds (ISIN : INE692A08037) aggregating to ₹1000 crore, on its call option date
- viii) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF) at its meeting held on November, 22, 2021, approved the allotment of 2000 Non-Convertible, Taxable, Unsecured, Subordinated, Perpetual Fully Paid Up BASEL III Additional Tier I Bonds in the nature of Debentures (Series XXXII), of face value of ₹100,00,000/- each, eligible for inclusion in Additional Tier 1 Capital of the Bank aggregating to ₹2000 crore, on private placement basis
- ix) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF), vide resolution passed by circulation dated December 20, 2021, approved the allotment of 1500 Non-Convertible, Taxable, Unsecured, Subordinated, Perpetual Fully Paid Up BASEL III Additional Tier I Bonds in the nature of Debentures (Series XXXIII), of face value of ₹100,00,000/- each, eligible for inclusion in Additional Tier 1 Capital of the Bank, aggregating to ₹1500 crore, on private placement basis
- x) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF), vide resolution passed by circulation dated March 2, 2022, approved the allotment of 1500 Non-Convertible, Taxable, Unsecured, Subordinated, Perpetual Fully Paid Up BASEL III Additional Tier I Bonds in the nature of Debentures (Series XXXIV), of face value of ₹100,00,000/- each, eligible for inclusion in Additional Tier 1 Capital of the Bank aggregating to ₹1500 crore, on private placement basis
- xi) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF), vide its resolution by circulation dated February 10, 2022, accorded its approval to exercise call option in respect of the following BASEL III compliant Additional Tier-1 Bonds
 - i) (ISIN : INE692A08052) for ₹ 250 Crore
 - ii) (ISIN : NE692A08060) for ₹750 crore
 - iii) (ISIN : NE692A08078) for ₹500 crore
- xii) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF) at its meeting held on March 28, 2022, accorded its approval to exercise call option in respect of BASEL III compliant Additional Tier-1 Bonds (ISIN : INE692A08086) aggregating to ₹500 crore, on its call option date

B Durgaprasad Rai

Company Secretary

ACS No: 10060; C P No. : 4390

UDIN:A010060D000361664

Place: Mumbai

Date: May 21, 2022

This report is to be read with my letter of even date which is annexed as Annexure 'A' and forms an integral part of this report.

Annexure - A

To,
The Members,
Union Bank of India
Central Office, Mumbai

My Secretarial Audit Report for the Financial Year ended on March 31, 2022, of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. I believe that the processes and practices, I follow provide a reasonable basis for our opinion.
3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, I have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

B Durgaprasad Rai
Company Secretary
ACS No: 10060; C P No. : 4390
ICSI UDIN: A010060D000361664

Place: Mumbai
Date: May 21, 2022

Bank Overview

Notice

Statutory Reports

Financial Statements

Secretarial Compliance Report of Union Bank of India for the year ended 31st March, 2022

I have examined:

- (a) all the documents and records made available to us and explanation provided by **Union Bank of India ("Bank")**
- (b) the filings / submissions made by the Bank to the stock exchanges,
- (c) website of the Bank,
- (d) any other document / filing, as may be relevant, which has been relied upon to make this certification, for the year ended 31st March, 2022 ("Review Period") in respect of compliance with the provisions of :
 - (a) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder; and
 - (b) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India("SEBI");

The specific Regulations, whose provisions and the circulars/guidelines issued thereunder, have been examined, Include:-

- (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- (b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- (c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; (there were no events requiring compliance during the review period)
- (d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; (there were no events requiring compliance during the review period)
- (e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; (there were no events requiring compliance during the review period)
- (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; (there were no events requiring compliance during the review period)
- (g) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013; (there were no events requiring compliance during the review period)
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021
- (i) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- (j) Other SEBI Regulations, and circulars/guidelines issued thereunder as applicable to the Bank

And based on the above examination, I hereby Report that, During the Review Period:

- (a) The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued except in respect of the following matters

Sr. No.	Compliance Requirement (Regulations/Circulars/ Guidelines including specific clause)	Deviations	Observations/Remarks of the Practising Company Secretary
1	<p>Regulation 17(b) of the SEBI (LODR) Regulations 2015</p> <p>Where the listed entity does not have a regular non-executive chairperson, at least half of the board of directors shall comprise of independent directors</p>	<p>Since the Bank doesn't have a non executive Chairperson, based on the number of directors on the board, the board should comprise of at least 6 independent directors</p>	<p>Though the provisions related to independent directors do not apply to public sector banks as they are not established under the Companies Act, and the Act establishing the PSBs does not define independent directors, the communication of Ministry of Finance no. F.No.6/20/2019-BO.I dated 30/08/2019, has clarified that that the non official director appointed clause (g) and the non official directors appointed under clause (h) of section 9(3) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, are similar in nature to independent directors In view of this clarification, the Board of the Bank has decided to consider the directors appointed/nominated under clauses (g) (h) and (i) of the section referred above as independent directors.</p> <p>During the year under report the Board did not have a director appointed under clause (g) and had two directors each nominated/elected under clause (h) and (i) of the above section. Based on this decision of the Board, the bank had only 4 independent directors against the requirement of 6 directors.</p>
2	<p>Regulation 19(1) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015</p> <p>The Board of Directors shall constitute the Nomination and Remuneration committee consisting of at least three non-executive directors with at least two-thirds of the directors being independent directors</p>	<p>Due to non- availability of the prescribed number of non executive/ independent directors on the Board of the Bank, there was shortage of members in this Committee</p>	<p>As per the directions of the Reserve Bank of India, the Committee should comprise of the non-executive director nominated under section 9(3) (g) and three non-executive directors nominated under section 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. Though the Board did not have a non-executive director nominated under section 9 (3) (g) of the Act, it had two directors each nominated under section 9(3)(h) and elected under 9(3)(i) of the Act to constitute the committee, satisfying the requirements of the composition of the committee under LODR . The functions of this Committee were taken up by the Board of the Bank vide Clause 14A of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970</p>

- (b) The listed entity has maintained proper records under the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder in so far as it appears from my examination of those records.
- (c) There were no actions taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ material subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars)

under the aforesaid Acts/ Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder in so far as it appears from my examination of those records.

- (d) The requirement of reporting of the actions taken by the listed entity to comply with the observations made in the previous report is not applicable during the period.
- e) The requirement of reporting under clause 6(A) and 6(B) of the circular No. CIR/CFD/CMD1/114/2019 dated October 18, 2019, issued by the Securities and Exchange Board of India on "Resignation of statutory auditors from listed entities and their material subsidiaries" is not applicable during the Review Period

B. Durgaprasad Rai
Company Secretary
ACS No: 10060; C P No. : 4390
UDIN:A010060D000361664

Place: Mumbai
Date: May 21, 2022

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,

The Members,

Union Bank of India

Central Office, Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point, Mumbai - 400 021

I have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Union Bank of India (hereinafter referred to as "The Bank"), having Central Office at 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021, produced before me by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In my opinion and to the best of my information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in, wherever applicable), as considered necessary, and explanations furnished to me by the Bank & its officers, I hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank, as stated below, for the financial year ending on March 31, 2022, have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Date: --.05.2022 Managing Director & Chief Executive Officer

Sr. No.	Name of the Director	Director Identification Number	Date of Appointment in the Bank
1.	Shri Rajkiran Rai G.	07427647	July 01, 2017
2.	Shri Manas Ranjan Biswal	08162008	March 01, 2019
3.	Shri Nitesh Ranjan	08101030	March 10, 2021
4	Shri Rajneesh Karnatak	08912491	October 21, 2021
5	Shri Nidhu Saxena	N.A.	February 1, 2022
6	Shri Sameer Shukla	06435463	November 08, 2021
7	Shri Arun Kumar Singh	09498086	April 26, 2019
8.	Shri Suraj Srivastava	NA	December 21, 2021
9	Shri Laxman S Uppar	NA	March 21, 2022
10	Dr. Jayadev Madugula	03574167	June 28, 2018
11	Smt. Priti Jay Rao	03352049	July 29, 2021

The Bank, being a nationalised bank, is governed by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, and the Banking Regulation Act, 1949. The provisions of the Companies Act, 2013, do not apply to the Bank. Hence, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain DIN.

Ensuring the eligibility for the appointment/ continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. My responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

B Durgaprasad Rai
Company Secretary

ACS: 10060; COP: 4390

UDIN:A010060D000186445

Place: Mumbai

Date: 22nd April, 2022

CEO & CFO CERTIFICATION


To,
 The Board of Directors,
 Union Bank of India,
 Mumbai.

CEO and CFO Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

This is to certify that to the best of our knowledge and belief,

- A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:
- (1) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (2) these statements together present a true and fair view of the Listed entity's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the listed entity during the year which are fraudulent, illegal or violative of the listed entity's code of conduct.
- C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Listed entity pertaining to financial reporting and have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies,
- D. We have indicated to the auditors and the Audit committee
- (1) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - (2) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (3) instances of significant fraud of which they have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the listed entity's internal control system over financial reporting.

For Union Bank of India



(Prafulla Kumar Samal)
 (Chief Financial Officer)

For Union Bank of India



(Rajkiran Rai G.)
 Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 13th May 2022

5.17.3 Details of Directors, their attendance in the Board and other Committee Meetings during 2021-22 are as follows :

Sl. No.	Name of the Director	Type	Board and Member of the Committee(s) of the Board																							
			Board		MCB		ACB		SRCB		RMC		ITSC		SCMF		DPPC		STCB **							
			Held-	attended	Held-	attended	Held-	attended	Held-	attended	Held-	attended	Held-	attended	Held-	attended	Held-	attended	Held-	attended	Held-	attended				
1	Shri Rajkiran Rai G. Since 01.07.2017	MD & CEO	22	22	24	24	-	-	-	-	5	4	5	4	5	4	4	6	4	4	6	4	4			
2	Shri Manas Ranjan Biswal Since 01.03.2019	ED	22	21	24	18	-	-	4	4	5	3	5	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-			
3	Shri Nitesh Ranjan Since 10.03.2021	ED	22	22	24	22	5	5	4	4	5	5	5	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-			
4	Shri Rajneesh Karnatak Since 21.10.2021	ED	9	9	11	11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-			
5	Shri Nidhu Saxena Since 01.02.2022	ED	3	2	4	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Shri Sameer Shukla Central Govt Nominee Since 08.11.2021	NED	7	4	-	-	4	4	-	-	-	-	2	2	2	1	4	4	-	-	-	-	-			
7	Shri Arun Kumar Singh RBI Nominee Director Since 26.04.2019	NED	22	21	24	23	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-			
8	Shri Suraj Srivastava Since 21.1.2021	ID/NED	5	5	-	-	3	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Shri Laxman S. Uppar Since 21.03.2022	ID/NED	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Dr. Jayadev Madugula Since 28.06.2018	ID / SD	22	22	-	-	10	10	4	4	5	5	5	4	4	4	-	-	-	-	-	4	4			
11	Ms. Priti Jay Rao Since 29.07.2021	ID/SD	13	13	16	15	-	-	2	2	3	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-	3	3			

The following are the details of attendance of directors who were on the Board of the Bank during FY 22 prior to 31.03.2022

1	Dr. Uttam Kumar Sankar Till 27.06.2021	ID / SD	6	6	6	6	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Shri K. Kadiresan Till 27.06.2021	ID / SD	6	3	6	3	-	-	1	0	1	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Shri Dinesh Kumar Garg Till 30.09.2021	ED	13	11	12	9	-	-	2	2	3	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dr. Madresh Kumar Mishra Central Govt Nominee Till 07.11.2021	NED	15	15	-	-	6	6	-	-	-	-	3	3	3	2	2	2	2	2	2	-	-
5	Shri Gopal Singh Gusain Till 31.01.2022	ED	19	19	20	20	-	-	3	3	4	4	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-

* Number of meetings held during the tenure of the Director

** 19 Proposals was circulated as Circular Resolution at different time intervals to the Share Transfer Committee and got it approved.

MD & CEO - Managing Director & Chief Executive Officer
 ED - Executive Director
 NED - Non Executive Director
 ID - Independent Director
 SD - Shareholder Director

5.17.3 Details of Directors, their attendance in the Board and other Committee Meetings during 2021-22 are as follows :

Sl. No.	Name of the Director	Type	Board and Member of the Committee(s) of the Board																	
			CSCB		RCNCB & WD		NRC		CSRC		HRSCB		CAC-1		REMC		CDRCF		BCPE	
			Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended	Held*	attended
1	Shri Rajkiran Rai.G Since 01.07.2017	MD & CEO	4	4	4	4	-	-	4	4	7	6	24	24	4	4	8	8	-	-
2	Shri Manas Ranjan Biswal Since 01.03.2019	ED	4	4	-	-	-	-	4	4	7	5	24	19	4	4	8	8	-	-
3	Shri Nitesh Ranjan Since 10.03.2021	ED	4	4	-	-	-	-	4	4	7	7	24	24	4	4	8	8	-	-
4	Shri Rajneesh Karnatak Since 21.10.2021	ED	2	2	-	-	-	-	2	2	4	4	11	11	2	2	2	2	-	-
5	Shri Nidhu Saxena Since 01.02.2022	ED	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	-	-
6	Shri Sameer Shukla Central Govt Nominee Since 08.11.2021	NED	2	1	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	2	2	-	-	1	1
7	Shri Arun Kumar Singh RBI Nominee Director Since 26.04.2019	NED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Shri Suraj Srivastava Since 21.12.2021	ID/ NED	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Shri Laxman S. Uppar Since 21.03.2022	ID/ NED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dr. Jayadev Madugula Since 28.06.2018	ID/SD	4	4	4	4	-	-	3	3	6	6	-	-	-	-	-	-	2	2
11	Ms. Priti Jay Rao Since 29.07.2021	ID/SD	2	2	3	3	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	1	1
The following are the details of attendance of directors who were on the Board of the Bank during FY 22 prior to 31.03.2022																				
1	Dr. Uttam Kumar Sarkar Till 27.06.2021	ID / SD	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Shri K. Kadiresan Till 27.06.2021	ID / SD	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Shri Dinesh Kumar Garg Till 30.09.2021	ED	2	0	-	-	-	-	2	1	3	2	12	10	2	2	6	3	-	-
4	Dr. Madhesh Kumar Mishra Central Govt Nominee Till 07.11.2021	NED	2	2	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	2	2	-	-	1	1
5	Shri Gopal Singh Gusain Till 31.01.2022	ED	3	3	-	-	-	-	3	3	6	6	20	19	3	3	7	7	-	-

* Number of meetings held during the tenure of the Director

Independent Auditors' Report

To

The President of India /

The Members of Union Bank of India

Mumbai

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **Union Bank of India** ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2022, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of

- i) 20 branches, 1 Treasury Branch audited by us, 18 FGMO Offices audited by us
- ii) 3413 branches audited by statutory branch auditors and
- iii) 3 overseas branches audited by local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (the RBI). Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows are the returns from 5931 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 16.36 percent of advances, 33.74 per cent of deposits, 37.35 per cent of interest income and 37.64 per cent of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

- a. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2022;
- b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and
- c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and we have fulfilled our other

ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of the Matter

3. We draw your attention to Note No. 15.k of schedule 18 – Notes to Accounts to the standalone financial statements regarding change in the accounting policies/estimates followed during the year ended 31st March, 2022 as compared to those followed in the preceding financial year ended 31st March, 2021 with effect from 1st April, 2021, in respect of appropriation of recovery in non performing accounts first towards interest unrealised and then towards principal outstanding as against towards principal first and then towards interest unrealised in earlier periods. Impact due to the change in accounting policy has resulted increase in income for the quarter by ₹ 495.26 crores and for the year by ₹ 1,081.77 crores and consequential non-reduction in gross non performing assets by equivalent amount.

We draw your attention to Note No. 15.c of schedule 18 – Notes to Accounts to the standalone financial statements regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 1,902.02 crores. The bank has charged an amount of ₹380.40 crore to the profit and loss account during the year ended March 31, 2022, and the balance unamortized expenses of ₹ 1,521.62 crore has been carried forward.

We draw your attention to Note No. 15.n of schedule 18 – Notes to Accounts to the standalone financial statements regarding uncertainties due to outbreak of COVID-19 pandemic. In view of these circumstances, the impact on the Banks operations and financial results is dependent on future developments including actions being taken to mitigate the same and other regulatory measures.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sr.	Key Audit Matter	How it was dealt with in our report
1	Income Recognition, Asset Classification (IRAC) and provisioning on Loans & Advances and Investments as per the regulatory requirements	
	Loans & Advances and Investments are the largest class of assets forming 85.01% of the total assets as on March 31, 2022. Classification, income recognition and loss provisioning on the same are based on objective parameters as prescribed by the regulations (Reserve Bank of India's prudential norms and other guidelines). The management of the Bank relies heavily on its IT systems (including	Our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to the materiality of the balances and associated impairment provisions. Our audit procedures included the assessment of controls over the approval, disbursements and monitoring of loans, and reviewing the logic and assumptions used in the CBS and other related IT systems for compliance of the IRAC and provisioning norms and its operating effectiveness.

Sr.	Key Audit Matter	How it was dealt with in our report
	<p>Core Banking Solution), exercise significant estimates and judgement, manual interventions, and uses services of experts (like independent valuers, Lawyers, legal experts and other professional) to determine asset classification, income recognition and provisioning for losses.</p> <p>The Bank has system based identification of non-performing assets in accordance with IRAC Norms</p>	<p>These included evaluation and understanding of following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances/ investments; • System controls and manual controls over the timely recognition of non-performing assets (NPA/NPI); • Operational existence and effectiveness of controls over provisioning calculation models from the IT systems; • Overall Controls on the loan approval, disbursement and monitoring process in case of advances and controls over the purchase, sale and hold decisions making system in case of investments • We tested sample of loans/investments (in cases of branches visited by us) to assess whether they had been identified as non performing on a timely manner, income recognized and provisioning made as per IRAC norms. • We have also reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of manual interventions, wherever it has come to our notice, on test check basis. • We have relied on the reports/returns and work done by other Statutory Branch Auditors (SBA) in cases of branches not visited by us to get an overall comfort with respect to overall compliance in accordance with SA 600 - Using the Work of Another Auditor. • We have reviewed the work done by other experts like Independent valuers, Lawyers, Legal Experts and other such professionals who have rendered services to the Bank, in accordance with SA 620 Using the Work of an Auditor's Expert. • Further we have also reviewed the Bank's system of monitoring potentially weak and sensitive accounts which show a sign of stress. • We have also reviewed the reports and observations of the Bank's internal audit/inspection reports and observations of the concurrent auditors for the same. • Verification of valuation, classification, provisioning and income recognition of investments by carrying out substantive test including arithmetic accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system. We have test checked and assessed the efficacy of the system based identification of NPA

Sr.	Key Audit Matter	How it was dealt with in our report
2	Information Technology (IT) and controls impacting financial reporting	
	<p>In the normal course of its business, the Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently. Extensive volume, variety and complexity of transactions are processed daily and there is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively. Particular areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.</p> <p>We have relied on the consistent and accurate functioning of CBS and other IT systems for the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asset Classification and Income recognition as per the Reserve Bank of India guidelines; • Provisioning on the advance portfolio; • Identification of advances and liability items and its maturity pattern in various brackets; • Reconciliation and ageing of various suspense and sundry accounts, impersonal accounts, inter-branch balances and other such accounts; • Recording Investment transactions • Interest expense on deposits and other liabilities; 	<p>Our audit procedures included verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system by verifying the reports/returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis.</p> <p>Our audit procedures included:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ensuring that deficiencies noticed in our verification on test check basis were informed to the management for corrective action; • Carrying out independent alternative audit procedures like substantive testing in areas where deficiencies were noticed; • Analytical procedures like ratio analysis, trend analysis, reasonable tests, comparative analysis; • Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits; • Reliance on external vendor inspection reports wherever made available. • Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IT Department on compliance with key IT controls.

Sr.	Key Audit Matter	How it was dealt with in our report
3	<p>Recognition and measurement of Deferred tax</p> <p>The Bank has recognised a net deferred tax asset of ₹ 12,29,23,747 (in '000) as on March 31, 2022. Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future. The recent decrease in the amount of deferred tax assets presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus decreasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset.</p>	<p>Our audit procedures included the risk assessment to gain an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Based on our understanding, we performed both tests of related internal key controls and substantive audit procedures with the assistance of tax specialists. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including, but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; • Assessed the method, assumptions and other parameters used with reference to uniformity, management representations, consistency and continuity like budget and midterm projections prepared by the management including earning growth and applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy • Assessed the probability of the availability and visibility of profits against which the bank will be able to use this deferred tax asset in the future.
4	<p>COVID-19 Pandemic</p> <p>COVID-19 Pandemic has adversely impacted the economic activity across the country and the Government of India had announced series of lock down since March 2020 onwards, which were lifted & reimposed at various point of time in regionalized manner across the country based on the prevailing situation in the respective State.</p> <p>Correspondingly and in tune with the partial and complete lock downs, we experienced travel restrictions for some part of the year and the Bank facilitated carrying out audit remotely wherever physical access was not possible. This situation eased out considerably by the end of the year and therefore physical audit was most prevalent at the year end.</p> <p>Therefore wherever we could not gather audit evidence in person/physically/through discussions and personal interactions with the officials at the Branches /Regions & Zones/ Verticals / Corporate Offices, we have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter.</p> <p>Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely</p>	<p>Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to us by the Bank through digital medium including the <u>designated audit portal</u> of the bank, emails and <u>remote access to CBS and closing package</u>. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period.</p> <p>Accordingly, we modified our audit procedures (based on regulatory and ICAI advisories) as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conducted verification of necessary records/ documents/ CBS/closing package and other application software electronically through remote access/emails/in respect of some of the Branches/Regions/Zones/Verticals/Corporate Offices and other offices of the Bank wherever physical access was not possible. • Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates, returns from branches and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank • Making enquires and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls/conference calls, emails and similar communication channels. • Resolution of our audit observations telephonically/ through email instead of a face to-face interaction with the designated officials.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Highlights for the year, Directors' Report including annexures to Directors' Report, key financial ratios, Business responsibility Report and Corporate Governance report in the Annual Report, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after the date of this Auditors' Report.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under the Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the Other Information that we obtained prior to the date of this Auditors' Report, we conclude that there is a material misstatement of this Other Information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI to the extent applicable, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality in the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements / information of 3416 domestic branches and processing centers including 3 foreign branches included in Standalone Financial Results of the Bank whose financial statements/ financial information reflects total assets of ₹ 3443521247.98 (in thousand) at March 31, 2022 and total revenue of ₹ 247892046.15 (in thousand) for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Results. These branches and processing centers cover 41.73 % of advances, 63.26% of deposits and 30.58 % of Non-performing assets as on 31st March 2022 and 31.63% of revenue for the year ended 31st March 2022. The financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 and 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.
10. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
- (a) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
 - (b) In our opinion there are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
 - (c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.
 - (d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - (e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in **Annexure A** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to the Standalone Financial Statements as at 31 March 2022.

11. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For **M/s R G N Price & Co.**
Chartered Accountants
FRN 002785S

CA P. M. Veeramani
Partner
Membership No.023933
UDIN: 22023933AIXFGY6267

For **M/s SARDA & PAREEK LLP**
Chartered Accountants
FRN 109262W/W100673

CA Giriraj Soni
Partner
Membership No.109738
UDIN: 22109738AIXFAO2016

For **M/s C R Sagdeo & Co.**
Chartered Accountants
FRN 108959W

CA Sachin V. Luthra
Partner
Membership No. 109127
UDIN: 22109127AIXFDY8530

For **M/s P V A R & Associates**
Chartered Accountants
FRN 005223C

CA Sharad Bansal
Partner
Membership No. 423507
UDIN: 22423507AIXFRK9410

For **M/s Gopal Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN 002803C

CA Gautam Sharma
Partner
Membership No. 079225
UDIN: 22079225AIXFAB5594

For **M/s N B S & Co.**
Chartered Accountants
FRN 110100W

CA Pradeep J. Shetty
Partner
Membership No. 046940
UDIN: 22046940AIXEXO8437

Place of Signature: Mumbai
Date of Report: 13.05.2022

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (Referred to in paragraph 10(a) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date) Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Union Bank of India ("the Bank") as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of

management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India".

Other Matters

Our aforesaid report insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 3413 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For **M/s R G N Price & Co.**
Chartered Accountants
FRN 002785S

CA P. M. Veeramani
Partner
Membership No.023933
UDIN: 22023933AIXFGY6267

For **M/s P V A R & Associates**
Chartered Accountants
FRN 005223C

CA Sharad Bansal
Partner
Membership No. 423507
UDIN: 22423507AIXFRK9410

For **M/s SARDA & PAREEK LLP**
Chartered Accountants
FRN 109262W/W100673

CA Giriraj Soni
Partner
Membership No.109738
UDIN: 22109738AIXFAO2016

For **M/s Gopal Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN 002803C

CA Gautam Sharma
Partner
Membership No. 079225
UDIN: 22079225AIXFAB5594

For **M/s C R Sagdeo & Co.**
Chartered Accountants
FRN 108959W

CA Sachin V. Luthra
Partner
Membership No. 109127
UDIN: 22109127AIXFDY8530

For **M/s N B S & Co.**
Chartered Accountants
FRN 110100W

CA Pradeep J. Shetty
Partner
Membership No. 046940
UDIN: 22046940AIXEXO8437

Place of Signature: Mumbai
Date of Report: 13.05.2022

Standalone Balance Sheet

As on 31st March, 2022

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	As on 31 March, 2022	As on 31 March, 2021
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	6,83,47,475	6,40,68,444
Reserves and Surplus	2	63,74,13,875	58,06,98,908
Share Application Money		-	-
Deposits	3	10,32,39,26,349	9,23,80,53,402
Borrowings	4	51,17,90,975	51,83,71,092
Other Liabilities and Provisions	5	33,44,31,935	31,58,66,602
TOTAL		11,87,59,10,609	10,71,70,58,448
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank Of India	6	46,11,25,911	37,88,04,613
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	73,38,77,672	46,52,98,860
Investments	8	3,48,50,73,915	3,31,51,17,896
Advances	9	6,61,00,46,627	5,90,98,28,759
Fixed Assets	10	7,19,13,038	7,34,38,719
Other Assets	11	51,38,73,446	57,45,69,601
TOTAL		11,87,59,10,609	10,71,70,58,448
Contingent Liabilities	12	6,50,24,77,545	3,70,52,79,658
Bills for Collection		66,08,94,129	34,69,48,137
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Standalone Balance Sheet

(PANKAJ KUMAR)
DY. GENERAL MANAGER

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)
CHIEF FINANCIAL OFFICER

For and on behalf of the Board of Directors

(NIDHU SAXENA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJNEESH KARNATAK)
EXECUTIVE DIRECTOR

(NITESH RANJAN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(SAMEER SHUKLA)
DIRECTOR

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(SURAJ SRIVASTAVA)
DIRECTOR

(LAXMAN S UPPAR)
DIRECTOR

(DR. JAYADEV MADUGULA)
DIRECTOR

(PRITI JAY RAO)
DIRECTOR

As per our report of even date attached.

For M/s R G N Price & Co.
Chartered Accountants
FRN 002785S

For M/s SARDA & PAREEK LLP
Chartered Accountants
FRN 109262W/W100673

For M/s C R Sagdeo & Co.
Chartered Accountants
FRN 108959W

CA P. M. Veeramani
Partner
Membership No.023933
UDIN: 22023933AIXFGY6267

CA Giriraj Soni
Partner
Membership No.109738
UDIN: 22109738AIXFAO2016

CA Sachin V. Luthra
Partner
Membership No. 109127
UDIN: 22109127AIXFDY8530

For M/s P V A R & Associates
Chartered Accountants
FRN 005223C

For M/s Gopal Sharma & Co.
Chartered Accountants
FRN 002803C

For M/s N B S & Co.
Chartered Accountants
FRN 110100W

CA Sharad Bansal
Partner
Membership No. 423507
UDIN: 22423507AIXFRK9410

CA Gautam Sharma
Partner
Membership No. 079225
UDIN: 22079225AIXFAB5594

CA Pradeep J. Shetty
Partner
Membership No. 046940
UDIN: 22046940AIXEXO8437

Place of Signature: Mumbai
Date of Report: 13.05.2022

Standalone Profit and Loss Account

For the Year Ended 31st March, 2022

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	For the Year Ended 31 March, 2022	For the Year Ended 31 March, 2021
I. INCOME			
Interest Earned	13	67,94,39,508	68,76,73,349
Other Income	14	12,52,48,172	11,74,44,937
TOTAL		80,46,87,680	80,51,18,286
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	40,15,74,864	44,07,89,085
Operating Expenses	16	18,43,80,735	16,76,59,928
Provision And Contingencies		16,64,11,123	16,76,09,622
TOTAL		75,23,66,722	77,60,58,635
III. PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR		5,23,20,958	2,90,59,651
ADD : PROFIT/(LOSS) BROUGHT FORWARD		0	0
TOTAL		5,23,20,958	2,90,59,651
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer To Statutory Reserve		1,30,80,240	72,64,913
Transfer To Capital Reserve		1,22,12,675	90,01,837
Transfer To Investment Fluctuation Reserve		65,68,682	1,27,92,901
Transfer To Revenue and Other Reserves		22,53,341	-
Transfer To Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii)		52,20,000	-
Proposed Dividend		1,29,86,020	-
Balance in Profit and Loss Account		0	0
TOTAL		5,23,20,958	2,90,59,651
EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (FV ₹ 10)	18	7.73	4.54
Significant Accounting Policies	17		
Notes To Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Standalone Profit and Loss Account

(PANKAJ KUMAR)
DY. GENERAL MANAGER

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)
CHIEF FINANCIAL OFFICER

For and on behalf of the Board of Directors

(NIDHU SAXENA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJNEESH KARNATAK)
EXECUTIVE DIRECTOR

(NITESH RANJAN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(SAMEER SHUKLA)
DIRECTOR

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(SURAJ SRIVASTAVA)
DIRECTOR

(LAXMAN S UPPAR)
DIRECTOR

(DR. JAYADEV MADUGULA)
DIRECTOR

(PRITI JAY RAO)
DIRECTOR

As per our report of even date attached.

For M/s R G N Price & Co.
Chartered Accountants
FRN 002785S

For M/s SARDA & PAREEK LLP
Chartered Accountants
FRN 109262W/W100673

For M/s C R Sagdeo & Co.
Chartered Accountants
FRN 108959W

CA P. M. Veeramani
Partner
Membership No.023933
UDIN: 22023933AIXFGY6267

CA Giriraj Soni
Partner
Membership No.109738
UDIN: 22109738AIXFAO2016

CA Sachin V. Luthra
Partner
Membership No. 109127
UDIN: 22109127AIXFDY8530

For M/s P V A R & Associates
Chartered Accountants
FRN 005223C

For M/s Gopal Sharma & Co.
Chartered Accountants
FRN 002803C

For M/s N B S & Co.
Chartered Accountants
FRN 110100W

CA Sharad Bansal
Partner
Membership No. 423507
UDIN: 22423507AIXFRK9410

CA Gautam Sharma
Partner
Membership No. 079225
UDIN: 22079225AIXFAB5594

CA Pradeep J. Shetty
Partner
Membership No. 046940
UDIN: 22046940AIXEXO8437

Place of Signature: Mumbai
Date of Report: 13.05.2022

Bank Overview

Notice

Statutory Reports

Financial Statements

Schedules forming part of the Standalone Balance Sheet

As on 31st March, 2022

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022	As on 31 March, 2021
SCHEDULE 1 - CAPITAL :		
I. Authorised :		
10,00,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each (Previous Year 10,00,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each)	10,00,00,000	10,00,00,000
II. Issued, Subscribed, called up & Paid up :		
i. 570,66,60,850 Equity Shares of ₹10 each, held by Central Government (Previous Year 570,66,60,850 Equity Shares)	5,70,66,609	5,70,66,609
ii. 112,80,86,616 Equity Shares of ₹10 each, held by Public (Previous Year 70,01,83,505 Equity Shares)	1,12,80,866	70,01,835
Less: Calls unpaid	0,000	0,000
Add: Forfeited shares	0,000	0,000
TOTAL	6,83,47,475	6,40,68,444

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022		As on 31 March, 2021	
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :				
I. Statutory Reserve :				
As per last balance sheet	13,32,08,662		12,59,43,749	
Addition during the year	1,30,80,239	14,62,88,901	72,64,913	13,32,08,662
II. Capital Reserve :				
i) Revaluation Reserve :				
As per last balance sheet	4,89,84,778		4,99,77,701	
Addition during the year	79,201		40,444	
Deduction during the year	14,93,238		10,33,367	
Total	4,75,70,741		4,89,84,778	
ii) Capital Reserve				
As per last balance sheet	4,67,12,164		3,77,10,327	
Addition during the year	1,22,12,675		90,01,837	
Total	5,89,24,839		4,67,12,164	
iii) Amalgamation Adjustment Reserve	1,30,95,979	11,95,91,559	1,30,95,979	10,87,92,921
III. Share Premium :				
As per last balance sheet	17,32,70,019		50,08,54,966	
Addition during the year	1,01,92,652		0,000	
Deduction during the year	50,871	18,34,11,800	32,75,84,947	17,32,70,019
IV. Revenue and Other Reserves :				
i) Revenue Reserve :				
As per last balance sheet	9,64,54,761		8,25,61,562	
Addition during the year	1,31,16,426		2,64,98,876	
Deduction during the year	11,98,748		1,26,05,677	
Total	10,83,72,439		9,64,54,761	
ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961				
As per last balance sheet	5,50,78,789		5,50,78,789	
Addition during the year	52,20,000		0,000	
Total	6,02,98,789		5,50,78,789	

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022		As on 31 March, 2021	
iii) Foreign Currency Translation Reserve				
As per last balance sheet	10,42,370		3,63,866	
Addition during the year	23,859		6,85,434	
Deduction during the year	10,35,910		6,930	
Total	30,319		10,42,370	
iv) Investment Fluctuation Reserve				
As per last balance sheet	1,27,92,901		0,000	
Addition during the year	65,68,682		1,27,92,901	
Total	1,93,61,583		1,27,92,901	
v) Special Reserve Profit on FX Swap	58,485	18,81,21,615	58,485	16,54,27,306
V) Balance in Profit and Loss Account		0,000		0,000
TOTAL		63,74,13,875		58,06,98,908
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :				
A.				
I. Demand Deposits				
i) From Banks	81,32,959		76,23,510	
ii) From Others	71,83,91,699	72,65,24,658	62,86,14,209	63,62,37,719
II. Savings Bank Deposits		3,04,54,07,826		2,71,96,80,826
III. Term Deposits				
i) From Banks	2,27,87,325		3,16,45,103	
ii) From Others	6,52,92,06,540	6,55,19,93,865	5,85,04,89,754	5,88,21,34,857
TOTAL		10,32,39,26,349		9,23,80,53,402
B.				
i). Deposits of branches in India		10,32,10,23,919		9,21,62,71,426
ii). Deposits of branches outside India		29,02,430		2,17,81,976
TOTAL		10,32,39,26,349		9,23,80,53,402
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :				
A) Borrowings in India				
I. Reserve Bank of India	14,20,90,000		14,20,90,000	
II. Other Banks	1,99,29,833		1,40,00,565	
III. Other Institutions and Agencies	2,98,96,073		2,74,54,914	
IV. Perpetual Bonds- Tier I	8,70,50,000		7,10,50,000	
V. Subordinated Bonds - Tier II	10,05,00,000		10,05,00,000	
VI. 7 Years Infra Bonds	0,000	37,94,65,906	50,01,000	36,00,96,479
B) Borrowings Outside India		13,23,25,069		15,82,74,613
TOTAL		51,17,90,975		51,83,71,092
Secured Borrowings included in (B) I & II above		14,70,29,470		14,20,90,000
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :				
I. Bills Payable		2,68,90,202		2,30,30,334
II. Interest Accrued		4,52,33,997		3,13,98,586
III. Others* (Including Provisions)		26,23,07,736		26,14,37,682
TOTAL		33,44,31,935		31,58,66,602
*includes provision for Standard Assets ₹ 6,56,67,690 (Previous Year ₹5,11,29,666)				

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022		As on 31 March, 2021	
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA:				
I. Cash in hand (Including Foreign Currency Notes and Gold)		3,78,19,394		3,78,17,879
II. Balances with Reserve Bank of India				
(a) in Current Account		42,33,06,517		34,09,86,734
(b) in Other Accounts		0,000		0,000
TOTAL		46,11,25,911		37,88,04,613
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :				
I. Balances with banks in India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	22,24,274		52,33,575	
b) In Other Deposit Accounts	6,08,75,196		7,02,13,074	
ii) Money at Call and short notice				
a) with Banks	0,000		0,000	
b) with Other Institutions	55,41,14,877	61,72,14,347	29,55,40,000	37,09,86,649
II. Outside India				
i) In Current Accounts	29,80,253		22,66,568	
ii) In other Deposit Accounts	11,36,83,072		9,20,45,643	
iii) Money at call & Short Notice	0,000	11,66,63,325	0,000	9,43,12,211
TOTAL		73,38,77,672		46,52,98,860
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :				
I. Investments in India				
i) Government Securities		2,64,16,37,956		2,40,25,37,531
ii) Other Approved Securities		0,000		0,000
iii) Shares		2,30,53,036		2,01,62,150
iv) Debentures and Bonds		69,38,31,055		74,40,56,416
v) Subsidiaries and joint ventures		33,86,095		53,76,479
vi) Others (Commercial Paper, Mutual Funds, Venture Capital, Security Receipt etc.)		9,51,30,775		11,59,47,026
Total		3,45,70,38,917		3,28,80,79,602
II. Investments outside India				
i) Govt. Securities (Including Local Authority)		1,61,01,880		1,48,25,814
ii) Other Investments (Bonds)		4,60,268		7,39,320
iii) Subsidiaries and Joint Ventures		1,14,72,850		1,14,73,160
Total		2,80,34,998		2,70,38,294
TOTAL		3,48,50,73,915		3,31,51,17,896
III. i) Investments in India				
Gross Value		3,51,85,30,523		3,35,03,34,391
Provision for Depreciation		6,14,91,606		6,22,54,789
Net Value		3,45,70,38,917		3,28,80,79,602
ii) Investments outside India				
Gross Value		2,83,51,221		2,70,57,741
Provision for Depreciation		3,16,223		19,447
Net Value		2,80,34,998		2,70,38,294
TOTAL		3,48,50,73,915		3,31,51,17,896

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022	As on 31 March, 2021
SCHEDULE 9 - ADVANCES (Net)		
A.		
i) Bills purchased and discounted	3,87,09,874	4,11,16,878
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	2,87,88,96,001	2,66,12,08,397
iii) Term Loans	3,69,24,40,752	3,20,75,03,484
TOTAL	6,61,00,46,627	5,90,98,28,759
B.		
i) Secured by tangible assets*	5,34,44,92,520	5,07,39,93,631
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	13,06,61,251	16,51,79,860
iii) Unsecured	1,13,48,92,856	67,06,55,268
TOTAL	6,61,00,46,627	5,90,98,28,759
(* includes advances against Book Debt ₹ 61,83,30,066 (previous year ₹ 59,90,84,207))		
C. Sectorial Classification of Advances		
I. Advances in India:		
i) Priority Sector	2,59,52,39,457	2,52,92,91,622
ii) Public Sector	72,72,96,155	61,06,29,459
iii) Banks	2,22,975	3,07,310
iv) Others	3,13,82,79,933	2,62,93,66,222
TOTAL	6,46,10,38,520	5,76,95,94,613
II. Advances Outside India:		
i) Due From Banks	5,31,10,677	3,41,84,098
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased and Discounted	12,11,011	0,000
b) Syndicated loans	5,47,141	11,83,093
c) Others	9,41,39,278	10,48,66,955
TOTAL	14,90,08,107	14,02,34,146
TOTAL	6,61,00,46,627	5,90,98,28,759

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022		As on 31 March, 2021	
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS :				
A. TANGIBLE ASSETS				
I. Premises				
At cost/valuation as per last balance sheet	8,15,36,732		8,08,23,818	
Additions during the year	6,10,204		7,16,224	
Deduction during the year	12,75,792		3,310	
	8,08,71,144		8,15,36,732	
Less: Depreciation till date	2,63,31,743	5,45,39,401	2,48,41,708	5,66,95,024
II. Capital Work-in-Progress				
At cost as per last balance sheet	6,22,879		5,79,704	
Additions during the year	1,26,601		1,57,093	
Deductions during the year	3,88,483	3,60,997	1,13,918	6,22,879
III. Land				
At cost as per last balance sheet	12,45,683		12,45,683	
Additions during the year	13,08,678		-	
Deductions during the year	55,725		-	
	24,98,636		12,45,683	
Less: Depreciation till date	4,52,022	20,46,614	78,385	11,67,298

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022		As on 31 March, 2021	
IV. Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)				
a) Assets given on lease				
At cost as per last balance sheet	2,65,352		2,65,352	
Less: Depreciation till date	2,65,352	-	2,65,352	-
b) Others				
At cost/valuation as per last balance sheet	6,46,03,010		6,20,76,819	
Additions during the year	48,67,443		34,97,487	
Deductions during the year	7,95,520		9,71,296	
	6,86,74,933		6,46,03,010	
Less: Depreciation till date	5,60,79,797	1,25,95,136	5,25,98,644	1,20,04,366
B. INTANGIBLE ASSETS				
Computer Software				
At cost as per last balance sheet	1,12,22,581		85,50,124	
Additions during the year	8,72,637		26,73,629	
Deduction during the Year	11,880		1,172	
	1,20,83,338		1,12,22,581	
Less: Amortisation till date	97,12,448	23,70,890	82,73,429	29,49,152
TOTAL		7,19,13,038		7,34,38,719
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :				
I. Inter-Office Adjustments (Net)		1,79,97,045		7,34,01,772
II. Interest Accrued		7,68,96,049		6,00,37,714
III. Tax Paid/ Tax deducted at source (Net of provision)		5,39,12,604		6,62,28,752
IV. Stationery and stamps		63,349		68,176
V. Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims		1,334		1,238
VI. Others*		21,24,01,949		20,61,34,433
VII. Deferred Tax Assets (Net)		12,29,23,747		15,67,24,947
VIII. MAT Credit Entitlement		2,96,77,369		1,19,72,569
TOTAL		51,38,73,446		57,45,69,601
*Includes Deposit placed with NABARD/ SIDBI/NHB amounting to ₹ 9,64,56,088 (Previous Year ₹ 11,12,93,710)				
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :				
I. Claims against the bank not acknowledged as debts		3,31,30,212		3,73,07,180
II. Liability for partly paid Investments		0,000		5,920
III. Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts		4,36,34,96,833		2,28,99,08,209
IV. Guarantees given on behalf of Constituents				
a) In India	65,35,08,697		663,275,681	
b) Outside India	1,65,75,655	67,00,84,352	13,492,045	67,67,67,726
V. Acceptances, endorsements and other obligations		1,26,92,16,524		52,07,37,119
VI. Disputed Tax demands under appeals		13,77,78,737		15,68,01,095
VII. Amount transferred to DEAF Scheme 2014		2,87,70,887		2,37,52,409
TOTAL		6,50,24,77,545		3,70,52,79,658
Bills for Collection		66,08,94,129		34,69,48,137

Schedules forming part of the Standalone Profit & Loss Account

For the year ended 31st March, 2022

(₹ in 000')

Particulars	For the Year Ended 31 March, 2022	For the Year Ended 31 March, 2021
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :		
I. Interest/Discount on advances/bills	45,23,55,006	45,76,58,380
II. Income on Investments	19,94,28,382	20,57,37,022
III. Interest on balances with Reserve Bank of India & other Inter Bank Funds	2,14,08,267	1,60,48,797
IV. Others	62,47,853	82,29,149
TOTAL	67,94,39,508	68,76,73,349
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :		
I. Commission, Exchange and Brokerage	1,73,98,170	1,24,19,145
II. Profit on sale of investments (Net)	3,41,11,874	3,65,13,065
III. Profit on revaluation of Investments (Net)	-10,70,995	40,76,402
IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings & other assets (Net)	-3,489	76,136
V. Profit on exchange transactions (Net)	60,80,630	43,36,222
VI. Income earned by way of Dividends, etc from subsidiaries and/or joint ventures abroad/ in India	24,700	0,000
VII. Miscellaneous Income	6,87,07,282	6,00,23,967
TOTAL	12,52,48,172	11,74,44,937
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :		
I. Interest on Deposits	37,45,42,117	40,80,68,450
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	1,05,59,953	1,49,02,542
III. Others	1,64,72,794	1,78,18,093
TOTAL	40,15,74,864	44,07,89,085
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :		
I. Payments to and provisions for employees	10,11,46,061	9,28,36,117
II. Rent, Taxes and Lighting	1,07,06,732	1,10,38,072
III. Printing and Stationery	9,67,655	9,22,049
IV. Advertisement and Publicity	6,13,743	3,11,524
V. Depreciation on Bank's property	73,81,013	89,52,298
VI. Directors' fees, allowances and expenses	8,287	13,326
VII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	6,30,321	10,55,638
VIII. Law Charges	14,08,632	12,47,733
IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	31,10,629	23,31,123
X. Repairs and maintenance	32,71,779	35,60,302
XI. Insurance	1,28,77,009	1,26,65,917
XII. Other expenditure	4,22,58,874	3,27,25,828
TOTAL	18,43,80,735	16,76,59,928

Bank Overview

Notice

Statutory Reports

Financial Statements

Significant Accounting Policies (Standalone) : Schedule 17

1. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting and reporting policies of the Bank used in the preparation of these financial statements conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported Income and the Expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

3. Revenue Recognition

- 3.1. Income and Expenditure have been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 3.2. Income on Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by the RBI. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.
- 3.3. Commission on Letter of Guarantee/Letter of Credit is accounted on accrual basis.
- 3.4. Exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers, income from Aadhaar cards,

Minimum balance charges etc. are accounted for on realization basis.

- 3.5. Income (Other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:
 - 3.5.1. On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale/ redemption.
 - 3.5.2. On Zero- coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.
- 3.6. Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.
- 3.7. Sale of NPAs accounted in terms of extant RBI guidelines.
- 3.8. Interest on Income-tax refunds is accounted for on receipt of Intimation order from the Income Tax Department.

4. Appropriation of Recovery :

Appropriation of recoveries from one time settlement & NCLT Resolutions shall be as per terms of sanction. Recoveries other than by way of OTS/NCLT shall be appropriated as under:

- 4.1. When there is no agreement between the debtor and creditor as to how monies paid by the debtor are required to be appropriated by the creditor, the order of appropriation is as under :

For Term Loans:

- Towards expenses & costs etc.
- Towards unrecovered interest reversed on the date of NPA.
- Interest held in dummy ledger (unapplied interest).
- Towards arrears of principal/EMI till the date of recovery.
- Towards running ledger balance.

For Running Accounts:

- Towards expenses & costs etc.
 - Towards interest held in dummy ledger (unapplied interest) including unrecovered interest reversed at the time of NPA.
 - Towards principal.
- 4.2. In case borrower stipulates terms of appropriation differently than above and if such different terms of appropriation is accepted by Bank then appropriation of recoveries will be as per the accepted terms.
- 4.3. In case of Non Performing Investment recovery will be apportioned as mentioned below:
- a. Towards expenses & costs etc.
 - b. Towards unrecovered interest reversed on the date of NPI.
 - c. Interest held in dummy ledger (unapplied interest).
 - d. Towards arrears of principal/EMI till the date of recovery.
 - e. Towards running ledger balance

5. Cash Flow Statements:

Cash Flow statement of the Bank is prepared as per AS-3. Cash Flow statement is mainly classified as:

- 5.1. Cash flow from Operating Activities: This activity includes cash flow generated from Operational activities.
- 5.2. Cash Flow from Investing Activities: This activity includes cash flow generated by investments.
- 5.3. Cash Flow from Financials Activities: This activity includes the cash flow generated from financial instruments.

6. Investments

6.1. In conformity with the requirements of Form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

- 6.1.1. Government Securities
- 6.1.2. Other Approved Securities
- 6.1.3. Shares
- 6.1.4. Debentures & Bonds
- 6.1.5. Investments in Subsidiaries & Joint Ventures and
- 6.1.6. Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines contained in Master Circular DoR. MRG.42/21.04.141 /201-22 dated August 25, 2021 into three categories viz.,

- a) Held to Maturity (HTM)
- b) Available for Sale (AFS)
- c) Held for Trading (HFT)

6.2. As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation

- 6.2.1. Securities held in "HTM" – at acquisition cost.
 - 6.2.1.1. The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.
 - 6.2.1.2. Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.
 - 6.2.1.3. Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.
 - 6.2.1.4. Diminution, other than temporary, in the value of its investment in subsidiaries/joint ventures, which are included in HTM shall be provided for.
- 6.2.2. Securities held in "AFS" and "HFT" categories
 - 6.2.2.1. Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip-wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit & Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

6.2.2.2. Valuation of securities is arrived at as follows:

A	Govt. of India Securities (Central Govt. Securities)	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA/FBIL)
B	State Development Loans, State Govt. Securities, Securities guaranteed by Central/ State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/ FBIL guidelines
C	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Break-up Value, as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both, at 1/- per Company. The break-up Value is computed excluding revaluation reserve.
D	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA/FBIL guidelines
E	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/FBIL guidelines.
F	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
G	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
H	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Breakup NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at 1/- per VCF
I	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

6.3. Interbank/RBI Repo and Interbank/ RBI Reverse Repo transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

6.4. As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

6.4.1. From AFS/HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.

6.4.2. From HTM category to AFS/HFT category,

6.4.2.1. If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost / book value.

6.4.2.2. If the security is originally placed at a premium, at amortized cost.

The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

6.4.3. From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

6.5. The non-performing investments are identified and depreciation / provision is made as per the extant RBI guidelines.

6.6. Profit / Loss on sale of investments & appreciation/ depreciation of investment in any category are taken to the Profit & Loss account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

6.7. Commission, brokerage, broken period interest etc on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.

6.8. Brokerage and STT paid on purchase and sale of Equity is accounted to price of the deal.

6.9. The Amortization of premium on HTM Securities is computed using Straight-line Method.

6.10. The Bank is following weighted average Price (WAP) for accounting of investment portfolio.

6.11. As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

6.12. Income from the units of Mutual Fund, Venture Capital & Security Receipt is recognized on Cash Basis.

6.13. Derivative Contracts

6.13.1. The Interest Rate Swap which hedges interest bearing Asset or Liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an Asset or Liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the Asset / Liability.

6.13.2. Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements. (profit if any, is ignored)

6.13.3. In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDA) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

7. Advances

7.1. All advances are classified under four categories:

7.1.1. Standard,

7.1.2. Sub-standard,

7.1.3. Doubtful and

7.1.4. Loss assets.

Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI in terms of Master Circular DoR No.STR.REC.55/21.04.048/2021-22 dated October 01, 2021 as under:

7.2. Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI. Loan Assets become Non-Performing Assets (NPAs) where:

7.2.1. In respect of term loans, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;

7.2.2. In respect of Overdraft or Cash Credit advances, the account remains "out of order", i.e.

7.2.2.1. the outstanding balance in the CC/OD account remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for 90 days, or the outstanding balance in the CC/OD account is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days, or

7.2.2.2. the outstanding balance in the CC/OD account is less than the sanctioned limit/drawing power but credits are not enough to cover the interest debited during the previous 90 days period.

7.2.3. In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;

7.2.4. In respect of agricultural advances for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons.

7.2.5. In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

7.2.6. A working capital borrowal account will become NPA if such irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.

7.2.7. In respect of MSME accounts where RBI dispensation benefit is passed on the Bank will adhere to Income Recognition, Asset Classification and Provisioning norms as spelt out RBI circular DBR.No.BP.BC.100/21.04.048/2017-18 dated 7th February, 2018 and DBR.No.BP.BC.108/21.04.048/2017/18 dated 6th June, 2018.

7.2.8. In respect of MSME accounts which will be restructured in terms of RBI Circular No DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 February 11, 2020 with reference to Circular No DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1st January, 2019 and kept in standard category, the Bank shall maintain a provision of 5% in addition to the provision already held. Reversal of said provision shall be made in accordance with the said circular.

- 7.2.9. In terms of RBI guidelines relating to 'Covid 19 Regulatory Package' on Asset Classification and Provisioning dated 27th March, 2020, 17th April 2020 and 23rd May, 2020, the Bank has extended moratorium on payment of instalment and/or interest as applicable, falling due between 1st March, 2020 to 31st August, 2020 to eligible borrowers classified as standard, even if overdue, as on 29th February, 2020 without considering the same as restructuring. Further as per RBI circular no.DOR. No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 & circular no. DOR. No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06th August, 2020, DoR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 & DoR. STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 05th, 2021 with reference to restructuring of Corporate & Retail Loan, Bank shall maintain necessary provision in this regard.
- 7.3. NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets, based on the following criteria stipulated by RBI:
- 7.3.1. Sub-standard: A loan asset that has remained non performing for a period less than or equal to 12 months,
- 7.3.2. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period exceeding 12 months,
- 7.3.3. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.
- 7.4. Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub-Standard Assets:	i. A general of 15% of the total outstanding ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio; iii. However, Unsecured Exposure, ab-initio, in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20% (instead of 25% as stated above)
Doubtful-Secured Portion	i. Up to one year – 25% ii. One to three years – 40% iii. More than three years – 100%
Doubtful Unsecured Portion	100%
Loss Asset	100%

- 7.5. Advances are stated net of specific loan loss provisions, Counter cyclical provisioning buffer, Provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in Sundry /claims received from Credit Guarantee Trust Fund (CGTF) / Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.
- 7.6. In respect of foreign offices, classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.
- 7.7. For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for, in addition to provision for NPAs.
- 7.8. In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.
- 7.9. Amounts recovered against debts written off are recognized as revenue in the year of recovery.
- 7.10. The general provision on Standard Advances is held in "Other Liabilities and Provisions" reflected in schedule 5 of the Balance Sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances. Standard Assets provision to be made as per IRAC RBI Master Circular RBI/2021-2022/104 DOR.No.STR.REC.55/21.04.048/2021-22 dated October 01,2021 and any subsequent circular issued from time to time.
- 7.11. Provision on Suspense accounts entries outstanding for more than six months are made at 100% except the claim receivable from Govt./ Govt. Bodies like Interest Subsidy on crop loan/ export advance, Pension receivable etc.

8. Property, Plant and Equipment

- 8.1. Premises and Other Fixed Assets are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost comprises

of purchase price, eligible borrowing costs and directly attributable costs of bringing the Asset to its working condition for the intended use less trade discounts and rebates. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional capability. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from and shall be credited to Revenue Reserves in terms of revised AS-10 on "Property, Plant and Equipment".

8.2. Depreciation on Fixed Assets is provided for on the Straight Line Method at the rates prescribed in Expenditure Policy of the Bank from time to time. The applicable rates of depreciation are as under:

S. No.	Capital Asset	Useful Life (Years)	Rate in percentage
1	Immovable Property-Land	Not stipulated; accordingly, no depreciation	NIL
2	Building with RCC frame structure (Both Residential & Non residential)	60	1.67
3	Furniture	10	10.00
4	Fixtures	10	10.00
5	Air-conditioning plants (Package & water/air cooled ductable)	10	10.00
6	Split & Window Air conditioners	5	20.00
7	Electrical installation and equipments	5	20.00
8	Solar Power Equipment	15	6.67
9	Elevators & Lifts	15	6.67
10	Civil & Flooring work in leased Premises	5	20.00
11	Telephone Equipment	5	20.00
12	Motor Cycles, Scooters & other mopeds	10	10.00

S. No.	Capital Asset	Useful Life (Years)	Rate in percentage
13	Motor Cars, Motor Lorries and Electrically operated vehicles including battery powered or fuel cell powered vehicles	8	12.50
14	Mobile Phones	3	33.33
15	Generators	15	6.67
16	Office Equipment/ Appliances, SDV lockers, Strong Room door, Cash Safe etc.	5	20.00
17	Computers & computer software forming integral part of hardware	3	33.33
18	ATM & allied items	3	33.33
19	UPS & allied items	5	20.00
20	Servers & Networks	6	16.66
21	End user devices such as desktops, laptops, i-pads, tablets, printer & Scanner, digital watches etc.	3	33.33

8.3. Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of Land and Buildings is not separately identifiable.

8.4. Depreciation on Leased assets and Leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.

9. Impairment of Assets

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS-28 on "Impairment of Assets" issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account. The carrying costs of assets are reviewed at each Balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and

value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

10. Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has a policy of creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for Advances and Investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter Cyclical Provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

11. Transactions involving Foreign Exchange

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS-11 on "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by the ICAI. In terms of AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations.

All overseas branches, offshore banking units, overseas subsidiaries are treated as non- integral operations and domestic operations in foreign exchange and representative offices are treated as integral operations.

Accounting for Integral operations:

- 11.1. Monetary and Non- Monetary Assets and Liabilities are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year and resultant gain / loss is recognized in the Profit & Loss Account.
- 11.2. Income & Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

- 11.3. Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit & Loss account.

- 11.4. Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.

12. Accounting for Non-Integral operations

12.1. Revenue Recognition

Income and Expenditure are recognized / accounted for as per the local laws of the respective countries.

12.2. Asset Classification and Loan Loss Provisioning

Asset classification and loan loss provisioning are made as per the local laws of the respective countries or as per RBI guidelines whichever is higher.

12.3. Fixed Assets and Depreciation

- 12.3.1. Fixed Assets are accounted for at historical cost.

- 12.3.2. Depreciation on Fixed Assets is provided as per the applicable laws of the respective countries.

- 12.4. Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as Contingent Liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the close of the year.

- 12.5. Income & Expenditure are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarters.

- 12.6. All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

13. Employee Benefits:

13.1. Short Term Employment Benefits:

The undiscounted amounts of short term employee benefits (eg medical benefits) payable wholly within twelve months of rendering the services are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

13.2. Long term Employee Benefits:

13.2.1. Defined Contribution Plans:

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joiners not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with 14% contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS trust.

13.2.2. Defined Benefit Plan:

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefits plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

14. Segment Reporting

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard-17 "Segment Reporting" issued

by the Institute of Chartered Accountants of India. Business segments are classified into

- 14.1. Treasury Operations,
- 14.2. Corporate and Wholesale Banking,
- 14.3. Retail Banking Operations and
- 14.4. Other Banking Operations.

15. Lease Transactions

Lease payments for Assets taken on operating lease recognized as an expenses in the profit and loss account on a straight-line basis over the lease term.

16. Earnings per Share

The Bank reports the basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Earnings per Share is calculated by dividing the net Profit or Loss (after tax) for the year attributable to the Equity shareholders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue Equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per Equity share is calculated by using the weighted average number of Equity shares and dilutive potential Equity shares outstanding as at the year-end.

17. Taxation:

This comprises of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS-22 on "Accounting for taxes on Income" issued by the ICAI. Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such Deferred Tax Assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, Deferred Tax

Assets are recognized only if there is "virtual certainty".

18. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In terms of AS 29-Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may not be realized.

19. Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account in terms of Section 52 of the Companies Act, 2013.

20. Consolidation of the Accounts:

Bank is having five subsidiaries i.e. Union Asset Management Company Private Limited, Union Trustee Company Private Limited, Union Bank of India (UK) Limited, Andhra Bank Financial Services Limited and UBI Services Ltd.

Bank is having three Joint Ventures i.e. Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., ASREC (India) Ltd. and India International Bank (Malaysia) Berhad.

Bank is having one associate Chaitanya Godavari Grameen Bank.

The consolidated financial statements are prepared on the basis of:

- 20.1. Audited Accounts of the parent bank (Union Bank of India)
- 20.2. Consolidation of Subsidiaries: Line by Line aggregation of the Income/Expenditure/Assets/Liabilities of the subsidiaries with the respective line item of the parent bank, after eliminating all intra-group transactions, unrealized profits/loss in terms of AS 21 on Consolidated Financial

Statements issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

20.3. Consolidation of Associates: The Investment in Associate is accounted for consolidation as per Equity Method in terms of AS 23 on Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statement issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

20.4. Consolidation of Joint Ventures: Line by Line consolidation is done with proportionate share in Joint Venture in terms of AS-27 on Financials Reporting in Interest of Joint Venture issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS (STANDALONE):

1. REGULATORY CAPITAL

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till Oct. 1, 2021. As per RBI Guidelines, Basel III has been completely implemented from Oct. 1, 2021. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I Capital (AT 1).

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 11.50% with minimum CET I of 8.00% (inclusive of Capital Conservation Buffer of 2.50%) and minimum Tier I CRAR of 9.50% as at March 31, 2022.

During the year, the Bank has issued additional 42,79,03,111 number of equity shares under Qualified Institutions Placement (QIP) on 21st May, 2021 and raised an amount of ₹1,447.17 crore. Accordingly, the shareholding of Government of India in the Bank has reduced to 83.49% as compared to the shareholding of 89.07% as on 31st March, 2021. Further, the Bank has also issued Basel III compliant Tier-2 bonds of ₹2,000 Crore & additional Tier-1 Bonds of ₹5,000 crore in tranches and exercised call option for redemption of Basel III compliant Tier-2 bonds of ₹2,000.00 crore & additional Tier-1 Bonds of ₹3,400.00 crore.

a) Composition of Regulatory Capital:

(₹ in Crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i.	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) / Paid up share capital and reserves@ (net of deductions, if any)	58,048.85	50,000.86
ii.	Additional Tier 1 capital/ Other Tier 1 capital	8,539.83	7,089.64
iii.	Tier 1 capital (i + ii)	66,588.68	57,090.50
iv.	Tier 2 capital	12,692.32	12,172.01
v.	Total capital (Tier 1+Tier 2)	79,281.00	69,262.51
vi.	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	5,45,922.81	5,51,520.67
vii.	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs) / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs	10.63	9.07
viii.	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	12.20	10.35
ix.	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.32	2.21
x.	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	14.52	12.56
xi.	Leverage Ratio	5.17	4.82
xii.	Percentage of the shareholding of a) Government of India b) State Government (specify name) c) Sponsor Bank	83.49 -- --	89.07 -- --
xiii.	Amount of paid-up equity capital raised during the year	1,447.17	--
xiv.	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares b) Basel III compliant Perpetual Debt Instruments	-- 5,000.00	-- 1,705.00
xv.	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which a) Perpetual Cumulative Preference Shares b) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares c) Basel III compliant Redeemable non convertible tier II Bonds	-- -- 2,000.00	-- -- 2,000.00

b) Draw down from Reserves:

During the year 2021-22, the Bank has drawn ₹119.87 crore from other reserves towards unamortized portion of Frauds.

2. ASSET LIABILITY MANAGEMENT

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

Current Year 2021-22

(₹ in crore)

	Day 1	2-7 DAYS	8-14 DAYS	15-30 DAYS	31 days-2 months	>2-3 months	>3-6 months	>6 months-1 year	>1-3 years	>3-5 years	> 5 years	TOTAL
Deposits	12,750.62	22,568.14	15,505.37	24,224.17	31,592.76	34,111.25	77,995.40	1,47,057.37	1,20,848.10	86,172.71	4,59,566.76	10,32,392.63
Advances	6,038.86	11,250.55	9,483.94	21,912.53	4,709.33	17,723.78	34,326.71	62,738.47	2,98,295.75	71,329.79	1,23,194.95	6,61,004.66
Investments	1,44,407.71	18,199.02	1,748.39	5,135.88	1,441.91	22,859.62	26,503.85	25,831.24	13,504.34	20,494.70	68,380.73	3,48,507.39
Borrowings	803.30	778.30	602.84	1,132.91	831.74	1,104.87	1,713.57	5,643.17	19,676.78	3,676.24	15,215.38	51,179.10
Foreign currency assets	4,900.56	2,797.74	2,961.84	2,339.01	3,635.01	5,975.17	4,771.74	5,434.65	10,170.15	7,449.49	27.23	50,462.59
Foreign currency liabilities	2,921.98	927.90	1,638.95	1,650.41	1,661.87	3,276.05	3,395.36	5,638.17	6,322.48	6,492.50	265.12	34,190.79

Previous year 2020-21

(₹ in crore)

	Day 1	2-7 DAYS	8-14 DAYS	15-30 DAYS	31 days-2 months	>2-3 months	>3-6 months	>6 months-1 year	>1-3 years	>3-5 years	> 5 years	TOTAL
Deposits	11,694.42	18,607.02	13,760.66	23,523.19	37,021.49	31,306.22	68,591.32	1,07,186.17	1,08,382.66	73,551.34	4,30,180.85	9,23,805.34
Advances	7,173.12	11,484.58	6,734.08	16,592.79	6,417.73	18,817.87	26,682.54	48,794.25	2,77,422.49	68,391.66	1,02,471.75	5,90,982.88
Investments	1,00,670.43	11,906.20	1,008.94	2,560.90	1,178.82	3,305.04	18,365.60	18,003.07	36,339.39	26,551.54	1,11,621.87	3,31,511.79
Borrowings	802.64	636.06	-	1,146.47	1,932.10	868.80	10,393.24	1,283.94	18,242.36	2,176.49	14,355.00	51,837.11
Foreign currency assets	3,540.66	1,084.56	560.53	2,674.13	2,100.73	1,704.15	2,690.29	9,436.09	9,264.62	5,197.94	3,034.17	41,287.87
Foreign currency liabilities	2,193.50	748.75	85.33	1,707.52	2,406.03	1,013.28	10,709.85	5,877.58	3,320.28	3,688.13	785.01	32,535.26

b) Liquidity Coverage Ratio

LCR aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by RBI.

LCR is the ratio of HQLA to Net Cash Outflow.

$$\text{LCR} = \frac{\text{HQLA}}{\text{Net Cash Outflows over 30 days}}$$

Where Net Cash Outflow = Max ((Cash Outflows-Cash Inflows), 25% of Cash Outflow)

Minimum requirement of LCR as stipulated by RBI is 100% for the calendar year 2019 onwards. LCR is applicable to Bank's domestic operations as well as overseas operations.

High Quality Liquid Assets (HQLA):

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value. HQLA is categorized into two : a) Level 1 Assets, and b) Level 2 Assets. Level 2 Assets are further sub divided into Level 2A Assets & Level 2B Assets based on Liquidity & Price Volatility.

Level 1 assets are stock of HQLA without any haircut. Level 1 Assets mainly comprise Cash including excess Cash Reserve Ratio (CRR), Excess SLR (Statutory Liquidity Ratio), Marginal Standing Facility (2% of Net Demand and Time Liability w.e.f. 01st January 2022) & FALLCR (15.00% of Net Demand and Time Liability).

A haircut of 15% is applied on current market value of Level 2A asset. Level 2A assets mainly comprise of securities with 20% risk weight. A 50% haircut is applied on current market value of Level 2B asset. Level 2B assets should not be more than 15% of the total stock of HQLA. Level 2B assets mainly comprise Securities with risk weights higher than 20% but not higher than 50%.

Net Cash Outflows

The total net cash outflows is defined as the total expected cash outflows minus total expected cash inflows. In order to determine cash outflows, the Bank, in terms of RBI guidelines, segregates its deposits into various customer segments, viz Retail (which include deposits from Natural Persons), Small Business Customers (those with total aggregated funding upto ₹7.5 crore) and deposits from Non-Financial Customers (NFC) and Other Legal Entity Customers (OLE). Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in, up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows.

Brief about LCR of the Bank

The Bank during the three months ended 31st March 2022 maintained average HQLA of ₹2,80,230 crore. Level 1 assets are the main drivers of HQLA for the bank. They contribute to 96% of the total stock of HQLA. Based on daily averages for the quarter ended 31st March 2022, Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion to HQLA i.e. around 52% of the total HQLA. Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute 4% of the total stock of HQLA against maximum permissible level of 40%.

Bank's exposure is mainly in Indian Rupee. Unsecured wholesale funding constitute major portion of total funding sources. Retail deposits and deposits from small business customers contributed around 22% and 5% of the total weighted cash outflows, respectively. Deposits from non-financial corporates contributed around 38% of the total weighted cash outflows. The other contingent funding obligations primarily include bank guarantees (BGs) and letters of credit (LCs) issued on behalf of the Bank's clients. Inflows by various counterparties contribute around 75% of the total weighted cash inflows.

Bank has calculated LCR for all working days over the March 2022 quarter. The average of the daily observation of 67 data points is calculated. The average LCR for the quarter ended 31st March 2022 is 175.38% as against 184.89% for the quarter ended December 2021, and is well above the present minimum requirement prescribed by RBI of 100% for the calendar year 2022.

Movement of Average LCR during the F.Y 2021-22:

Quarter	June 2021	Sept. 2021	Dec. 2021	March 2022	FY 2021-22
LCR Ratio:	168.64	174.79	184.89	175.38	175.79

Quantitative Disclosure (Quarter wise)

	March 2021 Quarter		June 2021 Quarter		September 2021 quarter		December 2021 quarter		March 2022 quarter	
	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets										
1 Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	2,64,062.48	2,60,800.07	2,75,196.22	2,71,883.86	2,65,905.75	2,62,849.21	2,80,876.87	2,78,152.33	2,80,230.24	2,77,655.44
Cash Outflows										
2 Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	5,85,947.32	44,529.63	5,94,625.89	45,368.06	5,99,048.06	45,787.48	6,04,295.74	46,290.18	6,14,334.98	47,119.13
(i) Stable deposits	2,81,301.96	14,065.10	2,81,890.54	14,094.53	2,82,346.59	14,117.33	2,82,787.93	14,139.40	2,86,287.44	14,314.37
(ii) Less stable deposits	3,04,645.36	30,464.54	3,12,735.36	31,273.54	3,16,701.48	31,670.15	3,21,507.81	32,150.78	3,28,047.54	32,804.75
3 Unsecured wholesale funding, of which:	1,80,334.04	89,557.36	2,04,357.24	1,01,394.39	1,91,527.79	96,086.03	1,96,801.51	99,535.59	2,00,598.22	1,01,620.62
(i) Operational deposits (all counterparties)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	1,80,334.04	89,557.36	2,04,357.24	1,01,394.39	1,91,527.79	96,086.03	1,96,801.51	99,535.59	2,00,598.22	1,01,620.62
(iii) Unsecured debt	328.26	-	193.83	0.50	72.81	0.95	711.59	-	422.26	7.72
4 Secured wholesale funding	1,47,079.47	18,817.13	1,71,242.05	24,952.04	1,34,084.61	19,434.41	1,19,680.83	17,766.57	1,32,737.42	21,653.42
5 Additional requirements, of which	3.26	3.26	4.29	4.29	1.29	1.29	3.96	3.96	27.26	27.26
(i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements										
(ii) Outflows related to loss of funding on debt products										
(iii) Credit and liquidity facilities	1,47,076.22	18,813.87	1,71,237.76	24,947.75	1,34,083.32	19,433.12	1,19,676.87	17,762.61	1,32,710.16	21,626.16
6 Other contractual funding obligations	2,403.02	2,403.02	2,811.65	2,811.65	2,902.89	2,902.89	3,309.78	3,309.78	3,201.84	3,201.84
7 Other contingent funding obligations	70,781.69	2,123.52	68,839.14	2,065.72	89,814.09	2,694.72	89,807.54	2,694.65	90,030.40	2,700.94
8 TOTAL CASH OUTFLOWS	9,86,874.20	1,57,431.05	10,42,096.85	1,76,619.41	10,17,476.69	1,66,932.92	10,14,634.53	1,69,624.32	10,41,325.12	1,76,303.66
Cash Inflows										
9 Secured lending (e.g reverse repos)	22,092.64	0.00	23,562.42	0.00	19,302.56	-	32,741.96	-	36,175.58	0.02
10 Inflows from fully performing exposures	2,837.61	2,837.61	4,388.82	4,388.82	17,405.96	12,274.18	19,553.39	14,539.73	18,458.03	13,489.62
11 Other cash inflows	14,986.30	10,513.76	15,775.61	11,006.78	4,278.02	4,278.02	4,644.91	4,644.91	4,499.09	4,499.09
12 TOTAL CASH INFLOWS	39,916.56	13,351.37	43,726.85	15,395.60	40,986.54	16,552.21	56,940.26	19,184.64	59,132.70	17,988.73
13 TOTAL HQLA		2,60,800.07		2,71,883.86		2,62,849.21		2,78,152.33		2,77,655.44
14 TOTAL NET CASH OUTFLOWS		1,44,079.68		1,61,223.81		1,50,380.71		1,50,439.67		1,58,314.93
15 LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		181.01%		168.64%		174.79%		184.89%		175.38%

c) Net Stable Funding ratio

i) Qualitative Disclosure:

The objective of the Net Stable Funding Ratio (NSFR) is to promote the resilience of bank's liquidity risk profiles and to incentivize a more resilient banking sector over a longer time horizon. The NSFR will require banks to maintain a stable funding profile in the form of Capital & liabilities in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities.

NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding.

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$$

RBI issued the regulations on the implementation of the Net Stable Funding Ratio in May 2018 with minimum requirement of equal to at least 100%. The implementation is effective from 1st October, 2021. NSFR is applicable to Bank's domestic operations as well as overseas operations and computed at standalone and consolidated level.

Available Stable Funding (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable which is determined by various factor weights according to the nature and maturity of liabilities with liabilities having maturity of 1 year or more receiving 100 weight.

Required Stable Funding (RSF) is defined as the portion of on balance sheet and off-balance sheet exposures which requires to be funded on an ongoing basis. The amount of such stable funding required is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held.

Brief about NSFR of the Bank

The main drivers of the Available Stable Funding (ASF) are the capital base, retail deposit base, and funding from non-financial companies and long-term funding from institutional clients. The capital base formed around 9%, retail deposits (including deposits from small sized business customers) formed 68% and wholesale funding formed 21% of the total Available Stable Funding, after applying the relevant weights.

The Required Stable Funding primarily comprised lending to corporates, retail clients and financial institutions which constituted 82% of the total RSF after applying the relevant weights. The stock of High-Quality Liquid Assets which majorly includes cash and reserve balances with the RBI, government debt issuances attracted no or low amount of stable funding due to their high quality and liquid characteristic. Accordingly, the HQLA constituted only 3% of the Required Stable Funding after applying the relevant weights. Other assets and Contingent funding obligations, such as committed credit facilities, guarantees and letters of credit constituted 15% of the Required Stable Funding.

Bank has maintained comfortable stable funding buffers with Available Stable Funding at consolidated level of ` 90,67,645 Mio against ₹61,51,200 Mio of Required Stable Funding, resulting in a consolidated NSFR of 147.41% as on 31st March, 2022.

ii) Quantitative Disclosure

NSFR Disclosure Consolidated, March, 2022

(₹ in crore)

Sr. No.	Details	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
ASF Item						
1	Capital: (2+3)	65,865.83	500.00	2,800.00	16,317.85	82,183.68
2	Regulatory capital	65,865.83	0.00	0.00	862.85	66,728.68
3	Other capital instruments	0.00	500.00	2800.00	15,455.00	15,455.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	3,06,015.13	1,23,377.43	1,12,229.03	1,18,948.30	6,15,904.72
5	Stable deposits	1,57,204.34	16,642.91	16,092.51	19,955.67	2,00,398.44
6	Less stable deposits	1,48,810.80	1,06,734.52	96,136.52	98,992.63	4,15,506.28
7	Wholesale funding: (8+9)	71,238.13	1,52,239.14	1,04,620.69	45,879.68	1,88,062.72
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	71,238.13	1,52,239.14	1,04,620.69	45,879.68	1,88,062.72
10	Other liabilities: (11+12)	38,317.01	6,967.54	4,843.17	20,613.39	20,613.39
11	NSFR derivative liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	38,317.01	6,967.54	4,843.17	20,613.39	20,613.39
13	Total ASF (1+4+7+10)					9,06,764.50
RSF Item						
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					15,873.09
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	39.04	0.00	0.00	0.00	19.52
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	2,238.58	1,71,639.17	36,535.76	5,58,433.59	5,05,993.64
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	97,166.19	1,253.47	24,561.57	28,446.79
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0.00	70,851.92	28,600.27	4,25,903.02	3,89,150.15
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	40,631.05	3,716.58	1,12,683.89	95,418.35
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	53.30	127.95	59,707.96	38,900.80
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	53.30	127.95	59,707.96	38,900.80
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	2,238.58	3,567.75	6,554.07	48,261.04	49,495.90
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	78,600.04	11,828.54	0.00	1,996.47	87,378.54
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		2,012.38	0.00	0.00	1,710.52
27	NSFR derivative assets		173.75	0.00	0.00	173.75
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		87.04	0.00	0.00	87.04
29	All other assets not included in the above categories	78,600.04	9,555.37	0.00	1,996.47	85,407.22
30	Off-balance sheet items		1,17,104.57	0.00	0.00	5,855.23
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					6,15,120.01
32	Net Stable Funding Ratio (%)					147.41%

NSFR Disclosure - Consolidated, December 2021

(₹ in crore)

Sr. No.	Details	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
ASF Item						
1	Capital: (2+3)	62,753.57	2,000.00	2,800.00	14,786.49	77,540.06
2	Regulatory capital	62,753.57	0.00	0.00	831.49	63,585.06
3	Other capital instruments	0.00	2,000.00	2,800.00	13,955.00	13,955.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	2,91,263.39	1,18,467.55	1,09,715.66	1,11,179.33	5,87,966.14
5	Stable deposits	1,52,617.66	16,759.49	16,320.58	20,360.22	1,96,773.06
6	Less stable deposits	1,38,645.73	1,01,708.06	93,395.08	90,819.10	3,91,193.08
7	Wholesale funding: (8+9)	55,629.90	1,33,710.15	76,178.98	43,332.48	1,56,424.56
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	55,629.90	1,33,710.15	76,178.98	43,332.48	1,56,424.56
10	Other liabilities: (11+12)	41,872.99	11,593.17	3,758.01	19,924.50	19,924.50
11	NSFR derivative liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	41,872.99	11,593.17	3,758.01	19,924.50	19,924.50
13	Total ASF (1+4+7+10)					8,41,855.26
RSF Item						
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					15,136.56
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	81.40	0.00	0.00	0.00	40.70
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	2,687.83	1,16,059.57	35,082.95	5,27,706.01	4,77,359.37
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	55,981.66	2,680.71	18,102.89	23,076.16
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0.00	57,154.35	27,380.93	3,81,801.94	3,52,760.45
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	26,427.64	1,452.57	69,858.67	59,348.24
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	444.73	38.28	76,338.52	49,861.54
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	444.73	38.28	76,338.52	49,861.54
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	2,687.83	2,478.84	4,983.02	51,462.66	51,661.21
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	81,378.60	15,406.78	0.00	2,294.83	92,250.30
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		1,849.64	0.00	0.00	1,572.19
27	NSFR derivative assets		214.76	0.00	0.00	214.76
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		132.32	0.00	0.00	132.32
29	All other assets not included in the above categories	81,378.60	13,210.06	0.00	2,294.83	90,331.03
30	Off-balance sheet items		2,22,048.26	93.78	0.00	9,301.27
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					5,94,088.20
32	Net Stable Funding Ratio (%)					141.71%

3. Investments As at 31.03.2022

	Investment portfolio				Investments in India				Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debtures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments outside India			
Held to maturity													
Gross	1,99,238.04	-	59.71	56,762.49	343.61	346.90	2,56,750.75	--	1,148.71	0.40	1,149.11	2,57,899.86	
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	-	-	-	(80.00)	(5.00)	-	(85.00)	--	(1.43)	-	(1.43)	(86.43)	
Net	1,99,238.04	-	59.71	56,682.49	338.61	346.90	2,56,665.75	--	1,147.28	0.40	1,147.68	2,57,813.43	
Available for sale													
Gross	65,341.29	-	5,085.76	14,182.17	-	10,908.61	95,517.83	1,640.39	-	45.62	1,686.01	97,203.84	
Less: Provision for depreciation & NPI	-	-	(2,840.17)	(1,481.55)	-	(1,742.43)	(6,064.15)	(30.20)	-	-	(30.20)	(6,094.35)	
Net	65,341.29	-	2,245.59	12,700.62	-	9,166.18	89,453.68	1,610.19	-	45.62	1,655.81	91,109.49	
Held for trading													
Gross	(415.53)	-	-	-	-	-	(415.53)	--	-	-	-	(415.53)	
Less: Provision for depreciation & NPI	-	-	-	-	-	-	0.00	--	-	-	-	-	
Net	(415.53)	-	-	-	-	-	(415.53)	--	-	-	-	(415.53)	
Total Investments	2,64,163.80	-	5,145.47	70,944.66	343.61	11,255.51	3,51,853.04	1,640.39	1,148.71	46.02	2,835.12	3,54,688.16	
Less: Provision for NPI	-	-	-	(80.00)	(5.00)	-	(85.00)	-	(1.43)	-	(1.43)	(86.43)	
Less: Provision for depreciation & NPI	-	-	(2,840.17)	(1,481.55)	-	(1,742.43)	(6,064.15)	(30.20)	-	-	(30.20)	(6,094.35)	
Net	2,64,163.80	0.00	2,305.30	69,383.11	338.61	9,513.08	3,45,703.90	1,610.19	1,147.28	46.02	2,803.49	3,48,507.39	

Note:

- Provision provided in Subsidiaries and/or Joint Venture (in India & outside India) is on account of Standard MTM and not NPI.
- Provision for Non-performing investments includes only Held to Maturity Category.
- Provision for depreciation and NPI includes Available for sale and Held for Trading Category.
- After selling 21% stake in IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd, our holding has come down to 9%. Hence, the same is classified in Equity Private (HTM) instead of Subidiary & JV

As at 31.03.2021 (₹ in crore)

	Investments in India						Investments outside India				Total Investments	
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others		Total investments outside India
Held to maturity												
Gross	1,90,986.93	-	-	58,926.19	542.65	231.72	2,50,687.49	--	1,148.71	0.40	1,149.11	2,51,836.60
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	-	-	-	(30.00)	(5.00)	-	(35.00)	--	(1.39)	-	(1.39)	(36.39)
Net	1,90,986.93	-	-	58,896.19	537.65	231.72	2,50,652.49	--	1,147.32	0.40	1,147.72	2,51,800.21
Available for sale												
Gross	49,202.14	-	5,103.61	16,927.41	-	12,953.94	84,187.10	1,483.13	-	73.53	1,556.67	85,743.77
Less: Provision for depreciation & NPI	(44.16)	-	(3,087.40)	(1,467.95)	-	(1,590.96)	(6,190.47)	(0.55)	-	-	(0.55)	(6,191.02)
Net	49,157.98	-	2,016.21	15,459.46	-	11,362.98	77,996.63	1,482.58	-	73.53	1,556.12	79,552.75
Held for trading												
Gross	108.84	-	-	50.00	-	-	158.84	-	-	-	-	158.84
Less: Provision for depreciation & NPI	-	-	-	(0.01)	-	-	(0.01)	-	-	-	0.00	0.01
Net	108.84	-	-	49.99	-	-	158.83	-	-	-	-	158.83
Total Investments	2,40,297.91	-	5,103.61	75,903.60	542.65	13,185.66	3,35,033.44	1,483.13	1,148.71	73.93	2,705.78	3,37,739.22
Less: Provision for NPI	-	-	-	(30.00)	(5.00)	-	(35.00)	-	(1.39)	-	(1.39)	(36.39)
Less: Provision for depreciation & NPI	(44.16)	-	(3,087.40)	(1,467.96)	-	(1,590.96)	(6,190.48)	(0.55)	-	-	(0.55)	(6,191.03)
Net	2,40,253.75	0.00	2,016.21	74,405.64	537.65	11,594.70	3,28,807.96	1,482.58	1,147.32	73.93	2,703.84	3,31,511.80

Note:

1. Provision provided in Subsidiaries and/or Joint Venture (in India & outside India) is on account of Standard MTM and not NPI.
2. Provision for Non-performing investments includes only Held to Maturity Category.
3. Provision for depreciation and NPI includes Available for sale and Held for Trading Category.

b) Movements of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

		(₹ in Crore)	
	Particulars	2021-2022	2020-2021
i)	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	a) Opening Balance	6,227.42	6,316.07
	b) Add: Provisions made during the year	631.98	762.72
	c) Less: Write off / Write back of excess provisions during the year	678.07	851.37
	d) Closing Balance	6,181.33	6,227.42
ii)	Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	a) Opening Balance	1,279.29	0.00
	b) Add: Amount transferred during the year	656.87	1,279.29
	c) Less: Drawdown	0.00	0.00
	d) Closing Balance	1,936.16	1,279.29
iii)	Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	2.00	1.64

c) Sale and transfers to/from HTM category

The Bank has not made sales and transfers to/from HTM category during the financial year 2021 - 22 exceeding 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. The 5 per cent threshold to above will exclude:

- i) The one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year.
- ii) Direct sale from HTM for bringing down SLR holding in HTM category consequent to a downward revision in SLR requirements by RBI.
- iii) Sale to Reserve Bank of India under liquidity management operations of RBI like Open Market Operations (OMO) and the Government securities acquisition program (GSAP).
- iv) Repurchase of Government Securities by Government of India from banks under buyback / switch operations.
- v) Repurchase of State Development Loans by respective state governments under buyback / switch operations.
- vi) Additional shifting of securities explicitly permitted by the Reserve Bank of India.

d) Non-SLR investment portfolio

i) Non-performing non-SLR investments

		(₹ in Crore)	
S. no.	Particulars	2021-2022	2020-2021
a)	Opening Balance	4,811.06	4,637.92
b)	Additions during the year since 1 st April	566.54	932.60
c)	Reductions during the above period	945.91	759.46
d)	Closing balance	4,431.69	4,811.06
e)	Total provisions held	4,036.84	4,091.41

ii) Issuer composition of non-SLR investments

The issuer composition of investments in securities, other than government and other approved securities is given below:

(₹ in crore)

Sl. no.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of Below Investment Grade Securities		Extent of Unrated Securities		Extent of Unlisted Securities	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
a)	PSUs	4,071.94	5,611.24	1,170.10	1,135.01		-	3,197.29	3,392.83	22.83	22.83
b)	FIs	2,695.24	5,283.22	595.68	214.36		-		-		-
c)	Banks	2,057.83	1,938.63	1,850.15	598.43		-		-		-
d)	Private Corporate	29,301.27	29,878.49	24,005.23	19,378.01	456.28	944.62	413.54	216.39	138.94	33.75
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	1,492.32	1,691.36	1,492.32	1,691.36						
f)	Others	50,905.77	53,038.37	47,310.71	47,277.50		-		-		-
g)	Provision held towards depreciation	(6,150.58)	(6,182.71)		-						
	TOTAL	84,373.79	91,258.60	76,424.19	70,294.67	456.28	944.62	3610.83	3609.22	161.77	56.58

e) Repo Transactions (in face value terms)

The following tables set forth for the periods indicated, the details of securities sold and purchased under repo and reverse repo transactions respectively including transactions under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Marginal Standing Facility (MSF).

(₹ in crore)

	Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2022
i)	Securities sold under Repo				
	a) Government securities	14,387.54	15,973.43	14,893.63	15,365.43
	b) Corporate debt securities	--	--	--	--
	c) Any other securities	0.00	10.33	8.15	10.33
ii)	Securities purchased under Reverse Repo				
	a) Government securities	1,010.00	59,931.00	27,275.09	52,245.60
	b) Corporate debt securities	--	--	--	--
	c) Any other securities	--	--	--	--

- f) Profit of ₹2,120.13 Crore (previous year ₹1,844.94 crore) on sale of "Held to Maturity" category securities has been taken to profit and loss account initially.
- g) In respect of "Held to Maturity" category, the excess of acquisition cost over face value of the securities amortized during the year amounted to ₹719.79 crore (previous year ₹703.10 Crore).
- h) Total investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds / venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹2,523.77 crore (previous year ₹2,387.17 crore).

4. Asset Quality

a) Classification of advances and provisions held

(₹ in crore)

FY 2021-22	Standard	Non-performing			Total Non-Performing Advances	Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss		
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	5,63,896.13	13,489.56	50,540.50	25,758.14	89,788.20	6,53,684.33
Add: Additions during the year					22,877.39	22,877.39
Less: Reductions during the year*					33,078.53	33,078.53
Closing balance	6,36,820.81	11,040.55	49,449.47	19,097.04	79,587.07	7,16,407.87
*Reductions in Gross NPAs due to:					33,078.53	33,078.53
i) Upgradation					7,742.82	7,742.82
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					5,851.28	5,851.28
iii) Technical/ Prudential Write-offs					18,025.70	18,025.70
iv) Write-offs other than those under (iii) above					1,458.73	1,458.73
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	5,112.97	2,272.67	34,896.24	24,679.04	61,847.95	66,960.92
Add: Fresh provisions made during the year					11,919.46	11,919.46
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					19,110.88	19,110.88
Closing balance of provisions held	6,566.77	2,377.63	33,650.81	18,628.10	54,656.53	61,223.30
Amount kept in Sundry Deposits-ECGC Claim received/Recovery in suit filed accounts/ sacrifice in restructured NPA accounts					627.24	627.24
Net NPAs						
Opening Balance		11,197.34	15,165.99	917.19	27,280.52	27,280.52
Add: Fresh additions during the year					10,986.46	10,986.46
Less: Reductions during the year					13,963.68	13,963.68
Closing Balance		8,659.30	15,524.13	119.87	24,303.30	24,303.30
Floating Provisions						
Opening balance						306.20
Add: Fresh provisions made during the year						--
Less: Amount draw down during the year						306.20
Closing balance of floating provisions						Nil
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening Balance of Technical write-offs/ Prudential written off accounts						55,877.88
Add: Technical/Prudential write-off during the year						17,611.07
Less: Recoveries made from previously Technical/Prudential written-off accounts during the year						4,808.52
Closing Balance						68,680.43

(₹ in crore)

FY 2020-21	Standard	Non-performing			Total Non-Performing Advances	Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss		
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	5,68,924.76	16,188.46	60,352.10	20,651.98	97,192.54	6,66,117.30
Add: Additions during the year					17,442.68	17,442.68
Less: Reductions during the year*					24,847.02	24,847.02
Closing balance	5,63,896.13	13,489.56	50,540.50	25,758.14	89,788.20	6,53,684.33
*Reductions in Gross NPAs due to:					24,847.02	24,847.02
i) Upgradation					2,674.49	2,674.49
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					5,189.88	5,189.88
iii) Technical/ Prudential Write-offs					14,746.88	14,746.88
iv) Write-offs other than those under (iii) above					2,235.77	2,235.77
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held					65,229.57	65,229.57
Add: Fresh provisions made during the year					13,912.19	13,912.19
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					17,293.81	17,293.81
Closing balance of provisions held	5,112.97	2,272.67	34,896.24	24,679.04	61,847.95	66,960.92
Amount kept in Sundry Deposits- ECGC Claim received/Recovery in suit filed accounts/sacrifice in restructured NPA accounts/floating provision					659.73	659.73
Net NPAs						
Opening Balance					31,324.63	31,324.63
Add: Fresh additions during the year					14,406.62	14,406.62
Less: Reductions during the year					18,450.73	18,450.73
Closing Balance		11,197.34	15,165.99	917.19	27,280.52	27,280.52
Floating Provisions						
Opening balance						306.20
Add: Fresh provisions made during the year						--
Less: Amount draw down during the year						--
Closing balance of floating provisions						306.20
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening Balance of Technical write-offs/ Prudential written off accounts						46,139.52
Add: Technical / Prudential write-off during the year						14,746.88
Less: Recoveries made from previously Technical / Prudential written-off accounts during the year						5,008.52
Closing Balance						55,877.88

Ratios (in per cent)	2021-2022	2020-2021
Gross NPA to Gross Advances	11.11	13.74
Net NPA to Net Advances	3.68	4.62
Provision coverage ratio	83.61	81.27

Note: As per RBI notification RBI/2021-22/28 DOR.STR.REC.10/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021, Banks are permitted to utilize 100% of floating provision/countercyclical provisioning buffer held by them as on December 31, 2020 for making specific provisions for NPAs with the prior approval of their respective Boards. The Bank has obtained requisite prior approval from its Board of Directors and has utilized floating provision amounting to ₹306.20 Crore towards making specific NPA provision during the quarter/year ended March 31, 2022.

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(₹ in crore)

Sr. No.	Sector	2021-22			2020-21		
		Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector
i)	Priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	1,24,395.26	13,543.61	10.89	116,944.15	14,379.97	12.30
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	39,765.31	8,167.11	20.54	42,785.42	10,124.17	23.66
c)	Services	75,149.63	13,349.25	17.76	79,639.65	14,899.51	18.71
d)	Personal loans	39,275.53	2,098.46	5.34	40,258.40	2,389.44	5.94
	Sub-total (i)	2,78,585.73	37,158.43	13.34	2,79,627.62	41,793.09	14.95
ii)	Non Priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	8,696.56	1,863.22	21.42	3193.75	126.81	3.97
b)	Industry	1,43,378.04	20,574.40	14.35	1,26,763.50	26,357.31	20.79
c)	Services	1,65,324.21	13,950.23	8.44	1,14,066.55	13,757.81	12.06
d)	Personal loans	1,20,423.35	6,040.79	5.02	1,30,032.91	7,753.18	5.96
	Sub-total (ii)	4,37,822.16	4,24,28.64	9.69	3,74,056.71	47,995.11	12.83
	Total (i+ii)	7,16,407.88	79,587.07	11.11	6,53,684.33	89,788.20	13.74

Details of industry wherein Sub-sector advances is more than 10% of the total advances of industry sector:

Sr. No.	Industry	FY 2021-22			FY 2020-21		
		Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector
i	Basic Metals & Metal products	16,014	4,557	28.46	23,567	3,376	14.33
ii	Construction	40,734	8,898	21.84	49,592	8,415	16.97
iii	Food manufacturing & processing	18,758	5,101	27.19	20,479	4,439	21.68

c) OVERSEAS ASSETS, NPAs AND REVENUE

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total Assets	26,418.31	23,148.91
Total NPAs	2,265.25	2,545.74
Total Revenue	426.24	564.94

d) (i) Particulars of resolution plan and restructuring under RBI circular DBR.No..BP.BC.45/31.04.048/2018-19 dated June 7, 2019:

(₹ in crore)

Particulars	No. of accounts	Investment value	Provision Held
Debt converted into Equity Based on RBI June 2019 Circular	4	36.31	30.01

ii) Details of accounts subjected to restructuring

(₹ in crore)

Standard		Agriculture and allied activities		Corporates (excluding MSME)		Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)		Retail (excluding agriculture and MSME)		Total	
		Mar-21	Mar-22	Mar-21	Mar-22	Mar-21	Mar-22	Mar-21	Mar-22	Mar-21	Mar-22
Standard	Number of borrowers	455	6,683	11	32	1,25,209	1,05,979	31,416	70,032	1,57,091	1,82,926
	Gross Amount	20.00	332.44	2,346.09	9,246.36	4,971.50	5,707.11	3,824.40	9,533.55	11,161.98	24,819.45
	Provision held	0.52	32.64	148.98	673.44	186.68	435.10	317.83	949.69	654.01	2,090.87
Substandard	Number of borrowers	70	579	0.00	2	16,383	34,772	532	3,088	16,985	38,441
	Gross Amount	4.92	14.45	0.00	72.94	799.37	1,008.81	129.27	298.33	933.56	1,394.52
	Provision held	0.75	2.24	0.00	13.15	120.98	160.32	19.60	46.61	141.33	222.32
Doubtful	Number of borrowers	1368	1224	87	67	8,784	21,852	863	1,202	11,102	24,345
	Gross Amount	220.96	207.61	11,300.20	10,144.05	1,653.15	2,032.77	30.02	153.34	13,204.34	12,537.77
	Provision held	190.63	172.95	10,847.35	8,817.41	1,208.40	1,349.91	20.87	88.94	12,267.25	10,429.20
Loss	Number of borrowers	27	54	66	59	241	2,144	158	1,814	492	4,071
	Gross Amount	99.11	171.34	5,966.81	6,972.99	452	564.96	8.38	89.14	6,526.29	7,798.43
	Provision held	99.11	171.31	5,676.18	6,968.74	451.36	567.01	7.73	89.00	6,234.38	7,796.06
Total	Number of borrowers	1920	8740	164	160	1,50,617	1,64,747	32,969	76,136	1,85,670	2,49,783
	Gross Amount	344.99	725.83	19,613.10	26,436.34	7,876.02	9,313.65	3,992.07	10,074.36	31,826.18	46,550.18
	Provision held	291.01	379.13	16,672.51	16,472.75	1,967.42	2,512.33	366.03	1,174.23	19,296.97	20,538.45

Divergence is asset classification and provisioning

- e) In terms of RBI circular DBR.BP.BC.No. 32/21.04.018/2018-19 dated 1st April, 2019, the Bank should disclose the divergence, resulting due to RBI's Supervisory Program for Assessment of Risk and Capital, wherever either or both of the following conditions are satisfied:
- The additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10 percent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and;
 - The additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15 percent of the published incremental Gross NPAs for the reference period.

As the divergence are within the prescribed threshold limit, hence no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process for the FY 2020-21.

f) Disclosure of transfer of loan exposure:

- i. The Bank has not transferred any loans not in default during FY 2021-22.
- ii. Details of loans not in default acquired through assignment are given below

Particulars	(₹ in crore)	
	2021-22	2020-21
Aggregate Amount of Loans acquired	1,962.42	--
Weighted average residual maturity (in months)	144.00	--
Weighted average holding period by originator (in months)	20.42	--
Retention of beneficial economic interest by the originator	10.00%	--
Tangible Security Coverage	273.96%	--

The loans acquired are not rated as these are to Non-corporate Borrowers.

- iii. The Bank has not acquired any non-performing assets during FY 2021-22.
- iv. Details of non-performing loans transferred are given below:

FY 2021-22

(Amount in ₹ crore)

Particulars	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
No. of accounts	8	Nil	Nil
Aggregate principal outstanding of loans transferred	1,181.38		
Weighted average residual tenor of the loans transferred	Nil		
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	108.59		
Aggregate consideration	623.60		
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	28.52		

FY 2020-21

(Amount in ₹ crore)

Particulars	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
No. of accounts	3	Nil	Nil
Aggregate principal outstanding of loans transferred	365.62		
Weighted average residual tenor of the loans transferred	Nil		
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	46.22		
Aggregate consideration	188.46		
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil		

Note: During the year, excess provision of ₹511.10 crore (PY ₹163.12 crore) was reversed to profit & loss account on account of sale of stressed asset.

- v. Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31st March, 2022 are as under:

Recovery Rating Band	Book Value (₹ in crore)	
	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
RR1+	12.33	14.58
RR1	878.44	824.04
RR2	303.07	534.67
RR3	148.63	254.89
RR4	382.41	331.60
RR5	376.79	261.89
RR6	25.30	17.49
Unrated	78.23	79.39
Total	2,205.20	2,318.55

No new SR is added in the SR portfolio during the FY ending 31st March, 2022.

g) **Fraud Accounts**

Particulars	(₹ in crore)	
	31.03.2022	31.03.2021
Number of frauds reported	638	579
Amount involved in fraud	3,942.37	12,791.43
Amount of Provision made for such frauds	3,554.83	9,830.78
Amount of Unamortized Provision debited from "other reserve" as at the end of Year	119.87	937.89

- h) Details of resolution plan implemented under Resolution framework for Covid 19 related stress as per RBI circular dtd. 6th August 2020 and 5th May, 2021 are as below:

Type of borrower	(₹ in crore)				
	(A) Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- position as at 30.09.21 (A)	(B) of (A) aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(C) Of (A), Amount written off during the half year	(D) Of (A) amount paid by the borrower during the half year	(E) Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- position as at 31.03.2022
Personal Loans	9,689.80	223.77	-	222.72	9,243.31
Corporate persons	8,188.63	2,036.67	-	429.90	5,659.06
Of which, MSMEs	302.85	0.00	-	9.92	292.93
Others	340.51	11.68	-	2.24	326.59
Total	18,218.94	2,272.12	-	717.86	15,228.96

- i) In terms of RBI Circular No. DBR.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1st January, 2019, DOR.No. BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11th February, 2020, DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 6th August, 2020 and DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated 5th May, 2021 on "Restructuring of Advances – Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) Sector (One Time Restructuring)", the Bank has restructured the MSME borrower accounts as under:

No of Accounts restructured	₹ in Crore
1,65,685	7,356.71

- j) In terms of RBI circular no. DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 under Resolution Framework 2.0 for Individuals & Small Business, the details are as under:

Sector	Position as of 31.03.2022	
	No. of borrowers	Amount in ₹ crore
Personal & Small Business	47810	6371.65
Agri/Allied	7465	372.84
Total	55275	6744.49

- k) In terms of RBI Circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, the bank is holding provision as on 31st March, 2022 in 12 accounts as detailed below:

(₹ in crore)

Amount of loans impacted by RBI circular	Amount of loans to be classified as NPA	Amount of loans as on 31.03.2022 out of (B) to be classified as NPA	Provisions required for loans covered under RBI circular out of (A)	Provision held on 31.03.2022
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
3,893.04	2,665.83	2,665.83	1,219.13	1,219.13

- l) As per RBI circular No. DBR No. BP. 15199/21.04.048/2016-17 and DBR No. BP. 1906/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank has made a total provision of ₹ 13,756 Crore covering 100% of the total outstanding as on 31st March, 2022.

5. EXPOSURES

- a) Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Sr. No.	Category	31.03.2022	31.03.2021
i)	Direct exposure	91,038.56	92,742.69
a)	Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; - Out of the above, individual housing loan eligible for inclusion in Priority Sector Advances	76,189.00 34,702.00	78,513.68 38,020.20
b)	Commercial Real Estate – lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure would also include non-fund based (NFB) limits.	14849.56	14,229.01

(₹ in crore)

Sr. No.	Category	31.03.2022	31.03.2021
c)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures - i. Residential, ii. Commercial Real Estate.	Nil Nil	Nil Nil
ii)	Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	44,862.16	35,195.26
	Total Exposure to Real Estate Sector	1,35,900.72	1,27,937.95

b) Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Sr. No.	Category	31.03.2022	31.03.2021
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1,364.85	1,284.63
ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	1.32	6.45
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	319.28	372.31
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	825.61	1,264.64
v)	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	393.50	452.23
vi)	Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	--	25.00
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows /issues.	--	
viii)	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	--	
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	--	
x)	All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will reckon for compliance with the capital market exposure.	1,158.92	1,102.54
	Total exposure to Capital Market	4,063.48	4,507.80

c) Risk Category -wise Country Exposure

(₹ in crore)

Risk Category	Net Exposure 31.03.2022	Provision held 31.03.2022	Net Exposure 31.03.2021	Provision held 31.03.2021
Insignificant	16,345.90	Nil	16,661.26	Nil
Low	13,396.01	Nil	9,989.26	Nil
Moderate	390.84	Nil	286.23	Nil
High	1.18	Nil	0.65	Nil
Very High	5.28	Nil	0.00	Nil
Restricted	0.00	Nil	0.00	Nil
Off-credit	0.00	Nil	0.00	Nil
Total	30,139.21	Nil	26,937.40	Nil

As per Country Risk Policy 2021-22, Bank has used ECGC country risk classification for the Trade Exposure and other than Trade exposure in India both for branches in India and for overseas branches.

Bank will make provision for country risk exposure only in respect of a country where the net funded exposure is 1% or more if its total assets.

d) Unsecured advances

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority etc.	Nil	Nil
Estimated value of such intangible collateral securities	Nil	Nil

e) Factoring exposure

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
TReDS Exposure in terms of DBR.No.FSD.BC.32/24.01.007/2015-16 dated 30th July 2015 (Para 8).	543.54	391.80

f) Intra Group Exposure

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total amount of Intra group exposure	490.44	399.99
Total amount of Top 20 Intra group exposure	490.44	399.99
Percentage of Intra group exposure to Total exposure of the Bank on borrowers/customers	0.05	0.05
Details of breach of limits on Intra group exposure and regulatory action thereon	NIL	NIL

g) Un-Hedged Foreign Currency Exposures

In terms of guidelines issued by Reserve Bank of India with regard to UFCE, Bank has approved Policy on Unhedged Foreign Currency Exposure of Clients 2021-22. While framing the policy, bank has taken into consideration the exchange risks arising out of volatility in the forex market and accordingly has made suitable provisions to reduce the risks. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of unhedged foreign currency exposure and accordingly Bank has put in place risk mitigation measures by incorporating additional loan pricing framework. Total provision made for exposures to entities with UFCE for the year ended March 2022 is ₹30.49 Crores.

6. CONCENTRATION OF DEPOSITS, ADVANCES, EXPOSURES AND NPAs:

a) Concentration of Deposits

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total Deposits of twenty largest depositors	97,755.30	73,698.36
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank.	9.47	7.99%

b) Concentration of Advances

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total Advances of twenty largest borrowers/customers	1,04,418.65	71,722.59
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	14.35	10.83%

c) Concentration of Exposures

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total Exposures of twenty largest borrowers/customers	1,39,132.22	1,11,126.87
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/customers to Total Exposures of the Bank on borrowers / customers	14.57	13.09%

d) Concentration of NPAs

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total Exposures to top twenty NPA accounts	11,098.86	16,716.74
Percentage of Exposures to the twenty largest NPA Exposures to total Gross NPAs	13.95	18.62

7. DERIVATIVES

a) Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i)	The notional principal of swap agreements	17,840.00	10,690.00
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	110.71	239.17
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the Swaps	Banking Industry	Banking Industry
v)	The fair value of the swap book	4.96	20.04

Note:

- I. Interest rate swaps in Indian Rupees were undertaken for hedging Reciprocal Loan Arrangements.
- II. The Bank has entered into Floating to Fixed or Fixed to Floating Interest Rate Swap transactions for trading during the year.
- III. All underlying for hedge transactions are on accrual basis.

b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2022		31.03.2021	
		Buy	Sell	Buy	Sell
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)				
	a) 577GS2030	70.00	70.00	129.98	130.03
	b) 585GS2030	1,963.00	1,963.00	--	--
	c) 664GS2035	428.00	428.00	--	--
	d) 610GS2031	3,035.02	3,035.02	--	--
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2022 (instrument-wise)				
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)				
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)*				

c) Disclosures on Risk Exposures in Derivatives
i) Qualitative disclosure:

The Bank deals in two groups of derivative transactions within the framework of RBI guidelines.

- i) Over the Counter Derivatives
- ii) Exchange Traded Derivatives

The Bank deals in Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swap and Currency Options in Over the Counter Derivatives group.

In Exchange Traded Derivatives Group, the Bank trades in Currency Futures and Interest Rate Futures. The Bank is Trading & clearing member with three Exchanges viz. National Stock Exchange (NSE), Bombay Stock Exchange (BSE) & Metropolitan Stock Exchange (MSEIL), on their Currency Derivative segment, as permitted by Reserve Bank of India. The Bank carries out proprietary trading in currency futures on these exchanges. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank trades in Interest Rate Futures on National Stock Exchange. The bank has necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations in place. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank undertakes derivative transactions for proprietary trading/market making, hedging own balance sheet and for offering to customers, who use them for hedging their risks within the prevalent regulations. Proprietary trading/market making positions are taken in Rupee Interest Rate Swap, Currency Futures and Interest Rate Futures. While derivative instruments present immense opportunity for making a quantum leap in non-interest income and also for hedging market risk, it exposes the Bank to various risks. The Bank has adopted the following mechanism for managing different risks arising out of derivative transactions.

- a) In terms of the structure, operations in the Treasury Branch are segregated into following three functional areas, which are provided with trained officers with necessary systems support and their responsibilities are clearly defined.
 - l) Front Office (Dealing Room) - Ensures Compliance with trade origination requirements as per Bank's policy and RBI guidelines.

II) Mid-Office - Risk Management, Accounting Policies and Management

III) Back Office - Settlement, Reconciliation, Accounting.

Mid Office monitors transactions in the trading book and excesses, if any, are reported to Risk management Department for necessary action. Mid Office also measures the financial risk for transactions in the trading book on a daily basis, by way of Mark to Market. Daily Mark to Market position is reported to Risk Management Department, for onward reporting of the risk profile to the Directors' Committee on the Assets and Liability Management.

In case of corporate clients transactions are concluded only after the inherent credit exposures are quantified and approved in terms of approval process laid down in the Treasury Policy for customer appropriateness and suitability. The necessary documents like ISDA agreements are duly executed. The bank has adopted Current Exposure Method for monitoring credit exposures.

Bank has entered into Credit Support Annex (CSA) with few banks. CSA is a legal document regulating the term and condition under which collateral of posted to mitigate counterparty credit risk in bilateral credit transactions.

- b) Treasury Policy of the Bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, and approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits, stop loss limits and counterparty exposure limit for trading in approved instruments.

Various Risk Limits are set up and actual exposures are monitored vis-à-vis the limits.

These limits are set up taking in to account market volatility, business strategy and management experience. Risk limits are in place for risk parameters viz. PV01, stop loss, counterparty credit exposure. Actual positions are measured against these limits periodically and breaches if any are reported promptly. The Bank ensures that the Gross PV01 position arising out of all non option derivative contracts is within the 0.25% of net worth of the Bank.

- c) The Bank also uses financial derivative transactions for hedging its own Balance Sheet Exposures. Treasury Policy of the Bank spells out approval process for hedging the exposures. The hedge transactions are monitored on a regular basis. The notional profit or loss calculated on Mark to Market basis, PV01 and VaR on these deals are reported to the Assets Liability Committee (ALCO) every month. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged items that are attributed to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instruments. This exercise is carried out periodically to ensure hedge effectiveness.

- d) The hedged/un-hedged transactions are recorded separately. The hedged transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are mark-to-market and resultant gross gain or loss is recorded in income statement.

In case of Option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium, and discount are being followed.

To mitigate the credit risk, the Bank has policy in place to sanction limits to the counterparty Banks and Counterparty clients. The Bank adopts Current Exposure method for monitoring counterparty exposure periodically. While sanctioning derivative limit, the competent authority may stipulate condition of obtaining collaterals/margin as deemed appropriate. The derivative limit is reviewed periodically along with other credit limits.

The customer related derivative transactions are covered with counterparty banks, on back-to-back basis for identical amount and tenure and the bank does not carry any market risk.

ii) Quantitative disclosure:

(₹ in crore)

Quantitative Disclosures					
S. No.	Particular	31-03-2022		31-03-2021	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
(a)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	(i) For Hedging	370.64	2,180.00	741.97	4,550.00
	(ii) For Trading	4,44,008.28	15,660.00	2,30,474.48	6,140.00
(b)	Marked to Market Position				
	(i) Asset (+)	1,818.71	88.38	1,306.63	104.25
	(ii) Liability (-)	-1,683.63	-88.67	-1181.82	-109.74
(c)	Credit Exposure (*)	11,041.95	267.08	8,365.85	325.92
(d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) (in Lacs)				
	(i) On Hedging Derivatives	0.00	4,392.29	0.00	5,421.60
	(ii) On Trading Derivatives	0.00	134.01	0.00	385.98
(e)	Maximum and minimum of 100*PV01 observed during the year (in Lacs)				
	I. Maximum				
	(i) On Hedging	0.00	5,454.20	0.00	10,201.70
	(ii) On Trading	0.00	2,345.28	0.00	581.71
	II. Minimum				
	(i) On Hedging	0.00	1,407.51	0.00	5,409.62
	(ii) On Trading	0.00	22.40	0.00	3.84

d) CREDIT DEFAULT SWAPS:

The Bank has not entered into any Credit Default Swap transactions during the FY 21-22.

8. Disclosures relating to securitisation: Nil

9. Off – Balance Sheet SPVs sponsored by the Bank: Nil

10. TRANSFERS TO DEPOSITOR EDUCATION AND AWARENESS FUND (DEAF)

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Opening balance amounts transferred to DEAF	2,375.24	1,914.71
Add: Amount transferred to DEAF during the Year	545.18	490.35
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	43.33	29.82
Closing balance of Amount transferred to DEAF	2,877.09	2,375.24

11. DISCLOSURE OF COMPLAINTS:

Summary information on complaints received by the bank from customers and from the OBOs

Complaints received by the Bank from its customers				
Sr. No.		Particulars	2021-22	2020-21
1.		Number of complaints pending at beginning of the year (Including BO Complaints)	10,780	2,872
2.		Number of complaints received during the year (Including BO Complaints)	3,28,216	4,15,035
3.		Number of complaints disposed during the year (Including BO Complaints)	3,37,601	4,07,127
	3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	415	1131
4.		Number of complaints pending at the end of the year (Including BO Complaints)	1,395	10,780
Maintainable complaints received by the bank from OBOs				
5.		Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs	7,971	8,544
	5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by BOs	7,229	6,446
	5.2	Of 5, Number of complaints resolved through conciliation/ mediation/ advisories issued by BOs	740	1182
	5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against the bank.	2	8
6.		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (Other than those appealed)	0	0

Note:-

- Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2006. However, the above data collated from CMS site also includes those complaints settled by agreement per Clause 11 as well as Rejected Complaints as per Clause 13 of Ombudsman Scheme 2006 which is under correspondence.

Top five grounds of complaints received by the Bank from customers (Including BO Complaints)					
Grounds of complaints (i.e. Complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current Year (2021-22)					
ATM/Debit Cards	4,583	2,13,956	-26.73	324	50
Internet/Mobile/Electronic Banking	344	62,068	1.61	213	-
Levy of Charges Without prior Notice/Excessive Charges/ Foreclosure Charges	2,389	10,355	23.19	47	71
Cheques/Drafts/Bills	52	3410	-36.03	11	-
Credit Cards	27	3194	-17.10	32	17
Others	3,385	35,233	-20.51	768	60
Total	10,780	3,28,216	-20.92	1395	198

Top five grounds of complaints received by the Bank from customers (Including BO Complaints)					
Grounds of complaints (i.e. Complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
Previous Year (2020-21)					
ATM/Debit Cards	1,250	2,92,035	3.30%	4,583	2,342
Internet/Mobile/Electronic Banking	214	61,087	44.16%	344	205
Levy of Charges Without prior Notice/Excessive Charges/Foreclosure Charges	171	8,406	37.51%	2,389	1,746
Cheques/Drafts/Bills	20	5331	129.48%	52	24
Loans & Advances	16	3853	146.04%	27	8
Others	1,201	44,323	146.48%	3,385	1,847
Total	2,872	4,15,035	17.39%	10,780	6,172

12. DISCLOSURE OF PENALTIES IMPOSED BY RBI AND OTHER REGULATOR:

(₹ in crore)

Name of Regulator	Year ended 31 st March 2022		Year ended 31 st March 2021	
	No. of Cases	Amount	No. of Cases	Amount
Banking Regulation Act, 1949	1	1.00	-	-
Other Regulators	1	0.46	-	-

13. Key Management Personnel – Remuneration paid.

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
	Amount	Amount
CEO and Managing Director	0.37	0.34
Executive Directors	1.21	1.11
Total	1.58	1.45

14. Other Disclosures

a) BUSINESS RATIOS

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	6.11	6.34
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.13	1.08
iii)	Cost of Deposit	4.12	4.66
iv)	Net Interest Margin	2.71	2.47
v)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.97	1.81
vi)	Return on Assets	0.47	0.27
vii)	Average Business (Deposits plus advances) per employee (Rs in crore)	20.48	19.23
vi)	Net Profit per employee (Rs in crore)	0.07	0.04

b) BANCASSURANCE BUSINESS:

The breakup of income derived from bancassurance business is given here below

(₹ in crore)

Sr. No.	Nature of Income	31.03.2022	31.03.2021
1.	Life Insurance Policies	170.24	142.13
2.	Non Life Insurance Policies	48.14	48.72
3.	Health Insurance	38.03	32.37

c) Marketing and distribution

Details of fees / remuneration received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business):

(₹ in crore)

Sr. No.	Nature of Income	31.03.2022	31.03.2021
1.	Distributing Mutual Fund Business	17.66	17.34

d) Priority Sector Lending Certificate

Other income of the Bank inter alia includes commission income of ₹143.26 Crore from sale of Priority Sector Lending Certificate. Traded value of PSCL certificate are given below:

(₹ in crore)

Category	Traded Value
PSLC-General	5,157
PSLC-Small & Marginal Farmer	3,700
Total	8,857

e) Provision & Contingencies

(₹ in crore)

Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss:	31.03.2022	31.03.2021
Provision / (Reversal) for NPI on Investment	214.61	966.86
Provision towards NPA	11,613.25	13,595.75
Provision towards Harmonization (refer note below)	--	323.86*
Provision/(Reversal) towards Standard Assets	1,449.02	1,245.63
Net Provision made towards Income Tax (IT)/ Deferred tax assets (DTA)	3,347.31	(506.55)
Other Provision and Contingencies:		
- Shifting Loss	--	--
- Restructured Advances	(32.94)	81.87
- Others	49.83	1,053.54
TOTAL	16,641.08	16,760.96

* On account of amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India, the Bank had made additional harmonization provision of ₹323.86 Crore during the FY 2020-21.

f) ROADMAP FOR IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (Ind-AS)

The RBI vide DBR.BP.BC.No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11th February 2016, has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind-AS) in the Banks and the Banks needs to disclose the strategy for Ind-AS implementation, including the progress made in this regard. The Bank accordingly, has appointed a Consultant to assist in implementation of the Ind-AS. The Bank has also constituted a Steering Committee to oversee the progress made and the Audit Committee of the Board is being apprised of the same from time to time. Further, in terms of DO.DBR.BP.No.2535/21.07.001/2017-18 dated 13th September 2017, the Bank had been submitting Proforma Ind AS financial statements to the RBI on quarterly basis till 31st March 2021. Thereafter, in term of RBI's (Department of Regulation) mail dated 8th August 2021, bank has been advised to submit Proforma Ind AS financial statements on half yearly basis. Last proforma financials for the half year ended 30th September 2021 was submitted to RBI vide letter dated 25th November 2021.

g) Payment of DICGC insurance premium

Sr. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	1,083.45	1,000.28
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	--	--

15. DISCLOSURES AS PER ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BY THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

a. REVENUE RECOGNITION (AS 9)

Income and Expenditure have been accounted for on accrual basis except certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy no.3.4 of Schedule 17 of Significant Accounting Policies which however, is not considered to be material.

b. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15 - REVISED)

i) Short Term Employment Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits (e.g. medical benefits) payable wholly within twelve months of rendering the service are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

ii) Long Term Employee Benefits:

a) Defined Contribution Plans:

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a 14% contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2021-2022, the Bank has contributed Rs 501.51 crores including arrears of Rs120.35 crores (Previous Year ₹297.92 crore) to NPS.

b) Defined Benefit Plan:

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefit plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

Defined Benefit Plans – Employee's Pension plan and Gratuity plan:

The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2022.

(₹ in crore)

S. No.	Particular	31-03-2022		31-03-2021	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	Table showing change in Defined Benefit Obligation:				
	Liability at the beginning of the year	3,355.82	26,011.41	2,738.03	24,553.31
	Interest Cost	232.56	1,797.39	187.28	1,667.17
	Current Service Cost	161.12	212.30	137.71	265.17
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	NIL	NIL	NIL	NIL
	Past Service Cost (Vested Benefit)	NIL	1902.02	NIL	NIL
	Liability Transfer in	NIL	NIL	NIL	NIL
	Liability Transfer out	NIL	NIL	NIL	NIL
	(Benefit paid)	(465.84)	(2,341.52)	(433.15)	(1,682.84)
	Actuarial (Gain)/loss on obligation – due to change				
	In the financial assumption	(119.57)	(1,446.34)		
	in demographic assumption	2.86	63.46	(26.36)	(247.67)
	Actuarial (Gain) / Loss on obligations	30.86	2,452.27	752.31	1,456.27
	Liability at the end of the year	3,197.81	28,650.99	3,355.82	26,011.41

(₹ in crore)

S. No.	Particular	31-03-2022		31-03-2021	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
	Table of Fair value of Plan Assets:				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	2,746.43	26,720.88	2,671.12	23,145.31
	Expected return on Plan Assets	190.33	1846.41	182.70	1,571.57
	Contributions	843.37	551.42	291.35	3,605.19
	Transfer from Other Company	NIL	NIL	NIL	NIL
	Transfer to Other Company	NIL	NIL	NIL	NIL
ii)	(Benefit paid)	(465.84)	(2,341.52)	(433.15)	(1,682.84)
	Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	(53.31)	(266.31)	(34.41)	(81.65)
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	3,367.60	27,043.50	2,746.43	26,720.88
	Actuarial (Gain)/loss on obligation for the period	(85.85)	1,069.39	725.95	1,208.60
	Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	(53.31)	(266.31)	(34.41)	(81.65)
	Total Actuarial (Gain)/loss to be recognized	(139.16)	803.08	691.54	1,126.95
	Recognition of Transitional Liability :				
iii)	Transitional Liability at start	NIL	NIL	NIL	NIL
	Transitional Liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL
	Transitional Liability at end	NIL	NIL	NIL	NIL
	Actual return on Plan Assets :				
iv)	Expected Return on Plan Assets	190.33	1,846.41	182.70	1,571.57
	Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	53.31	266.31	34.41	81.65
	Actual return on Plan Assets	243.64	2112.72	217.11	1,653.22
v)	Expenses recognized in the Income Statement:				
	Current Service Cost	161.12	212.30	137.71	265.17
	Interest Cost	42.23	(49.02)	4.58	95.60
	Expected Return on Plan Assets	NIL	NIL	NIL	NIL
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	NIL	NIL	NIL	NIL
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized(1/5 of enhanced family pension)	NIL	380.40	NIL	NIL
	Recognition of Transition Liability	NIL	NIL	NIL	NIL
	Actuarial (Gain) or Loss	(139.16)	803.08	691.54	1,126.95
	Expenses Recognized in P & L	64.19	1346.76	833.83	1,487.72
vi)	Balance Sheet Reconciliation:				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	609.39	(709.47)	66.91	1,408.00
	Expenses as above	64.19	1346.76	833.83	1,487.72
	Transfer from other Company (Net)	NIL	NIL	NIL	NIL
	Transfer to other Company (Net)	NIL	NIL	NIL	NIL
	(Employer Contribution)	(843.37)	(551.42)	(291.35)	(3,605.19)
	Net (Asset)/Liability Amount recognized in Balance Sheet	(169.79)	85.87	609.39	(709.47)

(₹ in crore)

S. No.	Particular	31-03-2022		31-03-2021	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
vii)	Other Details:				
	Pension is payable at the rate of 1/66 Salary for Each Year of Service Subject to Maximum of 50%.				
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of Rs 20, 00,000 or as per the Bank scheme.				
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.				
	Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	75,201	23,216	78203	28235
	Salary Per Month	354.44	182.95	354.09	210.64
	Contribution for next year	-	592.76	354.09	-
viii)	Category of assets:				
	Government of India Assets	63.45	585.14	64.56	601.59
	Corporate Bonds/FDR	36.15	721.81	96.29	1029.07
	Special Deposits Scheme	-	-	-	-
	State Govt.	101.17	1185.78	125.89	1150.74
	Property	NIL	NIL	NIL	NIL
	Other	244.10	1733.36	185.67	1,426.35
	Insurer Managed Funds	2897.20	22,492.80	2,252.98	22,235.49
	Mutual Fund	25.53	324.61	21.04	277.64
	Total	3,367.60*	27,043.50*	2746.43	26,720.88

*Note: Return on investments in LIC & other insurance companies is considered as 7.25% while arriving Pension liability and as 7.00% while arriving Gratuity liability at the Fair Value of Plan Assets for the FY2021-22 as against the 7.00% considered for arriving Pension and Gratuity liability for the FY2020-21.

(₹ in crore)

Surplus/Deficit in the Plan:	Gratuity Plan				
	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
Amount recognized in the Balance-Sheet					
Liability at the end of the year	3,197.81	3,355.82	1291.94	1,222.64	1,244.88
Fair value of Plan Assets at the end of the year	3,367.60	2,746.43	1219.01	1,202.14	1,302.00
Difference	169.79	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	169.79	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12

*Amount mentioned for UBI Standalone

(₹ in crore)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plan				
	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
Experience Adjustment					
On plan liability (Gain) / Loss	30.86	752.31	25.87	7.91	(142.26)
On plan Assets (Loss) / Gain	53.31	34.41	7.20	(13.03)	10.64

*Amount mentioned for UBI Standalone

(₹ in crore)

Surplus/Deficit in the Plan:	Pension Plan				
	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
Amount recognized in the Balance-Sheet					
Liability at the end of the year	28,650.99	26,011.41	12,746.69	12,158.43	11,803.32
Fair value of Plan Assets at the end of the year	27,043.50	26,720.88	12,607.16	12,308.84	12,115.00
Difference	(1,607.49)	709.47	(139.53)	150.41	311.68
Unrecognized Past Service Cost	1521.62	Nil	Nil	Nil	Nil
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	(85.87)	709.47	(139.53)	150.41	311.68

*Amount mentioned for UBI Standalone

(₹ in crore)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension Plan				
	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
Experience Adjustment					
On plan liability (Gain) / Loss	2,452.27	1,456.27	938.90	125.22	(37.82)
On plan Assets (Loss) / Gain	266.31	81.65	75.23	7.18	(21.39)

*Amount mentioned for UBI Standalone

Principal actuarial assumption used (%)	2021-2022		2020-2021	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Discount Rate Prev.	6.93	6.91	6.84	6.79
Rate of return on Plan Assets Prev.	6.93	6.91	6.84	6.79
Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
Discount Rate Current	7.31	7.40	6.93	6.91
Rate of Return on Plan Assets Current	7.31	7.40	6.93	6.91
Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00

iii) Other long term Employee Benefits:

Details of Provisions made for various Long-Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	31.03.2022	31.03.2021
1.	Pension	1,346.76	1,487.72
2.	Leave Travel Concession	13.41	27.45
3.	Leave Encashment	48.70	102.29

Bank is having provision of ₹236.12 Crore towards Sick Leave on prudential basis though there is no payout.

iv) **Unamortized Family pension & Gratuity Liabilities:**

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Pension		
a) Balance brought forward	NIL	NIL
b) Gross Liability	1,902.02	NIL
c) Charged to Profit & Loss account	380.40	NIL
d) Balance Carried forward	1,521.62	NIL
Gratuity		
a) Charged to Profit & Loss account	NIL	NIL
b) Carried forward	NIL	NIL

- c. The additional liability on account on enhancement in family pension for employees covered under XI Bi-partite settlement and Joint note dated 11th November, 2020 is arrived at ₹1,902.02 Crores as per Actuarial valuation. Further, in terms of RBI circular RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021, Banks are permitted to amortize the said liability over a period of not exceeding 5 years beginning with FY ending 31.03.2022. Accordingly, Bank has opted to amortize the said liability over a period, of 5 years and charged an amount of ₹ 380.40 crore to the profit/loss account for year ended March 31, 2022 and the balance unamortized expense of ₹1,521.62 crore has been carried forward to be amortized in next 4 years. If the unamortized expenditure has been fully recognized in the profit or loss account, the net profit would be ₹3,710.48 Crore for the year ended 31st March 2022.

v) **SEGMENT REPORTING (AS-17)**

(₹ in crore)

Business Segment		Standalone	
		Year Ended	
		(Audited) 31.03.2022	(Audited) 31.03.2021
(a) Segment Revenue			
1	Treasury Operations	26,815.66	27,789.92
2	Retail Banking Operations	26,198.04	24,817.48
3	Corporate /Wholesale Banking	25,776.79	26,541.51
4	Other Banking Operations	1,397.64	1,371.55
5	Unallocated	403.35	133.91
	Total Segment Revenue	80,591.48	80,654.37
	Less Inter-segment Revenue	(122.7)	(142.54)
	Income from operations	80,468.78	80,511.83
(b) Segment Results			
1	Treasury Operations	6,002.74	6,157.83
2	Retail Banking Operations	4,508.68	4,197.57
3	Corporate Banking	(3,093.72)	(8,823.12)
4	Other Banking Operations	758.37	733.23
5	Unallocated	403.35	133.91
	Total Profit/(Loss) Before Tax	8,579.42	2,399.42
(c) Provision for Tax		3,347.31	(506.55)

(₹ in crore)

Business Segment		Standalone	
		Year Ended	
		(Audited)	(Audited)
		31.03.2022	31.03.2021
(d)	Net Profit/(Loss) after Tax	5,232.11	2,905.97
(e)	Segment Assets		
1	Treasury Operations	4,78,735.97	4,27,941.43
2	Retail Banking Operations	3,18,913.6	2,77,171.79
3	Corporate/Wholesale Banking	3,68,181.73	3,41,941.30
4	Other Banking Operations	--	--
5	Unallocated	21,759.76	24,651.32
	Total	11,87,591.06	10,71,705.84
(f)	Segment Liabilities		
1	Treasury Operations	4,70,252.54	4,19,807.14
2	Retail Banking Operations	2,90,449.81	2,53,344.66
3	Corporate/Wholesale Banking	3,35,313.11	3,10,531.92
4	Other Banking Operations	--	--
5	Unallocated	20,999.47	23,545.40
	Total	11,17,014.93	10,07,229.12
(g)	Capital Employed		
1	Treasury Operations	8,483.43	8,134.29
2	Retail Banking Operations	28,463.79	23,827.13
3	Corporate/Wholesale Banking	32,868.62	31,409.38
4	Other Banking Operations	--	--
5	Unallocated liabilities	760.29	1,105.92
	Total	70,576.13	64,476.72

Notes:

1. The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the bank has only one reportable geographical segment.
2. Segment wise income, expenditure, Capital employed which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.
3. Figure of previous period have been regrouped/reclassified wherever necessary.

d. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)**i. List of Related Parties****a) Subsidiaries**

- Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.
- Union Trustee Company Pvt. Ltd.
- Union Bank of India (UK) Ltd.
- Andhra Bank Financial Services Ltd.
- UBI Services Ltd.

b) Joint Venture

- Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.
- ASREC (India) Ltd.
- India International Bank (Malaysia) Berhad

c) Associate

- Chaitanya Godavari Grameena Bank

d) Key Management Personnel

(₹ in crore)

Name	Designation	Remuneration paid for the Year ended 31 st March 2022
Shri Rajkiran Rai G.	Managing Director & CEO	0.37
Shri Gopal Singh Gusain @	Executive Director	0.26
Shri Dinesh Kumar Garg*	Executive Director	0.15
Shri Manas Ranjan Biswal	Executive Director	0.31
Shri Nitesh Ranjan	Executive Director	0.30
Shri Rajneesh Karnatak#	Executive Director	0.14
Shri Nidhu Saxena^	Executive Director	0.05

@ Till 31.01.2022

*Till 30.09.2021

From 21.10.2021

^ From 01.02.2022

Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 6 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

e. "Leases" – Premises taken on Operating Lease (AS 19):

The Bank has no non-cancellable operating lease during the FY 2021-22. Hence, additional disclosure under AS-19 is not applicable. However, the amount of lease payment recognized in the profit & loss account for operating lease is ₹816.15 crore (PY ₹835.15 crore)

f. EARNING PER SHARE (AS-20)

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

The computation of earnings per share is given below:

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Number of Equity shares at the beginning of the year	6,40,68,44,355	6,40,68,44,355
Number of Equity shares issued during the year	42,79,03,111	Nil
Number of Equity shares outstanding at the end of the year	6,83,47,47,466	6,40,68,44,355
Weighted Average Number of Equity Shares used in computing Basic Earnings per share	6,77,26,13,590	6,40,68,44,355
Weighted Average Number of Shares used in computing diluted Earnings per share	6,77,26,13,590	6,40,68,44,355
Net Profit/(Loss) ₹ in Crore	5,232.11	2,905.98
Basic Earnings per share (₹)	7.73	4.54
Diluted Earnings per share (₹)	7.73	4.54
Nominal Value per share (₹)	10.00	10.00

g. PROVISION FOR TAXES:

i. Deferred Tax (AS-22)

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
	Deferred Tax Assets		
1	Employee Benefits (Leave Encashment)	474.78	457.76
2	Depreciation on Fixed Assets	358.42	299.18
3	On account of other provisions	14,069.38	18,146.08
4	Foreign Currency Translation Reserve	1.14	36.50
5	Standard Asset	588.37	--
	Total	15,492.08	18,939.52
	Deferred Tax Liabilities		
1	Accrued interest on securities	1,092.63	1,104.51
2	Special Reserves u/s 36(i)(viii)	2,107.08	1,924.67
3	Depreciation on Investment	--	237.86
	Total	3,199.71	3,267.04
	Net Deferred Tax Asset	12,292.37	15,672.48
	Net Deferred Tax Liability	Nil	Nil

ii. Direct Tax

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Provision for Income Tax (Including Deferred tax)	3,347.31	(506.55)

CORPORATE TAXATION:

Provision for tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.

Deferred Tax Assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future. Deferred Tax Assets/Liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

h. INVESTMENT IN JOINT VENTURES (AS – 27)

Investments include ₹236.68 Crores (Previous year ₹435.72 Crores) representing Bank's interest in Star Union Dai-ichi Life Insurance Co., ASREC(India) Limited, and India International Bank (Malaysia) BHD.

i. IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28)

In the opinion of the Management, there is no indication for Impairment during the year with regard to the asset to which Accounting Standards 28 applies.

j. CONTINGENT LIABILITIES (AS – 29)

Contingent liabilities referred to in Schedule-12 at S. No.(I) & (VI) are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlement, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by parties concerned, disposal of appeals respectively.

k. The bank has changed the method of appropriation of recovery in NPA accounts (other than the accounts where method of appropriation has been specifically agreed upon between borrower and the Bank) w.e.f. 1st April 2021. Accordingly, the recoveries in such NPA accounts are now first appropriated towards interest and then towards principal as contrary to the reverse process followed in the earlier periods. The change in accounting policy has resulted in increase in interest income for the quarter by ₹495.26 crore & for the year by ₹1081.77 crore and consequential non-reduction in Gross NPA by equivalent amount.

l. During the current year, there is no material prior period item (as per AS 5) and no discontinued operations (as per AS 24).

m. Climate Control

Union Bank of India has a policy in place in name of "Sustainable Development and Business Responsibility Policy" which is reviewed every year and last reviewed by the Board on 30.03.2022. Through this policy, the Bank is committed to make effort to protect and restore the environment. Bank has taken various initiatives like Electricity Conservations, avoid usage of plastic bottles for packaged drinking water etc.

- n. COVID-19 Pandemic has adversely impacted the economic activity across the globe including the Indian economy. During last Financial year also, India witnessed two more waves of COVID -19 pandemic and the re-imposition of the localized/regional lockdown measures in certain parts of the country. The Bank is continuously monitoring the situation and taking all possible measures including various digital initiatives to ensure continuance of customer outreach & full-fledged banking operations. Keeping in view of the various initiatives and steps taken by the Bank, Government & Reserve Bank of India and with the progress of vaccination program, the Management believes that there would not be any significant impact on Bank's performance in future and going concern assumptions.
- o. BALANCING OF BOOKS, RECONCILIATION OF INTER BRANCH / BANK TRANSACTIONS**
- (i) Confirmation/ Reconciliation of balance with foreign banks and other banks has been obtained/ carried out.
- (ii) Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress.
- (iii) Pending final clearance of the (i) and (ii), the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.
- p. Compliance to the Provision of MSME Development Act, 2006**
- Bank is complying with the extant provisions of MSME Development Act, 2006 and there has been no reported cases of any delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small and Medium Enterprises.

The figures of the previous year have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.

Signatories to Schedules 1 to 18

(PANKAJ KUMAR)
DY. GENERAL MANAGER

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)
CHIEF FINANCIAL OFFICER

(NIDHU SAXENA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJNEESH KARNATAK)
EXECUTIVE DIRECTOR

(NITESH RANJAN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(SAMEER SHUKLA)
DIRECTOR

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(SURAJ SRIVASTAVA)
DIRECTOR

(LAXMAN S UPPAR)
DIRECTOR

(DR. JAYADEV MADUGULA)
DIRECTOR

(PRITI JAY RAO)
DIRECTOR

For **M/s R G N Price & Co.**
Chartered Accountants
FRN 002785S

For **M/s SARDA & PAREEK LLP**
Chartered Accountants
FRN 109262W/W100673

For **M/s C R Sagdeo & Co.**
Chartered Accountants
FRN 108959W

CA P. M. Veeramani
Partner
Membership No.023933
UDIN: 22023933AIXFGY6267

CA Giriraj Soni
Partner
Membership No.109738
UDIN: 22109738AIXFAO2016

CA Sachin V. Luthra
Partner
Membership No. 109127
UDIN: 22109127AIXFDY8530

For **M/s P V A R & Associates**
Chartered Accountants
FRN 005223C

For **M/s Gopal Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN 002803C

For **M/s N B S & Co.**
Chartered Accountants
FRN 110100W

CA Sharad Bansal
Partner
Membership No. 423507
UDIN: 22423507AIXFRK9410

CA Gautam Sharma
Partner
Membership No. 079225
UDIN: 22079225AIXFAB5594

CA Pradeep J. Shetty
Partner
Membership No. 046940
UDIN: 22046940AIXEXO8437

Standalone Cash Flow Statement

For the Year Ended 31st March, 2022

(₹ in lacs)

S. No.	Particulars	Year ended 31 March, 2022	Year ended 31 March, 2021
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
	Net Profit Before Tax	8,57,941	2,39,941
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	73,809	89,523
	Provision for Investments	21,461	55,922
	Provision for Non Performing Assets (Net)	11,61,326	13,91,961
	Provision for Standard Asset	1,36,521	1,37,517
	Provision for Staff Related Expenditures	-	86,605
	Provision for other items (Net)	10,072	13,983
	(Profit)/Loss on Sale or Disposal of Fixed Assets	35	(761)
	Interest on Borrowings : Capital Instruments	1,55,133	1,59,660
	Dividend received from Investments	(3,019)	(2,016)
	Sub Total	24,13,280	21,72,334
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	1,08,58,729	55,17,273
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(90,800)	4,81,492
	(Increase) / Decrease in Investments	(17,40,928)	(51,75,058)
	(Increase) / Decrease in Advances	(81,63,505)	(5,07,273)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	4,45,843	(7,04,838)
	Direct taxes paid (Net of Refund)	(1,73,612)	96,730
	Transfer to/from reserve	72,382	1,63,638
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	36,21,389	20,44,299
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:		
	Purchase of Fixed Assets	(73,970)	(70,444)
	Proceeds from Sale/Adjustment of Fixed asset	15,382	9,739
	(Increase)/Decrease in Investment in Subsidiary	19,907	421
	Sale of stake in Subsidiary	--	--
	Dividend received from Investment	3,019	2,016
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(35,662)	(58,268)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :		
	Proceeds from issue of Equity Share Capital Including Share Premium (Net)	1,44,208	--
	Proceeds from issue of Capital Instruments	7,00,000	3,70,500
	Repayments of Capital Instruments	(5,40,000)	(3,85,000)
	(Decrease)/Increase Borrowings other than Capital Instruments	(2,25,801)	(16,93,479)
	Interest Paid on Borrowings : Capital Instruments	(1,55,133)	(1,59,660)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	(76,726)	(18,67,639)
	Cash and Cash equivalent received on account of amalgamation [D]	--	28,12,022
	Net Increase (Decrease) in Cash & Cash Equivalent (A)+(B)+(C)	35,09,001	29,30,413
	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	84,41,035	55,10,622
	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	1,19,50,036	84,41,035
	Components of Cash and Cash equivalents		

Bank Overview

Notice

Statutory Reports

Financial Statements

(₹ in lacs)

S. No.	Particulars	Year ended 31 March, 2022	Year ended 31 March, 2021
D	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR	01.04.2021	31.03.2020
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	37,88,046	20,11,830
	Balances with Banks and Money at call	46,52,989	34,98,792
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	84,41,035	55,10,622
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR	31.03.2022	31.03.2021
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	46,11,259	37,88,046
	Balances with Banks and Money at call	73,38,777	46,52,989
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	1,19,50,036	84,41,035

Previous Year's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the year ended classification/ presentation.

(PANKAJ KUMAR)
DY. GENERAL MANAGER

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)
CHIEF FINANCIAL OFFICER

(NIDHU SAXENA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJNEESH KARNATAK)
EXECUTIVE DIRECTOR

(NITESH RANJAN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(SAMEER SHUKLA)
DIRECTOR

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(SURAJ SRIVASTAVA)
DIRECTOR

(LAXMAN S UPPAR)
DIRECTOR

(DR. JAYADEV MADUGULA)
DIRECTOR

(PRITI JAY RAO)
DIRECTOR

Auditors Certificate:

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Standalone Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2022. The statement has been prepared in Indirect Method in accordance with the AS-3, "Cash Flow Statement" issued by The Institute of Chartered Accountants of India and with the requirements of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 and is based on and in agreement with the corresponding Standalone Profit & Loss Account and the Standalone Balance Sheet of the Bank covered by our report of the May 13, 2022 to the members.

For M/s R G N Price & Co.
Chartered Accountants
FRN 002785S

For M/s SARDA & PAREEK LLP
Chartered Accountants
FRN 109262W/W100673

For M/s C R Sagdeo & Co.
Chartered Accountants
FRN 108959W

CA P. M. Veeramani
Partner
Membership No.023933
UDIN: 22023933AIXFGY6267

CA Giriraj Soni
Partner
Membership No.109738
UDIN: 22109738AIXFAO2016

CA Sachin V. Luthra
Partner
Membership No. 109127
UDIN: 22109127AIXFDY8530

For M/s P V A R & Associates
Chartered Accountants
FRN 005223C

For M/s Gopal Sharma & Co.
Chartered Accountants
FRN 002803C

For M/s N B S & Co.
Chartered Accountants
FRN 110100W

CA Sharad Bansal
Partner
Membership No. 423507
UDIN: 22423507AIXFRK9410

CA Gautam Sharma
Partner
Membership No. 079225
UDIN: 22079225AIXFAB5594

CA Pradeep J. Shetty
Partner
Membership No. 046940
UDIN: 22046940AIXEXO8437

Place of Signature: Mumbai
Date of Report: 13.05.2022

Independent Auditors' Report

To

The President of India /

The Members of Union Bank of India

Mumbai

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **Union Bank of India** (the "Bank") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2022, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which following are incorporated –
 - a. Audited Standalone Financial Statements of the Bank;
 - b. Audited Financial Statements of 2 domestic Subsidiaries, 1 domestic Jointly controlled Entities, 1 Regional Rural Banks (Associate) 1 foreign subsidiary and 1 foreign jointly controlled entity.
 - c. Unaudited financial statements of 2 Subsidiaries and 1 Jointly controlled Entity

The above entities together with the Bank are referred to as the "Group".

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements, the unaudited financial statements and the other financial information of the subsidiaries, Jointly controlled entities and associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

- a. true and fair view in case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2022;
- b. true balance of Profit in case of Consolidated Profit & Loss account for the year ended on that date; and
- c. true and fair view of the cash flows in case of Consolidated Cash Flows Statement for the year ended on that date.

Basis of Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We draw your attention to Note No. 17 of schedule 18 – Notes to Accounts to the consolidated financial statements which describes that there is change in the accounting policies/estimates followed during the year ended 31st March,

2022 as compared to those followed in the preceding financial year ended 31st March, 2021 with effect from 1st April, 2021, in respect of appropriation of recovery in non performing accounts first towards interest unrealised and then towards principal outstanding as against towards principal first and then towards interest unrealised in earlier periods. Impact due to the change in accounting policy has resulted increase in income for the quarter by ₹495.26 crores and for the year by ₹1,081.77 crores and consequential non-reduction in gross non performing assets by equivalent amount.

We draw your attention to **Note No. 9 of schedule 18** – Notes to Accounts to the consolidated financial statements which describes amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹1,902.02 crores. The bank has charged an amount of ₹380.40 crore to the profit and loss account during the year ended March 31, 2022, and the balance unamortized expenses of ₹1,521.62 crore has been carried forward.

We draw your attention to Note No. 16 of schedule 18 – Notes to Accounts to the consolidated financial statements which describes uncertainties due to outbreak of COVID-19 pandemic. In view of these circumstances, the impact on the Banks operations and financial results is dependent on future developments including actions being taken to mitigate the same and other regulatory measures.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sr.	Key Audit Matter	How it was dealt with in our report
1	Income Recognition, Asset Classification (IRAC) and provisioning on Loans & Advances and Investments as per the regulatory requirements	
	<p>Loans & Advances and Investments are the largest class of assets forming 85.01% of the total assets as on March 31, 2022. Classification, income recognition and loss provisioning on the same are based on objective parameters as prescribed by the regulations (Reserve Bank of India's prudential norms and other guidelines). The management of the Bank relies heavily on its IT systems (including Core Banking Solution), exercise significant estimates and judgement, manual interventions, and uses services of experts (like independent valuers, Lawyers, legal experts and other professional) to determine asset classification, income recognition and provisioning for losses.</p> <p>The Bank has system based identification of non-performing assets in accordance with IRAC Norms</p>	<p>Our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to the materiality of the balances and associated impairment provisions.</p> <p>Our audit procedures included the assessment of controls over the approval, disbursements and monitoring of loans, and reviewing the logic and assumptions used in the CBS and other related IT systems for compliance of the IRAC and provisioning norms and its operating effectiveness.</p> <p>These included evaluation and understanding of following:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances/ investments;

Sr.	Key Audit Matter	How it was dealt with in our report
		<ul style="list-style-type: none"> • System controls and manual controls over the timely recognition of non-performing assets (NPA/NPI); • Operational existence and effectiveness of controls over provisioning calculation models from the IT systems; • Overall Controls on the loan approval, disbursement and monitoring process in case of advances and controls over the purchase, sale and hold decisions making system in case of investments • We tested sample of loans/investments (in cases of branches visited by us) to assess whether they had been identified as non performing on a timely manner, income recognized and provisioning made as per IRAC norms. • We have also reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of manual interventions, wherever it has come to our notice, on test check basis. • We have relied on the reports/returns and work done by other Statutory Branch Auditors (SBA) in cases of branches not visited by us to get an overall comfort with respect to overall compliance in accordance with SA 600 - Using the Work of Another Auditor. • We have reviewed the work done by other experts like Independent valuers, Lawyers, Legal Experts and other such professionals who have rendered services to the Bank, in accordance with SA 620 Using the Work of an Auditor's Expert. • Further we have also reviewed the Bank's system of monitoring potentially weak and sensitive accounts which show a sign of stress. • We have also reviewed the reports and observations of the Bank's internal audit/inspection reports and observations of the concurrent auditors for the same. • Verification of valuation, classification, provisioning and income recognition of investments by carrying out substantive test including arithmetic accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system. We have test checked and assessed the efficacy of the system based identification of NPA

Bank Overview

Notice

Statutory Reports

Financial Statements

Sr.	Key Audit Matter	How it was dealt with in our report
2	<p>Information Technology (IT) and controls impacting financial reporting</p> <p>In the normal course of its business, the Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently. Extensive volume, variety and complexity of transactions are processed daily and there is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively. Particular areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.</p> <p>We have relied on the consistent and accurate functioning of CBS and other IT systems for the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asset Classification and Income recognition as per the Reserve Bank of India guidelines; • Provisioning on the advance portfolio; • Identification of advances and liability items and its maturity pattern in various brackets; • Reconciliation and ageing of various suspense and sundry accounts, impersonal accounts, inter-branch balances and other such accounts; • Recording Investment transactions • Interest expense on deposits and other liabilities; 	<p>Our audit procedures included verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system by verifying the reports/returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis.</p> <p>Our audit procedures included:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ensuring that deficiencies noticed in our verification on test check basis were informed to the management for corrective action; • Carrying out independent alternative audit procedures like substantive testing in areas where deficiencies were noticed; • Analytical procedures like ratio analysis, trend analysis, reasonable tests, comparative analysis; • Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits; • Reliance on external vendor inspection reports wherever made available. • Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IT Department on compliance with key IT controls.

Sr.	Key Audit Matter	How it was dealt with in our report
3	<p>Recognition and measurement of Deferred tax</p> <p>The Bank has recognised a net deferred tax asset of ₹ 12,29,23,747 (in '000) as on March 31, 2022. Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future. The recent decrease in the amount of deferred tax assets presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus decreasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset.</p>	<p>Our audit procedures included the risk assessment to gain an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Based on our understanding, we performed both tests of related internal key controls and substantive audit procedures with the assistance of tax specialists. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including, but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; • Assessed the method, assumptions and other parameters used with reference to uniformity, management representations, consistency and continuity like budget and midterm projections prepared by the management including earning growth and applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy • Assessed the probability of the availability and visibility of profits against which the bank will be able to use this deferred tax asset in the future.
4	<p>COVID-19 Pandemic</p> <p>COVID-19 Pandemic has adversely impacted the economic activity across the country and the Government of India had announced series of lock down since March 2020 onwards, which were lifted & reimposed at various point of time in regionalized manner across the country based on the prevailing situation in the respective State.</p> <p>Correspondingly and in tune with the partial and complete lock downs, we experienced travel restrictions for some part of the year and the Bank facilitated carrying out audit remotely wherever physical access was not possible. This situation eased out considerably by the end of the year and therefore physical audit was most prevalent at the year end.</p> <p>Therefore wherever we could not gather audit evidence in person/physically/through discussions and personal interactions with the officials at the Branches /Regions & Zones/ Verticals / Corporate Offices, we have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter.</p> <p>Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely</p>	<p>Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to us by the Bank through digital medium including the designated audit portal of the bank, emails and remote access to CBS and closing package. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period.</p> <p>Accordingly, we modified our audit procedures (based on regulatory and ICAI advisories) as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conducted verification of necessary records/ documents/ CBS/closing package and other application software electronically through remote access/emails/in respect of some of the Branches/Regions/Zones/Verticals/ Corporate Offices and other offices of the Bank wherever physical access was not possible. • Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates, returns from branches and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank • Making enquires and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls/conference calls, emails and similar communication channels. • Resolution of our audit observations telephonically/ through email instead of a face to-face interaction with the designated officials.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Highlights for the year, Directors' Report including annexures to Directors' Report, key financial ratios, Business responsibility Report and Corporate Governance report in the Annual Report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after the date of this Auditors' Report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under the Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the Other Information that we obtained prior to the date of this Auditors' Report, we conclude that there is a material misstatement of this Other Information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors are responsible for preparation and presentation of these consolidated Financial Results that give a true and fair view of the consolidated financial position, financial performance and consolidated cash flows and other financial information of the Group including its associate and jointly controlled entity in accordance with the

Accounting Standard 21- "Consolidated Financial Statements", Accounting Standards 23- "Accounting for Investments in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standards 27 – Financial Reporting of Interest in Joint Venture" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the relevant provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") and other accounting principles generally accepted in India.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and of its associate and jointly controlled entity are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act/ Banking Regulations Act, 1949 for safeguarding the assets of the Group and preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud and error.

In preparing the consolidated Financial statements, the respective Board of Directors of the entities included in the Group and of its associate and jointly controlled entity are responsible for assessing the ability of the group and of its associate and jointly controlled entity to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and of its associate and jointly controlled entity are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associate and jointly controlled entity.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are

required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality in the magnitude of the misstatements in the Consolidated financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the

adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements of 3 subsidiaries and 2 Jointly controlled entities and one associate included in the consolidated financial statements, whose financial statements reflect total assets of ₹ 7,38,99,114 (in thousand) as at March 31, 2022 and total revenues of ₹ 1,42,06,742 (in thousand) for the year ended on that date net profit after tax amounting to ₹ 3,20,963 (in thousand) for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. These financial statements have been audited by other auditors whose report have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and jointly controlled entities, are based solely on the reports of the other auditors.

The consolidated financial statements also include the unaudited Financial Results of 2 subsidiaries and 1 jointly controlled entity whose Financial Statements/ Financial Results/ Financial information reflect Group's share of total assets of ₹ 23,61,162 (in thousands) as at 31st March 2022, Group's share of total revenue of ₹ 5,66,826 (in thousands) and Group's share of total net profit after tax of ₹ 3,22,462 (in thousands) for the year ended 31st March 2022, as considered in the consolidated Financial Results. These unaudited Financial Statements/Financial Results/ financial information has been furnished to us duly certified by the Bank's management and our opinion on the consolidated Financial Results, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and jointly controlled is based solely on such reviewed/unaudited Financial Statements/ Financial Results/Financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by Bank's management, these Financial Statements/Financial Results / Financial information are not material to the Group.

The entities of the Group whose financial statements are included in the Consolidated Financial Statements are listed in Schedule 18 Notes to Accounts which forms part of the Consolidated Financial Statements of the Group

Our opinion on the consolidated financial statements is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Consolidated Balance Sheet and the Profit & Loss Account have been drawn up in accordance with section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
10. Subject to limitation of the audit indicated in paragraph 5 and 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiaries, associate and jointly controlled entities, as noted in the 'other matter' paragraphs to the extent applicable and also subject to the limitations of disclosure required therein and we report that:
- We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - The transactions of Bank, which have come to our notice, have been within the power of Bank; and
 - The returns received from the offices and branches of the bank have been found adequate for the purpose of our audit.
11. We further report that:
- in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

- b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited by us;
- c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
- d) in our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

For **M/s R G N Price & Co.**
Chartered Accountants
FRN 002785S

For **M/s SARDA & PAREEK LLP**
Chartered Accountants
FRN 109262W/W100673

For **M/s C R Sagdeo & Co.**
Chartered Accountants
FRN 108959W

CA P. M. Veeramani
Partner
Membership No.023933
UDIN: 22023933AIXFNV8228

CA Giriraj Soni
Partner
Membership No.109738
UDIN: 22109738AIXFFR2991

CA Sachin V. Luthra
Partner
Membership No. 109127
UDIN: 22109127AIXFLG9220

For **M/s P V A R & Associates**
Chartered Accountants
FRN 005223C

For **M/s Gopal Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN 002803C

For **M/s N B S & Co.**
Chartered Accountants
FRN 110100W

CA Sharad Bansal
Partner
Membership No. 423507
UDIN: 22423507AIXFXC6066

CA Gautam Sharma
Partner
Membership No. 79225
UDIN: 22079225AIXFID6253

CA Pradeep J. Shetty
Partner
Membership No. 046940
UDIN: 22046940AIXFCS3650

Place of Signature: Mumbai
Date of Report: 13.05.2022

Consolidated Balance Sheet

As on 31st March, 2022

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	As on 31 March, 2022	As on 31 March, 2021
CAPITAL	1	6,93,87,510	6,51,08,479
Reserves and Surplus	2	63,92,23,739	58,22,69,299
Minority Interest	2A	-	-
Deposits	3	10,34,36,77,535	9,25,65,39,262
Borrowings	4	51,24,51,999	51,92,22,312
Other Liabilities and Provisions	5	37,29,15,316	40,06,34,595
TOTAL		11,93,76,56,099	10,82,37,73,947
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	46,11,58,920	37,88,57,135
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	73,64,23,289	46,87,76,239
Investments	8	3,51,83,90,437	3,39,05,85,059
Advances	9	6,63,35,56,506	5,93,32,00,827
Fixed Assets	10	7,20,83,095	7,36,64,201
Other Assets	11	51,60,43,852	57,86,90,486
Goodwill on Consolidation		-	-
TOTAL		11,93,76,56,099	10,82,37,73,947
Contingent Liabilities	12	6,51,14,68,340	3,71,78,14,658
Bills for Collection		66,08,94,128	34,69,48,137
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet

(PANKAJ KUMAR)
DY. GENERAL MANAGER

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)
CHIEF FINANCIAL OFFICER

For and on behalf of the Board of Directors

(NIDHU SAXENA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJNEESH KARNATAK)
EXECUTIVE DIRECTOR

(NITESH RANJAN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(SAMEER SHUKLA)
DIRECTOR

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(SURAJ SRIVASTAVA)
DIRECTOR

(LAXMAN S UPPAR)
DIRECTOR

(DR. JAYADEV MADUGULA)
DIRECTOR

(PRITI JAY RAO)
DIRECTOR

As per our report of even date attached

For M/s R G N Price & Co.
Chartered Accountants
FRN 002785S

For M/s SARDA & PAREEK LLP
Chartered Accountants
FRN 109262W/W100673

For M/s C R Sagdeo & Co.
Chartered Accountants
FRN 108959W

CA P. M. Veeramani
Partner
Membership No.023933
UDIN: 22023933AIXFNV8228

CA Giriraj Soni
Partner
Membership No.109738
UDIN: 22109738AIXFFR2991

CA Sachin V. Luthra
Partner
Membership No. 109127
UDIN: 22109127AIXFLG9220

For M/s P V A R & Associates
Chartered Accountants
FRN 005223C

For M/s Gopal Sharma & Co.
Chartered Accountants
FRN 002803C

For M/s N B S & Co.
Chartered Accountants
FRN 110100W

CA Sharad Bansal
Partner
Membership No. 423507
UDIN: 22423507AIXFC6066

CA Gautam Sharma
Partner
Membership No. 79225
UDIN: 22079225AIXFID6253

CA Pradeep J. Shetty
Partner
Membership No. 046940
UDIN: 22046940AIXFCS3650

Place of Signature: Mumbai
Date of Report: 13.05.2022

Consolidated Profit and Loss Account

For the Year Ended 31st March, 2022

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	For the Year Ended 31 March, 2022	For the Year Ended 31 March, 2021
I. INCOME			
Interest Earned	13	68,22,96,573	69,31,14,562
Other Income	14	13,52,44,131	14,30,67,228
TOTAL		81,75,40,704	83,61,81,790
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	40,17,84,651	44,11,23,988
Operating Expenses	16	19,70,26,117	19,75,15,212
Provision And Contingencies		16,66,44,918	16,92,62,404
TOTAL		76,54,55,686	80,79,01,605
iii. Consolidated Net Profit/(Loss) before Minority Interest and Share of Earnings in Associate		5,20,85,018	2,82,80,185
Add:-Share of profit in Associate		5,68,187	3,53,803
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minority Interest		5,26,53,205	2,86,33,988
(Less):-Minority Interest		-	-
Consolidated Net Profit/(Net Loss) for the year attributable to the group		5,26,53,205	2,86,33,988
Add : Profit/(Loss) Brought Forward		35	35
Amount Available for Appropriation		5,26,53,240	2,86,34,023
IV. Appropriation			
Transfer To Statutory Reserve		1,31,93,989	73,35,683
Transfer To Capital Reserve		1,22,12,675	90,01,837
Transfer To Investment Fluctuatuiou Risk Reserve		65,68,682	1,27,92,901
Transter To Revenue And Other Reserves		24,71,838	(4,96,433)
Proposed Dividend		1,29,86,021	-
Transfer To Special Reserve [Sec36(l)(viii)]of the Income Tax Act,1961]		52,20,000	-
Balance in Profit and Loss Account		35	35
TOTAL		5,26,53,240	2,86,34,023
Earnings per share (Basic and Diluted in Rs.) of FV of Rs.10/- each	18	7.77	4.47
Significant Accounting Policies	17		
Notes To Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit & Loss A/c

(PANKAJ KUMAR)
DY. GENERAL MANAGER

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)
CHIEF FINANCIAL OFFICER

For and on behalf of the Board of Directors

(NIDHU SAXENA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJNEESH KARNATAK)
EXECUTIVE DIRECTOR

(NITESH RANJAN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(SAMEER SHUKLA)
DIRECTOR

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(SURAJ SRIVASTAVA)
DIRECTOR

(LAXMAN S UPPAR)
DIRECTOR

(DR. JAYADEV MADUGULA)
DIRECTOR

(PRITI JAY RAO)
DIRECTOR

As per our report of even date attached

For M/s R G N Price & Co.
Chartered Accountants
FRN 002785S

CA P. M. Veeramani
Partner
Membership No.023933
UDIN: 22023933AIXFNV8228

For M/s P V A R & Associates
Chartered Accountants
FRN 005223C

CA Sharad Bansal
Partner
Membership No. 423507
UDIN: 22423507AIXFC6066

For M/s SARDA & PAREEK LLP
Chartered Accountants
FRN 109262W/W100673

CA Giriraj Soni
Partner
Membership No.109738
UDIN: 22109738AIXFFR2991

For M/s Gopal Sharma & Co.
Chartered Accountants
FRN 002803C

CA Gautam Sharma
Partner
Membership No. 79225
UDIN: 22079225AIXFID6253

For M/s C R Sagdeo & Co.
Chartered Accountants
FRN 108959W

CA Sachin V. Luthra
Partner
Membership No. 109127
UDIN: 22109127AIXFLG9220

For M/s N B S & Co.
Chartered Accountants
FRN 110100W

CA Pradeep J. Shetty
Partner
Membership No. 046940
UDIN: 22046940AIXFCS3650

Place of Signature: Mumbai
Date of Report: 13.05.2022

Bank Overview

Notice

Statutory Reports

Financial Statements

Schedules forming part of the Consolidated Balance Sheet

As on 31st March, 2022

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022	As on 31 March, 2021
SCHEDULE 1 - CAPITAL :		
I. Authorised :		
10,00,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each (Previous Year 10,00,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each)	10,00,00,000	10,00,00,000
II. Issued, Subscribed & Paid up :		
i. 570,66,60,850 Equity Shares of Rs.10 each, held by Central Government (Previous Year 570,66,60,850 Equity Shares)	5,70,66,609	5,70,66,609
ii. 112,80,86,616 Equity Shares of Rs.10 each, held by Public	1,12,80,866	70,01,835
(Previous Year 70,01,83,505 Equity Shares)	6,83,47,475	6,40,68,444
SCHEDULE 1A - PREFERENCE SHARE CAPITAL ISSUED BY SUBSIDIARY COMPANY :		
10,40,03,544 Participatory Non-Redemable Compulsorily convertible Preference Shares of Rs. 10 Each (Issued by Union Asset Management Company Private Limited, a subsidiary company) to Dai Ichi Life Holdings Inc on May 17 2018 for a tenure of 20 years)	10,40,035	10,40,035
TOTAL	10,40,035	10,40,035

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022		As on 31 March, 2021	
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :				
I. Statutory Reserve :				
As per last Balance Sheet	13,36,27,665		12,62,91,983	
Addition during the year	1,31,93,989		73,35,682	
Deductions during the year	-	14,68,21,655	-	13,36,27,665
II. Capital Reserve :				
A) Capital Reserve				
As per last Balance Sheet	4,67,20,564		3,77,18,727	
Addition during the year	1,22,12,675		90,01,837	
Deductions during the year	-		-	
	5,89,33,239		4,67,20,564	
B) Revaluation Reserve :				
As per last Balance Sheet	4,89,84,778		4,99,77,701	
Addition during the year	79,200		40,444	
Deduction during the year	14,93,238		10,33,368	
	4,75,70,740		4,89,84,777	
C) Amalgamation Reserves				
As per last Balance Sheet	1,30,95,979		1,30,95,979	
Addition during the year	-		-	
Deduction during the year	-		-	
	1,30,95,979	11,95,99,958	1,30,95,979	10,88,01,321
III) Capital Reserve on Consolidation				
As per last Balance Sheet	6,63,498		6,63,498	
Addition during the year	-		-	

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022		As on 31 March, 2021	
Deduction during the year	2,42,147	4,21,351	-	6,63,498
IV. Share Premium :				
As per last Balance Sheet	17,37,85,077		50,13,70,025	
Addition during the year	1,01,92,653		-	
Deduction during the year	50,870	18,39,26,860	32,75,84,947	17,37,85,077
V. Revenue and other Reserves :				
i) Revenue Reserve :				
As per last Balance Sheet	9,53,58,032		8,20,08,797	
Addition during the year	1,36,44,810		2,60,02,442	
Deduction during the year	15,72,823		1,26,05,677	
	10,74,30,020		9,54,05,562	
Less:- Minority Interest	-		-	
	10,74,30,020		9,54,05,562	
ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii)				
As per last Balance Sheet	5,50,78,789		5,50,78,789	
Addition during the year	52,20,000		-	
	6,02,98,789		5,50,78,789	
iii) Foreign Currency Translation Reserve				
As per last Balance Sheet	20,15,886		15,93,516	
Addition during the year	2,95,338		4,29,740	
Deduction during the year	10,37,597		9,044	
	12,73,628		20,14,212	
iv) Special Profit Reserve/ Cash Flow Hedge Reserve				
As per last Balance Sheet	58,485		58,485	
Addition during the year	-		454	
Deduction during the year	-		-	
	58,485		58,939	
v) Investment Fluctuation Reserves				
As per last Balance Sheet	1,27,92,901		41,300	
Addition during the year	65,68,682		1,27,92,901	
Deduction during the year	-		-	
	1,93,61,583		1,28,34,201	
vi) Debenture Redemtion reserve				
As per last Balance Sheet	-		-	
Addition during the year	31,375		-	
Deduction during the year	-		-	
	31,375	18,84,53,880	-	16,53,91,703
VI. Balance in Profit and Loss Account				
Balance in Profit and Loss Account		35		35
TOTAL		63,92,23,739		58,22,69,299

Bank Overview

Notice

Statutory Reports

Financial Statements

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022		As on 31 March, 2021	
SCHEDULE 2 A Minority Interest				
Opening Balance		-		-
Add/(Less):- Increase/(Decrease) during the year		-		-
Total Minority Interest		-		-

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022		As on 31 March, 2021	
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :				
I. Demand Deposits				
i) From Banks	81,32,959		76,23,510	
ii) From Others	71,90,31,754	72,71,64,713	62,94,60,721	63,70,84,231
II. Savings Bank Deposits		3,04,57,69,582		2,71,99,65,042
III. Term Deposits				
i) From Banks	2,27,87,325		3,16,45,104	
ii) From Others	6,54,79,55,915	6,57,07,43,240	5,86,78,44,885	5,89,94,89,989
TOTAL		10,34,36,77,535		9,25,65,39,262
Deposits of branches in India		10,31,96,69,265		9,21,47,62,722
Deposits of branches outside India		2,40,08,270		4,17,76,540
TOTAL		10,34,36,77,535		9,25,65,39,262

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022		As on 31 March, 2021	
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :				
A. Borrowings in India				
i. Reserve Bank of India	14,20,90,000		14,20,90,000	
ii. Other Banks	1,98,28,213		1,40,33,310	
iii. Other Institutions and Agencies	3,02,20,231		2,78,19,964	
iv. Perpetual Bonds	8,70,50,000		7,10,50,000	
v. Subordinated Bonds	10,05,00,000		10,05,00,000	
vi. 7 years infra bonds	-	37,96,88,444	50,01,000	36,04,94,274
B. Borrowings Outside India		13,27,63,555		15,87,28,038
TOTAL		51,24,51,999		51,92,22,312
Secured Borrowings included in (B) I & II above		14,70,29,470		14,20,90,000

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022	As on 31 March, 2021
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS ::		
I. Bills Payable	2,68,90,202	2,30,30,334
II. Interest Accrued	4,54,94,112	3,18,07,505
III. Others (including provisions)*	30,05,31,002	34,57,96,756
TOTAL	37,29,15,316	40,06,34,595

* Includes provision for Standard Assets ₹ 6,57,86,258 (Previous Year ₹ 5,12,25,996)

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022	As on 31 March, 2021
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA :		
I. Cash in Hand (including foreign currency notes and Gold)	3,78,48,706	3,78,64,974
II. Balances with Reserve Bank of India		
Balances with Reserve Bank of India In Current Account	42,33,09,768	34,09,87,188
Balances with Reserve Bank of India In Other Account	446	4,973
TOTAL	46,11,58,920	37,88,57,135

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022	As on 31 March, 2021
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :		
I) In India		
i) Balances with Banks		
a) In Current Accounts	24,07,403	58,71,512
b) In Other Deposit Accounts	6,15,83,178	7,11,41,687
ii) Money at Call & Short notice		
a) With Banks	-	-
b) With Other Institutions	55,41,14,877	29,55,40,000
	61,81,05,458	37,25,53,199
II. Outside India		
i) In Current Accounts	33,72,152	27,17,626
ii) In other Deposit Accounts	11,36,93,769	9,20,46,674
iii) Money at call & short notice	12,51,910	14,58,740
	11,83,17,831	9,62,23,040
TOTAL	73,64,23,289	46,87,76,239
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :		
I. Investments in India		
i) Government Securities	2,65,82,89,693	2,42,56,14,461
ii) Other Approved Securities	58,64,924	1,60,14,875
iii) Shares	2,62,42,463	3,27,94,407
iv) Debentures and Bonds	70,34,90,650	75,85,84,336
v) Subsidiaries and Joint Ventures/Associate	26,88,946	21,20,760
vi) Others (Commercial Paper,Mutual Funds, Venture Capital,Security Receipt, Etc.)	10,05,44,011	13,41,76,368
Total	3,49,71,20,687	3,36,93,05,207
II. Investments outside India		
i) Govt Securities (including Local Authorities)	1,85,57,542	1,87,83,099
ii) Shares	6,810	9,450
iii) Other Investments (Bonds)	27,05,398	24,87,303
iv) Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
Total	2,12,69,750	2,12,79,852
TOTAL	3,51,83,90,437	3,39,05,85,059

Bank Overview

Notice

Statutory Reports

Financial Statements

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022	As on 31 March, 2021
III. Investments in India		
Gross Value	3,55,86,12,295	3,43,15,59,994
Less: Provision for Depreciation	6,14,91,607	6,22,54,787
Net Value of Investment in India	3,49,71,20,688	3,36,93,05,207
IV) Investments outside India		
Gross Value	2,15,85,972	21,2,99,300
Less: Provision for Depreciation	3,16,223	19,448
Net Value of Investment outside India	2,12,69,749	2,12,79,852
TOTAL	3,51,83,90,437	3,39,05,85,059

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022	As on 31 March, 2021
SCHEDULE 9 - ADVANCES (Net)		
I		
i) Bills Purchased and Discounted	3,87,31,665	4,11,53,857
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	2,87,95,84,813	2,66,27,05,495
iii) Term Loans	3,71,52,40,028	3,22,93,41,475
TOTAL	6,63,35,56,506	5,93,32,00,827
II		
i) Secured by Tangible Assets (includes Advance against Book Debts)	5,36,44,78,377	5,09,22,54,335
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	13,07,52,505	16,55,89,292
iii) Unsecured	1,13,83,25,624	67,53,57,201
TOTAL	6,63,35,56,506	5,93,32,00,828
A. Advances in India		
i) Priority Sector	2,59,52,39,457	2,52,92,91,622
ii) Public Sector	72,72,96,155	61,06,29,459
iii) Banks	2,22,975	3,07,310
iv) Others	3,13,83,22,359	2,62,94,41,664
TOTAL	6,46,10,80,946	5,76,96,70,055
B. Advances Outside India		
i) Due From Banks	5,45,65,135	3,47,68,977
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased and Discounted	12,32,802	36,979
b) Syndicated Loans	5,47,141	11,83,093
c) Others	11,61,30,482	12,75,41,723
	17,24,75,560	16,35,30,772
TOTAL	6,63,35,56,506	5,93,32,00,827

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022		As on 31 March, 2021	
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS :				
A. TANGIBLE ASSETS				
I. Premises				
At cost/valuation as per last balance sheet	8,16,49,772		8,09,95,477	
Additions during the year	6,12,275		7,17,393	
Deductions during the year	12,79,323		4,738	
	8,09,82,724		8,17,08,132	
Less: Depreciation till Date	2,64,08,228	5,45,74,496	2,49,42,252	5,67,65,880
II. Capital Work-in-Progress				
At cost as per last balance sheet	6,30,768		5,96,816	
Additions during the year	1,87,638		2,18,977	
Deductions during the year	4,48,273	3,70,133	1,82,517	6,33,276
III. Land				
At cost as per last balance sheet	12,45,683		12,45,683	
Additions during the year	13,08,678		-	
Deductions during the year	55,725		-	
	24,98,636		12,45,683	
Less: Depreciation till Date	4,52,022	20,46,614	78,385	11,67,298
IV. Other Fixed Assets				
(including Furniture and Fixtures)				
a) Assets given on lease				
At cost as per last balance sheet	2,68,478		2,68,478	
Addition during the year	-		-	
Deductions during the year	-		-	
	2,68,478		2,68,478	
Less: Depreciation till Date	2,68,478	0	2,68,478	0
b) Others				
At cost/valuation as per last balance sheet	6,49,59,025		6,25,93,795	
Additions during the year	49,20,419		35,32,456	
Deductions during the year	8,19,609		9,93,375	
	6,90,59,835		6,51,32,876	
Less: Depreciation till Date	5,63,82,534	1,26,77,301	5,30,38,569	1,20,94,307
B. INTANGIBLE ASSETS				
(i) Computer Software				
At cost as per last balance sheet	1,14,93,797		89,51,793	
Additions during the year	9,10,278		2,720,989	
Deductions during the year	29,870		9,256	
	1,23,74,205		1,16,63,526	
Amortisation till Date	99,59,654	24,14,551	86,60,085	30,03,441
TOTAL		7,20,83,095		7,36,64,201

Bank Overview

Notice

Statutory Reports

Financial Statements

(₹ in 000')

Particulars	As on 31 March, 2022	As on 31 March, 2021
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :		
I. Inter-Office Adjustments (net)	1,79,97,046	7,34,01,772
II. Interest Accrued	7,77,68,178	6,16,79,664
III. Tax paid/Tax deducted at source (Net of Provisions)	5,41,13,751	6,63,96,665
IV. Stationery and Stamps	63,349	68,176
V. Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	1,334	1,238
VI. Deferred Tax Assets (Net)	12,29,53,434	15,67,50,030
VII. MAT Credit	2,96,94,268	1,19,72,569
VIII. Others	21,34,52,492	20,84,20,372
TOTAL	51,60,43,852	57,86,90,486
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :		
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	3,32,70,455	3,73,28,046
II. Liability for partly paid Investments	-	41,578
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	4,37,12,08,481	2,30,09,22,075
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
i) In India	65,35,08,697	66,32,75,681
ii) Outside India	1,65,87,098	1,35,04,434
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations	1,26,99,57,903	52,14,77,693
VI. Other items of Contingent Liability	-	3,95,261
VII.) Disputed Tax demands under Appeals	13,81,64,819	15,71,17,481
VIII.) Amount transferred to DEAF Scheme 2014	2,87,70,887	2,37,52,409
TOTAL	6,51,14,68,340	3,71,78,14,658

Schedules forming part of the Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2022

(₹ in 000')

Particulars	Year Ended 31 March, 2022	Year Ended 31 March, 2021
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :		
I. Interest/Discount on Advances/Bills	45,29,33,293	45,83,44,668
II. Income on Investments	20,15,94,684	21,03,54,155
III. Interest on Balances with RBI & Other Inter Bank Funds	2,14,39,537	1,61,06,390
IV. Others	63,29,059	83,09,349
TOTAL	68,22,96,573	69,31,14,562
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :		
I. Commission, Exchange and Brokerage	1,71,90,485	1,21,60,225
II. Profit on Sale of Investments - (Net)	3,52,44,503	4,32,96,427
III. Profit on revaluation of Investments (Net)	(13,43,760)	40,76,402
IV. Profit/ (Loss) on Fixed Asset - (Net)	(3,489)	2,05,851
V. Profit on Exchange Transactions - (Net)	60,83,678	43,40,878
VI. a) Lease Finance Income	-	-
b) Lease Management Fee	-	-
c) Overdue Charges	-	-
d) Interest on Lease Rent Receivables	-	-
VII. Miscellaneous Income	7,80,72,713	7,89,87,445
TOTAL	13,52,44,131	14,30,67,228
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :		
I. Interest on Deposits	37,47,18,766	40,83,59,049
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank Borrowing	1,05,60,975	1,49,23,543
III. Others	1,65,04,910	1,78,41,396
TOTAL	40,17,84,651	44,11,23,988
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :		
I. Payments to and Provisions for Employees	10,26,36,661	9,49,10,217
II. Rent, Taxes and Lighting	1,08,29,331	1,12,06,349
III. Printing and Stationery	9,75,941	9,30,033
IV. Advertisement and Publicity	6,94,846	7,18,677
V. a) Depreciation on Bank's Property other than Leased Assets	74,48,149	90,81,502
b) Depreciation on Leased Assets	-	-
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	48,608	59,706
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	6,70,847	10,94,891
VIII. Law Charges	15,25,868	13,66,141
IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	31,25,474	23,36,294
X. Repairs and Maintenance	33,75,669	36,62,617
XI. Insurance	1,16,58,849	1,20,98,687
XII. Amortization of Goodwill, if any	-	-
XIII. Other Expenditure	5,40,35,874	6,00,50,099
TOTAL	19,70,26,117	19,75,15,212

Significant Accounting Policies (Consolidated) : Schedule 17

1. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated. These are prepared following the Going Concern concept, in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting and reporting policies of the Bank used in the preparation of these financial statements conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in foreign countries are complied with.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported Income and the Expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results can differ from these estimates. Any revision in the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future period.

3. Basis of consolidation

a) Bank is having 5 subsidiaries, 3 JVs and 1 associate. The details are as under:-

S. No.	Nature	Entities	Stake
1	Subsidiary	Union Asset Management Company Pvt. Ltd.	100%
2	Subsidiary	Union Trustee Co Pvt. Ltd.	100%
3	Subsidiary	UnionBank of India(UK) Ltd.	100%
4	Subsidiary	Andhra Bank Financial Services Ltd.	100%

5	Subsidiary	UBI Services Ltd.	100%
6	JV	Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co Ltd.	25.10%
7	JV	ASREC (India) Ltd	26.02%
8	JV	India International Bank (Malaysia) BHD	25.00%
9	Associate	Chaitanya Godavari Grameena Bank	35%

The consolidated financial statements are prepared on the basis of:

- 1) Audited Accounts of the parent bank (Union Bank of India)
 - 2) **Consolidation of Subsidiaries:** Line by Line aggregation of the Income/Expenditure/ Assets/Liabilities of the subsidiaries with the respective line item of the parent bank, after eliminating all intra-group transactions, unrealized profits/loss in terms of AS 21 on Consolidated Financial Statements issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
 - 3) **Consolidation of Associates:**The Investment in Associate is accounted for consolidation as per Equity Method in terms of AS 23 on Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statement issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
 - 4) **Consolidation of Joint Ventures:** Line by Line consolidation is done with proportionate share in Joint Venture in terms of AS-27 on Financials Reporting in Interest of Joint Venture issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- b) In case of Domestic Associate/Subsidiaries and Joint Venture, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by parent bank and associate/subsidiaries and Joint Venture have not been carried out due to practical difficulties on the basis of data provided by associates/ subsidiaries and Joint Venture as the amounts are not material.

- c) The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the CFS as Goodwill / Capital Reserve, as the case may be.
- d) Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:
- The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made and
 - The minority share of movements in revenue reserves / loss and equity since the date the parent subsidiary relationship came into existence.
 - The excess, and any further losses applicable to the minority, are adjusted against the majority interest except to the extent that the minority has a binding obligation to, and is able to, make good the losses

4. Revenue Recognition

a) Banking entities

- Income and Expenditure have been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- Income on Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by the RBI. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.
- Commission on Letter of Guarantee/Letter of Credit is accounted on accrual basis.
- Exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers, income from Aadhaar cards Minimum balance charges etc. are accounted for on realization basis.
- Income (Other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired

at discount to the face value is recognized as follows:

- On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale/redemption.
 - On Zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.
- Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.
 - Sale of NPAs accounted in terms of extant RBI guidelines.
 - Interest on Income-tax refunds is accounted for on receipt of Intimation order from the Income Tax Department.

b) Non-Banking entities

Life Insurance

i. Premium Income

Premium (net of GST) is recognized as income when due. For linked business, premium is recognized when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

ii. Income from linked funds

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

iii. Reinsurance Premium

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

iv. Benefits paid (including claims)

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any. Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due. Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for in the same period as the related claims.

v. Acquisition Costs

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

vi. Liability for life policies

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business, unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

Asset Management

- i. Investment management fees are recognized net of service tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the mutual fund schemes (excluding the investments made by the company in

the schemes) such that it does not exceed the limit prescribed by the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments.

- ii. Investment advisory fees are recognized on accrual basis in accordance with the terms of contract with the customers.
- iii. Interest income is recognized using the time proportion method, based on the rates implicit in the transaction.
- iv. Dividend income is recognized when right to receive is established.

5. Investments

i) Classification

In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

- a) Government Securities
- b) Other Approved Securities
- c) Shares
- d) Debentures & Bonds
- e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and
- f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines contained in Master Circular Master Circular DoR.MRG.42/21.04.141 /201-22 dated August 25, 2021 into three categories viz.,

- a) Held to Maturity (HTM)
- b) Available for Sale (AFS)
- c) Held for Trading (HFT)

ii) Basis of Valuation

As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation:

- a) Securities held in "HTM" – at acquisition cost: The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period

of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.

- b) Investment in Regional Rural Banks is valued at carrying cost.
- c) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost
- d) Diminution other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.
- e) Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored.
- f) Valuation of other securities is arrived at as follows:

A	Govt. of India Securities (Central Govt. Securities)	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA/ FBIL)
B	State Development Loans, State Govt. Securities, Securities guaranteed by Central/ State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/ FBIL guidelines
C	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Break-up Value, as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both, at ₹ 1/- per Company. The break-up Value is computed excluding revaluation reserve.
D	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA/ FBIL guidelines

E	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/ FBIL guidelines.
F	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
G	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
H	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Breakup NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹ 1/- per VCF
I	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

iii) Interbank REPO / Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

- a) From AFS / HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.

- b) From HTM category to AFS / HFT category,
- If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value
 - If the security is originally placed at a premium, at an amortized cost.
- c) From AFS to HFT category and vice versa, at book value.
- d) The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.
- v) The non-performing investments are identified and provision is made as per the extant RBI guideline.
- vi) Profit / Loss on sale of investments & appreciation/ depreciation of investment in any category is taken to the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.
- vii) Commission, brokerage, broken period interest etc. on securities is debited / credited to Profit & Loss account.
- viii) Income from the units of Mutual Fund, Venture Capital & Security Receipt is recognized on Cash Basis.
- ix) As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.
- b) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements. (profit if any, is ignored)
- c) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

7. Advances

- i) Advances in India, are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI in terms of Master Circular DOR.No.STR.REC.55/21.04.048/2021-22 dated October 01,2021. In respect of foreign offices, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.
- ii) Advances are stated net of specific loan loss provisions, counter cyclical provisioning buffer and provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in sundry / claims received from Credit Guarantee Trust for Micro & Small Enterprises (CGTMSE)/Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.
- iii) The general provision on standard advances is held in "Other Liabilities and Provisions" reflected in Schedule 5 of the balance sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.
- iv) Amounts recovered against debts written off are recognized as revenue in the year of recovery.
- v) Provision on Suspense accounts entries outstanding for more than six months are made at 100% except the claim receivable from Govt./Govt. Bodies like Interest Subsidy on crop loan/export advance, Pension receivable etc.

6. Derivative Contracts:

- a) The Interest Rate Swap which hedges interest bearing Asset or Liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an Asset or Liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the Asset / Liability.

8. Property, Plant and Equipment

- i) Premises and Other Fixed Assets are stated at

cost less accumulated depreciation as adjusted for impairment, if any. The cost comprises of purchase price, eligible borrowing costs and directly attributable costs of bringing the Asset to its working condition for the intended use less trade discounts and rebates. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional capability. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted therefrom and shall be credited to Revenue Reserves in terms of revised AS-10 on "Property, Plant and Equipment.

- ii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the Straight Line Method at the rates prescribed in Expenditure Policy of the Bank from time to time. The applicable rates of depreciation are as under:

Sr. No.	Capital Asset	Useful Life (Years)	Rate in percentage
1	Immovable Property-Land	Not stipulated; accordingly, no depreciation	NIL
2	Building with RCC frame structure (Both Residential & Non-residential)	60	1.67
3	Furniture	10	10.00
4	Fixtures	10	10.00
5	Air-conditioning plants (Package & water/air cooled ductable)	10	10.00
6	Split & Window Air conditioners	5	20.00
7	Electrical installments and equipment	5	20.00
8	Solar Power Equipment	15	6.67
9	Elevators & Lifts	15	6.67
10	Civil & Flooring work in leased Premises	5	20.00
11	Telephone Equipment	5	20.00
12	Motor Cycles, Scooters & other mopeds	10	10.00

Sr. No.	Capital Asset	Useful Life (Years)	Rate in percentage
13	Motor Cars, Motor Lorries and Electrically operated vehicles including battery powered or fuel cell powered vehicles	8	12.50
14	Mobile Phones	3	33.33
15	Generators	15	6.67
16	Office Equipment	5	20.00
17	Computers & computer software forming integral part of hardware	3	33.33
18	ATM & allied items	3	33.33
19	UPS & allied items	5	20.00
20	Servers & Networks	6	16.66
21	End user devices such as desktops, laptops, i-pads, tablets, printer & Scanner, digital watches etc.	3	33.33

- iii) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of Land and Buildings is not separately identifiable.
- iv) Depreciation on Leased assets and Leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.
- v) Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of subsidiaries / associates is provided as per regulatory requirements / or prevailing practices of respective country / industry.

9. Impairment of Assets

The carrying costs of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost

of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation, if there was no impairment.

10. Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has a policy for creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for advances and investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter cyclical provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

11. Transactions involving Foreign Exchange

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI. As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as under

- b) Integral Operations and
- c) Non Integral Operations.

All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

a) Translation in respect of Integral Operations

- i.) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.
- ii.) Foreign Currency Monetary and Non-Monetary Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- iii.) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year
- iv.) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account.

- v.) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non Integral Operations

- i) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter
- ii) Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.
- iii) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- iv) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

12. Employee Benefits

A. Short Term Employment Benefits:

The undiscounted amounts of short term employee benefits (e.g. medical benefits) payable wholly within twelve months of rendering the service are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

B. Long Term Employee Benefits:

i. Defined Contribution Plans:

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of

their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with 14% contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

ii. Defined Benefit Plan:

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefit plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

13. Segment Reporting

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard-17 "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Business segments are classified into:

- 13.1 Treasury Operations,
- 13.2 Corporate and Wholesale Banking,
- 13.3 Retail Banking Operations and
- 13.4 Other Banking Operations

14. Lease Transactions

Lease payments for assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

15. Earnings Per Share

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss (after tax) for the year attributable to the

equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share are calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

16. Taxation

This comprises of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS-22 on "Accounting for taxes on Income" issued by ICAI. Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such Deferred Tax Assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, Deferred Tax Assets are recognized only if there is "virtual certainty".

17. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

18. Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account in terms of Section 52 of the Companies Act, 2013.

SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS (CONSOLIDATED)

1. The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the Bank (the Parent) are as under:

Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the parent as on 31.03.2022
Union Asset Management Company Private Limited	India	100%
Union Trustee Company Private Limited	India	100%
Union Bank of India (UK) Limited	United Kingdom	100%
Andhra Bank Financial Services Limited	India	100%
UBI Services Ltd	India	100%

2. The particulars of Joint Venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited (Non- Banking)	India	25.10%
ASREC (India) Ltd	India	26.02%
India international Bank (MALAYSIA) Berhad	India	25.00%

3. The particulars of Associate considered in the Consolidated Financial Statements are as under:

Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Chaitanya Godavari Grameena Bank	India	35%

The value of the investment made by the Bank is ₹1,492.32 Crore as on 31st March 2022 which is treated as long term investment.

4. The financial statements of the subsidiaries, joint venture and associate which are used in the consolidation have

been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2022.

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of audited financial statements of Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited, Union Asset Management Company Private Limited, Union Trustee Company Private Limited, Union Bank of India (UK) Limited, Chaitanya Godavari Grameena Bank, India International Bank (Malaysia) BHD, UBI Services LTD. and financials of Andhra Bank Financial Services Limited and ASREC (India) Limited for the financial year ended 31.03.2022.
6. During the year, the Bank has divested 21% of its investment in IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd. to Bank of Baroda. Consequently, the Bank's shareholding has been reduced from 30% to 9% and accordingly the financials of IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd. has not been considered in CFS of the Bank as on 31.03.2022
7. Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress on an ongoing basis. Pending final clearance of the same, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

8 DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

8.1. A. Capital

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till Oct. 1, 2021. As per RBI Guidelines, Basel III has been completely implemented from Oct. 1, 2021. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I Capital (AT 1).

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 11.50% with minimum CET I of 8.00% (inclusive of Capital Conservation Buffer of 2.50%) and minimum Tier I CRAR of 9.50% as at March 31, 2022.

During the year, the Bank has issued additional 42,79,03,111 number of equity shares under Qualified Institutions Placement (QIP) on 21st May, 2021 and raised an amount of ₹1,447.17 crore. Accordingly, the shareholding of Government of India in the Bank has reduced to 83.49% as compared to the shareholding of 89.07% as on 31st March, 2021. Further, the Bank has also issued Basel III compliant Tier-2 bonds of ₹2,000 Crore & additional Tier-1 Bonds of ₹5,000 crore in tranches and exercised call option for redemption of Basel III compliant Tier-2 bonds of ₹2,000.00 crore & additional Tier-1 Bonds of ₹3,400.00 crore.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below:

		(Amount in ₹ crore)	
Sr. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i.	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) / Paid up share capital and reserves (net of deductions, if any)	58,205.98	50,133.85
ii.	Additional Tier 1 capital/ Other Tier 1 capital	8,539.83	7,105.00
iii.	Tier 1 capital (i + ii)	66,745.81	57,238.85
iv.	Tier 2 capital	12,692.32	12,185.77
v.	Total capital (Tier 1+Tier 2)	79,438.12	69,424.62
vi.	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	5,48,469.51	5,54,434.89
vii.	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs) / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs	10.61	9.04
viii.	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	12.17	10.32
ix.	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.31	2.20
x.	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	14.48	12.52
xi.	Leverage Ratio	5.17	4.82
xii.	Percentage of the shareholding of a) Government of India b) State Government (specify name) c) Sponsor Bank	83.49	89.07
xiii.	Amount of paid-up equity capital raised during the year	1,447.17	-
xiv.	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares b) Basel III compliant Perpetual Debt Instruments	5,000.00	1,705.00
xv.	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which a) Perpetual Cumulative Preference Shares b) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares c) Basel III compliant Redeemable non convertible tier II Bonds	2,000.00	2,000.00

8.2 Provisions and Contingencies

		(₹ in crore)	
Break up of Provision & Contingencies shown under the head in Profit & Loss:		31.03.2022	31.03.2021
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment		200.48	839.74
Provision towards NPA		11,931.44	13,733.74
Provision towards Harmonization		--	323.86
Provision (Reversal) towards Standard Assets		1,451.35	1,246.34
Net Provision made towards Income Tax/Deferred tax		3,357.84	(500.84)
Other Provision and Contingencies:		(276.62)	1,283.40
TOTAL		16,664.49	16,926.24

8.3 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i)	Opening Balance	306.20	306.20
ii)	Additional provisions made during the accounting year	Nil	Nil
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	306.20	Nil
iv)	Closing balance	Nil	306.20

9 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15 - REVISED) (Parent Bank)

i) Short Term Employment Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits (e.g. medical benefits) payable wholly within twelve months of rendering the service are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

ii) Long Term Employee Benefits:

a) Defined Contribution Plans:

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a 14% contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2021-2022, the Bank has contributed ₹501.51 crores including arrears of ₹120.35 crores (Previous Year ₹297.92 crore) to NPS.

b) Defined Benefit Plan:

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefit plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

Defined Benefit Plans – Employee's Pension plan and Gratuity plan:

The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2022.

(₹ in crore)

S. No.	Particular	31-03-2022		31-03-2021	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	Table showing change in Defined Benefit Obligation:				
	Liability at the beginning of the year	3,355.82	26,011.41	2,738.03	24,553.31
	Interest Cost	232.56	1,797.39	187.28	1,667.17
	Current Service Cost	161.12	212.30	137.71	265.17
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	NIL	NIL	NIL	NIL
	Past Service Cost (Vested Benefit)	NIL	1902.02	NIL	NIL
	Liability Transfer in	NIL	NIL	NIL	NIL
	Liability Transfer out	NIL	NIL	NIL	NIL
	(Benefit paid)	(465.84)	(2,341.52)	(433.15)	(1,682.84)
	Actuarial (Gain)/loss on obligation – due to change				
	In the financial assumption	(119.57)	(1,446.34)	NIL	NIL
	in demographic assumption	2.86	63.46	(26.36)	(247.67)
	Actuarial (Gain) / Loss on obligations	30.86	2,452.27	752.31	1,456.27
	Liability at the end of the year	3,197.81	28,650.99	3,355.82	26,011.41
ii)	Table of Fair value of Plan Assets:				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	2,746.43	26,720.88	2,671.12	23,145.31
	Expected return on Plan Assets	190.33	1846.41	182.70	1,571.57
	Contributions	843.37	551.42	291.35	3,605.19
	Transfer from Other Company	NIL	NIL	NIL	NIL
	Transfer to Other Company	NIL	NIL	NIL	NIL
	(Benefit paid)	(465.84)	(2,341.52)	(433.15)	(1,682.84)
	Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	(53.31)	(266.31)	(34.41)	(81.65)
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	3,367.60	27,043.50	2,746.43	26,720.88
	Actuarial (Gain)/loss on obligation for the period	(85.85)	1,069.39	725.95	1,208.60
	Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	(53.31)	(266.31)	(34.41)	(81.65)
	Total Actuarial (Gain)/loss to be recognized	(139.16)	803.08	691.54	1,126.95
iii)	Recognition of Transitional Liability:				
	Transitional Liability at start	NIL	NIL	NIL	NIL
	Transitional Liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL
	Transitional Liability at end	NIL	NIL	NIL	NIL
iv)	Actual return on Plan Assets:				
	Expected Return on Plan Assets	190.33	1,846.41	182.70	1,571.57
	Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	53.31	266.31	34.41	81.65
	Actual return on Plan Assets	243.64	2,112.72	217.11	1,653.22

(₹ in crore)

S. No.	Particular	31-03-2022		31-03-2021	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
v)	Expenses recognized in the Income Statement:				
	Current Service Cost	161.12	212.30	137.71	265.17
	Interest Cost	42.23	(49.02)	4.58	95.60
	Expected Return on Plan Assets	NIL	NIL	NIL	NIL
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	NIL	NIL	NIL	NIL
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized(1/5 of enhanced family pension)	NIL	380.40	NIL	NIL
	Recognition of Transition Liability	NIL	NIL	NIL	NIL
	Actuarial (Gain) or Loss	(139.16)	803.08	691.54	1,126.95
	Expenses Recognized in P & L	64.19	1346.76	833.83	1,487.72
vi)	Balance Sheet Reconciliation:				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	609.39	(709.47)	66.91	1,408.00
	Expenses as above	64.19	1346.76	833.83	1,487.72
	Transfer from other Company (Net)	NIL	NIL	NIL	NIL
	Transfer to other Company (Net)	NIL	NIL	NIL	NIL
	(Employer Contribution)	(843.37)	(551.42)	(291.35)	(3,605.19)
	Net (Asset)/Liability Amount recognized in Balance Sheet	(169.79)	85.87	609.39	(709.47)
vii)	Other Details:				
	Pension is payable at the rate of 1/66 Salary for Each Year of Service Subject to Maximum of 50%.				
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of Rs 20, 00,000 or as per the Bank scheme.				
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.				
	Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	75,201	23,216	78,203	28,235
	Salary Per Month	354.44	182.95	354.09	210.64
	Contribution for next year	--	592.76	354.09	--

(₹ in crore)

S. No.	Particular	31-03-2022		31-03-2021	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
viii)	Category of assets:				
	Government of India Assets	63.45	585.14	64.56	601.59
	Corporate Bonds/FDR	36.15	721.81	96.29	1029.07
	Special Deposits Scheme	--	--	--	--
	State Govt.	101.17	1185.78	125.89	1150.74
	Property	NIL	NIL	NIL	NIL
	Other	244.10	1,733.36	185.67	1,426.35
	Insurer Managed Funds	2,897.20	22,492.80	2,252.98	22,235.49
	Mutual Fund	25.53	324.61	21.04	277.64
	Total	3,367.60*	27,043.50*	2,746.43	26,720.88

*Note: Return on investments in LIC & other insurance companies is considered as 7.25% while arriving Pension liability and as 7.00% while arriving Gratuity liability at the Fair Value of Plan Assets for the FY2021-22 as against the 7.00% considered for arriving Pension and Gratuity liability for the FY2020-21.

(₹ in crore)

Surplus/Deficit in the Plan:	Gratuity Plan				
	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
Amount recognized in the Balance-Sheet					
Liability at the end of the year	3,197.81	3,355.82	1291.94	1,222.64	1,244.88
Fair value of Plan Assets at the end of the year	3,367.60	2,746.43	1219.01	1,202.14	1,302.00
Difference	169.79	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	169.79	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12

*Amount mentioned for UBI Standalone

(₹ in crore)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plan				
	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
Experience Adjustment					
On plan liability (Gain) / Loss	30.86	752.31	25.87	7.91	(142.26)
On plan Assets (Loss) / Gain	53.31	34.41	7.20	(13.03)	10.64

*Amount mentioned for UBI Standalone

(₹ in crore)

Surplus/Deficit in the Plan:	Pension Plan				
	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
Amount recognized in the Balance-Sheet					
Liability at the end of the year	28,650.99	26,011.41	12,746.69	12,158.43	11,803.32
Fair value of Plan Assets at the end of the year	27,043.50	26,720.88	12,607.16	12,308.84	12,115.00
Difference	(1,607.49)	709.47	(139.53)	150.41	311.68
Unrecognized Past Service Cost	1521.62	Nil	Nil	Nil	Nil
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	(85.87)	709.47	(139.53)	150.41	311.68

*Amount mentioned for UBI Standalone

(₹ in crore)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension Plan				
Experience Adjustment	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*	31.03.18*
On plan Liability (Gain) / Loss	2,452.27	1,456.27	938.90	125.22	(37.82)
On plan Assets (Loss) / Gain	266.31	81.65	75.23	7.18	(21.39)

*Amount mentioned for UBI Standalone

Principal actuarial assumption used (%)	2021-2022		2020-2021	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Discount Rate Prev.	6.93	6.91	6.84	6.79
Rate of return on Plan Assets Prev.	6.93	6.91	6.84	6.79
Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
Discount Rate Current	7.31	7.40	6.93	6.91
Rate of Return on Plan Assets Current	7.31	7.40	6.93	6.91
Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00

i) Other long term Employee Benefits:

Details of Provisions made for various Long-Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	31.03.2022	31.03.2021
1	Pension	1,346.76	1,487.72
2	Leave Travel Concession	13.41	27.45
3	Leave Encashment	48.70	102.29

Bank is having provision of ₹236.12 Crore towards Sick Leave on prudential basis though there is no payout.

ii) Unamortized Family pension & Gratuity Liabilities:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Pension		
a) Balance brought forward	NIL	NIL
b) Gross Liability	1,902.02	NIL
c) Charged to Profit & Loss account	380.40	NIL
d) Balance Carried forward	1,521.62	NIL
Gratuity		
a) Charged to Profit & Loss account	NIL	NIL
b) Carried forward	NIL	NIL

- e) The additional liability on account on enhancement in family pension for employees covered under XI Bi-partite settlement and Joint note dated 11th November, 2020 is arrived at ₹1,902.02 Crores as per Actuarial valuation. Further, in terms of RBI circular RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021, Banks are

permitted to amortize the said liability over a period of not exceeding 5 years beginning with FY ending 31.03.2022. Accordingly, Bank has opted to amortize the said liability over a period, of 5 years and charged an amount of ₹ 380.40 crore to the profit/loss account for year ended March 31, 2022 and the balance unamortized expense of ₹ 1,521.62 crore has been carried forward to be amortized in next 4 years. If the unamortized expenditure has been fully recognized in the Profit & Loss account, the net profit would be ₹ 3,743.70 Crore for the year ended 31st March 2022.

10. SEGMENT REPORTING (AS-17)

10.1. Business Segments:

(₹ in crore)

Business Segment		Consolidated	
		Year Ended	
		(Audited)	(Audited)
		31.03.2022	31.03.2021
(a)	Segment Revenue		
1	Treasury Operations	26,815.66	27,789.92
2	Retail Banking Operations	26,198.04	24,817.48
3	Corporate /Wholesale Banking	25,776.79	26,541.51
4	Other Banking Operations	1,397.64	1,371.55
5	Unallocated	1,688.64	3,240.26
	Total Segment Revenue	81,876.77	83,760.72
	Less Inter-segment Revenue	(122.70)	(142.54)
	Income from operations	81,754.07	83,618.18
(b)	Segment Results		
1	Treasury Operations	6,002.74	6,157.83
2	Retail Banking Operations	4,508.68	4,197.57
3	Corporate Banking	(3,093.72)	(8,823.12)
4	Other Banking Operations	758.37	733.23
5	Unallocated	390.27	61.67
	Total Profit/(Loss) Before Tax	8,566.34	2,327.18
(c)	Provision for Tax	3,357.84	(500.84)
(d)	Net Profit/(Loss) after Tax	5,208.50	2,828.02
	Add: Share of Profit in Associate	56.82	35.38
(e)	Consolidated Net Profit/(Loss)	5,265.32	2,863.40
(f)	Segment Assets		
1	Treasury Operations	4,78,735.97	4,27,941.43
2	Retail Banking Operations	3,18,913.60	2,77,171.79
3	Corporate/Wholesale Banking	3,68,181.73	3,41,941.30
4	Other Banking Operations	--	--
5	Unallocated	27,934.31	35,322.87
	Total	11,93,765.61	10,82,377.39
(g)	Segment Liabilities		
1	Treasury Operations	4,70,252.54	4,19,807.14
2	Retail Banking Operations	2,90,449.81	2,53,344.66
3	Corporate/Wholesale Banking	3,35,313.11	3,10,531.92

(₹ in crore)

Business Segment		Consolidated	
		Year Ended	
		(Audited)	(Audited)
		31.03.2022	31.03.2021
4	Other Banking Operations	--	--
5	Unallocated	26,889.03	33,955.90
	Total	11,22,904.49	10,17,639.62
(h) Capital Employed			
1	Treasury Operations	8,483.43	8,134.29
2	Retail Banking Operations	28,463.79	23,827.13
3	Corporate/Wholesale Banking	32,868.62	31,409.38
4	Other Banking Operations	--	--
5	Unallocated liabilities	1,045.28	1,366.97
	Total	70,861.12	64,737.77

Notes:

1. The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters of foreign branch for the period are within the threshold limits stipulated as per AS-17 and hence the bank has only one reportable segment.
2. Segment wise income, expenditure, Capital employed which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.
3. Bank has divested its stake in one of its joint venture entity during the quarter (Please refer Notes No 6 mentioned above). Hence the figures are not comparable to that extent.

11. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)**11.1 List of Related Parties****a) Subsidiaries**

- Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.
- Union Trustee Company Pvt. Ltd.
- Union Bank of India (UK) Ltd.
- Andhra Bank Financial Services Ltd.
- UBI Services Ltd.

b) Joint Venture

- Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.
- ASREC (India) Ltd.
- India International Bank (Malaysia) Berhad

c) Associate

- Chaitanya Godavari Grameena Bank

d) Key Management Personnel

Name	Designation	Remuneration paid for the Year ended 31 st March 2022
Shri Rajkiran Rai G.	Managing Director & CEO	0.37
Shri Gopal Singh Gusain @	Executive Director	0.26
Shri Dinesh Kumar Garg*	Executive Director	0.15
Shri Manas Ranjan Biswal	Executive Director	0.31
Shri Nitesh Ranjan	Executive Director	0.30
Shri Rajneesh Karnatak#	Executive Director	0.14
Shri Nidhu Saxena^	Executive Director	0.05

@ Till 31.01.2022

*Till 30.09.2021

From 21.10.2021

^ From 01.02.2022

e) Key Management Personnel – Remuneration paid.

Particulars	(₹ in crore)	
	31.03.2022	31.03.2021
	Amount	Amount
CEO and Managing Director	0.37	0.34
Executive Directors	1.21	1.11
Total	1.58	1.45

Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

12. EARNING PER SHARE (AS-20)

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

The computation of earnings per share is given below:

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Number of Equity shares at the beginning of the year	640,68,44,355	640,68,44,355
Number of Equity shares issued during the year	42,79,03,111	Nil
Number of Equity shares outstanding at the end of the year	6,83,47,47,466	640,68,44,355
Weighted Average Number of Equity Shares used in computing Basic Earnings per share	6,77,26,13,590	640,68,44,355

Weighted Average Number of Shares used in computing diluted Earnings per share	6,77,26,13,590	640,68,44,355
Net Profit/(Loss) Rs in Crore	5,265.32	2,863.40
Basic Earnings per share (Rs)	7.77	4.47
Diluted Earnings per share (Rs)	7.77	4.47
Nominal Value per share (Rs)	10	10

13. PROVISION FOR TAXES:

Deferred Tax (AS-22)

		(₹ in crore)	
Sr. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
	Deferred Tax Assets		
1	Employee Benefits (Leave Encashment)	474.78	457.76
2	Depreciation on Fixed Assets	358.12	298.39
3	Provision for Non Performing Assets	14,072.58	18,156.51
4	Foreign Currency Translation Reserve	1.14	36.50
5	Standard Asset	588.37	--
6	Others	0.07	
	Total	15,495.05	18,949.16
	Deferred Tax Liabilities		
1	Accrued interest on securities	1,092.63	1,104.51
2	Special Reserves u/s 36(i)(viii)	2,107.08	1,924.67
3	Depreciation on Investment	--	237.86
	Total	3,199.71	3,267.04
	Net Deferred Tax Asset	12,295.34	15,682.12
	Net Deferred Tax Liability	Nil	Nil

14. IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28)

In the opinion of the Management, there is no indication for Impairment during the year with regard to the asset to which Accounting Standards 28 applies.

15. Additional information disclosed in the separate financial statements of the parent and the subsidiaries have no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements (CFS) and also the information pertaining the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.
16. COVID-19 Pandemic has adversely impacted the economic activity across the globe including the Indian economy. During last Financial year also, India witnessed two more waves of COVID -19 pandemic and the re-imposition of the localized/regional lockdown measures in certain parts of the country. The Bank is continuously monitoring the situation and taking all possible measures including various digital initiatives to ensure continuance of customer outreach & full-fledged banking operations. Keeping in view of the various initiatives and steps taken by the Bank, Government & Reserve Bank of India and with the progress of vaccination program, the Management believes that there would not be any significant impact on Bank's performance in future and going concern assumptions.

17. The bank has changed the method of appropriation of recovery in NPA accounts (other than the accounts where method of appropriation has been specifically agreed upon between borrower and the Bank) w.e.f. 1st April 2021. Accordingly, the recoveries in such NPA accounts are now first appropriated towards interest and then towards principal as contrary to the reverse process followed in the earlier periods. The change in accounting policy has resulted in increase in interest income for the quarter by ₹495.26 crore & for the year by ₹1,081.77 crore and consequential non-reduction in Gross NPA by equivalent amount
18. The figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

Signatories to Schedules 1 to 18

(PANKAJ KUMAR)
DY. GENERAL MANAGER

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)
CHIEF FINANCIAL OFFICER

(NIDHU SAXENA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJNEESH KARNATAK)
EXECUTIVE DIRECTOR

(NITESH RANJAN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(SAMEER SHUKLA)
DIRECTOR

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(SURAJ SRIVASTAVA)
DIRECTOR

(LAXMAN S UPPAR)
DIRECTOR

(DR. JAYADEV MADUGULA)
DIRECTOR

(PRITI JAY RAO)
DIRECTOR

For **M/s R G N Price & Co.**
Chartered Accountants
FRN 002785S

For **M/s SARDA & PAREEK LLP**
Chartered Accountants
FRN 109262W/W100673

For **M/s C R Sagdeo & Co.**
Chartered Accountants
FRN 108959W

CA P. M. Veeramani
Partner
Membership No.023933
UDIN: 22023933AIXFNV8228

CA Giriraj Soni
Partner
Membership No.109738
UDIN: 22109738AIXFFR2991

CA Sachin V. Luthra
Partner
Membership No. 109127
UDIN: 22109127AIXFLG9220

For **M/s P V A R & Associates**
Chartered Accountants
FRN 005223C

For **M/s Gopal Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN 002803C

For **M/s N B S & Co.**
Chartered Accountants
FRN 110100W

CA Sharad Bansal
Partner
Membership No. 423507
UDIN: 22423507AIXFXC6066

CA Gautam Sharma
Partner
Membership No. 79225
UDIN: 22079225AIXFID6253

CA Pradeep J. Shetty
Partner
Membership No. 046940
UDIN: 22046940AIXFCS3650

Place of Signature: Mumbai
Date of Report: 13.05.2022

Consolidated Cash Flow Statement

For the Year Ended 31st March, 2022

(₹ in lacs)

S. No.	Particulars	Year ended 31 March, 2022	Year ended 31 March, 2021
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
	Net Profit Before Tax	8,56,634	2,32,677
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	73,809	90,815
	Provision for Investments	20,048	55,624
	Provision for Non Performing Assets (Net)	11,62,524	14,05,760
	Provision for Standard Asset	1,36,754	1,37,588
	Provision for Staff Related Expenditures	-	86,605
	Provision for other items (Net)	11,339	16,367
	(Profit)/Loss on Sale or Disposal of Fixed Assets	35	(2,059)
	Interest on Borrowings : Capital Instruments	1,55,133	1,59,660
	Share of Profit in Associate	5,682	3,538
	Sub Total	24,21,959	21,86,576
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	1,08,71,383	55,20,773
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(5,55,146)	6,26,592
	(Increase) / Decrease in Investments	(12,92,420)	(53,44,849)
	(Increase) / Decrease in Advances	(81,66,081)	(4,89,586)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	3,45,116	(5,84,957)
	Direct taxes paid (Net of Refund)	(54,388)	(22,864)
	Transfer to/from reserve	63,465	1,61,050
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	36,33,888	20,52,734
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
	Purchase of Fixed Assets	(74,953)	(71,898)
	Proceeds from Sale/Adjustment of Fixed asset	30,788	11,789
	(Increase)/ Decrease in Investment in Subsidiary	(11,606)	
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(55,771)	(60,109)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :		
	Proceeds from Issue of Preference Share Capital Issued by Subsidiary Company Including Share Premium (Net)		-
	Proceeds from issue of Equity Share Capital Including Share Premium (Net)	1,44,209	3,70,500
	Proceeds from issue of Capital Instruments	7,00,000	
	Repayments of Capital Instruments	(5,40,000)	(3,85,000)
	(Decrease)/Increase Borrowings other than Capital Instruments	(2,27,704)	(17,11,906)
	Interest Paid on Borrowings: Capital Instruments	(1,55,133)	(1,59,660)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	(78,628)	(18,86,066)
	Net Increase (Decrease) in Cash & Cash Equivalent (A)+(B)+(C)	34,99,488	1,06,559
	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	84,76,334	55,57,753
	Cash and Cash equivalent received on account of amalgamation	-	28,12,022

(₹ in lacs)

S. No.	Particulars	Year ended 31 March, 2022	Year ended 31 March, 2021
	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	1,19,75,822	84,76,334
	Components of Cash and Cash equivalents		
D	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR	01.04.2021	01.04.2020
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	37,88,571	20,11,892
	Balances with Banks and Money at call	46,87,762	35,12,987
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	84,76,334	55,24,879
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR	31.03.2022	31.03.2021
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	46,11,589	37,88,571
	Balances with Banks and Money at call	73,64,233	46,87,762
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	1,19,75,822	84,76,334

Previous Year's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the year ended classification/ presentation.

(PANKAJ KUMAR)
DY. GENERAL MANAGER

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)
CHIEF FINANCIAL OFFICER

(NIDHU SAXENA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJNEESH KARNATAK)
EXECUTIVE DIRECTOR

(NITESH RANJAN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(SAMEER SHUKLA)
DIRECTOR

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(SURAJ SRIVASTAVA)
DIRECTOR

(LAXMAN S UPPAR)
DIRECTOR

(DR. JAYADEV MADUGULA)
DIRECTOR

(PRITI JAY RAO)
DIRECTOR

Auditors Certificate:

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Consolidated Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2022. The statement has been prepared in Indirect Method in accordance with the AS-3, "Cash Flow Statement" issued by The Institute of Chartered Accountants of India and with the requirements of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 and is based on and in agreement with the corresponding Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Balance Sheet of the Bank covered by our report of the May 13, 2022 to the members.

For M/s R G N Price & Co.
Chartered Accountants
FRN 002785S

For M/s SARDA & PAREEK LLP
Chartered Accountants
FRN 109262W/W100673

For M/s C R Sagdeo & Co.
Chartered Accountants
FRN 108959W

CA P. M. Veeramani
Partner
Membership No.023933
UDIN: 22023933AIXFNV8228

CA Giriraj Soni
Partner
Membership No.109738
UDIN: 22109738AIXFFR2991

CA Sachin V. Luthra
Partner
Membership No. 109127
UDIN: 22109127AIXFLG9220

For M/s P V A R & Associates
Chartered Accountants
FRN 005223C

For M/s Gopal Sharma & Co.
Chartered Accountants
FRN 002803C

For M/s N B S & Co.
Chartered Accountants
FRN 110100W

CA Sharad Bansal
Partner
Membership No. 423507
UDIN: 22423507AIXFVC6066

CA Gautam Sharma
Partner
Membership No. 79225
UDIN: 22079225AIXFID6253

CA Pradeep J. Shetty
Partner
Membership No. 046940
UDIN: 22046940AIXFCS3650

Place of Signature: Mumbai
Date of Report: 13.05.2022

Disclosures under Basel III Capital Regulations

In accordance with Reserve Bank of India's Master Circular on Basel III Capital Regulations dated July 1, 2015, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements. The Bank has made these disclosures which are available on its website at the following link:

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/basel-disclosures-iii.aspx>

Business Responsibility and Sustainability Report

Business Responsibility and Sustainability Report as required by SEBI has hosted on the website of the Bank that is www.unionbankofindia.co.in Any member interested in obtaining physical copy of the same may write to Company Secretary of the Bank.

Bank Overview

Notice

Statutory Reports

Financial Statements

हरित पहल – शेयरधारकों से अपील

नोटिस/ वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य
पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना

डिमेंट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेंट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज करवाएँ।

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि:

वे फॉर्म आईएसआर-1 को भरकर उसके साथ संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें :

डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन्स लिमिटेड
यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट नंबर बी-5, पार्ट बी क्रॉसलाने,
एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई- 400 093
फोन : 022 - 66712001-6
ई-मेल : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

उपर्युक्त आईएसआर-1 फॉर्म बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/important-announcement-to-physical-shareholders.aspx पर उपलब्ध है

लाभांश अधिदेश :

डिमेंट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि :

बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने हेतु, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने बैंक खाते के विवरण को प्रस्तुत/अद्यतन करें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि :

बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने हेतु, संबंधित दस्तावेजों के साथ उक्त फॉर्म आईएसआर-1 को भरकर हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के साथ बैंक खाता विवरण प्रस्तुत/ अद्यतन करें।

GREEN INITIATIVE – APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS &
OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to: Register an email ID in their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

Send their consent by filling up and signing the Form ISR-1 together with relevant documents to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

Datamatics Business Solutions Ltd.
Unit : Union Bank of India,
Plot No.B-5, Part B, Crosslane,
MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel. No.:022-66712001-6
E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

The said Form ISR-1 is available on the website of the Bank at www.unionbankofindia.co.in/english/important-announcement-to-physical-shareholders.aspx

Dividend Mandate:

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to:

furnish/ update bank account details with the Depository Participant, to receive dividend directly in the bank account.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

To furnish/ update bank account details with our Registrar & Share Transfer Agent by filing the said Form ISR-1 together with relevant documents, to receive dividend directly in the bank account.

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व/Corporate Social Responsibility



यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया



Union Bank
of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

हेल्पलाइन नंबर / Helpline Nos.: 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555
www.unionbankofindia.co.in



Scan QR Code to download
Annual Report 2021-22

[f @unionbankofindia](https://www.facebook.com/unionbankofindia) [t @UnionBankTweets](https://twitter.com/UnionBankTweets) [i UnionBankInsta](https://www.instagram.com/UnionBankInsta) [y UnionBankofIndiaUtube](https://www.youtube.com/UnionBankofIndiaUtube) [in @unionbankofindia](https://www.linkedin.com/company/unionbankofindia)

अवांछित ईमेल से सतर्क रहे जो तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं

Be wary and cautious of unsolicited emails that demand immediate action